

केनरा बैंक
Canara Bank
A Government of India Undertaking



Together We Can

बैंकिंग में अग्रणी, उन्नत तकनीकी
Ahead in banking.
Advanced in technology.



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS



श्री विजय श्रीरंगन
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
Shri VIJAY SRIRANGAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN



श्री के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Shri K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CHIEF EXECUTIVE OFFICER



श्री देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक
Shri DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR




श्री अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक
Shri ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक
Shri HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री प्रज्ञांत कुमार गोयल
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार
Shri PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR REPRESENTING
GOVERNMENT OF INDIA



श्री आर. केशवन
प्रतिनिधि निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक
Shri R. KESAVAN
DIRECTOR REPRESENTING
RESERVE BANK OF INDIA



सुश्री नलिनी पद्मनाभन
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Ms. NALINI PADMANABHAN
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR



श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR



श्री बिमल प्रसाद शर्मा
शेयरधारक निदेशक
Shri BIMAL PRASAD SHARMA
SHAREHOLDER DIRECTOR



श्री करुणाकर शेटी
शेयरधारक निदेशक
Shri KARUNAKARA SHETTY
SHAREHOLDER DIRECTOR



सुश्री आभा सिंह यदुवंशी
शेयरधारक निदेशक
Ms ABHA SINGH YADUVANSHI
SHAREHOLDER DIRECTOR


निदेशक जो अवधि के दौरान कार्यालय से मुक्त हुए Directors Demitted Office during the period



श्री ब्रज मोहन शर्मा
कार्यपालक निदेशक
Shri BRU MOHAN SHARMA
EXECUTIVE DIRECTOR



श्री सुचीन्द्र मिश्रा
प्रतिनिधि निदेशक भारत सरकार
Shri SUCHINDRA MISRA
DIRECTOR REPRESENTING
GOVERNMENT OF INDIA



अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हमारे बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, ये एक और उल्लेखनीय वर्ष है जो उत्कृष्टता, नवाचार और हमारे प्रत्येक शेयरधारक के लिए मूल्य सृजन के प्रति हमारी अटूट

प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मैं केनरा बैंक के साथ आपकी अमूल्य साझेदारी के लिए आप सभी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने बैंकिंग क्षेत्र की उभरती गतिशीलता और व्यापक आर्थिक स्थितियों के माध्यम से बैंक के पथप्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्षों से आपके दृढ़ सहयोग ने हमारे बैंक को एक वित्तीय समूह के रूप में विकसित करने में काफी मदद की है, जो उद्योग के क्षेत्र में हमारी निरंतर प्रमुखता को सुनिश्चित करता है और यह हमारे बाजार पूंजीकरण में वृद्धि में परिलक्षित भी होता है।

वैश्विक समष्टि आर्थिक मोर्चे पर साधनों की एक जटिल अन्योन्य क्रिया है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के साथ नम्यता प्रदर्शित कर रही है - हालांकि अभी भी लक्ष्य, स्तर से ऊपर है। इसने दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों को विस्तारित अवधि के लिए एक प्रतिबंधात्मक रुख बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है, जबकि वर्तमान में जारी भू-राजनीतिक संघर्ष आर्थिक दृष्टि से जोखिम पैदा करते हैं। नवीनतम आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य - अप्रैल 2024 के अनुसार, 2024 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 3.2% कर दिया गया है, जो जनवरी 2024 के अद्यतन से 10 आधार अंकों की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि, अब से पांच साल बाद वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.1% है, जो दशकों में सबसे कम है।

इस वैश्विक पृष्ठभूमि के बीच, सुदृढ़ घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर गति, व्यापारिक धारणा में सुधार और लाभप्रद कॉर्पोरेट और बैंक तुलन पत्र के साथ निजी निवेश चक्र में व्यापक उछाल के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधि का दृष्टिकोण सुदृढ़ हुआ है। विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपने अप्रैल 2024 के अपडेट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के विकास अनुमान दर को 6.5% के पूर्वानुमान के मुकाबले बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इसी प्रकार, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु अपने विकास पूर्वानुमान को 6.4% से संशोधित कर

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

I am honoured to present before you the Annual Report of our Bank for the Financial Year 2023-24 - yet another remarkable year, that stands as a testament to our commitment to excellence, innovation, and unwavering dedication to creating value for each of our stakeholders.

I express my heartfelt gratitude to each one of you for your invaluable partnership with Canara Bank, which has been instrumental in guiding the Bank through the evolving dynamics of the Banking sector and macroeconomic conditions. Your steadfast support over the years has facilitated our Bank's evolution as a Financial Conglomerate, ensuring our continued prominence within the industry - the same is reflected in an increase in our market capitalization.

On the global macroeconomic front, there is an intricate interplay of factors, where the global economy is exhibiting resilience with easing inflationary pressure - although still above target levels. This has prompted Central Banks worldwide to maintain a restrictive stance for an extended period, while ongoing geopolitical conflicts continue to pose risks to the economic outlook. As per the latest IMF World Economic Outlook - April 2024, the global growth forecast for 2024 has been revised upward to 3.2%, marking a 10 basis point increase from its January 2024 update. However, the forecast for global growth five years from now, standing at 3.1%, is at its lowest in decades.

Amidst this global backdrop, the outlook for domestic economic activity remains robust, driven by strong domestic demand, sustained momentum in the manufacturing and services sectors, improving business sentiment and a broad-based upturn in the private investment cycle along with healthy Corporate & Bank balance sheets. In its April 2024 update to the World Economic Outlook, the International Monetary Fund (IMF) has raised India's growth projection for FY 2024-25 to 6.8%, compared to earlier projection of 6.5%. Similarly, the World Bank has revised its growth forecast for the Indian economy for FY 2024-25 to 6.6%, up from its

6.6% कर दिया है। वहीं दूसरी ओर, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सामान्य मानसून की स्थिति को मानते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.0% रहने तथा वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्य मुद्रास्फीति दर 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 5.36% रहने का अनुमान लगाया गया है।

बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो अनुकूल घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में ऋण वृद्धि की गति में सहयोग दिया है। हालांकि, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने और विकास में सहयोग देने के लिए समायोजन वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने के बीच वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग के लिए बैंकिंग प्रणाली की तरलता की कमी रही। तरलता की कमी के साथ-साथ जमा वृद्धि, ऋण वृद्धि से नीचे रहने के कारण बैंकों के बीच जमाराशि प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर दबाव पड़ा।

कई चुनौतियों के बावजूद, हमारे बैंक ने मार्च 2023 में 2.95% के मुकाबले मार्च 2024 में निवल ब्याज मार्जिन में 3.05% तक सुधार किया है, वहीं सकल वैश्विक कारोबार में ₹22 लाख करोड़ के महत्वपूर्ण लक्ष्य को पार किया, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निवल लाभ वर्षानुवर्ष 37.25% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ ₹14,554 करोड़ हो गया। बैंक ने मार्च, 2024 तक सकल एनपीए वर्षानुवर्ष 112 बीपीएस की गिरावट के साथ 4.23% और निवल एनपीए में 46 बीपीएस की गिरावट के साथ 1.27% के साथ आस्ति की गुणवत्ता में और भी अधिक सुधार किया है। वित्तीय समावेशन पर सरकार के लक्ष्य के अनुरूप, हमने प्राथमिकता ऋण क्षेत्र के तहत अनिवार्य लक्ष्यों को हासिल किया है, जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए हमारे समर्पण को उजागर करता है, विशेषतः एमएसएमई, कृषि और कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

आगे बढ़ते हुए, बैंक की लाभप्रद तुलन-पत्र के साथ-साथ घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास की गति, वित्त वर्ष 2024-25 में ऋण वृद्धि के दृष्टिकोण के लिए अच्छा संकेत है। फिर भी, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के उभरते परिदृश्य को उजागर करना ज़रूरी है जिसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जा रहा है। उन्नति की यह विशेषता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल), डेटा एनालिटिक्स और उन्नत साइबर सुरक्षा ढांचे को अपनाने पर जोर देता है। इन पहलों का उद्देश्य विभिन्न बैंकिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना, धोखाधड़ी को रोकना, डिफ़ॉल्ट होने का अनुमान लगाना, नवोन्मेष को बढ़ावा देना और तेजी से डिजिटल और परस्पर

previous estimate of 6.4%. The Reserve Bank of India (RBI), on the other hand, has forecast India's economic growth at 7.0% for FY 2024-25 and headline inflation at 4.5% in FY 2024-25 as compared to 5.36% in FY 2023-24, assuming a normal monsoon.

Turning to the Banking sector, favourable domestic macroeconomic conditions supported the credit growth momentum in FY 2023-24. However, the Banking system liquidity remained tight for most part of the financial year amidst RBI remaining focussed on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target, while supporting growth. Tight liquidity along with deposit growth remaining below credit growth, led to higher competition for deposits among Banks leading to pressure on Banks' Net Interest Margin (NIM) in FY 2023-24.

Despite this challenge, our Bank has improved the Net Interest Margin to 3.05% in March 2024 from 2.95% in March 2023, while crossing the significant milestone of ₹22 lakh crore in gross global business, accompanied by a remarkable 37.25% year-on-year growth in Net Profit to ₹14,554 crore for FY 2023-24. Bank has also further improved the asset quality with a 112 bps y-o-y decline in Gross NPA to 4.23% and a 46 bps y-o-y decline in Net NPA to 1.27% in March 2024. Aligned with the Government's focus on financial inclusion, we have diligently achieved the mandated targets under priority sector lending, which highlights our dedication to fortifying the priority sectors of the economy, with particular focus on empowering MSMEs, Agriculture and the weaker sections.

Going ahead, robust growth momentum in the domestic economy together with healthy balance sheets of Banks, bodes well for the credit growth outlook in FY 2024-25. Nevertheless, it is important to highlight an evolving landscape in the Indian Banking sector that is witnessing significant transformation. This evolution is characterized by an increased emphasis on the adoption of Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML), Data Analytics, and enhanced Cyber Security frameworks. These initiatives are aimed at significantly enhancing Banks' operational efficiency by streamlining various banking processes, elevating customer experience,

जुड़ी दुनिया में जोखिमों को कम करके बैंकों की परिचालन दक्षता में अधिक वृद्धि करना है।

इन उभरती गतिशीलताओं को ध्यान में रखते हुए, हमारा बैंक आधुनिक तकनीकी उन्नति में पर्याप्त निवेश कर रहा है और सक्रिय रूप से अपने डिजिटल बैंकिंग आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ कर रहा है, अर्थात:

- जनवरी, 2024 में हमारे बैंक ने बेंगलूरु में अपने अत्याधुनिक डेटा और विश्लेषण केंद्र (डीएनए) का उद्घाटन किया, जो नवोन्मेष केंद्र के रूप में कार्य करता है - ग्राहक सेवा अनुभव को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एकीकृत करता है।
- बैंक ने डेटा लेकहाउस कार्यान्वयन के लिए एनईसी कॉरपोरेशन और एचपीई के साथ और क्लाउड में एडवांस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और डेटा लेक की स्थापना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की।
- बैंक ने लेनदेन की निगरानी में एआई/एमएल क्षमताओं की शुरुआत की है, जिससे वित्तीय अपराधों का पता लगाने और उन्हें रोकने की क्षमता बढ़ गई है।
- बैंक ग्राहकों को वैयक्तिकृत समाधान प्रदान करने के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक मॉडल का लाभ उठा रहा है, जो ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और ग्राहक संपर्क बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण है।
- साइबर सुरक्षा के संबंध में, बैंक अपने मौजूदा एसओसी (सुरक्षा संचालन केंद्र) को अगली पीढ़ी के एसओसी में अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है, जहां भी संभव हो साइबर सुरक्षा समाधानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग के उपयोग की खोज कर रहा है।

इस तरह की पहल नवोन्मेष और अत्याधुनिक तकनीकों में अग्रणी स्थिति बनाए रखते हुए ग्राहकों को उद्योग में सर्वोत्तम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के समर्पण को प्रदर्शित करती हैं।

इसकी पुष्टि के रूप में, हमारे बैंक के श्रेष्ठ निष्पादन ने प्रतिष्ठित पुरस्कारों और प्रशंसाओं से सम्मानित होने के मामले में उद्योग जगत से मान्यता प्राप्त करना जारी रखा है, इनमें फरवरी 2024 में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से प्रतिष्ठित आईटी बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार (कई श्रेणियों

preventing fraud, predicting defaults, fostering innovation, and mitigating risks in an increasingly digital and interconnected world.

Considering this evolving scenario, our Bank is making substantial investment in modern technological advancement and actively reinforcing its Digital Banking infrastructure viz:

- In January 2024, the Bank inaugurated its cutting-edge Data and Analytics Center (DnA) in Bengaluru, to serve as a hub of innovation - integrating Artificial Intelligence and Machine Learning for enhancing customer service experience.
- The Bank entered into partnerships with NEC Corporation and HPE for Data Lakehouse implementation and with Microsoft for establishing Advanced Analytics Platform and Data Lake in Cloud.
- The Bank has introduced AI / ML capabilities in transaction monitoring, bolstering its ability to detect and prevent financial crimes.
- The Bank is leveraging advanced analytical models to offer personalized solutions to customers, exemplifying ongoing efforts to address evolving customer needs and enhancing customer engagement.
- With regards to cyber security, the Bank is in the process of upgrading its existing SOC (Security Operations Centre) to a Next-Gen SOC, exploring the utilization of Artificial Intelligence / Machine Learning in cyber security solutions wherever feasible.

Such initiatives underscore the Bank's dedication to delivering best-in-the-industry banking services to customers while maintaining its position as a pioneer in innovation and cutting-edge technologies.

As a validation of this, our Bank has continued to garner recognition in the industry, being the recipient of several awards and accolades. These include prestigious IT Banking technology awards (under multiple categories) from Indian Banks' Association (IBA) in February 2024;

के तहत); क्रेडिट सूचना कंपनी मेसर्स ट्रांसयूनियन सिबिल से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पीएसबी के बीच सर्वोत्तम डेटा गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) पुरस्कार; बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और विकास प्रथाओं" और "बैंकिंग क्षेत्र – प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग" की श्रेणियों के तहत नेतृत्व और कारोबार उत्कृष्टता के लिए केनरा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट को राष्ट्रीय बीएफएसआई पुरस्कार प्रदान किया गया है। केनरा बैंक को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित "इमर्जिंग एशिया बैंकिंग अवार्ड्स" से भी कई श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, जिसमें "बेस्ट पफॉर्मेंस ऑन ग्रोथ" श्रेणी में विजेता और "भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक श्रेणी" में उपविजेता शामिल हैं।

हरित पहल की दिशा में बैंकों के प्रयासों को दर्शाते हुए, सीआईबीएम मणिपाल कैंपस को भारतीय उद्योग परिसंघ के एक भाग, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा "ग्रीन कैंपस" प्रमाणित किया गया है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) ने नवंबर 2023 में आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस के दौरान केनरा बैंक को आईजीबीसी के संस्थापक सदस्य के रूप में सम्मानित किया है।

हमारा बैंक जिम्मेदार और दीर्घकालिक वित्त प्रदाता के रूप में कार्य करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संपोषणीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिबद्ध है। बैंक ने अपनी पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों की पहचान करने और ऋण पोर्टफोलियो में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन-विधि (ईएसजी) जोखिमों की संवीक्षा तेज़ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए एक जलवायु जोखिम प्रबंधन अवसरचना स्थापित करने के लिए एक उद्योग ज्ञान विशेषज्ञ के साथ साझेदारी की है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने 2023 में आयोजित आरबीआई के ग्रीन बॉन्ड जारी करने के कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

हमारा बैंक उन्नत तकनीकी क्षमता और सुदृढ़ आधारभूत सिद्धांतों का लाभ उठाते हुए, गतिशील बैंकिंग क्षेत्र के परिदृश्य में उभरते व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। बैंक प्रभावी कार्यनीति तैयार करने और हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ तालमेल को बढ़ावा देने के लिए "कार्यनीति योजना बैठकें" आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, हम व्यापक तौर पर समाज की सेवा करने के अपने संस्थापक के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं।

Best Data Quality Index (DQI) award for achieving Best Data Quality among PSBs for the FY 2023-24 from the Credit Information Company - M/s TransUnion CIBIL; "Data Excellence" award for the FY 2023-24 from the Credit Information Company - M/s CRIF and National BFSI Award to Canara Institute of Bank Management for Leadership & Business Excellence under categories "Best Training & Development Practices in Banking Sector" and "Best Use of Technology in Training - Banking Sector". Canara Bank has also been honoured with "Emerging Asia Banking Awards", organized by Indian Chamber of Commerce (ICC) (in multiple categories), including winner in "Best Performance on Growth" category and runner up in "Best Bank in India category" among others.

Reflecting Bank's efforts towards green initiatives, CIBM Manipal Campus has been certified "Green Campus" by Indian Green Building Council, a part of the Confederation of Indian Industry. The Indian Green Building Council (IGBC) has felicitated Canara Bank as IGBC Founding member during Green Building Congress held in November 2023.

Our Bank is actively committed to fostering a sustainable future for the Indian economy by serving as a provider of responsible and sustainable finance. To this end, the Bank has partnered with an industry knowledge expert to publish its first Sustainability report and establish a Climate Risk management framework, to identify the risks associated with climate change and take steps to increase scrutiny of Environmental, Social and Governance (ESG) risks in the lending portfolio. Furthermore, the Bank has actively participated in the RBI's Green Bond Issuance program conducted in 2023.

Our Bank is well-positioned to capitalize on evolving business opportunities in a dynamic banking sector landscape, leveraging enhanced technological capability and strengthened fundamentals. The Bank has been conducting "Strategy Plan meetings" for effective strategy formulation and fostering alignment with our Vision. We remain steadfast in our commitment to our founding principle of serving society at large.

I extend my heartfelt gratitude to all stakeholders



मैं शेयरधारकों और ग्राहकों सहित सभी स्टैकहोल्डर्स को उनके दृढ़ सहयोग और प्रतिपालन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा, मैं सभी केनराइट्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका योगदान बैंक को उत्कृष्ट बनाने और बैंक निरंतर विकास में महत्वपूर्ण रहा है।

मैं भारत सरकार और आरबीआई के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं केनरा बैंक की व्यावसायिक कौशल और अतुलनीय क्षमताओं में विश्वास जताने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और अन्य प्रमुख संस्थानों और विनियामक निकायों को धन्यवाद देता हूँ। मैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, निवेशक समुदाय और मीडिया द्वारा रचनात्मक कवरेज करने हेतु भी धन्यवाद देता हूँ। मैं बोर्ड के सम्मानित सदस्यों, लेखा परीक्षकों, विधि सलाहकारों को उनके निरंतर मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

हम वित्त वर्ष 2024-25 और उसके पश्चात भी हमारे बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में आपके निरंतर समर्थन, संरक्षण और सहयोग की आशा करते हैं।

भवदीय,

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

दिनांक: 20.05.2024

- including shareholders and customers - for their unwavering support and patronage. Furthermore, I extend genuine gratitude to all Canarites, whose contribution has been pivotal to the Bank's excellence and continued growth.

I acknowledge with gratitude, support and guidance from the Government of India and the RBI. I thank National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), National Housing Bank (NHB) and other key institutions and regulatory bodies, for reposing faith in Canara Bank's professional prowess and proven capabilities. I also thank the Securities & Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, the investor community and constructive coverage by the Media. My appreciation is due to the esteemed members of the Board, the Auditors, the Legal Advisors for their unstinted guidance, support and co-operation.

We look forward to your ongoing support, patronage, and input in taking our Bank to new heights during FY 2024-25 and beyond.

Yours sincerely,

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

Date: 20.05.2024



प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक,

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य झलकियाँ प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

सर्वप्रथम मैं आपके अटूट समर्थन और विश्वास के लिए आप सभी की अन्तर्मन से सराहना करता हूँ, आप सभी ने पिछले कुछ वर्षों में हमारे बैंक की विशिष्ट यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सतत विकास, नवोन्मेष और निरंतर बहुमूल्य सृजन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर वित्त वर्ष 2023-24 में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का एक ओर वर्ष हासिल करने में सक्षम बनाया है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, वैश्विक व्यापक आर्थिक चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण बनी रहीं। सकारात्मक बात यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने क्षेत्रीय असमानताओं के बावजूद विकास दर को धीरे-धीरे मजबूत करते हुए लचीलापन दिखाया है और पिछले स्तर से मुद्रास्फीति के दबाव में धीरे-धीरे कमी आई है। फिर भी, चुनौतियाँ बनी रहीं, इसका मुख्य कारण भू-राजनीतिक संघर्षों में वृद्धि, व्यापार मार्गों में व्यवधान, तथा मुद्रास्फीति के अंतिम पड़ाव पर वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई सतर्क मौद्रिक नीतियाँ हैं। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 2024 के लिए अपने वैश्विक विकास अनुमान को संशोधित कर 3.2% कर दिया है, जो कि जनवरी, 2024 के अपडेट से 10 आधार अंक की वृद्धि है। हालाँकि, अब से पाँच वर्षों में 3.1% की वैश्विक वृद्धि का पूर्वानुमान दशकों में सबसे कम है।

घरेलू मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही है, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष-दर-वर्ष 8.4% तक पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में यह ऊपर की ओर संशोधित 8.1% और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 8.2% रही। यह वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष 10.6% की मजबूत निवेश वृद्धि और निजी खपत में 3.5% की बढ़ोतरी से प्रभावित रही। उत्पादन के दृष्टिकोण से, दर मजबूत बनी रही, जिसे विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, कृषि क्षेत्र को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण संकुचन का सामना करना पड़ा।

MD & CEO'S STATEMENT

Dear Shareholders,

With great pleasure and immense gratitude, I present to you the highlights of our Bank's performance for the financial year 2023-24.

First and foremost, I extend my deepest appreciation to each of you for your unwavering support and trust, which has played a pivotal role in our Bank's distinguished journey over the years and has enabled us to achieve yet another year of significant achievements in FY 2023-24, driven by our commitment to sustainable growth, innovation, and continuous value creation. I wish you all robust health and unwavering spirits.

During FY 2023-24, global macroeconomic conditions remained a blend of challenges and opportunities. On the positive note, the global economy exhibited resilience, displaying gradual strengthening of growth impulses despite regional disparities, and accompanied by a gradual reduction in inflationary pressures from previous peaks. Nevertheless, challenges persisted, primarily driven by escalating geopolitical conflicts, disruptions in trade routes, and cautious monetary policies maintained by global Central Banks along the last mile of disinflation. Considering these factors, the International Monetary Fund (IMF) has revised its global growth projection upward to 3.2% for 2024, a 10 basis point increase from its January 2024 update. Though, the forecast for global growth five years from now at 3.1% is at its lowest in decades.

On the domestic front, the economy continued to remain robust, with real GDP growth for Q3 FY 2023-24 reaching 8.4% y-o-y, compared to an upwardly revised 8.1% in Q2 FY 2023-24 and 8.2% in Q1 FY 2023-24. This growth was driven by strong investment growth at 10.6% y-o-y and an uptick in private consumption to 3.5% y-o-y. From the production standpoint, momentum remained strong, supported by robust growth in manufacturing and construction activities, alongside positive growth recorded in the services sector. However, the agricultural sector faced challenges, experiencing contraction due to adverse climate conditions.



आगे बढ़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण आशाजनक बना हुआ है, जिसे मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती क्षमता उपयोगिता, मजबूत होते कारोबारी आशावाद तथा निजी पूंजीगत व्यय चक्र में तेजी का समर्थन प्राप्त है, जो लगातार व्यापक आधार पर हो रहा है। मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय और लाभप्रद कॉर्पोरेट और बैंक तुलन पत्र इस दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्विक आर्थिक स्थितियों में सुधार से बाहरी क्षेत्र को समर्थन मिलने की उम्मीद है। सामान्य मानसून का पूर्वानुमान कृषि उत्पादन के लिए अच्छा संकेत है, जबकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सतत गति से निजी खपत को समर्थन मिलने की संभावना है। इन घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0% रहने का अनुमान लगाया है।

आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार, खराब ऋणों के लिए अधिक प्रावधान, निरंतर पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि के साथ भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत और लचीला बना रहा। अनुकूल घरेलू व्यापक आर्थिक स्थिति ने ऋण वृद्धि को बढ़ावा दिया है। तथापि, जमा वृद्धि ऋण विस्तार से पीछे रहने के कारण बाधाएं बनीं नहीं, जिससे बैंकों के बीच जमा के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। आरबीआई द्वारा समायोजन वापस लेने से बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी के परिणामस्वरूप, निधि की लागत में वृद्धि हुई और बैंकों के लाभप्रदता मार्जिन पर दबाव पड़ा है।

इन चुनौतियों के बावजूद, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बैंक ने मार्च 2023 के 2.95% से मार्च 2024 तक निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में 10 बीपीएस सुधार करके 3.05% कर दिया है और वैश्विक स्तर पर ₹22 लाख करोड़ का मील के पत्थर को पार कर लिया है। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 37.25% की मजबूत वृद्धि के साथ कारोबार का निवल लाभ ₹14,554 करोड़ हो गया।

इसके अलावा, बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन शेयरधारकों को ₹10/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹16.10 (अर्थात 161%) का लाभांश देने की सिफारिश की है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वितरित ₹12.0/- प्रति इक्विटी शेयर और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वितरित ₹6.5/- प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की तुलना में है और यह हमारे सम्मानित शेयरधारकों के लिए मूल्य निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

Looking ahead, the outlook for the Indian economy remains promising, supported by strong domestic demand, rising capacity utilisation in manufacturing sector, strengthening business optimism, and upturn in the private capex cycle becoming steadily broad-based. Robust Government capital expenditure and healthy corporate & Bank balance sheets further bolster this outlook. Additionally, improving global economic conditions are expected to provide support to the external sector. The forecast of a normal monsoon bodes well for agricultural output, while sustained momentum in the manufacturing and services sectors is poised to support private consumption. Considering these domestic and global macroeconomic factors, the Reserve Bank of India (RBI) has projected real GDP growth at 7.0% for FY 2024-25.

The Indian Banking sector remained sound and resilient in FY 2023-24 with continued improvement in asset quality, enhanced provisioning for bad loans, sustained capital adequacy and rise in profitability. Favourable domestic macroeconomic conditions fuelled credit growth. However, headwinds remained from deposit growth lagging behind credit expansion, thereby intensifying competition for deposits among Banks. Coupled with tight liquidity conditions in the Banking system amid RBI's focus on withdrawal of accommodation, resulted in rising cost of funds and pressure on profitability margins of Banks.

Despite the challenges, I am delighted to announce that our Bank has improved the Net Interest Margin (NIM) by 10 bps y-o-y to 3.05% as on March 2024 from 2.95% in March 2023 and surpassed the key milestone of ₹22 lakh crore in global business with a robust 37.25% y-o-y growth in Net Profit to ₹14,554 crores.

Further, the Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹16.10/- per equity share (i.e. 161%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2023-24, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. This is as compared to the dividend of ₹12.0/- per equity share distributed for FY 2022-23 and ₹6.5/- per equity share distributed for FY 2021-22 and is testimony to our commitment to value creation for our esteemed shareholders.

मुझे वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान हमारे बैंक के कार्य निष्पादन के मुख्य अंश, हमारे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा की गई उपलब्धियों और पहलों के विवरण के साथ आपके समक्ष रखते हुए प्रसन्नता हो रही है।

बैंक का प्रमुख कार्य निष्पादन

कारोबार

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार बढ़कर ₹22,72,968 करोड़ हो गया इसमें वर्ष-दर-वर्ष 11.31% की वृद्धि रही जिसमें वैश्विक जमा वर्ष-दर-वर्ष 11.29% की दर से बढ़कर ₹13,12,366 करोड़ हो गया और वैश्विक अग्रिम वर्ष-दर-वर्ष 11.34% बढ़कर ₹9,60,602 करोड़ हो गया। घरेलू कारोबार पर दिए गए जोर के परिणामस्वरूप यह वर्ष-दर-वर्ष 11.01% की वृद्धि के साथ ₹21,23,133 करोड़ हो गया, जिसमें घरेलू जमा वर्ष-दर-वर्ष 10.98% बढ़कर ₹12,14,951 करोड़ हो गई और घरेलू अग्रिम 11.06% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹9,08,182 करोड़ हो गया। मार्च 2024 तक, खुदरा सावधि जमा में वर्ष-दर-वर्ष 8.59% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹5,01,403 करोड़ हो गया साथ ही मार्च 2024 तक, कासा जमा राशि ₹3,92,327 करोड़ है, जिसमें बचत जमा राशि ₹3,28,378 करोड़ है और चालू जमा राशि ₹63,949 करोड़ है। मार्च 2024 तक बैंक का घरेलू कासा अनुपात 32.29% रहा, जहां लगभग 11.17 करोड़ का मजबूत जमा ग्राहक आधार बनाए रखा गया।

बैंक हमेशा एक संतुलित आस्ति मिश्रण बनाए रखने, कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के साथ-साथ आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। इस वर्ष बैंक का खुदरा पोर्टफोलियो वर्ष-दर-वर्ष 11.68% की वृद्धि के साथ ₹1,56,414 करोड़ हो गया है, जिसमें आवास ऋण 10.81% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹93,482 करोड़ हो गया, वाहन ऋण 14.03% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹17,251 करोड़ हो गया और शिक्षा ऋण 6.65% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹15,726 करोड़ों हो गया। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 18.69% की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर ₹2,53,206 करोड़ हो गया और एमएसएमई खंड के लिए अग्रिम ₹1,31,869 करोड़ रहा, जिसमें मार्च 2024 तक 6.67% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज हुई। मार्च 2024 तक उधार लेने वाले ग्राहकों की संख्या 1.17 करोड़ रही।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक की कुल आय 23.71% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹1,27,654 करोड़ हो गई और निवल ब्याज आय बैंक द्वारा भुगतान किए गए ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच

I am delighted to place before you the highlights of our Bank's performance during FY 2023 - 24, accompanied by details regarding the achievements and initiatives undertaken by our esteemed institution.

KEY PERFORMANCE OF THE BANK

BUSINESS

During FY 2023-24, the global business of the Bank increased to ₹22,72,968 crores, up by 11.31% y-o-y with global deposits growing at a pace of 11.29% y-o-y to ₹13,12,366 crores and global advances growing by 11.34% y-o-y to ₹9,60,602 crores. The enhanced thrust on domestic business resulted in the growth of 11.01% y-o-y to ₹21,23,133 crores with domestic deposits growing by 10.98% y-o-y to ₹12,14,951 crores and domestic advances growing by 11.06% y-o-y to ₹9,08,182 crores. As at March 2024, Retail Term deposits registered a growth of 8.59% y-o-y to ₹5,01,403 crores. Also, as at March 2024, CASA deposits are at ₹3,92,327 crores with savings deposits at ₹3,28,378 crore and current deposits at ₹63,949 crores. The domestic CASA ratio of Bank stood at 32.29% as on March 2024 while maintaining a strong deposits clientele base of around 11.17 crores.

The Bank is always keen on maintaining a well-balanced asset mix, encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans. This year, our Bank's retail portfolio grew by 11.68% y-o-y to ₹1,56,414 crores with Housing loans growing by 10.81% y-o-y to ₹93,482 crores, Vehicle loans growing by 14.03% y-o-y to ₹17,251 crores and Education loan growing by 6.65% y-o-y to ₹15,726 crores. Advances to Agriculture and allied activities recorded a growth of 18.69% y-o-y to ₹2,53,206 crore and advances to MSME segment stood at ₹1,31,869 crore, a y-o-y growth of 6.67% as at March 2024. The number of borrowal clientele stood at 1.17 crore as at March 2024.

FINANCIAL PERFORMANCE

For FY 2023-24, the total Income of the Bank increased by 23.71% y-o-y to ₹1,27,654 crores and the net interest income, the difference between interest paid and interest



का अंतर 16.32% वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ₹36,566 करोड़ हो गया। अनुपात के संदर्भ में बैंक के लिए लागत से आय अनुपात 224 बीपीएस के सुधार के साथ मार्च 2024 में 47.03% हो गया जो मार्च 2023 में 44.79% था। इसके अलावा, अग्रिमों पर उपज 101 बीपीएस से बढ़ी है, जो मार्च 2023 में 7.70% से बढ़कर मार्च 2024 में 8.71% हो गई। इस वर्ष सकल एनपीए अनुपात 112 बीपीएस की कमी के साथ 4.23% रहा और निवल एनपीए 46 बीपीएस वर्ष-दर-वर्ष घटकर 1.27% हो गया। मार्च, 2024 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 179 बीपीएस सुधार के साथ 89.10% हो गया।

लाभप्रदता

वित्त बैंक का निवल लाभ वित्त वर्ष 2023-24 में वर्ष-दर-वर्ष 37.25% की मजबूत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹14,554 करोड़ हो गया है जिससे परिचालन लाभ वर्ष-दर-वर्ष 6.13% बढ़कर ₹29,413 करोड़ हो गया। बैंक का निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) मार्च 2023 में 2.95% से 10 बीपीएस बढ़कर मार्च, 2024 में 3.05% हो गया। मार्च 2024 में बैंक की आस्ति पर रिटर्न (आरओए) 20 बीपीएस बढ़कर 1.01% हो गया, जो मार्च 2023 में 0.81% था।

हमारे बैंक के पास मार्च, 2024 तक 11.5% की नियामक आवश्यकता के मुकाबले बेसल III के तहत 16.28% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ एक आरामदायक पूंजी कुशनिंग है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने बेसल III के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड के माध्यम से 8.40% के कूपन पर दो किश्तों में ₹3,403 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में ₹1,403 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में ₹2,000 करोड़) की पूंजी जुटाई है और इस तरह 31.03.2024 तक बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 62.93% है।

वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक ने अपने निधि स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाए हैं, सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही में 7.54% की दर से ₹5,000 करोड़ जुटाए गए हैं और दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही में 7.68% की दर से ₹5,000 करोड़ जुटाए गए हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

हमारा बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के तहत विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन अभियान और प्राथमिकताओं में अग्रणी रहा है। हमारे बैंक ने निम्नानुसार अनिवार्य लक्ष्यों को विश्वसनीय रूप से प्राप्त किया है:

- ✓ कुल प्राथमिकता के 40% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक क्रेडिट का 46.08%।

earned by the Bank, grew by 16.32% y-o-y to ₹36,566 crores. In terms of ratios, the cost to income ratio for Bank improved by 224 bps to 47.03% in March 2024 from 44.79% in March 2023. Also, the yield on advances have gone up by 101 bps, increasing from 7.70% in March 2023 to 8.71% in March 2024. The Gross NPA ratio declined by 112 bps y-o-y to 4.23% this year and Net NPA declined by 46 bps y-o-y to 1.27%. Provision Coverage Ratio (PCR) improved by 179 bps y-o-y to 89.10% as at March 2024.

PROFITABILITY

The Bank has recorded robust growth of 37.25% y-o-y in net profit to ₹14,554 crores in FY 2023-24 with operating profit growing by 6.13% y-o-y to ₹29,413 crores. Net Interest Margin (NIM) of the Bank improved by 10 bps at 3.05% in March 2024 from 2.95% in March 2023. Return on Assets (RoA) of the Bank improved by 20 bps to 1.01% in March 2024 from 0.81% in March 2023.

Our Bank has a comfortable capital cushioning with Capital Adequacy Ratio, under Basel III at 16.28% as at March 2024 against the regulatory requirement of 11.5%.

During the Financial Year 2023-24, Bank has raised capital via Basel III compliant Additional Tier 1 Bond amounting to ₹3,403 crores in two tranches (₹1,403 crores in Q3 FY 2023-24 and ₹2,000 crores in Q4 FY 2023-24) at a coupon of 8.40%. The Government of India shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2024.

In FY 2023-24, Bank has raised infrastructure Bonds for the first time with a view to diversify its funding sources with ₹5,000 crore raised in the quarter ended Sep 2023 at a rate of 7.54% and ₹5,000 crore raised in the quarter ended Dec 2023 at a rate of 7.68%.

PRIORITY SECTOR AND FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has been proactive in financial inclusion drive and prioritises to meet various goals under national priorities. Our Bank has credibly achieved the mandated targets as follows:

- ✓ 46.08% of the adjusted net bank credit against 40% norm in total priority.

- ✓ कृषि को ऋण देने में 18% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण का 22.71%।
- ✓ छोटे और सीमांत किसानों को ऋण देने में 10.00% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण का 16.08%।
- ✓ कमजोर वर्ग को ऋण देने में 12.00% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक क्रेडिट का 22.36%।
- ✓ सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने में 7.50% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक क्रेडिट का 9.92%।

बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3,15,762 यूनिट सहित ₹80,700 करोड़ की पीएसएलसी बेची है। (पीएसएलसी: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र)

ये उपलब्धियाँ सतत विकास की दिशा में अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करके हमारे देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के प्रति हमारे बैंक के समर्पण को दर्शाती हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हमारे बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं।

बैंक द्वारा की गई प्रमुख रणनीतिक पहल:

बैंक की रणनीतिक विकास दृष्टि इष्टतम कारोबार वृद्धि और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दोनों के मामले में बैंकिंग क्षेत्र में "सर्वश्रेष्ठ बैंक" बनना है। बैंक नए युग की तकनीकों का लाभ उठाकर और व्यापार करने में आसानी प्रदान करके अपने ग्राहकों को सुरक्षित, तेज़ और निर्बाध वित्तीय लेनदेन प्रदान करने को प्राथमिकता देता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- + **डेटा व विश्लेषण केन्द्र का उद्घाटन:** केनरा बैंक ने जनवरी, 2024 में बेंगलूरु में अपने अत्याधुनिक डेटा व विश्लेषण केन्द्र, डीएनए के उद्घाटन के साथ भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नया स्तर स्थापित किया है। डीएनए केंद्र नवोन्मेष के एक प्रतीक के रूप में उभरा है, जो सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एआई और मशीन लर्निंग को अपनाते हुए, यह उन्नत परिचालन दक्षता और बेहतर ग्राहक सेवा का वादा करता है।
- + **कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एपीआई बैंकिंग:** बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों को निर्बाध और सुरक्षित तरीके से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए

- ✓ 22.71% of the adjusted net bank credit against 18% norm in lending to agriculture.
- ✓ 16.08% of the adjusted net bank credit against 10.00% norm in lending to small and marginal farmers.
- ✓ 22.36% of the adjusted net bank credit against 12.00% norm in lending to weaker section.
- ✓ 9.92% of the adjusted net bank credit against 7.50% norm in lending to micro enterprises.

The Bank has sold PSLC to the tune of ₹80,700 crores in FY 2023-24 encompassing 3,15,762 units. (PSLC: Priority Sector Lending Certificate)

These achievements demonstrate our Bank's dedication to fostering inclusive growth of our country by supporting the critical sectors of the economy towards sustainable growth.

The highlights of our Bank's performance for the FY 2023-24 have been given in the Annual Report.

KEY STRATEGIC INITIATIVES BY THE BANK:

The Bank's strategic growth vision is to be the "Best Bank" in the Banking sector, both in terms of optimum business growth and excellent customer service. Bank prioritises to provide our customers secure, fast and seamless financial transactions by leveraging new age technologies and aiding Ease of Doing business. Some of the key initiatives undertaken by the Bank during FY 2023-24 are as under:

- + **Inauguration of Data and Analytics Center:** Canara Bank has set a new standard in the Indian Banking sector with the inauguration of its cutting-edge Data and Analytics Center, DnA, in Bengaluru in January 2024. The DnA Center stands as a beacon of innovation, equipped with state-of-the-art facilities to drive collaboration and excellence. Embracing AI and Machine Learning, it promises enhanced operational efficiency and an elevated customer experience.
- + **API Banking for Corporate Customers:** Bank introduced "API Banking" for Corporate Customers with a view to deliver Digital Banking Services to

"एपीआई बैंकिंग" की शुरुआत की। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) तकनीक जो सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाती है जिससे जानकारी और डेटा साझा करना आसान हो जाता है।

- + ग्राहकों को विभिन्न कॉर्पोरेट सेवाओं के अलावा विदेशी मुद्रा लेनदेन, मुद्रा बाजार सौदे और सुरक्षा निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, गुजरात में **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी)** शाखा का उद्घाटन किया गया है।
- + **कासा के लिए नए उत्पाद:** कॉर्पोरेट कर्मचारियों के पेरोल खातों से कासा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ "न्यू केनरा एसबी प्रीमियम पेरोल पैकेज" के तहत मौजूदा उत्पाद को नया रूप देने के साथ-साथ तीन नए वेरिएंट शुरू किए हैं।
- + **वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहल:** अपने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों को उनके घर पर आराम से श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने पर निरंतर ध्यान देने के साथ, बैंक ने 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति माह अधिकतम 3 सेवाओं के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के तहत सेवा शुल्क माफ कर दिया है।
- + महिला ग्राहकों को केनरा बैंक की सभी शाखाओं में और नेट बैंकिंग के माध्यम से महिला सम्मान बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए **महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के लिए पैकेज विकसित** किया गया है। हमारा बैंक महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र को नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन सक्षम करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक है।
- + **एसएफटीपी के माध्यम से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना** का भुगतान प्रसंस्करण राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को भुगतान प्रसंस्करण के लिए सुरक्षित तंत्र का उपयोग करके एक स्वचालित समाधान प्रदान करने में सक्षम किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक लागू की गई प्रमुख पहल:

बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में भी कई नए उत्पादों/सेवाओं की घोषणा की है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं;

- + **केनरा एसएचजी-ई मनी:** केनरा एसएचजी ई मनी शुरू किया गया है, जो एसएचजी को निर्बाध डोरस्टेप डिजिटल सेवाएं प्रदान

our Corporate Customers in a seamless and secured manner. Application Programming Interface (API) technology that enables seamless communication between software applications making it easier to share information and data.

- + **Gujarat International Financial Tec City (GIFT City) Branch** at Ahmedabad, Gujarat has been inaugurated to facilitate customers with Forex Transactions, Money Market Deals and Security Investments other than various corporate services.
- + **New Products for CASA:** With a view to boost CASA from Payroll Accounts of Corporate employees, Bank introduced three new variants along with revamping existing product under "New Canara SB Premium Payroll Package" with competitive features.
- + **Initiative for Senior Citizens:** With continued focus to provide optimum services to our Senior Citizen customers at the comfort of their homes, Bank has waived service charges under Door Step Banking for a maximum of 3 services per month to all Senior Citizens aged above 75 years.
- + **Package for Mahila Samman Saving certificate has been developed** to facilitate Female Customers to open Mahila Samman Saving Account at all Canara Bank Branches and through Net Banking. Our Bank is the first Public Sector Bank to enable Mahila Samman Saving Certificate online through Net Banking.
- + **Payment processing of Ayushman Bharat Jan Arogya Yojna through SFTP** has been enabled to provide an automated solution using secured mechanism for processing payments to National Health Agency.

Key Initiatives Implemented in FY 2024-25 so far:

Bank has announced a host of new products/services in the current financial year 2024-25 as well, as listed below;

- + **CANARA SHG E-money:** Canara SHG E-money has been introduced, which is a first-of-its-kind, Digital

करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सहयोग से अपनी तरह की पहली डिजिटल एसएचजी पहल है, जो ग्राहकों को उनके खातों में तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करेगा।

- + **केनरा हील:** बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल केंद्रित ऋण उत्पाद केनरा हील का शुभारंभ किया है, जो कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) के माध्यम से स्वयं और/या आश्रितों के मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान करते हुए अस्पताल में भर्ती होने के खर्च की कमी को पूरा करता है।
- + **केनरा एंजेल:** बैंक ने महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये तक की कैंसर देखभाल बीमा पॉलिसी जैसी अनूठी सुविधाओं के साथ एक अनुकूलित बचत खाता पेश किया है। ₹26 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, मुफ्त रूपे महिला प्लेटिनम कार्ड, मुफ्त लॉकर संचालन और परिवार के 3 सदस्यों (पति/पत्नी या बच्चे) तक के लिए पूरक शून्य बैलेंस के साथ पारिवारिक बैंकिंग सेवाएं आदि। इस उत्पाद को जनता द्वारा खूब सराहा गया है और इसकी घोषणा के बाद से इसे अच्छा बढ़ावा मिल रहा है।
- + **केनरा रेडी कैश:** यह एक व्यक्तिगत ऋण उत्पाद है जिसमें संपूर्ण एंड-टू-एंड तक की सहज डिजिटल यात्रा है, मौजूदा वेतनभोगी ग्राहकों के लिए न्यूनतम ₹50,000 से अधिकतम ₹10 लाख की ऋण राशि के साथ पूर्व-अनुमोदित सीमा है।
- + **केनरा माय मनी:** यह ₹10 लाख तक की ऋण राशि हेतु शून्य कागजी कार्रवाई के साथ पूर्ण डिजिटल प्रसंस्करण के साथ बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खोले गए स्वयं की जमा राशि के प्रति ऋण के लिए एक ऋण उत्पाद है।
- + **केनरा यूपीआई 123पे एएसआई:** बैंक ने 'केनरा यूपीआई 123पे एएसआई' भी शुरू किया है, जो एक उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान इंटरफेस है, जिसमें मोन्यूमेंट साइट टिकट बुकिंग फीचर फोन और एंड्रॉइड फोन दोनों के साथ उपलब्ध है।

नए युग की प्रौद्योगिकियों की दिशा में बैंक की पहल:

हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा आदि जैसी नई तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा

SHG initiative, in collaboration with Reserve Bank Innovation Hub to offer seamless doorstep Digital services to SHGs, which will help the customers to get instant digital credit in their accounts.

- + **Canara Heal:** The Bank has launched a healthcare focused loan product Canara Heal, to meet the shortfall of hospitalization expenditure while settling through Third Party Administrator (TPA) healthcare insurance claims of self and / or dependents to existing and new customers of quantum upto ₹5 lakhs.
- + **CANARA Angel:** Bank has introduced a customized savings account for women with unique features like Cancer Care Insurance policy upto ₹10 lakhs, Personal Accident Insurance upto ₹26 Lakhs, Free RuPay Women Platinum Card, free locker operations and Family banking services with complimentary zero balance for up to 3 family members (Spouse or Children) etc. The product has been well received by the public and is garnering good traction since its announcement.
- + **Canara Ready Cash:** It is a personal loan product with seamless complete end-to-end digital journey, pre-approved limit for existing salaried customers with loan amount of min ₹50,000 to max ₹10 lakhs.
- + **Canara Mymoney:** It is a loan product for loan against own deposit opened through Bank's digital platform with complete digital processing and zero paperwork with loan amount upto ₹10 lakhs.
- + **Canara UPI 123PAY ASI:** The Bank has also launched the 'Canara UPI 123PAY ASI', a user-friendly payment interface, wherein monument site ticket booking is available with both feature phone and Android phone.

Bank's Initiatives towards New Age Technologies:

The horizon of Indian Banking sector is undergoing significant transformations in recent years with growing thrust on leveraging new age technologies like Artificial

है। हमारा बैंक बेहतर परिचालन दक्षता के साथ बेहतर व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ बैंकिंग उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए इस संबंध में रणनीतिक पहलों की एक श्रृंखला को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहा है। इस संबंध में कुछ प्रमुख पहल निम्नलिखित हैं;

- + बैंक ने डेटा लेक हाउस कार्यान्वयन के लिए मेसर्स एनईसी कॉर्पोरेशन और एचपीई के साथ क्लाउड में एडवांस्ड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और डेटा लेक की स्थापना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है।
- + बैंक ने ग्राहक अनुभव, धोखाधड़ी की रोकथाम और डिफॉल्ट का अनुमान लगाने के क्षेत्रों में सामुदायिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक एनालिटिक्स हैकथॉन, **केनरा डेको-थॉन** की शुरुआत की है।
- + बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त करने, विशिष्ट ग्राहक खंडों के लिए अनुकूलित ऑफर प्रदान करने और प्रभावी ग्राहक संपर्क की दिशा में हमारी रणनीतियों में लगातार सुधार करने के लिए एनालिटिक्स का उपयोग करके कॉल सेंटर डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है।
- + बैंक ने वित्तीय अपराधों का पता लगाने और रोकने की क्षमता को मजबूत करने, लेनदेन निगरानी क्षमताओं में एआई/एमएल की शुरुआत की है।
- + साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, बैंक अपने मौजूदा एसओसी (सुरक्षा परिचालन केंद्र) को अगली पीढ़ी के एसओसी में अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है, जहां भी संभव हो साइबर सुरक्षा समाधानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग के उपयोग की खोज कर रहा है।

हमारा बैंक उत्पाद विपणन में सुधार के साथ-साथ निरंतर आधार पर हमारी ग्राहक सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारे डिजिटल बुनियादी ढांचे में नई युग की प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर के तहत, बैंक पर्यावरण, सामाजिक और शासन उद्देश्यों को एकीकृत करने, उन्हें समावेशी विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है। बैंक की सीएसआर

Intelligence (AI), Machine Learning, cyber security etc. Our Bank is actively implementing a series of strategic initiatives in this regard to retain our competitive edge in the Banking industry with improved business processes with enhanced operational efficiency. The following are some of the key initiatives in this regard;

- + Bank has entered into partnerships with M/s. NEC Corporation & HPE for Data Lake house implementation and with Microsoft for establishing Advanced Analytics Platform and Data Lake in Cloud.
- + Bank conducted **CANARA DACOE-THON**, an Analytics hackathon to foster community innovation in the areas of customer experience, fraud prevention and default prediction.
- + Call Centre data is being analysed using analytics to continuously improve our strategies towards achieving better customer experience, providing customized offers for specific customer segments and effective customer engagement.
- + Bank has introduced AI/ML in transaction monitoring capabilities, strengthening ability to detect and prevent financial crimes.
- + To strengthen the cyber security infrastructure, the Bank is in the process of upgrading its existing SOC (Security Operations Centre) to a Next-Gen SOC, exploring the utilization of Artificial Intelligence/ Machine Learning in cyber security solutions, wherever feasible.

Our Bank remains committed to assimilate the new age technologies in our digital infrastructure to improve our product offerings as well as enhancing the quality of our customer journeys on an on-going basis.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The principles of Corporate Social Responsibility (CSR) are deeply ingrained in the business processes of our Bank. Under CSR, the Bank endeavours to integrate environmental, social and governance objectives, aligning

पहल में बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण, मेधावी एससी/एसटी छात्राओं को छात्रवृत्ति, महिला उद्यमियों, एसएचजी और कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता करना, स्कूलों को बुनियादी ढांचा प्रदान करना, डिजिटल कक्षाओं, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालयों की स्थापना, विशेष रूप से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के भीतरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, वंचित लोगों को भोजन और पोषण प्रदान करने की पहल, स्वच्छ भारत, खेल और अन्य सामाजिक पहल आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इसके अलावा, बैंक ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि में सौर पैनल, सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्रिड, जल संचयन प्रणाली, बायो गैस संयंत्र की स्थापना जैसी हरित पहल लागू की है।

आगे का दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दृष्टिकोण आशावादी है, जो निरंतर घरेलू विकास की गति, मजबूत सरकारी पूंजी व्यय, निजी पूंजी व्यय चक्र में व्यापक आधार वाले उछाल के संकेत और कॉर्पोरेट्स और बैंकों की लाभप्रदत बैलेंस शीट के साथ कारोबार आशावाद में सुधार से समर्थित है। इन अनुकूल घरेलू व्यापक आर्थिक स्थितियों के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 में भी ऋण वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान है।

आगे के दृष्टिकोण में, बैंक नवीन और अनुकूलित उत्पादों के माध्यम से ग्राहक आधार का विस्तार करने के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ फिर से जुड़कर वित्त वर्ष 2024-25 में कम लागत वाले जमा आधार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर केंद्रित है। सुरक्षित, तीव्र और निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करें। बैंक मार्जिन बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करते हुए रैम क्रेडिट पोर्टफोलियो (खुदरा, कृषि और संबद्ध गतिविधियों और एमएसएमई) पर रणनीतिक रूप से जोर देकर अपनी जमीनी स्तर को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक निरंतर नवोन्मेष के लिए प्रतिबद्ध है, उद्योग की बदलती गतिशीलता और ग्राहक प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी शक्तियों का लाभ उठाता है तथा अपने सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करता है।

बैंक प्रबंधन को विश्वास है कि वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ नए युग की डिजिटल तकनीक का

them with national priorities for inclusive development. CSR initiatives of the Bank covers activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC/ST Girl students, assisting women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products, providing infrastructure to schools, setting up of Digital classrooms, computer labs, libraries etc. especially in the rural areas of our country, providing basic healthcare facilities in hinterland and rural areas, initiatives to provide food & nutrition to underprivileged people, Swachh Bharat, sports and other social initiatives.

Besides this, the Bank has implemented green initiatives, such as installation of solar panels, solar power plants, grids, water harvesting systems, bio gas plants in Government schools, Universities, Panchayats etc., to promote environment protection.

WAY FORWARD

The outlook for FY 2024-25 remains optimistic, bolstered by sustained domestic growth momentum, robust Government capital expenditure, improving business optimism along with signs of a broad-based upturn in the private capital expenditure cycle and healthy balance sheets of corporates & Banks. With this favourable domestic macroeconomic conditions, credit growth is anticipated to remain robust in the FY 2024-25 as well.

Going forward, the Bank remains focused to significantly enhance the low-cost deposits base in FY 2024-25 by expanding the customer base through innovative and customized products as well as reconnecting with existing customers, strengthening its digital capabilities to offer secure, fast and seamless customer experience. Bank also remains focussed on enhancing its bottom line by strategically emphasizing RAM credit portfolio (Retail, Agriculture & Allied activities and MSME) while reassessing the corporate portfolio with the aim of enhancing margins. The Bank remains committed to continuous innovation, leveraging its strengths in response to evolving industry dynamics and shifting customer preferences and generate enduring value for all its stakeholders.

The Bank's management is confident about achieving augmented growth across all business segments by



उपयोग करके सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में वृद्धि हासिल की जाएगी, जो अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास में योगदान करते हुए "बैंकिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक" बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा।

मैं प्रबंधन को प्रदान किए गए बहुमूल्य समर्थन, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक की भी सराहना करता हूँ जिन्होंने समय-समय पर अपना समर्थन और मार्गदर्शन दिया है। हमारे सभी कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के लिए हार्दिक धन्यवाद। इस विकास यात्रा में सभी ग्राहकों और हितधारकों का स्पष्ट समर्थन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। हम आपके निरंतर संरक्षण, समर्थन और सद्भावना की आशा करते हैं क्योंकि हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं।

के. सत्यनारायण राजु

दिनांक: 20.05.2024 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

harnessing new age digital technology with strengthened fundamentals in FY 2024-25 and beyond, aligning with the vision to become the "Best Bank to Bank With," while contributing to the inclusive growth of the economy.

I extend my gratitude to all members of the Board for their invaluable support, guidance, and insights provided to the management. I also express appreciation to the Department of Financial Services, Ministry of Finance, and the Reserve Bank of India for their support and guidance from time to time. Heartfelt thanks are extended to all our employees for their hard work, dedication, and unwavering commitment. The unequivocal support of all customers and stakeholders in this growth journey has been extremely important for us. We look forward to your continued patronage, support and goodwill as we strive to reach new heights.

K. Satyanarayana Raju
Managing Director & CEO

Date: 20.05.2024



वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024
ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट 2023-2024

विषयवस्तु

| | |
|--|-----|
| 1. सूचना | 2 |
| 2. प्रगति की एक झलक | 21 |
| 3. निदेशकों की रिपोर्ट 2023-2024 | 22 |
| • प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण | 25 |
| • कारोबार कार्यनिष्पादन | 27 |
| • वित्तीय कार्यनिष्पादन | 29 |
| • वित्तीय समावेशन | 48 |
| • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण | 51 |
| • निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य | 87 |
| • सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट | 89 |
| 4. कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) | 95 |
| 5. कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट | 211 |
| • निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र | 271 |
| 6. कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र | 274 |
| 7. एकल वित्तीय विवरण | |
| • स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 278 |
| • असंशोधित अभिमत के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा | 297 |
| • सीईओ/सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8) | 298 |
| • तुलन-पत्र | 300 |
| • लाभ व हानि लेखा | 301 |
| • तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 302 |
| • लाभ व हानि लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 310 |
| • महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | 312 |
| • लेखा संबंधी टिप्पणियां | 326 |
| • पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित) | 417 |
| • नकद प्रवाह विवरणी | 419 |
| 8. समेकित वित्तीय विवरण | |
| • स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 424 |
| • असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा | 441 |
| • सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियम 17(8) | 442 |
| • समेकित तुलन पत्र | 444 |
| • समेकित लाभ व हानि खाता | 445 |
| • समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 447 |
| • समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां | 454 |
| • लेखांकन नीतियां | 456 |
| • समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां | 474 |
| • समेकित नकद प्रवाह विवरणी | 488 |
| 9. लाभांश वितरण नीति | 491 |
| 10. हरित पहल - शेयरधारकों से अपील | 498 |

ANNUAL REPORT 2023-2024

CONTENTS

| | |
|--|-----|
| 1. NOTICE | 2 |
| 2. PROGRESS AT A GLANCE | 21 |
| 3. DIRECTORS' REPORT 2023-2024 | 22 |
| • MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS | 25 |
| • BUSINESS PERFORMANCE | 27 |
| • FINANCIAL PERFORMANCE | 29 |
| • FINANCIAL INCLUSION | 48 |
| • Welfare of SC/ST/OBC Categories | 51 |
| • DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT | 87 |
| • SECRETARIAL AUDIT REPORT | 89 |
| 4. BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORTING (BRSR) | 95 |
| 5. REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE | 211 |
| • CERTIFICATE OF DISQUALIFICATION OF DIRECTORS | 272 |
| 6. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE | 274 |
| 7. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | |
| • INDEPENDENT AUDITORS' REPORT | 278 |
| • DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION | 297 |
| • CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 | 298 |
| • BALANCE SHEET | 300 |
| • PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 301 |
| • SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET | 302 |
| • SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 310 |
| • SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES | 312 |
| • NOTES ON ACCOUNTS | 326 |
| • PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED) | 418 |
| • CASH FLOW STATEMENT | 419 |
| 8. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | |
| • INDEPENDENT AUDITORS' REPORT | 424 |
| • DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION | 441 |
| • CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 | 442 |
| • CONSOLIDATED BALANCE SHEET | 444 |
| • CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 445 |
| • SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET | 447 |
| • SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT | 454 |
| • ACCOUNTING POLICIES | 456 |
| • NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | 475 |
| • CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT | 488 |
| 9. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY | 491 |
| 10. GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS | 499 |

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की बाईसवीं वार्षिक आम बैठक शुक़रवार, 28 जून, 2024 को प्रातः 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ़ेसिंग/ऑडियो विज़ुअल माध्यम से निम्नलिखित कार्य निपटान के लिए आयोजित की जाएगी:

- 31 मार्च 2024 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकार करना, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और लेखा द्वारा संरक्षित की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश घोषित करना।
- बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री देबाशीष मुखर्जी की पुनः नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देबाशीष मुखर्जी को बैंक के कार्यपालक निदेशक को बैंक के बोर्ड पर, उनके वर्तमान अधिसूचित कार्यकाल, जो 18.02.2023 को समाप्त हो रहा है, को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अर्थात् 31.05.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पुनः नियुक्त किया जाता है।”

- बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री भवेन्द्र कुमार की नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भवेन्द्र कुमार की बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति, पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, अर्थात् 09

NOTICE

Notice is hereby given that the Twenty-Second Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Friday, the 28th June 2024 at 10.30 A.M IST through Video Conferencing/Audio Visual Means, to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend for the financial year 2023-24.
- Re-appointment of Shri Debashish Mukherjee as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Re-appointment of Shri Debashish Mukherjee as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby re-appointed as Executive Director on the Board of the Bank, beyond his currently notified term which expires on 18.02.2023, till the date of his superannuation, i.e., 31.05.2025 or until further orders, whichever is earlier.”

- Appointment of Shri Bhavendra Kumar as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri. Bhavendra Kumar as Executive Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central



अक्टूबर, 2023 से 08 अक्टूबर, 2026 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और एतद्वारा बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

5. बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में श्री प्रशांत कुमार गोयल की नियुक्ति

यदि उचित समझा जाए, निम्नलिखित को साधारण संकल्प के रूप में पारित करने के लिए विचार किया जाए:

“यह संकल्प किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और अन्य लागू विनियमों के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से, अर्थात् 25 अक्टूबर, 2023 से अगले आदेश तक, बैंक के बोर्ड पर सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।”

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 20.05.2024

Government, be and is hereby appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 09, 2023 to October 08, 2026, or until further orders, whichever is earlier.”

5. Appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as Government Nominee Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT in accordance with Regulation 17 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Parshant Kumar Goyal as Govt. Nominee Director of the Bank in exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, be and is hereby appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank, with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 25, 2023 until further orders.”

By Order of the Board of Directors

Place : Bengaluru
Date : 20.05.2024

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

नोट

1. व्याख्यात्मक विवरणी

सूचना की मद संख्या 3 से 5 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण अलग से दिया गया है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से वर्ष 2024 में कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की छूट दी है, जो 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए है। "परिपत्रों के अनुरूप, बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बार्डसर्वी एजीएम का संचालन कर रहा है, जिसे "ई-एजीएम" कहा जाता है।

बैंक ने ई-एजीएम के संचालन के लिए वार्षिक आम बैठक और परिचर एनेबलर्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को नियुक्त किया है।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से ई-एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश

ए) वीसी / एवीएम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देगा।

बी) बड़े शेयरधारकों (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रमोटर्स, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों आदि के संबंध में ई-एजीएम में एफआईएफओ प्रवेश हेतु कोई प्रतिबंध नहीं है।

सी) ई-एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना बैठक के क्रोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी।

डी) सदस्य बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में ई-एजीएम में शामिल हो सकते हैं।

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 to 5 of the Notice is given separately.

2. AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING

Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide various circulars issued from time to time have extended relaxations to Annual General Meeting (AGMs) of companies due in the year 2024 to conduct their AGMs on or before **30th September, 2024** in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No.20/2020 dated 05.05.2020. In line with the circulars, the Bank is conducting its 22nd AGM through Video Conferencing herein after called as "e-AGM".

The Bank has appointed KFin Technologies Limited, Registrars and Transfer Agents, to provide Video Conferencing facility for the Annual General Meeting and the attendant enablers for conducting of the e-AGM.

3. INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE e-AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS(OAVM)

a) The VC / AVM would allow participation of at least 1000 members on first-come-first-serve basis.

b) No restrictions on account of FIFO entry into e-AGM in respect of large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc.

c) The attendance of members attending the e-AGM would be counted for the purpose of reckoning the quorum of the meeting.

d) The Members can join the e-AGM 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting.

ई) सदस्य रिमोट इवोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com/शेयरधारक/> सदस्य लॉगिन के तहत वीसी का उपयोग कर सकते हैं। ई-एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां इवेंट और कंपनी के नाम का चयन किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

एफ) सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम के साथ लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।

जी) इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, और इसलिए सुचारू रूप से बैठक के लिए अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करें।

एच) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें।

ऐ) किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हितधारक आरटीए/ तकनीकी सहायता केंद्र से evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

4. कार्यसूची मदों पर प्रश्न

कार्यसूची मदों पर अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने प्रश्नों को अपने लॉगिन पेज <https://evoting.kfintech.com/>, उनके नाम, फोलियो/ डीमैट विवरण, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख करके स्पीकर पंजीकरण पटल में प्रस्तुत कर सकते हैं। "एजीएम प्रश्न" पटल को **25 जून 2024 को सुबह 10 बजे से 26 जून 2024 को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा**।

कृपया ध्यान दें कि, शेयरधारक की शंकाओं / विचारों / प्रश्नों के उत्तर की स्थिति में शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 21 जून 2024 तक शेयरों को होल्ड करना जारी रखता है।

बैठक में बोलने के इच्छुक शेयरधारकों को कैमरा चालू रखने की आवश्यकता है और बैठक के दौरान किसी भी प्रकार की

e) Members may access the VC at <https://emeetings.kfintech.com/> under Shareholders / members login by using the remote evoting credentials. The link for e-AGM will be available in shareholder/members login where the EVENT and the name of the company can be selected. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice.

f) Members are encouraged to join the meeting through laptops with Google Chrome for better experience.

g) Further, members will be required to allow camera, if any, and hence use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

h) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio/video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

i) The stakeholders may contact RTA/Technical helpdesk at evoting@kfintech.com for any assistance.

4. QUERIES ON AGENDA ITEMS

The shareholders who would like to express their views/pose queries on agenda items may submit their questions in the speaker registration window provided to them at their login page <https://evoting.kfintech.com/>, by mentioning their name, folio / demat details, e-mail ID and mobile number. The "AGM Questions" window shall be activated from **10 A.M. IST on 25th June 2024 till 5 P.M. IST on 26th June 2024**.

Please note that, shareholder's queries / views / questions will be responded to, only if, the shareholder continues to hold the shares as on the cut-off date, i.e., 21st June 2024.

Shareholders who wish to speak at the meeting will be required to allow camera and use internet with

बाधा से बचने के लिए अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करना होगा। शेरधारक उसी पटल में दिए गए "स्पीकर पंजीकरण" विकल्प के माध्यम से अपने वीडियो को पहले से ही रिकॉर्ड और अपलोड कर सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागी या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप जोड़कर जुड़नेवाले वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो की गुणवत्ता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उपरोक्त किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

वार्षिक सामान्य बैठक में बोलने और प्रश्न करने के इच्छुक शेरधारक, <https://evoting.kfintech.com/> में लॉग इन कर सकते हैं और डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, शहर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करके "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करके अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक संदर्भ संख्या प्रदर्शित की जाएगी जिसे ई-एजीएम बैठक में प्रश्न और उत्तर सत्र के दौरान पुनः प्रस्तुत के लिए संरक्षित किया जा सकता है।

जो शेरधारक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होने में सक्षम नहीं हैं, वे केफिनटेक की ई-वोटिंग वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com/> पर अपने रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके एजीएम की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट देख पाएंगे।

5. प्रतिनिधि की नियुक्ति

जो शेरधारक व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लेकर मतदान नहीं कर सकते हैं उनको प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि यह बैठक वीसी/एवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, जहां शेरधारक की भौतिक उपस्थिति नहीं होती, प्रतिनिधि की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस बैठक में शेरधारक द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

6. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट जो बैंक का शेरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रति, जिस बैठक में इसे पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा मूल प्रति के साथ प्रमाणित न किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् सोमवार, 24 जून, 2024 को जमा किया जाना है।

a good speed to avoid any disturbance during the meeting. The Shareholders can also record and upload their video in advance through the option provided in the same portal under "Speaker Registration."

Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptop connecting via mobile hotspot may experience audio / video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches. Shareholders intending to speak and raise questions at the AGM, may log into <https://evoting.kfintech.com/> and click on "Speaker Registration" by mentioning the demat account number / folio number, city, e-mail ID, mobile number and submit. A reference number shall be displayed on the screen which may be preserved for recalling during the Q&A session in the e-AGM meeting.

Shareholders who are not able to join this meeting over video conferencing will be able to view the live webcast of proceedings of AGM by logging on the e-voting website of KFinTech at <https://evoting.kfintech.com/> using their remote e-voting credentials.

5. APPOINTMENT OF PROXY

A proxy is allowed to attend and vote at a general meeting on behalf of a shareholder who is not able to attend personally. Since this meeting is held through VC/AVM, where the physical attendance of the shareholder has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders would not be available for this meeting.

6. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to participate or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before Monday, the 24th June, 2024.



7. शेयर ट्रांसफर एजेंटों के साथ संप्रेषण

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड

इकाई : केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा

हैदराबाद - 500 032

इसके अलावा, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को शेयर ट्रांसफर एजेंटों (उपरोक्त पते पर) या बैंक को hosecretarial@canarabank.com पर सूचित / पंजीकृत करें।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त परिवर्तनों/ई-मेल आईडी को केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को सूचित करें।

8. रिकॉर्ड तिथि

बैंक के निदेशक मंडल ने 08.05.2024 को वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश की सिफारिश की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। 15.05.2024 से बैंक के शेयरों को 1:5 के अनुपात में उप-विभाजन किया गया है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए शेयरधारकों को प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 2/- रुपये के अंकित मूल्य का 161%) के रूप में 3.22 रुपये के लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम 17 जून 2024 (इसके बाद रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वार्षिक आम बैठक (28 जून 2024) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

बैंक जहां भी संभव हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस) सुविधा के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश राशि जमा करेगा। इसलिए, जिन शेयरधारकों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार सहभागी को उनके पते के नवीनतम परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरण (नए खाता संख्या, यदि कोई हो, बैंक के एमआईसीआर और आईएफएससी कोड नंबर सहित) के बारे में सूचित करें और शीघ्र ही एनईएफटी / एनईसीएस के माध्यम से जमा लाभांश

7. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

KFin Technologies Limited

Unit : Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District, Nanakramguda

HYDERABAD - 500 032

Further, the shareholders are advised to inform/register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) or to the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

8. RECORD DATE

Board of Directors of the Bank has recommended a dividend on 08.05.2024 for the year 2023-24, subject to approval of shareholders at the AGM. Shares of the bank have undergone a sub-division in the ratio of 1:5 with effect from 15.05.2024. Accordingly, it has been decided to pay a dividend of ₹3.22 per equity share (i.e 161% of face value of ₹2/- each) to the Shareholders for the year 2023-24 to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on 17th June 2024, (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (28th June 2024).

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the Shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The Shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their Depository Participants about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFSC Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT / NECS. The Shareholders who are holding

राशि सुनिश्चित करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए केवल अपने निक्षेपागार सहभागी से संपर्क करें।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक अधिदेश का विवरण बैंक के सचिवालय विभाग या इस नोटिस में दिए गए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट के पते पर प्रस्तुत / अद्यतन करना चाहिए।

9. लाभांश भुगतान पर कर

ए) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश पर आयकर देय होगा और बैंक को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करना आवश्यक है। विभिन्न श्रेणियों के निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पैन को बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और निक्षेपागार (डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अद्यतन करें।

बी) वैध पैन के साथ निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्रोत पर कर की कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म नंबर 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नोट करें, यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो 20% की उच्च दर से कर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के शर्त पर, भारत और उनके निवास देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात् कोई स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाण पत्र, फॉर्म 10एफ, कोई अन्य दस्तावेज जिसे संबंधित दस्तावेजों/घोषणाओं को प्रस्तुत करके या तो दस्तावेजों/प्रपत्रों को अपलोड करके या ईमेल भेजकर या प्रासंगिक दस्तावेजों/प्रपत्रों की कागजी प्रति जैसे आवश्यक दातावेजों को प्रेषित कर संधि का लाभ उठाया जा सकता है, जो आरटीए की वेबसाइट (www.kfintech.com) पर उपलब्ध हैं।

सी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त टीडीएस/कर कटौती पर रोक निर्धारित करने और कटौती करने में बैंक को सक्षम बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेजों को आरटीए की

the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Secretarial Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in this Notice.

9. TAX ON DIVIDEND PAYMENT

a) Pursuant to Provision of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f. 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A Resident individual shareholder with valid PAN and who is not liable to pay Income Tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G / 15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents, i.e., No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by submitting the relevant documents / declarations either by uploading the documents / forms or sending an e-mail or sending the hardcopy of relevant documents / forms which are available on the website of the RTA (www.kfintech.com).

c) The shareholders are requested to upload the aforementioned documents latest by 5 PM (IST), 17th June 2024 on the website of the RTA viz. <https://ris.kfintech.com/form15>

वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/form15> पर शाम 5 बजे (भारतीय मानक समय), 17.06.2024 तक अपलोड करें या einward.ris@kfintech.com ई-मेल करें।

डी) केवल डाक / कूरियर या पंजीकृत ई-मेल आईडी से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां (जहां शेयरधारक केवल कागजी प्रति भेज रहा है) हमारे आरटीए को ऊपर दिये गए पैरा 7 में उल्लिखित उनके पते पर भेजी जा सकती हैं। 17.06.2024 बाद कर निर्धारण/ कटौती पर कोई संप्रेषण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है/पिछली अवधि अर्थात 2016-17 व 2021-22 तथा 2022-23 के लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लिकेट लाभांश वारंट के पुनर्वैधीकरण/जारी करने, खातों में लाभांश के प्रत्यक्ष जमा हेतु बैंक खातों के अद्यतन के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें।

बैंक ने अदावी / अवैतनिक लाभांश वारंट का विवरण अपनी साइट अर्थात www.canarabank.com पर पोस्ट किया है ताकि शेयरधारकों को शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक के साथ hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा करने में सक्षम बनाया जा सके।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावी लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 की धारा 205सी/125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी चाहिए। इस वित्तीय वर्ष में 2016-17 का आईईपीएफ का कोई अदावी/अवैतनिक लाभांश राशि हस्तांतरित हेतु देय होगा।

11. वार्षिक रिपोर्ट

बैंक के शेयरधारक कृपया नोट करें कि एमसीए, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुपालन में, बैंक शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां नहीं भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर अपलोड की गई है। शेयरधारक वेबसाइट से इसका पठनीय संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिस को बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड और ई-वोटिंग एजेंसी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com, www.nseindia.com और <https://evoting.kfintech.com/> पर भी देखा जा सकता है।

or e-mail them at einward.ris@kfintech.com in order to enable the Bank to determine and deduct tax at appropriate TDS / withholding tax rate.

d) Documents received by post / courier or from registered e-mail ID will only be accepted. The physical copies of the relevant documents (wherever shareholder is sending hard copy only) may be sent to our RTA at their address mentioned in para 7 above. No communication on the tax determination / deduction shall be entertained post 17.06.2024.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, i.e., for the years 2016-17, 2021-22 and 2022-23, are requested to contact the Registrar and Transfer Agent of the Bank for updation of Bank accounts for direct credit of dividends into accounts.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent / or with the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205C/125 of the Companies Act, 1956/2013. The unpaid dividend pertaining to the financial year 2016-17 is due to be transferred to IEPF this financial year.

11. ANNUAL REPORT

Shareholders of the Bank may please note that in compliance with the various Circulars issued by MCA, GOI and SEBI, the Bank will not be sending the physical copies of Annual Report to the Shareholders. The full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Shareholders may download the readable version of the same from the website. The notice can also be accessed from the websites of BSE Limited, NSE Limited & e-voting agency KFin Technologies Limited at www.bseindia.com, www.nseindia.com and <https://evoting.kfintech.com/> respectively.

12. शेयरधारकों के मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

13. ई-वोटिंग: {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार}

बैंक को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें।

शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा शुक्रवार, 21 जून 2024 को निर्दिष्ट तिथि (तिथियों) के रूप में धारित इक्विटी शेयरों पर की जाएगी। निर्दिष्ट तिथि (तिथियों) के अनुसार भौतिक या अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले बैंक के शेयरधारक, नोटिस की कार्यसूची मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

ए. ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल का उपयोग करें:
<https://evoting.kfintech.com>

बी. लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

आपका फोलियो नंबर / डीपी आईडी ग्राहक आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। पासवर्ड आपके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।

सी. जिन लोगों का ई-मेल पता पंजीकृत नहीं है, उनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल / वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया:

सकती है। कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अस्थायी रूप से अपना ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान किया जा सकता है, लिंक भेजने के लिए: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobilemailreg.aspx> पर क्लिक करके। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ नोटिस और ई-वोटिंग निर्देशों की सॉफ्ट कॉपी भेजने के लिए ई-मेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। किसी भी प्रकार के पूछताछ के मामले में, शेयरधारक einward.ris@kfintech.com को लिख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, सदस्य ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन प्रति प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैन की गई प्रति और इलेक्ट्रॉनिक

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

13. e-Voting: {As per the Regulation 44 of SEBI(LODR) Regulations, 2015}

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank through KFin Technologies Limited to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice.

The e-voting rights of the Shareholders / Beneficiary Owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Friday, 21st June 2024 being the Cut-off date(s). Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date(s), may cast their vote electronically on the agenda items of the Notice.

The instructions for e-Voting are as under:

a. To use the following URL for e-voting:
<https://evoting.kfintech.com>

b. Enter the login credentials

Your Folio No. / DP ID Client ID will be your user ID. The passwords would be sent to your registered e-mail ID.

c. **Procedure for obtaining login credentials / Annual Report for those whose e-mail address are not registered:**

Shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence, the Annual Report, Notice of e-AGM and e-voting notice could not be serviced, may temporarily get their e-mail address and mobile number provided with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, by clicking the link: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> for sending the same. Shareholders are requested to follow the process as guided to capture the e-mail address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, shareholder may write to einward.ris@kfintech.com. Alternatively, member may send an e-mail request at the e-mail ID einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed copy of the request

फोलियो के मामले में ग्राहक मास्टर प्रति और वार्षिक रिपोर्ट, ई-एजीएम की नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए भौतिक फोलियो के मामले में शेर प्रमाण पत्र की प्रति के साथ einward.ris@kfintech.com ई-मेल आईडी पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

डी. उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

ई. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनू में जाकर अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक वैल्यू (0-9) और एक विशेष अक्षर वाले न्यूनतम 8 अक्षर शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ई-मेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अद्यतन करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। यह अनिवार्य रूप से ध्यान दें कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

एफ. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगइन करना होगा।

जी. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर, सिस्टम आपको ईवीईएनटी, अर्थात केनरा बैंक का चयन करने के लिए संकेत देगा।

एच. वोटिंग पृष्ठ पर, निर्दिष्ट तिथि (21 जून, 2024) के अनुसार शेरधारक द्वारा धारित शेरों की संख्या दिखाई देगी। यदि आप उक्त कार्यसूची मदों के लिए संकल्पों में स्वीकृति/असहमति देने वाले सभी वोट डालना चाहते हैं तो सभी शेरों को दर्ज करें और जैसा भी मामला हो, "FOR" / "AGAINST" पर क्लिक करें। आपको अपने सभी वोट एक ही तरीके से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप आंशिक रूप से "FOR" और आंशिक रूप से "AGAINST" में किसी भी संख्या को दर्ज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि ऊपर उल्लिखित है कि "FOR / AGAINST" में एक साथ ली गई कुल संख्या आपके कुल शेरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप मतदान से परहेज करना चाहते हैं तो आप "ABSTAIN" का विकल्प भी चुन सकते हैं। यदि आप "FOR" या "AGAINST" का संकेत नहीं देते हैं, तो इसे "ABSTAIN" माना जाएगा और धारित शेरों को किसी भी मद के तहत नहीं गिना जाएगा। संशोधित करने के लिए और रद्द की पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद अपने मत को संशोधित नहीं कर सकते हैं। मतदान अवधि के दौरान, शेरधारक कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने इन प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया है।

ऐ. ऐसे शेरधारक जिनके पास बहुविध फोलियो / डीमैट खाते हैं वे प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया

letter providing the e-mail address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for sending the Annual report, Notice of e-AGM and the e-voting instructions.

d. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

e. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, e-mail etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

f. You need to login again with the new credentials.

g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT, i.e., Canara Bank.

h. On the voting page, the number of shares as held by the shareholder as on the Cut-off Date (21st June, 2024) will appear. If you desire to cast all the votes assenting / dissenting to the Resolutions for the said Agenda Items then enter all shares and click "FOR" / "AGAINST" as the case may be. You are not required to cast all your votes in the same manner. You may partially enter any number in "FOR" and partially in "AGAINST" but the total number in "FOR / AGAINST" taken together should not exceed your total shareholding as mentioned hereinabove. You may also choose the option "ABSTAIN" in case you wish to abstain from voting. If you do not indicate either "FOR" or "AGAINST" it will be treated as "ABSTAIN" and the shares held will not be counted under either head. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on these resolutions.

i. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folio / demat account. However, shareholder

का चयन करेंगे। हालांकि, शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

- जे. संस्थागत शेयरधारक जो मतदान के लिए अधिकृत हैं, (अर्थात व्यक्तियों के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई, आदि) संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ scrutinizer@snaco.net पर ई-मेल के माध्यम से जांचकर्ता को भेजना आवश्यक है।
- के. एक बार जब आप किसी संकल्प पर अपना वोट डालते हैं तो आपको बाद में इसे संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एल. रिमोट ई-वोटिंग अवधि:

यह पोर्टल मंगलवार, 25 जून, 2024 को सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक एवं गुरुवार, 27 जून, 2024 सुबह 09.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक (दोनों दिन शामिल) वोटिंग के लिए खुला रहेगा और इसके बाद आरटीए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म को अक्षम कर देगा।

- एम. किसी भी प्रकार के पृष्ठताछ के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और <https://evoting.kfintech.com> के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता निर्देशिका का संदर्भ लें या केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री एस वी राजू / श्री बालाजी रेड्डी से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि हमारे आरटीए, केफिन्टेक के पास भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए 'KPRISM' नामक एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट <https://kprism.kfintech.com/> है। सदस्य प्ले स्टोर से इस एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और केफिन्टेक द्वारा सेवित अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। इसके अलावा, सदस्य निवेशक सेवा केंद्र (आईएससी) वेबपेज, <https://ris.kfintech.com/clientservices/ISC/default.aspx> पर भी जा सकते हैं और उन सेवाओं की सूची जैसे पोस्ट या क्वेरी ट्रेक करना, कर छूट फॉर्म अपलोड करना, डीमैट / रिमैट अनुरोध देखना, लाभांश की स्थिति का पता करना और आवश्यक आईएसआर फॉर्म डाउनलोड करना और प्रसंस्करण निवेशक अनुरोधों के लिए सामान्य सरलीकृत मानदंड (सेबी परिपत्र दिनांक 03 नवंबर 2021 और 16 मार्च 2023) के अनुसार भौतिक फोलियो के लिए केवाईसी की स्थिति की पता करना आदि से लाभान्वित हो सकते हैं, जिन्हें पृष्ठ से निष्पादित किया जा सकता है।

- एन. यह अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

- j. Institutional Shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution / Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net.
- k. Once you have cast your vote on a resolution you will not be allowed to modify it subsequently.

l. Remote e-Voting Period :

The portal will remain open for voting from: 09.00 a.m. on Tuesday, the 25th June, 2024 to 5.00 p.m. on Thursday, the 27th June, 2024 (both days inclusive) and RTA will disable the e-voting platform thereafter..

- m. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting User Manual for Shareholders available at the download section of <https://evoting.kfintech.com> or contact Mr. S V Raju /Mr. Balaji Reddy of KFin Technologies Limited at 1800 309 4001 (toll free).

Members are requested to note that our RTA, KFINTECH has a mobile app named 'KPRISM' and a website <https://kprism.kfintech.com/> for the members holding shares in physical form. Members can download this Android mobile application from Play store and view their portfolios serviced by KFINTECH. In addition, members can also visit the Investor Service Center (ISC) webpage, <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/default.aspx> and get benefited from the list of services that can be executed from the page like post or track a query, upload tax exemptions forms, view the demat / remat request, check the dividend status and download the required ISR forms and check KYC status for physical folios, as per the Common Simplified Norms for processing investor requests (SEBI Circular dated 03 Nov 2021 and March 16 2023).

- n. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.

वो. ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और शेयर बाजार को भी सूचित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि ई-वोटिंग के तहत अपना मत डालने के बाद, आप वार्षिक आम बैठक में अपने मत को संशोधित या पुनः मतदान नहीं कर सकते हैं। हालांकि, आप बैठक में भाग ले सकते हैं और चर्चा, यदि कोई हो, में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।

निक्षेपागार के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के संदर्भ में, डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है।

शेयरधारकों को सूचना दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अद्यतन करें।

निक्षेपागार के साथ डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया

o. The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Kindly note that once you have cast your vote under e-Voting, you cannot modify or vote on poll at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

The instructions for remote e-voting through Depositories are as under:

In terms of SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants.

Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail Id in their demat accounts in order to access e-voting facility.

Procedure for remote e-voting by Individual Shareholders holding securities in Demat mode with Depositories:

| एनएसडीएल | सीडीएसएल |
|---|---|
| <p>1. IDeAS सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता:</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: https://eservices.nsd.com 'IDeAS' के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "Access to e-Voting" पर क्लिक करें रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। | <p>1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने EASI / EASIEST का विकल्प चुना है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com नए सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-मतदान पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अपना मतदान करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। |
| <p>2. IDeAS ई-सेवाओं के लिए प्रयोक्ता पंजीकृत नहीं है</p> <ul style="list-style-type: none"> रजिस्टर करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsd.com "Register Online for IDeAS" का चयन करें वैकल्पिक तौर पर आवश्यक विवरणी दर्ज करें विकल्पतः, पंजीकरण करने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp आवश्यक क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। | <p>2. प्रयोक्ता जो EASI/EASIEst के लिए पंजीकृत नहीं है</p> <ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है आवश्यक मद्दों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। |
| <p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: https://www.evoting.nsd.com/ शेयरधारक/सदस्य' भाग के तहत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल में दर्ज 16 अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। | <p>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर</p> <ul style="list-style-type: none"> यूआरएल: www.cdslindia.com डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रहा होगा। |

| NSDL | CDSL |
|---|---|
| <p>1. User already registered for IDeAS facility:</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: https://eservices.nsdl.com • Click on the “Beneficial Owner” icon under ‘IDeAS’ section. • On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on “Access to e-Voting” • Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period. | <p>1. Existing user who have opted for Easi / Easiest</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com • Click on New System Myeasi • Login with User ID and Password. • Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. • Click on e-Voting service provider name to cast your vote. |
| <p>2. User not registered for IDeAS e-Services</p> <ul style="list-style-type: none"> • To register click on link : https://eservices.nsdl.com • Select “Register Online for IDeAS” • Proceed with completing the required fields. Alternatively, • To register click on link : https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Proceed with completing the required fields. | <p>2. User not registered for Easi/Easiest</p> <ul style="list-style-type: none"> • Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration • Proceed with completing the required fields. |
| <p>3. By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: https://www.evoting.nsdl.com/ • Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. • Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. • Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. • Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period | <p>3. By visiting the e-Voting website of CDSL</p> <ul style="list-style-type: none"> • URL: www.cdslindia.com • Provide demat Account Number and PAN No. • System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & E-mail as recorded in the demat Account. • After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the e-Voting is in progress |

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य प्रयोक्ता आईडी/पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाना है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें।

निर्देशांगार के माध्यम से लॉगिन से संबंधित अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध है:

Important note: Members who are unable to retrieve User ID / Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL:

| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|--|
| सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना करने पर सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com या संपर्क 022-23058738 और 022-23058542-43 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। |
| एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना पर सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबर : 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। |

| Login type | Helpdesk details |
|--|---|
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43 |
| Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 |

निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल में पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते की लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान मतदान करने के लिए कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

14. बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली

केवल वे शेयरधारक जो ई-एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, उन्हें ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की अनुमति होगी। ई-वोटिंग प्रणाली में उल्लिखित निर्देशों का पालन कर वीसी / एवीएम में लॉगइन करने के पश्चात शेयरधारक बैठक के दौरान उपलब्ध <https://emeetings.kfintech.com/> लिंक पर क्लिक करके वोटिंग कर सकते हैं।

15. वोटिंग/पोल में संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव बैठक की सभी कार्यसूची मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग और

The instructions for remote e-voting through Depository Participants are as under:

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL / CDSL for e-Voting facility. After successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL / CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

14. E-VOTING SYSTEM DURING THE MEETING

Only those Shareholders who are present in the e-AGM and have not cast their vote through remote e-voting shall be allowed to vote through e-voting system. The Shareholders may vote during the course of the meeting by clicking the link <https://emeetings.kfintech.com/> available after logging in to VC / AVM by following the instructions mentioned therein.

15. SCRUTINIZERS AT VOTING / POLL

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries shall act as Scrutinizer for both remote

ई-वोटिंग दोनों के लिए संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

16. रिमोट ई-वोटिंग और मतदान के परिणाम

ई-एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणामों की घोषणा दो कार्य दिवसों के भीतर या बैठक के अंत में की जाएगी और इसे बैंक, शेयर बाजार और केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाएगा।

मद सं. 3

श्री देबाशीष मुखर्जी को एफ नंबर 4/5(1)2017-बीओआई, दिनांक 19 फरवरी 2018 के माध्यम से 19.02.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद अधिसूचना संख्या एफ नंबर 4/5/2017-बीओआई दिनांक 10 अक्टूबर 2020 के माध्यम से उनका कार्यकाल दिनांक 18.02.2021 से दो साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद अधिसूचना संख्या ईएफ संख्या 4/5/2017-बीओआई दिनांक 26 सितंबर 2022 के माध्यम से, उनका कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख अर्थात् दिनांक 31.05.2025 तक बढ़ा दिया गया था। इस प्रकार, बैंक में श्री देबाशीष मुखर्जी का कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक है।

1 अप्रैल, 2024 से सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 17(1डी) के अनुसार, किसी सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में सेवारत निदेशक की निरंतरता, जैसा भी मामला हो, उनकी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से हर पांच साल में कम से कम एक बार शेयरधारकों की सामान्य बैठक में अनुमोदन के अधीन होगी।

तदनुसार, बैंक पांच साल की अवधि से अधिक के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री देबाशीष मुखर्जी के कार्यकाल के लिए बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी मांग रहा है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री देबाशीष मुखर्जी की संक्षिप्त प्रोफाइल सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पढ़ी गई है, जो इसके बाद इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में दी गई है।

हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री देबाशीष मुखर्जी, कोलकाता विश्वविद्यालय से वित्त में एमबीए हैं। उन्होंने 1994 में पंजाब नेशनल बैंक में वेतनमान II में वित्तीय विश्लेषक के रूप में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया है।

उन्होंने वर्ष 2006 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में सहायक महाप्रबंधक (क्रेडिट) के रूप में कार्य ग्रहण किया था। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया, कोलकाता में कॉर्पोरेट वित्त शाखा के प्रमुख और बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक भी रहे। वर्ष 2012 में उन्हें

e-voting and e-voting in respect of all the agenda items items of the meeting.

16. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND POLL

The consolidated results of remote e-Voting and voting at the e-AGM will be announced within two working days or at the end of the Meeting and will also be hosted on the website of the Bank, Stock Exchanges and KFin Technologies Limited.

ITEM No. 3

Shri. Debashish Mukherjee was appointed as an Executive Director of the Bank on 19.02.2018 vide F.No. 4/5(1)2017-BO.I, dated 19th February 2018. Subsequently vide notification No. F. No.4/5/2017-BO.I dated 10th October 2020 his tenure was extended for two years beyond 18.02.2021. Subsequently vide Notification No. eF. No.4/5/2017-BO.I dated 26th September 2022, his tenure was extended till the date of his superannuation i.e 31.05.2025. Thus, the tenure of Shri Debashish Mukherjee with the Bank exceeds a period of five years.

Pursuant to Regulation 17(1D) of SEBI (LODR) Regulations, with effect from April 1, 2024, the continuation of a director serving on the Board of directors of a listed entity shall be subject to the approval by the shareholders in a general meeting at least once in every five years from the date of their appointment or reappointment, as the case may be.

Accordingly, the Bank is seeking approval of the Shareholders of the Bank for Shri Debashish Mukherjee's tenure as an Executive Director of the Bank beyond a period of five years.

Brief profile of Shri. Debashish Mukherjee in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri. Debashish Mukherjee, Executive Director of our Bank, is an MBA in Finance from the University of Kolkata. He started his Banking career with Punjab National Bank as a Financial Analyst in Scale II in 1994.

He joined United Bank of India as an Assistant General Manager (Credit) in the year 2006. He worked in various capacities at Regional Offices, headed Corporate Finance Branch at Kolkata and was Regional Manager of Bihar

महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है। उनके पास कॉर्पोरेट क्रेडिट में व्यापक अनुभव है और उन्होंने 5 वर्षों से अधिक समय तक महाप्रबंधक (क्रेडिट) के रूप में काम किया है। इसके बाद उन्होंने महाप्रबंधक (वसूली एवं क्रेडिट निगरानी) के रूप में काम किया है।

श्री देबाशीष मुखर्जी को दिनांक 19.02.2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनांक 27.09.2022 को एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से कार्यकाल सेवानिवृत्ति तक, अर्थात् दिनांक 31.05.2025 तक बढ़ा दिया गया था।

मद संख्या 4

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (a) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा श्री भवेन्द्र कुमार को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, अर्थात् 09 अक्टूबर, 2023 से 08 अक्टूबर, 2026 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बैंक के बोर्ड कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री भवेन्द्र कुमार की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

श्री भवेन्द्र कुमार 10/03/1997 को परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में केनरा बैंक में कार्यग्रहण किया है। उनके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स) की डिग्री और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स (सीएआईआईबी) का प्रमाणित एसोसिएट है। बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और नई दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदों पर काम किया है। 3 वर्ष की अवधि के लिए उन्होंने केनरा बैंक, शंघाई शाखा में भी काम किया है।

Region. He got elevated as General Manager in 2012. He has vast experience in Corporate Credit and worked as GM (Credit) for more than 5 years. He worked as GM (Recovery & Credit Monitoring) thereafter.

Shri. Debashish Mukherjee was appointed as Executive Director of the Bank on 19.02.2018. On 27.09.2022 vide a Govt. notification, the tenure was extended till superannuation, ie up to 31.05.2025.

ITEM No. 4

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the provision to clause (a) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. Bhavendra Kumar has been appointed as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 09, 2023 to October 08, 2026, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Bhavendra Kumar in terms of Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Shri Bhavendra Kumar joined Canara Bank on 10/03/1997 as Probationary Officer. He holds a Bachelor of Arts (Hons) degree and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). During the course of Banking career, he has worked in different capacities in different states such as Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka & New Delhi. He has also worked in Canara Bank, Shanghai Branch for a period of 3 years.

वर्ष 2020 में महाप्रबंधक बनने पर, उन्हें बेंगलूरु में बैंक के प्रधान कार्यालय में तैनात किया गया और वह बैंक के स्वर्ण ऋण विभाग का नेतृत्व किया है। उन्हें वर्ष 2021 में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था और कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने तक वे 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ दिल्ली अंचल कार्यालय का नेतृत्व भी किया।

श्री भवेंद्र कुमार ने दिनांक 09.10.2023 को प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट किया और वित्तीय सेवाएं विभाग अधिसूचना ईएफ संख्या 4/1(vii)/2023 बीओआई दिनांक 09.10.2023 के अनुसार केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

मद संख्या 5

विनियम 17(1C) के अनुसार सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में [या प्रबंधक के रूप में] किसी व्यक्ति की नियुक्ति [या पुनर्नियुक्ति] के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन माह की समयावधि के भीतर ली जाए। बशर्ते कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अगली आम बैठक में निदेशक मंडल या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाए।

केंद्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रशांत कुमार गोयल को पदभार ग्रहण करने की तिथि से, अर्थात् 25 अक्टूबर, 2023 से या अगले आदेश तक, बैंक के सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) के संदर्भ में श्री प्रशांत कुमार गोयल की संक्षिप्त प्रोफाइल, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ इस व्याख्यात्मक वक्तव्य में आगे दी गई है।

डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, आईएएस (त्रिपुरा 2007) वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और वित्तीय समावेशन (एफआई) और डिजिटल भुगतान से संबंधित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कृषि ऋण (एसी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित कई विषयों को संभाला था।

On becoming General Manager in 2020, he was posted to the Head Office of the Bank at Bengaluru and was heading the Gold Loan Wing of the Bank. He was promoted to Chief General Manager in 2021 and was heading Delhi Circle Office with a business of more than 2.5 lakh crore rupees until he was elevated to the post of Executive Director.

Shri Bhavendra Kumar reported to Head Office on 09.10.2023 and assumed charge of Executive Director of Canara Bank as per the Dept. of Financial Service notification eF. No. 4/1(vii)/2023 – BO.I dated 09.10.2023.

ITEM No. 5

Pursuant to Regulation 17(1C) the listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment [or re-appointment] of a person on the Board of Directors [or as a manager] is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier. Provided that a public sector company shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (b) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, by the Central Government, Shri. Parshant Kumar Goyal has been appointed as Govt. Nominee Director of the Bank, with effect from the date of assumption of office, i.e., from October 25, 2023 or until further orders.

Brief profile of Shri. Parshant Kumar Goyal in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

Dr. Parshant Kumar Goyal, IAS (Tripura 2007) presently on Central Deputation and working as Joint Secretary in Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India dealing with Financial Inclusion (FI) and Digital Payments. During his tenure in the Department of Financial Services as Director, he had dealt with a variety of subjects including Agriculture Credit (AC) and Regional Rural Banks (RRBs).

पहले उन्हें सचिव, जीए (सी एंड सी) विभाग और सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में तैनात किया गया था। डॉ प्रशांत कुमार गोयल ने पंजाबी विश्वविद्यालय से एमबीबीएस किया है। उनके पास पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में शिक्षा क्षेत्र में काम करने का भी समृद्ध अनुभव है।

He was earlier posted as Secretary to Chief Minister, Tripura with additional charges of Secretary, GA (C&C) Department and Secretary, Industries & Commerce Department. Dr. Parshant Kumar Goyal has done MBBS from Punjabi University. He also has a rich experience of working in Education sector in States of Punjab & Tripura.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 20.05.2024

By Order of the Board of Directors



K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO

Place : Bengaluru
Date : 20.05.2024

प्रगति की एक झलक / PROGRESS AT A GLANCE

(राशि ₹ करोड़ में / Amt. ₹ in Crore)

| मापदंड / Parameters | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|--|---------|---------|---------|
| घरेलू शाखाओं की संख्या / Number of Domestic Branches | 9734 | 9706 | 9604 |
| एटीएम / रिसाइकलर की संख्या / Number of ATMs / Recyclers | 12208 | 12130 | 12155 |
| चुकता पूंजी / Paid-up Capital | 1814 | 1814 | 1814 |
| आरक्षित निधियां / Reserves | 64297 | 71793 | 85140 |
| सकल जमा / Aggregate Deposits | 1086409 | 1179219 | 1312366 |
| अनिवासी जमा / Non-Resident Deposits | 61813 | 62404 | 64875 |
| विदेशी कारोबार टर्नओवर / Foreign Business Turnover | 185128 | 201506 | 186479 |
| सकल अग्रिम / Gross Advances | 741147 | 862782 | 960602 |
| खुदरा अग्रिम / Retail Advances | 126277 | 140051 | 156414 |
| प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances | 339039 | 382595 | 423563 |
| कृषि अग्रिम / Agriculture Advances | 175955 | 213327 | 253206 |
| कृषि अग्रिम (संवितरण) / Agriculture Advances (Disbursal) | 152686 | 201425 | 248128 |
| एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances | 119026 | 123627 | 131869 |
| डीआरआई योजना के तहत अग्रिम / Advances under DRI Scheme | 80 | 73 | 68 |
| अ.जा./अ.ज.जा ग्राहकों को अग्रिम / Advances to SC/ST Clients | 15041 | 16396 | 22028 |
| निर्यात ऋण / Export Credit | 9422 | 8978 | 8892 |
| कुल आय / Total Income | 85907 | 103187 | 127654 |
| कुल व्यय / Total Expenditure | 62818 | 75471 | 98241 |
| परिचालन लाभ / Operating Profit | 23089 | 27716 | 29413 |
| निवल लाभ / निवल हानि / Net Profit / Net Loss | 5678 | 10604 | 14554 |
| लाभांश प्रति इक्विटी शेयर (₹ में) / Dividend per Equity Share (in ₹) | 6.50 | 12.0 | 16.10 |
| कर्मचारियों की कुल संख्या / Total Number of Staff | 86919 | 84978 | 82638 |
| बट्टे खाते में डाले गए खातों सहित संचयी नकद वसूली Cumulative Cash Recovery including written-off accounts | 12116 | 13107 | 10038 |
| मुख्य कार्यनिष्पादन अनुपात (%) / Key Performance Ratios (%) | | | |
| पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio | 14.90 | 16.68 | 16.28 |
| सकल अनर्जक आस्ति अनुपात / Gross NPA Ratio | 7.51 | 5.35 | 4.23 |
| निवल अनर्जक आस्ति अनुपात / Net NPA Ratio | 2.65 | 1.73 | 1.27 |
| आस्तियों पर औसतन प्रतिलाभ / Return on Average Assets | 0.48 | 0.81 | 1.01 |
| इक्विटी पर प्रतिलाभ / Return on Equity | 12.82 | 19.49 | 22.06 |
| बही मूल्य (₹ में) / Book Value (in ₹) | 268.41 | 331.81 | 395.94 |
| निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin | 2.82 | 2.95 | 3.05 |



निदेशकों की रिपोर्ट
2023-2024
DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट: 2023-24

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 तक की तुलना पत्र और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के साथ 55वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च-23 | मार्च-24 | संवृद्धि (%) |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| वैश्विक व्यापार | 2042001 | 2272968 | 11.31% |
| जिसमें से - घरेलू व्यापार | 1912508 | 2123133 | 11.01% |
| विदेशी व्यापार | 129493 | 149835 | 15.71% |
| वैश्विक जमा | 1179219 | 1312366 | 11.29% |
| जिसमें से - घरेलू जमा | 1094746 | 1214951 | 10.98% |
| विदेशी जमा | 84473 | 97415 | 15.32% |
| घरेलू जमा | 1094746 | 1214951 | 10.98% |
| चालू खाता जमा | 47654 | 63949 | 34.19% |
| बचत बैंक जमा | 318818 | 328378 | 3.00% |
| कासा जमा | 366472 | 392327 | 7.06% |
| घरेलू कासा से घरेलू जमा (%) | 33.48 | 32.29 | -- |
| वैश्विक प्रगति | 862782 | 960602 | 11.34% |
| जिसमें से - घरेलू अग्रिम | 817762 | 908182 | 11.06% |
| विदेशी अग्रिम | 45020 | 52420 | 16.44% |
| कुल आस्ति | 1345732 | 1491541 | 10.83% |
| निवल ब्याज आय (निवल ब्याज आय) | 31435 | 36566 | 16.32% |
| अन्य कमाई | 18762 | 18966 | 1.09% |
| जिसमें से - शुल्क आय | 6814 | 7419 | 8.88% |
| विदेशी मुद्रा आय | 2245 | 765 | (65.92%) |
| ट्रेडिंग लाभ | 1893 | 1623 | (14.26%) |
| बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली | 5110 | 5963 | 16.69% |
| निवल ब्याज आय + अन्य आय | 50197 | 55532 | 10.63% |
| परिचालन व्यय | 22481 | 26119 | 16.17% |
| परिचालन लाभ | 27716 | 29413 | 6.13% |
| प्रावधान | 13543 | 9708 | (28.32%) |
| जिसमें से - एनपीए और बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान | 9737 | 9005 | (7.52%) |
| कर देने से पूर्व लाभ | 14173 | 19705 | 39.03% |
| कर का प्रावधान | 3569 | 5151 | 44.33% |
| निवल लाभ | 10604 | 14554 | 37.25% |

DIRECTORS' REPORT: 2023-24

The Board of Directors have pleasure in presenting the 55th Annual Report together with the Balance Sheet as on 31st March, 2024 and Profit & Loss Account for the financial year ended March 31, 2024.

A snapshot of Bank's financial performance is given below:

(₹ in Crore)

| Particulars | Mar-23 | Mar-24 | Growth (%) |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Global Business | 2042001 | 2272968 | 11.31% |
| <i>of which - Domestic Business</i> | 1912508 | 2123133 | 11.01% |
| Overseas Business | 129493 | 149835 | 15.71% |
| Global Deposits | 1179219 | 1312366 | 11.29% |
| <i>of which - Domestic Deposits</i> | 1094746 | 1214951 | 10.98% |
| Overseas Deposits | 84473 | 97415 | 15.32% |
| Domestic Deposits | 1094746 | 1214951 | 10.98% |
| Current Account Deposits | 47654 | 63949 | 34.19% |
| Savings Bank Deposits | 318818 | 328378 | 3.00% |
| CASA Deposits | 366472 | 392327 | 7.06% |
| Domestic CASA to Domestic Deposits (%) | 33.48 | 32.29 | -- |
| Global Advances | 862782 | 960602 | 11.34% |
| <i>of which - Domestic Advances</i> | 817762 | 908182 | 11.06% |
| Overseas Advances | 45020 | 52420 | 16.44% |
| Total Assets | 1345732 | 1491541 | 10.83% |
| Net Interest Income (NII) | 31435 | 36566 | 16.32% |
| Other Income | 18762 | 18966 | 1.09% |
| <i>of which - Fee Income</i> | 6814 | 7419 | 8.88% |
| Forex Income | 2245 | 765 | (65.92%) |
| Trading Gains | 1893 | 1623 | (14.26%) |
| Recovery from written-off accounts | 5110 | 5963 | 16.69% |
| NII + Other Income | 50197 | 55532 | 10.63% |
| Operating Expenses | 22481 | 26119 | 16.17% |
| Operating Profit | 27716 | 29413 | 6.13% |
| Provisions | 13543 | 9708 | (28.32%) |
| <i>of which - Provisions for NPAs & Bad debts written-off</i> | 9737 | 9005 | (7.52 %) |
| Profit Before Tax | 14173 | 19705 | 39.03% |
| Provision for Tax | 3569 | 5151 | 44.33% |
| Net Profit | 10604 | 14554 | 37.25% |



बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 2024 तक 11.31% बढ़कर ₹22,72,968 करोड़ हो गया, जिसमें से घरेलू कारोबार 11.01% बढ़कर ₹21,23,133 करोड़ हो गया। घरेलू कासा जमा ₹3,92,327 करोड़ रहा, जिसमें बचत खाता ₹3,28,378 करोड़ और चालू खाता ₹63,949 करोड़ रहा। इस प्रकार, मार्च 2024 तक घरेलू कासा अनुपात 32.29% रहा।

बैंक ने आस्ति गुणवत्ता की निगरानी, नियंत्रण और रखरखाव के संबंध में कई कदम उठाए हैं। बैंक के निरंतर प्रयासों से परिसंपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर परिणाम सामने आए हैं, जिसमें सकल एनपीए में 112 आधार अंक की गिरावट के साथ 4.23% और निवल एनपीए में 46 आधार अंक की गिरावट के साथ 1.27% की सराहनीय गिरावट देखी गई। इसके अलावा प्रावधान कवरेज अनुपात पिछले वर्ष के 87.31% से सुधरकर 89.10% हो गया है। 16.28% का स्वस्थ सीआरएआर इस बात पर प्रकाश डालता है कि बैंक आने वाली तिमाहियों में जैविक वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक का परिचालन लाभ ₹29,413 करोड़ और निवल लाभ ₹14,554 करोड़ रहा।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए शेयरधारकों को ₹10/- अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹16.10 (अर्थात 161%) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य मिश्रित रहा, पहली छमाही में मंदी की समस्याओं की जगह दूसरी छमाही के अंत में सतर्क आशावाद ने ले ली, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत विकास गति देखी गई। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का दबाव कम हो रहा है, नत्थापि, यह केंद्रीय बैंकों के लक्ष्य स्तरों से ऊपर बना हुआ है। पर, मध्य पूर्व में उच्च राजनीतिक तनाव, लाल सागर में व्यवधान और ओपेक+ देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती से सकारात्मक भावनाओं के साथ मुकाबला किया गया।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण निरंतर भू-राजनीतिक संघर्षों, प्रतिकूल जलवायु घटनाओं और मुद्रास्फीति के अंतिम चरण में मुद्रास्फीति दरों में धीमी कमी से होने वाले निरंतर नकारात्मक जोखिमों के साथ संतुलन पर बना हुआ है - जिसके परिणामस्वरूप नीतिगत ब्याज दरों में अपेक्षा से धीमी कमी हो सकती है। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य - अप्रैल 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था के विकास अनुमान को 10 आधार अंकों से बढ़ाकर 3.2% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने

The global business of the Bank increased to ₹22,72,968 crore, up by 11.31% y-o-y, out of which domestic business grew by 11.01% y-o-y to ₹21,23,133 crore as at March 2024. Domestic CASA deposits stood at ₹3,92,327 crore with Savings Account of ₹3,28,378 crore and Current Account of ₹63,949 crore. Thus, domestic CASA ratio stood at 32.29% as at March 2024.

Bank took various steps in respect of monitoring, control and maintaining asset quality. The sustained efforts of the Bank has yielded results on the asset quality front which showed a commendable fall in Gross NPA by 112 bps to 4.23% and Net NPA to 1.27%, down by 46 bps. Further the provision coverage ratio has improved to 89.10% from 87.31% in the previous year. The healthy CRAR of 16.28%, highlights that the bank is well cushioned for an organic growth in the coming quarters. In FY 2023-24, operating profit of the Bank stood at ₹29,413 crore and net profit at ₹14,554 crore.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹16.10 per equity share (i.e. 161%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2023-24, subject to the approval of the Shareholders at the AGM.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL ECONOMY

The global economic landscape remained mixed in FY 2023-24, with concerns over recession in the first half being replaced by cautious optimism towards the end of second half with strong growth momentum observed in the United States and a number of large emerging economies including India. Inflationary pressures are easing across global economies, though remaining above target levels of Central Banks. However, the positive sentiments were countered by high political tensions in the Middle East, disruption in the Red Sea and supply cuts by OPEC+ countries.

On the balance, the outlook for the global economy remains cautiously balanced with persisting downside risks from continuing geo-political conflicts, adverse climate events and slower reduction in inflation rates in the last leg of disinflation - which could result in slower-than-expected reductions in policy interest rates. Taking note of these developments, IMF has revised upwards its growth projection for world economy by 10 basis points to 3.2% in its World Economic

"2024 के मध्यावधि तक विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएँ" पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भी 2024 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विकास अनुमान को 2.4% के पहले के अनुमान की तुलना में संशोधित करके 2.7% कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत बनी रही, जिसे मजबूत घरेलू मांग की स्थिति, मजबूत सार्वजनिक निवेश, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निरंतर गति, निवेश और व्यापार भावनाओं में सुधार और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन पत्र का समर्थन मिला। 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के आशाजनक परिदृश्य के कारण आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र जैसी प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों और रेटिंग एजेंसियों ने वृद्धि का अनुमान लगाया है। राष्ट्रीय आय पर दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2022-23 में 7.0% की तुलना में 7.6% अनुमानित है।

क्षेत्रवार विकास की गति विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में मजबूत रही, जिसमें कुल बिक्री और व्यावसायिक गतिविधि में मजबूत विस्तार हुआ। हालांकि, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में कृषि विकास में कमी आई।

मार्च 2024 में मुख्य मुद्रास्फीति घटकर 4.85% रह गई, जिसमें खाद्य कीमतों में नरमी और 'ईंधन व प्रकाश' खंड में अवस्फीति से मदद मिली, जबकि कोर मुद्रास्फीति घटकर 3.2% रह गई। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें सामान्य मानसून की उम्मीद के बीच जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

2024-25 के लिए दृष्टिकोण

आगे बढ़ते हुए, ग्रामीण मांग में सुधार और शहरी मांग में तेजी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निरंतर गति, व्यापार आशावाद और मजबूत सरकारी पूंजीगत व्यय के कारण निवेश गतिविधि के लिए सकारात्मक संभावनाओं से वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू विकास की गति जारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, सामान्य मानसून का पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए अच्छा है। वैश्विक विकास और व्यापार के लिए बेहतर दृष्टिकोण से बाहरी क्षेत्र को समर्थन मिलने की उम्मीद है। घरेलू और वैश्विक व्यापक आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.0% रहने का अनुमान लगाया है।

Outlook - April 2024. The United Nations in its latest report on "World Economic Situation and Prospects as of mid-2024" has also revised upwards the growth projection for the world economy to 2.7% in 2024 as compared to earlier projection of 2.4%.

INDIAN ECONOMY

Indian economy remained robust in FY 2023-24, supported by strong domestic demand conditions, robust public investments, sustained momentum in the manufacturing and services sectors, improving investment and business sentiments and healthy Corporate & Bank balance sheets. Promising outlook of Indian economy in 2024 has led to upward revision by major multilateral agencies like the IMF, World Bank, Asian Development Bank, United Nations and the rating agencies. As per second advance estimate on national income, India's real GDP growth for FY 2023-24 is estimated at 7.6% as compared to 7.0% in FY 2022-23.

Sector wise the growth momentum remained robust in both manufacturing and services sectors with strong expansions in total sales and business activity. However, agricultural growth contracted in Q3FY24 due to adverse climate conditions.

Headline inflation eased to 4.85% in March 2024, helped by moderation in food prices and disinflation in the 'fuel and light' segment, while core inflation eased to 3.2%. RBI has projected headline inflation at 4.5% for FY 2024-25, with risks evenly balanced amid expectation of a normal monsoon.

OUTLOOK FOR 2024-25

Going forward, the domestic growth momentum is expected to continue in FY 2024-25, supported by improving rural demand and urban demand remaining buoyant, sustained momentum in manufacturing and services sector, positive prospects for investment activity owing to business optimism and robust Government capital expenditure. Further, the forecast of a normal monsoon bodes well for the agricultural sector. The external sector is expected to remain supported by improving outlook for global growth and trade. Considering the domestic and global macroeconomic factors, the RBI has projected real GDP growth at 7.0% for FY 2024-25.



मुद्रास्फीति की गति धीरे-धीरे कम होने की संभावना है, हालांकि प्रतिकूल मौसम की स्थिति से खाद्य मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ने का जोखिम लगातार बना हुआ है, जबकि भू-राजनीतिक अशांति जारी है। एमपीसी की अप्रैल 2024 की बैठक में, आरबीआई ने जोखिम समान रूप से संतुलित मानते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.5% पर बरकरार रखा है।

ऋण वृद्धि के दृष्टिकोण से, अनुकूल घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों और स्वस्थ कॉर्पोरेट और बैंक तुलन पत्र के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।

बैंक अपने सभी ग्राहकों को अभिनव और अनुकूलित उत्पाद और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की ग्राहक सेवाएँ प्रदान करते हुए कम लागत वाली जमाराशि आधार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। ऋण के क्षेत्र में बैंक खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉर्पोरेट ऋण के उचित मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि लाभप्रदता के साथ-साथ कारोबार में अधिक वृद्धि हासिल की जा सके। पद्धति और प्रक्रियाओं के अनुपालन और उचित कार्यान्वयन पर ध्यान देने के साथ जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने पर भी मुख्यता ध्यान दिया जाएगा।

बैंक एनपीए प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रयास करता है, जिसमें ऋण की निगरानी, नए स्लिपेज को रोकना और वसूली प्रयासों को मजबूत करना शामिल है। बैंक ग्राहकों और उद्योग की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया और उत्पाद में सुधार के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। बैंक का लक्ष्य बैंकिंग क्षेत्र में “सर्वोत्तम बैंक” बनना है, जिसमें प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और समावेशी विकास के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए मूल्य का सृजन करके इष्टतम कारोबार वृद्धि और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा दोनों शामिल हैं।

2023-24 में केनरा बैंक

केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में मजबूत कारोबारी वृद्धि दर्ज की है, जिसमें निवल लाभ में रिकॉर्ड 37.25% की वृद्धि हुई है और यह 14,554 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसमें इष्टतम संसाधन जुटाने, मजबूत शुल्क आय, कृषि, आवास और अन्य खुदरा क्षेत्रों सहित खुदरा परिसंपत्तियों का विस्तार और परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया है।

कारोबार कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक का वैश्विक कारोबार ₹20,42,001 करोड़ से ₹22,72,968 करोड़ हो गया जो कि 11.31% की वृद्धि है, वैश्विक जमा 11.29% की वृद्धि के साथ ₹13,12,366 करोड़ और वैश्विक अग्रिम 11.34% की वृद्धि दर के साथ ₹9,60,602 करोड़ हो गया।

On the inflation front, the inflation trajectory is likely to moderate gradually, though there is sustained upside risk from adverse weather conditions impacting food inflation and crude oil prices amidst continued geo-political unrest. In Apr'24 meet of MPC, RBI has retained the projection of CPI inflation for FY 2024-25 at 4.5% with risks evenly balanced.

From credit growth perspective, the outlook remains positive in FY 2024-25, with favourable domestic macroeconomic conditions and healthy Corporate and Bank balance sheets.

The Bank will continue to focus on enhancing the low-cost deposits base by providing innovative and customized products and best-in-class customer services to all our customers. On the advances front, Bank focuses on a proper mix of retail, agriculture, MSME and corporate credit, with a view to achieve greater growth in business along with profitability. Strategic focus will also be on strengthening risk management framework with focus on compliance & proper implementation of systems and procedures.

The Bank takes adequate efforts for NPA management with ardent credit monitoring, containing fresh slippages and strengthening recovery efforts. The Bank will continue to strive for process and product improvements in view of evolving customers' and industry requirements. The Bank envisions to be the “Best Bank to Bank With” in the Banking sector, both in terms of optimum business growth and excellent customer service by leveraging technology and creating value for all stakeholders through inclusive growth.

CANARA BANK IN 2023-24

Canara Bank has recorded robust business growth in FY 2023-24 with record 37.25% y-o-y growth in net profit to ₹14,554 crore with thrust on optimal resource mobilization, robust fee income, expanding retail assets, including agriculture, housing and other retail segments, and improving asset quality

BUSINESS PERFORMANCE

During FY 2023-24, the global business of the Bank stood at ₹22,72,968 crore with a growth of 11.31% y-o-y from ₹20,42,001 crore, with global deposits at ₹13,12,366 crore with a growth of 11.29% y-o-y and global advances at ₹9,60,602 crore with a growth rate of 11.34%.

वित्त वर्ष 2023-24 में कारोबार वृद्धि का एक स्नैपशॉट

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च-23 | मार्च-24 | संवृद्धि (%) वर्षानुवर्ष |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------------|
| वैश्विक जमा | 1179219 | 1312366 | 11.29 |
| जिसमें से - घरेलू जमा | 1094746 | 1214951 | 10.98 |
| विदेशी जमा | 84473 | 97415 | 15.32 |
| घरेलू जमा | 1094746 | 1214951 | 10.98 |
| चालू खाता जमा | 47654 | 63949 | 34.19 |
| बचत बैंक जमा | 318818 | 328378 | 3.00 |
| कासा जमा | 366472 | 392327 | 7.06 |
| घरेलू कासा से घरेलू जमा (%) | 33.48 | 32.29 | -- |
| वैश्विक प्रगति | 862782 | 960602 | 11.34 |
| जिसमें से - घरेलू अग्रिम | 817762 | 908182 | 11.06 |
| विदेशी अग्रिम | 45020 | 52420 | 16.44 |
| कुल संपत्ति | 1345732 | 1491540 | 10.83 |

जमा

मार्च 2023 तक कुल जमा राशि 11.29% बढ़कर 11,79,219 करोड़ रुपये से मार्च 2024 तक 13,12,366 करोड़ रुपये हो गई। मार्च 2024 तक बैंक की घरेलू कासा जमा राशि 3,92,327 करोड़ रुपये है, जिसमें बचत जमा राशि 3,28,378 करोड़ रुपये और चालू जमा राशि 63,949 करोड़ रुपये है। घरेलू जमा राशि में बैंक की घरेलू कासा जमा राशि की हिस्सेदारी 32.29% रही। 31 मार्च 2024 तक बैंक के कुल जमा ग्राहक 11.17 करोड़ थे।

अग्रिम

बैंक ने कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक विविध तरीके से अपने परिसंपत्ति आधार का विस्तार किया, साथ ही आवास, शिक्षा और वाहन ऋण सहित खुदरा परिसंपत्तियों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

बैंक का अग्रिम (सकल) ₹9,60,602 करोड़ तक पहुँच गया। रैम (खुदरा, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, एमएसएमई) पोर्टफोलियो सालाना 13.52% बढ़कर मार्च 2024 तक ₹5,41,489 करोड़ हो गया, जबकि खुदरा अग्रिम 11.68% साल-दर-साल बढ़कर ₹1,56,414 करोड़ हो गया, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण में सालाना 18.69% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2,53,206 करोड़ और एमएसएमई को ऋण में 6.67% की वृद्धि के साथ

A snapshot of business growth in FY 2023-24

(₹ in Crore)

| Particulars | Mar-23 | Mar-24 | Growth (%) y-o-y |
|--|---------|---------|------------------|
| Global Deposits | 1179219 | 1312366 | 11.29 |
| of which - Domestic Deposits | 1094746 | 1214951 | 10.98 |
| Overseas Deposits | 84473 | 97415 | 15.32 |
| Domestic Deposits | 1094746 | 1214951 | 10.98 |
| Current Account Deposits | 47654 | 63949 | 34.19 |
| Savings Bank Deposits | 318818 | 328378 | 3.00 |
| CASA Deposits | 366472 | 392327 | 7.06 |
| Domestic CASA to Domestic Deposits (%) | 33.48 | 32.29 | -- |
| Global Advances | 862782 | 960602 | 11.34 |
| of which - Domestic Advances | 817762 | 908182 | 11.06 |
| Overseas Advances | 45020 | 52420 | 16.44 |
| Total Assets | 1345732 | 1491540 | 10.83 |

Deposits

Total Deposits grew by 11.29% y-o-y from ₹11,79,219 crore as on March 2023 to ₹13,12,366 crore as on March 2024. Domestic CASA deposits of the Bank are at ₹3,92,327 crore as on March 2024 with Savings deposits at ₹3,28,378 crore and Current deposits at ₹63,949 crore. The Bank's domestic CASA deposits share to domestic deposits stood at 32.29%. Total deposit clientele of the Bank stood at 11.17 crore as at 31st March 2024.

Advances

The Bank expanded its asset base in a well-diversified manner encompassing sectors such as Agriculture and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) as well as keeping a focus on retail assets, including Housing, Education, and Vehicle loans.

Advances (Gross) of the Bank reached ₹9,60,602 crore as at March 2024. The RAM (Retail, Agriculture & allied activities, MSME) portfolio grew by 13.52% y-o-y to ₹5,41,489 crore as at March 2024 with retail advances recording a growth of 11.68% y-o-y to ₹1,56,414 crore, credit to Agriculture & allied activities recording a growth of 18.69% y-o-y to ₹2,53,206 crore and credit to MSMEs

₹1,31,869 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। रैम पोर्टफोलियो के भीतर, बैंक का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 23.1% की सालाना वृद्धि के साथ बढ़कर ₹1,51,641 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ साझेदारी में गोल्ड लोन के लिए डिजिटल दस्तावेज़ (ई-साइन और ई-स्टैम्पिंग) सक्षम किया गया है और वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 3,48,222 गोल्ड लोन दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

बैंक का परिचालन लाभ ₹29,413 करोड़ रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹14,554 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। बैंक की निवल ब्याज आय ₹36,566 करोड़ रही। निवल ब्याज मार्जिन 3.05% और अग्रिम पर प्रतिफल 8.71% रहा।

| प्रमुख वित्तीय अनुपात (%) | मार्च-23 | मार्च-24 |
|---------------------------------|----------|----------|
| निधि पर लागत | 4.03 | 5.00 |
| निधियों पर प्रतिफल | 6.42 | 7.54 |
| जमा पर लागत | 4.38 | 5.50 |
| अग्रिमों पर प्राप्ति | 7.70 | 8.71 |
| निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) | 2.95 | 3.05 |
| परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) | 0.81 | 1.01 |
| इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) | 19.49 | 22.06 |
| लागत से आय अनुपात | 44.79 | 47.03 |

आय एवं व्यय विश्लेषण:

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की कुल आय ₹1,27,654 करोड़ रही, जिसमें अग्रिम से ₹78,188 करोड़ ब्याज, निवेश से ₹22,673 करोड़ ब्याज, गैर-ब्याज आय से ₹18,966 करोड़ और अन्य ब्याज आय से ₹7827 करोड़ शामिल हैं।

बैंक का परिचालनात्मक निष्पादन

(₹ करोड़ में)

| विवरण | मार्च-23 | मार्च-24 |
|-------------------------------|----------|----------|
| अर्जित ब्याज | 84425 | 108688 |
| ब्याज व्यय | 52989 | 72122 |
| निवल ब्याज आय (निवल ब्याज आय) | 31435 | 36566 |
| अन्य कमाई | 18762 | 18966 |
| जिसमें से - शुल्क आय | 6814 | 7419 |
| विदेशी मुद्रा आय | 2245 | 765 |

grew by 6.67% to ₹1,31,869 crore. Within RAM portfolio, Bank's gold loan portfolio increased to ₹1,51,641 crore with a y-o-y growth of 23.1%. During the year, digital documentation (eSign & eStamping) has been enabled for Gold loans in tie-up with National E-Governance Services Limited (NeSL) and total 3,48,222 Gold loan documents have been digitally signed in FY 2023-24.

FINANCIAL PERFORMANCE

Operating profit of the Bank stood at ₹29,413 crore for FY 2023-24. Bank reported a Net Profit of ₹14,554 crore for FY 2023-24. Net Interest income of the Bank stood at ₹36,566 crore. NIM stood at 3.05% and Yield on Advances at 8.71%.

| Key Financial Ratios (%) | Mar-23 | Mar-24 |
|---------------------------|--------|--------|
| Cost of Funds | 4.03 | 5.00 |
| Yield on Funds | 6.42 | 7.54 |
| Cost of Deposits | 4.38 | 5.50 |
| Yield on Advances | 7.70 | 8.71 |
| Net Interest Margin (NIM) | 2.95 | 3.05 |
| Return on Assets (RoA) | 0.81 | 1.01 |
| Return on Equity (RoE) | 19.49 | 22.06 |
| Cost to Income Ratio | 44.79 | 47.03 |

Income and Expenditure Analysis:

Total income of the Bank stood at ₹1,27,654 Crore for the FY 2023-24, comprising ₹78,188 crore interest from advances, ₹22,673 crore interest from investments, ₹18,966 crore from non-interest income and ₹7827 crore from other interest income.

Operating performance of the Bank

(₹ in Crore)

| Particulars | Mar-23 | Mar-24 |
|---------------------------|--------|--------|
| Interest Earned | 84425 | 108688 |
| Interest Expended | 52989 | 72122 |
| Net Interest Income (NII) | 31435 | 36566 |
| Other Income | 18762 | 18966 |
| of which - Fee Income | 6814 | 7419 |
| Forex Income | 2245 | 765 |

| Particulars | Mar-23 | Mar-24 |
|--|--------------|--------------|
| ट्रेडिंग लाभ | 1893 | 1623 |
| बढ़े खाते में डाले गए खाते से वसूली | 5110 | 5963 |
| परिचालन आय (निवल ब्याज आय + अन्य आय) | 50197 | 55532 |
| परिचालन खर्च | 22481 | 26119 |
| कर्मचारी व्यय | 13744 | 16434 |
| अन्य परिचालन व्यय | 8737 | 9685 |
| परिचालन लाभ | 27716 | 29413 |
| प्रावधान | 13543 | 9708 |
| जिनमें से - एनपीए और बढ़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान | 9737 | 9005 |
| मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान | 336 | 231 |
| गैर-निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान | 2802 | 911 |
| अन्य प्रावधान | 667 | (439) |
| कर पूर्व लाभ | 14173 | 19705 |
| कर के लिए प्रावधान | 3569 | 5151 |
| निवल लाभ | 10604 | 14554 |

बैंक द्वारा दिये गये महत्ववा के अनुरूप, गैर-ब्याज आय (ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर) ₹17,343 करोड़ है। ट्रेडिंग लाभ के अलावा, गैर-ब्याज आय के अन्य प्रमुख स्रोत जैसे, सेवा शुल्क (₹3417 करोड़), कमीशन और विनिमय (₹1412 करोड़), बढ़े खाते में डाले गए खातों से वसूली (₹5963 करोड़) और विनिमय लेनदेन से लाभ (₹765 करोड़) का बैंक की गैर-ब्याज आय में योगदान रहा। कुल आय में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 14.86% रहा।

वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक का कुल व्यय ₹98,241 करोड़ रहा। बैंक का ब्याज खर्च 72,122 करोड़ रुपये है। परिचालन व्यय ₹26,119 करोड़ है, जिसमें स्टाफ लागत ₹16,434 करोड़ और अन्य परिचालन व्यय ₹9685 करोड़ शामिल हैं।

| Particulars | Mar-23 | Mar-24 |
|--|--------------|--------------|
| Trading Gains | 1893 | 1623 |
| Recovery from Written-off Account | 5110 | 5963 |
| Operating Income (NII + Other Income) | 50197 | 55532 |
| Operating Expenses | 22481 | 26119 |
| Employee Expenses | 13744 | 16434 |
| Other Operating Expenses | 8737 | 9685 |
| Operating Profit | 27716 | 29413 |
| Provisions | 13543 | 9708 |
| of which - Provisions for NPAs & Bad debts written-off | 9737 | 9005 |
| Provision for Standard Advances | 336 | 231 |
| Provision for Non - Performing Investment | 2802 | 911 |
| Other Provisions | 667 | (439) |
| Profit Before Tax | 14173 | 19705 |
| Provision for Tax | 3569 | 5151 |
| Net Profit | 10604 | 14554 |

In line with the thrust areas for the Bank, non-interest income (Excl. Trading profit) is at ₹17,343 crore. Apart from trading profit, other major sources of non-interest income, like, service charges (₹3417 crore), commission and exchange (₹1412 crore), recovery from written-off accounts (₹5963 crore) and Profit from exchange transaction (₹765 crore) contributed to the non-interest income of the Bank. The share of non-interest income to total income stood at 14.86%.

Total expenditure of the Bank stood at ₹98,241 crore in FY 2023-24. Interest expenses of the Bank is at ₹72,122 crore. Operating expenses is at ₹26,119 crore, comprising staff cost of ₹16,434 crore and other operating expenses of ₹9685 crore.

बैंक की निवल ब्याज आय, भुगतान किये गये ब्याज और अर्जित ब्याज के बीच का अंतर ₹36,566 करोड़ रहा।

पूंजी और आरक्षित:

मार्च 2024 को बैंक की निवल मूल्य ₹71,829 करोड़ थी। बैंक की कुल चुकता पूंजी ₹1814.13 करोड़ थी, जबकि रिजर्व और अधिशेष ₹76,084 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व और एफसीटीआर को छोड़कर) था।

| पूंजी की संरचना (करोड़ रूपए में) | मार्च 2023 बेसल III | मार्च 2024 बेसल III |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| जोखिम भारत परिसंपत्ति | 567763 | 669257 |
| सीईटी I | 65814 | 77529 |
| सीईटी I (%) | 11.59 | 11.58 |
| एटी I | 12422 | 15839 |
| एटी I (%) | 2.19 | 2.37 |
| टियर I पूंजी | 78236 | 93368 |
| सीआरएआर (%) (टियर I) | 13.78 | 13.95 |
| टियर II पूंजी | 16466 | 15599 |
| सीआरएआर (%) (टियर II) | 2.90 | 2.33 |
| कुल पूंजी | 94702 | 108967 |
| सीआरएआर (%) | 16.68 | 16.28 |

बेसल III के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2024 तक 16.28% था, जबकि नियामक आवश्यकता 11.50% थी, जिसमें 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर भी शामिल था। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अंतर्गत, सीईटी I अनुपात 11.58% और टियर I पूंजी अनुपात 13.95% था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर I बॉण्ड के माध्यम से ₹3403 करोड़ की पूंजी जुटाई है। 31.03.2024 तक बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 62.93% है।

खुदरा ऋण परिचालन

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक के लिए महत्ववाले क्षेत्र में से एक के रूप में खुदरा ऋण ने वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.68% की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। 31 मार्च, 2024 तक बैंक का मुख्य खुदरा पोर्टफोलियो बढ़कर ₹1,56,414 करोड़ हो गया, जिसमें आवास ऋण ₹93482 करोड़ और वाहन ऋण ₹17,251 करोड़ थे। 31 मार्च, 2024 तक घरेलू अग्रिमों (₹908182 करोड़) में खुदरा ऋणों का हिस्सा 17.22% था। खुदरा पोर्टफोलियो के अधीन परेशानी मुक्त ऋण संवितरण पर की गई पहलों के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 11.68% की वृद्धि हुई।

The net interest income, the difference between interest paid and interest earned by the Bank stood at ₹36,566 crore.

Capital and Reserves:

Net worth of the Bank, as at March 2024 stood at ₹71,829 crore. While the total paid-up capital of the Bank stood at ₹1814.13 crore, the reserves and surplus stood at ₹76,084 crore (excl. Revaluation Reserve and FCTR).

| Composition of Capital (₹ in Crore) | March 2023 Basel III | March 2024 Basel III |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Risk Weighted Asset | 567763 | 669257 |
| CET I | 65814 | 77529 |
| CET I (%) | 11.59 | 11.58 |
| AT I | 12422 | 15839 |
| AT I (%) | 2.19 | 2.37 |
| Tier I Capital | 78236 | 93368 |
| CRAR (%) (Tier I) | 13.78 | 13.95 |
| Tier II Capital | 16466 | 15599 |
| CRAR (%) (Tier II) | 2.90 | 2.33 |
| Total Capital | 94702 | 108967 |
| CRAR (%) | 16.68 | 16.28 |

Capital Adequacy Ratio, under Basel III was 16.28% as at March 2024 against the regulatory requirement of 11.50%, including capital conservation buffer of 2.50%. Within the capital adequacy ratio, CET I ratio was at 11.58% and Tier I capital ratio was at 13.95%.

During the Financial Year 2023-24, Bank has raised capital via Basel III compliant additional Tier I Bond amounting to ₹3403 crore. Government of India shareholding in the Bank is 62.93% as on 31.03.2024.

RETAIL LENDING OPERATIONS

For the FY 2023-24, Retail Lending as one of the thrust areas of the Bank had shown a considerable growth of 11.68% compared to FY 2022-23. The Core Retail Portfolio of the Bank increased to ₹1,56,414 Crore as on March 31, 2024 with Housing Loans at ₹93482 Crore and ₹17,251 Crore under Vehicle Loans. The share of Retail Loans stood at 17.22% as of March 31, 2024 of Domestic Advances (₹908182 crore). The initiatives taken in the hassle-free credit delivery of Retail Portfolio resulted in the growth of 11.68% over the previous year.

(₹ करोड़ में)

| खुदरा खंड | यथा मार्च | |
|-------------------------------|---------------|------------------|
| | 2023 | 2024 (ऑडिटेड) |
| 1. आवास | 84364 | 93482 |
| 2. वाहन | 15129 | 17251 |
| 3. अन्य व्यक्तिगत | 25812 | 29954 |
| 4. शिक्षा | 14746 | 15726 |
| कोर खुदरा ऋण (1+2+3+4) | 140051 | 156414 |

आवासीय ऋण

मार्च 2024 तक बैंक का आवास ऋण पोर्टफोलियो ₹93,482 करोड़ हो गया। मार्च 2024 तक बैंक ने लगभग 5.82 लाख आवास ऋण वित्तपोषित किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹21,487 करोड़ के आवास ऋण वितरित किए हैं और ₹24,298 करोड़ की राशि के 75199 खातों को मंजूरी दी है। आवास ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹9118 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 10.81% की वृद्धि है।

बैंक ने प्रत्यक्ष आवास ऋण सोर्सिंग में सुधार के लिए परियोजना अनुमोदन और बिल्डर टाई-अप में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बैंक ने आवास ऋण सोर्सिंग को और मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट डीएसए के साथ भी टाईअप किया है।

वाहन ऋण

मार्च 2024 तक बैंक का वाहन ऋण पोर्टफोलियो ₹17,251 करोड़ हो गया। मार्च 2024 तक बैंक ने लगभग 3.45 लाख वाहनों को वित्तपोषित किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹7642 करोड़ के वाहन ऋण वितरित किए हैं और ₹7916 करोड़ की राशि के 86,492 खातों को मंजूरी दी है। वाहन ऋण पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹2122 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 14.03% की वृद्धि है।

बैंक ने वाहन ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए वाहन डीलर और वाहन निर्माता के साथ टाईअप बढ़ाया है। बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को मारुति सुजुकी फोर व्हीलर फाइनेंस की पेशकश करने के लिए मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस (क्वदरु) पोर्टल को हमारे लेंडिंग ऑटोमेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एअठद) में एकीकृत किया है।

शिक्षा ऋण

पिछले कुछ वर्षों में, बैंक ने बड़ी संख्या में होनहार छात्रों को भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की है। मार्च 2024 तक बैंक का शिक्षा ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹15,726 करोड़ हो गया। मार्च 2024 तक बैंक ने लगभग 3.66 लाख छात्रों को वित्तपोषित

(₹ in Crore)

| Retail Segments | As at March | |
|--|---------------|-------------------|
| | 2023 | 2024 (Audited) |
| 1. Housing | 84364 | 93482 |
| 2. Vehicle | 15129 | 17251 |
| 3. Other Personal | 25812 | 29954 |
| 4. Education | 14746 | 15726 |
| Core Retail Loans (1+2+3+4) | 140051 | 156414 |

HOUSING LOAN

The Bank's Housing Loan Portfolio increased to ₹93,482 crore as at March 2024. The Bank has financed around 5.82 lakh home loans as at March 2024. During FY 2023-24, the Bank has disbursed housing loans worth ₹21,487 crore and sanctioned 75199 number of accounts amounting to ₹24,298 crore. Overall growth in housing loan portfolio is ₹9118 crores, growth of 10.81% compared to FY 2022-23.

Bank has focussed for maximising Project approvals and Builder tied-up for improving Direct sourcing of housing loan. Bank has also tied up with corporate DSAs to further strengthen housing loan sourcing.

VEHICLE LOAN

The Bank's vehicle loan portfolio increased to ₹17,251 crore as at March 2024. The Bank has financed around 3.45 lakh vehicles as at March 2024. During FY 2023-24, the Bank has disbursed Vehicle loans worth ₹7642 crore and sanctioned 86,492 number of accounts amounting to ₹7916 crores. Overall growth in vehicle loan portfolio is ₹2122 crore, growth of 14.03% compared to FY 2022-23.

The Bank has increased tie-up with Vehicle dealers and Vehicle manufacturers for increasing Vehicle Loan portfolio. The Bank has also Integrated Maruti Suzuki Smart Finance (MSSF) portal into our Lending Automation Processing System (LAPS) for offering Maruti Suzuki Four Wheeler finance to customers on Digital Platform.

EDUCATION LOAN

Over the years, the Bank has assisted substantial number of promising students to pursue higher education in India and abroad. The Bank's education loan portfolio increased to ₹15,726 crore as at March 2024. The Bank

क्रिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ऑनलाइन विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से ₹4412 करोड़ के शिक्षा ऋण वितरित किए हैं और ₹6600 करोड़ की राशि के 53638 खाते स्वीकृत किए हैं।

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हमारा बैंक शिक्षा ऋण देने में सबसे आगे है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में कौशल विकास पर दिये जा रहे जोर को देखते हुए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की कौशल विकास पहलों का समर्थन करने के लिए “आई.बी.ए कौशल ऋण योजना” लागू की गई है।

बैंक के पास “विद्या तुरन्त”, संपार्श्विक मुफ्त एक विशेष शिक्षा ऋण योजना है जो आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी आदि जैसे प्रमुख संस्थानों में प्रवेश लेने वाले मेधावी छात्रों के लिए बिना किसी जमानत के शिक्षा ऋण, रियायती ब्याज दर के साथ ₹50 लाख सीमा तक दिया जाता है। भारत में कुल 203 शीर्ष प्रमुख संस्थान इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

हमारे बैंक ने सीएसआईएस के तहत ऋण सब्सिडी से जुड़े शिक्षा ऋण आवेदनों की सोर्सिंग के लिए डीएफएस पहल के रूप में जन समर्थ (राष्ट्रीय) पोर्टल को हमारी ऋण उत्पत्ति प्रणाली के साथ एकीकृत किया है।

अन्य वैयक्तिक ऋण

बैंक का अन्य वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो मार्च 2024 तक बढ़कर ₹29,954 करोड़ हो गया। मार्च 2024 तक बैंक ने लगभग 6.75 लाख अन्य वैयक्तिक ऋण वित्तपोषित किए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने ₹14189 करोड़ के अन्य वैयक्तिक ऋण वितरित किए हैं और ₹14374 करोड़ की राशि के 2.43 लाख खाते स्वीकृत किए हैं। इस पोर्टफोलियो में कुल वृद्धि ₹4142 करोड़ है, जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 16.05% की वृद्धि है।

बैंक ने केनरा बजट के अंतर्गत दो विशेष वैयक्तिक ऋण योजनाएं शुरू की हैं, अर्थात् केनरा बजट प्राइम (सरकारी कर्मचारी) और केनरा बजट डिलाइट (निजी क्षेत्र के कर्मचारी) जिससे वैयक्तिक ऋण खंड में वृद्धि को बढ़ावा मिला है। खुदरा ऋणों की सोर्सिंग के लिए हमारी शाखाओं को पूरक बनाने के लिए बैंक ने चयनित संस्थानों के लिए विशेष पैकेज की भी अनुमति दी है।

has financed around 3.66 lakh students as at March 2024. During FY 2023-24, the Bank has disbursed education loans worth ₹4412 crore and sanctioned 53638 number of accounts amounting to ₹6600 crore through online Vidya Lakshmi portal.

Among all Nationalized Banks, our Bank is in the forefront in extending education loans. Further, considering the huge thrust on skill development in recent years, “IBA Skill Loan Scheme” has been implemented to support skill development initiatives of Department of Financial Services (DFS).

The Bank has a special education loan scheme namely “Vidya Turant”, collateral-free Education loans for the meritorious students who are admitted to premier institutes such as IITs, IIMs, ISB etc. up to a limit of ₹50 Lakh with concessional rate of Interest. A total of 203 top premier institutions in India are covered under the scheme.

Our Bank has integrated Jan Samarth (National) portal with our loan origination system as a part of DFS initiative for sourcing the credit subsidy linked education loan applications under Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS).

OTHER PERSONAL LOANS

The Bank's Other Personal Loan Portfolio increased to ₹29,954 crore as at March 2024. The Bank has financed around 6.75 lakh other personal loans as at March 2024. During FY 2023-24, the Bank has disbursed other personal loans worth ₹14189 crore and sanctioned 2.43 lakh number of accounts amounting to ₹14374 crores. Overall growth in this portfolio is ₹4142 crore, growth of 16.05% compared to FY 2022-23.

Bank has introduced two special personal loan schemes under Canara Budget i.e. Canara Budget Prime (Govt. Employees) and Canara Budget Delight (Private Sector Employees) which has supplemented the growth in Personal Loan segment. Bank has also permitted Special Packages for selected institutions to supplement our branches for sourcing Retail Loans.

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अंतर्गत कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, सूक्ष्म ऋण, कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण जैसे विभिन्न लक्ष्यों को महत्व देता रहा है।

मार्च 2024 तक बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम ₹4,23,563 करोड़ तक पहुंच गया और 40% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में 46.08% की वृद्धि हासिल की।

मार्च 2024 तक बैंक की कृषि प्राथमिकता अग्रिम राशि ₹2,49,688 करोड़ तक पहुंच गई और 18% अनिवार्य मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में 22.71% की वृद्धि हासिल की।

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम डेटा: (₹ करोड़ में)

| प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम | यथा मार्च | |
|---------------------------|-----------|--------|
| | 2023 | 2024 |
| कुल प्राथमिकता क्षेत्र | 382595 | 423563 |
| कृषि (प्राथमिकता) | 211562 | 249688 |

- कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कृषि पोर्टफोलियो के अंतर्गत बैंक का अग्रिम 18.69% बढ़कर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹2,53,206 करोड़ हो गया, जिसमें 1.34 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का कृषि ऋण वितरण ₹2,48,128 करोड़ है।
- मार्च 2024 तक लघु एवं सीमांत किसानों को अग्रिम राशि 10.00% (पीएसएलसी-एसएफ / एमएफ बिक्री का निवल) के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एएनबीसी को 16.08% प्राप्त हुई।
- वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने ₹32,665 करोड़ की राशि के 21.72 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए हैं।
- मार्च 2024 तक केसीसी के तहत बकाया ऋण ₹44,384 करोड़ तक पहुंच गया।
- सूक्ष्म उद्यमों को अग्रिम राशि 73,785 करोड़ रुपये रही, जो एएनबीसी के लिए 7.5% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में 9.92% रही।

PRIORITY SECTOR ADVANCES

The Bank continues to accord importance to varied goals under national priorities, including agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing, social infrastructure, renewable energy, micro credit, credit to weaker sections and specified minority communities.

Priority Sector Advances of the Bank as at March 2024 reached ₹4,23,563 Crore and achieved 46.08% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 40% mandated norm.

Agriculture priority advances of the Bank as at March 2024 reached ₹2,49,688 Crore and achieved 22.71% to Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against 18% mandated norm.

Priority Sector Advances data: (Amount ₹ in Crore)

| Priority Sector Advances | As at March | |
|--------------------------|-------------|--------|
| | 2023 | 2024 |
| Total Priority Sector | 382595 | 423563 |
| Agriculture (Priority) | 211562 | 249688 |

- With a focus on credit delivery to Agriculture, the Bank's advances under agriculture portfolio increased by 18.69% to ₹2,53,206 Crore on Y-O-Y basis, covering over 1.34 crore farmers.
- During FY 2023-24, the Bank's Agriculture Credit Disbursal was ₹2,48,128 Crore.
- Advances to Small & Marginal Farmers achieved 16.08% to ANBC as against the mandatory Target of 10.00% (Net of PSLC-SF / MF sale) as at March 2024.
- During the year 2023-24 Bank has issued 21.72 Lakh Kisan Credit Cards (KCCs), amounting to ₹32,665 Crore.
- The credit outstanding under KCCs reached ₹44,384 Crore as at March 2024.
- Advances to Micro Enterprises stood at ₹73,785 Crore achieving 9.92% to ANBC as against the mandatory Target of 7.5%.

- बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 से मार्च 2024 तक ₹80700 करोड़ के पीएसएलसी (एसएफ/एमएफ के तहत) बेचकर ₹1557.31 करोड़ शुल्क आधारित आय अर्जित की है।
- बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया, जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)।
- मार्च 2024 तक, निम्नलिखित सरकारी योजनाओं के तहत बकाया अग्रिम राशि ₹57,362 करोड़ थी, जिसमें लगभग 25.53 लाख लाभार्थी शामिल थे।

विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन:

(वास्तविक खाते व राशि ₹ करोड़ में)

| योजना | मार्च-24 | |
|---|----------------|--------------|
| | खाते | राशि |
| प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) | 74269 | 3504 |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) | 354309 | 18206 |
| दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) | 10015 | 283 |
| ब्याज की विभेदक दर | 79118 | 68 |
| स्टैंड अप इंडिया | 9717 | 1493 |
| प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) | 2025528 | 33808 |
| कुल | 2552956 | 57362 |

- ₹68 करोड़ विभेदक ब्याज दर विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन ऋण दी गई, जिसमें 0.79 लाख लाभार्थी शामिल थे, जिनमें से ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं द्वारा दी गई अग्रिम राशि ₹51 करोड़ थी।

- Bank has earned ₹1557.31 Crore fee-based income by way of selling PSLCs (under SF/MF) to the tune of ₹80700 Crore during FY 2023-24 till March 2024.
- The Bank actively participated in various Government Sponsored Schemes, such as, Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), National Rural Livelihood Mission (NRLM), National Urban Livelihood Mission (NULM), Differential Rate of Interest (DRI) Scheme, Stand-Up India, Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).
- As at March 2024, the outstanding advances under the following Government Schemes aggregated to ₹57,362 Crore, involving around 25.53 Lakh beneficiaries.

Performance under various Government Sponsored Schemes:

(Accounts in actuals & Amount in ₹ crore)

| Scheme | Mar-24 | |
|--|----------------|--------------|
| | Accounts | Amount |
| Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) | 74269 | 3504 |
| Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) | 354309 | 18206 |
| Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) | 10015 | 283 |
| Differential Rate of Interest | 79118 | 68 |
| Stand-Up India | 9717 | 1493 |
| Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) | 2025528 | 33808 |
| Total | 2552956 | 57362 |

- Advances to DRI stood at ₹68 Crore, consisting of 0.79 Lakh beneficiaries, of which, advances by rural and semi-urban branches amounted to ₹51 Crore.

- समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को बैंक की अग्रिम राशि मार्च 2024 तक ₹22,028 करोड़ थी, जिसमें 11.43 लाख उधारकर्ता शामिल थे।
- अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों को दिए गए अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 5.20% थे।
- कमजोर वर्गों को ₹2,47,068 करोड़ तक अग्रिम राशि दी गई है, जो एनबीसी के 12.00% के अनिवार्य मानदंड के मुकाबले 22.36% है।

- In support of the underprivileged sections of the society, the Bank's Advances to SCs/STs beneficiaries amounted to ₹22,028 Crore as at March 2024, covering 11.43 Lakh borrowers.
- The advances to SCs / STs comprised 5.20% of total priority sector advances.
- Advances to weaker sections reached ₹2,47,068 Crore, constituting 22.36% to ANBC against mandated norm of 12.00%.

मार्च 2024 तक कमजोर वर्गों को अग्रिम के विभिन्न घटक:

(वास्तविक खाते और राशि करोड़ ₹ में)

| सेक्टर का नाम | बकाया | |
|--|----------|--------|
| | खाते | राशि |
| लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बटाईदार | 12698378 | 200317 |
| एससी / एसटी लाभार्थी | 1143154 | 22028 |
| विभेदक ब्याज दर ऋण | 79118 | 68 |
| स्वयं सहायता समूह | 364324 | 18489 |
| संयुक्त देयता समूह | 70479 | 1566 |

- मार्च 2024 तक, निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को कुल 63,957 करोड़ रुपये का अग्रिम दिया गया, जो निर्धारित 15% मानदंड के मुकाबले वास्तविक प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का 15.11% है।

Various components of advances to Weaker Sections as at March 2024:

(Accounts in actuals & Amount in ₹ Crore)

| Sector Name | Outstanding | |
|---|-------------|--------|
| | Accounts | Amount |
| Small & Marginal Farmers, Landless Labourers, Tenant Farmers and Share Croppers | 12698378 | 200317 |
| SC / ST Beneficiaries | 1143154 | 22028 |
| DRI Loan | 79118 | 68 |
| Self-Help Group | 364324 | 18489 |
| Joint Liability Group | 70479 | 1566 |

- As at March 2024, advances to specified minority communities aggregated to ₹63,957 Crore, accounting for 15.11% of the actual priority sector advances against the stipulated 15% norm.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

मार्च 2024 तक एमएसएमई को अग्रिम राशि बढ़कर ₹1,31,869 करोड़ हो गई, जो कि 6.67% की वार्षिक वृद्धि है। एमएसई खंडों को ऋण राशि बढ़कर ₹1,12,823 करोड़ हो गई, जो कि 6.99% वार्षिक वृद्धि है। माइक्रो एंटरप्राइजेज को अग्रिम राशि में 10.27% की वृद्धि दर्ज की गई।

- ✓ **पीएम स्वनिधि** - यह योजना जुलाई 2020 के दौरान 24.03.2020 तक या उससे पहले शहरी क्षेत्रों में विक्रय में लगे सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई है, जो कि एमओएचयूए की

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Advances to MSMEs increased to ₹1,31,869 crores as at March 2024, with a y-o-y growth of 6.67%. Credit to MSE segments increased to ₹1,12,823 crores, with a 6.99% y-o-y growth. Advances to Micro Enterprises recorded a growth of 10.27%.

- ✓ **PM SVANidhi** - This scheme has been introduced during July 2020 for all street vendors engaged in vending in urban areas as on or before 24.03.2020

योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित पहचान मानदंडों के अनुसार है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और आवास और शहरी विकास मंत्रालय का कार्यान्वयन भागीदार है। पीएम स्वनिधि के तहत, बैंक ने 31.03.2024 तक ₹921 करोड़ की राशि के 617629 खातों को मंजूरी दी है। 31.03.2024 तक पीएम स्वनिधि के तहत बकाया ₹298 करोड़ है।

- ✓ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत, बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹21300 करोड़ के संवितरण लक्ष्य के मुकाबले ₹21985 करोड़ की राशि संवितरित की है। मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वीकृतियाँ और संवितरण निम्नानुसार हैं:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2023-24 (करोड़ रुपए में) | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| | खातों की संख्या | स्वीकृति राशि | संवितरण राशि | 31.03.2024 तक संचयी बकाया राशि |
| शिशु (<₹50,000) | 690157 | 1080 | 1074 | 1806 |
| किशोर (₹50,000 से ऊपर - ₹5 लाख) | 335713 | 8625 | 8585 | 15218 |
| तरुण (₹5 लाख से 10 लाख तक) | 143453 | 12356 | 12326 | 16784 |
| कुल | 1169323 | 22061 | 21985 | 33808 |

प्रमुख विशेषताएं:

- **स्टैंड अप इंडिया योजना** के अंतर्गत, बैंक ने 31.03.2024 तक स्टैंड ऑफ इंडिया योजना में महिला श्रेणी के अंतर्गत 18273 खाते स्वीकृत किए हैं और 9208 के आवंटित लक्ष्य के मुकाबले 198% उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा, बैंक ने 31.03.2024 तक 9208 स्वीकृति लक्ष्य के मुकाबले एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत 6768 खाते स्वीकृत किए हैं, यानी 31.03.2024 तक एससी / एसटी श्रेणी के अंतर्गत 74% उपलब्धि, जबकि 31.03.2023 तक एससी / एसटी श्रेणी के अंतर्गत 64% उपलब्धि है।
- प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित बैंक ने पीएमएमवाई के तहत ₹35000 करोड़ के अनिवार्य संवितरण लक्ष्य के मुकाबले ₹35204 करोड़ (100.58%) हासिल किया है।

as per identification criteria stipulated in scheme guidelines of MoHUA. Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is the implementation partner of the MoHUA. Under PM SVANidhi, the Bank sanctioned 617629 accounts amounting to ₹921 crores, since inception till 31.03.2024. Outstanding under the PM SVANidhi as on 31.03.2024 is ₹298 cr.

- ✓ Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), the Bank has disbursed an amount of ₹21985 crore against the Disbursement target of ₹21300 crore during FY 2023-24. Sanctions and disbursals under different categories of Mudra Yojana are as under:

| Scheme | FY 2023-24 (₹ in Crore) | | | | Cumulative Outstanding Amount as on 31.03.2024 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--|
| | No. of Accounts | Sanction Amount | Disbursement Amount | | |
| Shishu (<₹50,000) | 690157 | 1080 | 1074 | 1806 | |
| Kishore (Above ₹50,000 - ₹5 Lakhs) | 335713 | 8625 | 8585 | 15218 | |
| Tarun (Above ₹5 Lakh to ₹10 Lakhs) | 143453 | 12356 | 12326 | 16784 | |
| Total | 1169323 | 22061 | 21985 | 33808 | |

Major Highlights:

- Under **Stand-Up India scheme**, Bank has sanctioned 18273 accounts under Women category of Stand-Up India scheme since inception till 31.03.2024 and has achieved 198% against the allotted target of 9208. Further, Bank Sanctioned 6768 accounts under SC / ST category against sanctioned target of 9208 since inception till 31.03.2024 i.e. 74% achievement under SC / ST category as on 31.03.2024 as against 64% achievement under SC / ST category as on 31.03.2023.
- Bank including sponsored RRBs has achieved ₹35204 crore, (100.58%) against the mandatory Disbursement target of ₹35000 Crores under PMMY.

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएमईजीपी के तहत बैंक ने ₹1722 करोड़ की राशि के 15049 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें कुल मार्जिन मनी का दावा ₹538 करोड़ था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 14488 खातों पर ₹1593 करोड़ की राशि की मंजूरी की है, और ₹356 करोड़ की मार्जिन मनी का दावा किया गया।
- 59 मिनट में पीएसबी ऋण के संबंध में, बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 37 खातों को ₹4.67 करोड़ की राशि स्वीकृत की, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 120 खातों को मंजूरी दी गई थी और ₹20.98 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान टीआरडीएस प्लेटफॉर्म पर ₹13031.31 करोड़ की राशि के 33892 बिलों को भुनाया है।
- बैंक ने मेसर्स इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड, मेसर्स लेंडिंगकार्ट फाइनेंस लिमिटेड और मेसर्स प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह-उधार मॉडल II समझौता किया है और 31.03.2024 तक एमएसएमई को ₹724.38 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं। सह-उधार मॉडल-II के तहत एनबीएफसी को शामिल करने के लिए मेसर्स क्रेडएवेन्यू प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक डिजिटल सह-ऋण मंच विकसित किया गया है।
- वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय की एक पहल के अधीन बैंक ने 3 सरकारी प्रायोजित एमएसएमई योजनाएं (पीएमएमवाई, स्टैंड अप इंडिया और बुनकर मुद्रा) राष्ट्रीय पोर्टल (जिसे जनसमर्थ पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है) नामक एकीकृत पोर्टल के तहत कार्यान्वित की है।
- केनरा बैंक ने बैंक / वित्तीय संस्थाओं के बीच वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए खाता एग्रीगेटर नेटवर्क को शामिल किया है।
- During FY 2023-24, under PMEGP the Bank sanctioned 15049 proposals amounting to ₹1722 crore, with Total Margin Money claimed stood at ₹538 crore, as against sanction of 14488 accounts, sanction amount of ₹1593 Crore and Margin Money claim of ₹356 Crore during FY 2022-23.
- With respect to PSB Loans in 59 minutes, the Bank Sanctioned 37 accounts to the tune of ₹4.67 crore during FY 2023-24 as against sanction of 120 accounts and sanction amount of ₹20.98 Crore during FY 2022-23..
- Under TReDS Platform, our Bank has discounted 33892 Bills amounting to ₹13031.31 Crore during FY 2023-24.
- Bank has entered into co-lending Model II tie-up arrangement with M/s India Bulls Commercial Credit Limited, M/s Lendingkart Finance Limited and M/s Protium Finance Limited and has sanctioned loans to the tune of ₹724.38 Crore to MSMEs as on 31.03.2024. A digital co-lending platform is developed by M/s CredAvenue Pvt. Ltd., for on-boarding NBFCs under Co-Lending Model-II.
- Bank has implemented 3 Government Sponsored MSME Schemes (PMMY, Stand-Up India and Weavers Mudra) under unified portal called National Portal (also known as Jansamarth Portal) - an initiative by DFS, Ministry of Finance.
- Canara Bank has On-boarded on Account Aggregator network to facilitate exchange of information as Financial Information Provider (FIP) and Financial Information User (FIU) between the Bank/FIs.

डिजिटल बैंकिंग और वैकल्पिक डिलीवरी चैनल

बैंक के पास 12,155 एटीएम / रीसाइक्लर हैं। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान एटीएम और कैश रीसाइक्लर का औसत समग्र अपटाइम 91.04% रहा। मार्च 2024 तक बैंक का डेबिट कार्ड आधार 11.89% की वार्षिक वृद्धि के साथ 5.74 करोड़ हो गया और क्रेडिट कार्ड आधार 38.46% की वार्षिक वृद्धि के साथ 8.64 लाख तक पहुँच गया। मोबाइल बैंकिंग के तहत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 32.47% की वार्षिक वृद्धि के साथ 221.05 लाख तक पहुँच गई और नेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च 2024 तक 9.24% की वार्षिक वृद्धि के साथ 266.47 लाख तक पहुँच गई।

DIGITAL BANKING & ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

The Bank has 12,155 number of ATMs / Recyclers. The Average overall uptime of ATMs & Cash Recyclers during Q4 FY 2023-24 stood at 91.04%. The Bank's Debit Card base increased to 5.74 crore with y-o-y growth of 11.89% and Credit Card base reached to 8.64 lakh with y-o-y growth of 38.46% as on March 2024. The number of registered users under Mobile Banking reached 221.05 lakhs with y-o-y growth of 32.47% and that of Net Banking users increased to 266.47 lakhs as at March 2024, a y-o-y growth of 9.24%.



मार्च 2024 तक सभी मर्चेट चैनलों के तहत कुल संचयी ऑन-बोर्डिंग 23.32 लाख तक पहुंच गई है और कुल संचयी पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल की तैनाती 78,248 है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) पंजीकरण मार्च 2023 तक 207.09 लाख से बढ़कर मार्च 2024 तक 280.17 लाख तक पहुंच गया है, जिससे सालाना आधार पर 35.29% की वृद्धि दर्ज की गई है।

डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में हमारे निरंतर प्रयासों के तहत, हमारे बैंक ने "केनरा डिजिटल रुपया" नाम से मोबाइल एप्लीकेशन में डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। हमारा बैंक भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) डब मर्चेट्स के साथ साउंड बॉक्स सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (PSB) है। साथ ही, हमारा बैंक ओमान से क्रॉस-बॉर्डर इनबाउंड बिल भुगतानों को संसाधित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) भारत बिल पे के साथ गठजोड़ करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। इसके अलावा, नए एपीआई गेटवे (APIGEE-) में 200 एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) को लाइव किया गया है। एपीआई गेटवे एंटरप्राइज एडिशन और 41 क्लाइंट लाइव हैं। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के डिजिटल लेनदेन लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

डेबिट और क्रेडिट कार्ड में शुरू की गई प्रमुख कार्यक्षमताएं:

- रुपये क्रेडिट और डेबिट कार्ड में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन की सुविधा जोड़ी गई।
- वीजा कार्ड / मास्टर कार्ड / रुपये कार्ड के अंतर्गत प्रीमियम वैरिएंट की शुरूआत।
- ईमेल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड ब्लॉक सुविधा।
- पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड (एंड-टू-एंड) का केंद्रीकृत जारीकरण।
- नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) डेबिट कार्ड का शुभारंभ।
- **एआई** मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में वर्चुअल डेबिट कार्ड सुविधा शुरू की है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्ड के लिए आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

- अतिथि चेक आउट टोकनाइजेशन सुविधा लागू की गई।

Total cumulative on-boarding under all Merchant channels has reached to 23.32 lakh and total cumulative Point of Sale (PoS) terminal deployment is at 78,248 as on March 2024. Unified Payments Interface (UPI) registration has reached 280.17 lakh as on March 2024 from 207.09 lakh as at March 2023, there by registering the Y-o-Y growth of 35.29%.

As part of our continued efforts towards enhancing our Digital Banking offerings, our Bank has launched Digital Currency in Mobile application by the name of "Canara Digital Rupee". Our Bank is the first Public Sector Bank (PSB) to launch Sound Box facility with Bharat Interface for Money (BHIM) QR merchants. Also, our Bank has become the first Public Sector Bank to tie-up with National Payments Corporation of India (NPCI) Bharat Bill Pay, to process cross-border inbound bill payments from Oman. Apart from this, 200 Application Programming Interface (APIs) have been made live in the new API gateway (APIGEE- API Gateway Enterprise Edition) and 41 clients are live. Bank has achieved Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) digital transaction target for FY 2023-24.

Major functionalities introduced in Debit & Credit Cards:

- Enabling International Transactions features added to RuPay Credit and Debit Cards.
- Introduction of premium variants under VISA Cards / Master Cards / RuPay Cards.
- Credit Card Block Facility Through E-mail.
- Centralised Issuance of Credit Cards (End-to-End) for pre-approved customers.
- Launch of National Common Mobility Card (NCMC) Debit Card.
- Bank had introduced Virtual Debit Card feature for existing customers in the ai1 Mobile Banking application.

Compliance of RBI guidelines for Cards during FY 2023-24:

- Guest Check Out Tokenization facility implemented.

- आवर्ती कार्ड लेनदेन पर ई-स्थायी अनुदेश की सीमा में वृद्धि, कुछ एमसीसी (व्यापारी श्रेणी कोड) के लिए दत्तक (स्थायी अनुदेश हब) समाधान के उत्पाद संवर्धन को ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹1,00,000/- करना।

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर ग्राहकों को छूट प्रदान करने के लिए ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं के साथ टाईअप व्यवस्था:

बैंक ने ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए डेबिट / क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर ग्राहकों को छूट प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान BookMyShow, MakeMyTrip, GOIBIBO, ClearTrip, Flipkart, Zomato और Dunzo के साथ करार किया है और भविष्य में और भी करार करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे ग्राहकों की खुशी और खर्च में वृद्धि होगी, प्रति कार्ड खर्च में वृद्धि होगी, इन ऑफ़र के साथ अधिक संख्या में कार्डों का एक्टिवेशन सुनिश्चित होगा और अधिक खर्च के साथ, अर्जित इंटरचेंज भी बढ़ेगा।

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कार्ड लेनदेन सुरक्षा हेतु उठाए गए सुरक्षा उपाय:

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग (आईबी), मोबाइल बैंकिंग (एमबी), एटीएम और शाखा चैनलों जैसे सभी चैनलों में ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए कार्ड को सक्षम और अक्षम करने की सुविधा। ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने के लिए एंटरप्राइज फ़ॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट (ईएफआरएम) नियमों को उद्योग की सर्वोत्तम पद्धति के अनुसार संशोधित किया गया है।

एटीएम धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा सुविधाएँ और आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों (अर्थात टर्मिनल सुरक्षा समाधान, एंटी-स्किमिंग डिवाइस, ईएमवी अनुपालन) को समय-सीमा के भीतर हमारे सभी चालू एटीएम में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। (ईएमवी: यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीजा)
- एटीएम पारिस्थितिकी तंत्र में मैन इन द मिडिल अटैक से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए एटीएम और कैश रिसाइकलर्स में ट्रांसपोर्ट लेयर सिम्योरिटी (टीएलएस) का कार्यान्वयन पूरा हो गया है।

- Enhancement of limits for e-Mandate on Recurring Card Transactions and Product Enhancement of SiHub (Standing Instruction Hub) Solution from ₹15,000/- to ₹1,00,000/- for certain MCC (Merchant Category Code).

Tie-up with Online Retailers for providing discounts to customers on using of Debit Card & Credit Card:

Bank had tied-up with BookMyShow, MakeMyTrip, GOIBIBO, ClearTrip, Flipkart, Zomato & Dunzo during FY 2023-24 for providing discounts to customers on use of Debit / Credit card for e-commerce transactions and in the process of more tie-ups in future. It helps to increase the customer delight & spends, enhance the per card spend, ensure activation of more number of cards with these offers and with higher spends, interchange earned will also increase.

Security measures taken for Card transaction security for avoiding online frauds:

As per RBI guidelines, for enhancing security of card transactions for Debit Card & Credit Card, enabling and disabling card for online and international transactions is enabled in all channels like Internet Banking (IB), Mobile Banking (MB), ATM and Branch channels. Enterprise Fraud Risk Management (EFRM) rules for mitigation of online frauds have been modified as per industry best practice.

Security features to arrest ATM frauds & Compliance of RBI guidelines:

- Safety measures mandated by RBI (i.e. Terminal Security Solution, Anti-skimming Devices, EMV compliance) have been successfully implemented in all our operational ATMs within the timelines. (EMV: Europay, MasterCard and Visa)
- Implementation of Transport Layer Security (TLS) to mitigate risk arising from Man in The Middle attack in ATM ecosystem is completed in ATMs & Cash Recyclers.

- एटीएम पर साइबर हमले से बचने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) / पावर केबल कनेक्शन को ढका दिया गया है तथा जनता का उन तक पहुंच नहीं है।
- एटीएम और कैश रिसाइकलर्स में नकदी पुनःपूर्ति के लिए कैसेट स्वैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- सभी एटीएम को केंद्रीकृत मिलान के साथ जोड़ दिया गया है।
- 10,000 रुपये से अधिक की नकद निकासी के लिए कार्ड-रहित नकद निकासी और वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) लागू किया गया।
- बैंक एटीएम में नकली प्लेट लगाए जाने की संभावना को कम करने के लिए ब्लॉक शाफ्ट को लागू कर रहा है।
- बैंक ने एटीएम में नकदी की उपलब्धता की निगरानी और जुर्माने से बचने के लिए हर समय नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का पालन करने के लिए कई उपाय किए हैं।
- Local Area Network (LAN) / Power Cable connections are concealed and not accessible to public to avoid Cyber-attack on ATMs.
- Cassette swap for Cash replenishment is under implementation in ATMs & Cash Recyclers.
- All ATMs are migrated for centralized reconciliation.
- Implemented Card-less Cash Withdrawal and One-time password (OTP) for cash withdrawal of above ₹10,000/-.
- Bank is implementing Block Shaft to mitigate the possibility of a false plate being installed in the ATMs.
- Bank has taken several measures to comply with the directives of RBI on Monitoring of Availability of Cash in ATMs and ensuring availability of cash at all times to avoid penalty

वित्त वर्ष 2023-24 में इंटरनेट बैंकिंग में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- लॉकर सुविधा के लिए आवेदन करने की सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के प्री-लॉगिन पेज के अलावा पोस्ट-लॉगिन पेज पर भी जोड़ी गई है।
- म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) और एकमुश्त मोड द्वारा निवेश करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में एकीकृत किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग सेवा में सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईमेल, एसएमएस, वॉयस कॉल पर लॉगिन चैलेंज ओटीपी लागू किया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग में क्रेडिट स्कोर मॉनिटरिंग सुविधा।

वित्त वर्ष 2023-24 में मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (केनरा एआई1) में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- मोबाइल बैंकिंग में FX4U एकीकरण और FX4U लाभार्थी जोड़ना।
- अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) / अनिवासी (साधारण) (एनआरओ) खाता परिवर्तन एकीकरण।
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से निःशुल्क क्रेडिट स्कोर।
- डिजी-लॉकर के माध्यम से खाता पता अद्यतन करना।
- आधार संख्या के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग सक्रियण।

Major features added in Internet Banking in FY 2023-24:

- Applying for locker facility has been enabled in the pre-login page of Internet Banking in addition to post-login.
- Mutual Fund platform has been integrated in internet Banking to invest by Systematic Investment Plan (SIP) & Lumpsum modes.
- Login challenge OTP over E-mail, SMS, Voice call has been implemented to increase security in Internet Banking Service.
- Credit Score Monitoring facility in Internet Banking.

Major features added in Mobile Banking application (CANARA ai1) in FY 2023-24:

- FX4U Integration and FX4U Beneficiary Addition in Mobile Banking.
- Non-Resident (External) (NRE) / Non-Resident (Ordinary) (NRO) account conversion Integration.
- Free credit score through Mobile Banking.
- Updating of account address using Digi-Locker.
- Aadhaar enabled Mobile Banking activation.

- एसआईपी और एकमुश्त निवेश के लिए म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म को मोबाइल बैंकिंग में एकीकृत किया गया है।
- कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एआई1 ऐप।
- मोबाइल बैंकिंग में खाता एग्रीगेटर सुविधा।
- मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से विभिन्न सेवा प्रदाताओं से ई-गिफ्ट कार्ड।
- प्रीमियम पेट्रोल खाताधारक शाखा में जाए बिना तुरन्त ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- ग्राहक अब केनरा एआई1 मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का उपयोग करके अपनी पात्र जमा राशियों पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- ग्राहक लक्ष्य आधारित आवर्ती जमा खोल सकते हैं, जैसे मकान / कार खरीदने और बच्चों की शिक्षा आदि के लिए राशि बचाना।
- सावधि जमा अनुभाग में सुपर वरिष्ठ नागरिकों की नई श्रेणी को जोड़ना तथा मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए मीयादी जमा उत्पाद उपलब्ध कराना।
- केनरा एआई1 ऐप में क्रेडिट कार्ड लेनदेन का ईएमआई में परिवर्तन।
- केनरा एआई1 में कार्ड लेआउट पुनः डिजाइनिंग।
- मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लॉकर के लिए आवेदन।

- Mutual Fund platform has been integrated in Mobile Banking to invest in SIP & Lumpsum modes.
- ai1 app for Corporate customers.
- Account Aggregator facility in Mobile Banking.
- e-Gift Cards from wide range of service providers through Mobile Banking app.
- Premium Payroll Accounts holders can avail Overdraft facility instantly without visiting the Branch.
- Customers can now avail loan against their own eligible deposits using Canara ai1 Mobile Banking application.
- Customers can open a Goal-based Recurring Deposit like creating a fund to purchase a House / Car and Children's education etc.
- Adding new category of Super Senior citizen in Fixed Deposit section and new Term Deposit products to Super Senior citizens through mobile banking.
- EMI conversion of Credit card transaction in Canara ai1 app.
- Card layout Re-designing in Canara ai1.
- Apply for Locker through Mobile Banking.

वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई में जोड़ी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

- मोबाइल बैंकिंग सुपर ऐप "एआई1" पर यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड।
- आधार ओटीपी के माध्यम से यूपीआई ऐप पर ऑन-बोर्डिंग।
- यूपीआई 123 का प्रारंभ।
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के साथ एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड की अंतर-संचालनीयता
- यूपीआई (जारीकर्ता) के माध्यम से रुपये क्रेडिट कार्ड से संबंधित ग्राहक विवादों / लंबित स्थिति लेनदेन को हल करने के लिए एकीकृत विवाद समाधान (यूडीआईआर) प्रणाली का कार्यान्वयन।

Major features added in UPI in FY 2023-24:

- Credit Card on UPI on Mobile Banking super app "ai1".
- On-Boarding to UPI app through Aadhaar OTP.
- Launch of UPI 123.
- Interoperability of Unified Payments Interface's (UPI) Quick Response (QR) code with Central Bank Digital Currency (CBDC).
- Implementation of Unified Dispute Issue Resolution (UDIR) system for resolving customer disputes / pending status transactions pertaining to RuPay Credit Card through UPI (Issuer).

- अधिग्रहणकर्ता पक्ष से केनरा एआई1 मोबाइल बैंकिंग ऐप में यूपीआई लाइट कार्यक्षमता।
- एन.पी.सी.आई. द्वारा चिन्हित चुनिंदा देशों में एन.आर.आई. द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबर का उपयोग करते हुए यू.पी.आई. पंजीकरण का कार्यान्वयन।
- यूपीआई - अभी भुगतान करें सीमापार धन प्रेषण लेनदेन (एफओआर): यूपीआई के माध्यम से सिंगापुर में विदेशी जावक धन प्रेषण लेनदेन को क्रियान्वित करना।
- भीम पर यूपीआई लाइट।

वित्त वर्ष 2023-24 में सीबीडीसी एप्लीकेशन में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- कर्मचारियों के मासिक भत्ते को सीबीडीसी वॉलेट में जमा करना।
- सीबीडीसी ऑटो लोड कार्यक्षमता

वित्त वर्ष 2023-24 में डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ऋण के माध्यम से मौजूदा वेतन खाताधारकों को अधिकतम ₹10.00 लाख तक का पूर्व-स्वीकृत ऋण।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ऋण के माध्यम से पात्र मौजूदा ग्राहकों को ऑनलाइन खोले गए मीयादी जमा के प्रति मीयादी ऋण।

वित्त वर्ष 2023-24 में एटीएम में जोड़ी जाने वाली प्रमुख विशेषताएं:

- एटीएम में इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पुलिंग सेवाओं का एफएसएस और एजीएस से ईपीएस में स्थानांतरण।

वित्त वर्ष 2023-24 में मर्चेन्ट ऑन-बोर्डिंग में जोड़ी गई प्रमुख विशेषताएं:

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान।
- एमस्वाइप, पेस्विफ और पेट के साथ उनके पीओएस टर्मिनलों पर क्रेडिट कार्ड लेनदेन के ईएमआई परिवर्तन हेतु एकीकरण।
- भीम क्यूआर सेल्फ ऑन-बोर्डिंग एएसएमएस लिंक के माध्यम से साझा किया गया।

चल रही परियोजनाएं:

- वित्त वर्ष 2024-25 में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे जैसे “केनरा वीजा सिग्नेचर” - क्रेडिट कार्ड, “केनरा रुपये प्लेटिनम

- UPI Lite functionality in Canara ai1 Mobile banking app at acquirer side.
- Implementation of UPI registration to NRIs using their international number presently to select countries identified by NPCI.
- UPI - Pay Now Cross-Border Remittance Transaction (FOR): Implementing Foreign outward remittance transaction to Singapore through UPI.
- UPI Lite on BHIM.

Major features added in CBDC Application in FY 2023-24:

- Crediting the staff monthly allowances to CBDC wallet.
- CBDC Auto load functionality.

Major features added in Digital Lending Platform in FY 2023-24:

- Pre-approved loan upto maximum ₹10.00 lakh to existing salary account holders through Digital Lending on online platform.
- Term Loan against online opened term deposit to eligible existing customers through Digital Lending on online platform.

Major features added in ATM in FY 2023-24:

- Migration of electronic Journal pulling services in ATMs from FSS and AGS to EPS.

Major features added in Merchant on-boarding in FY 2023-24:

- Credit Card Bill payment through Bharat Bill Payment System (BBPS), Immediate Payment Service (IMPS) and UPI.
- Integration with Mswipe, Payswiff and Paytm for EMI conversion of Credit Card transactions on their PoS Terminals.
- BHIM QR self on-boarding via SMS link shared.

ONGOING PROJECTS:

- Launch of New Variants of Debit and Credit Card in FY 2024-25 viz. “CANARA VISA SIGNATURE” - Credit Card, “CANARA RUPAY

महिला” डेबिट कार्ड, “केनरा रुपये प्लेटिनम मिलेनियल” - डेबिट कार्ड और “केनरा रुपये प्लेटिनम सीनियर सिटीजन” - डेबिट कार्ड

- प्रीपेड (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) और फास्टैग के लिए नए विक्रेताओं को शामिल करना।
- प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए ऑनलाइन चैनल, दोहरे इंटरफेस कार्ड, कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस), केनरा एआई1 और नेट बैंकिंग आदि के साथ उत्पादों का एकीकरण जैसी नई कार्यात्मकताएं शुरू की गईं।
- केनरा एआई1 में निम्नलिखित नई कार्यात्मकताओं पर ग्राहक ऑन-बोर्डिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

a. यूपीआई लाइट:

- हम इसे सक्षम करने के लिए उपयोगकर्ता लॉगिन पर पॉप-अप बैनर उपलब्ध करा रहे हैं।
- उपयोग को बेहतर बनाने के लिए, यूपीआई लाइट के लिए ऑटो-टॉप अप कार्यक्षमता लागू की जाएगी।

b. यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड

- हम इसे सक्षम करने के लिए प्रतिदिन उपयोगकर्ता के प्रथम लॉगिन पर पॉप-अप बैनर उपलब्ध करा रहे हैं।

- केनरा एआई1 मोबाइल ऐप में लाइफस्टाइल श्रेणी के लिए यूपीआई भुगतान विकल्प सक्षम करना।
- जारीकर्ता के रूप में रुपये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके यूपीआई लेनदेन के लिए ईएमआई सुविधा।
- यूपीआई पर रुपये क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक / अनब्लॉक करने की सुविधा।
- केनरा एआई1 मोबाइल ऐप और एसएस में यूपीआई दैनिक लेनदेन सीमा निर्धारित करने का विकल्प।
- यूपीआई के अंतर्गत द्वितीयक बाजार उपयोग के लिए एकल ब्लॉक-एकाधिक डेबिट अधिदेश का कार्यान्वयन।
- यूपीआई ऑटो पे सक्षम बिल (बीबीपीएस) के लिए केनरा एआई1 ऐप में यूपीआई टैब के अंतर्गत में बिल विकल्प को सक्षम करना।
- मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आईआरसीटीसी सेवाओं के माध्यम से ट्रेन के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग का एकीकरण।
- मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में मेसर्स TAGIC और BAGIC मोटर बीमा नवीनीकरण विकल्प का एकीकरण। (BAGIC: बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, TAGIC: टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)

PLATINUM WOMEN” - Debit Card, “CANARA RUPAY PLATINUM MILLENNIAL” - Debit Card and “CANARA RUPAY PLATINUM SENIOR CITIZEN”- Debit Card.

- On-boarding of new vendors for Pre-paid (Domestic & International) and FASTag.
- Introduction of new functionalities such as online channel for issuance of Pre-paid cards, Dual interface cards, integration of products with Core Banking System (CBS), Canara ai1 and net banking, etc.
- Customer on-boarding on the following new functionalities in Canara ai1 will be focused:

a. UPI Lite:

- We are providing pop-up banner on the user login for enabling.
- To improve the usage, auto top-up functionality will be implemented for UPI Lite.

b. RuPay Credit Card on UPI

- We are providing pop-up banner on the user's first login every day for enabling.

- Enabling UPI payment option for lifestyle category in Canara ai1 Mobile app.
- EMI facility for UPI transactions using RuPay Credit Card as an issuer.
- Facility of Blocking / Un-blocking of RuPay Credit Card on UPI.
- Option to set UPI daily transaction limit in Canara ai1 Mobile app and SAS.
- Implementing single block-multiple debit mandate for secondary market use under UPI.
- Enabling My Bill option under UPI tab in Canara ai1 app for UPI auto pay enabled bill (BBPS).
- Integration of Online Ticket Booking for Train through IRCTC services in Mobile Banking application.
- Integration of M/s TAGIC and BAGIC Motor Insurance Renewal Option in Mobile Banking application. (BAGIC: Bajaj Allianz General Insurance Company Limited, TAGIC: TATA AIG General Insurance Co. Ltd.)



- मोबाइल बैंकिंग में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) का एकीकरण।
- लक्ष्य निर्धारित करने के लिए लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना विकल्प - पीएफएमएस।
- आईएमपीएस यूडीआईआर (एकीकृत विवाद और मुद्दा समाधान)
- मोबाइल बैंकिंग पंजीकरण के लिए भाषा विकल्प के चयन का कार्यान्वयन।
- एनआरई / एनआरओ खाते को निवासी भारतीय खाते में तथा निवासी भारतीय खाते को एनआरई / एनआरओ खाते का ऑनलाइन परिवर्तन।
- जीवन धारा खाताधारकों को तत्काल ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा।
- बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए पीकेआई (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधा।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईईपीएस) सेवाओं का सक्रियण और निष्क्रियण।
- ओएनडीसी के माध्यम से क्रेता और विक्रेता ऐप।
- आईबी में रुपए में पैकिंग क्रेडिट (पीसीआरएस) / विदेशी मुद्रा में प्री-शिपमेंट क्रेडिट (पीसीएफसी) पासशीट देखने और डाउनलोड सुविधा।
- नाबालिग खातों के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा।
- डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म (डीएलपी) के माध्यम से खोले गए ओडी को बंद करने और नवीनीकृत करने की क्षमता।
- असफल लेनदेन के लिए विवाद उठाने हेतु आईबी में ऑनलाइन विवाद निवारण पोर्टल का एकीकरण।
- आईबी और कॉर्पोरेट ऐप में मर्चेन्ट क्यूआर कोड क्षमता का एकीकरण।
- ₹10 लाख तक कार्यशील पूंजी (WC) सीमा नवीनीकरण का स्वचालन।
- व्यावसायिक उद्देश्य के लिए डीएलपी में पूर्व-अनुमोदित ऋण प्रदान करना।
- डाइबोल्ड डीएन200 और हिताची तीनों प्रकार के एटीएम के लिए टर्मिनल प्रमाणन का कार्य प्रगति पर है।
- 3000 पासबुक अपडेशन कियोस्क मशीन की खरीद।
- Integration of Open Network for Digital Commerce (ONDC) in Mobile Banking.
- Target Based Financial Planning Options to set Goal / targets - PFMS.
- IMPS UDIR. (Unified Dispute and Issue Resolution)
- Implementation of Selection of Language option for Mobile Banking Registration.
- Online conversion of NRE / NRO account to Resident Indian account and vice-versa.
- Instant Overdraft (OD) facility to Jeevan Dhara Account holders.
- PKI (Public Key Infrastructure) facility for large value transactions.
- Activation and Deactivation of Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) services.
- Buyer and Seller App through ONDC.
- Display and download of Packing Credit in Rupee (PCRS) / Pre-Shipment Credit in Foreign Currency (PCFC) pass sheet in IB.
- Internet Banking facility for Minor Accounts.
- Functionality to Close and Renew the OD opened through Digital Lending Platform (DLP) platform.
- Integration of Online Dispute Redressal portal in IB for raising dispute for failed transactions.
- Integration of Merchant QR code functionality in IB and corporate App.
- Automation of Working Capital (WC) Limit Renewal upto ₹10 lakh.
- Providing pre-approved loan in DLP for business purpose.
- Terminal certification is in progress for Diebold DN200 and Hitachi all three variants of ATMs.
- Procurement of 3000 passbook updation Kiosk Machines.

तकनीकी उन्नयन:

- **बीसी टर्मिनलों पर एसएचजी दोहरी प्रमाणीकरण सक्षम:** हमारा बैंक बीसी टर्मिनलों पर एसएचजी दोहरी प्रमाणीकरण सक्षम करने वाले शीर्ष दो बैंकों में से एक बन गया है, जिससे

TECHNOLOGICAL UPGRADATIONS:

- **SHG Dual Authentication enabled at BC Terminals:** Our Bank became one of the top two banks to enable SHG Dual Authentication

- एसएचजी ग्राहक नकद जमा, नकद निकासी और फंड ट्रांसफर लेनदेन शुरू करने में सक्षम हो गए हैं।
- **महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के लिए पैकेज** : महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के लिए पैकेज महिला ग्राहकों को सभी केनरा बैंक शाखाओं में और नेट बैंकिंग के माध्यम से महिला सम्मान बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। हमारा बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र सक्षम करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है।
 - बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्य कोषागारों के लिए इंटरनेट बैंकिंग, काउंटर पर भुगतान, कार्ड भुगतान और यूपीआई जैसे **विभिन्न चैनलों के माध्यम से कर भुगतान सक्षम किया गया**।
 - **दर व्यवस्था के लिए ग्राहक विकल्प** प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से उधारकर्ता ऋण की अवधि के दौरान अस्थाई दर से निर्धारित दर पर या इसके विपरीत स्विच कर सकते हैं।
 - **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी (गिफ्ट सिटी)** शाखा का उद्घाटन ग्राहकों को विभिन्न कॉर्पोरेट सेवाओं के अलावा विदेशी मुद्रा लेनदेन, मुद्रा बाजार सौदों और सुरक्षा निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।
 - **ई-बीआरसी सुधार समाधान** : यह समाधान निर्यातकों को डीजीएफटी वेबसाइट से स्वतः आधार पर ई-बीआरसी तैयार करने में सहायता करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।
 - **वास्तविक आधार पर एसएमएस शुल्क के संग्रह का कार्यान्वयन**, वितरित एसएमएस की वास्तविक संख्या के आधार पर शुल्क डेबिट किया जाएगा।
 - **जमा उत्पाद के लिए अस्थाई दर को सक्षम करना**, ताकि ग्राहकों को सावधि जमा में अस्थाई दर ब्याज का विकल्प चुनने में सुविधा हो और बढ़ती जमा दरों का लाभ उन्हें मिल सके।
 - वाहन ऋण की राशि वितरित करने के लिए कार्यक्षमता सक्षम की गई एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से **वाहन ऋण डीलरों को सीधे वितरित करने की कार्यक्षमता सक्षम** की गई, जिससे संवितरण अधिक सहज और तीव्र हो गया।
 - **आवक विदेशी मुद्रा प्रेषण के लिए एआई1 ऐप के माध्यम से निर्देशों को कैप्चर करने की शुरुआत**, जिससे ग्राहकों को एआई1 ऐप के माध्यम से उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त विदेशी भुगतानों के आगे के प्रसंस्करण के लिए निर्देश जोड़ने की सुविधा मिल सके।

at BC terminals, enabling the SHG customers to initiate Cash deposit, Cash withdrawal and Fund transfer transactions.

- **Package for Mahila Samman Saving certificate** has been developed to facilitate Female Customers to open Mahila Samman Saving Account at all Canara Bank Branches and through Net Banking. Our Bank is the first Public Sector Bank to enable Mahila Samman Saving Certificate online through Net Banking.
- **Enabled Tax payments through various channels** like Internet Banking, Over the counter, Card Payments and UPI for different state treasuries like Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan.
- **Customer option for Rate regime has been introduced** through which borrowers can switch over to a fixed rate from floating rate or vice versa during the tenor of the loan.
- **Gujarat International Financial Tec City (GIFT City) Branch at Ahmedabad, Gujarat** has been inaugurated to facilitate customers with Forex Transactions, Money Market Deals and Security Investments other than various corporate services.
- **e-BRC Revamp Solution**: This solution has been introduced to help facilitating exporter to generate e-BRC on Suo-moto basis going forward from DGFT Website.
- **Implementation of collection of SMS charges on actual basis**, charges will be debited based on actual number of SMSs delivered.
- **Enabling of Floating Rate for Deposit Product** to facilitate Customers to opt for Floating Rate Interest in Term Deposit, for passing on the benefit of increasing Deposit rates.
- **Functionality enabled to disburse the proceedings of Vehicle Loan directly to Vehicle Loan Dealers** through NEFT / RTGS to make disbursement more seamless and faster.
- **Introduction of Capturing of Disposable Instructions through ai1 app** for Inward Forex Remittances for facilitating customers to add instructions for further processing of the received foreign payments as per their requirement through ai1 app.



- **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को दुरुस्त** कर दिया गया है तथा समग्र तकनीकी गिरावट को 1% से नीचे बनाए रखा गया है।
- **ई-जनादेश सुविधा** : यह सुविधा उधारकर्ताओं को ऋण भुगतान के लिए अधिदेश दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है और इसे हमारे बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से आधार विवरण का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है।
- कॉर्पोरेट ग्राहकों को अपने ग्राहकों की ओर से केनरा बैंक टैक्स पोर्टल के माध्यम से सीधे थोक में कर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए **टीआईएन पोर्टल के लिए बल्क मल्टीपल भुगतान कार्यक्षमता** शुरू की गई है।
- अन्य खाता में **एईपीएस** द्वारा नकद जमा को सक्षम किया गया है जो ग्राहकों को बीसी टर्मिनलों के माध्यम से अंतर-बैंक नकद जमा लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है।
- बिजली के लिए **तमिलनाडु के TANGEDCO के साथ हमारे बैंक भुगतान प्रणाली के साथ एकीकरण** हमारे ग्राहकों के साथ-साथ अन्य बैंक ग्राहकों को एनईएफटी / आरटीजीएस द्वारा 16 अकों वाले वर्चुअल खाते का उपयोग करके बिल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करना ।
- **आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का भुगतान प्रसंस्करण** एसएफटीपी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को भुगतान प्रसंस्करण के लिए सुरक्षित तंत्र का उपयोग करके एक स्वचालित समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय समुद्री पोर्टल के साथ एकीकरण**, जिससे व्यापारिक साझेदारों और अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला में शामिल सभी ग्राहकों को प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, बिलों का भुगतान और केनरा बैंक नेट बैंकिंग विकल्प के माध्यम से अपने बंदरगाह जमा खाते को बढ़ाने की सुविधा मिल सके।
- **केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए आधार आधारित भुगतान** को सीएसएस पोर्टल के माध्यम से सक्षम किया गया है, ताकि केन्द्रीय या राज्य सरकार निकायों को विभिन्न योजनाओं के भुगतान को सीधे लाभार्थियों के आधार संख्या से जुड़े खातों में वितरित करने की सुविधा हो।
- **Aadhaar Enabled Payment system at BC Channels has been fine-tuned** and overall Technical Declines maintained well below 1%.
- **Sponsor E-mandate Facility:** This has been introduced to facilitate Borrowers to lodge the mandate for loan payments and can be validated by using Aadhaar details through our Bank's Corporate Website.
- **Bulk Multiple Payment Functionality for TIN Portal:** has been introduced to facilitate Corporate customers to do Tax payments in bulk directly through Canara Bank Tax Portal on behalf of their clients.
- **AEPS OFF US Cash Deposit has been enabled** which facilitates Customers to perform inter-bank cash deposit transactions through BC Terminals.
- **Integration of Our Bank payment system with TANGEDCO of Tamil Nadu for electricity bill payments** for facilitating our customers as well as other bank customers to do bill payments using a 16-digit virtual account by NEFT / RTGS.
- **Payment processing of Ayushman Bharat Jan Arogya Yojna through SFTP** has been enabled to provide an automated solution using secured mechanism for processing payments to National Health Agency.
- **Integration with National Marine Portal** to facilitate all the customers involved in the Marine Transport and logistics chain including trading partners and end-users to do Direct Bank Transfers, payment of bills and to top-up their port deposit account through Canara Bank Net Banking Option.
- **Aadhaar Based Payment for Central Sponsored Schemes and Central Sector Scheme** has been enabled through CSS portal to facilitate Central or State Government Bodies to disburse payments of different schemes directly to the beneficiaries' accounts linked with their Aadhaar number.

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन अभियान के रूप में, बैंक अपने उत्पादों और सेवाओं को समाज के वित्तीय रूप से बहिष्कृत और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को उपलब्ध कराता है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक वित्तीय समावेशन प्रयासों में सक्रिय रहा है, जिसमें बैंकिंग बुनियादी ढांचे का विस्तार, उचित वित्तीय उत्पादों की पेशकश, प्रौद्योगिकी का व्यापक और गहन उपयोग और वित्तीय साक्षरता की वकालत जैसे प्रमुख हस्तक्षेप शामिल हैं।

- बैंक ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हमने 1.95 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं। इसके अतिरिक्त, हम पीएमजेडीबीवाई (69.22 लाख), पीएमएसबीवाई (220.61 लाख) और एपीवाई (30.31 लाख) जैसी योजनाओं में ग्राहकों को नामांकित हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। केनरा बैंक की पहल वंचित समुदायों, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- बैंक ने पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 1.95 करोड़ खाते खोले हैं, जिनमें कुल बकाया राशि 11655 करोड़ रुपये है तथा प्रति खाता औसत शेष राशि 5965 रुपये है।
- बैंक के पास 13167 बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट हैं, जिनमें से 5428 एसएसए और 7739 गैर एसएसए स्थान (एसएसए: उप-सेवा क्षेत्र) हैं।
- बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के साथ-साथ बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा प्रवर्तित एफएलसी के मामलों की देखभाल करने के लिए प्रबंध ट्रस्टी और उप प्रबंध ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित 'केनरा वित्तीय सलाहकार ट्रस्ट' का गठन किया। देश भर के जिलों और ब्लॉक स्तर पर बैंक के कुल 152 एफएलसी (केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित 115 एफएलसी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) द्वारा प्रायोजित 37 एफएलसी) हैं, जिनका प्रबंधन परामर्शदाताओं और सहायक परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। परामर्शदाताओं को बैंकिंग, कानून, वित्त, अपेक्षित संप्रेषण

FINANCIAL INCLUSION

As a part of financial inclusion drive, the Bank makes its products and services available to financially excluded and marginalized sections of the society. As per the Government of India and the Reserve Bank of India directions, the Bank has been proactive in financial inclusion efforts, with key interventions, viz., expanding banking infrastructure, offering appropriate financial products, making extensive & intensive use of technology and advocacy of financial literacy.

- Bank has made significant efforts to empower underserved communities through the implementation of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). We have opened 1.95 crore of PMJDY accounts. Additionally, we have been enrolled in schemes like PMJJBY (69.22 Lakh), PMSBY (220.61 lakh), and APY (30.31 lakh), further enhancing their financial security. Canara Bank's initiatives demonstrate their strong commitment to underserved communities, financial inclusion and socio-economic empowerment.
- Bank has opened 1.95 crore accounts under PMJDY, having total outstanding balance of ₹11655 Crore in those accounts with average balance of ₹5965 per account.
- Bank has 13167 Business Correspondent locations out of which 5428 are SSA and 7739 are Non-SSA locations. (SSA: Sub-Service Area)
- Bank formed 'Canara Financial Advisory Trust' managed by Managing Trustee and Deputy Managing Trustee to take care of the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank as well as the FLCs promoted by the Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank. The Bank has total 152 FLCs (115 FLCs sponsored by Canara Bank and 37 FLCs sponsored by RRBs) in districts & blocks level across the country, managed by the Counsellors and Asst. Counsellors. Counsellors should have sound knowledge of banking, law, finance, requisite communication

और टीम निर्माण कौशल आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कृषि डोमेन ज्ञान रखने वाले सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक आदि जैसे व्यक्तियों को क्रेडिट परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एफएलसी का व्यापक उद्देश्य मुफ्त वित्तीय साक्षरता/शिक्षा और क्रेडिट परामर्श प्रदान करना होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 23,817 एफएलसी शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 20,41,190 व्यक्तियों को शिक्षित किया गया और 1,15,651 व्यक्तियों को परामर्श दिया गया।

- आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, आरबीआई के डीईएएफ और नाबार्ड के एफआईएफ के एनजीओ के सहयोग से वित्त पोषण के साथ 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 243 सीएफएल चल रहे हैं। फंडिंग एजेंसी दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय रूप से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएफएल को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनजीओ को परिचालन व्यय का 90% और पूंजीगत व्यय का 100% प्रदान कर रही है।
- चालू वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 5078 मृत्यु दावों का निपटारा किया, जिनकी कुल राशि ₹101.56 करोड़ थी, और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,503 मामले, जिनकी कुल राशि ₹29.76 करोड़ थी। अपनी स्थापना के बाद से, बैंक ने प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना योजना के तहत 37,079 मृत्यु दावों का निपटारा किया है, जिनकी कुल राशि ₹741.58 करोड़ थी, और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 8,753 मामले, जिनकी कुल राशि ₹173.69 करोड़ थी।

मार्च 2024 तक नवीनीकरण सहित योजना नामांकन

(₹ लाख में)

| नवीनीकरण सहित योजना नामांकन | मार्च 2024 तक |
|---|---------------|
| प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) | 69.22 |
| प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) | 220.61 |
| अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सक्रिय नामांकन | 30.31 |

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 31 मार्च 2024 तक बकाया खातों की संख्या 248494 है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सुकन्या समृद्धि योजना के तहत नए खातों की संख्या 64560 है।

and team building skills, etc. Individuals such as retired Bank officers, with domain knowledge in agriculture, ex-servicemen, etc. may be engaged as credit counsellors. The broad objective of the FLCs will be to provide free financial literacy/ education and credit counselling. During FY 2023-24, 23,817 FLC camps were conducted wherein 20,41,190 persons were educated and 1,15,651 persons were counselled.

- As per RBI directions, 243 CFLs are running across 8 States and one Union Territory with funding from DEAF of RBI and FIF of NABARD collaboration with NGOs. Funding Agency is providing 90% of OPEX and 100% of CAPEX to NGOs for running CFLs smoothly to spread Financial education to financial excluded persons in remote areas.
- During the year 2023-24, the bank settled 5078 death claims under the PMJJBY, totalling ₹101.56 crore, and 1,503 cases under PMSBY, amounting to ₹29.76 crore. Since its inception, the bank has settled 37,079 death claims under the PMJJBY scheme, totaling ₹741.58 crore, and 8,753 cases under PMSBY, amounting to ₹173.69 crore

Scheme Enrolments including Renewals as at March 2024

(₹ In Lakhs)

| Scheme Enrolments including Renewal | As at March 2024 |
|--|------------------|
| Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana(PMJJB) | 69.22 |
| Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana(PMSBY) | 220.61 |
| Atal Pension Yojana (APY) Active Enrollment | 30.31 |

Under Sukanya Samridhi Yojana, the outstanding number of accounts as on 31st March 2024 is 248494 accounts. Number of fresh enrolments under Sukanya Samridhi Yojana during FY 2023-24 is 64560.

आधार नामांकन अद्यतन केंद्र:

बैंक आधार नामांकन के लिए रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी है। यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने 796 एएसके स्थापित किए हैं, जिनमें बैंक के लिए 500 केंद्र और 4 प्रायोजित आरआरबी (केएजीबी 116, केजीबी 62, केवीजीबी 63 और एपीजीबी 55) के लिए 296 केंद्र शामिल हैं।

महिला सशक्तीकरण:

प्रधान कार्यालय में महिला सशक्तिकरण अनुभाग और देश भर में 24 अंचल कार्यालयों तथा 176 क्षेत्रीय कार्यालयों में महिला उद्यमिता विकास केंद्र (सीईडीडब्ल्यू) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। इन महिला उद्यमिता विकास केंद्रों ने संभावित उद्यमियों तक पहुँच बनाई है, परामर्श दिया है, उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं का समर्थन किया है, वित्त प्रदान किया है और विपणन सुविधाओं की व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान महिला उद्यमिता विकास केंद्रों द्वारा कुल 386 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी:

31.03.2024 तक, हमारे बैंक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:

- दो राज्यों अर्थात् कर्नाटक और केरल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) संयोजक तथा लक्षद्वीप में संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) संयोजक।
- 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी अर्थात् आंध्र प्रदेश (6), बिहार (1), दिल्ली (3), हरियाणा (3), लक्षद्वीप (1), कर्नाटक (15), केरल (7), तमिलनाडु (7), तेलंगाना (4) और उत्तर प्रदेश (14)।

AADHAAR ENROLMENTS UPDATION CENTRES:

The Bank is a Registrar and Enrolment Agency for Aadhaar Enrolment. As per UIDAI guidelines, Bank has established 796 ASKs, comprising of 500 centres for the Bank and 296 centres for the 4 sponsored RRBs (KAGB 116, KGB 62, KVGB 63 & APGB 55).

EMPOWERING WOMEN:

Women Empowerment Section at Head Office and Centre for Entrepreneurship Development for Women (CEDW) at 24 Circle Offices and 176 Regional offices across the country are working relentlessly towards economic empowerment of women. These CEDWs have reached potential entrepreneurs, undertaken counselling, supported their training needs, provided finance and arranged marketing facilities. A total of 386 Programmes were organized by the CEDWs during FY 2023-24.

Lead Bank Responsibility:

As on 31.03.2024, our Bank has been assigned with:

- State Level Bankers Committee (SLBC) convenorship in two states i.e. Karnataka & Kerala and Union Territory Level Banker's Committee (UTLBC) convenorship in Lakshadweep.
- Lead Bank Responsibility in 61 Districts across 8 States and 2 Union Territories viz. Andhra Pradesh (6), Bihar (1), Delhi (3), Haryana (3), Lakshadweep (1), Karnataka (15), Kerala (7), Tamil Nadu (7), Telangana (4) & Uttar Pradesh (14).

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण

1. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न स्तरों पर एससी / एसटी / ओबीसी के अपेक्षार्थियों द्वारा भरे गए पदों का विवरण
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, हमारे बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 800 कर्मचारियों की भर्ती की। वर्गवार प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

| संवर्ग | कुल | एससी | एसटी | ओबीसी |
|----------|-----|------|------|-------|
| अधिकारी | 639 | 100 | 46 | 177 |
| क्लर्क | 111 | 16 | 7 | 26 |
| सब-स्टाफ | 50 | 19 | 8 | 14 |
| कुल | 800 | 135 | 61 | 217 |

Welfare of SC / ST / OBC Categories

1. Details of the posts filled up by candidates of SC / ST / OBCs during the FY 2023-24 at various levels.
During the FY 2023-24, our Bank recruited 800 employees in various cadres. The category wise representation is as under:

| Cadre | Total | SCs | STs | OBCs |
|-----------|-------|-----|-----|------|
| Officer | 639 | 100 | 46 | 177 |
| Clerk | 111 | 16 | 7 | 26 |
| Sub-Staff | 50 | 19 | 8 | 14 |
| Total | 800 | 135 | 61 | 217 |

2. संगठन में एससी / एसटी / ओबीसी का प्रतिनिधित्व
31 मार्च 2024 तक हमारे बैंक में एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

| संवर्ग | एससी | एसटी | ओबीसी |
|----------|--------|-------|--------|
| अधिकारी | 9,325 | 4,196 | 16,894 |
| क्लर्क | 3,605 | 1,257 | 6,269 |
| सब-स्टाफ | 4,062 | 752 | 3,010 |
| कुल | 16,992 | 6,205 | 26,173 |

2. SC / ST / OBCs Representation in the Organization

The representation of SCs / STs / OBCs employees in our Bank as on 31st March 2024 is as under:

| Cadre | SCs | STs | OBCs |
|-----------|--------|-------|--------|
| Officer | 9,325 | 4,196 | 16,894 |
| Clerk | 3,605 | 1,257 | 6,269 |
| Sub-Staff | 4,062 | 752 | 3,010 |
| Total | 16,992 | 6,205 | 26,173 |

3. वर्ष के दौरान एससी / एसटी / ओबीसी के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम / भर्ती अभियान आयोजित किए गए

| एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| वर्ग | प्रशिक्षणों की संख्या | अधिकारियों की संख्या |
| एससी | 115 | 5216 |
| एसटी | | 1717 |
| ओबीसी | 122 | 7244 |
| विदेशी प्रशिक्षण / कार्यशालाओं में भाग लेने वाले एससी / एसटी / ओबीसी कर्मचारियों की संख्या | | |
| वर्ग | प्रशिक्षणों की संख्या | अधिकारियों की संख्या |
| एससी | 5 | 5 |
| एसटी | शून्य | |
| ओबीसी | 3 | 3 |

3. Special Training Programs / Recruitment Drives conducted during the year for SC / ST / OBCs.

| Pre-promotion Training for SC / ST / OBC Employees | | |
|--|------------------|------------------|
| Category | No. of Trainings | No. of Officials |
| SC | 115 | 5216 |
| ST | | 1717 |
| OBC | 122 | 7244 |
| Foreign Training / Workshops attended by SC / ST / OBC Employees | | |
| Category | No. of Trainings | No. of Officials |
| SC | 5 | 5 |
| ST | Nil | |
| OBC | 3 | 3 |

4. एससी / एसटी / ओबीसी के कल्याण / उत्थान हेतु अन्य उपाय

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कल्याण की निगरानी के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान कार्यालय में आरक्षण कक्ष की स्थापना की गई है।
- बैंक ने सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में एससी/एसटी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक मुख्य महाप्रबंधक और ओबीसी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महाप्रबंधक की नियुक्ति की है। बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों की शिकायतों और उनके कल्याण के लिए बैंक के अपने सभी अंचल कार्यालयों में संपर्क अधिकारी भी नामित किए हैं।
- प्रधान कार्यालय में आरक्षण कक्ष बैंक के मुख्य कार्यकारी के साथ क्रमशः बहुसंख्यक एससी / एसटी कल्याण संघ

4. Other Measures for Welfare / Upliftment of SC / ST / OBC

- Reservation Cell has been setup at Head Office in accordance with the Govt. guidelines to monitor the welfare of SC / ST / OBC employees.
- Bank has appointed a Chief General Manager as Chief Liaison Officer for SC/STs and also a General Manager as Chief Liaison Officer for OBCs in compliance with the Govt. guidelines. Bank has also nominated Liaison Officers at all its Circle Offices of the Bank to look after the grievances and welfare of SC / ST / OBCs.
- Reservation Cell at Head Office is conducting the mandatory quarterly and half yearly meetings

और ओबीसी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ अनिवार्य त्रैमासिक और अर्धवार्षिक बैठकें आयोजित करता है। बैंक के अंचल कार्यालयों में बहुसंख्यक एससी / एसटी संघ के साथ त्रैमासिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं, और शिकायतें, यदि कोई हों, का निवारण अंचलों में संपर्क अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

- (v) एनसीएससी और एनसीएसटी की सिफारिशों के आधार पर एससी / एसटी कर्मचारियों की रोजगार / सेवा शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय में सीएलओ सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए एससी / एसटी के लिए एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।
- (vi) बैंक, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप एससी / एसटी/ ओबीसी को पदोन्नति पूर्व और भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है।

with the representatives of the majority SC / ST Welfare Association and OBC Welfare Association respectively with the Chief Executive of the Bank. Quarterly meetings with the majority SC / ST association are also conducted at Circles Offices of the Bank and grievances, if any, are redressed by the Liaison Officers at Circles.

- (iv) An Internal Grievance Redressal Committee for SC / STs consisting of Senior Officials of the Bank including CLO has been formed at Head Office for redressal of employment / service grievances of SC / ST employees based on the recommendations of NCSC and NCST.
- (v) Bank is providing pre-promotion and pre-recruitment trainings to SC / ST / OBCs in tune with the Govt. guidelines.

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन और कारोबार

बैंक की 4 विदेशी शाखाएँ हैं, अर्थात् लंदन (यू.के.), न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.), दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर - डी.आई.एफ.सी. (यू.ए.ई.) और आई.बी.यू. गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात। उपरोक्त 4 शाखाओं के अलावा, बैंक का शारजाह (यू.ए.ई.) में एक प्रतिनिधि कार्यालय और दार एस सलाम (तंजानिया) में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड है।

मार्च 2024 तक विदेशी शाखाओं का कुल कारोबार ₹149,835 करोड़ है, जिसमें ₹97,415 करोड़ की जमा राशि और ₹52,420 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है। विदेशी कारोबार बैंक के वैश्विक कारोबार का 6.59% है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई खोली है जो 05.09.2023 से चालू है। बैंक ने तंजानिया में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड के विनिवेश / समापन की दिशा में भी प्रगति की है, जिसके इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

आस्ति गुणवत्ता

मार्च 2024 तक बैंक का सकल एनपीए ₹40605 करोड़ रहा, जो सकल अग्रिमों का 4.23% था और निवल एनपीए ₹11823 करोड़ रहा, जो निवल अग्रिमों का 1.27% था। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली सहित संचयी नकद वसूली ₹10038 करोड़ और उन्नयन ₹1035 करोड़ रहा। मार्च 2024 तक प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 89.10% रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली के तहत ₹6718 करोड़ की वसूली की है। वर्ष के दौरान स्लिपेज को ₹10457 करोड़ तक सीमित रखा गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 2044 संपत्तियां बेची गईं, जिनकी कीमत ₹1665 करोड़ थी और सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के कारण 2822 खातों का निपटान / बंद / अपग्रेड किया गया, जिसकी कीमत ₹1013 करोड़ थी। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7541 रिकवरी मीट आयोजित की, जिसके परिणामस्वरूप ₹6390 करोड़ की बही देयता को कवर करने वाले 360872 खातों का निपटान हुआ। इसके अलावा, बैंक ने स्लिपेज को रोकने और अतिदेय ऋण खातों से वसूली में तेजी लाने के लिए कई पहल कीं। इनमें शाखा स्तर पर कैन अदालतों का आयोजन, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्लस्टर अदालतें और एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के लिए अंचल कार्यालय स्तर पर मेगा अदालतें, जिला स्तर पर

INTERNATIONAL OPERATIONS AND BUSINESS

The Bank has 4 overseas branches, viz., London (UK), New York (USA), Dubai International Financial Center - DIFC (UAE) and IBU GIFT CITY Gandhinagar, Gujarat. Besides the above 4 branches, the Bank has a Representative Office at Sharjah (UAE) and a wholly owned subsidiary; Canara Bank (Tanzania) Limited at Dar Es Salam (Tanzania).

Total Business of the overseas branches aggregates to ₹149,835 Crore comprising of deposits to the tune of ₹97,415 Crore and advances to the tune of ₹52,420 Crore as at March 2024. Overseas business constituted 6.59% of the Bank's global business.

During the year, Bank has opened an International Banking Unit at GIFT CITY, Gandhinagar, Gujarat which is operational from 05.09.2023. Bank has also progressed towards divestment / winding up of Canara Bank (Tanzania) Limited, a wholly owned subsidiary in Tanzania which is expected to be completed by the end of this year.

ASSET QUALITY

Gross NPA of the Bank stood at ₹40605 crore, accounting for 4.23% of Gross Advances and Net NPA stood at ₹11823 crore, accounting for 1.27% of Net Advances as at March 2024. The cumulative Cash Recovery including Recovery in written-off accounts stood at ₹10038 crore and upgradation at ₹1035 crore during FY 2023-24. Provision Coverage Ratio (PCR) stood at 89.10% as at March 2024. Bank has recovered ₹6718 crore under recovery in written-off accounts during FY 2023-24. Slippage during the year has been contained to ₹10457 crore.

During FY 2023-24, 2044 properties were sold amounting ₹1665 crore and 2822 accounts were settled / closed/ upgraded amounting to ₹1013 crore on account of initiating actions under the SARFAESI Act. The Bank conducted 7541 Recovery Meets during FY 2023-24 that has resulted in settlement of 360872 accounts covering book liability of ₹6390 Crore. Besides, the Bank took several initiatives to contain slippages and speed up recovery from overdue loan accounts. These include, conduct of Can Adalats at branch level, cluster Adalats at regional office level and Mega Adalats at Circle office level for one time settlements (OTS), Lok Adalats at district level, regular follow-up of overdue in loan

लोक अदालतें, कॉल सेंटर के माध्यम से ऋण खातों में अतिदेय का नियमित अनुवर्तन, जब्त संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ कड़े वसूली उपायों की शुरु करना शामिल है। मार्च 2024 तक 1757 इरादतन चूककर्ताओं थे, जिन पर ₹16321 करोड़ बकाया था।

31.03.2024 तक, 374 मामलों को समाधान के लिए आईबीसी के तहत एनसीएलटी को भेजा गया है, जहां हमारे बैंक का लगभग ₹37683 करोड़ का एक्सपोजर (बही दायित्व) है। उपरोक्त मामलों में से, हमारे बैंक ने ₹6833 करोड़ की बुक लायबिलिटी से जुड़े 87 मामलों में एनसीएलटी आवेदन दायर करके समाधान प्रक्रिया शुरू की है। कुल 374 एनसीएलटी रेफर किए गए मामलों में से, एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए 326 मामलों में, हमारे बैंक की कुल स्वीकृत दावा राशि ₹50853 करोड़ है। आईबीसी के तहत एनसीएलटी को भेजे गए इन मामलों में, हमारा बैंक समाधान / परिसमापन के माध्यम से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पर्याप्त वसूली की उम्मीद कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने एनसीएलटी को भेजे गए मामलों के माध्यम से ₹1476 करोड़ वसूल किए। उपरोक्त के अलावा, बैंक ने छोटे मूल्य के कृषि / शिक्षा / ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनीकरण ऋण खातों के निपटान के लिए विभिन्न विशेष ओटीएस योजनाएं भी तैयार की हैं।

मार्च 2024 तक, बकाया तनावग्रस्त संपत्ति पोर्टफोलियो (पुनर्गठित मानक खातों सहित) ₹65194 करोड़ था, जो सकल अग्रिम का 6.79% था।

जोखिम प्रबंधन

बैंक का जोखिम प्रबंधन सभी प्रासंगिक जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी और शमन सुनिश्चित करता है और व्यापक समाधानों के लिए अपने कार्य को संरेखित करता है। यह जोखिम प्रभाव रैंकिंग और जोखिम भूख के आधार पर प्रभावी संसाधन आवंटन के लिए निर्णय-सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करता है। जोखिमों और अवसरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रणनीतिक निर्णय लिए जाते हैं।

बैंक में जोखिम प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नियामक और कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन तथा जोखिम और लाभ के बीच संतुलन प्राप्त करना है, साथ ही जोखिम और व्यावसायिक कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

जोखिम प्रबंधन नीतियों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें व्यावसायिक रणनीतियां, पूंजी शक्ति, जोखिम क्षमता, कानून और विनियमन शामिल होते हैं, ताकि सभी प्रासंगिक और उभरते जोखिमों का विश्लेषण करने में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य किया जा सके।

accounts through Call Centre, conduct of e-auctions for sale of seized assets and initiation of stringent recovery measures against wilful defaulters. As on March 2024, there were 1757 wilful defaulters with an outstanding amount of ₹16321 Crore.

As on 31.03.2024, 374 cases have been referred to NCLT under IBC for resolution, where our Bank is having exposure (book liability) of around ₹37683 crores. Out of the aforesaid cases, our Bank has initiated the resolution process by filing NCLT application in 87 cases involving book liability of ₹6833 crore. Out of total 374 NCLT referred cases, in 326 cases admitted by NCLT, our Bank's aggregate admitted claim amount is ₹50853 crore. In these cases referred to NCLT under IBC, our Bank is expecting substantial recovery during FY 2024-25 through resolution / liquidation. During FY 2023-24, Bank recovered ₹1476 Crore through cases referred to NCLT. Apart from the above, Bank has also formulated various special OTS Schemes for settlement of small value Agriculture / Education / Tractor and other Farm mechanization loan accounts.

As on March 2024, the outstanding Stressed Assets Portfolio (including restructured Standard Accounts) stood at ₹65194 Crore, accounting for 6.79% of Gross Advances.

RISK MANAGEMENT

Bank's Risk Management ensures identification, measurement, monitoring and mitigation of all pertinent risks and aligns its function for comprehensive solutions. It acts as decision-enabler for effective resource allocation based on the risk impact ranking and risk appetite. Strategic decisions are taken after careful consideration of risks and opportunities.

The guiding principles to manage risk in the Bank is compliance of regulatory and legal requirements and achieving balance between risk and return, while ensuring independence of risk and business functions.

Risk Management Policies are approved by the Board, duly encompassing business strategies, capital strength, risk appetite, laws & regulation in order to function efficiently and effectively in analyzing all pertinent and emerging risks.

निदेशक मंडल सर्वोच्च शासी निकाय है और इसे बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और विभिन्न कार्यकारी स्तर की जोखिम प्रबंधन समितियों जैसे उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएमसी), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), समूह जोखिम प्रबंधन समिति (जीआरएमसी) आदि द्वारा विधिवत सहायता प्रदान की जाती है। बैंक में जोखिम शासन और संस्कृति को अधिक व्यापक बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ देश भर में प्रशासनिक इकाइयों में स्थानीय जोखिम प्रबंधन समितियां भी बनाई गई हैं।

प्रभावी जोखिम संस्कृति और शासन कार्यों को संस्थागत बनाने के लिए, बैंक ने आश्वासन समिति भी स्थापित की है जिसमें जोखिम, अनुपालन और निरीक्षण शामिल हैं - जिससे रक्षा की विभिन्न पंक्तियों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।

यद्यपि बैंक अपने जोखिमों को मापने के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण का पालन करता है, फिर भी वह बेसल III ढांचे के स्तंभ I के अंतर्गत अपने सभी भौतिक जोखिमों (ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम) की पहचान करने और उन्हें मापने के लिए उन्नत दृष्टिकोण की ओर सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है।

बैंक ने साख नीति और साख जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है जो क्रेडिट जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण / शमन तथा सक्रिय रूप से प्रबंधन के लिए बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। बैंक ने उधारकर्ताओं की आंतरिक रेटिंग (आंतरिक रूप से विकसित मॉडल), ऋण / ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया और ऋण निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली भी स्थापित की है। ऋण समीक्षा और निगरानी की पूरी प्रक्रिया ऋण प्रशासन और निगरानी विभाग द्वारा विधिवत प्रशासित की जाती है। इसके अलावा बैंक का जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण ढांचा साख जोखिम का उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है।

बाजार जोखिम को एक अच्छी तरह से परिभाषित बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत ट्रेजरी नीति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है जो सीमाओं / ट्रिगर्स के माध्यम से जोखिम को पकड़ती है। जोखिम प्रबंधन विभाग का मध्य कार्यालय दैनिक आधार पर सीमाओं की निगरानी करता है। बाजार जोखिम सीमाओं और ट्रिगर्स की प्रभावी और समय पर निगरानी के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार किया गया है।

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा नैतिकता, संगठन संस्कृति और मजबूत परिचालन प्रक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल है। बैंक ने परिचालन जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति

Board of Directors is the highest governing body and is duly assisted by the Risk Management Committee of the Board (RMCB) and various executive level risk management committees viz., Enterprise Risk Management Committee (ERMC), Credit Risk Management Committee (CRMC), Market Risk Management Committee (MRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC), Asset Liability Management Committee (ALCO), Group Risk Management Committee (GRMC) etc. To meet the goal of making risk governance and culture more pervasive all across the Bank, local risk management committees are also formed at administrative units throughout the country with active involvement of field functionaries.

In order to institutionalize effective risk culture and governance functions, the Bank has also set-up Assurance Committee which comprises of Risk, Compliance & Inspection - bolstering collaboration across different lines of defense.

While the Bank follows standardized approach to measure its risks, it is actively pursuing in moving towards advanced approach to identify and measure all its material risks (credit, market and operational risk) under Pillar I of Basel III framework.

Bank has put in place Credit Policy and Credit Risk Management Policy which articulates Bank's approach to identify, measure, monitor & control / mitigate and actively manage Credit risk. Bank also has in place a robust system for internal rating (internally developed models) of the borrowers, appraisal of loan / credit proposals, credit approval process and credit monitoring. The entire process of the Loan review and monitoring is duly administered by the Credit Administration & Monitoring Wing. Apart from this Bank's risk based pricing framework ensure adequate pricing of credit risk.

Market risk is managed through a well-defined Board approved Market Risk Management Policy and Integrated Treasury Policy that captures risk through limits / triggers. Mid Office of Risk Management Wing monitors the limits on a daily basis. A reporting framework has been put in place for effective and timely monitoring of market risk limits and triggers.

Operational Risk Management framework in the Bank is based on ethics, organization culture and strong operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting and



अपनाई है, जिसमें परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा, आउटसोर्सिंग गतिविधियाँ और कारोबार निरंतरता योजना, प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), जोखिम नियंत्रण और स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यशालाएँ शामिल हैं, ताकि परिचालन जोखिमों को मापा और प्रबंधित किया जा सके।

बैंक की एएलएम कार्यनीति बैंक की तुलन पत्र प्रोफ़ाइल के साथ निवल ब्याज मार्जिन को इष्टतम स्तर पर बनाए रखते हुए सिस्टम में पर्याप्त तरलता बनाए रखने का प्रयास करती है। लंबे समय में बैंक का लक्ष्य रिटर्न ऑन एसेट (आरओए) और रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) में सुधार करके शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है।

बैंक तरलता जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए सभी मानक उपकरणों जैसे संरचनात्मक तरलता विवरण (एसएलएस), तरलता अनुपात, बेसल परिभाषित तनाव तरलता अनुपात जैसे तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) का उपयोग करता है।

ब्याज दर संवेदनशीलता (आईआरएस) विवरण का उपयोग परिसंपत्तियों और देनदारियों के पुनर्मूल्यन अंतराल और विभिन्न दर चक्र आंदोलन के तहत बैंक की कमाई (यानी जोखिम पर कमाई) पर इसके परिणामस्वरूप प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। शेयरधारक के निवल मूल्य पर बाजार ब्याज दर में परिवर्तन का दीर्घकालिक प्रभाव इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन (Δ EVE) दृष्टिकोण के माध्यम से मापा जाता है।

गंभीर तरलता संकट और प्रतिकूल ब्याज दर परिवर्तन के तहत बैंक की लचीलेपन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तनाव परीक्षण परिदृश्यों का उपयोग किया जाता है।

बाजार चरों के संभावित प्रतिकूल आंदोलन के आधार पर - बैंक अंतर्निहित ट्रिगर बिंदुओं के साथ आकस्मिक निधि योजना (सीएफपी) विकसित करता है और विभिन्न कारोबार और प्रशासनिक इकाइयों में कार्रवाई योग्य परिभाषित करता है।

तरलता और ब्याज दर तथा समष्टि आर्थिक चरों पर विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर - बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) बैंक के लिए वृद्धिशील परिसंपत्ति और देयता मिश्रण पर निर्णय लेती है, साथ ही बैंक की तुलन पत्र की विभिन्न ब्याज वाली परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में आवश्यक परिवर्तन भी करती है।

बैंक ने समेकित समूह स्तर पर जोखिमों का आकलन, पहचान और निगरानी करने के लिए समूह जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू की है। बैंक का समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (जीसीआरओ) समूह संस्थाओं की जोखिम प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी कर रहा है।

contingency planning. The Bank has adopted policy for management of Operational Risk, which covers aspects, such as Operational Risk Management framework, Outsourcing Activities and Business Continuity Plan, Key Risk Indicators (KRI), Risk Control & Self-Assessment (RCSA) workshops to measure and manage Operational Risks.

The ALM strategy of the Bank strives to maintain adequate liquidity in the system while maintaining NIM at optimum level with given balance-sheet profile of the Bank. In the long run, the Bank aims to maximize shareholders' wealth by improving Return on Asset (RoA) and Return on Equity (RoE).

Bank deploys all standard tools viz., Structural Liquidity Statement (SLS), liquidity ratios, Basel defined stress liquidity ratios viz., Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) to measure and manage liquidity risk.

Interest Rate Sensitivity (IRS) Statements are used to measure repricing gaps of assets and liabilities and its consequent impact on Bank's earning (i.e., Earning at Risk) under different rate cycle movement. A long-term impact of change in market interest rate on shareholder's net-worth is measured through change in economic value of equity (Δ EVE) approach.

Different stress test scenarios are further used to evaluate the resilience of the Bank under severe liquidity run-off and adverse interest rate movement.

Based on the probable adverse movement of market variables - the Bank develops Contingency Funding Plan (CFP) with inbuilt trigger points and defined actionable across different business and admin units.

Based on the various reports on liquidity and interest rate and macroeconomic variables - the Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank decides on the incremental asset & liability mix for the Bank along with required changes needed in rate of interest on various interest bearing assets & liabilities of the Bank's balance-sheet.

The Bank has put in place a Board approved Policy on Group Risk Management to assess, identify and monitor risks at consolidated group level. The Group Chief Risk Officer (GCRO) of the Bank is supervising the risk management activities of the Group Entities.

बैंक बेसल III ढांचे के स्तंभ II के अंतर्गत अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) के भाग के रूप में गुणात्मक और / या मात्रात्मक रूप से अन्य आसन्न जोखिमों जैसे एकाग्रता, प्रतिष्ठा, रणनीतिक, अनुपालन, साइबर सुरक्षा, देश जोखिम और अन्य अवशिष्ट जोखिमों का भी विश्लेषण करता है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) बैंकों के लिए उभरते चिंता क्षेत्रों में से एक है। इसके महत्व को देखते हुए, बैंक ने ईएसजी से संबंधित अनुपालन शुरू किया है और ईएसजी प्रथाओं के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक ईएसजी समिति (जीएम / सीजीएम स्तर) और ईएसजी कार्य समूह (एजीएम / डीजीएम स्तर) का गठन किया है और बोर्ड स्तर की उप समिति इसकी देखरेख कर रही है। बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति - स्थिरता ढांचा और ईएसजी वक्तव्य लागू किया है जो बैंक की प्रतिबद्धता, पहल और कार्यों का सारांश है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित होकर इसके संस्थापक सिद्धांतों के आसपास बनाया गया है।

बैंक अपने कामकाज की सार्थक जानकारी के लिए अपने हितधारकों के समक्ष सभी प्रासंगिक जोखिमों और शमन योजना का खुलासा करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाता है।

इस तथ्य की पूरी तरह सराहना करते हुए कि उन्नत जोखिम प्रबंधन पद्धतियां निर्बाध डेटा प्रवाह और इसकी अखंडता पर आधारित हैं, प्रभावी और समय पर प्रबंधन कार्रवाई के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं - बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के स्वचालन पर काम शुरू कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

बैंक को डाटा सेंटर, डाटा सेंटर के निकट, आपदा रिकवरी स्थल, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त है।

बैंक ने आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन में अपग्रेड किया है। लेखापरीक्षण पूरा हो चुका है और बैंक को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। यह प्रमाणन 11/04/2026 तक वैध है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और पाया गया है कि यह आईएसओ 27001:2022 मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

Bank also analyses other imminent risks like concentration, reputational, strategic, compliance, cyber security, country risk and other residual risks both qualitatively and / or quantitatively as part of its Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar II of Basel III framework.

Environmental, Social and Governance (ESG) is one of the emerging concern areas for Banks. Envisaging the importance, Bank has initiated ESG related compliance & has formed a ESG Committee (GM / CGM level) & ESG Working Group (AGM / DGM level) for overall implementation of ESG practices and Board Level Sub Committee is overseeing the same. Bank has in place the Board approved ESG Policy - the Sustainability Framework and ESG Statement which is a synopsis of the Bank's commitment, initiatives & actions, built around its Founding Principles, in alignment with the United Nation's Sustainable Development Goals (SDGs).

Bank follows responsible and transparent approach while disclosing all relevant risks and mitigation plan to its stakeholders for meaningful insight into the functioning of the Bank.

Fully appreciable of the facts that the advance risk management practices are all about seamless data flow and its integrity, leveraged by technology for effective and timely management action - the Bank has embarked upon automation of its risk management system and processes.

COMPLIANCE TO INTERNATIONAL STANDARDS

Bank is certified with ISO 27001:2013 for Data Centre, Near Data Centre, Disaster Recovery Site, Information Technology Wing and Technology Operations Wing.

Bank has undergone upgradation of ISO 27001:2013 certification to ISO 27001:2022 certification. Audit has been completed and Bank is certified with ISO 27001:2022. The certification is valid till 11/04/2026.

It is certified that the Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001:2022 standard.

एकीकृत कोष

मार्च 2024 तक बैंक का कुल घरेलू निवेश (निवल) ₹3,54,656.28 करोड़ रहा। निवेश पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि और बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) पोर्टफोलियो मार्च 2024 तक क्रमशः 4.64 और 3.53 था। 31 मार्च 2024 तक निवेश पर प्रतिफल 6.91% था। निवेश पोर्टफोलियो के सक्रिय मंथन के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू ट्रेजरी परिचालन के तहत व्यापार लाभ ₹1,121.04 करोड़ है।

बैंक प्राथमिक डीलर के रूप में सरकारी प्रतिभूति बाजार में सक्रिय खिलाड़ी बना हुआ है। अंडरराइटिंग के लिए प्रस्तुत बोलियों की कुल राशि ₹2,89,495 करोड़ थी, जिसमें से आरबीआई द्वारा स्वीकृत अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता ₹1,42,803 करोड़ थी। पीडी कारोबार के तहत ट्रेजरी बिलों के संबंध में प्रत्येक छमाही में प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम 40% सफलता अनुपात के मुकाबले, बैंक ने पहली छमाही के दौरान 41.72% और वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए 51.85% हासिल किया है।

12 सितंबर 2023 को, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2023 के नए मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। 31 मार्च 2024 तक हमने 1 अप्रैल 2024 से नए निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी प्रणालियों और नीतियों को अपडेट कर दिया है।

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी व्यापार कारोबार कुल मिलाकर ₹1,86,479 करोड़ रहा, जिसमें निर्यात के अंतर्गत ₹77,787 करोड़, आयात के अंतर्गत ₹42,489 करोड़ और प्रेषण के अंतर्गत ₹66,203 करोड़ शामिल हैं।

अन्य सेवाएं

मर्चेन्ट बैंकिंग

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का मर्चेन्ट बैंकिंग डिविजन

- 284 इक्विटी इश्यू और 48 डेट इश्यू संभाले और बैंक को एएसबीए के माध्यम से 4-5 दिनों के लिए फ्लोट फंड लाभ मिला। बैंक ने एएसबीए और सिंडिकेट एएसबीए फॉर्म के संबंध में ₹49,43,784 का कमीशन एकत्र किया।

INTEGRATED TREASURY

Aggregate investments Domestic (net) of the Bank stood at ₹3,54,656.28 crore as at March 2024. Modified duration of the investment portfolio and Available for Sale (AFS) portfolio stood at 4.64 and 3.53 as at March 2024 respectively. The yield on investments stood at 6.91% as at 31st March 2024. The trading profit under domestic treasury operations during financial year is ₹1,121.04 crore on account of active churning of the investment portfolio.

The Bank continues to be an active player in Government securities market as a Primary Dealer. The total amount of bids submitted for underwriting was ₹2,89,495 crore out of which the underwriting commitment accepted by RBI was ₹1,42,803 crore. With regard to treasury bills under PD business as against minimum success ratio of 40% to be achieved in each half year, the Bank has achieved 41.72% during the first half and 51.85% for second half of Financial Year 2023-24.

On 12th Sept 2023, RBI has issued new Master Direction-Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023 which is applicable from 1st April 2024. As on 31st March 2024 we have updated our systems and policies to comply the new directions w.e.f 1st April 2024.

Foreign Business Turnover of the Bank aggregated to ₹1,86,479 crore, comprising of ₹77,787 crore under exports, ₹42,489 crore under imports and ₹66,203 crore under remittances during the year ended March 2024.

OTHER SERVICES

Merchant Banking

During the Financial year 2023-24 Merchant Banking Division of the Bank:

- Handled 284 Equity Issues and 48 Debt Issues and Bank got float fund benefit for 4-5 days through ASBA. The Bank collected commission of ₹49,43,784 in respect of ASBA and Syndicate ASBA forms.

- 54ईसी कैपिटल गेन बॉण्ड के तहत, बैंक को फरवरी 2023 से जुटाई गई राशि (प्लस लागू जीएसटी) का 0.20% (ब्रोकरेज वार्षिक संग्रह ₹125 करोड़ तक) और 0.22% (ब्रोकरेज वार्षिक संग्रह ₹125 करोड़ से ऊपर) और एक दिन के लिए फ्लोटिंग फंड मिल रहा है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी), भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने बैंक को निजी प्लेसमेंट कैपिटल गेन बॉण्ड इश्यू के लिए "व्यवस्थापक और संग्रहकर्ता बैंकर" के रूप में कार्य करना जारी रखने का जिम्मा सौंपा है।
- वर्ष के दौरान, हमारे बैंक द्वारा एकत्रित/संग्रहित धनराशि संग्रहकर्ता बैंकर के रूप में ₹926.89 करोड़ तथा अरेंजर के रूप में ₹331.81 करोड़ है। हमें अरेंजर फीस के रूप में ₹93.24 लाख प्राप्त हुए हैं।
- वर्ष के दौरान, अनुभाग ने कम्पनियों की 1 मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की और ₹3.25 लाख कमीशन अर्जित किया।
- हमने एटी1 बॉण्ड, टियर II बॉण्ड और एनसीडी के लिए अरेंजर के रूप में भी काम शुरू किया। वर्ष के दौरान हमने अरेंजर फीस के रूप में ₹35.29 लाख कमाए हैं।
- Under 54EC Capital Gain Bonds, Bank is getting 0.20% (up to Brokerage Annual collection of ₹125 Crore) and 0.22% (above Brokerage Annual collection of ₹125 Crore) of the amount mobilized (plus applicable GST) from February 2023 and floating fund for one day.
- Rural Electrification Corporation Ltd (REC), Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC) and Power Finance Corporation(PFC) have entrusted the Bank to continue to act as "Arrangers and Collecting Bankers" for the Private Placement Capital Gain Bond Issues.
- During the year, funds mobilized / Collected by our Bank are ₹926.89 Crore as collecting banker and ₹331.81 Crore as arranger. We have received an Arranger fee of ₹93.24 Lakh.
- During the year, Section has prepared 1 valuation report of the companies and earned commission ₹3.25 Lakh.
- We also initiated the work as arranger for AT1 Bonds, Tier II Bonds and NCDs. During the year we have earned ₹35.29 Lakh on account of arranger fees.

बैंक एश्योरेंस और म्यूचुअल फंड

बैंक ने अपने 'बैंकएश्योरेंस' शाखा के अंतर्गत जीवन और गैर-जीवन बीमा खंडों के साथ करार किया है। वित्त वर्ष

2023-24 के दौरान, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से ₹310.01 करोड़ की कमीशन आय अर्जित किया है। तीनों जीआई भागीदारों अर्थात् द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मेसर्स बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और मेसर्स टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अपने करार से गैर-जीवन (सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा) कारोबार के तहत ₹92.06 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की गई। म्यूचुअल फंड कारोबार के तहत, बैंक ने अपने संयुक्त उद्यम मेसर्स केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से ₹41.93 करोड़ का कमीशन अर्जित किया। बैंक ने ई-सिंडिकेट बीमा और म्यूचुअल फंड भागीदारों से ₹1.98 करोड़ का नवीनीकरण / ट्रेल कमीशन भी अर्जित किया है।

सरकारी कारोबार

बैंक सरकारी कारोबार करता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह, विभिन्न सरकारी विभागों (राज्य / केंद्र) के साथ उनकी

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUNDS

The Bank has tied-up arrangements with life and non-life insurance segments under its 'Bancassurance' arm. During the year FY 2023-24, Bank earned a commission income of ₹310.01 crore from its joint venture, M/s Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. A commission income of ₹92.06 crore was earned under Non-Life (General Insurance & Health Insurance) business from its tie-up arrangements with all the three GI Partners namely - The New India Assurance Co. Ltd., M/s Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd. and M/s TATA AIG General Insurance Co. Ltd. Under the Mutual Fund business, the Bank earned a commission of ₹41.93 crore from its joint venture, M/s Canara Robeco Asset Management Company Ltd. Bank has also earned renewal / trail commission of ₹1.98 crore from E-Syndicate Insurance and Mutual Fund partners.

GOVERNMENT BUSINESS

The Bank undertakes Government Business, comprising Direct and Indirect Tax collections, liaisoning with various Government Departments (State / Central) for

आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए संपर्क करना, राज्य ट्रेजरी लेनदेन की हैंडलिंग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशन का भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), सार्वजनिक भविष्य निधि योजना (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), किसान विकास पत्र योजना (केवीपी), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी), फ्लोटिंग दर बचत बॉण्ड (आरबीआई बॉण्ड) और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) जारी करना, शामिल है।

हमारे बैंक को शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, लक्षद्वीप प्रशासन और कवारत्ती प्रशासन के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, हमारा बैंक भारत सरकार द्वारा शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजनाओं के संचालन के लिए एक नोडल बैंक है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, हमारे बैंक ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत ₹1497.11 करोड़ के बकाया शेष के साथ 180 केंद्रीय नोडल खाता (सीएनए) खाते जुटाए हैं और 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल खाते (एसएनए) के तहत कुल खाते 317 थे, जिन पर ₹13,049.80 करोड़ रुपये का बकाया था। 31 मार्च 2024 तक सीएनए और एसएनए दोनों के तहत कुल बकाया राशि ₹14,546.91 करोड़ थी। बैंक ने टीआईएन 2.0 (कर सूचना नेटवर्क 2.0) के तहत 30,12,891 चालान के माध्यम से ₹3.96 करोड़ का कमीशन भी अर्जित किया है।

वैश्विक कारोबार प्रसंस्करण केंद्र (जीटीपीसी)

बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा लेनदेन के साथ-साथ अंतर्देशीय व्यापार लेनदेन को वैश्विक व्यापार प्रसंस्करण केंद्र (जीटीपीसी) के तहत केंद्रीकृत कर दिया है, जिसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना और घरेलू (व्यापार) और विदेशी मुद्रा लेनदेन के प्रसंस्करण में दक्षता में सुधार करना है।

बैंक 'विदेशी आवक और जावक धनप्रेषण', 'विदेशी चेक संग्रहण और विदेशी मुद्रा', 'आयात और निर्यात लेनदेन', व्यापार ऋण, विदेशी बैंक गारंटी, 'अंतर्देशीय (घरेलू) एलसी और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) सहित बैंक गारंटी' और ग्लोबल ट्रेड

providing banking solutions as per their requirements, handling State Treasury Transactions, payment of Central Government and State Government Pensions, collection of contributions of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), Public Provident Fund Scheme (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samridhi Yojana scheme (SSY), National Pension Scheme (NPS), Kisan Vikas Patra Scheme (KVP), Mahila Samman Savings Certificate (MSSC), Floating Rate Savings Bonds (RBI Bonds) and issuing Sovereign Gold Bonds (SGB).

Our Bank has been authorized as the accredited banker for Ministry of Education, Ministry of Culture, Ministry of Youth Affairs & Sports, Ministry of Road Transport & Highways, Ministry of Shipping, Lakshadweep Administration and Kavaratti Administration. Further, our Bank is the Nodal Bank for administering the Education Loan interest subsidy schemes by Government of India.

During FY 2023-24, our Bank has mobilized 180 Central Nodal Account (CNA) accounts under Central Sector Scheme with an outstanding balance of ₹1497.11 crore and the total accounts under Single Nodal Account (SNA) was 317 with an outstanding balance of ₹13,049.80 crore as on 31st March 2024. Total outstanding balance under both CNA & SNA as on 31st March 2024 was ₹14,546.91 crore. Bank has also earned commission of ₹3.96 crore through 30,12,891 number of challans under TIN 2.0 (Tax Information Network 2.0).

GLOBAL TRADE PROCESSING CENTRE (GTPC)

The Bank has centralized its forex transactions as well as inland trade transactions under the Global Trade Processing Centre (GTPC), with an aim to ensure Ease of Doing Business and to improve efficiency in processing of domestic (trade) and forex transactions.

The Bank undertakes 'foreign inward and outward remittances', 'foreign cheque collection and foreign currency', 'imports & export transactions', trade credit, foreign bank guarantees, 'Inland (Domestic) LC and Bank Guarantee including electronic Bank Guarantee

प्रोसेसिंग सेंटर (जीटीपीसी) के तहत बिल डिस्काउंटिंग गतिविधियां करता है।

संगठन और सहायक सेवाएँ

शाखा नेटवर्क - अखिल भारतीय स्तर पर विस्तार

सुगमता बढ़ाने के प्रयास में, बैंक ने वर्ष के दौरान 211 घरेलू शाखाएं खोलीं हैं। मार्च 2024 तक विशेषीकृत शाखाएं सहित बैंक की घरेलू शाखाओं की संख्या 9604 हो गई थी।

शाखा नेटवर्क की संरचना

| वर्ग | शाखाओं की संख्या | | वर्ष के दौरान खोला गया |
|-------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| | 31.03.2023 | 31.03.2024 | |
| महानगर | 1925 | 1843 | 30 |
| शहरी | 1991 | 1907 | 31 |
| अर्ध शहरी | 2742 | 2751 | 87 |
| ग्रामीण | 3048 | 3103 | 63 |
| विदेशी | 3 | 4 | 1 |
| कुल घरेलू शाखाएँ | 9706 | 9604 | 211 |

नोट: वर्ष के दौरान घरेलू शाखाओं का विलय किया गया: 313 मार्च 2024 तक बैंक की कुल विशेषीकृत शाखाएँ 620 थीं।

मानव संसाधन

कार्मिक प्रोफाइल

यथा मार्च तक 2024 तक बैंक में 82638 कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले 3 वर्षों में संवर्ग वार मेनपवर का ब्यौरा इस प्रकार है:

| संवर्ग | मार्च 2022 | मार्च 2023 | मार्च 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| अधिकारी | 50929 | 52241 | 52607 |
| लिपिक | 23686 | 21509 | 19651 |
| अधीनस्थ कर्मचारी/पीटीई | 12304 | 11228 | 10380 |
| कुल | 86919 | 84978 | 82638 |

(e-BG)' and bill discounting activities under Global Trade Processing Centre (GTPC).

ORGANISATION AND SUPPORT SERVICES

Branch Network - Expanding Pan-India Presence

In a bid to expand the reach, the Bank added 211 domestic branches during the year. As at March 2024, the Bank had 9604 domestic branches, including Specialized Branches.

Composition of Branch Network

| Category | No. of Branches | | Opened during the year |
|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|
| | 31.03.2023 | 31.03.2024 | |
| Metropolitan | 1925 | 1843 | 30 |
| Urban | 1991 | 1907 | 31 |
| Semi-urban | 2742 | 2751 | 87 |
| Rural | 3048 | 3103 | 63 |
| Overseas | 3 | 4 | 1 |
| Total Domestic Branches | 9706 | 9604 | 211 |

Note: Domestic branches merged during the year: 313
The total Specialized Branches of the Bank stood at 620 as at March 2024.

HUMAN RESOURCES

PERSONNEL PROFILE

As at March 2024, the Bank had 82638 employees on its roll. The cadre-wise break-up of manpower for the last 3 years are as under:

| Cadre | March 2022 | March 2023 | March 2024 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Officer | 50929 | 52241 | 52607 |
| Clerk | 23686 | 21509 | 19651 |
| Sub Staff/PTE | 12304 | 11228 | 10380 |
| Total | 86919 | 84978 | 82638 |

बैंक के कुल कर्मचारियों में 64% अधिकारी, 24% लिपिक और 12% अधीनस्थ / पीटीई शामिल है। बैंक में महिला कर्मचारियों की संख्या 26238 है जो कुल कर्मचारियों का 32% है। मार्च 2024 तक भूतपूर्व सैन्यकर्मियों की कुल संख्या 5139 है। बैंक के रोल पर 2,465 दिव्यांग व्यक्ति (डीएपी) थे।

आरक्षण नीति

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में आरक्षण नीति का पालन कर रहा है।

31 मार्च 2024 तक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

| श्रेणी | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजातियों | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | दिव्यांग |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------------|------------|-------------|
| अधिकारी | 9325 | 4196 | 16894 | 470 | 1438 |
| लिपिक | 3605 | 1257 | 6269 | 120 | 726 |
| अधीनस्थ कर्मचारी / पीटीई | 4062 | 752 | 3010 | - | 301 |
| कुल | 16992 | 6205 | 26173 | 590 | 2465 |

हमारे बैंक ने एससी / एसटी / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिकों और ओबीसी / ईडब्ल्यूएस के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में जीएम / सीजीएम रैंक के अधिकारियों को नामित किया है, जो बैंक में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। हमारे बैंक ने एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी / भूतपूर्व सैनिकों के कर्मचारियों से संबंधित आरक्षण और अन्य मामलों की निगरानी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में एक आरक्षण सेल भी स्थापित किया है।

भर्ती

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने विभिन्न संवर्गों में 800 लोगों की भर्ती की। इनमें से 313 महिला कर्मचारी थीं। श्रेणीवार प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

| कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजातियों | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | दिव्यांगजन |
|-----|---------------|--------------------|-------|------------|------------|
| 800 | 135 | 61 | 217 | 63 | 38 |

Total staff strength of the Bank comprised of 64% Officers, 24% Clerks and 12% Sub Staff / PTE. The Women staff strength of the Bank was 26238 constituting 32% of the employees. The total number of ex-servicemen staff as at March 2024 stood at 5139. There were 2,465 Differently-abled persons (DAPs) on the rolls of the Bank.

RESERVATION POLICY

The Bank has been adhering to the Reservation Policy in respect of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), as per the Government of India guidelines.

The representation of SCs / STs / OBCs / EWS / PwBD employees as on 31st March 2024 is as under:

| Grade | SCs | STs | OBCs | EWS | DAPs |
|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| Officer | 9325 | 4196 | 16894 | 470 | 1438 |
| Clerk | 3605 | 1257 | 6269 | 120 | 726 |
| Sub Staff/ PTE | 4062 | 752 | 3010 | - | 301 |
| Total | 16992 | 6205 | 26173 | 590 | 2465 |

Our Bank has nominated Executives in the rank of GM/CGM as Chief Liaison Officers for SCs / STs / PwBDs / Ex-servicemen and for OBCs/EWS respectively who ensure compliance of various Government guidelines pertaining to implementation of Reservation Policy in the Bank. Our Bank has also set up a Reservation Cell under the direct control of Chief Liaison Officers for monitoring Reservation and other matters related to SC / ST / OBC / EWS / PwBDs / Ex-Servicemen employees.

RECRUITMENT

During the FY 2023-24, the Bank recruited 800 persons in various cadres. Out of which, 313 were women employees. The category wise representation is as under:

| Total | SCs | STs | OBCs | EWS | PwBDs |
|-------|-----|-----|------|-----|-------|
| 800 | 135 | 61 | 217 | 63 | 38 |

मानव संसाधन पहल

- **प्रोजेक्ट आरोहण** - मानव संसाधन परिवर्तन परियोजना बैंक के रणनीतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के लिए मानव संसाधन कार्यों की पुनःकल्पना और पुनःडिजाइन करने के लिए शुरू की गई थी।
- सभी कर्मचारियों के लिए **कर्मचारी सहभागिता एवं कल्याण सर्वेक्षण आयोजित** किया गया।
- **जनशक्ति मूल्यांकन उपकरण विकसित किया गया**, जो 47 मापदंडों पर शाखा लेनदेन की मात्रा का आकलन करता है और शाखा के लिए आवश्यक जनशक्ति का सुझाव देने के लिए उपयोग किया जाता है।
- **केनरा संवाद** एक नई पहल है, जिसमें हमारे कार्यपालक निदेशक महीने में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त फील्ड टीम के साथ बातचीत करेंगे।
- वेतनमान V से ऊपर के सभी अधिकारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया में 360° मूल्यांकन के साथ साइकोमेट्रिक आकलन शुरू किया गया।
- एचआरएमएस पैकेज के माध्यम से वीजा / पासपोर्ट के लिए एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है और इसे 08.01.2024 से लागू कर दिया गया है।
- **चाइल्ड केयर अलाउंस की शुरुआत** - इस सुविधा के अनुसार, महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी (माता-पिता) जो क्रेच सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे 2 वर्ष की आयु तक के अधिकतम 2 आश्रित बच्चों के लिए चाइल्ड केयर अलाउंस का दावा करने के पात्र होंगे। 2 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति माह ₹2000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) की समेकित राशि चाइल्ड केयर अलाउंस के रूप में दी जाएगी।
- वरिष्ठ प्रबंधन (सीजीएम, जीएम, डीजीएम, क्षेत्र प्रमुख) के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् कासा और आरएम में नए कारोबार के लिए प्रचार / संदर्भ देने हेतु कर्मचारी को पुरस्कृत करने की योजना।
- **कार्य वर्षगांठ** - कर्मचारियों को उनकी कार्य वर्षगांठ पर शुभकामनाएं / बधाई।
- **परामर्शदाताओं के पैनल का गठन** - स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने और तनाव से निपटने के तरीके खोजने के लिए बैंक ने परामर्शदाताओं के पैनल बनाने की योजना शुरू की है।

HR INITIATIVES

- **Project Aarohan** - HR Transformation Project was initiated for reimagining and redesigning HR functions to align with Bank's strategic goals and objectives.
- **Conducted Employee Engagement & Wellness survey** for all employees.
- **Developed manpower assessment tool**, which assesses branch transaction volume on 47 parameters and is used to suggest required manpower for the branch.
- **Canara Samwaad** is a new initiative, wherein our Executive Director shall interact with all the field team through VC, once in a month.
- **Psychometric Assessment with 360° Evaluation** was introduced in Promotion process for all executives above Scale V.
- Digitalized the process to obtain NOC for Visa/ Passport through HRMS package and made it live w.e.f 08.01.2024.
- **Introduction of Child Care Allowance** - In terms of the facility, Female Employees & Single Male Employees (Parent) who are not availing creche facility shall be eligible for claiming Child Care allowance for maximum of 2 dependent children upto the age of 2 years. A consolidated amount of ₹2000/- (Rupees Two Thousand only) per month per child upto the age of 2 years shall be paid as Child Care Allowance.
- Conducted Leadership Development Programme for Senior Management (CGMs, GMs, DGMs, RO Heads)
- Scheme for rewarding employee for canvassing/ referring new business in thrust areas i.e. CASA & RAM.
- **Work Anniversary** - Wishing / Congratulating Employees on their Work Anniversary.
- **Empanelment of Counsellors** - To maintain healthy work-life balance and to find ways to deal with stress Bank has introduced scheme of empanelment of counsellors.

- कर्मचारियों के लिए कार्य-जीवन संतुलन पर मासिक सत्र
- **केनरा रिज्यूमे** - मातृत्व / विश्राम अवकाश के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक वेबिनार सत्र
- महिला कर्मचारियों और कमजोर कार्यनिष्पादन करने वालों के लिए मेंटरिंग अवधारणा शुरू की गई।
- **केनरा एचआरएमएस ऐप को 75+** एचआरएमएस सुविधाओं के साथ पेश किया गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस के लिए इंटरनेट एक्सेस सक्षम किया गया।
- एचआरएमएस पैकेज के माध्यम से ऑनलाइन पारिवारिक पेंशन आवेदन प्रस्तुतीकरण / प्रसंस्करण की शुरुआत।
- पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए ईमेल के माध्यम से डिजिटल पीपीओ जारी करना।
- एसपीएफ और ग्रेच्युटी नामांकन के लिए कैनाराइट्स मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- एचआरएमएस के माध्यम से कर्मचारियों के लिए ऋण हेतु बायोडाटा मंजूरी।
- सह-दायित्वकर्ता / गारंटर के रूप में स्टाफ सदस्यों के लिए एनओसी एचआरएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
- **स्पार्क** - उच्च प्रभाव बिक्री नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम
- **अपने परिपत्र को जानें (केवाईसी) क्विज**: केवाईसी क्विज पिछले वर्ष कर्मचारियों की स्वैच्छिक भागीदारी के लिए शुरू किया गया था और इस वर्ष कर्मचारियों के लिए एपीएस में चार अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ग्राहक संबंध अधिकारियों को अतिरिक्त वाहन भत्ता।
- तमिलनाडु राज्य के दस जिलों में चक्रवाती तूफान "मिचाउंग" और अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ से प्रभावित कर्मचारियों को राहत ऋण।
- वेतनमान IV अधिकारियों के लिए पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण शुरू किया गया।
- **परिपत्र सारांश**: एक दिन में जारी किए गए परिपत्रों का विवरण अगले दिन ई-मेल के माध्यम से कर्मचारियों के साथ साझा किया जा रहा है।
- **सहयोग**: सीआईबीएम मणिपाल ने भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास सोसायटी की सदस्यता भी ग्रहण की है। दिव्यांग (दृष्टि बाधित और वाणी एवं श्रवण बाधित) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एसबीआई फाउंडेशन के साथ सहयोग भी किया गया है।
- Monthly sessions on Work-Life balance for employees.
- **Canara Resume** - Monthly Webinar Session for Employees joining post Maternity / Sabbatical Leave.
- Introduced Mentoring concept for Women employees & weak performers.
- **Canara HRMS App was introduced** with 75+ HRMS features. Additionally, Internet Access for HRMS was enabled for employees.
- Introduction of online family Pension application submission / processing through HRMS package.
- Issuance of Digital PPOs for Family Pensioners through e-mail.
- SPF & Gratuity nomination can be applied through Canarites Mobile App.
- Bio Data clearance for staff loans made through HRMS.
- NOC for Staff Members for standing as Co-obligant/ Guarantor made through HRMS.
- **SPARK** - High impact Sales Leadership Training Programme.
- **Know Your Circular (KYC) Quiz**: KYC Quiz started for the employees for voluntary participation last year and has been made mandatory for the employees to get four marks in APAS this year.
- Additional Conveyance allowance to Customer Relationship Officials.
- Relief loan to Staff members affected due to cyclonic storm "MICHAUNG" and floods caused due to extreme rainfall in ten districts in the state of Tamil Nadu..
- Introduced Pre-promotion training to Scale IV executives.
- **Circular Synopsis**: The details of circulars issued in a day are being shared with the employees through e-mail on the subsequent day.
- **Collaborations**: CIBM Manipal has also taken the Membership of Indian Society for Training & Development. Collaboration with SBI Foundation for the training of PwD (Visually Impaired and Speech and Hearing Impaired) employees has also been entered into.

कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन

मानव संसाधन सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं और सफलता उनके विकास, प्रतिधारण में और उन्हें रणनीतिक व्यापार भागीदारों के रूप में उनके परिवर्तन करने में निहित है। लोगों को संसाधन मानना, उन्हें समान रूप से पुरस्कृत करना और उपयुक्त मानव संसाधन नीतियों के माध्यम से उनके लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्यों के साथ एकीकृत करना “संगठनात्मक उत्कृष्टता” के वर्तमान मंत्र हैं। तदनुसार, बैंक के मानव संसाधन क्रियाकलापों में इस दिशा में कार्य हो रहे हैं और यह इस नई परिवर्तनकारी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हैं।

बैंक ने नव नियुक्त परीक्षाधीन अधिकारियों और एसडब्ल्यूओ के लिए क्रमशः सीवीसी द्वारा अनुशंसित नए 52/26-सप्ताह के प्रवेश प्रशिक्षण मॉड्यूल को अपनाया है। इसके अलावा, परीक्षाधीन अधिकारियों के लाभार्थ मेंटॉरिंग संकल्पना का भी अनुपालन किया जा रहा है ताकि उन्हें बैंक की संस्कृति, परंपरा और लोकाचार के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिल सके।

बैंक अद्वैत का संचालन कर रहा है, भविष्य में नेतृत्व की जिम्मेदारियां लेने के लिए महिला कर्मचारियों को बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए भविष्य के लिए तैयार महिला नेतृत्व कार्यक्रम तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल में नेतृत्व को बराबर करने के लिए महिला परामर्श भी शुरू किया गया है।

बैंक कर्मचारियों की दक्षताओं के निर्माण और उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। देश भर में स्थापित 25 क्षेत्रीय अध्ययन एवं विकास केंद्रों द्वारा समर्थित 02 उत्कृष्टता केंद्र (सीआईबीएम मणिपाल और उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम) के माध्यम से, अंचल कार्यालयों के परामर्श से प्रशिक्षण कैलेंडर बनाकर विभिन्न संवर्गों में स्टाफ सदस्यों को कार्यात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

कार्यपालकों को उनकी नई भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों से परिचित कराने के लिए, कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रबंधक विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) आईआईएम, एएससीआई हैदराबाद, एमडीआई गुरुग्राम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी पदोन्नति पर प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 524 अधिकारियों ने ईडीपी और एमडीपी में भाग लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 524 अधिकारियों ने ईडीपी में भाग लिया और 360 अधिकारियों (सीजीएम, जीएम, डीजीएम और आरओ प्रमुखों) के लिए अनुकूलित नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 91 अधिकारियों ने मिडकैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है। आईडीआरबीटी में 28 अधिकारियों ने आईडी और साइबर सुरक्षा में आरबीआई द्वारा अनिवार्य प्रमाणपत्र कार्यक्रम में भाग लिया है।

SKILL DEVELOPMENT & TALENT MANAGEMENT

Human Resources are the most valued assets and success lies in developing, retaining and transforming them to act as strategic business partners. Treating people as resources, rewarding them equitably and integrating their goals with that of the organization through suitable HR policies are the present mantras to “Organizational Excellence”. Also, with a fast changing banking landscape, skills and qualifications acquired need continued upgradation and there is need for employee training support at periodical intervals to keep them abreast of the latest developments. Accordingly, the HR functions of the Bank are getting tuned in this direction and are moving ahead to do this new transformational role.

Bank has adopted the new 52/26-week induction training module as recommended by the CVC for the newly recruited POs & SWOs respectively. In addition to this, mentoring concept is in place for the benefit of the newly recruited POs to help them to get acclimatized with Bank’s culture, tradition and ethos.

Bank is conducting Advaita, a future ready Women Leadership Program - to enhance and empower women employees to take future leadership responsibilities and ensure gender equality and also Women Mentoring has been introduced to equalise leadership in the workplace for Women Employees.

Bank is imparting training in various functional areas to build and upgrade competencies. Through one Apex Centre of Excellence at CIBM Manipal and two Centres of Excellence at Bengaluru and Gurugram, supported by 25 Canara Learning & Development Centres established across the country, functional trainings are imparted to staff members in various cadres by drawing training calendars in consultation with Circle offices.

In order to acclimatize them with their new roles and responsibilities, Executive Development Programs (EDPs) are provided to Executives upon their promotion at institutes of repute like ASCI Hyderabad, MDI Gurugram. During FY 2023-24 around 524 executives have attended EDP & Customised Leadership Development Program was conducted for 360 Executives (CGMs, GMs, DGMs & RO Heads). 91 Executives have undergone Mid-career Training programme. 28 Executives have undergone the RBI mandated Certificate program in IT & Cyber Security at IDRBT.

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) के अग्रणी नेतृत्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से बैंक अपने शीर्ष नेतृत्व को तैयार कर रहा है। इसके अलावा, लगभग 38 शीर्ष प्रबंधन कार्यपालकों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया जिसमें वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम शामिल है।

योग्यता मूल्यांकन का आयोजन कर वेतनमान -5 और उससे ऊपर के सभी कार्यपालकों के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएं बनाई गईं और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ आमने-सामने बिहेवियरल कोचिंग प्रदान की गई।

बैंक कारोबार आउटलेट प्रमुखों के लिए केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है ताकि उन्हें भविष्य की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। इसके अलावा, बैंक क्रमशः पदोन्नत अधिकारियों और प्रबंधकों के लिए अधिकारी विकास कार्यक्रम (ओडीपी) और प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित करके अपने अधिकारियों के बीच प्रभावी प्रबंधन और नेतृत्व गुण बनाने का प्रयास कर रहा है।

प्रभावी प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को शामिल करते हुए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

| क्र. सं. | कार्यक्रम का नाम | उपस्थित अधिकारियों की संख्या |
|----------|---|------------------------------|
| 1 | प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम (एमडीपी) | 1886 |
| 2 | अधिकारी विकास कार्यक्रम (ओडीपी) | 1206 |
| 3 | भूमिका और जिम्मेदारी - पहली बार शाखा प्रमुख | 828 |
| 4 | पहली बार क्षेत्रीय /एमसीबी/एलसीबी/एमएसएमई सुलभ/आरएएच/एलडीएम/एसीसी और हार्ड-टेक कृषि वित्त शाखा प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम | 286 |

बैंक के पास एक ई-लर्निंग पोर्टल है - "कैंडल" (केनरा डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस) जो हमारे कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए प्रभावी और निरंतर ऑनलाइन सीखने की सुविधा प्रदान करता है।

बैंक ने क्षेत्रीय ग्राहकों और बैंक के फ्रंटलाइन कर्मचारियों के बीच संचार की खाई को पाटने के लिए क्षेत्रीय भाषा अनुकूलन कार्यक्रम

Bank is grooming its top leadership through the Financial Services Institution Bureau (FSIB) Flagship Leadership Development program. In addition to this, around 38 officials were given Foreign Training Programmes/ Workshops during FY 2023-24.

Conducted Competency Assessment and creating Individual Development Plans for all Executives in Scale 5 and above followed by one-on-one behavioral coaching with the institutes of repute.

Bank is providing focused training programme for the Business Outlet Heads so as to equip them well to focus on future challenges. (First Time CO / RO / MCB/LCB/RAH/ ACC/Branch Head). Further, Bank is constantly striving to build effective Management and Leadership traits among its Officers. In this regard, Bank is conducting Officers' Development Program (ODP) and Managerial Development Program (MDP) for promotee Officers and Managers respectively.

During the current FY, following training programmes were conducted covering effective management and Leadership Development Programmes:

| Sl. No | Programme Name | No. of Officers attended |
|--------|---|--------------------------|
| 1 | Managerial Development Program (MDP) | 1886 |
| 2 | Officers' Development Program (ODP) | 1206 |
| 3 | Role and Responsibility - First Time Branch Head | 828 |
| 4 | 1st Time Regional /MCB/LCB/ MSME Sulabh/RAH/LDMs/ACC & Hi-tech Agri Finance Branch Heads Training Programme | 286 |

Bank has a e-Learning portal - "CanDLE" (Canara Digital Learning Experience) facilitating effective and continuous online learning for our employees for enhancing their knowledge and skills.

Bank has designed Regional Language Acclimatization Program to bridge the communication gap between the regional customers and the frontline staff of the bank,

तैयार किया है, जिससे ग्राहक संबंध अधिक प्रभावी और सहज हो गए हैं। इस दिशा में बैंकों के ई-लर्निंग पैकेज में सभी 11 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भाषा सीखने के मॉड्यूल पेश किए गए हैं।

ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने तीव्र सेवा के प्रावधान, विविध उत्पादों और सेवाओं की पेशकश, कम से कम समय में ग्राहकों के प्रश्नों का जवाब देने और निर्धारित समयसीमा के भीतर ग्राहक शिकायतों का निवारण करके ग्राहक केंद्रित बने रहने के लिए कई पहल की हैं।

- ✓ आईबीए और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने जुलाई 2015 में ग्राहक अधिकार नीति अपनाई है, जिसमें ग्राहकों के अधिकारों के साथ-साथ बैंकर की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया गया है।
- ✓ शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 01.01.2024 से 31.03.2024 तक 12 पूर्वनिर्धारित प्रश्नावली के साथ एक ऑनलाइन "वार्षिक ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण" आयोजित किया गया था। कुल 70,690 ग्राहक प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं। प्रत्येक पैरामीटर के अंतर्गत प्रतिक्रियाओं को 1-5 के पैमाने पर मूल्यांकित किया गया, 1 का अर्थ है बहुत असंतुष्ट, 5 का अर्थ है बहुत संतुष्ट।
- ✓ बैंक की समग्र सेवाओं को 5 में से 3.46 अंक दिये गये।
- ✓ शाखा में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को 5 में से 3.66 अंक दिया गया।
- ✓ हमारे डिजिटल उत्पादों की दक्षता और उपयोग में आसानी को 5 में से 3.78 अंक दिए गए।
- ✓ बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और स्थिति ट्रैकिंग प्रणाली के तहत ग्राहक सेवा पर सुझाव और ग्राहक प्रतिक्रिया को लागू किया है।
- ✓ ग्राहक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में अपनी रेटिंग प्रदान कर सकते हैं।
- ✓ दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) नियुक्त किया है, जो बैंक के आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करता है।
- ✓ ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए, बैंक ने बैलेंस पूछताछ, मिनी स्टेटमेंट (पिछले 5 लेनदेन), कार्डों की हॉट लिस्टिंग आदि जैसी

making the customer relationship more effective and smoother. In this direction, introduced language learning modules for all the 11 Regional Languages in bank's eLearning Package.

CUSTOMER ORIENTATION

Bank has taken several initiatives to remain customer focused through provision of fast service, offering diversified products & services, responding to customers' queries in shortest possible time and redressal of customer complaints within the timelines stipulated.

- ✓ As per the instructions of IBA and RBI, Bank has adopted Customer Rights Policy in July 2015, which spells out the Rights of the Customers and also responsibilities of the Banker.
- ✓ To assess the quality of customer service rendered by the Branches and to get feedback an online "Annual Customer Satisfaction Survey" was conducted from 01.01.2024 to 31.03.2024 with 12 pre-defined questionnaires. A total of 70,690 customer responses were collected. The responses under each parameter were rated on a scale of 1-5, 1 is very dissatisfied, 5 is Very Satisfied.
- ✓ Bank's overall services was rated as 3.46 out of 5.
- ✓ Quality of customer service at Branch was rated as 3.66 out of 5.
- ✓ Efficiency and ease of using our digital products was rated as 3.78 out of 5.
- ✓ Bank has implemented suggestions and customer feedback on customer service under Online Grievances Registration and Status Tracking System in Bank's Corporate website.
- ✓ Customers can provide their rating in Net Banking & mobile Banking.
- ✓ As per Damodaran Committee recommendations, Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (CCSO), who acts as an Internal Ombudsman of the Bank.
- ✓ In order to enhance customer convenience, Bank has popularized 24/7 Self Service Functions on IVRS (Missed Call facility) for various services like Balance

विभिन्न सेवाओं के लिए आईवीआरएस (मिस्ड कॉल सुविधा) पर 24/7 स्वयं सेवा कार्यों को लोकप्रिय बनाया है।

- ✓ बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 1800 1030 शुरू किया है। मौजूदा टोल-फ्री नंबर 1800 425 0018 को कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बैकअप के रूप में कार्यात्मक रखा जाएगा।
- ✓ विदेश से कॉल करने वाले ग्राहकों के लिए गैर-टोल फ्री नंबर +91 80 2206 4232 और 080 6821 2121 है।
- ✓ क्रेडिट कार्डों की गलत बिक्री के लिए समर्पित लैंडलाइन नंबर 080 2206 4222 है।
- ✓ कॉल सेंटर 24X7 कार्यरत हैं और शिकायतों के निवारण के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 17 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, खासी, कोंकणी, कश्मीरी, उर्दू और तुलु में ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं।
- ✓ कॉल सेंटर बैंक के टोल-फ्री नंबर 1800 1030 के माध्यम से आईवीआर में 37 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- ✓ बैंक ने मोबाइल नंबर 9076030001 के माध्यम से व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल शुरू किया और हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 29+ सेवाएं प्रदान कीं।
- ✓ बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से वेब चैटबॉट बैंकिंग चैनल शुरू किया और हिंदी और अंग्रेजी में 6 सेवाएं प्रदान कीं।
- ✓ बैंक ने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और स्थिति ट्रैकिंग प्रणाली में सुधार किया है, ताकि वे केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली (सीपिजिआरएस) पोर्टल के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। बैंक के कॉल सेंट्रों पर प्राप्त शिकायतों को भी सीपिजिआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया है।
- ✓ बैंक के हेल्पडेस्क ईमेल पर प्राप्त शिकायतों को भी सीपीजीआरएस पैकेज के साथ एकीकृत किया गया है।
- ✓ ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और स्थिति ट्रैकिंग प्रणाली के अंतर्गत व्हाट्सएप बैंकिंग उपयोगकर्ता मैनुअल भी प्रदान किया गया है।

Enquiry, Mini Statement (last 5 transactions), Hot Listing of Cards etc.

- ✓ Bank introduced a New Toll free number for its customers - 1800 1030. The existing Toll-free Number 1800 425 0018 will be kept functional as a back-up for ensuring Business Continuity.
- ✓ Non toll free number for customers calling from abroad is +91 80 2206 4232 & 080 6821 2121.
- ✓ Dedicated land line towards Mis-selling of Credit Cards is 080 2206 4222.
- ✓ Call Centres are functioning 24X7 & catering to customers in 17 regional languages, viz., Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Odiya, Punjabi, Tamil, Telugu, Khasi, Konkani, Kashmiri, Urdu and Tulu, besides Hindi and English for redressal of grievances.
- ✓ Call Centres are providing 37 services in IVR through Bank's Toll-free number 1800 1030.
- ✓ Bank introduced WhatsApp Banking Channel through the mobile number 9076030001 and providing 29+ services in Hindi & English languages.
- ✓ Bank introduced Web Chatbot Banking Channel through Bank's Corporate Website and is providing 6 services in Hindi & English.
- ✓ Bank has revamped the Online Grievances Registration and Status Tracking System for customers to lodge their grievances in Bank's website www.canarabank.com under Canara Public Grievance Redressal System (CPGRS) Portal. The complaints received at the Call Centres of the Bank are also integrated with CPGRS package.
- ✓ The complaints received at helpdesk e-mail of the Bank are also integrated with CPGRS package.
- ✓ WhatsApp Banking user manual is also provided under Online Grievances Registration and Status Tracking System.

- ✓ शाखा स्तर पर शिकायत के समाधान के लिए पूर्वनिर्धारित टर्नअराउंड समय (टीएटी) 6 दिन है और 7वें दिन शिकायतें स्वचालित रूप से अगले उच्च प्राधिकारी को भेज दी जाती हैं।
- ✓ शिकायत के निवारण पर ग्राहक को वेब लिंक सहित एक एसएमएस भेजा जाता है, जिसमें वह समाधान के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है।
- ✓ बैंक ने पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 'वीसीआईपी - वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया' शुरू की है।
- ✓ ग्राहकों को ऑनलाइन री-केवाईसी जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है (यदि केवाईसी में कोई बदलाव नहीं है, तो ग्राहक i) बैंक के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी / मोबाइल नंबर ii) एटीएम iii) डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग) त्र) पत्र) के माध्यम से पुनः केवाईसी दे सकता है।
- ✓ ग्राहकों की सुविधा के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म 15जी/15एच दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्राहक बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के माध्यम से भी फॉर्म 15जी/15एच दाखिल कर सकते हैं।
- ✓ कासा (चालू खाता और बचत बैंक खाता) खाता खोलने के प्रयोजनार्थ भुवनेश्वर, एर्नाकुलम, मणिपाल, पटना, रांची, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में 7 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- ✓ हमारा बैंक पीएसबी एलायंस में साझेदार है जिसने डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज (डीएसबी) शुरू की है।
- ✓ हमारे बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी व्यक्तिगत ग्राहकों के लाभ के लिए अपनी 3365 शाखाओं को कवर करते हुए 100 केंद्रों से 1000 केंद्रों तक डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है। ग्राहक डीएसबी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके या डीएसबी वेबसाइट या विक्रेता के कॉल सेंटर के माध्यम से कई बैंकिंग सेवाओं को बुक कर सकते हैं।
- ✓ बैंक सभी चुनिंदा 1000 केंद्रों पर 75 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों के लिए प्रति माह 3 डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं बिल्कुल मुफ्त प्रदान करता है।
- ✓ The pre-defined Turnaround Time (TAT) for resolution of complaint at Branch Level is 6 days and on 7th day, the grievances are auto escalated to next higher authority.
- ✓ On redressal of grievance, an SMS with web link is pushed to the customer to submit his/her feedback regarding resolution.
- ✓ Bank has introduced 'VCIP – Video Based Customer Identification Process' for submission of Life Certificate by pensioners.
- ✓ Online re-KYC submission is made available to the customers (If there is no change in KYC, Customer can give rekyc by i) Customer's E-mail ID / Mobile number registered with the Bank ii) ATM iii) Digital channels (such as Online Banking / Internet Banking, Mobile Banking) iv) Letter)
- ✓ Facility of filing Form 15G/15H through Net banking is enabled for the convenience of customers. Customers can also file Form 15G/15H through Bank's corporate Website.
- ✓ 7 Central Processing Centers are established at Bhubaneswar, Ernakulam, Manipal, Patna, Ranchi, Vijayawada & Vishakapatnam for CASA (Current Account & Savings Bank Account) account opening purposes.
- ✓ Our Bank is a partner in the PSB Alliance which has floated Door Step Banking Services (DSB).
- ✓ Our Bank has extended Doorstep Banking Services from 100 Centres to 1000 Centers covering our 3365 branches for the benefit of all the individual customers, including Senior Citizens & Differently abled persons. Customers can book many of the banking services by downloading the DSB Mobile App, or through DSB Website or Vendor's Call Centres.
- ✓ Bank offers 3 Door Step Banking Services per month absolutely free for customers aged above 75 years at all the select 1000 centers.

- ✓ बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए अधिक भीड़-भाड़ वाली चुनिंदा शाखाओं में क्यूएमएस (कतार प्रबंधन प्रणाली) लागू की है। क्यूएमएस ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की सूची, प्रश्न, निर्देश और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, स्वचालित टिकट वितरक जहां ग्राहक को उनकी आवश्यक सेवा के अनुसार वाउचर मिलेगा और वाउचर नंबर जारी किया जाएगा।
- ✓ बैंक ने एक ऑनलाइन मृत्यु दावा पोर्टल शुरू किया है, जहां ग्राहक का नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी मृत्यु दावा दर्ज करा सकता है।
- ✓ बैंक ने आरबीआई द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का अनुपालन किया है। नई योजना की एक प्रति, मुख्य विशेषताएं और प्रमुख नोडल अधिकारी का संपर्क विवरण हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.canarabank.com पर ग्राहक सेवा शीर्षक के अंतर्गत और शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई नई एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 का अनुपालन किया है। नई योजना की एक प्रति, मुख्य विशेषताएं और प्रमुख नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट www.canarabank.com पर ग्राहक सेवा के अंतर्गत प्रदर्शित किए गए हैं।

आंतरिक लोकपाल

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक ने एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में आंतरिक लोकपाल (आईओ) की नियुक्ति की है, जो बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकृत की गई शिकायतों की समीक्षा करता है। आईओ शिकायतों के मूल कारण को दूर करने के लिए कार्रवाई करने हेतु शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करते हुए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को अपनी गतिविधियों पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आईओ की सिफारिशों के आधार पर प्रक्रियाओं / दिशा-निर्देशों में जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ परिवर्तन भी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.11.2021 से नई एकीकृत लोकपाल योजना 2021 शुरू की है।

सुश्री मनोरमा के.एन. ने पूर्व आई.ओ. के कार्यकाल की समाप्ति पर 25.02.2022 से आंतरिक लोकपाल के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

- ✓ Bank has Implemented QMS (Queue Management System) in selected high foot falls branches to improve customer service at branches. QMS provides the list of services offered, queries, instructions and relevant information to customers, automatic ticket dispenser, where the customer will get a voucher as per their required service and a voucher number will be issued.
- ✓ Bank has introduced an online death claim portal where nominee/legal heir of customer can lodge death claim.
- ✓ Bank has complied with the New Integrated Ombudsman Scheme, 2021 introduced by RBI. A copy of the new scheme, salient features and the contact details of the Principal Nodal Officer are displayed in our corporate website www.canarabank.com under the head Customer Service and also in Notice Board of the Branches.

INTERNAL OMBUDSMAN

In terms of the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has appointed an Internal Ombudsman (IO) as an independent authority to review complaints that are partly or wholly rejected by the Bank. The IO submits periodical reports on her activities to the Customer Service Committee of the Board analyzing the pattern of complaints, for taking action to address the root cause of complaints. Changes where necessitated on the procedures / guidelines have also been carried out based on the IO's recommendations.

Reserve Bank of India has introduced new Integrated Ombudsman Scheme 2021 with effect from 12.11.2021.

Ms. Manorama K. N. has taken over as Internal Ombudsman with effect from 25.02.2022 on expiry of the term of the earlier IO.

आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑनसाइट आरबीआईए के कार्यक्रम के अनुसार शाखाओं / सेवा इकाइयों में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण (आईएस ऑडिट) के साथ-साथ 7089 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षण (आरबीआईए) किए गए। शाखाओं / सेवा इकाइयों में मासिक समवर्ती / निरंतर लेखापरीक्षित किए गए, जिनमें से 449 शाखाओं / सेवा इकाइयों का आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती/ निरंतर लेखापरीक्षित किया गया और 1441 शाखाओं / सेवा इकाइयों का बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षित किया गया, जिसमें बैंक के कुल कारोबार के 70% अग्रिम और संबंधित जमा शामिल थे। 3883 शाखाओं का तिमाही आधार पर आय/राजस्व लेखापरीक्षण किया गया।

1. बैंक लगातार लेखापरीक्षण पैकेजों को अपग्रेड करने की दिशा में काम कर रहा है, बैंक में नवीनतम विकास और रुझानों को शामिल करने के लिए चेकलिस्ट को उचित रूप से संशोधित कर रहा है। इसके अलावा, 2014 से नियमित आधार पर नई क्वेरीज़ / चेकलिस्ट जोड़ी जा रही हैं। अनावश्यक / पुरानी क्वेरीज़ / चेकलिस्ट पॉइंट्स को हटा दिया गया है और क्वेरीज़/ चेकलिस्ट को नया रूप दिया गया है।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सभी उपयोगकर्ताओं (विभाग / जेडआई / अंका / क्षेत्र / शाखा / निरीक्षण अधिकारी) के लेखापरीक्षण पैकेज (दर्पण) होम स्क्रीन में डैशबोर्ड सुविधा (सारणीबद्ध / ग्राफिकल) सक्षम की गई है, जो वास्तविक समय के आधार पर लेखापरीक्षण स्थिति, प्रश्नों / चेकलिस्ट स्थिति और स्पॉट सुधार के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करती है।
3. सभी प्रशासनिक इकाइयों (विभाग / जेडआई / क्षेत्र / अंका) के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा चरणों (आरंभ / समापन / समापन) के लिए तिथि के चयन के साथ लेखापरीक्षण पैकेज में स्पॉट सुधार रिपोर्ट सक्षम है।
4. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एसबी और चालू खाते के लिए सीपीएच लेखापरीक्षण पैकेज को लेखापरीक्षण प्रक्रिया के पूर्ण स्वचालन के साथ नया रूप दिया गया है।
5. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रबंधन लेखा परीक्षा सहित क्षेत्रीय कार्यालय और अंचल कार्यालय के लेखा परीक्षा पैकेजों को नए संग्रह के अनुसार नया रूप दिया गया है।
6. बैंक ने धोखाधड़ी के मामले में शून्य सहनशीलता दिखाई है। जिन शाखाओं में धोखाधड़ी पाई गई है या गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं, उन शाखाओं को "उच्च जोखिम" के रूप में पुनः जोखिम रेटिंग दी गई है ताकि ऐसी शाखाओं / इकाइयों पर अधिक नियंत्रण रखा जा सके और 6 महीने के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन किया जा सके।

INTERNAL CONTROL AND AUDIT

Risk-based Internal Audits (RBIA) numbering 7089 were conducted along with Information System audit (IS Audit) across branches / service units as per the program for onsite RBIA for the FY 2023-24. Monthly concurrent / continuous audits were conducted in branches / service units, of which 449 branches / service units were subjected to concurrent/continuous audit by Internal Auditors and 1441 branches / service units were subjected to concurrent audit by External Auditors, covering 70% of Advances and corresponding deposits of the total business of the Bank. 3883 branches were subjected to income / revenue audit on Quarterly basis.

1. The Bank has been continuously going for upgradation of audit packages, duly revising the checklists to include latest developments and trends in the Bank. Further, new queries / checklist are added on a regular basis since 2014. Redundant / old queries / checklist points were removed and queries/ checklist is revamped.
2. During the FY 2023-24, Dashboard facility (Tabular / Graphical) is enabled in Audit Package (Darpan) home screen of all users (Wing / ZI / CO / RO / Branch / Inspecting Officer) providing complete information regarding audit status, queries / checklist position and spot rectification on real time basis.
3. Spot Rectification Report is enabled in Audit Package with selection of date for different audit stages (commenced / concluded / closure) for all admin units (Wing / ZI / RO / CO).
4. During the FY 2023-24, CPH Audit Package for SB & Current Account has been Revamped with complete automation of audit process.
5. During the FY 2023-24, Audit packages of Regional Office & Circle Office including Management Audit has been revamped as per the new compendium.
6. Bank has shown NIL tolerance on frauds. The branches where fraud has been detected or serious irregularities were observed, those branches are Re-risk rated as "High Risk" to have more control on such branches / units and subjected to concurrent audit for 6 months.

7. समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए, बैंक ने समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के सत्यापन की एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से बाह्य समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों का सत्यापन शामिल है, ताकि दायरे में परिकल्पित क्षेत्रों की कवरेज सुनिश्चित की जा सके।
8. बैंक ने वी-सीआईपी और क्रेडिट कार्ड के लिए समवर्ती / निरंतर लेखापरीक्षण शुरू किया है।
9. विनियामक के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने बाह्य एजेंसी मेसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का बाह्य मूल्यांकन कराया है तथा उनके सुझावों को क्रियान्वित किया है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण

वित्त वर्ष 2013-14 से वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के बदले आरबीआई द्वारा बैंक को जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) व्यवस्था के तहत लाया गया था। वर्तमान में, बैंक ने आरबीएस का 10 वां चक्र पूरा कर लिया है। आरबीएस ढांचे को जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम (एसपीएआरसी) नाम दिया गया है। एसपीएआरसी के तहत, बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और सूचनाओं के ऑफसाइट विश्लेषण के साथ-साथ पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण के निष्कर्षों के संयोजन के माध्यम से आरबीआई द्वारा बैंक के जोखिमों का विस्तृत गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन निरंतर आधार पर किया जाता है।

अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) / एएमएल / सीएफटी

बैंक केवाईसी / एएमएल / सीएफटी मानदंडों को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-अनुपालन के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने मजबूत प्रणाली व प्रक्रियाएं लागू की हैं। नामित व्यक्तियों / संस्थाओं के संबंध में नियामकों द्वारा जारी किए गए परामर्शों का ईमानदारी से पालन किया जाता है। केवाईसी / एएमएल / सीएफटी से संबंधित मामलों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन

हमारा बैंक राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिशों, राजभाषा विभाग,

7. To improve the effectiveness of Concurrent Audit, Bank has introduced a procedure of verification of the effective implementation of system of concurrent audit including verification of audit reports submitted by External Concurrent Auditors through Inspecting officials to ensure coverage of areas envisaged in the scope.
8. Bank has introduced Concurrent / Continuous audit for V-CIP and Credit Cards.
9. As per the directions of Regulator, Bank has conducted External Assessment of Internal Audit by external agency M/s PwC and implemented their suggestions.

RISK BASED SUPERVISION

The Bank was brought under Risk Based Supervision (RBS) regime by RBI, in lieu of Annual Financial Inspection (AFI) from FY 2013-14. Presently, the Bank has completed the 10th cycle of RBS. RBS framework is named as Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital (SPARC). Under SPARC, a detailed qualitative and quantitative assessment of the Bank's risks is made by RBI on an on-going basis through a combination of offsite analysis of the data and information furnished by the Bank as well as the findings of the on-site Inspection for supervisory Evaluation (ISE).

KNOW YOUR CUSTOMERS (KYC) / AML / CFT

The Bank is committed to implement the KYC / AML / CFT norms in its completeness and has zero tolerance towards non-compliance. To ensure this, the Bank has put robust systems and processes in place. Advisories issued by the regulators with respect to designated individuals / entities are scrupulously followed. Regular training is provided to staff members to increase their awareness on matters regarding KYC / AML / CFT.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

Our Bank is ensuring compliance of Official Language Implementation as per Official Language Act 1963, Official Language Rules 1976, recommendations of Parliamentary Committee on Official Language, Annual

गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम और वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

राजभाषा कार्यान्वयन में कर्मचारियों को हिंदी सीखने और समझने और दिन-प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों में इसके उपयोग के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण शामिल है। जिन कर्मचारियों को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उन्हें केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रबोध, प्रवीण और बैंकिंग प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए नामांकित किया जाता है और उन्हें इसे पास करने पर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। हिंदी में दक्षता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कर्मचारियों को पारंगत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है। बैंक कर्मचारियों को हिंदी में स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएचडी जैसी हिंदी डिग्रियां प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है।

बैंक ने ग्राहकों के उपयोग के लिए क्षेत्र 'क' में द्विभाषी और 'ख' और 'ग' क्षेत्र की शाखा काउंटर्स में त्रिभाषी फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। राजभाषा अनुभाग, मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय में सभी विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद प्रदान करता है। अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित राजभाषा कक्ष भी अपने-अपने क्षेत्रों में राजभाषा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा हिंदी और अंग्रेजी में अपेक्षित अनुवाद प्रदान कर रहे हैं।

सभी स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं, जहां तिमाही बैठकें शीघ्रता से आयोजित की जाती हैं और राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। सीबीएस में हिंदी अंतर-अनुवादक प्रणाली शुरू की गई है, जिसके माध्यम से जमा रसीदें और डीडी बनाने सहित पासबुक / पासशीट हिंदी में तैयार की जा सकती हैं। सीबीएस स्क्रीन (हिंदी में) बनाई गई हैं और अब हिंदी में रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एटीएम स्क्रीन में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लेनदेन देखने का प्रावधान किया गया है। ग्राहकों को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस के माध्यम से मानक शुभकामनाएं और संदेश भेजे जा रहे हैं। ग्राहक अब अपनी चुनी हुई भाषा में एसएमएस प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

programme of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs and also as per the guidelines issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India.

OL Implementation encompasses teaching & training of Employees to learn and understand Hindi and its use in day to day banking activities. Employees who do not possess working knowledge in Hindi are nominated for Prabodh, Praveen and Banking Pragya examinations conducted by Central Hindi Training Institute, New Delhi and they are also incentivized on passing it. Incentives are also provided to employees for passing Parangat examination who aspire to obtain proficiency in Hindi. Bank provides cash incentives to motivate employees for obtaining Hindi Degrees like Graduation, Post Graduation, M.Phil. and Ph.D. in Hindi and also for creative writing in Hindi whose literary work is recognized by institutes of repute.

Bank has made available forms in Bilingual in Region 'A' and Trilingual in 'B' & 'C' Region branch counters for the use of customers. Official Language Section, Human Resources Wing provides translation from English to Hindi and vice versa to meet the requirements of all the Wings in Head Office. Official Language Cells established at Circle Offices & Regional Offices are also providing the requisite translations in Hindi & English apart from ensuring implementation of OL in their respective areas.

Official Language Implementation Committees are constituted at all levels, where quarterly meetings are conducted promptly and review of status of OL implementation is effectuated. A Hindi inter-translator system has been introduced in CBS through which pass book / pass sheets could be generated in Hindi, including generation of Deposit receipts and DDs. CBS Screens (in Hindi) have been created and a facility to generate reports in Hindi are now made available. Provision has been made in ATM Screen to view the transactions in 11 Regional Languages. Standard greetings and messages to customers are being sent through SMS in Hindi & Regional Languages also. Customers can now opt to receive SMS in their opted language.

सभी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों द्वारा क्यूपीआर यानी एसटीआर-18 जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पैकेज लाइव (एसएसएस पोर्टल में) किया गया है। कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाएं और यूनिकोड प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। राजभाषा अधिकारियों द्वारा मौजूदा मैन्युअल शाखा दौरा रिपोर्ट को डिजिटल कर दिया गया है। राजभाषा अधिकारियों द्वारा शाखा दौरा सरकारी विभागों और संसदीय समितियों आदि के दौरे / निरीक्षण का सामना करने में शाखाओं के लिए सहायक है। हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए हिंदी कार्यशाला और सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं।

हमारे बैंक का प्रधान कार्यालय बेंगलूरु में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) की बैठकों का संयोजक है। हमारा बैंक देश भर के विभिन्न शहरों/नगरों में 21 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का संयोजक भी है। बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पूरे भारत में कई शील्ड और प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) बेंगलूरु को देश में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करने वाली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति घोषित किया गया है। इसके अलावा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) बेंगलूरु ने संघ की राजभाषा कार्यान्वयन नीति के कार्यान्वयन में सराहनीय कार्यनिष्पादन के लिए दक्षिण क्षेत्र के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता है।

हमारे बैंक ने वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में सराहनीय कार्यनिष्पादन के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से पुरस्कार प्राप्त किया है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्यालयों और शाखाओं को 'राजभाषा अक्षय योजना' के तहत शील्ड प्रदान की जा रही है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 'राजभाषा पुरस्कार योजना' की भी संकल्पना की गई है।

राजभाषा अकादमी, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए केनरा बैंक को "राजभाषा सम्मान" शील्ड से सम्मानित किया गया है।

आज के समाचार' शीर्षक के अंतर्गत हिंदी में बैंकिंग से संबंधित समाचार संक्षिप्त दैनिक समाचार टुडेज टाइडिंग्स में शामिल है। 'एचआरडी (ई) लाइट', 'एनआरआई बुलेटिन' और 'स्टाफ मीटिंग लिटरेचर' मासिक आधार पर हिंदी में भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। हमारे कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को हिंदी में प्रदर्शित करने वाली त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका 'केनरा ज्योति' को कई पुरस्कार मिले हैं। केनरा बैंक की इन-गृह पत्रिकाओं 'श्रेयस' और 'केनरा ज्योति' को वर्ष 2022-23 के लिए वर्ल्ड ब्रांड कांग्रेस द्वारा ग्लोबल ब्रांड एक्सिलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

An online package has been made live (in SAS portal) for submission of QPR i.e., STR-18 by all branches and administrative offices. Hindi Workshops and Unicode trainings are being organized for staff. Existing manual branch visit report by OL Officers has been digitalised. Branch visits by OL Officers are helpful for branches to face visit / inspection by Govt. Depts. and Parliamentary Committees, etc. Hindi workshop and conference for Official Language Officers' are conducted annually to ensure effective implementation of Hindi.

Our Bank's Head Office is the Convenor of Town Official Language Implementation Committee (Banks) meetings at Bengaluru. Our Bank is also the Convener of 21 TOLICs at various Cities/Towns across the Country. Bank has secured numerous Shields and Certificates pan-India, awarded by various TOLIC committees for the best implementation of OL. TOLIC (Bank) Bengaluru has been adjudged best performing TOLIC in the country. Further, TOLIC (Bank) Bengaluru has also won the 1st prize under Southern Region for commendable performance in implementing the OL policy of the Union.

Our Bank has secured prizes from Regional Implementation Office for commendable performance in implementation of Official Language during the year. In order to accelerate OL implementation, Shields are being awarded to Offices and Branches under 'Rajbhasha Akshay Yojana'. 'Rajbhasha Puraskar Yojana' has also been conceptualized and put in place to motivate the employees towards effective OL implementation.

Canara Bank has been awarded with "Rajbhasha Sammaan" Shield for outstanding performance in the field of Official Language by Rajbhasha Academy, New Delhi.

Banking related news in Hindi under the title "Aaj Ke Samachar" is included in Today's Tidings, a daily news brief. 'HRD (e)light's, 'NRI Bulletin' & 'Staff Meeting Literature' are being brought out in Hindi as well, on a monthly basis. 'Canara Jyoti', a quarterly Hindi House Magazine to showcase the literary talent of our staff members in Hindi has received many accolades. Canara Bank's in-house magazines 'Shreyas' and 'Canara Jyoti' has been awarded the Global Brand Excellence Award by the World Brand Congress for the year 2022-23.

क्षेत्रीय भाषा कक्ष अर्थात कन्नड़ कक्ष, तमिल कक्ष, तेलुगु कक्ष, मराठी कक्ष आदि क्षेत्र 'ख' और 'ग' में स्थित अंचल कार्यालयों में गठित किए गए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के समन्वय के लिए मानव संसाधन विभाग के राजभाषा अनुभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा कक्ष को नोडल कक्ष के रूप में गठित किया गया है। बैंक की सभी प्रशासनिक इकाइयों द्वारा तिमाही आधार पर समकालीन बैंकिंग विषयों पर हिंदी में एक अभिनव चर्चा कार्यक्रम "हिंदी में परिचर्चा" का आयोजन किया जा रहा है।

बैंक ने कर्मचारियों को हिंदी में पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रधान कार्यालय, अंका और क्षेत्र में हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की है। एक डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल भी शुरू किया गया है और सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।

सतर्कता व्यवस्था

प्रधान कार्यालय स्तर पर सतर्कता व्यवस्था में मुख्य सतर्कता अधिकारी शामिल होता है, जिसकी सहायता प्रधान कार्यालय में सतर्कता विभाग के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी को सतर्कता प्रशासन में क्षेत्रीय कार्यालयों / अंचलो / प्रधान कार्यालय / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / बैंक की अन्य अनुषंगी कंपनियों के सतर्कता अधिकारियों द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। सीवीओ के पर्यवेक्षण / मार्गदर्शन के तहत बैंक में सतर्कता प्रबंधन सतर्कता के निवारक, सहभागी, सक्रिय और दंडात्मक पहलुओं पर विभिन्न कार्यों का संचालन करता है, जिसमें संगठन में धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और कदाचार के अवसर प्रदान करने वाले कारकों को समाप्त करने/न्यूनतम करने के लिए निवारक सतर्कता उपायों पर अधिक जोर दिया जाता है और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

16 अगस्त 2023 - 15 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय था, "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" / "Say no to corruption; commit to the Nation"। सभी शाखाओं/कार्यालयों ने भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों जैसे ईमानदारी की शपथ दिलाना, सेमिनार, कार्यशालाएं, ग्राहक शिकायत निवारण बैठकें, जागरूकता वॉकथॉन, ग्राम पंचायतों में जागरूकता सभाएं, पैनल चर्चा/संगोष्ठी, स्कूलों / कॉलेजों में प्रतियोगिताएं (अर्थात निबंध लेखन, वाद-विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं) आदि आयोजित करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आम जनता में जागरूकता पैदा करने और वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म / एफएम रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया गया है। बैंक कर्मचारियों / आम जनता के लिए अंचल कार्यालयों और

Regional Language Cells i.e., Kannada Cell, Tamil Cell, Telugu Cell, Marathi Cell etc., are formed in Circle Offices located in Region 'B' & 'C'. Regional Language Cell under OL Section, HR Wing has been formed as the Nodal Cell for co-ordinating the usage of Regional Languages. "Hindi Mein Paricharcha", an innovative Discussion Programme in Hindi on contemporary banking subjects is being organized by all Administrative Units of the bank on a quarterly basis.

Bank has established Hindi library at HO, COs & ROs for motivating employees to read books in Hindi. A Digital Library portal has also been initiated and made available to all the employees.

VIGILANCE SETUP

Vigilance set up at Head Office level comprises of Chief Vigilance Officer, who is assisted by the Executives and staff of Vigilance Department at HO. The Chief Vigilance Officer is also assisted by Vigilance Officers at Regional Offices/Circles/HO/RRBs/other subsidiaries of the Bank in Vigilance administration. The Vigilance Management in the Bank under the supervision/guidance of CVO administers various functions on preventive, participative, proactive and punitive aspects of vigilance with more emphasis on preventive vigilance measures to eliminate / minimise factors which provide opportunities for frauds, corruption and malpractices in the organization and also to take punitive action as a deterrent measure to check recurrence of such instances.

Vigilance Awareness Week was observed in our Bank from 16th August 2023 - 15th November 2023 with the theme, "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" / "Say no to corruption; commit to the Nation". All the Branches/ Offices have actively participated in conducting various activities such as administering Integrity Pledge, Seminars, Workshops, Customer Grievance Redressal Meetings, Awareness Walkathon, Awareness Sabhas in Gram Panchayats, Panel Discussions / Colloquium, Competitions in Schools / Colleges (viz. Essay Writing, Debate & Quiz Competitions) etc. to bring awareness in society about the ill-effects of Corruption. Social Media Platforms / FM Radio stations have been used to create awareness in General Public and popularize the Vigilance Awareness Week theme of the year. Various competitions were also organized in Circle Offices and Regional Offices

क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं इसके अलावा, बैंक के कर्मचारियों के लिए 03 दिवसीय ऑनलाइन क्विज़ और निबंध लेखन और कार्टून ड्राइंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

हमने सभी शिक्षण एवं विकास केंद्रों को निदेश दिया जाता है कि वे नवनियुक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान "निवारक सतर्कता" पहलू पर एक सत्र आयोजित करें।

परिचालन स्तर पर ज्ञान के अंतर को दूर करने के लिए, सभी कैनराइट्स के लाभ के लिए कैनेट में संबंधित विभाग(मासिक आधार पर) द्वारा निवारक सतर्कता पर एक संग्रह, मासिक निवारक सतर्कता श्रृंखला, त्रैमासिक सतर्कता पत्रिका "केनरा विजिल" और धोखाधड़ी और अनैतिक आचरण पर केस स्टडीज उपलब्ध कराई जाती हैं।

सतर्कता अधिकारियों की औचक शाखा और इकाई यात्राओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक विशेष इन-हाउस पैकेज - निवारक सतर्कता प्रबंधन प्रणाली (पिविएमएस) शुरू की गई है, जिससे निवारक सतर्कता अभ्यास स्वचालित हो जाता है। पिविएमएस पैकेज घोष समिति की सिफारिशों के अनुपालन में एक कदम आगे है, जो शुरुआती चरण में ही गड़बड़ी को रोकने में एक प्रभावी तरीका है (धोखाधड़ी की तत्काल / त्वरित रिपोर्टिंग)।

आईएसी के संबंध में सतर्कता दृष्टिकोण निर्धारित करते समय पाई गई चूकों के आधार पर समय-समय पर प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दिया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है। आरबीआई ने अपने संचार संदर्भ: डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के माध्यम से सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। बैंक आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर आरबीआई को नियमानुरूप (प्रो-फॉर्मा) वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

level for the Bank staff / general public. Moreover, 03-day online quiz and Essay Writing & Cartoon Drawing competitions were also conducted for employees of the Bank.

We have advised all the Learning & Development centres to have a session on "Preventive Vigilance" aspect to the newly recruited probationary officers during their induction-training programme.

To bridge the knowledge gap at the operational level, a compendium on Preventive Vigilance, Monthly Preventive Vigilance Series, Quarterly Vigilance Magazine "Canara Vigil" and case studies on Fraud & unethical practices by concerned wings (monthly basis) are made available in the CANNET for the benefit of all Canarites.

An exclusive in-house package - Preventive Vigilance Management System (PVMS) towards Online Reporting of Surprise Branch & Unit Visits of Vigilance Officers is introduced by Vigilance Wing, thereby Preventive Vigilance Exercise is automated. PVMS package is an edge forward in compliance with GHOSH Committee recommendations, an effective tool in stemming out the rot at the initial stage itself (Instantaneous / quick reporting of frauds).

Systemic improvements are periodically suggested based on the lapses observed while determining vigilance angle in respect of IACs.

Implementation of Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR.BP.BC.No.29/ 21.07.001/2018-19 dated 22nd March,2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI on Half-yearly basis as per the guidelines of RBI.

वित्तीय सुपरमार्केट

केनरा बैंक ने ग्राहकों को 'वन स्टॉप बैंकिंग' सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1980 के दशक के अंत में अनुषंगियों को खोलकर विविध व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत की है। वर्तमान में, बैंक सात घरेलू अनुषंगी, एक विदेशी सहायक कंपनी, पांच सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम के साथ एक 'वित्तीय सुपरमार्केट' के रूप में कार्य करता है। बैंक की सभी घरेलू अनुषंगियाँ / सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों ने वर्ष 2023-24 के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन दर्ज किया। आरबीआई ने केनरा समूह को बैंक के नेतृत्व वाले वित्तीय समूह के रूप में और केनरा बैंक को समूह के लिए नामित इकाई के रूप में पहचाना है।

कैनफिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल):

केनरा बैंक की प्रायोजित इकाई मेसर्स कैनफिन होम्स लिमिटेड देश की प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस संस्थाओं में से एक है। बैंक के पास कंपनी की 29.99% हिस्सेदारी है। मार्च 2024 तक कंपनी के बकाया ऋण ₹34999 करोड़ थे। कंपनी ने ₹750.70 करोड़ का निवल लाभ कमाया पिछले वर्ष के ₹621.21 करोड़ के मुकाबले, 20.84% की वार्षिक वृद्धि के साथ। 31.03.2024 तक कंपनी का सकल एनपीए ₹286 करोड़ (0.82%) और निवल एनपीए ₹147 करोड़ (0.42%) था। कंपनी ने 100% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 200% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड:

मेसर्स केनरा एचएसबीसी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड (सीएचएलआईसी) वर्ष 2007 में एचएसबीसी बीमा (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से बैंक द्वारा शुरू किया गया एक जीवन बीमा संयुक्त उद्यम है। संयुक्त उद्यम ने 16.06.2008 से अपना कारिबार परिचालन की शुरुआत की, जिसमें केनरा बैंक की 51% की बहुलांश हिस्सेदारी थी, उसके बाद एचएसबीसी (26%) और पंजाब नेशनल बैंक (23%) का स्थान था। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹6932.6 करोड़ का सकल प्रीमियम दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹113.30 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। कंपनी ने 2% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वर्ष 2023-24 के लिए 2% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (सीआरएएमसी):

मेसर्स केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड केनरा बैंक और मेसर्स ओरिक्स कॉर्पोरेशन, जापान का एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है,

FINANCIAL SUPERMARKET

Canara Bank, with an objective of offering 'One Stop Banking' facilities for the customers, forayed into diversified business activities by opening subsidiaries during late 1980s. Today, the Bank functions as a 'Financial Supermarket', with seven domestic subsidiaries, one overseas subsidiary, five associates and one joint venture. All the Domestic Subsidiaries / Associate / Joint Venture of the Bank recorded satisfactory performance during the year 2023-24. RBI has identified Canara Group as a Bank-led Financial Conglomerate and Canara Bank as the designated entity for the group.

CANFIN HOMES LIMITED (CFHL):

M/s Canfin Homes Limited, a sponsored entity of Canara Bank is one of the premier housing finance entities in the country. The Bank holds 29.99% stake with the company. The loans outstanding of the Company as at March 2024 were ₹34999 Crore. The Company earned a Net Profit of ₹750.70 crore as against ₹621.21 crore in the previous year, with y-o-y growth of 20.84%. Gross NPAs of the Company was ₹286 crore (0.82%) and Net NPA was ₹147 crore (0.42%) as on 31.03.2024. The Company has provided an interim dividend of 100% and also declared final dividend of 200% for FY 2023-24.

CANARA HSBC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:

M/s Canara HSBC Life Insurance Company Ltd (CHLIC) is a Life Insurance Joint Venture floated by the Bank in association with HSBC Insurance (Asia Pacific) Holding Limited and Punjab National Bank in the year 2007. The JV commenced its business operations with effect from 16.06.2008, with majority shareholding of 51% by Canara Bank, followed by HSBC (26%) and Punjab National Bank (23%). The Company recorded gross premium of ₹6932.6 crore during the year. The Company registered Net Profit of ₹113.30 crore for FY 2023-24. The company has provided an interim dividend of 2% and also declared final dividend of 2% for the year 2023-24.

CANARA ROBECO ASSET MANAGEMENT CO LIMITED (CRAMC):

M/s Canara Robeco Asset Management Company Limited is a joint venture (JV) of Canara Bank and M/s Orix Corporation, Japan with Canara Bank holding 51%

जिसमें केनरा बैंक की 51% हिस्सेदारी है। कंपनी वर्तमान में इक्विटी, बैलेंस्ड और डेट योजनाओं के मिश्रण के साथ 24 म्यूचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन कर रही है। कंपनी ने ₹124.75 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है और 25% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50% का अंतिम लाभांश भी घोषित किया है।

केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड (सीबीएसएल):

मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सीबीएसएल ने 01.04.2017 से केनरा बैंक से निक्षेपागार सहभागी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) सेवाएं ले ली हैं। मेसर्स केनरा बैंक सिक्क्योरिटीज लिमिटेड डीमैट सेवाएं (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट), ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई-बीमा और वित्तीय उत्पादों का वितरण कर रही है। कंपनी संस्थागत और खुदरा दोनों तरह के ग्राहकों को स्टॉक ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए ₹10.06 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड (सीएफएल):

मेसर्स केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड बैंक की फैक्ट्रिंग अनुषंगी कंपनी है, जिसमें बैंक की 70% हिस्सेदारी है। 2023-24 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार ₹2156.45 करोड़ रहा, जिसमें ₹2.71 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया गया।

केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (सीवीसीएफएल):

मेसर्स केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है और केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड ट्रस्ट की ट्रस्टी और प्रबंधक है। कंपनी वर्तमान में फंड ऑफ फंड सहित 4 फंड का प्रबंधन कर रही है, जिसका वर्तमान कुल एयूएम ₹252.00 करोड़ है।

कंपनी ने वर्ष 2023-2024 के दौरान ₹1.29 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1000% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

केनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (सीसीएसएल):

मेसर्स केनबैंक कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रवर्तित एकमात्र सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें बैंक की 69.14% हिस्सेदारी है। सीसीएसएल मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, बीपीओ सेवाओं, एटीएम / किसी भी समय भुगतान सेवाओं, प्रशिक्षण, परामर्श और आरएंडटी एजेंट में लगी हुई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹15.84 करोड़ का निवल लाभ पोस्ट किया है।

Stake. The Company is currently managing 24 Mutual Fund Schemes with a mix of equity, balanced and debt schemes. The Company registered a net profit of ₹124.75 crore and has provided an interim dividend of 25% and also declared final dividend of 50% for FY 2023-24.

CANARA BANK SECURITIES LIMITED (CBSL):

M/s Canara Bank Securities Limited is a wholly owned subsidiary of the Bank. CBSL has taken over the Depository participant services from Canara Bank w.e.f. 01.04.2017. M/s Canara Bank Securities Ltd. is extending Demat Services (Depository Participant), Online Trading, e-Insurance and distribution of Financial products. The Company offers stock broking services to both institutional and retail clients. The Company has registered a net profit of ₹10.06 crore for the year 2023-24.

CANBANK FACTORS LIMITED (CFL):

M/s Canbank Factors Limited is a factoring Subsidiary of the Bank with 70% stake held by the Bank. During 2023-24, the Company had a total business turnover of ₹2156.45 crore, registering net profit of ₹2.71 Crore.

CANBANK VENTURE CAPITAL FUND LIMITED (CVCFL):

M/s Canbank Venture Capital Fund Limited is a wholly Owned Subsidiary of the Bank and the Trustee and Manager of Canbank Venture Capital Fund Trust. The company is presently managing 4 funds including Fund of Fund with present total AUM of ₹252.00 crore.

The Company recorded a net profit of ₹1.29 crore during the year 2023-2024. The company has provided interim dividend of 1000% for FY 2023-24.

CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED (CCSL):

M/s Canbank Computer Services Limited is the only Software Company promoted by a Public Sector Bank in the country, with a 69.14% shareholding by the Bank. CCSL is mainly engaged in IT and Software development services, BPO services, ATM / Any Time Payment services, Training, Consultancy and R&T agent. The Company has posted net profit of ₹15.84 crore for FY 2023-24.

केनबैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड (केनफिना):

मेसर्स केनबैंक वित्तीय सेवा लिमिटेड अपनी गतिविधियों को प्रतिभूतियों में पिछले लेनदेन से उत्पन्न कानूनी मामलों और डिक्ली खातों के तहत बकाया की वसूली तक सीमित कर रही है। कंपनी ने लाभांश की प्राप्ति, बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज और लंबित मुकदमों से संबंधित राशि के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिए ₹4.60 करोड़ का लाभ पोस्ट किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 25% का अंतरिम लाभांश प्रदान किया है।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए):

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसे बैंक द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के साथ संयुक्त उद्यम शोयरधारक समझौते के तहत स्थापित किया गया है।

एचईएफए की स्थापना शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए की गई है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना भी शामिल है, जिससे संस्थानों को वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंकिंग तक पहुंचने में मदद मिलेगी। 31.03.2024 तक, शिक्षा मंत्रालय ने क्रमशः ₹4812.50 करोड़ की पूंजी डाली है और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ का योगदान दिया है। 31.03.2024 तक स्वीकृत कुल ऋण ₹39719.75 करोड़ है और संवितरण ₹19968.26 करोड़ है।

एचईएफए ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न संस्थानों को ₹3123.03 करोड़ का ऋण वितरित किया है और बैंक को एचईएफए से ₹31.23 करोड़ का प्रबंधन शुल्क प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

मार्च 2024 तक, बैंक के पास चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) थे, अर्थात्, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी), केरल में केरल ग्रामीण बैंक (केईजीबी), कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) और कर्नाटक में कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) है।

आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक (एपीजीबी) आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में 551 शाखाओं और 98 एटीएम के साथ बैंक संचालित होता है। मार्च 2024 तक बैंक का कुल कारोबार ₹46,345 करोड़ है। (जमा: ₹21,665 करोड़ अग्रिम: ₹24,680* करोड़)। (*कुल अग्रिम में ₹2300 करोड़ आईबीपीसी शामिल है।)

केरल ग्रामीण बैंक (केजीबी) केरल के सभी 14 जिलों में 634 शाखाओं और 269 एटीएम के साथ बैंक संचालित होता है।

CANBANK FINANCIAL SERVICES LIMITED (CANFINA):

M/s Canbank Financial Services Limited is confining its activities to legal matter arising out of past transactions in securities and recovery of dues under decreed accounts. Company has posted a profit of ₹4.60 crore for the year 2023-24 by way of receipt of dividends, interest received on Bank deposits and amount pertaining to pending litigations. The Company has provided an interim dividend of 25% for FY 2023-24.

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA):

Higher Education Financing Agency (HEFA), is a not-for-profit organization, set up by the Bank under a joint venture shareholder agreement with the Ministry of Education (MoE), Government of India.

HEFA has been set up for developing the educational infrastructure, including R&D infrastructure thereby enabling the institutions to reach top rankings globally. As on 31.03.2024, MoE has infused Capital of ₹4812.50 crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 crore respectively. The total loans sanctioned till 31.03.2024 is ₹39719.75 crore and disbursement stood at ₹19968.26 crore.

HEFA has disbursed ₹3123.03 crore of loans to different institutions during FY 2023-24 and Bank has received ₹31.23 crore of Management Fee from HEFA.

REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As at March 2024, the Bank had four sponsored RRBs, viz., Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) in Andhra Pradesh, Kerala Gramin Bank (KeGB) in Kerala, Karnataka Gramin Bank (KaGB) and Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) in Karnataka.

Andhra Pragathi Grameena Bank (APGB) operates in 10 districts of Andhra Pradesh with 551 branches and 98 ATMs. Total business of the Bank as at March 2024 is ₹46,345 Crore. (Deposits: ₹21,665 Crore Advances: ₹24,680* Crore). (*Aggregate Advances is inclusive of ₹2300 Crore IBPC).

Kerala Gramin Bank (KeGB) operates in all 14 districts of Kerala with 634 branches & 269 ATMs. The total business

मार्च 2024 तक बैंक का कुल कारोबार ₹48,899 करोड़ है। (जमा: ₹24,510 करोड़, अग्रिम: ₹24,389* करोड़)। (*कुल अग्रिम में ₹650 करोड़ आईबीपीसी शामिल है।)

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केएजीबी) कर्नाटक के 22 जिलों में 1122 शाखाओं और 172 एटीएम के साथ बैंक संचालित होता है। मार्च 2024 तक बैंक का कुल कारोबार ₹63,697 करोड़ है। (जमा: ₹34,462 करोड़, अग्रिम: ₹29,235* करोड़)। (*कुल अग्रिम में ₹1275 करोड़ आईबीपीसी शामिल है।)

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (केवीजीबी) कर्नाटक के 9 जिलों में 629 शाखाओं और 50 एटीएम के साथ बैंक संचालित होता है। मार्च 2024 तक बैंक का कुल कारोबार ₹35,884 करोड़ है। (जमा: ₹19,856 करोड़, अग्रिम: ₹16,028* करोड़)। (*कुल अग्रिम में ₹500 करोड़ आईबीपीसी शामिल है।)

बैंक के बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) एटीएम सह डेबिट कार्ड सेवाओं जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 100% सीबीएस अनुपालन करते हैं और अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रुपये डेबिट कार्ड सेवाएं, खाता संग्राहक (अकाउंट एग्रीगेटर) और आधार सक्षम सेवाएं और एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से धन प्रेषण सुविधाएं जैसे आईटी आधारित उत्पादों का विस्तार करके प्रौद्योगिकी के मामले में अपने समकक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) से आगे हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

हमारा बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति प्रतिबद्ध है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए काम किया जाता है, जैसे कि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना, मेधावी एससी / एसटी छात्राओं को छात्रवृत्ति देना, स्कूलों में मरम्मत कार्य करना और जरूरतमंद शैक्षणिक संस्थानों को अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, सामुदायिक विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत और अन्य सामाजिक पहल प्रदान करना। नीचे कुछ सामाजिक पहलों का उल्लेख किया गया है।

✓ बैंक ने समेकित रूप से 74 प्रशिक्षण संस्थानों को प्रायोजित/सह-प्रायोजित किया है, जिससे अब तक 12.44 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है, और उनमें से 74% है।

of the Bank as at March 2024 is ₹48,899 Crore. (Deposits: ₹24,510 Crore, Advances: ₹24,389* Crore). (*Aggregate Advances is inclusive of ₹650 Crore IBPC).

Karnataka Gramin Bank (KaGB) operates in 22 districts of Karnataka with 1122 branches & 172 ATMs. The total business of the Bank as at March 2024 is ₹63,697 Crore. (Deposits: ₹34,462 Crore, Advances: ₹29,235* Crore). (*Aggregate Advances is inclusive of ₹1275 Crore IBPC).

Karnataka Vikas Grameena Bank (KVGB) operates in 9 districts of Karnataka with 629 branches & 50 ATMs. The total business of the Bank as at March 2024 is ₹35,884 Crore. (Deposits: ₹19,856 Crore, Advances: ₹16,028* Crore). (*Aggregate Advances is inclusive of ₹500 Crore IBPC).

Through the Bank's infrastructure support, the RRBs are extending facilities, like, ATM-cum-Debit Card services. The sponsored RRBs are 100% CBS compliant and are ahead of their peer RRBs under technology front by extending IT-based products, like Internet Banking, Mobile Banking, RuPay Debit Card services, Account Aggregator and also Aadhaar-enabled services and remittance facilities through NEFT / RTGS to their customers.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Our Bank remains committed to Corporate Social Responsibility (CSR), towards betterment of the society at large through various activities like training unemployed rural youth, scholarship to meritorious SC/ST Girl students, renovation of schools and providing of other infrastructural facilities to needy educational institutes, providing primary health care, drinking water, community development, empowerment of women, environment protection, Swachh Bharat and other social initiatives. A few social initiatives are outlined below.

✓ Cumulatively, the Bank has sponsored / co-sponsored 74 training institutes, which have trained more than 12.44 lakh unemployed youth so far, with a settlement rate of 74%.

- ✓ बैंक ने महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और कारीगरों को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता के लिए चार **रिटेल मोबाइल मार्केटिंग वैन** दान की हैं।
- ✓ मेधावी एससी / एसटी छात्राओं के लिए **केनरा विद्या ज्योति छात्रवृत्ति योजना** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल ₹8.00 करोड़ की राशि का उपयोग करके 17992 छात्रों को लाभान्वित किया गया है।
- ✓ **शिक्षा** : बैंक ने देश में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। हमारे बैंक ने खासकर हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों को बुनियादी ढांचा, छात्रों के लिए किताबें और स्कूल की आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी आदि की स्थापना करने में योगदान दिया है।
- ✓ **स्वास्थ्य** : बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाईटेक एम्बुलेंस उपलब्ध कराने, लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप में हीमोडायलिसिस यूनिट जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और सिलचर में कछार कैंसर अस्पताल को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त पोषण किया है, जो कैंसर रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करता है। बैंक ने सिविल अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को एम्बुलेंस, सर्जिकल उपकरण आदि के साथ सहायता प्रदान की है और कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित ग्रामीणों की सेवा के लिए सत्य साईं सरला मेमोरियल अस्पताल को आईसीयू वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड मशीनें प्रदान की हैं।
- ✓ **गरीबी और पोषण** : बैंक ने देश में गरीबी को कम करने और पोषण में सुधार करने के लिए कई पहल की हैं। बैंक ने मंदिरों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों आदि के माध्यम से वंचित लोगों को भोजन और पोषण प्रदान करने की पहल की है।
- ✓ **पर्यावरण संरक्षण** : बैंक ने पर्यावरण की रक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। बैंक ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पंचायतों आदि में सौर पैनल, सौर ऊर्जा संयंत्र, ग्रिड, जल संचयन प्रणाली, बायो गैस संयंत्रों की स्थापना जैसी हरित पहलों को लागू किया है। बैंक ने उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में 40,000 नारियल के पेड़ों के वितरण में भी सहायता की है।
- ✓ The Bank has donated four **'Retail Mobile Marketing Vans'** to assist women entrepreneurs, SHGs and artisans to market their products.
- ✓ **Canara Vidya Jyothi Scholarship scheme** to meritorious SC / ST Girl Students. During FY 2023-24, 17992 students have been benefitted, utilizing a total amount of ₹8.00 crore.
- ✓ **Education**: Bank has taken up initiatives to promote education and skill development in the country. Our Bank has contributed towards providing infrastructure to schools, books and school essentials for students, setting up of Digital classrooms, computer labs, libraries etc. especially in the rural areas of our country.
- ✓ **Health**: Bank has financed for providing Hi-tech ambulances in rural areas, providing basic healthcare facilities like hemodialysis unit in Androth Island of Lakshwadeep and supporting Cachar Cancer Hospital at Silchar, which provides free treatment for cancer patients. Bank has also supported Civil Hospitals and Government hospitals with ambulances, surgical equipments etc. and provided ICU ventilators, Ultrasound machines to Satya Sai Sarala Memorial Hospital to serve the downtrodden villagers in rural areas of Karnataka.
- ✓ **Poverty and Nutrition**: Bank has undertaken various initiatives to alleviate poverty and improve nutrition in the country. Bank has taken initiatives to provide food & nutrition to underprivileged people through temples, orphanages, old age homes etc.
- ✓ **Environmental Protection**: Bank has undertaken initiatives to protect the environment and promote sustainability. Bank has implemented green initiatives, such as installation of solar panels, solar power plants, grids, water harvesting systems, bio gas plants in Govt. Schools, Universities, Panchayats etc. to promote environment protection. Bank has also assisted in distribution of 40,000 coconut trees in the cyclone affected areas of Odisha.

- ✓ **स्वच्छ भारत :** बैंक ने स्वच्छ भारत मिशन के सहयोग के लिए पहल की है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण, स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर उपलब्ध कराना आदि। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, बैंक ने कचरा संग्रहकर्ताओं के लिए वाहन उपलब्ध कराए हैं और जैव अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों और पोर्टेबल सीवेज जल उपचार इकाइयों की स्थापना की है।
- ✓ **दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी):** बैंक ने ब्रेल संसाधन केंद्रों को वित्तपोषित करके और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को व्हील चेयर, पैर अपहरण ब्रेसिज़, सहायक उपकरण, परिवहन वैन प्रदान करके पीडब्ल्यूडी को सशक्त बनाने की पहल की है।
- ✓ **ग्रामीण विकास:** बैंक ने सीएसआर गतिविधि के तहत प्री-फैब्रिकेशन रूम और फर्नीचर उपलब्ध कराकर 200 स्थानीय सेवा केंद्रों को सक्रिय करके कोतवाल कैडर को मजबूत करके ग्रामीण विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने की पहल की है। बैंक ने ग्रामीण उद्यमियों को स्वरोजगार प्रशिक्षण और ऋण प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) जैसे प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं।
- ✓ इस वर्ष जिला स्तरीय **खेलों के कार्यान्वयन** के लिए सभी अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खेलकूद पहल की गई।
- ✓ वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के सतत विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एसडी और सीएसआर) पहलों के तहत, बैंक ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण गतिविधियों, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, गरीबी और पोषण, विकलांग व्यक्ति, ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत, और खेलकूद पहल और अन्य क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ₹70.09 करोड़ खर्च किए हैं।
- ✓ **Swachh Bharat:** Bank has taken up initiatives to support the Swachh Bharat Mission, such as building girls toilets in rural areas, providing water purifiers in schools etc. Under Swachh Bharat Abhiyan, Bank has provided vehicles for garbage collectors and setting up of bio waste processing units & portable sewage water treatment units.
- ✓ **Persons with Disabilities (PWD):** Bank has taken initiatives to empower PWDs by financing Braille Resource Centres and by providing wheel chairs, foot abduction braces, assistive devices, transportation van to children with special needs.
- ✓ **Rural Development:** Bank has undertaken initiatives to promote rural development and security by strengthening of Kotwal Cadre through activation of 200 Local Service Centers by providing Pre Fabrication Rooms and Furniture under CSR activity. Bank has set up training institutes like Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) to provide self-employment training and credit to rural entrepreneurs.
- ✓ **Sports initiatives** were undertaken this year for implementation of District level sports through all Circle Offices and Regional Offices pan-India.
- ✓ During the FY 2023-24, under the Sustainable Development & Corporate Social Responsibility (SD & CSR) initiatives of the Bank, the Bank has spent to the tune of ₹70.09 Crore on various sectors like Skill Development, Financial Inclusion, Women Empowerment Activities, Education, Environment Protection, Health, Poverty & Nutrition, Persons with Disability, Rural Development, Swachh Bharat, Sports & other Sectors.

स्थायी समिति का दौरा

वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित स्थायी समितियों ने अध्ययन दौरे किए और बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की: वित्त समिति; आवास और शहरी मामलों की समिति; शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल समिति; पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस समिति; अधीनस्थ विधान संबंधी समिति; सूचना और संचार प्रौद्योगिकी

Visits by Standing Committee

During the year 2023-24, following Standing Committees conducted Study visits and reviewed the Bank's performance: Committee on Finance; Committee on Housing and Urban Affairs; Committee on Education, Women, Children, Youth & Sports; Committee on Petroleum, Natural Gas; Committee on Subordinate Legislation; Committee on Information and Communication Technology Management;

प्रबंधन समिति; संपदा समिति; सरकारी आश्वासन समिति; याचिका समिति; ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति; महिला सशक्तिकरण समिति; एससी / एसटी संसदीय समिति; लोक लेखा समिति; सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति और उद्योग समिति।

पुरस्कार / प्रशंसा और उपलब्धियां

- ✓ क्रेडिट सूचना कंपनी मेसर्स ट्रांसयूनियन सिबिल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए केनरा बैंक को सर्वश्रेष्ठ डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को क्रेडिट सूचना कंपनी मेसर्स सीआरआईएफ द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "डेटा उत्कृष्टता" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ✓ केनरा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट को "बैंकिंग क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रशिक्षण और विकास प्रथाओं" और "प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग - बैंकिंग क्षेत्र" श्रेणियों के अंतर्गत नेतृत्व और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय बीएफएसआई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ✓ सीआईबीएम मणिपाल कैम्पस को भारतीय उद्योग परिसंघ के एक भाग, भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन कैम्पस प्रमाणित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को अंतर्राष्ट्रीय समावेशन गठबंधन सम्मेलन 2024 के दौरान विविधता, इक्विटी, समावेशन (डीईआई) उत्कृष्टता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को फरवरी 2024 में वर्ल्ड ब्रांड कांग्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ द्विभाषी इन-हाउस पत्रिका "श्रेयस" के लिए वैश्विक ब्रांड उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को आईबीए द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए "सर्वश्रेष्ठ फिनटेक और डीपीआई अपनाने-रनर अप", "सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन-रनर अप", "सर्वश्रेष्ठ डिजिटल जुड़ाव-विशेष उल्लेख" के लिए बड़े पीएसबी और पीवीबी बैंक श्रेणी के तहत आईटी बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- ✓ केनरा बैंक को एनक्यूब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में "सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन पुरस्कार" प्राप्त हुआ है।

Committee on Estates; Committee on Government Assurances; Committee on Petitions; Committee on Rural Development and Panchayati Raj; Committee on Empowerment of Women; Parliamentary Committee on SC / ST; Public Accounts Committee; Committee on Social Justice and Empowerment and Committee on Industry.

AWARDS / ACCOLADES & ACHIEVEMENTS

- ✓ Canara Bank has been conferred with Best Data Quality Index (DQI) award for achieving Best Data Quality among Public Sector Banks for the FY 2023-24 by the Credit Information Company - M/s TransUnion CIBIL.
- ✓ Canara Bank was conferred with the "Data Excellence" award for the FY 2023-24 by the Credit Information Company M/s CRIF.
- ✓ Canara Institute of Bank Management has been awarded National BFSI Awards for Leadership & Business Excellence under the categories of "Best Training & Development Practices in Banking Sector" and "Best Use of Technology in Training - Banking Sector".
- ✓ CIBM Manipal Campus has been certified Green Campus by Indian Green Building Council, a part of the Confederation of Indian Industry.
- ✓ Canara Bank has received accolades at the Diversity, Equity, Inclusion (DEI) Excellency awards during International Inclusion Alliance Conference 2024.
- ✓ Canara Bank has been conferred Global Brand Excellence award for Best Bi-lingual In-House Magazine "Shreyas" by World Brand Congress in February 2024.
- ✓ Canara Bank has been conferred with IT Banking technology awards under the Larger PSBs & PVBs Banks category for "Best Fintech & DPI adoption-Runner Up", "Best Financial Inclusion-Runner Up", "Best Digital Engagement - Special mention" for FY 2022-23 by IBA.
- ✓ Canara Bank has received "Best Cyber Security implementation award" at an event Organized by EnQube.

- ✓ केंद्रीय सतर्कता आयोग ने "सतर्कता प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं" के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में केनरा बैंक को प्रथम स्थान दिया है।
- ✓ केनरा बैंक को एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज और एचएसबीसी इंडिया द्वारा बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है।
- ✓ भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने नवंबर 2023 में आयोजित ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस के दौरान केनरा बैंक को आईजीबीसी के संस्थापक सदस्य के रूप में सम्मानित किया।
- ✓ केनरा बैंक को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता चुना गया है।
- ✓ बैंक को "एईपीएस के लिए दोहरी प्रमाणीकरण लेनदेन" को लाइव करने के लिए एनपीसीआई से प्रशंसा मिली है।
- ✓ केनरा बैंक को भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कई श्रेणियों में प्रतिष्ठित उभरते एशिया बैंकिंग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे 'विकास पर सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन' श्रेणी में विजेता, 'भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक' श्रेणी में उपविजेता, 'लाभप्रदता पर सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन' में द्वितीय उपविजेता, 'परिसंपत्ति गुणवत्ता पर सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन' में द्वितीय उपविजेता और 'जोखिम प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन' में द्वितीय उपविजेता।
- ✓ केनरा बैंक को जून 2023 में "एपीवाई वार्षिक सम्मान कार्यक्रम" में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एपीवाई के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एपीवाई वार्षिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- ✓ केनरा बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र द्वारा वर्ष 2023 के लिए "राजभाषा सोपान सम्मान" प्रदान किया गया है।
- ✓ Central Vigilance Commission has ranked Canara Bank as No. 1 among the comity of Public Sector Banks, in the area of "Best Practices in Vigilance Administration.
- ✓ Canara Bank has received Inclusive Finance India award 2023 under Priority sector lending by Bank (Public sector) presented by Access Development services and HSBC India.
- ✓ The Indian Green Building Council felicitated Canara Bank as IGBC Founding member during Green Building Congress held in November 2023.
- ✓ Canara Bank has been adjudged outstanding Performer in Large Public Sector Banks category under Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme.
- ✓ Bank has received accolades from NPCI for making live "Dual Auth. Transaction for AePS".
- ✓ Canara Bank is honoured with the prestigious Emerging Asia Banking Awards in multiple categories, organized by Indian Chamber of Commerce viz. winner in 'Best Performance on Growth' category, runner up in 'Best Bank in India' category, second runner up in 'Best Performance on Profitability', second runner up in 'Best Performance on Asset Quality' and second runner up in 'Best Performance in Risk Management'.
- ✓ Canara Bank has received the APY Annual award for achieving the set targets under APY during FY 2022-23 at "APY Annual Felicitations Programme" in June 2023.
- ✓ Canara Bank has received the "Rajbhasha Sopan Samman" by the Center for Indian Language and Culture for the year 2023 for the best performance in the field of official language implementation.

प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक सहित निदेशकों में परिवर्तन

| क्र. सं. | नाम | पद | नियुक्ति तिथि | कार्यकाल समाप्ति तिथि |
|----------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 | श्री बृज मोहन शर्मा | कार्यपालक निदेशक | 19.05.2021 | 30.06.2023 |
| 2. | श्री सुचिन्द्र मिश्रा | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक | 14.06.2016 | 25.10.2023 |
| 3. | श्री भवेन्द्र कुमार | कार्यपालक निदेशक | 09.10.2023 | 08.10.2026 |
| 4. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक | 25.10.2023 | अगले आदेश तक |

निदेशक मंडल

(वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / निवृत्ति)

निवृत्ति:

1. श्री बृज मोहन शर्मा को बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 19.05.2021 से उनकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख तक (अर्थात 30.06.2023) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 30.06.2023 को सेवानिवृत्त हो गए।
2. श्री सुचिन्द्र मिश्रा को बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 14.06.2016 से उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 25.10.2023 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया।

नियुक्तियाँ:

1. श्री भवेन्द्र कुमार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 09.10.2023 से पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

CHANGE IN DIRECTORS, INCLUDING MANAGING DIRECTOR / WHOLE-TIME DIRECTOR

| Sl. No. | Name | Designation | Date of Appointment | Date of Cessation |
|---------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Shri Brij Mohan Sharma | Executive Director | 19.05.2021 | 30.06.2023 |
| 2. | Shri Suchindra Misra | GOI Nominee Director | 14.06.2016 | 25.10.2023 |
| 3. | Shri Bhavendra Kumar | Executive Director | 09.10.2023 | 08.10.2026 |
| 4. | Shri Parshant Kumar Goyal | GOI Nominee Director | 25.10.2023 | Until Further Orders |

Board of Directors

(APPOINTMENT / CESSATION OF DIRECTORS DURING THE YEAR 2023-24)

Cessations:

1. **Shri Brij Mohan Sharma** was appointed as Executive Director w.e.f. 19.05.2021, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e. 30.06.2023), or until further orders, whichever is earlier. He was superannuated on 30.06.2023.
2. **Shri Suchindra Misra** was appointed as GOI Nominee Director w.e.f. 14.06.2016, by the Central Government u/s 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier. He was ceased on 25.10.2023.

Appointments:

1. **Shri Bhavendra Kumar** was appointed as Executive Director w.e.f. 09.10.2023, by the Central Government u/s 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.
2. **Shri Parshant Kumar Goyal** was appointed as GOI

2. श्री प्रशांत कुमार गोयल को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 25.10.2023 से भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में, पदभार ग्रहण करने की तारीख से या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

निदेशकगण, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- यह कि वार्षिक लेखों को तैयारी करने में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था तथा भौतिक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।
- यह कि उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया था तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए बैंक के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- यह कि उन्होंने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए भारत में बैंकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।
- यह कि उन्होंने वार्षिक लेखाओं को चालू प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था।
- बैंक द्वारा अपनाए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और कहा था कि ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

Nominee Director w.e.f. 25.10.2023, by the Central Government u/s 9 (3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024, confirm the following:

- That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- That they had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit or loss of the Bank for the period.
- That they had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- That they had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- Internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24क और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने एस. केदारनाथ एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सीपी संख्या 4422) को 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है और बैंक के सदस्यों को संबोधित उनकी रिपोर्ट, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

अभिस्वीकृति

बोर्ड, ग्राहकों को उनके प्रतिपालन के लिए, श्रेयधारकों को उनके सहयोग के लिए, सरकारी प्राधिकारियों और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, निदेशकों जिन्होंने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपना कार्यकाल पूरा किया, भारत और विदेशों में बैंक के प्रतिनिधियों को उनके सहयोग और प्रतिबद्धता के लिए और सभी स्टाफ सदस्यों को संगठनात्मक विकास और उत्कृष्टता की खोज में उनके पूर्ण सहयोग के लिए ईमानदारीपूर्वक सराहना करता है।

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

SECRETARIAL AUDIT FOR FINANCIAL YEAR 2023-24

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed S. KEDARNATH & ASSOCIATES, Practicing Company Secretary (CP No. 4422) as the Secretarial Auditor for 2023-24 and their report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the customers for their patronage, to the shareholders for their support, to the Government authorities and the Reserve Bank of India for their valuable guidance and support, to the Directors who completed their tenure during the financial year under review, to the Bank's Correspondents in India and abroad for their co-operation and goodwill and to all the Staff Members for their full support in the pursuit of organizational growth and excellence.

K. SATYANARAYANA RAJU

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR & CEO



यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[सेबी (सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए और सेबी परिपत्र: सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक: 08 फरवरी, 2019 से संबंधित)

सेवा में,
सदस्यगण,
केनरा बैंक
112, जे सी रोड, टाउन हॉल
बेंगलूरु
कर्नाटक
भारत - 560002

हमने केनरा बैंक (पैन-AAACC6106G) (इसके बाद 'द बैंक' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है, जिसका पंजीकृत कार्यालय नंबर 112, जेसी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु - 560002 है, कर्नाटक में है।

केनरा बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत शासित है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया था।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म और रिटर्न के हमारे सत्यापन के आधार पर, बैंक द्वारा अनुरक्षित और लेखापरीक्षा के लिए हमें उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड तथा बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन में, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, आम तौर पर यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया था और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-प्रणाली उपलब्ध है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2024

[Pursuant to regulation 24A of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015 and SEBI circular: CIR/CFD/
CMD1/27/2019 dated February 08, 2019)

To,
The Members,
CANARA BANK
112, J C Road, Town Hall
Bengaluru
Karnataka
India - 560002

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate governance practices by Canara Bank bearing PAN: AAACC6106G (hereinafter called 'the Bank') having its registered office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru, Karnataka, India - 560002.

Canara Bank is a Nationalized Bank, governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and the Reserve Bank of India Act, 1934. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us the reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that, in our opinion, during the audit period covering the financial year ended March 31, 2024, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल फॉर्म व रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम एक राष्ट्रीयकृत बैंक पर लागू सीमा तक।
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम।
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम, यदि कोई हों।
- (v) बैंकिंग विधान
- (vi) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी') के तहत निर्धारित और समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:
 - ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015;
 - बी) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, (एलओडीआर विनियम) जिसमें बैंक की वेबसाइट पर जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ और वित्तीय वर्ष के दौरान शेयर बाजारों को अन्य प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ शामिल हैं;
 - सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018, आज तक यथा संशोधित;
 - डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993
 - ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015,
 - एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर्स) विनियम, 1992
 - जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बैंकर टू इशू) विनियमन, 1994

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2024 relating to the applicable provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder to the extent applicable to a Nationalized Bank.
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made thereunder
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings, if any.
- (v) Banking Legislations
- (vi) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI') and as amended from time to time:
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - b) SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. (LODR Regulations) including the requirements with regard to the disclosure of information on Bank's website and other disclosure and reporting requirements to the Stock Exchanges during the Financial Year;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Banker to Issue) Regulations, 1994

- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009
- आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 2018
- जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008

वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई अवसर नहीं आया जिसमें निम्नलिखित विनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत विशिष्ट अनुपालन की आवश्यकता हो:

- के) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014, आज तक यथा संशोधित;
- एल) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2015;
- एम) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियमन, 2021; तथा
- एन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 2013, आज तक यथा संशोधित है;
- ओ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021
- पी) सेबी (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999

हमने बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर केनरा बैंक पर लागू सीमा तक अन्य लागू अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा स्थापित प्रणालियों और तंत्रों की समीक्षा की है और निम्नलिखित उद्योग विशिष्ट कानूनों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

- 1) केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000
- 2) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- 3) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
- 4) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

- h) Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009
- i) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018
- j) The Securities and Exchange Board of India (Issue and listing of Debt Securities) Regulations, 2008

There were no occasions during the financial year requiring specific compliance under the provisions of the following Regulations and Guidelines:

- k) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employees Benefits) Regulations, 2014, as amended till date;
- l) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2015;
- m) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity shares) Regulations, 2021; and
- n) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2013, as amended till date;
- o) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Debt Securities) Regulations, 2021
- p) The SEBI (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999

We have, basis the representation made by the Bank and its Officers, reviewed the systems and mechanisms established by the Bank for ensuring compliances under other applicable Acts, Laws, Rules, Regulations, Guidelines to the extent applicable to Canara Bank and categorized under the following industry specific laws:

1. Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000
2. The Banking Regulations Act, 1949
3. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
4. The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

5. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
6. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक ने पर्याप्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित और लागू किया है जो सामान्य कानूनों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं और यह लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने आकार और परिचालन की सीमा के अनुरूप हैं।

हमने निम्नलिखित के संबंध में भी अनुपालन की जांच की है:

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
- ii. बैंक द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने आम तौर पर पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र/शेयरधारक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बैंक के मामलों का प्रबंधन / संचालन बोर्ड और बोर्ड की समितियों के माध्यम से किया जाता है।

बोर्ड / समिति की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दिया गया था, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की उप समितियों का पुनर्गठन आवश्यक प्रावधानों का पालन करके किया गया था। बोर्ड द्वारा अपनी बैठकों में बहुमत के फैसले लिए गए और असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो, के संबंध में बैठकों के कार्यवृत्त स्व-व्याख्यात्मक हैं।

5. Reserve Bank of India Act, 1934
6. Master Directions, Notifications and Guidelines issued by RBI from time to time.

We also report that the Bank has developed and implemented adequate systems and processes which are in place to monitor and ensure compliances with the General Laws and the same is commensurate with its size and extent of operations, to effectively ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We have also examined compliance with respect to:

- i. Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India
- ii. The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited Stock Exchange(s)

We report that during the period under review, the Bank has generally complied with the provisions of the Acts, Rules, regulations, Guidelines, standards et cetera mentioned in the foregoing paragraphs.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with a proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent / Shareholder Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the relevant acts.

The affairs of the Bank are managed / governed through the Board and its Committees of the Board.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board / Committee Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. Sub Committee of Board were reconstituted during the financial year by following necessary provisions governing the same. Majority decisions were carried through by the Board at its meetings and minutes of meetings are self-explanatory with regard to dissenting members views, if any.

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं / कार्रवाइयां हुईं:

1. 27 सितंबर, 2023 को, 1 लाख रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में 7.54% गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय, अप्रतिभूति, पूर्ण भुगतान वाले दीर्घकालिक बांड जारी और आवंटित किए गए, जिनकी राशि 5,000 करोड़ रुपये है।
2. 29 नवंबर, 2023 को, 1 लाख रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में 7.68% अप्रतिभूति, कर योग्य, प्रतिदेय, अप्रतिभूति, पूर्ण भुगतान वाले दीर्घकालिक बांड जारी और आवंटित किए गए, जिनकी राशि 5,000 करोड़ रुपये है।
3. दिसंबर 2023 को कुल निर्गम मात्रा 3,500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और मूल निर्गम मात्रा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और 1 करोड़ रुपये अंकित मूल्य के 8.40% गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, शाश्वत, अधीनस्थ, पूर्ण भुगतान, अप्रतिभूतित बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर I बांड आवंटित किए गए, प्रत्येक की राशि 1,403 करोड़ रुपये है; और
4. फरवरी 2024 को, समग्र कुल निर्गम आकार 2000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और मूल निर्गम आकार 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और 8.40% गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, शाश्वत, अधीनस्थ, पूर्ण भुगतान, अप्रतिभूति बेसल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बांड आवंटित किए गए, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 1 करोड़ रुपये है, जिसकी राशि 2,000 करोड़ रुपये है।

कृते एस केदारनाथ एंड एसोसिएट्स
स्वयंभू केदारनाथ
M. No.: F3031 | CoP No.: 4422
ICSI FRN: S2010KR128100
ICSI PRN: 1437/2021
ICSI UDIN: F003031F000270331

दिनांक : 29 अप्रैल, 2024
स्थान : बेंगलुरु

We further report that, during the year under review, the Bank had following major specific events or actions which might have bearing on the Bank's in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards.

1. on September 27, 2023, issued and allotted 7.54% Non-Convertible, Taxable, Redeemable, Unsecured, Fully Paid-up Long-Term Bonds in the nature of debentures of face value of INR 1 Lakh each amounting to INR 5,000 Crores
2. on November 29, 2023, issued and allotted 7.68% Unsecured, Taxable, Redeemable, Unsecured, Fully Paid-up Long-Term Bonds in the nature of debentures of face value of INR 1 Lakh each amounting to INR 5,000 Crores
3. on December 11, 2023, aggregate total issue size not exceeding INR 3,500 Crores with a base issue size of INR 1,000 Crores and allotted 8.40% Non-Convertible, Taxable, Perpetual, Sub-ordinated, Fully Paid-Up, Unsecured Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of face value INR 1 crore each amounting to INR 1,403 Crores; and
4. on February 14, 2024, Aggregate Total Issue size not exceeding INR 2000 Crores with a base issue size of INR 500 Crores and allotted 8.40% Non-Convertible, Taxable, Perpetual, Subordinated, Fully Paid-Up, Unsecured Basel III Compliant Additional Tier I Bonds of face value INR 1 crore each amounting to INR 2,000 Crores.

For S Kedarnath & Associates
Swayambhu Kedarnath
M. No.: F3031 | CoP No.: 4422
ICSI FRN: S2010KR128100
ICSI PRN: 1437/2021
ICSI UDIN: F003031F000270331

Place : Bengaluru
Date : 29.04.2024

अनुलग्नक-क

सेवा में,
सदस्यगण,
केनरा बैंक,
112, जे सी रोड, टाउन हॉल,
बेंगलुरु,
कर्नाटक
भारत - 560002

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय/ बैंकिंग रिकॉर्ड पर एक अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जैसा कि सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। सत्यापन, परीक्षण के आधाय पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं प्रथाएं, हमें हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है, जिसमें बैंक पर लागू माल और सेवा कर, आयकर, सीमा शुल्क और अन्य संबंधित अधिनियमों से संबंधित रिकॉर्ड शामिल हैं।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और दृष्टांतों आदि के होने के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते केदारनाथ एंड एसोसिएट्स
स्वयंभू केदारनाथ

M. No.: F3031 | CoP No.: 4422

ICSI FRN: S2010KR128100

ICSI PRN: 1437/2021

ICSI UDIN: F003031F000270331

स्थान : बेंगलुरु
दिनांक : 29 अप्रैल, 2024

Annexure-A

To,
The Board of Directors of
CANARA BANK,
112, J C Road, Town Hall,
Bengaluru,
Karnataka,
India - 560002

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the process and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank including the records pertaining to Goods and Services Taxes, Income Tax, Customs and other related enactments applicable to the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, et cetera.
5. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S Kedarnath & Associates
Swayambhu Kedarnath
M. No.: F3031 | CoP No.: 4422
ICSI FRN: S2010KR128100
ICSI PRN: 1437/2021
ICSI UDIN: F003031F000270331

Place : Bengaluru
Date : 29.04.2024

कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग
(बीआरएसआर)

खंड ए : सामान्य प्रकटन

I. सूचीबद्ध इकाई के बारे में

| | | |
|----|---|---|
| 1 | सूचीबद्ध इकाई के कापोरिट पहचान संख्या | लागू नहीं |
| 2 | सूचीबद्ध इकाई का नाम | केनरा बैंक |
| 3 | निगमन का वर्ष | 1906 |
| 4 | पंजीकृत कार्यालय पता | केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002 |
| 5 | कापोरिट पता | केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002 |
| 6 | ई-मेल | hosecretarial@canarabank.com |
| 7 | दूरभाष | 080-22221581 |
| 8 | वेबसाइट | www.canarabank.com |
| 9 | वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग किया गया | अप्रैल 2023-मार्च 2024 |
| 10 | स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है | बीएसई लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड |
| 11 | चुकता पूंजी | रु. 1814.13 करोड़ |
| 12 | उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है | श्री संतोष कुमार बारिक, कम्पनी सचिव, सचिवीय विभाग, 112 जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002. फोन : 08022100250, ई-मेल आईडी : hosecretarial@canarabank.com |
| 13 | रिपोर्टिंग सीमा क्या इस रिपोर्ट के तहत किए गए खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिए गए हैं)। | इस रिपोर्ट में किए गए खुलासे स्टैंडअलोन आधार पर हैं यह रिपोर्ट बैंक के विभिन्न व्यापारिक कार्यक्षेत्रों में अखिल भारतीय परिचालनों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है। |

Business Responsibility & Sustainability Reporting (BRSR)

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the listed entity

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity | NA |
| 2 | Name of the Listed Entity | Canara Bank |
| 3 | Year of incorporation | 1906 |
| 4 | Registered office address | Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru- 560002 |
| 5 | Corporate Address | Canara Bank, Head Office, 112 J C Road, Bengaluru- 560002 |
| 6 | E-mail | hosecretarial@canarabank.com |
| 7 | Telephone | 080-22221581 |
| 8 | Website | www.canarabank.com |
| 9 | Financial year for which reporting is being done | April 2023-March 2024 |
| 10 | Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed | BSE Limited National Stock Exchange of India Limited |
| 11 | Paid-up Capital | INR 1814.13 Crores |
| 12 | Name and contact details (telephone, e-mail address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report | Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary, Secretarial Department, 112 J C Road, Head Office, Bengaluru - 560 002. Phone: 080-22100250 E-mail ID: hosecretarial@canarabank.com |
| 13 | Reporting boundary Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together). | Disclosures made in this report are on a standalone basis The Report presents information about the pan-India operations of the Bank across various business verticals. |

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 14 | आश्वासन प्रदाता का नाम | एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | प्राप्त आश्वासन का प्रकार | बीआरएसआर कोर पर उचित आश्वासन, जैसा लागू हो |

II. उत्पाद/सेवाएं

16. कारोबार गतिविधियों के ब्योरे (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

| क्र. सं. | मुख्य गतिविधि का विवरण | कारोबार गतिविधि का विवरण | इकाई के कारोबार का% (विव 2022-23) |
|----------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | वित्तीय सेवाएं, मुख्य रूप से बैंकिंग गतिविधि - जमा की स्वीकृति गतिविधि - जमा की स्वीकृति | बचत जमा, चालू जमा, मीयादी जमा, आवर्ती जमा आदि। | 100% |
| 2 | बैंकिंग गतिविधि - साख वित्त | कृषि ऋण, एमएसएमई ऋण, खुदरा ऋण, कॉर्पोरेट ऋण और अन्य | |

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% के लिए लेखांकन):

| क्र. सं. | उत्पाद / सेवा | एनआईसी कूट | कुल कारोबार का% योगदान दिया |
|----------|---|------------|-----------------------------|
| 1 | वित्तीय सेवाएं, मुख्यतः बैंकिंग गतिविधि - जमा की स्वीकृति गतिविधि - जमा की स्वीकृति | 64191 | 100% |
| 2 | थोक बैंकिंग | - | |
| 3 | खुदरा बैंकिंग | - | |
| 4 | ग्रामीण व कृषि बैंकिंग | - | |

नोट: पर्यावरण के अनुकूल पहल को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्राहकों को ऐसे वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंच प्रदान करना है जो अधिक पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ भविष्य में उनके परिवर्तन का समर्थन करते हैं।

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 14 | Name of assurance provider | SGS India Pvt Ltd |
| 15 | Type of assurance obtained | Reasonable Assurance on BRSR Core as applicable |

II. Products/Services

16. Details of business activities

(accounting for 90% of the turnover):

| Sl. No. | Description of main activity | Description of business activity | % of turnover of the entity (FY 2023-24) |
|---------|--|---|--|
| 1 | Financial Services, mainly Banking Activity - Acceptance of Deposit Activity - Acceptance of Deposit | Saving Deposit, Current Deposit, Term Deposit, Recurring Deposit etc. | 100% |
| 2 | Banking Activity - Credit Finance | Agriculture Lending, MSME Lending, Retail Lending, Corporate Lending and Others | |

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

| Sl. No. | Product/Service | NIC Code | % of total turnover contributed |
|---------|--|----------|---------------------------------|
| 1 | Financial Services, mainly Banking Activity - Acceptance of Deposit Activity - Acceptance of Deposit | 64191 | 100% |
| 2 | Wholesale Banking | - | |
| 3 | Retail Banking | - | |
| 4 | Rural and Agri Banking | - | |

Note: The Green Deposit Policy Framework is implemented by Canara Bank to promote environmentally friendly initiatives. Its primary objective is to provide customers with access to financing options that support their transition to a more environmentally sustainable future.

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

| स्थान | शाखाओं की संख्या | कार्यालयों की संख्या | कुल |
|----------------|------------------|----------------------|------|
| राष्ट्रीय | 9604 | 238 | 9842 |
| अंतर्राष्ट्रीय | 3 | 3 | 6 |

यथा दिनांक 31.03.2024, केनरा बैंक की 6 विदेशी केंद्रों में 3 विदेशी शाखाएं लंदन, न्यूयॉर्क, और डीआईएफसी दुबई हैं। बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, डार एस सलाम, तंजानिया में केनरा बैंक तंजानिया लिमिटेड, शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में एक प्रतिनिधि कार्यालय और गिफ्ट सिटी, गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) भी है।

19. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किए गए बाजार:

ए. स्थानों की संख्या

| स्थान | संख्या |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| राष्ट्रीय (राज्यों की सं.) | 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्र |
| अंतर्राष्ट्रीय (देशों की सं.) | 4 |

*केनरा बैंक का परिचालन 4 विदेशी देशों में है, संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयॉर्क), यूनाइटेड किंगडम (लंदन), संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (दार एस सलाम)।

बी. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

लागू नहीं

सी. ग्राहकों के प्रकार पर एक संक्षिप्त

बैंक ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला को सेवा प्रदान करता है, जिनमें कॉर्पोरेट, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, वेतनभोगी और स्व-रोजगार व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, किसान, अनिवासी भारतीय और अन्य शामिल हैं। इसकी प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कृषि, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, माइक्रोक्रेडिट और समाज के कमजोर वर्गों और निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन गतिविधियों को पाँच खंडों में व्यवस्थित किया गया है

व्यक्तिगत बैंकिंग: केनरा बैंक बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें बचत, चालू और मीयादी जमा जैसे पारंपरिक जमा खातों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश के अवसर भी शामिल हैं। खुदरा ऋण उत्पाद विभिन्न वित्तीय ज़रूरतों जैसे घर खरीदने, शिक्षा वित्तपोषण और व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करते हैं। डिजिटल

III. Operations

18. Number of locations where plants and/or operations/offices of the entity are situated:

| Location | Number of branches | Number of offices | Total |
|---------------|--------------------|-------------------|-------|
| National | 9604 | 238 | 9842 |
| International | 3 | 3 | 6 |

As at 31.03.2024, Canara Bank has 6 overseas centres with 3 overseas branches at London, New York, DIFC Dubai. Canara Bank has a subsidiary in The United Republic of Tanzania (CBTL) at Dar es Salaam, Tanzania, and a representative office at Sharjah and an International Banking Unit (IBU) at GIFT City, Gujarat.

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

| Locations | Number |
|----------------------------------|---------------------------------|
| National (No. of States) | 28 States & 8 Union Territories |
| International (No. of Countries) | 4 |

*Canara Bank has operations in 4 foreign countries namely, United States of America (New York), United Kingdom (London), United Arab Emirates (Dubai) and The United Republic of Tanzania (Dar es Salaam)

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

NA

c. A brief on types of customers

The Bank caters to a wide range of customers, including corporates, micro, small, and medium enterprises, salaried and self-employed individuals, senior citizens, farmers, non-resident Indians, and others. Its principal business activities are aligned with national priorities, focusing on supporting agriculture, education, housing, social infrastructure, renewable energy, microcredit, and lending to vulnerable sections of society and specified minority communities. These activities are organized into five segments:.

Personal Banking Services: Canara Bank provides a comprehensive range of banking services, including traditional deposit accounts like savings, current, and term deposits, as well as investment opportunities through mutual funds. The retail loan products cater to

नवाचार को अपनाने में, बैंक ग्राहकों के लिए लेनदेन दक्षता को बढ़ाते हुए फास्ट टैग और यूपीआई जैसे आधुनिक समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक अनिवासी भारतीयों के लिए निर्बाध वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए विशेष एनआरआई बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। कुल मिलाकर, बैंक अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाएं: इसमें खाते और जमा, आपूर्ति श्रृंखला वित्त प्रबंधन, सिंडिकेशन सेवाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजनाएं शामिल हैं। बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए एक नया उत्पाद, द्विपीआई बैंकिंग पेश किया है। एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) तकनीक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के बीच निर्बाध संचार को सक्षम बनाती है जिससे जानकारी और डेटा साझा करना आसान हो जाता है। एपीआई बैंकिंग का लक्ष्य कॉर्पोरेट ग्राहकों को निर्बाध और सुरक्षित तरीके से डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एपीआई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।

ग्रामीण बैंकिंग सेवाएं: बैंक पीएमईजीपी, एनआरएलएम, एनयूएलएम, डीआरआई योजना, स्टैंड-अप इंडिया और पीएमएमवाई जैसे सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मार्च 2023 तक, बैंक चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है: केरल ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, और आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण व्यक्ति जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है उनको बैंक बुनियादी बचत जमा खाते, प्रधान मंत्री जन धन योजना ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, और साख विकल्प जैसे कि अलग-अलग ब्याज दर योजना, किसान साख कार्ड योजना, ऋण स्वैपिंग योजना, स्वयं सहायता समूह सहायता और अन्य साख उत्पाद प्रदान करता है।

विदेशी शाखाएं: विदेशी शाखाएं मुख्य रूप से थोक व्यापार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे उधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरबैंक जमा और उधार इकट्ठा करते हैं। इसमें सिंडिकेटेड मीयादी ऋण, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और व्यापार क्रेडिट के लिए क्रेडिट प्रस्तावों को संभालना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वे प्राथमिक और द्वितीयक सिंडिकेशन दोनों के लिए प्रस्तावों का प्रबंधन करते हैं। बैंक के क्रेडिट एक्सपोजर में मुख्य रूप से वित्तीय संस्थान, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और विनिर्माण उद्योग शामिल हैं।

विभिन्न ग्राहक वर्गों को सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से, बैंक अपने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने, उनकी वित्तीय हित की रक्षा करने और उनकी समग्र सफलता में योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखता है।

various financial needs such as home buying, education financing, and personal expenses. In embracing digital innovation, the Bank offers modern solutions like Fast Tag and UPI, enhancing transaction efficiency for customers. Additionally, Canara Bank offers specialized NRI banking services, ensuring seamless financial management for non-resident Indians. Overall, the bank is committed to delivering personalized banking solutions to meet the diverse needs of its customers.

Corporate Banking Services: Includes accounts and deposits, supply chain finance management, syndication services, Technology Upgradation Fund Schemes among others. Bank has introduced a new product, "API Banking" for Corporate Customers. Application Programming Interface (API) technology enables seamless communication between software applications making it easier to share information and data. API Banking aims to leverage API Technology to deliver Digital Banking Services to Corporate Customers in a seamless and secured manner

Rural Banking Services: The Bank actively participates in Government-sponsored programs like PMEGP, NRLM, NULM, DRI Scheme, Stand-Up India, and PMMY. As of March 2023, the Bank sponsors four Regional Rural Banks: Kerala Gramin Bank, Karnataka Gramin Bank and Karnataka Vikas Grameena Bank, and Andhra Pradesh Gramin Bank. Additionally, the Bank provides basic savings deposit accounts, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna overdraft facilities, and credit options such as the Differential Rate of Interest Scheme, Kisan Credit Card Scheme, Debt Swapping Scheme, Self Help Group support, and other credit products to unbanked rural individuals.

Overseas: The overseas branches primarily focus on wholesale business activities. They gather inter-bank deposits and borrowings to meet lending needs. This includes handling credit proposals for syndicated term loans, External Commercial Borrowings (ECBs), and trade credit. Additionally, they manage proposals for both primary and secondary syndications. The Bank's credit exposure mainly involves financial institutions, corporations, public sector undertakings (PSUs), and manufacturing industries.

Through catering to various customer segments and offering a wide array of financial services, the Bank maintains its commitment to meeting the evolving needs of its clientele, safeguarding their financial well-being, and contributing to their overall success.

IV. कर्मचारी :

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

ए. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

| क्र. सं. | विवरण | कुल* (ए) | पुरुष | | महिला | | अन्य | |
|-----------------|----------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|---------|
| | | | सं. (बी) | % (बी / ए) | सं. (सी) | % (सी / ए) | सं. (डी) | %(डी/ए) |
| कर्मचारी | | | | | | | | |
| 1 | स्थायी (ई) | 82638 | 56399 | 68.25% | 26238 | 31.75% | 1 | 0.0012% |
| 2 | स्थायी के अलावा (एफ) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | कुल कर्मचारी (ई+एफ) | 82638 | 56399 | 68.25% | 26238 | 31.75% | 1 | 0.0012% |
| कामगार | | | | | | | | |
| 4 | स्थायी (जी) | लागू नहीं | | | | | | |
| 5 | स्थायी के अलावा (एच) | | | | | | | |
| 6 | कुल कामगार (जी+एच) | | | | | | | |

* हमारे साथ बैंक में एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी कार्यरत है.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently-abled):

| S. No. | Particulars | Total* (A) | Male | | Female | | Other | |
|------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) | No. (D) | % (D / A) |
| EMPLOYEES | | | | | | | | |
| 1 | Permanent (E) | 82638 | 56399 | 68.25% | 26238 | 31.75% | 1 | 0.0012% |
| 2 | Other than Permanent (F) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Total employees (E + F) | 82638 | 56399 | 68.25% | 26238 | 31.75% | 1 | 0.0012% |
| WORKERS | | | | | | | | |
| 4 | Permanent (G) | NA | | | | | | |
| 5 | Other than Permanent (H) | | | | | | | |
| 6 | Total workers (G + H) | | | | | | | |

*The Bank has one transgender employee working with us.

बी. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार :

| क्र. सं. | विवरण | कुल (ए) | पुरुष | | महिला | | अन्य | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|
| | | | सं. (बी) | % (बी / ए) | सं. (सी) | % (सी / ए) | सं. (डी) | % (डी/ए) |
| दिव्यांग कर्मचारी | | | | | | | | |
| 1 | स्थायी (ई) | 2465 | 1905 | 77.28% | 560 | 22.72% | 0 | 0.00% |
| 2 | स्थायी के अलावा (एफ) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | कुल दिव्यांग कर्मचारियों (ई+एफ) | 2465 | 1905 | 77.28% | 560 | 22.72% | 0 | 0.00% |
| दिव्यांग कामगार | | | | | | | | |
| 4 | स्थायी (जी) | लागू नहीं | | | | | | |
| 5 | स्थायी के अलावा (एच) | | | | | | | |
| 6 | कुल दिव्यांग कामगार (जी+एच) | | | | | | | |

b. Differently-abled Employees and Workers:

| Sl. No. | Particulars | Total (A) | Male | | Female | | Other | |
|-----------------------------|---|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | No. (B) | % (B / A) | No. (C) | % (C / A) | No. (D) | % (D / A) |
| DIFFERENTLY-ABLED EMPLOYEES | | | | | | | | |
| 1 | Permanent (E) | 2465 | 1905 | 77.28% | 560 | 22.72% | 0 | 0.00% |
| 2 | Other than Permanent (F) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Total differently-abled employees (E + F) | 2465 | 1905 | 77.28% | 560 | 22.72% | 0 | 0.00% |
| DIFFERENTLY-ABLED WORKERS | | | | | | | | |
| 4 | Permanent (G) | NA | | | | | | |
| 5 | Other than Permanent (H) | | | | | | | |
| 6 | Total differently-abled workers (G+H) | | | | | | | |

21. महिलाओं की भागीदारी/ समावेशन/प्रतिनिधित्व

| | कुल (ए) | महिलाओं की सं. व प्रतिशत | |
|-----------------------|---------|--------------------------|------------|
| | | सं. (बी) | % (बी / ए) |
| निदेशक मंडल | 13 | 2 | 15.38% |
| मुख्य प्रबंधन कार्मिक | 7 | 0 | 0 |

21. Participation/Inclusion/Representation of Women

| | Total (A) | No. and Percentage of Females | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | No. (B) | % (B / A) |
| Board of Directors | 13 | 2 | 15.38% |
| Key Management Personnel | 7 | 0 | 0 |

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

| | विव 2023-24 | | | | विव 2022-23 | | | | विव 2021-22 | | | |
|-----------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|
| | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | अन्य | कुल | पुरुष | महिला | अन्य | कुल |
| स्थायी कर्मचारी | 3.73% | 3.63% | 0.00% | 3.69% | 4.37% | 4.03% | 0.00% | 4.26% | 5.27% | 4.15% | 0.00% | 4.92% |
| स्थायी कामगार | लागू नहीं | | | | | | | | | | | |

22. Turnover rate for Permanent Employees and Workers

| | FY 2023-24 | | | | FY 2022-23 | | | | FY 2021-22 | | | |
|---------------------|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|
| | Male | Female | Other | Total | Male | Female | Other | Total | Male | Female | Other | Total |
| Permanent Employees | 3.73% | 3.63% | 0.00% | 3.69% | 4.37% | 4.03% | 0.00% | 4.26% | 5.27% | 4.15% | 0.00% | 4.92% |
| Permanent Workers | NA | | | | | | | | | | | |

V. होल्डिंग, अनुषंगी और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)।

23. (ए) होल्डिंग / अनुषंगी / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

| क्र. सं. | होल्डिंग / अनुषंगी / सहयोगी का नाम कंपनियां / संयुक्त उद्यम (ए) | इंगित करें कि क्या होल्डिंग/ अनुषंगी / सहयोगी /संयुक्त उद्यम है | सूचीबद्ध ईकाइयों द्वारा शेयरों का % | क्या कोलम ए में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (हां / नहीं) |
|----------|---|---|-------------------------------------|---|
| 1 | केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड | अनुषंगी | 70 | नहीं |
| 2 | केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड | अनुषंगी | 51 | नहीं |
| 3 | केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड | अनुषंगी | 100 | नहीं |
| 4 | केनरा बैंक सिक्वोरिटीज लिमिटेड | अनुषंगी | 100 | नहीं |
| 5 | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | अनुषंगी | 51 | नहीं |
| 6 | केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | अनुषंगी | 100 | नहीं |
| 7 | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड | अनुषंगी | 69.14 | नहीं |
| 8 | केनफिन होम्स लिमिटेड | सहयोगी | 29.99 | नहीं |
| 9 | उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी | संयुक्त उद्यम | 9.09 | नहीं |

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including Joint Ventures)

23. (a) Names of Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures

| Sl. No. | Name of the Holding / Subsidiary / Associate Companies / Joint Ventures (A) | Indicate whether Holding / Subsidiary/ Associate / Joint Venture | % of Shares held by Listed Entity | Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No) |
|---------|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Canbank Factors Ltd. | Subsidiary | 70 | No |
| 2 | Canara Robeco Asset Management Company Ltd. | Subsidiary | 51 | No |
| 3 | Canbank Venture Capital Fund Ltd. | Subsidiary | 100 | No |
| 4 | Canara Bank Securities Ltd. | Subsidiary | 100 | No |
| 5 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. | Subsidiary | 51 | No |
| 6 | Canbank Financial Services Ltd. | Subsidiary | 100 | No |
| 7 | Canbank Computer Services Ltd. | Subsidiary | 69.14 | No |
| 8 | CanFin Homes Ltd. | Associate | 29.99 | No |
| 9 | Higher Education Financing Agency | Joint venture | 9.09 | No |

VI. सीएसआर ब्योरे

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार केनरा बैंक पर सीएसआर लागू नहीं है। हालांकि, एक जिम्मेदार संगठन के रूप में, केनरा बैंक ने सीएसआर के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है और समाज एवं पर्यावरण के उत्थान में योगदान देता है।

(ii) टर्नओवर (रु.) : रु. 127654.37 करोड़

(iii) निवल मालियत (रु.) : रु. 71828.80 करोड़

VI. CSR Details

24. (i) Whether CSR is applicable as per Section 135 of Companies Act, 2013: (Yes/No) :

CSR is not applicable to Canara Bank as per Section 135 of Companies Act. However, as a responsible organization, Canara Bank has adopted a strategic approach towards CSR and contributes to the upliftment of the society and environment.

(ii) Turnover (in ₹) : 127654.37 Cr

(iii) Net worth (in ₹) : 71828.80 Cr

Vii. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/शिकायतें:

| हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है | शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/ नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें) | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|--|---|---|---|------------|---|---|------------|
| | | वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या | वर्ष के अंत में समाधान लंबित शिकायतों की संख्या | टिप्पणियां |
| समुदाय | हाँ, https://canarites.canarabankdigi.in/CPGRS/ | - | - | - | - | - | - |
| निवेशक (शेयरधारकों के अलावा) | नहीं | - | - | - | - | - | - |
| शेयरधारक | हाँ | 377 | 0 | - | 111 | 0 | - |
| कर्मचारी और कामगार | हाँ, (इंट्रानेट) | 231 | 11 | | 142 | 0 | |

Vii. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

| Stakeholder group from whom complaint is received | Grievance-Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy) | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|---|---|--|--|---------|--|--|---------|
| | | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks | Number of complaints filed during the year | Number of complaints pending resolution at close of the year | Remarks |
| Communities | Yes, https://canarites.canarabankdigital.in/CPGRS/ | - | - | - | - | - | - |
| Investors (other than shareholders) | No | - | - | - | - | - | - |
| Shareholders | Yes | 377 | 0 | - | 111 | 0 | - |
| Employees and workers | Yes (Intranet) | 231 | 11 | | 142 | 0 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|--|--------|------|--|
| ग्राहकों | हैं, https://www.canarabank.com/pages/complaints | 524588 | 2343 | <p>पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में भारी कमी आई है।</p> <p>ग्राहक सेवा पहलुओं और ग्राहक शिकायतों को संभालने के लिए, बैंक ने 01.04.2023 से एक अलग ग्राहक सेवा वर्टिकल शुरू किया है, जिससे हमारे ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली समग्र सेवाओं में सुधार हुआ और जिससे शिकायतों की संख्या में कमी आई।</p> <p>बैंक बार-बार आने वाली सभी प्रकार की शिकायतों के लिए मूल कारण विश्लेषण करता है और जहां भी आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उसे शमनकारी कदम उठाने के लिए संबंधित विभाग/वर्टिकल के साथ उठाया जाता है। हमारे वर्टिकल द्वारा निस्तारित शिकायतों की कड़ी निगरानी के माध्यम से शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निवारण सुनिश्चित किया जाता है जिससे ग्राहकों की ओर से आने वाली शिकायतों में कमी आती है।</p> | 714022 | 3024 | शिकायतों की कुल संख्या में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या शामिल है |
|----------|---|--------|------|--|--------|------|--|

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|--|--------|------|---|
| Customers | Yes, https://www.canarabank.com/pages/complaints | 524588 | 2343 | <p>There is a radical reduction in the number of complaints received during this current financial year comparing the previous Financial Year. To handle customer Service Aspects and Customer complaints, Bank has introduced a separate Customer Service Vertical from 01.04.2023, which led to improvement in overall services provided to our customers and thereby reduction in number of complaints. Bank conducts Root Cause Analysis for all the repeated nature of complaints and wherever necessary action is required, the same is taken up with the concerned Wing/Vertical to initiate Mitigatory Steps. Quality redressal of the complaints is ensured through close monitoring of redressed complaints by our Vertical which reduces further complaints from customers.</p> | 714022 | 3024 | Total number of complaints includes the number of complaints received during the FY 2022-23 |
|-----------|--|--------|------|--|--------|------|---|

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन कृपया निम्नलिखित के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए एक जोखिम या एक अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय प्रभाव प्रारूप

| क्र. सं. | पहचानी गयी महत्वपूर्ण समस्या | सूचित करना चाहे जोखिम है या अवसर (आर/ओ) | पहचान के लिए तर्क जोखिम / अवसर | जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका | वित्तीय जोखिम या अवसर के निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें) |
|----------|--------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | विनियामक अनुपालन | अवसर | विनियामक आवश्यकताओं का पालन करना सभी व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र के व्यवसायों के लिए अनुपालन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने से सुरक्षा उल्लंघनों, डेटा हानि और प्रतिष्ठा क्षति जैसे जोखिमों को कम किया जा सकता है। यह वित्तीय दंड, व्यापार हानि और वित्तीय घाटे जैसे संभावित परिणामों से बचने में भी मदद करता है। | - | अनुपालन मानकों का पालन करने से कंपनी को हितधारकों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे उसकी ब्रांड छवि में मूल्य जुड़ जाता है। यह कंपनी को मुकदमेबाजी, जुर्माने और अनावश्यक मौद्रिक नुकसान से बचने में भी सहायता करता है। |
| 2 | डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा | जोखिम | व्यवसाय का तकनीकी बुनियादी ढांचा इसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर यह देखते हुए कि अधिकांश लेनदेन डिजिटल रूप से आयोजित किए जाते हैं। यह डिजिटल निर्भरता सूचना और साइबर सुरक्षा खतरों के जोखिम को बढ़ाती है, विशेष रूप से ऑनलाइन लेनदेन के लिए आवश्यक ग्राहक डेटा तक पहुंच को देखते हुए। जैसे-जैसे बैंक डिजिटलीकरण पर जोर देता है और डिजिटल लेनदेन का उपयोग करके ग्राहकों की निर्भरता बढ़ाता है, ग्राहक निधि और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। | बैंक ने संगठनात्मक स्तर पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा ढांचा स्थापित किया है। उल्लंघनों को रोकने और ग्राहक की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की रक्षा के लिए जागरूकता सेमिनार, आंतरिक समाचार पत्र और सिम्युलेटेड अभ्यास जैसे विभिन्न उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, "उपभोक्ता जागरूकता - साइबर खतरे और धोखाधड़ी" शीर्षक से एक चेतावनी नोटिस वेबसाइट पर उपलब्ध है। | डेटा उल्लंघनों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे विभिन्न पहलुओं में नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, प्रतिष्ठा क्षति का मुद्दा है। जब डेटा उल्लंघन या लीक की घटनाएं होती हैं, तो वे संगठन की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरे, इसके वित्तीय निहितार्थ भी हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताओं के कारण ग्राहकों को खोने से कंपनी को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है। तीसरा, कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, ग्राहक संभावित रूप से अपने डेटा की पर्याप्त सुरक्षा करने में विफल रहने के लिए कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। इससे मुकदमेबाजी महंगी हो सकती है और संभावित नुकसान का भुगतान करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर, डेटा उल्लंघन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, वित्त और कानूनी स्थिति प्रभावित होती है। |

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues.

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along with its financial implications, as per the following format:

| Sl. No. | Material issue identified | Indicate whether risk or opportunity (R/O) | Rationale for identifying the risk / opportunity | In case of risk, approach to adapt or mitigate | Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications) |
|---------|---------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | Regulatory compliance | Opportunity | Adhering to regulatory requirements is crucial for all businesses, particularly those in the banking sector. Effectively implementing compliance measures can mitigate risks such as security breaches, data loss, and reputational harm. It also helps in avoiding potential consequences such as financial penalties, loss of business, and financial losses. | - | Adhering to compliance standards helps the company maintain its reputation among stakeholders, adding value to its brand image. It also assists the company in avoiding litigation, penalties, and unnecessary monetary losses. |
| 2 | Data privacy and cyber security | Risk | The technical infrastructure of the business plays a crucial role in its operations, especially considering the majority of transactions are conducted digitally. This digital reliance increases the risk of information and cyber security threats, particularly given the access to customer data necessary for online transactions. As the Bank emphasizes on digitization and increases customer reliance using digital transactions, ensuring the safety and security of customer funds and personal information becomes imperative. | The Bank has established a cybersecurity framework to ensure compliance with regulations at the organizational level. Various measures such as awareness seminars, internal newsletters, and simulated drills are conducted to prevent breaches and protect customer privacy and data security. Furthermore, a warning notice titled "Consumer Awareness - Cyber Threats and Frauds" is available on the website. | Data breaches can have serious repercussions, leading to negative outcomes in various aspects. Firstly, there's the issue of reputation damage. When incidents of data breaches or leakages occur, they can harm the reputation and trustworthiness of the organization. Secondly, there are financial implications. Losing customers due to concerns about data security and privacy can result in significant financial losses for the Bank. Thirdly, legal complications can arise, with customers potentially filing lawsuits against the Bank for failing to protect their data adequately. This can lead to costly litigation proceedings and potential damages to be paid out. Overall, data breaches pose significant risks to companies, impacting their reputation, finances, and legal standing. |

| | | | | | |
|---|--------------------------|------|---|---|---|
| 3 | ग्राहक संबंध और संतुष्टि | अवसर | <p>बैंकिंग विश्वास और ग्राहक संतुष्टि बनाए रखने पर निर्भर करती है। राजस्व सृजन और ग्राहक सुरक्षा के बीच संतुलन हासिल करना ग्राहकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे व्यवसाय में वृद्धि होती है। किसी कंपनी की सफलता ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता में निहित है। सकारात्मक ग्राहक अनुभव प्रदान करने से वफादारी, प्रतिधारण और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा मिलता है। कंपनी के व्यापक ग्राहक आधार को देखते हुए, किसी भी नकारात्मक ग्राहक संपर्क से कंपनी की प्रतिष्ठा में गिरावट या क्षति हो सकती है। इसलिए, ग्राहकों की खुशी सुनिश्चित करना और उनके हितों की रक्षा करना बैंकिंग में मूलभूत सिद्धांत हैं।</p> | <p>बैंक ने आंतरिक लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) को नामित किया है। बैंक शिकायतों को हल करने में लगने वाले समय की निगरानी और प्रबंधन करता है और ग्राहकों की समस्याओं के समाधान के लिए फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करता है।</p> | <p>उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करना और अच्छे संबंध बनाए रखना ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इससे बैंक के वित्तीय प्रदर्शन को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालाँकि, क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा ग्राहक क्षरण का कारण बन सकती है, जिससे व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।</p> |
|---|--------------------------|------|---|---|---|

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 3 | Customer relations and satisfaction | Opportunity | <p>Banking relies on trust and maintaining customer satisfaction. Achieving a balance between revenue generation and customer protection is crucial for acquiring and retaining customers, thus driving business growth. The success of a Bank lies in its ability to meet customer expectations. Providing a positive customer experience fosters loyalty, retention, and positive word-of-mouth. Given the extensive customer base of the Bank, any negative customer interaction could lead to attrition or damage to the Bank's reputation. Therefore, ensuring customer happiness and safeguarding their interests are fundamental principles in banking.</p> | <p>The Bank has designated a Chief Customer Service Officer (CCSO) to serve as an internal ombudsman. The Bank monitors and manages the time taken to resolve complaints and provides guidance to frontline workers on addressing client issues.</p> | <p>Providing excellent customer service and maintaining good relations enhances the brand's reputation. This can also boost the Bank's financial performance. However, a damaged reputation can cause customer attrition, impacting the business negatively.</p> |
|---|-------------------------------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|------|---|--|--|
| 4 | वित्तीय समावेशन (उधार देने में सामाजिक प्रभाव) | अवसर | ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे व्यवसायों और महिला उद्यमियों जैसे अप्रयुक्त बाजारों और ग्राहक क्षेत्रों में विस्तार, महत्वपूर्ण विकास के अवसर प्रस्तुत करता है और बाजार की स्थिति को बढ़ाता है। | बैंक की व्यापक पहुंच संगठन को अपनी सेवाओं को बैंक रहित और ग्रामीण ग्राहकों तक विस्तारित करने की स्थिति में रखती है। बैंक के उत्पाद, सेवाएँ और डिजिटल साक्षरता पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। | संगठन, केनरा बैंक, ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष उत्पाद और सेवाएँ विकसित की हैं। यह रणनीति बैंक को वंचित ग्राहकों की सेवा करने और उपेक्षित बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है, जिससे अधिक घरों तक इसका कवरेज फैलता है और देश भर में इसकी उपस्थिति बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, केनरा बैंक विभिन्न उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल के अनुरूप हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा, केनरा बैंक वित्तीय और डिजिटल समावेशन दोनों प्रयासों में अग्रणी है, इसकी 61% से अधिक शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, बैंक ने विभिन्न स्थानों में छह डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की हैं, जिनमें विरुधुनगर, कावारत्ती, एर्नाकुलम, कोयंबटूर, रायचूर और देवनहल्ली शामिल हैं। यह मौजूदा आठ कैंडी शाखाओं के अतिरिक्त है, जिससे डिजिटल शाखाओं की कुल संख्या चौदह हो गई है। |
|---|--|------|---|--|--|

| | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|---|
| 4 | Financial inclusion (social impact in lending) | Opportunity | Expanding into untapped markets and customer segments, such as rural areas, small businesses, and female entrepreneurs, presents significant growth opportunities and enhances market positioning. | The extensive reach of the Bank puts the organization in a position to extend its services to unbanked and rural customers. The Bank's products, services, and digital literacy initiatives play a significant role in promoting financial inclusion. | The organization, Canara Bank, has developed specialized products and services tailored to the needs of socially and economically disadvantaged groups. This strategy enables the Bank to serve underprivileged customers and reach markets that have been overlooked, thereby expanding its coverage to more households and increasing its presence across the country. Additionally, Canara Bank offers various products and services that align with Government initiatives to promote financial inclusion and have a positive impact on society. Furthermore, Canara Bank is leading the way in both financial and digital inclusion efforts, with over 61% of its branches in rural and semi-urban areas. To achieve this, the Bank has established six Digital Banking Units in various locations, including Virudhunagar, Kavaratti, Ernakulam, Coimbatore, Raichur, and Devanahalli. This is in addition to the existing eight Candi branches, bringing the total number of Digital branches to fourteen. |
|---|--|-------------|--|---|---|

| | | | | | |
|---|---|-------|---|---|--|
| 5 | बैंक के अपने परिचालनों में कार्बन उत्सर्जन और संसाधन दक्षता | जोखिम | <p>व्यवसाय संचालन और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के पर्यावरणीय प्रभाव को समझना और अनुमान लगाना महत्वपूर्ण है। इससे व्यवसाय संचालन के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की पहल की पहचान करने में मदद मिल सकती है। अकुशल संसाधन उपयोग से अनावश्यक खर्च होता है और बैंक की दीर्घकालिक स्थिरता कमजोर हो सकती है। कुशल संसाधन प्रबंधन बैंक के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम कर सकता है, नियमों का अनुपालन कर सकता है, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है और संभावित रूप से परिचालन लागत बचत का एहसास कर सकता है।</p> | <p>बैंक अपने ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन की निगरानी के लिए प्रतिबद्ध है और आधारभूत मूल्यांकन पूरा होने के बाद कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसमें वार्षिक आधार पर जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए पहल की पहचान करना और एक रोडमैप बनाना शामिल है। इसके अलावा, बैंक ने पर्यावरण की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। इसमें पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने के लिए सरकारी स्कूलों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर और रुमटेक मठ जैसे विभिन्न स्थानों में सौर पैनल और बिजली संयंत्र स्थापित करने जैसी हरित पहल को लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मिशन अमृत सरोवर के तहत बंड और चैनल विकास कार्यों के लिए जिला पंचायत, कोलार को सहायता प्रदान की है।</p> | <p>बढ़े हुए खर्च में / व्यापार में घाटा के अनुरूप पर्यावरण संबंधी मानकों का परिणाम हो सकता है।</p> |
|---|---|-------|---|---|--|

| | | | | | |
|---|---|------|--|--|---|
| 5 | Carbon emissions & resource efficiency in the Bank's own operations | Risk | <p>It is crucial to understand and estimate the environmental impact of business operations and the entire value chain. This can help identify initiatives to reduce the overall environmental footprint of business operations. Inefficient resource usage leads to unnecessary expenses and can undermine the Bank's long-term sustainability. Efficient resource management can reduce the Bank's environmental footprint, comply with regulations, enhance its reputation, and potentially realize operational cost savings.</p> | <p>The Bank is committed to monitoring its greenhouse gas (GHG) emissions and plans to take action once the baseline assessment is complete. This includes identifying initiatives and creating a roadmap to reduce GHG emissions on a yearly basis. Moreover, the Bank has initiated efforts to safeguard the environment and promote sustainability. This includes implementing green initiatives such as installing solar panels and power plants in various locations like Government schools, Padmanabha Swamy Temple, and Rumtek Monastery to support environmental conservation. Additionally, the Bank has provided assistance to Zilla Panchayat, Kolar for Bund and Channel development works under Mission Amrit Sarovar.</p> | <p>Conforming with environment related standards could result in increased expenses / loss of business.</p> |
|---|---|------|--|--|---|

| | | | | | |
|---|---|-------|--|---|--|
| 6 | अपने ऋण पोर्टफोलियो में जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए बैंक का एक्सपोजर | जोखिम | <p>हाल के दिनों में, बैंकों को जलवायु परिवर्तन से जलवायु संबंधी जोखिमों का सामना करने की अधिक संभावना हो गई है। यदि प्रबंधन न किया गया तो ये जोखिम संचालन और लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन जोखिमों में तत्काल खतरे, जैसे चरम मौसम की घटनाएं, और स्थिरता की दिशा में आर्थिक बदलाव से संबंधित दीर्घकालिक चुनौतियां शामिल हैं। यदि बैंक समय रहते इन जोखिमों का समाधान नहीं करते हैं, तो इसका असर उनकी लाभप्रदता और कर्मचारियों पर पड़ सकता है। बैंकों के लिए अपने स्वयं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने का प्रयास करते हुए इन जोखिमों को समझना और प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।</p> | <p>बैंक अपने पोर्टफोलियो के भीतर पर्यावरणीय और सामाजिक (ई एंड एस) जोखिमों की जांच को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भौतिक जोखिमों का मूल्यांकन करना है ताकि इन जोखिमों को कम करने या अनुकूलित करने के लिए एक योजना तैयार की जा सके।</p> <p>जिम्मेदार और टिकाऊ वित्तपोषण के माध्यम से देश के आर्थिक विकास का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक ने एक ईएसजी डेस्क की स्थापना की है। इस विशेष इकाई को उभरते पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) जोखिमों को संबोधित करने का काम सौंपा गया है।</p> | <p>यदि बैंक जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय प्रकटीकरण के लिए हितधारकों की मांगों को पूरा नहीं कर सकता है, तो पर्यावरणीय मानकों के परिणामस्वरूप प्रतिष्ठित जोखिम और परिचालन लागत में वृद्धि होती है।</p> |
|---|---|-------|--|---|--|

| | | | | | |
|---|---|------|--|---|---|
| 6 | Exposure of the Bank to climate related risks in its loan portfolio | Risk | <p>In recent times, Banks have become more prone to encountering climate related risks from climate change. If left unmanaged, these risks could harm operations and profitability. These risks include both immediate dangers, like extreme weather events, and longer-term challenges related to economic shifts towards sustainability. If Banks don't address these risks in a timely manner, it could affect their profitability and employees. It is of utmost importance for Banks to understand and manage these risks, while trying to reduce their own environmental impact.</p> | <p>The Bank is preparing to enhance its examination of Environmental and Social (E&S) risks within its portfolio. Additionally, it aims to evaluate the physical risks stemming from climate change in order to formulate a plan for either mitigating or adapting to these risks. As part of its commitment to support the country's economic development through responsible and sustainable financing, the Bank has established an ESG Desk. This specialized unit is tasked with addressing emerging Environmental, Social, and Governance (ESG) risks.</p> | <p>If the Bank cannot satisfy stakeholder demands for financial disclosures related to climate change, there are reputational risks and rise in operating costs as a result of environmental standards.</p> |
|---|---|------|--|---|---|

खंड बी : प्रबंधन व प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता प्रदान है।

| क्र. सं. | सिद्धांत विवरण |
|----------|--|
| पी1 | व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए। |
| पी2 | व्यवसायों को इस तरह से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो |
| पी3 | व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं |
| पी4 | व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए |
| पी5 | व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए |
| पी6 | व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा और बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए |
| पी7 | व्यवसायों, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें ऐसा ऐसे तरीके से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो |
| पी8 | व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए |
| पी9 | व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए |

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

| Sl. No. | Principle Description |
|---------|---|
| P1 | Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable |
| P2 | Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe |
| P3 | Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains |
| P4 | Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders |
| P5 | Businesses should respect and promote human rights |
| P6 | Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment |
| P7 | Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent |
| P8 | Businesses should promote inclusive growth and equitable development |
| P9 | Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner |

| प्रकटीकरण प्रश्न | पी 1 | पी 2 | पी 3 | पी 4 | पी 5 | पी 6 | पी 7 | पी 8 | पी 9 |
|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं | | | | | | | | | |
| 1. ए. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनज-पीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| बी. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं) | हां | | | | | | | | |
| सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो | <p>सिद्धांत 1: शिकायत निवारण नीति¹, आचार संहिता (सीओसी): मुख्य प्रबंधन² के सभी सदस्यों के लिए</p> <p>सिद्धांत 2:</p> <p>सिद्धांत 3: शिकायत निवारण नीति¹, सीओसी: मुख्य प्रबंधन² के सभी सदस्यों के लिए</p> <p>सिद्धांत 4: शिकायत निवारण नीति¹</p> <p>सिद्धांत 5: सीओसी: मुख्य प्रबंधन² के सभी सदस्यों के लिए</p> <p>सिद्धांत 6: ईएसजी नीति³, हरित जमा नीति⁴</p> <p>सिद्धांत 7: कॉर्पोरेट प्रशासन नीति⁵, प्रकटीकरण नीति⁶, सीओसी: अंदरूनी व्यापार के निषेध के लिए⁷</p> <p>सिद्धांत 8: सतत विकास और सीएसआर नीति⁸, ईएसजी नीति³, हरित जमा नीति⁴</p> <p>सिद्धांत 9: शिकायत निवारण नीति¹, साइबर सुरक्षा नीति⁹ (आंतरिक नीति)</p> <p>https://canarabank.com/pages/Policies</p> | | | | | | | | |
| 2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (हां/ नहीं) | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां | हां |
| 3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/ नहीं) | नहीं | | | | | | | | |
| 4. प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणीकरण/लेबल/मानक (जैसे फ़ॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफ़ॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएस, आईएसओ, बीआईएस) के नाम। | | | | | | | | | |
| सिद्धांत 1 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 2 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 3 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 4 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 5 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 6 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 7 | | | | | | | | | - |
| सिद्धांत 8 | | | | | | | | | - |

| Disclosure Questions | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Policy and management processes | | | | | | | | | |
| 1. a. Whether your entity's policy/policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No) | Yes | | | | | | | | |
| c. Web Link of the Policies, if available | Principle 1: Grievance Redressal Policy ¹ , Code Of Conduct (COC): for all members of core management ² Principle 2: Principle 3: Grievance Redressal Policy ¹ , COC: for all members of core management ² Principle 4: Grievance Redressal Policy ¹ Principle 5: COC: for all members of core management ² Principle 6: ESG Policy ³ , Green Deposit Policy ⁴ Principle 7: Corporate Governance Policy ⁵ , Disclosure Policy ⁶ , COC: for Prohibition of Insider Trading ⁷ Principle 8: Sustainable Development & CSR Policy ⁸ , ESG Policy ³ , Green Deposit Policy ⁴ Principle 9: Grievance Redressal Policy ¹ , Cyber Security Policy ⁹ (Internal Policy) https://canarabank.com/pages/Policies | | | | | | | | |
| 2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes / No) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No) | No | | | | | | | | |
| 4. Name of the national and international codes/certifications/labels/standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) mapped to each principle. | | | | | | | | | |
| Principle 1 | - | | | | | | | | |
| Principle 2 | - | | | | | | | | |
| Principle 3 | - | | | | | | | | |
| Principle 4 | - | | | | | | | | |
| Principle 5 | - | | | | | | | | |
| Principle 6 | - | | | | | | | | |
| Principle 7 | - | | | | | | | | |
| Principle 8 | - | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>सिद्धांत 9</p> | <p>बैंक को डेटा सेंटर, नियर डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग के लिए आईएसओ: 27001:2013 से प्रमाणित किया गया है। संगठन की सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया गया है और इसे ISO 27001: 2013 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार पाया गया है। बैंक ने बेंगलूरु में डेटा केंद्र, मुंबई में डिजास्टर रिकवरी केंद्र और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर / सर्विसेज को कवर करते हुए नवीनतम आईएसओ: 27001:2022 प्रमाणन ऑडिट पूरा कर लिया है।</p> |
| <p>5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों को परिभाषित समयसीमा के साथ, यदि कोई हो।</p> | |
| <p>6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन, साथ ही साथ यदि उन्हें पूरा नहीं किया जाता है तो कारण।</p> | |
| <p>शासन, नेतृत्व और निरीक्षण</p> | |
| <p>7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)</p> <p>एक मजबूत ईएसजी ढांचा सतत विकास के प्रति संगठन के समर्पण को प्रदर्शित करता है। बैंक जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती के रूप में देखता है और बैंक के परिचालन को हरित भविष्य की ओर ले जाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। सामाजिक कल्याण के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता व्यापक सीएसआर गतिविधियों और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से स्पष्ट है, जिसका उद्देश्य वंचित समुदायों की सहायता करना है।</p> <p>उच्चतम नैतिक मानकों, अखंडता, कॉर्पोरेट प्रशासन और नियामक अनुपालन को बनाए रखना कॉर्पोरेट प्रशासन नीति के लिए मौलिक है। बैंक सक्रिय रूप से सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देता है और अपने मानकों को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास करता है। महत्व को पहचानते हुए, बैंक ने ईएसजी-संबंधित अनुपालन उपाय शुरू किए हैं। इसने ईएसजी प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक ईएसजी समिति और एक ईएसजी कार्य समूह की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, एक बोर्ड-स्तरीय उप-समिति इन प्रयासों की निगरानी करती है। बैंक ने ईएसजी स्टेटमेंट के साथ एक बोर्ड-अनुमोदित ईएसजी नीति विकसित की है, जिसे सरस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है। बैंक जिम्मेदार और टिकाऊ वित्त प्रदान करके सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ढांचे के भीतर, बैंक ने उभरते ईएसजी जोखिमों और शमन रणनीतियों को संबोधित करने के लिए एक ईएसजी डेस्क की स्थापना की है। बैंक की हरित वित्तपोषण पहल में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, संपीड़ित बायोगैस और ऊर्जा संरक्षण योजनाएं और पीएम-कुसुम के तहत सौर पंप योजना के साथ-साथ ई-वाहनों के लिए केनरा ग्रीन व्हील्स योजना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक सामाजिक सुधार और 'मिट्टी बचाओ' जैसे पर्यावरण-अनुकूल अभियानों और छत पर सौर स्थापना और ई-वाहनों जैसी टिकाऊ परियोजनाओं के लिए विभिन्न संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।</p> <p>इसके अलावा, बैंक ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन में सुधार की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • बैंक ने वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता पर 22,000 से अधिक शिविर आयोजित किए। • विरुधुनगर, कावारत्ती, कोच्चि, कोयंबटूर, रायचूर और देवनहल्ली में 6 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की गईं। • बेंगलूरु, चेन्नई, मुंबई, पुणे और सिकंदराबाद में 5 कैनडी शाखाएं स्थापित की गईं। • "केनरा एआई1" बैंकिंग ऐप लॉन्च किया गया, जो ग्राहकों के लिए व्यवसाय में आसानी को बेहतर बनाने के लिए 11 विभिन्न भाषाओं में 300+ से अधिक सुविधाओं के लिए वन-स्टॉप समाधान है। <p>उक्त पहल बैंक की प्रतिबद्धता, और इसके संस्थापक सिद्धांतों के साथ संरेखण और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं।</p> | |
| <p>8. व्यवसाय उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण का विवरण</p> | <p>श्री के सत्यनारायण राजु , प्र नि व मुकाओ</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Principle 9</p> | <p>Bank has been certified with ISO: 27001:2013 for Data Centre, Near Data Centre, Disaster Recovery center and Department of Information Technology Wing / Technology Operations Wings. The Information Security management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the ISO 27001: 2013 standard.</p> <p>The Bank has completed has conducted and completed latest ISO: 27001:2022 certification audit covering Data Centre in Bengaluru, Disaster Recovery center in Mumbai and Cloud Infrastructure/ Services.</p> |
| <p>5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.</p> | <p>-</p> |
| <p>6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along with reasons in case the same are not met.</p> | <p>-</p> |
| <p>Governance, leadership and oversight</p> | |
| <p>7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements (listed entity has flexibility regarding the placement of this disclosure)</p> <p>A robust ESG framework demonstrates the organization’s dedication to sustainable development. The Bank views climate change as the foremost global challenge and has implemented various initiatives to steer the Bank’s operations towards a greener future. The Bank’s commitment to societal welfare is evident through the extensive CSR activities and rural training centers, aimed at aiding underprivileged communities.</p> <p>Maintaining the highest ethical standards, integrity, corporate governance, and regulatory compliance is fundamental to the corporate governance policy. The Bank actively promotes good governance practices and continually strives to elevate its standards. Recognizing the importance, the Bank has launched ESG-related compliance measures. It has established an ESG Committee and an ESG Working Group to oversee the implementation of ESG practices. Additionally, a Board-level Sub-committee supervises these efforts. The Bank has developed a Board-approved ESG Policy, known as the Sustainability Framework, along with an ESG Statement.</p> <p>The Bank is committed to foster sustainable economic growth by offering responsible and sustainable finance. Within the Environmental, Social & Governance (ESG) framework, the Bank has established an ESG Desk to address emerging ESG risks and mitigation strategies. The Bank’s green financing initiatives include projects such as Renewable Energy Projects, Compressed Biogas & Energy Conservation schemes, and the Solar Pump scheme under PM-KUSUM, along with the Canara Green Wheels scheme for e-Vehicles. Additionally, the Bank extends financial support to various organizations for societal betterment and eco-friendly campaigns like ‘Save Soil’ and sustainable projects like rooftop solar installations and e-vehicles.</p> <p>Furthermore, the Bank has taken proactive steps towards improving its digital infrastructure and financial inclusion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Bank conducted over 22,000 camps on financial literacy through the Financial Literacy Centres (FLCs) • Established 6 Digital Banking Units at Virudhunagar, Kavaratti, Kochi, Coimbatore, Raichur and Devanahalli • Established 5 CANDI branches in Bengaluru, Chennai, Mumbai, Pune and Secunderabad. • Launched the “Canara ai1” banking app, a one-stop solution for 300+ features in 11 different languages to improve ease of business for customers. <p>These initiatives summarize the Bank’s commitment, and alignment with its Founding Principles and in accordance with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs).</p> | |
| <p>8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy/policies</p> | <p>Shri K. Satyanarayana Raju, MD & CEO</p> |

| | |
|---|---|
| <p>9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।</p> | <p>स्थिरता संबंधी सभी मुद्दे उप-समिति सतत विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एससी-एसडीसीएसआर) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।</p> |
|---|---|

- 1 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Grievance%20Redressal%20Policy%20for%20the%20year%202023-24-1907202310.pdf>
- 2 <https://www.canarabank.com/pages/Code-of-conduct-of-Board-of-Directors-and-senior-management-personnel>
- 3 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/The%20ESG%20Statement%20-%20FINAL%20Updated25052023.pdf>
- 4 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Green%20Deposit%20Policy-0808202310.pdf>
- 5 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CG-Policy-2023-24-31032023.pdf>
- 6 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Disclosure-policy-2022-23-15july20221.pdf>
- 7 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/annexure-to-ho-cir-187.pdf> 8 <https://www.canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CSR%20POLICY%202023-24%2004jan24.pdf>
- 8 <https://www.canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CSR%20POLICY%202023-24%2004jan24.pdf>

| | |
|--|--|
| <p>9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes / No). If yes, provide details.</p> | <p>All the sustainability related issues are governed by the Sub-committee Sustainable Development Corporate Social Responsibility (SC-SDCSR).</p> |
|--|--|

- 1 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Grievance%20Redressal%20Policy%20for%20the%20year%202023-24-1907202310.pdf>
- 2 <https://www.canarabank.com/pages/Code-of-conduct-of-Board-of-Directors-and-senior-management-personnel>
- 3 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/The%20ESG%20Statement%20-%20FINAL%20Updated25052023.pdf>
- 4 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Green%20Deposit%20Policy-0808202310.pdf>
- 5 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CG-Policy-2023-24-31032023.pdf>
- 6 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/Disclosure-policy-2022-23-15july20221.pdf>
- 7 <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/annexure-to-ho-cir-187.pdf> 8 <https://www.canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CSR%20POLICY%202023-24%2004jan24.pdf>
- 8 <https://www.canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/CSR%20POLICY%202023-24%2004jan24.pdf>

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

| समीक्षा | इंगित करें कि क्या समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति द्वारा की गई थी/कोई अन्य समिति | | | | | | | | | आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें) | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 | | |
| निष्पादन उपरोक्त नीतियों के खिलाफ और अनुवर्ती कार्रवाई | हाँ बोर्ड की समितियाँ | | | | | | | | | वार्षिक रूप से | | | | | | | | | | |
| सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार | हाँ बोर्ड की समितियाँ कंपनी लागू नियमों का अनुपालन कर रही है। | | | | | | | | | वार्षिक रूप से | | | | | | | | | | |
| 11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हां नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं। | पी1 | पी2 | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 | नहीं। सभी नीतियां और प्रक्रियाएं, हालांकि, समय-समय पर कंपनी द्वारा किए गए ऑडिट और आंतरिक समीक्षा के अधीन हैं। | | | | | | | | |

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

| Subject for Review | Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee | | | | | | | | | Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/Any other – please specify) | | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|--|----|----|----|----|----|----|--|--|
| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | | |
| Performance against above policies and follow up action | Yes. Committees of the Board. | | | | | | | | | Annually | | | | | | | | | | |
| Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and, rectification of any non-compliances | Yes. Committees of the Board. The Company is in compliance with the regulations, as applicable. | | | | | | | | | Annually | | | | | | | | | | |
| 11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If yes, provide name of the agency. | P1 | P2 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | No. All policies and processes, however, are subject to audits and internal reviews conducted by the Company annually. | | | | | | | | |

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है, अर्थात् सभी सिद्धांत एक नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो कारण बताएं:

| प्रश्न | पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हां/नहीं) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| इकाई उस चरण में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां/नहीं) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें) | - | | | | | | | | |

12. If answer to question (1) above is “No” i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated:

| Questions | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| It is planned to be done in the next financial year (Yes/No) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Any other reason (please specify) | - | | | | | | | | |

खंड सी : सिद्धांत के अनुसार कार्यनिष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को “आवश्यक” और “नेतृत्व” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा आवश्यक संकेतकों का खुलासा किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करने की इच्छा रखते हैं।

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

This section is aimed at helping entities demonstrate their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions. The information sought is categorized as “Essential” and “Leadership”. While the essential indicators are expected to be disclosed by every entity that is mandated to file this report, the leadership indicators may be voluntarily disclosed by entities which aspire to progress to a higher level in their quest to be socially, environmentally, and ethically responsible.

सिद्धांत 1:

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालन और खुद को नियंत्रित करना चाहिए

| आवश्यक संकेतक | | | |
|--|--|---|---|
| 1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज: | | | |
| खंड | आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | विषय / सिद्धांत प्रशिक्षण और उसके प्रभाव के तहत कवर किया गया | जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित वर्ग में व्यक्तियों का प्रतिशत |
| निदेशक मंडल | 13 | निदेशक विकास कार्यक्रम, उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम, निदेशकों के लिए शासन और आश्वासन पर कार्यक्रम, वैश्विक व्यावसायिक लेखांकन सम्मेलन | 61.53% |
| मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | 7 | नेतृत्व विकास कार्यक्रम आरोहण 2023, निदेशक विकास कार्यक्रम, उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम, पर्यावरण, सामाजिक और शासन पर कार्यक्रम। | 85.71% |
| बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 63 | नैतिकता और व्यावसायिक आचरण, सुशासन और पारदर्शिता पर कार्यक्रम, ग्राहक सेवा और इसकी क्षमता पर कार्यक्रम, समग्र स्वास्थ्य के माध्यम से आयुषकाँन कार्य जीवन संतुलन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 | 44.29% |
| कामगार | | लागू नहीं | |

Principle 1:

Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

| Essential Indicators | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year: | | | |
| Segment | Total number of training and awareness programmes held | Topics / principles covered under the training and its impact | %age of persons in respective category covered by the awareness programmes |
| Board of Directors | 13 | Directors Development Program, Advanced Leadership Program, Program on Governance & Assurance for Directors, Global Professional Accounting Conference | 61.53% |
| Key Managerial Personnel | 7 | Leadership Development Program - AAROHAN 2023, Directors Development Program, Advanced Leadership Program, Program on Environment, Social and Governance | 85.71% |
| Employees other than BoD and KMPs | 63 | Ethics and Business Conduct, Program on Good Governance & Transparency, Programme on Customer Service and its Potential, AYUSHCON Work-Life Balance through Holistic Health, Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 | 44.29% |
| Workers | | NA | |

*नोट: बैंक ने नए भर्ती किए गए कर्मियों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन अधिकारियों (पीओ) के लिए 52 सप्ताह और एकल खिड़की परिचालक (एसडब्ल्यूओ) के लिए 26 सप्ताह का एक नया प्रशिक्षण मॉड्यूल अपनाया है। अद्वैत कार्यक्रम लैंगिक समानता सुनिश्चित करने वाली भविष्य की नेतृत्व भूमिकाओं के लिए महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है।

बैंक आईआईएम, एएससीआई हैदराबाद और एमडीआई गुरुग्राम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईपीडी), प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलडीपी) प्रदान करता है। हमारे बैंक के 368 अधिकारियों के लिए एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रशासनिक कॉलेज में सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, उप महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 525 वेतनमान IV अधिकारियों के लिए एक कार्यकारी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था, साथ ही 81 वेतनमान IV और V अधिकारियों के लिए एक मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिन्होंने बैंक में 14-21 साल की सेवा पूरी कर ली है।

विभिन्न सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षणों के चुनिंदा विषय नीचे दिए गए हैं:

- **सिद्धांत 1:** नैतिकता, व्यावसायिक आचरण और ग्राहक संबंधों पर कार्यक्रम, बैंकिंग अनुपालन पर पाठ्यक्रम, नैतिकता और व्यावसायिक आचरण, शासन, बैंकों में जोखिम और अनुपालन, निवारक सतर्कता फोरेंसिक, निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन, निवारक फोरेंसिक, लाइव हैक-शो कार्यक्रम- साइबर सुरक्षा जागरूकता, निदेशक विकास कार्यक्रम, उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम, अद्वैत फ्यूचर रेडी लीडरशिप आदि पर कार्यक्रम।
- **सिद्धांत 2:** जलवायु जोखिम और सतत कृषि पर कार्यक्रम
- **सिद्धांत 3:** कार्य जीवन संतुलन और नेतृत्व विकास, मानव संसाधन विकास, श्रम कानून और मानव संसाधन अनुपालन, निदेशक विकास कार्यक्रम, निदेशकों के लिए शासन और आश्वासन पर कार्यक्रम, वैश्विक व्यावसायिक लेखा सम्मेलन, उन्नत नेतृत्व कार्यक्रम, वैश्विक व्यावसायिक लेखा सम्मेलन पर वेबिनार

*Note: The Bank has adopted a new training module, spanning 52 weeks for newly recruited Probationary Officers (POs) and 26 weeks for Single Window Operators (SWOs) based on the recommendations of the Central Vigilance Commission for newly recruited personnel. The Advaita Program has been initiated to empower women employees for future leadership roles ensuring gender equality.

The Bank offers Executive Development Programs (EPDs), Management Development Programs (MDPs) and Leadership Development Programs (LDPs) at prestigious institutions such as IIMs, ASCI Hyderabad and MDI Gurugram. A Leadership Development Program was conducted for 368 executives of our bank, comprising all Regional Office Heads, Deputy General Managers, General Managers, and Chief General Managers, at the Administrative College of India. Additionally, an Executive Development Program was organized for 525 Scale IV executives, along with a Mid-Career Training Program for 81 Scale IV and V executives who have completed 14-21 years of service in the bank.

Select topics of trainings covered under the various principles are provided below:

- **Principle 1:** Program on Ethics, Business Conduct and Customer Relations, Course on Banking Compliance, Ethics and Business Conduct, Governance, Risk & compliance in banks, Preventive Vigilance Forensic, Preventive Vigilance & Fraud Management, Program on Preventive Forensics, LIVE Hack-Show Event-Cyber Security Awareness, Directors' Development Program, Advanced Leadership Program, Advaita Future Ready Leadership Program etc.
- **Principle 2:** Program on Climate Risk and Sustainable Agriculture
- **Principle 3:** Webinar on Work-Life Balance and Leadership Development, Human Resource Development, Labour Laws & HR Compliance, Directors' Development Program, Program on Governance & Assurance for Directors, Global Professional Accounting Conference, Advanced Leadership Program, Global Professional Accounting Conference

- **सिद्धांत 4:** ग्राहक सेवा और इसकी क्षमता पर कार्यक्रम, डिजिटल जागरूकता और ग्राहक सेवा पर कार्यशाला, ग्राहक संबंध अधिकारियों के लिए वेबिनार, कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण को बढ़ाना
 - **सिद्धांत 6:** जलवायु जोखिम और सतत कृषि, हरित वित्तपोषण, कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण में वृद्धि पर कार्यक्रम
 - **सिद्धांत 8:** वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर कार्यक्रम
 - **सिद्धांत 9:** सीएक्सओ के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन कार्यक्रम, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आईटी और साइबर सुरक्षा में प्रमाणन कार्यक्रम, ग्राहक प्रसन्नता, डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा, ग्राहक सेवा और इसकी क्षमता पर कार्यक्रम, डिजिटल जागरूकता और ग्राहक सेवा पर कार्यशाला, वेबिनार ग्राहक संबंध अधिकारियों के लिए, लाइव हैक-शो इवेंट- साइबर सुरक्षा जागरूकता, डिजिटल जागरूकता और ग्राहक सेवा पर कार्यशाला, आदि।
 - **Principle 4:** Program on Customer Service and its Potential, Workshop on Digital Awareness and Customer Service, Webinar for Customer Relationship Officers, Enhancing Agri Value Chain Financing
 - **Principle 6:** Program on Climate Risk and Sustainable Agriculture, Green Financing, Enhancing Agri Value Chain Financing
 - **Principle 8:** Program on Financial Inclusion and Financial Literacy
 - **Principle 9:** Certification Program in IT & Cyber Security for CXO, Cert. Program in IT & Cyber Security for Senior Management, Customer Delight, Digital Awareness and Cyber Security, Program on Customer Service and its Potential, Workshop on Digital Awareness and Customer Service, Webinar for Customer Relationship Officers, Live Hack-Show Event-Cyber Security Awareness, Workshop on Digital Awareness and Customer Service, etc.
2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/समाधान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रेषित है (नोट: इकाई सेबी विनियम, 2015 के विनियम 30 (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

| मौद्रिक | | | | | |
|------------------|---------------------|--|--------------------------|--|--|
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम | राशि (रु. में) | मामले का संक्षिप्त विवरण | क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं) |
| दंड/जुर्माना | शून्य | भारतीय रिजर्व बैंक | 2,92,00,000 | आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है। | शून्य |
| समझौता | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| कंपाउंडिंग शुल्क | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| गैर-मौद्रिक | | | | | |
| | एनजीआरबीसी सिद्धांत | विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | | क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं) |
| कैद होना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| सज़ा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

2. Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/judicial institutions, in the financial year, in the following format (Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website):

| Monetary | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|--|
| | NGRBC Principle | Name of the regulatory/ Enforcement agencies/ judicial institutions | Amount (in INR) | Brief of the Case | Has an appeal been preferred? (Yes/No) |
| Penalty/ Fine | NIL | Reserve Bank of India | 2,92,00,000 | Penalty has been levied by RBI for non-compliance with the provisions of direction issued by RBI | NIL |
| Settlement | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Compounding fee | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| Non-Monetary | | | | | |
| | NGRBC Principle | Name of the regulatory/ Enforcement agencies/ judicial institutions | | Brief of the Case | Has an appeal been preferred? (Yes/No) |
| Imprisonment | NIL | NIL | | NIL | NIL |
| Punishment | NIL | NIL | | NIL | NIL |

3. उपरोक्त दिए गए प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, अपील/ संशोधन का विवरण उन मामलों में पसंद किया जाता है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई हो

| मामले के ब्योरे | नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों के नाम |
|-----------------|---|
| - | - |

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण दें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें

सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, केनरा बैंक के पास एक व्हिस्लर ब्लोअर तंत्र है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कर्मचारियों द्वारा अनैतिक प्रथाओं और धोखाधड़ी की सूचना दी जाती है। नीति स्पष्ट रूप से अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जांच रिपोर्ट के आधार पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तंत्र मौजूद है। नीति को लागू करने का उद्देश्य परिचालन क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता प्राप्त करना, बैंक के हितों की रक्षा करना और वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए शिकायतकर्ता की पहचान का सावधानीपूर्वक सत्यापन किया जाता है। एक बार शिकायतकर्ता की पहचान की पुष्टि हो जाने के बाद, बैंक मानदंडों के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है।

https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/whistle-blower-policy-placed-in-website_31032016.pdf

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.

| Case Details | Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions |
|--------------|---|
| - | - |

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

To ensure good governance, Canara Bank has a Whistle Blower mechanism in place which helps to ensure that unethical practices and frauds are reported by the employees. The policy clearly outlines the process of reporting unethical practices. The objective of having the policy in place is to achieve greater transparency in the operational area, protect the interest of the bank and adhere to the statutory and regulatory requirements. To maintain confidentiality, the identity of the complainant is carefully verified. Once the complainant's identity is confirmed, further actions are initiated according to the Bank norms.

https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/whistle-blower-policy-placed-in-website_31032016.pdf

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामकारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|----------|--|--|
| निदेशक | शून्य | शून्य |
| केएमपी | शून्य | शून्य |
| कर्मचारी | 12 | 08 |
| कामगार | शून्य | शून्य |

नोट: वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित डेटा को संशोधित कर यहां शामिल किया गया है।

5. Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/corruption.

| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Directors | NIL | NIL |
| KMPs | NIL | NIL |
| Employees | 12 | 08 |
| Workers | NIL | NIL |

Note: Data pertaining to FY 2022-23 has been revised and included here.

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | |
|---|--|------------|--|------------|
| | संख्या | टिप्पणियां | संख्या | टिप्पणियां |
| निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | - | शून्य | - |
| केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या | शून्य | - | शून्य | - |

6. Details of complaints with regard to conflict of interest:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | | FY 2022-23 Previous Financial Year | |
|--|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | Number | Remarks | Number | Remarks |
| Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors | NIL | - | NIL | - |
| Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs | NIL | - | NIL | - |

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माने/ दंड / नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) की देखरेख में बैंक का सतर्कता प्रबंधन, निवारक उपायों पर जोर देता है। विभाग का लक्ष्य निवारक के रूप में दंडात्मक कार्रवाइयों को लागू करते हुए धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और कदाचार के अवसरों को खत्म करना है। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, सभी शाखाओं और कार्यालयों ने सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा प्रशासन, सेमिनार और कार्यशालाओं जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उक्त प्रयास ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। चल रहे सतर्कता उपायों के माध्यम से, बैंक उच्चतम नैतिक मानकों का पालन सुनिश्चित करते हुए, भ्रष्टाचार और हितों के टकराव पर नियामक कार्रवाइयों से संबंधित मुद्दों का समाधान करता है।

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines / penalties /action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

The Bank's Vigilance Management, overseen by the Chief Vigilance Officer (CVO), emphasizes preventive measures. The department aims to eliminate opportunities for fraud, corruption, and malpractices while enforcing punitive actions as deterrents. During the Vigilance Awareness Week from 30th October 2023 to 5th November 2023 all branches and offices actively participated in activities like Integrity Pledge administration, seminars, and workshops. These efforts reflect the bank's commitment to maintaining integrity and transparency. Through ongoing vigilance measures, the bank addresses issues related to regulatory actions on corruption and conflicts of interest, ensuring adherence to the highest ethical standards.

8. निम्न प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|------------------------------|--|--|
| देय खातों के दिनों की संख्या | लागू नहीं | |

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/services procured) in the following format:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Number of days of accounts payables | NA | |

9. व्यापार का विस्तार

निम्न प्रारूप में व्यापारिक घरों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की संकेन्द्रण के साथ-साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण प्रदान करें:

| | मेट्रिक्स | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्त वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|----------------------|---|--|--|
| खरीद का संकेन्द्रण | क. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरों से खरीदारी | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | ख. व्यापारिक घरों की खरीदारी की संख्या | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | ग. व्यापारिक घरों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरों की खरीदारी | लागू नहीं | लागू नहीं |
| बिक्री का संकेन्द्रण | क. डीलरों/वितरकों को बिक्री % के रूप में | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | ख. डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है | लागू नहीं | लागू नहीं |
| | ग. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री | लागू नहीं | लागू नहीं |
| आरपीटी के हिस्से में | क. खरीदारी (संबंधित पक्षों के साथ खरीदारी / कुल खरीदारी) | 0.63% | - |
| | ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री) | 0.02% | - |
| | ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम) | 2.89% | - |
| | घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल निवेश) | 1.51% | - |

नोट: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरपीटी की हिस्सेदारी की गणना वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक के कुल व्यय का उपयोग करके की जाती है।

9. Open-ness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along with loans and advances & investments, with related parties, in the following format :

| | Metrics | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|----------------------------|--|---|--|
| Concentration of Purchases | a. Purchases from trading houses as % of total purchases | NA | NA |
| | b. Number of trading houses where purchases are made from | NA | NA |
| | c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading | NA | NA |
| Concentration of Sales | a. Sales to dealers / distributors as % of total sales | NA | NA |
| | b. Number of dealers / distributors to whom sales are made | NA | NA |
| | c. Sales to top-10 dealers / distributors as % of total sales to dealers / distributors | NA | NA |
| Share of RPTs in | a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases) | 0.63% | - |
| | b. Sales (Sales to related parties / Total Sales) | 0.02% | - |
| | c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances) | 2.89% | - |
| | d. Investments (Investments in related parties / Total Investments made) | 1.51% | - |

Note: The share of RPTs for FY 2023-24 is calculated by using the total expenditure of the Bank in FY 2023-24

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

| आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या | प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत | जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) |
|---|--|---|
| 0 | 0 | शून्य |

Leadership Indicators

1. Awareness programmes conducted for value chain partners on any of the principles during the financial year:

| Total number of awareness programmes held | Topics / principles covered under the training | %age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes |
|---|--|--|
| 0 | 0 | NIL |

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते के सेबी एलओडीआर 2015 के विनियमन 17 से 27 के अनुपालन में बैंक द्वारा एक विस्तृत आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। यह कोड बोर्ड और कोर प्रबंधन के निदेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका लक्ष्य विश्वास और अखंडता में निहित बैंक की विश्वास प्रणाली को बनाए रखना है। यह ईमानदारी, नैतिक आचरण और कानूनों और विनियमों के अनुपालन पर जोर देता है। संहिता उचित प्रकटीकरण और हितों के टकराव को संबोधित करने सहित आचरण के उच्च मानकों के पालन की अपेक्षा करता है। यह बैंक के भीतर और बाहर गोपनीयता बनाए रखने और निष्पक्ष व्यवहार के महत्व पर भी जोर देता है। कोड आचरण के सामान्य मानक निर्धारित करता है, हितों के टकराव की स्थितियों को संबोधित करता है, और लागू कानूनों और प्रकटीकरण मानकों के अनुपालन पर जोर देता है। संहिता बैंक की संपत्तियों और संसाधनों के उचित उपयोग का वर्णन करती है और बैंक की जानकारी के संबंध में गोपनीयता के महत्व पर जोर देती है। बोर्ड के सदस्यों के लिए क्या करें और क्या न करें सहित अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं की भी रूपरेखा दी गई है।

2. Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No) If Yes, provide details of the same.

Yes

A detailed Model Code of Conduct in compliance with Regulation 17 to 27 of SEBI LODR 2015 of the Listing Agreement with Stock Exchanges has been put in place by the Bank. This code is designed for Directors on the Board and the Core Management, aiming to uphold the Bank's belief system rooted in trust and integrity. It emphasizes honesty, ethical conduct, and compliance with laws and regulations. The philosophy of the code expects adherence to high standards of conduct, including proper disclosure and addressing conflicts of interest. It also stresses the importance of maintaining confidentiality and fair dealing both within and outside the Bank. The code sets general standards of conduct, addresses conflict of interest situations, and emphasizes compliance with applicable laws and disclosure standards. The Code describes the proper use of the Bank's assets and resources and underscores the importance of confidentiality regarding the Bank's information. Good corporate governance practices are also outlined, including dos and don'ts for board members.

सिद्धांत 2:

व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

| आवश्यक संकेतक | | | |
|---|--|--|---|
| 1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में। | | | |
| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण |
| अनुसंधान एवं विकास | - | - | - |
| कैपेक्स | - | - | - |

Principle 2:

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

| Essential Indicators | | | |
|---|---|--|---|
| 1. Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively. | | | |
| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year | Details of improvements in environmental and social impacts |
| R&D | - | - | - |
| Capex | - | - | - |

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)
नहीं
ग. यदि हां, तो कितने प्रतिशत निविष्टियों को स्थायी रूप से प्राप्त किया गया ?
लागू नहीं
3. (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य कचरे के लिए जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
2. a. Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No)
No.
b. If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?
NA
3. Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste.

- a) **प्लास्टिक:** सेवा उद्योग का हिस्सा होने के कारण, बैंक अपेक्षाकृत कम मात्रा में कचरा उत्पन्न करता है, जिससे पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के अवसर सीमित हो जाते हैं। दैनिक कचरे का निपटान नगर निगम एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- b) **ई-कचरा:** बैंक वर्तमान में पूर्व-अनुमोदित ई-कचरा विक्रेताओं को सीमित निविदा या आरएफपी जारी करके अपनी ई-कचरा निपटान प्रक्रिया का प्रबंधन कर रहा है। इन विक्रेताओं के पास केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो खरीद नीति के अनुसार जिम्मेदारी से ई-कचरा एकत्र करने और निपटाने की उनकी क्षमता सुनिश्चित करता है। बैंक को इन विक्रेताओं से ई-कचरा रीसाइक्लिंग प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। ई-कचरा (पुराने यूपीएस और बैटरी) का निपटान बायबैक खरीद पद्धति के तहत किया जाता है।
- c) **खतरनाक अपशिष्ट:** लागू नहीं
- d) **अन्य अपशिष्ट:** कागज अपशिष्ट का निपटान तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं द्वारा पुनर्चक्रण के लिए किया जाता है।
4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)? यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें/अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें
लागू नहीं
- a) **Plastic:** Being part of the service industry, the Bank generates relatively small amounts of waste, limiting opportunities for reusing, recycling, and disposal. Daily waste is handled by municipal agencies.
- b) **e-waste:** The Bank is currently managing its e-waste disposal process by issuing a limited tender or RFP to pre-approved e-waste vendors. These vendors must hold valid certificates from either the Central Pollution Control Board or the State Pollution Control Board, ensuring their capability to collect and dispose of e-waste responsibly in accordance with the procurement policy. The Bank has received e-waste recycling certificates from these vendors. E-waste (old UPS and batteries) are disposed of under buyback procurement methodology.
- c) **Hazardous Waste:** Not Applicable.
- d) **Other Waste:** Paper waste is disposed of for recycling by third-party service providers.
4. Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.
Not applicable

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलएसी) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें:

| एनआईसी कोड | उत्पाद का नाम/सेवा | कुल टर्नओवर का% योगदान | सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन आयोजित किया गया था | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिंक प्रदान करें |
|------------|--------------------|------------------------|---|--|--|
| - | | | | | |

Leadership Indicators

1. Has the entity conducted Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) for any of its products (for manufacturing industry) or for its services (for service industry)? If yes, provide details in the following format:

| NIC Code | Name of Product / Service | % of total Turnover contributed | Boundary for which the Life Cycle Perspective / Assessment was conducted | Whether conducted by independent external agency (Yes/No) | Results communicated in public domain (Yes/No) If yes, provide the web-link |
|----------|---------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| - | | | | | |

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो की गई कार्रवाई के साथ उसका संक्षेप में वर्णन करें।

| उत्पाद का नाम /सेवा | जोखिम / मामले का विवरण | की गई कार्रवाई |
|---------------------|------------------------|----------------|
| लागू नहीं | | |

2. If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products / services, as identified in the Life Cycle Perspective / Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along with action taken to mitigate the same.

| Name of Product / Service | Description of the risk / concern | Action Taken |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Not Applicable | | |

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

| इनपुट सामग्री इंगित करें | कुल सामग्री के लिए पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
| - | | |

3. Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).

| Indicate input material | Recycled or re-used input material to total material | |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
| - | | |

- 4 उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग में से, राशि (मीट्रिक टन में) का पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाना

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| | पुनः उपयोग किए | पुनर्नवीनीकरण | सुरक्षित रूप से निस्तारित | पुनः उपयोग किए | पुनर्नवीनीकरण | सुरक्षित रूप से निस्तारित |
| प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) | लागू नहीं | | | | | |
| ई - कचरा | | | | | | |
| खतरनाक अपशिष्ट | | | | | | |
| अन्य अपशिष्ट | | | | | | |

4. Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed of.

| | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| | Re-used | Recycled | Safely Disposed | Re-ued | Recycled | Safely Disposed |
| Plastics (including packaging) | Not applicable | | | | | |
| e-Waste | | | | | | |
| Hazardous Waste | | | | | | |
| Other Waste | | | | | | |

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

| उत्पाद श्रेणी इंगित करें | पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के % के रूप में |
|--------------------------|--|
| | लागू नहीं |

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category.

| Indicate product category | Reclaimed products and their packaging materials as % of total products sold in respective category |
|---------------------------|---|
| | Not applicable |

सिद्धांत 3:

व्यवसायों को अपने कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए

| आवश्यक संकेतक | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|---------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|------------------|----------|
| 1. क. कर्मचारियों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण | | | | | | | | | | | |
| वर्ग | द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का % | | | | | | | | | | |
| | कुल* (ए) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएं | |
| | | संख्या (बी) | % (ब/ए) | संख्या (सी) | % (सी/ए) | संख्या (डी) | % (डी/ए) | संख्या (इ) | % (ई/ए) | संख्या (एफ) | % (एफ/ए) |
| स्थायी कर्मचारी | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 56399 | 56399 | 100% | 56399 | 100% | 0 | 0.00% | 56399 | 100% | 0 | 0.00% |
| महिला | 26238 | 26238 | 100% | 26238 | 100% | 26238 | 100% | 0 | 0.00% | 18 | 0.007% |
| अन्य | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| कुल | 82638 | 82638 | 100% | 82638 | 100% | 26238 | 100% | 56399 | 100% | 18 | 0.0002% |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | | | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | | |

*बैंक में एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी कार्यरत है

*डे केयर सुविधाओं का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या उपलब्ध कराई गई है

Principle 3:

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

| Essential Indicators | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|---------|
| 1. a. Details of measures for the well-being of employees. | | | | | | | | | | | |
| Category | % of employees covered by | | | | | | | | | | |
| | Total*(A) | Health Insurance | | Accident Insurance | | Maternity Benefits | | Paternity Benefits | | Day Care Facilities | |
| | Number (B) | % (B/A) | Number (C) | % (C/A) | Number (D) | % (D/A) | Number (E) | % (E/A) | Number (F) | % (F/A) | |
| Permanent employees | | | | | | | | | | | |
| Male | 56399 | 56399 | 100% | 56399 | 100% | 0 | 0.00% | 56399 | 100% | 0 | 0.00% |
| Female | 26238 | 26238 | 100% | 26238 | 100% | 26238 | 100% | 0 | 0.00% | 18 | 0.007% |
| Other | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Total | 82638 | 82638 | 100% | 82638 | 100% | 26238 | 100% | 56399 | 100% | 18 | 0.0002% |
| Other than Permanent employees | | | | | | | | | | | |
| Male | NA | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

*The Bank has one transgender employee working

*The number of females who have availed the day care facilities has been provided

ख. कामगारों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण:

| वर्ग | कवर किए गए कामगारों का प्रतिशत | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|------------------|----------|
| | कुल (ए) | स्वास्थ्य बीमा | | दुर्घटना बीमा | | मातृत्व लाभ | | पितृत्व लाभ | | डे केयर सुविधाएँ | |
| | | संख्या (बी) | % (बी/ए) | संख्या (सी) | % (सी/ए) | संख्या (डी) | % (डी/ए) | संख्या (इ) | % (ई/ए) | संख्या (एफ) | % (एफ/ए) |
| | | स्थायी कामगार | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | | |
| | | स्थायी कर्मचारियों के अलावा | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | | |

b. Details of measures for the well-being of workers:

| Category | % of Workers covered by | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|------------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------------------|---------|
| | Total (A) | Health Insurance | | Accident Insurance | | Maternity Benefits | | Paternity Benefits | | Day Care Facilities | |
| | | Number (B) | % (B/A) | Number (C) | % (C/A) | Number (D) | % (D/A) | Number (E) | % (E/A) | Number (F) | % (F/A) |
| | | Permanent Workers | | | | | | | | | |
| Male | NA | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |
| | | Other than Permanent Workers | | | | | | | | | |
| Male | NA | | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर खर्च करना:

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|---|--|--|
| कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर की गई लागत | ₹324.72 करोड़ | ₹296.00 करोड़ |

नोट: इसमें ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, आईबीए मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए भुगतान की गई राशि, विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों पर खर्च की गई राशि, हॉलिडे होम पर खर्च की गई राशि शामिल है।

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format :

| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Cost incurred on well - being measures as a % of total revenue of the company | ₹324.72 crores | ₹296.00 crores |

Note: This includes amount paid to Group Term Life Insurance, IBA Medical Insurance, Group Personal Accident Insurance, amount spent on various staff welfare measures, amount spent on Holiday Homes.

2. सेवानिवृत्ति लाभ के ब्योरे

| लाभ | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---|--|
| | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के % के रूप में कवर किए गए कामगारों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं) | कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या | कुल कामगारों के % के रूप में कवर श्रमिकों की संख्या | कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा की गई (हां/नहीं/लागू नहीं) |
| भ नि | 20.00% | लागू नहीं | हां | 22.00% | लागू नहीं | हां |
| उपदान | 100% | लागू नहीं | हां | 100% | लागू नहीं | हां |
| ईएसआई | शून्य | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| अन्य - कृपया स्पष्ट करें | 80.00% | लागू नहीं | हां | 78% | लागू नहीं | हां |

*नोट: अन्य: इसमें परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना शामिल है

2. Details of retirement benefits.

| Benefits | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) | No. of employees covered as a % of total employees | No. of workers covered as a % of total workers | Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.) |
| PF | 20.00% | NA | YES | 22.00% | NA | YES |
| Gratuity | 100% | NA | YES | 100% | NA | YES |
| ESI | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Others – please specify | 80.00% | NA | Yes | 78% | NA | YES |

*Note: Others: This includes the Defined Contributory Pension Scheme

3. कार्यस्थल तक पहुंच

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालय अलग-अलग दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

केनरा बैंक एक समान अवसर प्रदान करने वाला नियोजक है और भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है। विकलांग कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप, आसानी से पहुंच के लिए सभी व्यवहार्य शाखाओं और एटीएम में रैंप प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में 6565 शाखाओं और 6432 एटीएम में रैंप प्रदान किए गए हैं।

4. क्या संस्था के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप बैंक की समान अवसर नीति, निष्पक्ष व्यवहार और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह नीति भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण, निर्धारित प्रावधानों का पालन करने और उम्मीदवारों पर नज़र रखने के लिए रोस्टर रजिस्टर बनाए रखने को अनिवार्य करती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त रिक्तियों को आगे बढ़ाया जाता है, जहां संभव हो विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रभावी कार्य निष्पादन का समर्थन करने के लिए सुविधाओं और सहायक उपकरणों के प्रावधानों के साथ भेदभाव-मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाता है। इन पहलों की निगरानी मानव संसाधन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक के दायरे में आती है, जिन्हें सरकारी नियमों के अनुसार दिशानिर्देशों को लागू करने का अधिकार है। रोजगार और उन्नति की सुविधा के लिए सहायता, उपकरण और तरजीही पोस्टिंग जैसी अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। एससी और एसटी के लिए जिम्मेदार संपर्क अधिकारी विकलांग व्यक्तियों से संबंधित मामलों की भी देखरेख करते हैं, जबकि शिकायत निवारण का प्रबंधन मानव संसाधन विभाग के उप महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है। इन उपायों के माध्यम से, बैंक विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता और सशक्तिकरण के माहौल को बढ़ावा देता है।

पॉलिसी का वेब लिंक यहां एक्सेस किया जा सकता है:

<https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/EQUAL%20OPPORTUNITY%20POLICY.pdf>

3. Accessibility of workplaces

Are the premises / offices of the entity accessible to differently-abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Canara Bank ensures equal opportunities for all its employees and strongly opposes discrimination. To accommodate differently-abled staff members, ramps are installed at branches and ATMs wherever possible. Currently, there are ramps at 6565 branches and 6432 ATMs for improved accessibility.

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

The Equal Opportunity Policy of the Bank, aligned with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, embodies a commitment to fair treatment and inclusivity. This policy mandates a 4% reservation for persons with disabilities in recruitment and promotion processes, adhering to stipulated provisions and maintaining a roster register for tracking candidates. Unfilled vacancies due to the absence of suitable candidates with disabilities are carried forward, with preference given to disabled individuals when feasible. Discrimination-free work environments are ensured, with provisions for facilities and assistive devices to support effective job performance. Oversight of these initiatives falls under the purview of the Chief General Manager/General Manager of the Human Resources Wing, empowered to implement guidelines in accordance with Government regulations. Additional support such as aids, appliances, and preferential postings may be provided to facilitate employment and advancement. The Liaison Officer responsible for SCs and STs also oversees matters concerning persons with disabilities, while grievance redressal is managed by the Deputy General Manager of the Human Resources Wing. Through these measures, the Bank fosters an environment of equality and empowerment for persons with disabilities.

Web link to the policy can be accessed here: <https://canarabank.com/UploadedFiles/Pdf/EQUAL%20OPPORTUNITY%20POLICY.pdf>

5. काम पर वापसी और स्थायी कर्मचारियों और मातृत्व – पितृत्व अवकाश लेने लेने वाले कर्मचारी व कामगारों की प्रतिधारण दरों

| लिंग | स्थायी कर्मचारी | | स्थायी कामगार | |
|-------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | काम पर वापसी प्रतिशत | प्रतिधारण दर | काम पर वापसी प्रतिशत | प्रतिधारण दर |
| पुरुष | 100% | 100% | लागू नहीं | |
| महिला | 100% | 100% | | |
| अन्य | 0 | 0 | | |
| कुल | 100% | 100% | | |

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

| Gender | Permanent employees | | Permanent workers | |
|--------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Return to Work Rate | Retention Rate | Return to Work Rate | Retention Rate |
| Male | 100.00% | 100% | NA | |
| Female | 100% | 100% | | |
| Other | 0 | 0 | | |
| Total | 100% | 100% | | |

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

| | (यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें) |
|-----------------------------|--|
| स्थायी कर्मचारी | लागू नहीं |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | लागू नहीं |
| स्थायी कर्मचारी | कर्मचारियों की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से दूर करने के लिए बैंक की एक परिभाषित प्रक्रिया के साथ कर्मचारी शिकायत निवारण नीति है। नीति में निवारण के निर्धारित समय और शासन संरचना पर विवरण है। बैंक पारदर्शिता और उचित तरीके से कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसने इंटरनेट पर 'केनराइट शिकायत निवारण प्रणाली' शुरू की है ताकि कर्मचारी गुमनाम रूप से अपनी समस्याओं को उठा सकें। यह निवारण के टीएटी को कम करने के साथ एक कागज रहित और कर्मचारी अनुकूल दृष्टिकोण भी है। |
| स्थायी कर्मचारियों के अलावा | लागू नहीं |

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If yes, give details of the mechanism in brief.

| | (If yes, then give details of the mechanism in brief) |
|--------------------------------|--|
| Permanent Workers | NA |
| Other than Permanent Workers | NA |
| Permanent Employees | The Bank has an Employees' Grievance (s) Redressal Policy with a defined process to address the grievances of the employees in a timely manner. The policy has details on the stipulated time of redressal and the governance structure. The Bank is committed to address the concerns and grievances of the employees in a transparent and just manner. It has therefore introduced 'Canarite Grievance Redressal System' on the intranet so that the employees can raise concerns anonymously. It is also a paperless and employee-friendly approach with reduced TAT of redressal. |
| Other than Permanent Employees | NA |

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या संघों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

| वर्ग | वित्तीय वर्ष 20223-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---------------------|---|--|----------|--|--|-----------|
| | संबंधित श्रेणी में कुल* कर्मचारी / कामगार (ए) | संबंधित कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या श्रेणी, जो संघ (ओं) या संघ (बी) का हिस्सा है | % (बी/ए) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (सी) | संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारियों / कामगारों की सं. जो संघ (एस) या यूनियन (डी) का हिस्सा है | % (डी/सी) |
| कुल स्थायी कर्मचारी | 82638 | 65607 | 79.39% | 84978 | 65976 | 77.64% |
| - पुरुष | 56399 | 43706 | 77.49% | 58083 | 44114 | 75.95% |
| - महिला | 26238 | 21900 | 83.47% | 26894 | 21861 | 81.29% |
| - अन्य | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
| कुल स्थायी कर्मचारी | लागू नहीं | | | | | |
| - पुरुष | | | | | | |
| - महिला | | | | | | |
| - अन्य | | | | | | |

*बैंक में एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी है

7. Membership of employees and worker in association(s) or Unions recognized by the listed entity:

| Category | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|---------------------------|---|---|---------|--|--|---------|
| | Total* employees / workers in respective category (A) | No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union (B) | % (B/A) | Total employees / workers in respective category (C) | No. of employees / workers in respective category, who are part of association(s) or Union (D) | % (D/C) |
| Total Permanent Employees | 82638 | 65607 | 79.39% | 84978 | 65976 | 77.64% |
| - Male | 56399 | 43706 | 77.49% | 58083 | 44114 | 75.95% |
| - Female | 26238 | 21900 | 83.47% | 26894 | 21861 | 81.29% |
| - Other | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
| Total Permanent Workers | NA | | | | | |
| - Male | | | | | | |
| - Female | | | | | | |
| - Other | | | | | | |

*The Bank has one transgender employee

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

| वर्ग | वित्तीय वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | | | वित्तीय वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|----------|----------------|----------|---|---------------------------------|----------|----------------|-----------|
| | कुल* (ए) | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | | कुल (डी) | स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर | | कौशल उन्नयन पर | |
| | | क्रं. (बी) | % (बी/ए) | क्रं. (सी) | % (सी/ए) | | क्रं. (ई) | % (ई/डी) | क्रं. (एफ) | % (एफ/डी) |
| कर्मचारी | | | | | | | | | | |
| पुरुष | 56399 | 956 | 1.70% | 53193 | 94.32% | 58083 | 1065 | 1.83% | 46286 | 79.69% |
| महिला | 26238 | 447 | 1.70% | 23424 | 89.28% | 26894 | 492 | 1.82% | 18811 | 69.94% |
| अन्य | 1 | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100.00% |
| कुल | 82638 | 1404 | 1.70% | 76618 | 92.72% | 84978 | 1558 | 1.83% | 65098 | 76.60% |
| कामगार | | | | | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | | | | | |
| महिला | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | |
| कुल | | | | | | | | | | |

नोट: पुरुष और महिला कर्मचारी भागीदारी का प्रतिशत संगठन में पुरुष और महिला अनुपात के आधार पर अनुमानित है

8. Details of training given to employees and workers:

| Category | FY 2023-24 Current Financial Year | | | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|---------|------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------|---------|
| | Total* (A) | On Health and safety measures | | On Skill upgradation | | Total (D) | On Health and safety measures | | On Skill upgradation | |
| | | No. (B) | % (B/A) | No. (C) | % (C/A) | | No. (E) | % (E/D) | No. (F) | % (F/D) |
| Employees | | | | | | | | | | |
| Male | 56399 | 956 | 1.70% | 53193 | 94.32% | 58083 | 1065 | 1.83% | 46286 | 79.69% |
| Female | 26238 | 447 | 1.70% | 23424 | 89.28% | 26894 | 492 | 1.82% | 18811 | 69.94% |
| Other | 1 | 1 | 100% | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100% | 1 | 100.00% |
| Total | 82638 | 1404 | 1.70% | 76618 | 92.72% | 84978 | 1558 | 1.83% | 65098 | 76.60% |
| Workers | | | | | | | | | | |
| Male | NA | | | | | | | | | |
| Female | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | |

Note: Percentage of male & female employee participation is an estimate based on the male and female ratio in the organization

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

| वर्ग | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|---------------------------------------|----------|-----------|
| | कुल (ए) | सं. (बी) | % (बी/ए) | कुल (सी) | सं. (डी) | % (डी/सी) |
| कर्मचारी | | | | | | |
| पुरुष | 56399 | 56399 | 100.00% | 58083 | 58083 | 100.00% |
| महिला | 26238 | 26238 | 100.00% | 26894 | 26894 | 100.00% |
| अन्य | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
| कुल* | 82638 | 82638 | 100.00% | 84978 | 84978 | 100.00% |
| *एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी है | | | | | | |
| कामगार | | | | | | |
| पुरुष | लागू नहीं | | | | | |
| महिला | | | | | | |
| अन्य | | | | | | |
| कुल | | | | | | |

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

| Category | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------------------------------------|---------|---------|
| | Total (A) | No. (B) | % (B/A) | Total (C) | No. (D) | % (D/C) |
| Employees | | | | | | |
| Male | 56399 | 56399 | 100.00% | 58083 | 58083 | 100.00% |
| Female | 26238 | 26238 | 100.00% | 26894 | 26894 | 100.00% |
| Other | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% |
| Total* | 82638 | 82638 | 100.00% | 84978 | 84978 | 100.00% |
| *There is one transgender employee | | | | | | |
| Workers | | | | | | |
| Male | NA | | | | | |
| Female | | | | | | |
| Other | | | | | | |
| Total | | | | | | |

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

हाँ,

केनरा बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अग्निशामक यंत्रों, अग्नि निकास द्वारों, प्राथमिक चिकित्सा बक्कों आदि की नियमित आधार पर निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। केनरा बैंक नियमित रूप से विद्युत और अग्नि सुरक्षा उपायों का निरीक्षण करने और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए प्रत्येक शाखा और कार्यालय में टॉप-डाउन दृष्टिकोण लागू करता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी लाभों में अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए समूह अवधि बीमा और स्वास्थ्य बीमा शामिल हैं। केनरा बैंक कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याण कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में जानकार वक्ताओं के साथ सत्र आयोजित करता है।

ख. कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे तौर पर बैंक पर लागू नहीं होता है।

ग. क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रक्रियाएं हैं?

व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए, यह सीधे तौर पर बैंक पर लागू नहीं होता है।

घ. क्या संस्था के कर्मचारी/कर्मचारियों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है?

हां, बैंक के सभी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्राप्त होता है। यह कवरेज मेडिकलेम पॉलिसी के माध्यम से अस्पताल में भर्ती होने तक विस्तारित है, और पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को वार्षिक स्वास्थ्य जांच तक की सुविधा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट और एम्बुलेंस प्रदान करता है।

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, what is the coverage of such a system?

Yes

Canara Bank prioritizes the health and safety of its employees. The fire extinguishers, fire exits, first aid boxes, etc. are monitored and evaluated on a regular basis. Canara Bank implements a top-down approach in each branch and office to regularly inspect electrical and fire safety measures and promptly address any issues. Additionally, employee benefits include group term insurance and health insurance to provide added protection in case of unexpected events. Canara Bank organizes sessions with knowledgeable speakers as part of the wellness programs, aiming to promote healthy lifestyles among employees.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Given the nature of business, this is not directly applicable to the Bank.

c. Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks.

Given the nature of business, this is not directly applicable to the Bank.

d. Do the employees / workers of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services?

Yes, all employees at the Bank receive health insurance coverage provided by the company. This coverage extends to hospitalization through a Mediclaim policy, and eligible employees and their families also have access to annual health check-ups. Additionally, the Bank provides first aid kits and ambulances for the well-being of its employees.

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

| सुरक्षा घटना / संख्या | वर्ग | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|--|----------|--|--|
| लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफ़आर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया) | कर्मचारी | - | - |
| | कामगार | - | - |
| कुल रिकॉर्ड करने योग्य काम से संबंधित चोटें | कर्मचारी | - | - |
| | कामगार | - | - |
| मृत्यु होने वालों की संख्या | कर्मचारी | - | - |
| | कामगार | - | - |
| अत्यधिक परिणामी कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता, (मृत्यु को छोड़कर) | कर्मचारी | - | - |
| | कामगार | - | - |

11. Details of safety related incidents, in the following format:

| Safety Incident / Number | Category | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|--|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) | Employees | - | - |
| | Workers | - | - |
| Total recordable work-related injuries | Employees | - | - |
| | Workers | - | - |
| No. of fatalities | Employees | - | - |
| | Workers | - | - |
| High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities) | Employees | - | - |
| | Workers | - | - |

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

केनरा बैंक सभी कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। बैंक विभिन्न उपायों के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करता है:

- अग्निशमन यंत्र, अग्नि निकास, प्राथमिक उपचार बक्सों आदि की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।
- सुरक्षा प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए शाखा कार्यालयों में नियमित अग्नि अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।
- प्रत्येक शाखा और कार्यालय में विद्युत और अग्नि सुरक्षा मापदंडों पर समय-समय पर जांच की जाती है।
- समूह अवधि बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसे कर्मचारी लाभ, अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- कर्मचारियों के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कल्याण कार्यक्रम और विशेषज्ञ के नेतृत्व वाले सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- बैंक अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ नियमित बातचीत की व्यवस्था करता है।

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

Canara Bank prioritizes maintaining a safe and healthy work environment for all employees and contractors. The Bank ensures workplace safety through various measures:

- Regular monitoring and assessment of fire extinguishers, fire exits, and first aid kits.
- Regular fire drills are conducted at branch offices to educate staff on safety procedures.
- Periodic checks on electrical and fire safety parameters at every branch and office.
- Employee benefits such as group term insurance and health insurance, offering additional safety in case of unforeseen incidents.
- Wellness programs and expert-led sessions are organized to promote a healthy lifestyle among employees.
- The Bank arranges regular talks with health experts for the benefit of its employees.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई निम्नलिखित शिकायतों की संख्या:

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|----------------------|---|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां |
| काम करने की स्थिति | शून्य | - | - | शून्य | - | - |
| स्वास्थ्य और सुरक्षा | शून्य | - | - | शून्य | - | - |

13. Number of complaints on the following made by employees and workers:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks |
| Working Conditions | Nil | - | - | Nil | - | - |
| Health & Safety | Nil | - | - | Nil | - | - |

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या अन्य पक्षों द्वारा) |
|----------------------------|---|
| स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथा | - |
| काम करने की स्थिति | - |

14. Assessments for the year:

| | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) |
|-----------------------------|---|
| Health and safety practices | - |
| Working Conditions | - |

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) को संबोधित करने के लिए और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / समस्याओं पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks / concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Not Applicable

नेतृत्व संकेतक

- क्या इकाई (ए) कर्मचारियों (हां/नहीं) (बी) कामगारों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है।
हाँ
हमारे कर्मचारी ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस (जीटीएलआई) पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।
किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, कंपनी विभिन्न बीमा योजनाओं के माध्यम से उनके परिवार को सहायता प्रदान करती है। कर्मचारियों को लागू ग्रेच्युटी मिलती है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपाय प्रदान करें कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है।
-
- उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें काम से संबंधित अत्यधिक चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों की क्यू11 में रिपोर्ट किया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है:

| | प्रभावित कर्मचारियों/कामगारों की कुल संख्या | | उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार में दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार दिया गया है | |
|----------|---|--|---|--|
| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
| कर्मचारी | शून्य | | | |
| कामगार | लागू नहीं | | | |

- Provide the number of employees / workers having suffered high consequence work related injury / ill-health / fatalities (as reported in Q11 of Essential Indicators above), who have been rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

| | Total No. of affected employees/ workers | | No. of employees/workers that are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment | |
|-----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
| Employees | Nil | | | |
| Workers | NA | | | |

Leadership Indicators

- Does the entity extend any life insurance or any compensatory package in the event of death of (A) Employees (Y/N) (B) Workers (Y/N).
Yes,
the Employees are Covered under Group Term Life Insurance (GTLI) Policy.
In the event of an employee's death, the company provides assistance to their family through various insurance plans. Employees receive gratuity as applicable.
- Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.
-

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर नियोजनीयता और कैरियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां / नहीं)
नहीं

4. Does the entity provide transition assistance programs to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/ No)
No

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

| | मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था | |
|---------------------------------|--|---|
| स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की स्थिति | - | - |
| काम करने की स्थिति | - | - |

5. Details on assessment of value chain partners:

| | % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed | |
|------------------------------|--|---|
| Health and safety conditions | - | - |
| Working conditions | - | - |

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के आकलन और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।
लागू नहीं

6. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.
Not Applicable

सिद्धांत 4:

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

Principle 4:

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें

केनरा बैंक ने हितधारक समूहों की पहचान के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया लागू की है। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि प्रत्येक समूह बैंक के निष्पादन, संचालन और व्यवसाय के समग्र मूल्य को कैसे प्रभावित करता है। बैंक समय-समय पर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रमुख हितधारकों की पहचान करता है और उन्हें मान्यता देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन प्रभावी ढंग से काम करता है और कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान करता है। हितधारक की अंतर्दृष्टि लागत, लाभ और सेवा संकेतकों पर अत्यधिक प्रभाव डाल सकती है।

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

Canara Bank has implemented a clear process for identifying stakeholder groups. This involves assessing how each group impacts the Bank's performance, operations, and overall value to the business. The Bank periodically identifies and recognizes key stakeholders, both internal and external, to ensure the organization operates effectively and delivers services efficiently. Stakeholder insights can have an immense impact on cost, benefit, and service indicators.

2. आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं।

| हितधारक समूह | क्या कमजोर और सीमांत समूहों के रूप में पहचान की गई है (हां नहीं) | संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, बैठकें, परिपत्र, नोटिस, वेबसाइट) अन्य | सौदे की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सौदे का उद्देश्य और दायरा |
|---------------------------|--|---|---|--|
| सरकार और नियामक प्राधिकरण | नहीं | बैठकें, परिपत्र, नोटिस, वेबसाइट, ईमेल | अन्य: जरूरत आधारित/आवश्यकतानुसार | नवीनतम विनियामक वैधानिक आवश्यकताएं और प्रतिनिधित्व उद्देश्यों के लिए |
| गैर सरकारी संगठनों | नहीं | सामुदायिक बैठकें | त्रैमासिक | सीएसआर गतिविधियों में सहभागिता |
| एकेडेमिया | नहीं | - | - | |
| कर्मचारी | नहीं | ई-मेल, परिपत्र, ज्ञापन | त्रैमासिक | कर्मचारी कल्याण उपाय, नए विकास, दृष्टि, रणनीति, निष्पादन |
| ग्राहकों | नहीं | अखबारों में विज्ञापन, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सएप्प | अन्य: आवश्यकता-आधारित/आवश्यकता के आधार पर | उत्पादों का प्रचार, व्यवसाय को गतिशील बनाना, खाता रखरखाव अलर्ट और दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना। |
| आपूर्तिकर्ताओं | नहीं | ई-मेल, नोटिस बोर्ड | त्रैमासिक | खरीद, कंपनी की सेवाओं में वृद्धि |
| स्थानीय समुदाय | आंशिक रूप से हाँ | सामुदायिक बैठक, समाचार पत्र | त्रैमासिक | सीएसआर परियोजनाओं पर चर्चा |
| निवेशकों | नहीं | वेबसाइट, बैठकें, ई-मेल | त्रैमासिक | प्रासंगिक जानकारी, प्रगति, रणनीतिक पहल और निष्पादन, भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रदान करना |
| शेयरधारकों | नहीं | ई-मेल | त्रैमासिक | प्रासंगिक जानकारी, प्रगति, रणनीतिक पहल और निष्पादन, भविष्य की कार्ययोजनाएं प्रदान करना |
| मिडिया | नहीं | समाचार पत्र, पर्चे, सोशल मीडिया, वेबसाइट | अन्य: आवश्यकता-आधारित/आवश्यकतानुसार | कंपनी के नवीनतम विकास |

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

| Stakeholder Group | Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/No) | Channels of communication (E-mail, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website), Other | Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify) | Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Government and regulatory authorities | No | Website, meetings, circulars, e-mails | Others: need-based/based on requirement | Latest regulatory statutory requirements and for representation purposes |
| NGOs | No | Community Meetings | Quarterly | Engagement on CSR activities |
| Academia | No | - | - | |
| Employees | No | E-mail, circulars, memos | Quarterly | Staff welfare measures, new developments, vision, strategy, performance |
| Customers | No | Newspaper ads, E-mails, SMS, WhatsApp | Others: need-based/based on requirement | Publicity of products, Mobilizing business, account maintenance alerts and non-compliance of guidelines. |
| Suppliers | No | E-mails, notice board | Quarterly | Procurement, enhancing services of the company |
| Local community | Partially Yes | Community meeting, Newspaper | Quarterly | Discussions on CSR projects |
| Investors | No | Website, meetings, E-mails | Quarterly | Providing relevant information, progress, strategic initiatives and performances, future action plans |
| Shareholders | No | E-mail | Quarterly | Providing relevant information, progress, strategic initiatives and performances, future action plans |
| Media | No | Newspaper, pamphlets, social media, website | Others: need-based / as required | Latest developments of the company |

नेतृत्व संकेतक

1. हितधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है।

- **निवेशक और शेयरधारक:** निवेशकों और शेयरधारकों के साथ बातचीत मुख्य रूप से तिमाही और वार्षिक बैठकों, सम्मेलनों और बनाए गए शिकायत पोर्टलों के माध्यम से होती है। ये चर्चाएँ आम तौर पर बैंक के निष्पादन और रणनीति के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिसमें हाल ही में स्थिरता और इसके एकीकरण की प्रक्रिया से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। बैठक के मिनटों को दस्तावेज में दर्ज किया जाता है और बाद में उचित कार्रवाई निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है। बैठकों के मिनटों को नोट किया जाता है और बाद में किसी भी आवश्यक कार्रवाई को निर्धारित करने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है।
- **विनियामक:** बैंक बैठकों, सम्मेलनों, मंचों और ईमेल पर चर्चा के माध्यम से सरकारी निकायों और अन्य नियामकों के साथ जुड़ता है। विभिन्न नियामक निकायों द्वारा जारी परामर्श या चर्चा पत्रों के आधार पर, कंपनी एक निर्धारित समय-सीमा में उस पर प्रतिक्रिया देती है या अपने विचार प्रदान करती है।
- **ग्राहक:** बैंक शिकायत निवारण प्रक्रियाओं, सर्वेक्षणों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों से बातचीत करता है। चर्चा के विषयों में शिकायतें, नए उत्पाद और सेवाएँ, सामुदायिक भागीदारी और ग्राहक सेवा शामिल हैं। सर्वेक्षणों और फीडबैक से जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राहक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, जिस पर सेवा संवर्द्धन के लिए बोर्ड मीटिंग के दौरान चर्चा की जाती है।

ग्राहक सर्वेक्षण हमारे बैंक द्वारा आम जनता को दिए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर सुझाव और प्रतिक्रिया एकत्र करने की एक सतत प्रक्रिया है। ग्राहक / क्लाइंट की आवश्यकता / अपेक्षाओं को समझने के लिए ग्राहक सर्वेक्षण निम्नलिखित तरीकों से लगातार किया जाता है।

- I. ऑनलाइन चैनलों (इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग) के माध्यम से ग्राहक सर्वेक्षण
- II. बैंक की वेबसाइट पर ग्राहक सर्वेक्षण लिंक उपलब्ध कराया जाएगा ताकि ग्राहक फीडबैक दे सकें।

Leadership Indicators

1. Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.

- **Investors & Shareholders:** Interaction with investors and shareholders primarily occurs through quarterly and annual meetings, conferences and through the grievance portals created. These discussions typically revolve around the Bank's performance and strategy, with recent inclusion of topics related to sustainability and its integration process. Meeting minutes are documented and later reviewed with the Board to determine appropriate actions. The minutes of the meetings are noted and later reviewed along with the Board to determine any necessary action.
- **Regulators:** The Bank engages with Government bodies and other regulators via meetings, conferences, discussion in forums and e-mails. Based on the consultation or discussion papers released by various regulatory bodies, the Company responds or provides its views on the same in a stipulated timeline.
- **Customers:** The Bank interacts with customers through grievance redressal processes, surveys, and social media platforms. The topics of discussion include complaints, new products and services, community involvement, and customer care. Customer analytics are utilized to gain insights from surveys and feedback, which are then discussed during Board meetings for service enhancements.

Customer survey is a continuous process to collect suggestions and feedback on products & services offered by our Bank to the general public. The customer survey is carried out in the following ways continuously to understand the requirement / expectations of the customer / client.

- I. Customer survey through online channels (Internet Banking and Mobile Banking)
- II. Customer survey link on Bank's website to allow customers to provide feedback.

- III. शाखा में आने वाले ग्राहकों से फीडबैक: एसएमएस सर्वेक्षण लिंक के माध्यम से काउंटर पर दी जाने वाली सेवा के बारे में शाखा में आने वाले ग्राहकों से फीडबैक एकत्रित करना।
 - IV. एक मंच के रूप में सोशल मीडिया पर फीडबैक एकत्रित करना।
 - V. ईमेल और एसएमएस के माध्यम से फीडबैक भेजकर ग्राहकों से फीडबैक एकत्र करना।
 - VI. एसएमएस लिंक के माध्यम से हमारी शिकायत निवारण प्रणाली पर ग्राहक प्रतिक्रिया एकत्रित करना।
- **कर्मचारी:** बैंक निरंतर सहभागिता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म और संचार चैनलों का उपयोग करता है जैसे कि शिकायत निवारण, मूल्यांकन के दौरान फीडबैक सर्वेक्षण, आंतरिक समाचार पत्र, ईमेल, टाउन हॉल मीटिंग और जागरूकता कार्यक्रम। इन चैनलों के माध्यम से एकत्रित फीडबैक को दस्तावेज में दर्ज किया जाता है और प्रासंगिक सुझावों को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती है।
 - **आपूर्तिकर्ता:** बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं से अवगत हों। आपूर्तिकर्ता बैठकों और अन्य तकनीकी-वाणिज्यिक सत्रों के दौरान उनकी प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है।
 - **समुदाय:** समुदाय एक महत्वपूर्ण हितधारक समूह हैं और सीएसआर टीम नियमित संचार सुनिश्चित करती है और उनकी शिकायतों का समाधान करती है। परियोजनाओं पर फीडबैक एकत्र किया जाता है और उनके अनुसार प्रासंगिक कदम उठाए जाते हैं।

2. क्या पर्यावरण, और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां / नहीं)? यदि ऐसा है, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि कैसे इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में शामिल किया गया।

हाँ

- ए. **निवेशक और श्रेयधारक:** बैंक मुख्य रूप से शिकायत चैनलों, त्रैमासिक बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से निवेशकों और श्रेयधारकों के साथ संवाद करता है। ये चर्चाएँ बैंक के निष्पादन और रणनीति के इर्द-गिर्द

- III. Branch visiting customer feedback: collecting feedback from the branch visiting customer on service by the counter through SMS survey link.
- IV. Collecting feedback on social media as a platform.
- V. Collecting feedback from customers by sending feedback through e-mail and SMS.
- VI. Collecting customer feedback on our grievance redressal mechanism through SMS link

- **Employees:** The Bank employs various platforms and communication channels to maintain ongoing engagement such as grievance redressal, feedback surveys during appraisals, internal newsletters, e-mails, town hall meetings, and awareness programs. Feedback gathered through these channels is documented in and discussed at various levels to implement relevant suggestions.
- **Suppliers:** The Bank ensures that the suppliers are aware of the processes adopted by the Bank. Their feedback is recorded during supplier meets and other techno-commercial sessions.
- **Communities:** Communities are an important stakeholder group and the CSR team ensures regular communication and addresses their grievances. Feedback on projects are collected and relevant steps are taken in accordance with them

2. Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topics (Yes / No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.

Yes

- a. **Investors and Shareholders:** The Bank communicates with investors and shareholders mainly through grievance channels, quarterly meetings, and conferences. These discussions center around the Bank's performance and strategy. Recently, there have also been discussions about sustainability and how to incorporate it into the Bank's operations.

केंद्रित होती हैं। हाल ही में, स्थिरता और इसे बैंक के संचालन में कैसे शामिल किया जाए, इस बारे में भी चर्चाएँ हुई हैं। इन बैठकों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाता है और बाद में बोर्ड के साथ मिनटों की समीक्षा की जाती है ताकि कोई आवश्यक कार्रवाई निर्धारित की जा सके।

- बी. **विनियामक:** विनियामकों के साथ बैंकों की बातचीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बैंक के लिए महत्वपूर्ण हितधारक हैं। बैंक उनके साथ बैठकों, सम्मेलनों और ईमेल के माध्यम से नए दिशा-निर्देशों या आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए जुड़ता है। ये चर्चाएँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न विषयों को कवर करती हैं। इन चर्चाओं के विस्तृत रिकॉर्ड, जिन्हें मिनट्स कहा जाता है, रखे जाते हैं और बाद में उचित कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड के साथ समीक्षा की जाती है।
- **कर्मचारी:** वे किसी भी संगठन के लिए मूल्यवान संपत्ति हैं, और बैंक ने उनकी सहभागिता बनाए रखने के लिए कई मंच और संचार चैनल स्थापित किए हैं। इसमें उनकी किसी भी शिकायत या समस्या को संबोधित करना, फीडबैक एकत्र करना और निष्पादन मूल्यांकन करना, उन्हें नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में सूचित करना, साथ ही आंतरिक समाचार पत्र, ईमेल, टाउन हॉल मीटिंग और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विकास और समाचार साझा करना शामिल है। इन चैनलों के माध्यम से प्राप्त फीडबैक को मीटिंग मिनट में दर्ज किया जाता है और तदनुसार किसी भी सुझाए गए सुधार को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती है।
 - **आपूर्तिकर्ता:** बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसके आपूर्तिकर्ता बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को समझें। उनकी राय बैठकों और अन्य सत्रों के दौरान एकत्र की जाती है जहाँ तकनीकी और वाणिज्यिक विषयों पर चर्चा की जाती है।
 - **ग्राहक:** बैंक शाखाओं के दौरे, सर्वेक्षण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों और अन्य मामलों के बारे में ग्राहकों से बातचीत करता है। इन चर्चाओं में शिकायतें, नए उत्पाद और सेवाएँ, सामुदायिक भागीदारी और ग्राहक सेवा जैसे विभिन्न विषय शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ग्राहक सेवा के लिए एक सतत फीडबैक प्रणाली लागू की है, जिसे ग्राहक बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट के होमपेज पर देख सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के साथ अपने अनुभवों को रेट कर सकते हैं।

Detailed records of these meetings are kept, and the minutes are later reviewed with the board to determine any necessary actions.

- b. **Regulators:** Bank's interactions with regulators are crucial, as they are important stakeholders for the Bank. The Bank engages with them through meetings, conferences, and e-mails to discuss new guidelines or requirements they introduce. These discussions cover various topics such as economic, social, and environmental concerns. Detailed records of these discussions, called minutes, are kept and later reviewed with the Board to decide on appropriate actions.
- **Employees :** They are valued assets for any organization, and the Bank has established several platforms and communication channels to maintain their engagement. This includes addressing any grievances or concerns they may have, gathering feedback and conducting performance appraisals, informing them about new products and services, as well as sharing developments and news through internal newsletters, e-mails, town hall meetings, and awareness programs. Feedback received through these channels is documented in meeting minutes and discussed at various levels to implement any suggested improvements accordingly.
 - **Suppliers:** The Bank makes sure that its suppliers understand the procedures used by the Bank. Their opinions are collected during meetings and other sessions where technical and commercial topics are discussed.
 - **Customers:** The Bank interacts with customers regarding grievances and other matters through branch visits, surveys, and social media platforms. These discussions cover various topics such as complaints, new products and services, community involvement, and customer care. Additionally, the Bank has implemented a continuous feedback system for customer service, which customers can access on the homepage of the Bank's corporate website. Through this system, customers can rate their experiences with net banking and mobile banking.

- **समुदाय:** सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर ग्राहकों के साथ जुड़ने का तरीका: शाखाओं में मौजूद सेवा प्रतिनिधि आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के सामने आने वाले इन मुद्दों को संबोधित करते हैं। सीएसआर टीम, शाखा कर्मचारियों के साथ, सीएसआर पहलों की प्रगति की निगरानी करने और फीडबैक और सुझावों पर ध्यान देने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवा कार्यक्रम आयोजित करती है। उठाई गई शिकायतों का दस्तावेजीकरण किया जाता है और प्रासंगिक नीतियां और प्रक्रियाएं लागू की जाती हैं। सीएसआर गतिविधियों, व्यय, प्रभावों, नवाचारों, सीखे गए सबक आदि पर रिपोर्टें तिमाही आधार पर बोर्ड की एसडी और सीएसआर समिति को और सालाना निदेशक मंडल को सौंपी जाती हैं। आयोजित गतिविधियों के व्यय और प्रभाव अध्ययन का सालाना ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट के परिणाम बोर्ड की सतत विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) उप-समिति को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवश्यक संशोधन या सुधार करने के लिए नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

3. कमजोर/सीमांत हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए कार्यों के साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।

केनरा बैंक की व्यापक पहुंच इसे बैंकिंग सेवाओं से वंचित और ग्रामीण ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने, अनुरूप उत्पादों, सेवाओं और डिजिटल साक्षरता पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष पेशकश बैंक को अपने कवरेज का विस्तार करने और सामाजिक प्रभाव के लिए सरकारी पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए अनदेखी बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।

केनरा बैंक वित्तीय और डिजिटल समावेशन के मामले में सबसे आगे है, जिसकी ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जहाँ इसकी 61% से अधिक शाखाएँ हैं। इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए, बैंक ने विरुधुनगर, कवरत्ती, एर्नाकुलम, कोयंबटूर, रायचूर और देवनहल्ली जैसी जगहों पर छह डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की हैं। यह मौजूदा आठ कैंडी शाखाओं को जोड़ता है, जिससे कुल चौदह डिजिटल शाखाएँ बन जाती हैं। ये पहल वित्तीय सेवाएँ और डिजिटल पहुंच प्रदान करने के लिए केनरा बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, विशेष रूप से वंचित समुदायों में।

- **Community:** Mode of engagement with socially and economically weaker customers: Service representatives present at branches address these issues faced by economically and socially disadvantaged communities. The CSR team, along with branch employees, organizes community volunteering programs to monitor the progress of CSR initiatives and take note of feedback and suggestions. The grievances raised are documented and relevant policies and processes are put in place. Reports on CSR activities, expenditures, impacts, innovations, lessons learned, etc., are submitted to the SD and CSR Committee of the Board on a quarterly basis and to the Board of Directors annually. The expenditure and impact study of the activities conducted will be audited annually. The audit results will be presented to the Sub-committee of the Board on Sustainable Development and Corporate Social Responsibility (CSR). The policy will be periodically reviewed to make necessary modifications or improvements.

3. Provide details of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/marginalized stakeholder groups.

Canara Bank's extensive reach allows it to serve unbanked and rural customers effectively, promoting financial inclusion through tailored products, services, and digital literacy initiatives. Specialized offerings for socially and economically disadvantaged groups enable the bank to expand its coverage and reach overlooked markets, aligning with government initiatives for societal impact.

Canara Bank is at the forefront of financial and digital inclusion, with a significant presence in rural and semi-urban areas, accounting for over 61% of its branches. To enhance these efforts, the bank has set up six Digital Banking Units in places like Virudhunagar, Kavaratti, Ernakulam, Coimbatore, Raichur, and Devanahalli. This adds to the existing eight Candi branches, making a total of fourteen Digital branches. These initiatives underscore Canara Bank's commitment to providing financial services and digital access, particularly in underserved communities.

सिद्धांत 5:

व्यवसाय को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (ओं) पर निम्नलिखित प्रारूप में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023-24 | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | |
|-----------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|-----------|
| | कुल (ए) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (बी) | % (बी / ए) | कुल (सी) | कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (डी) | % (डी/सी) |
| कर्मचारी | | | | | | |
| स्थायी | 82638 | 75704 | 91.60 | - | - | - |
| स्थायी के अलावा | - | - | - | - | - | - |
| कुल कर्मचारी | 82638 | 75704 | 91.60 | - | - | - |
| कामगार | | | | | | |
| स्थायी | लागू नहीं | | | | | |
| स्थायी के अलावा | | | | | | |
| कुल कर्मचारी | | | | | | |

Principle 5:

Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

| Category | FY 2023-24 | | | FY 2022-23 | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|---------|------------|--|---------|
| | Total (A) | No. of employees/workers covered (B) | % (B/A) | Total (C) | No. of employees / workers covered (D) | % (D/C) |
| Employees | | | | | | |
| Permanent | 82638 | 75704 | 91.60 | - | - | - |
| Other than Permanent | - | - | - | - | - | - |
| Total Employees | 82638 | 75704 | 91.60 | - | - | - |
| Workers | | | | | | |
| Permanent | NA | | | | | |
| Other than Permanent | | | | | | |
| Total Workers | | | | | | |

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों एवं कामगारों को भुगतान किये जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण दिया गया है:

| श्रेणी | वित्त वर्ष 2023-24 | | | | | वित्त वर्ष 2022-23 | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | कुल (ए)* | न्यूनतम वेतन के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | | कुल (डी) | न्यूनतम वेतन के बराबर | | न्यूनतम वेतन से अधिक | |
| | | सं (बी) | % (बी/ए) | सं (सी) | % (सी/ए) | | सं (ई) | % (ई/डी) | सं (एफ) | % (एफ/डी) |
| कर्मचारी | | | | | | | | | | |
| स्थायी | 82638 | 0 | 0.00% | 82638 | 100% | 84978 | 0 | 0.00% | 84978 | 100% |
| पुरुष | 56399 | 0 | 0.00% | 56399 | 100% | 58083 | 0 | 0.00% | 58083 | 100% |
| महिला | 26238 | 0 | 0.00% | 26238 | 100% | 26894 | 0 | 0.00% | 26894 | 100% |
| अन्य | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100% |
| स्थायी के अलावा | लागू नहीं | | | | | | | | | |
| कामगार | | | | | | | | | | |
| स्थायी | लागू नहीं | | | | | | | | | |
| स्थायी के अलावा | | | | | | | | | | |
| कुल कर्मचारी | | | | | | | | | | |

*हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी काम कर रहा है।

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

| Category | FY 2023-24 | | | | | FY 2022-23 | | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------------------|---------|
| | Total (A)* | Equal to minimum wage | | More than minimum wage | | Total (D) | Equal to minimum wage | | More than minimum wage | |
| | | No. (B) | % (B/A) | No. (C) | % (C/A) | | No. (E) | % (E/D) | No. (F) | % (F/D) |
| Employees | | | | | | | | | | |
| Permanent | 82638 | 0 | 0.00% | 82638 | 100% | 84978 | 0 | 0.00% | 84978 | 100% |
| Male | 56399 | 0 | 0.00% | 56399 | 100% | 58083 | 0 | 0.00% | 58083 | 100% |
| Female | 26238 | 0 | 0.00% | 26238 | 100% | 26894 | 0 | 0.00% | 26894 | 100% |
| Other | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100% | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100% |
| Other than permanent | NA | | | | | | | | | |
| Workers | | | | | | | | | | |
| Permanent | NA | | | | | | | | | |
| Other than Permanent | | | | | | | | | | |
| Total Workers | | | | | | | | | | |

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण दिया गया है

| | पुरुष | | महिला | | अन्य | |
|---|-----------|---|--------|--|--------|--|
| | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी | संख्या | संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी |
| निदेशक मंडल (बीओडी) | 11 | 2500000 | 2 | 2485000 | 0 | 0 |
| प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक | 9 | 3625660.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी | 58490 | 1259115.00 | 27188 | 1181995 | 1 | 145797.98 |
| कामगार | लागू नहीं | | | | | |

*नोट: 2 केएमपी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके वेतन का कुछ हिस्सा वित्त वर्ष 24 में भुगतान किया गया था, इसलिए केएमपी की संख्या 7 नहीं बल्कि 9 बताई गई है।

3. Details of remuneration/salary/wages, in the following format:

a. Median remuneration / wages:

| | Male | | Female | | Other | |
|----------------------------------|--------|---|--------|---|--------|---|
| | Number | Median remuneration / salary / wages of respective category | Number | Median remuneration/ salary/ wages of respective category | Number | Median remuneration/ salary/ wages of respective category |
| Board of Directors (BoD) | 11 | 2500000 | 2 | 2485000 | 0 | 0 |
| Key Managerial Personnel | 9 | 3625660.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Employees other than BoD and KMP | 58490 | 1259115.00 | 27188 | 1181995 | 1 | 145797.98 |
| Workers | NA | | | | | |

*Note: Part of the Wages for 2 KMPs who have retired were paid in FY24, hence number of KMPs mentioned as 9 and not 7.

बी. निम्न प्रारूप में संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल वेतन के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल वेतन:

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|--|---|---------------------------------------|
| महिलाओं को कुल वेतन के % के रूप में भुगतान किया गया सकल वेतन | 29.84% | 30.16% |

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity, in the following format:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Gross wages paid to females as % of total wages | 29.84% | 30.16% |

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्तिगत/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा मानवाधिकारों पर किए गए या योगदान किए गए प्रभावों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है?

हां,

बैंक की मानवाधिकार नीति और मानवाधिकारों से संबंधित अन्य प्रासंगिक नीतियों के अनुरूप, इसके परिचालनों में इन पहलुओं को संभालने के लिए उचित प्रबंधन निरीक्षण स्थापित किया गया है।

5. मानव अधिकार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

बैंक ने प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक के पद पर दो 'मुख्य संपर्क अधिकारी (सीएलओ)' नियुक्त किए हैं, जिनमें से एक 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों/पूर्व सैनिकों' के लिए और दूसरा 'ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)' के लिए है। प्रधान कार्यालय में एक विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया है और एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्तियों, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों से प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायतों को संपर्क अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है। जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक पूछताछ की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के रोजगार / सेवा शिकायतों के निवारण के लिए सीएलओ सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की है। अंचल स्तर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए "आंतरिक शिकायत समिति" का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

इसके अलावा, कर्मचारियों द्वारा व्हिसलब्लोअर नीति, मानव संसाधन नियमावली और आचार संहिता में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार भेदभाव, उत्पीड़न, अनैतिक व्यवहार या व्यवहार पर किसी भी अन्य समस्याओं या शिकायतों की सूचना दी जा सकती है।

4. Do you have a focal point (Individual / Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business?
Yes,

In line with the Bank's Human Rights Policy and other relevant policies addressing human rights, appropriate management oversight is established to handle these aspects within its operations.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Bank has appointed two Chief Liaison Officers (CLO) in the rank of General Manager one for SCs/STs/Differently abled Persons/Ex-Servicemen and another for OBC/Economically Weaker Section (EWS) at Head Office. The Bank has set up an exclusive Reservation Cell at the Head Office and appointed a Liaison Officer. Representations/grievances received from SCs/STs/OBCs/Differently abled Persons, EWS and minorities are being looked into by the Liaison Officer. Wherever required, necessary enquiries are conducted & appropriate action is taken.

In addition to above, the Bank has set up an Internal Grievance Committee consisting of Senior Officials of the Bank including CLO for redressal of employment / service grievances of SC/ST employees. To redress grievances related to Sexual Harassment of women at workplace "Internal Complaints Committee" has been constituted at all Circle level in accordance with the provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

Further, any other concerns or grievances on discrimination, harassment, unethical behavior or dealings can be reported by the employees in accordance with the process explained in Whistleblower Policy, human resource manual and the Code of Conduct.

6. निम्नलिखित पर कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई शिकायतों की संख्या

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | | | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां | वर्ष के दौरान दाखिल किया गया | वर्ष के अंत में लंबित संकल्प | टिप्पणियां |
| यौन उत्पीड़न | 18 | 3 | | 12 | 0 | - |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | | | | | | |
| बाल श्रम | | | | | | |
| बलपूर्वक श्रम/अनैच्छिक श्रम | | | | | | |
| मजदूरी | | | | | | |
| मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे | | | | | | |

नोट: वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या अपडेट कर दी गई है

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | | | FY 2022-23 Previous Financial Year | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks | Filed during the year | Pending resolution at the end of year | Remarks |
| Sexual Harassment | 18 | 3 | | 12 | 0 | - |
| Discrimination at workplace | | | | | | |
| Child Labour | | | | | | |
| Forced Labour/ Involuntary Labour | | | | | | |
| Wages | | | | | | |
| Other human rights related issues | | | | | | |

Note: The number of sexual harassment complaints filed in FY 2022-23 has been updated

7. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, अपराध पंजीयन, अपराध पंजीयन) के अंतर्गत दर्ज शिकायतों प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा:

| | वित्त वर्ष 2023-24 वर्तमान वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2022-23 पिछला वित्तीय वर्ष |
|--|---|---|
| कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें | 18 | 12 |
| पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/कर्मचारियों की प्रतिशत के रूप में शिकायतें | 0.07% | 0.04% |
| पीओएसएच पर बरकरार रखी गई शिकायतें | 14 | 5 |

नोट: वित्त वर्ष 2022-23 में दर्ज पीओएसएच शिकायतों की संख्या अपडेट कर दी गई है

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

केनरा बैंक भेदभाव और उत्पीड़न के संदर्भ में बताई गई नीतियों और प्रक्रियाओं का सख्ती से अनुपालन करता है। शिकायतों को दूर करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए विभिन्न उप-समितियां और आंतरिक समितियां हैं।

ए) यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए सभी अंचल कार्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। समिति के गठन का पूरा विवरण सभी ग्राहकों/सार्वजनिक/कर्मचारियों की जानकारी के लिए शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के लिए संबंधित अंचल के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक शाखा/कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।

बी) प्रधान कार्यालय में 'एससी/एसटी/ओबीसी/दिव्यांग व्यक्तियों, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यकों' से प्राप्त 'प्रतिवेदनों/शिकायतों' को संभालने के लिए आरक्षण कक्षा।

सी) एससी/एसटी कर्मचारियों के रोजगार/सेवा शिकायतों के निवारण के लिए सीएलओ सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों वाली आंतरिक शिकायत समिति।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)
नहीं

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|---|---|--|
| Total Complaints reported under Sexual Harassment on of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH) | 18 | 12 |
| Complaints on POSH as a % of female employees / workers | 0.07% | 0.04% |
| Complaints on POSH upheld | 14 | 5 |

Note: The number of POSH complaints filed in FY 2022-23 has been updated

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Canara Bank strictly adheres to the policies and the procedures explained with reference to discrimination and harassment. There are various sub-committees and internal committees to address the complaints raised and resolve them in a timely manner.

- a) Internal Complaints Committee at all Circle Office level to handle with Sexual Harassment Cases is formed at all Circle Office level. The full details of the constitution of the committee is furnished to every branch / office coming under the respective circles for being displayed on the notice board of the branch / office for the information of all customers/ public / employees.
- b) Reservation Cell at Head Office to handle representations/grievances received from SCs/STs/OBCs/Differently-abled Persons, EWS and minorities.
- c) Internal Grievance Committee consisting of Senior Officials of the Bank including CLO for redressal of employment/service grievances of SC/ST employees.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)

No

10. वर्ष का मूल्यांकन

| | आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा) मूल्यांकन किया गया था |
|----------------------------|--|
| बाल श्रम | - |
| बेगार/अनैच्छिक श्रम | |
| यौन उत्पीड़न | |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | |
| वेतन | |
| अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें | |

10. Assessments of the year

| | % of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties) |
|-----------------------------|---|
| Child labour | - |
| Forced/involuntary labour | |
| Sexual harassment | |
| Discrimination at workplace | |
| Wages | |
| Others – please specify | |

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी अंचल स्तरों पर आंतरिक शिकायत समितियाँ स्थापित की गई हैं। कर्मचारियों को व्हिसलब्लोअर नीति, मानव संसाधन मैनुअल और आचार संहिता के माध्यम से समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नियमित प्रशिक्षण सत्र और नीति अपडेट कानूनी मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करते हैं। संगठन एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above. Internal Complaints Committees have been established at all Circle levels in accordance with The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013. Employees are encouraged to report concerns through the Whistleblower Policy, HR manual, and Code of Conduct. Regular training sessions and policy updates ensure alignment with legal standards. The organization remains committed to fostering a safe and respectful workplace environment.

नेतृत्व संकेतक

- मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण
-
- समुचित सावधानी से किए गए किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण
हमारे कर्मचारी आचार संहिता और विनियमन यह सुनिश्चित करते हैं कि केनरा बैंक में मानवाधिकार सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाता है
- क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार संस्था का परिसर/कार्यालय निःशक्तजन (विकलांग) आगंतुकों के लिए सुलभ है?
केनरा बैंक अपने ग्राहकों और आगंतुकों को महत्व देता है।

Leadership Indicators

- Details of a business process being modified / introduced as a result of addressing human rights grievances/complaints.
-
- Details of the scope and coverage of any Human rights due-diligence conducted.
Our Employees Code of Conduct & Regulations ensures that Human Rights principles are strictly followed in Canara Bank.
- Is the premise/office of the entity accessible to differently-abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?
The Bank acknowledges that visitors with

विकलांग कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप, आसानी से पहुंचने के लिए सभी व्यवहार्य शाखाओं और एटीएम में रैंप प्रदान किए जाते हैं। अब तक, 6565 शाखाओं और 6432 एटीएम में रैंप की व्यवस्था की गई है।

disabilities require special arrangements on the premises to facilitate their mobility and ability to do things independently. The Bank has put ramps at all feasible branches and ATMs for ease of access. As of now, 6565 branches and 6432 ATMs are provided with ramps.

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरणः:

| | मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था |
|----------------------------|--|
| यौन उत्पीड़न | - |
| कार्यस्थल पर भेदभाव | - |
| बाल श्रम | - |
| बेगार/अनैच्छिक श्रम | - |
| वेतन | - |
| अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें | - |

4. Details on assessment of value chain partners:

| | % of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed |
|-----------------------------|--|
| Sexual harassment | - |
| Discrimination at workplace | - |
| Child labour | - |
| Forced/involuntary labour | - |
| Wages | - |
| Others – please specify | - |

5. ऊपर दिए गए प्रश्न 4 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

-

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 4 above.

-

सिद्धांत 6:

व्यवसायियों का सम्मान करना चाहिए एवं और पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयास करें

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है :

| पैरामीटर | वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|
| नवीकरणीय स्रोतों से | | |
| कुल बिजली खपत (ए) | 6997.83 जीजे | 0 |
| कुल ईंधन खपत (बी) | 0 | 0 |
| अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (सी) | 0 | 0 |
| कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी) | 6997.83 जीजे | 0 |
| गैर-नवीकरणीय स्रोतों से | | |
| कुल बिजली खपत (डी) | 855986.45 जीजे | 1243071.18 जीजे |
| कुल ईंधन खपत (ई) | 498321.452 जीजे | 165408.78 जीजे |
| अन्य माध्यमों से ऊर्जा की खपत स्रोत (एफ) | 0 | 0 |
| गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ) | 1354307.90 जीजे | 1408479.96 जीजे |
| कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी+डी+ई+एफ) | 1361305.73 जीजे | 1408479.96 जीजे |
| प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व) | 0.00000106616 | 0.00000016947 |
| प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित (पीपीपी) (कुल ऊर्जा खपत / राजस्व (पीपीपी) के लिए समायोजित परिचालन) | 0.0000244 | 0.0000038798 |
| भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता | - | - |
| ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है | 16.47जीजे/कर्मचारी | 16.57जीजे/कर्मचारी |

*नोट: सभी घरेलू शाखाएं और कार्यालय शामिल हैं

Principle 6:

Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

| Parameter | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) |
|--|--|---|
| From Renewable Sources | | |
| Total electricity consumption (A) | 6997.83 GJ | 0 |
| Total fuel consumption (B) | 0 | 0 |
| Energy consumption through other sources (C) | 0 | 0 |
| Total energy consumption (A+B+C) | 6997.83 GJ | 0 |
| From Non-Renewable Sources | | |
| Total electricity consumption (D) | 855986.45 GJ | 1243071.18 GJ |
| Total fuel consumption (E) | 498321.452 GJ | 165408.78 GJ |
| Energy consumption through other sources (F) | 0 | 0 |
| Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F) | 1354307.90 GJ | 1408479.96 GJ |
| Total energy consumed (A+B+C+D+E+F) | 1361305.73 GJ | 1408479.96 GJ |
| Energy intensity per Rupee of turnover (Total energy consumed/ Revenue from operations) | 0.00000106616 | 0.00000016947 |
| Energy intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed / Revenue from operations adjusted for PPP) | 0.0000244 | 0.0000038798 |
| Energy intensity in terms of physical output | - | - |
| Energy intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity | 16.47GJ/employee | 16.57GJ/employee |

*Note: All domestic branches and offices covered

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार के निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हाँ /नहीं) यदि हाँ, तो प्रकटीकरण करें कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।

लागू नहीं

Note: Indicate if any independent assessment/evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, SGS India Pvt. Ltd.

2. Does the entity have any sites / facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.

Not applicable

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| पैरामीटर | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) | टिप्पणी |
|--|--|--|--|
| स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में) | | | |
| (i) सतही जल | - | - | |
| (ii) भूजल | - | - | |
| (iii) तृतीय पक्ष जल (नगरपालिका जल आपूर्ति) | 981,739.44 | - | वित्तीय संस्थान होने के कारण, पानी का उपयोग केवल मानव उपभोग तक ही सीमित है। कार्यालय परिसर में उपयुक्त जल उपभोग को बढ़ावा देने हेतु उपाय लागू किए गए हैं |
| (iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल | - | - | - |
| (iv) अन्य | - | - | - |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v) | 981,739.44 | - | - |
| जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | 981,739.44 | - | - |
| प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (परिचालन से कुल जल खपत / राजस्व) | 0.000768356 | - | - |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल जल खपत / राजस्व) | 0.0000176 | - | - |
| भौतिक दृष्टि से जल की तीव्रता आउटपुट | - | - | - |
| जल की तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | 11.94 किलोलीटर/ कर्मचारी | - | - |

*नोट: सभी घरेलू शाखाएं और कार्यालय शामिल हैं

*नोट: पानी की निकासी और खपत की मात्रा का अनुमान एनबीसी (2016) पर आधारित कर्मचारी संख्या के आधार पर लगाया गया है।

3. Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:

| Parameter | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) | Remarks |
|--|---|--|---|
| Water withdrawal by source (in kilolitres) | | | |
| (i) Surface Water | - | - | |
| (ii) Groundwater | - | - | |
| (iii) Third Party Water (Municipal Water Supplies) | 981,739.44 | - | Being a financial institution, the water usage is restricted to human consumption only. Diligent measures have been implemented to promote responsible water consumption within the office premises |
| (iv) Seawater / desalinated water | - | - | - |
| (v) Others | - | - | - |
| Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v) | 981,739.44 | - | |
| Total volume of water consumption (in kilolitres) | 981,739.44 | - | - |
| Water intensity per Rupee of turnover (Total Water consumption / Revenue from operations) | 0.000768356 | - | - |
| Water intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption / Revenue from operations adjusted for PPP) | 0.0000176 | - | - |
| Water intensity in terms of physical output | - | - | - |
| Water intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity | 11.94 KL/ Employee | - | - |

*Note: All domestic branches and offices covered

*Note: The amount of water withdrawal and consumption is estimated based on employee headcount based on NBC (2016)

नोट: संकेत करें कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/ नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हां, एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, SGS India Pvt. Ltd.

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

| मापदंड | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|--|-------------------------|----------------------|
| गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में) | | |
| (i) सतही जल को | लागू नहीं | — |
| कोई उपचार नहीं | 785391.55 | — |
| उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | लागू नहीं | — |
| (ii) भूजल को | लागू नहीं | — |
| कोई उपचार नहीं | लागू नहीं | — |
| उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | लागू नहीं | — |
| (iii) समुद्री जल को | लागू नहीं | — |
| कोई उपचार नहीं | लागू नहीं | — |
| उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | लागू नहीं | — |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया | लागू नहीं | — |
| कोई उपचार नहीं | लागू नहीं | — |
| उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | लागू नहीं | — |
| (v) अन्य | लागू नहीं | — |
| कोई उपचार नहीं | लागू नहीं | — |
| उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | लागू नहीं | — |
| कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में) | 785391.55 किली/कर्मचारी | — |

नोट: (नीति आयोग 2016) के अनुसार कुल जल खपत का 80% जल निर्वहन अनुमानित है।

*नोट: सभी घरेलू शाखाएं और कार्यालय शामिल हैं

4. Provide the following details related to water discharged:

| Parameter | FY 2023-24 | FY 2022-23 |
|---|------------------------------|------------|
| Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres) | | |
| (i) To Surface water | NA | - |
| No treatment | 785391.55 | - |
| With treatment – please specify level of treatment | NA | - |
| (ii) To Groundwater | NA | - |
| No treatment | NA | - |
| With treatment – please specify level of treatment | NA | - |
| (iii) To Seawater | NA | - |
| No treatment | NA | - |
| With treatment – please specify level of treatment | NA | - |
| (iv) Sent to third-parties | NA | - |
| No treatment | NA | - |
| With treatment – please specify level of treatment | NA | - |
| (v) Others | NA | - |
| No treatment | NA | - |
| With treatment – please specify level of treatment | NA | - |
| Total water discharged (in kilolitres) | 785391.55 KL/employee | - |

Note: Water Discharge estimated to be 80% of the total water consumption based on (NITI Aayog 2016)

*Note: All domestic branches and offices covered

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हाँ, एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

Note: Indicate if any independent assessment/evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

Yes, SGS India Pvt. Ltd.

5. Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation.

NA

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

| मापदंड | कृपया इकाई निर्दिष्ट करें | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| एनओएक्स | | | |
| एसओएक्स | | | |
| कणिकीय पदार्थ (पीएम) | | | |
| स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) | | | |
| वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी) | | | |
| खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी) | | | |
| अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें | | | |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

6. Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:

| Parameter | Please specify unit | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|
| NOx | | | |
| SOx | | | |
| Particulate matter (PM) | | | |
| Persistent organic pollutants (POP) | | | |
| Volatile organic compounds (VOC) | | | |
| Hazardous air pollutants (HAP) | | | |
| Others – Please specify | | | |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N)
If yes, name of the external agency.

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

| मापदंड | इकाई | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|---|---|---|
| कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) | CO ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन | 35296.13 | 11741.850 |
| कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) | CO ₂ के समतुल्य मीट्रिक टन | 195643.45 | 272722.940 |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपए टर्नओवर (परिचालन से कुल दायरा 1 और दायरा 2 जीएचजी उत्सर्जन / राजस्व) | CO ₂ के समतुल्य/ रुपया मीट्रिक टन | 0.00000018089 | 0.00000003427 |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / राजस्व) | पीपीपी में समायोजित इट2 समतुल्य/रुपये समतुल्य मीट्रिक टन (पीपीपी-राष्ट्रीय मुद्रा इकाइयाँ/अमेरिकी डॉलर) | 0.000004140 | 0.00000078 |
| भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता | - | - | - |
| कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | CO ₂ e/कर्मचारी | 2.79 | 3.343 |

*नोट: सभी घरेलू शाखाएं और कार्यालय शामिल हैं

हाँ, एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड

*नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

7. Provide details of Greenhouse Gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:

| Parameter | Unit | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) |
|---|--|--|---|
| Total Scope 1 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available) | Metric tonnes of CO ₂ equivalent | 35296.13 | 11741.850 |
| Total Scope 2 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available) | Metric tonnes of CO ₂ equivalent | 195643.45 | 272722.940 |
| Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations) | Metric tonnes of CO ₂ equivalent/ Rupee | 0.00000018089 | 0.00000003427 |
| Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP) | Metric tonnes of CO ₂ equivalent/ Rupee equivalent adjusted to PPP (PPP-National currency units/ US Dollar) | 0.000004140 | 0.00000078 |
| Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output | - | - | - |
| Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity | CO ₂ e/employee | 2.79 | 3.343 |

*Note: All domestic branches and offices covered

Yes, SGS India Pvt. Ltd.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N)
If yes, name of the external agency.

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी (हरित जमा नीति) का लक्ष्य व्यक्तियों को वित्तीय संस्थानों में अपना पैसा जमा करके पर्यावरण के अनुकूल पहलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इन जमाओं का उपयोग तब परियोजनाओं और गतिविधियों को निधि देने के लिए किया जाता है जो सतत विकास को बढ़ावा देते हैं। नीति जमाकर्ताओं से धन जुटाने और उन्हें पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अन्य हरित पहलों से संबंधित परियोजनाओं की ओर निर्देशित करने पर केंद्रित है। बैंक अप्रैल 2023 से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) का संस्थापक सदस्य बन गया है। बैंक ने पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन ढांचे के तहत हरित पहल (गैर-क्रेडिट) में से एक के रूप में आईजीबीसी ग्रीन प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 100 शाखाएं निर्धारित की हैं। 100 शाखाओं में से, 1 शाखा के लिए आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त हो चुका है और शेष 99 अन्य शाखाओं के लिए प्रमाणन प्रक्रिया चल रही है।

इसके अलावा, केनरा इस्टीमेट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, मणिपाल को ग्रीन कैपस श्रेणी में आईजीबीसी द्वारा सिल्वर रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया था।

8. Does the entity have any project related to reducing Greenhouse Gas emission? If Yes, then provide details.

The goal of the Green Deposit Policy is to encourage individuals to support environmentally friendly initiatives by depositing their money in financial institutions. These deposits are then used to fund projects and activities that promote sustainable development. The policy focuses on mobilizing funds from depositors and directing them towards projects related to environmental conservation, renewable energy, energy efficiency, and other green initiatives.

The Bank has become a founding member of Indian Green Building Council (IGBC) from April of 2023. The Bank has earmarked 100 Branches to obtain IGBC Green Certification as one of green initiatives (Non-credit) under Environmental, Social & Governance framework. Out of 100 Branches, IGBC certification is obtained for 1 branch and certification process is underway for remaining 99 more Branches.

Further, Canara Institute of Bank Management, Manipal was certified by IGBC with Silver rating in green campus category.

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

| मापदंड | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|--|--|
| कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | |
| प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) | 45.35 | - |
| ई-कचरा (बी) | 38.18 | - |
| जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी) | 0.00 | - |
| निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी) | 337.21 | - |
| बैटरी अपशिष्ट (ई) | 444.50 | - |
| रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ) | 0.00 | - |
| अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (जी) | 0.00 | - |
| अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्री के अनुसार विभाजन) | 243.43 | - |
| कुल (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच) | 1108.67 | - |
| प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (परिचालन से कुल जल खपत / राजस्व) | 0.0000008686 मीट्रिक टन/रुपया | - |
| क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार में जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल जल खपत / राजस्व) | 0.000000019 | - |
| भौतिक दृष्टि से जल की तीव्रता आउटपुट | - | - |
| जल की तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | 0.01 मीट्रिक टन/ कर्मचारी | - |
| उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | |
| अपशिष्ट की श्रेणी | | |
| (i) पुनर्चक्रित | लागू नहीं | - |
| (ii) पुनः उपयोग | लागू नहीं | - |
| (iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य | लागू नहीं | - |
| कुल | | |
| उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में) | | |
| अपशिष्ट की श्रेणी | | |
| (i) भस्मीकरण | लागू नहीं | - |
| (ii) लैंडफिलिंग | लागू नहीं | - |
| (iii) अन्य निपटान कार्य | लागू नहीं | - |
| कुल | | |

*नोट: सभी घरेलू शाखाएं और कार्यालय शामिल हैं

हाँ, एसजीएस इंडिया प्रा. लिमिटेड

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

| Parameter | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) |
|---|---|--|
| Total Waste generated (in metric tonnes) | | |
| Plastic Waste (A) | 45.35 | - |
| E-waste (B) | 38.18 | - |
| Bio-medical waste (C) | 0.00 | - |
| Construction and demolition waste (D) | 337.21 | - |
| Battery waste (E) | 444.50 | - |
| Radioactive waste (F) | 0.00 | - |
| Other Hazardous waste. Please specify, if any. (G) | 0.00 | - |
| Other Non-hazardous waste generated (H). Please specify, if any. (Break-up by composition i.e. by materials relevant to the sector) | 243.43 | - |
| Total (A+B + C + D + E + F + G + H) | 1108.67 | - |
| Waste intensity per Rupee of turnover (Total waste generated / Revenue from operations) | 0.0000008686 metric tonne / Rupee | - |
| Waste intensity per Rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated / Revenue from operations adjusted for PPP) | 0.000000019 | - |
| Waste intensity in terms of physical output | - | - |
| Waste intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity | 0.01 metric tonne/ employee | - |
| For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes) | | |
| Category of waste | | |
| (i) Recycled | NA | - |
| (ii) Re-used | NA | - |
| (iii) Other recovery operations | NA | - |
| Total | | |
| For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes) | | |
| Category of waste | | |
| (i) Incineration | NA | - |
| (ii) Landfilling | NA | - |
| (iii) Other disposal operations | NA | - |
| Total | | |

*Note: All domestic branches and offices covered

Yes, SGS India Pvt. Ltd.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N)
If yes, name of the external agency.

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

बैंक का मुख्य व्यवसाय ग्राहकों और हितधारकों को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है, जिसके कारण विभिन्न संसाधनों पर महत्वपूर्ण निर्भरता होती है। इसमें बिजली खरीदना, शाखाओं में डीजल जनरेटर का उपयोग करना और फॉर्म, स्टेटमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए कागज का उपयोग करना शामिल है।

- **नगरीय अपशिष्ट:** बैंक अपने परिचालन से प्रतिदिन एकत्रित अपशिष्ट का प्रबंधन नगरीय एजेंसियों के माध्यम से करता है।
- **ई-कचरा:** बैंक अपने आईटी बुनियादी ढांचे से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रति सचेत है और एक प्रभावी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए ई-कचरा नीति लागू की है। बैंक ई-कचरे का निपटान करता है। ई-कचरा विक्रेताओं के बीच सीमित निविदा/आरएफपी जारी करके, जो ई-कचरा एकत्र करने और उसका निपटान करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित हैं। बैंक को विक्रेताओं से ई-कचरा रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं।
- **बैटरी अपशिष्ट:** विक्रेताओं से बाय-बैक नीति के माध्यम से पुरानी बैटरियों को नई बैटरियों से बदला जाता है।

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

The Bank's core business involves providing banking services to customers and stakeholders, which leads to a significant reliance on various resources. This includes purchasing electricity, utilizing diesel generators at branches, and using paper for forms, statements, and other essential documents.

- **Municipal Waste:** The Bank manages its waste collected on a daily basis from its operations through the Municipal agencies
- **E-Waste:** The Bank is conscious of the waste generated by its IT infrastructure and has put in place an E-Waste policy to ensure an effective process is followed. The Bank disposes of e-wastes by issuing limited tender/ RFP among e-waste vendors, who are certified by the Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board to collect and dispose of the e-waste. The Bank has received e-waste recycling certificates from the vendors.
- **Battery Waste:** Old Batteries are replaced with new ones through a Buy-back policy from vendors.

11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

| क्रं सं. | परिचालन/ कार्यालयों का स्थान | परिचालन का प्रकार | क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो क्या करें? |
|---|------------------------------|-------------------|---|
| लागू नहीं, हालांकि, सभी कार्यालय ऐसे परिसरों में हैं जिनके पास अपेक्षित भवन निर्माण अनुमति है और जो स्थानीय नगरपालिका मानदंडों के अनुरूप हैं। | | | |

11. If the entity has operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required, please specify details in the following format:

| Sl. No. | Location of operations/offices | Type of operations | Whether the conditions of environmental approval / clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any. |
|--|--------------------------------|--------------------|---|
| Not Applicable, however, all offices are in premises which have the requisite building permissions and are compliant with local municipal norms. | | | |

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

| परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण | ईआईए अधिसूचना सं. | तारीख | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|-------------------------------------|-------------------|-------|--|--|--------------------|
| लागू नहीं | | | | | |

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

| Name and brief details of project | EIA Notification No. | Date | Whether conducted by independent external agency (Yes / No) | Results communicated in public domain (Yes / No) | Relevant Web link |
|-----------------------------------|----------------------|------|---|--|-------------------|
| Not applicable | | | | | |

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

| क्र. सं. | उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया | गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/ दंड/ कार्रवाई | यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो |
|---|---|----------------------------------|---|--|
| सभी लागू गतिविधियाँ प्रासंगिक सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं | | | | |

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment protection act and rules thereunder (Y/N). If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

| Sl. No. | Specify the law / regulation / guidelines which was not complied with | Provide details of the non-compliance | Any fines / penalties / action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts | Corrective action taken, if any |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|
| All applicable activities are in compliance with relevant Government guidelines | | | | |

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

(i) क्षेत्र का नाम: लागू नहीं

(ii) परिचालन की प्रकृति: लागू नहीं

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन: – लागू नहीं

| मापदंड | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---|--|--|
| स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में) | | |
| (i) सतही जल | - | - |
| (ii) भूजल | - | - |
| (iii) तीसरे पक्ष का पानी | - | - |
| (iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल | - | - |
| (v) अन्य | - | - |
| जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | - | - |
| जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में) | - | - |
| प्रति रुपया कारोबार में जल की तीव्रता (पानी की खपत / कारोबार) | - | - |
| जल तीव्रता (वैकल्पिक) – इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | - | - |
| गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में) | | |
| (i) सतही जल में | - | - |
| – कोई उपचार नहीं | - | - |
| – उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | - | - |
| (ii) भूजल में | - | - |
| – कोई उपचार नहीं | - | - |
| – उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | - | - |
| (iii) समुद्री जल में | - | - |
| – कोई उपचार नहीं | - | - |
| – उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | - | - |
| (iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया | - | - |
| – कोई उपचार नहीं | - | - |
| – उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | - | - |
| (v) अन्य | - | - |
| – कोई उपचार नहीं | - | - |
| – उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें | - | - |
| कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में) | - | - |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

Leadership Indicators

1. Water withdrawal, consumption and discharge in areas of water stress (in kilolitres):

For each facility / plant located in areas of water stress, provide the following information:

(i) Name of the area: Not applicable

(ii) Nature of operations: Not applicable

(iii) Water withdrawal, consumption and discharge in the following format: - Not applicable

| Parameter | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) |
|--|--|---|
| Water withdrawal by source (in kilolitres) | | |
| (i) Surface water | - | - |
| (ii) Groundwater | - | - |
| (iii) Third party water | - | - |
| (iv) Seawater / desalinated water | - | - |
| (v) Others | - | - |
| Total volume of water withdrawal (in kilolitres) | - | - |
| Total volume of water consumption (in kilolitres) | - | - |
| Water intensity per Rupee of turnover (Water consumed / turnover) | - | - |
| Water intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity | - | - |
| Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres) | | |
| (i) Into Surface water | - | - |
| - No treatment | - | - |
| - With treatment - please specify level of treatment | - | - |
| (ii) Into Groundwater | - | - |
| - No treatment | - | - |
| - With treatment – please specify level of treatment | - | - |
| (iii) Into Seawater | - | - |
| - No treatment | - | - |
| - With treatment – please specify level of treatment | - | - |
| (iv) Sent to third-parties | - | - |
| - No treatment | - | - |
| - With treatment – please specify level of treatment | - | - |
| (v) Others | - | - |
| - No treatment | - | - |
| - With treatment – please specify level of treatment | - | - |
| Total water discharged (in kilolitres) | - | - |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N)
If yes, name of the external agency.

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

| मापदंड | इकाई | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|--|------|--|--|
| कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन, यदि उपलब्ध हो) | - | | |
| प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन | | | |
| कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - इकाई द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक चुना जा सकता है | | | |

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

2. Please provide details of total Scope 3 emissions & its intensity, in the following format:

| Parameter | Unit | FY 2023-24 (Current Financial Year) | FY 2022-23 (Previous Financial Year) |
|---|------|--|---|
| Total Scope 3 emissions (Break-up of the GHG into CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , if available) | - | | |
| Total Scope 3 emissions per Rupee of turnover | | | |
| Total Scope 3 emission intensity (optional) - the relevant metric may be selected by the entity | | | |

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ-साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

3. With respect to the ecologically sensitive areas reported at Question 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along-with prevention and remediation activities.

Not Applicable

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:

| क्रं सं. | की गई पहल | पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए) | पहल का परिणाम |
|----------|---|---|---|
| 1. | 100 शाखाओं को आईजीबीसी ग्रीन प्रमाणन प्राप्त होगा | अप्रैल 2023 से बैंक भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) का संस्थापक सदस्य बन गया है। बैंक ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन ढांचे के तहत हरित पहल (गैर-ऋण) के रूप में आईजीबीसी ग्रीन प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 100 शाखाओं को चिह्नित किया है। | 100 शाखाओं में से 1 शाखा के लिए आईजीबीसी प्रमाणीकरण प्राप्त हो चुका है तथा शेष 99 शाखाओं के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया चल रही है। |

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions / effluent discharge / waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

| Sl. No | Initiative Undertaken | Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along with summary) | Outcome of the initiative |
|--------|---|---|--|
| 1. | 100 Branches to obtain IGBC Green Certification | The Bank has become a founding member of Indian Green Building Council (IGBC) from April of 2023. The Bank has earmarked 100 Branches to obtain IGBC Green Certification as one of green initiatives (Non-credit) under Environmental, Social & Governance framework. | Out of 100 Branches, IGBC certification is obtained for 1 branch and certification process is underway for remaining 99 more Branches. |

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें

केनरा बैंक के पास एक व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) योजना है जो आपदा स्थितियों से निपटने के लिए बैंक की तैयारियों पर प्रकाश डालती है। इसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की निरंतरता, बहाली और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने, लोगों, प्रक्रियाओं और बुनियादी ढांचे पर आपदा के प्रभाव को सीमित करने और आपदा से उत्पन्न होने वाले परिचालन, वित्तीय, कानूनी और नियामक और प्रतिष्ठा संबंधी परिणामों को कम करने के लिए लोग, नीतियां, मानक और प्रक्रियाएं शामिल हैं। व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) को आईएसओ 22301: 2019 मानक के आधार पर डिजाइन किया गया है, जो व्यवसाय निरंतरता आवश्यकताओं को स्थापित करने, लागू करने, संचालन, निगरानी, समीक्षा, रखरखाव और सुधार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं।

लागू नहीं

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

-

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web link.

Canara Bank has a Business Continuity Management (BCM) Plan which highlights the preparedness of the Bank to deal with disaster situations. It includes people, policies, standards, and procedures to ensure continuity, resumption, and recovery of critical business processes, limit the impact of the disaster on people, processes and infrastructure and minimize the operational, financial, legal & regulatory and reputational consequences arising from the disaster. The Business Continuity Management System (BCMS) has been designed based on the ISO 22301: 2019 standard, which is an international framework for establishing, implementing, operating, monitoring, reviewing, maintaining, and improving business continuity requirements.

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

Not Applicable

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

-

सिद्धांत 7 :

व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार एवं उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या।
ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

| क्र. सं. | व्यापार एवं उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों का नाम | व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय) |
|----------|---|--|
| 1. | भारतीय बैंक संघ | राष्ट्रीय |
| 2. | भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान | राष्ट्रीय |
| 3. | बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान | राष्ट्रीय |
| 4. | राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान | राष्ट्रीय |
| 5. | भारतीय क्लियरिंग निगम | राष्ट्रीय |
| 6. | भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम | राष्ट्रीय |

Principle 7:

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.
b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such a body) the entity is a member of/ affiliated to.

| Sl. No. | Name of the trade and industry chambers/ associations | Reach of trade and industry chambers/ associations (State/National) |
|---------|---|---|
| 1. | Indian Bank's Association | National |
| 2. | Indian Institute of Banking and Finance | National |
| 3. | Institute of Banking Personnel Selection | National |
| 4. | National Institute of Bank Management | National |
| 5. | The Clearing Corporation of India | National |
| 6. | National Payments Corporation of India | National |

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

| प्राधिकरण का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| | लागू नहीं | |

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.

| Name of authority | Brief of the case | Corrective action taken |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Not Applicable | |

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

| क्र. सं. | वकालत की गई सार्वजनिक नीति | इस तरह की वकालत के लिए अपनाई गई विधि | क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं) | बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें) | वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो |
|----------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------|
| | | | | | |

Leadership Indicators

1. Details of public policy positions advocated by the entity:

| Sl. No. | Public policy advocated | Method resorted for such advocacy | Whether information available in the public domain? (Yes/No) | Frequency of Review by Board (Annually/ Half yearly/ Quarterly / Others – please specify) | Web Link, if available |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------|
| | | | | | |

सिद्धांत 8 :

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का ब्यौरा

| परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण | एसआईए अधिसूचना सं. | अधिसूचना की तिथि | क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं) | परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ/नहीं) | प्रासंगिक वेब लिंक |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--|--|--------------------|
| - | | | | | |

Principle 8:

Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

| Name and brief details of project | SIA Notification No. | Date of notification | Whether conducted by independent external agency (Yes/No) | Results Communicated in public domain (Yes / No) | Relevant Web link |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---|--|-------------------|
| - | | | | | |

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

| क्र.सं. | परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है | राज्य | ज़िला | परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या | आर एंड आर के द्वारा किया गया परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का % | वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में) |
|-----------|---|-------|-------|--|--|--|
| लागू नहीं | | | | | | |

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

| Sl. No. | Name of Project for which R&R is ongoing | State | District | No. of Project Affected Families (PAFs) | % of PAFs covered by R&R | Amounts paid to PAFs in the FY (In INR) |
|----------------|--|-------|----------|---|--------------------------|---|
| Not applicable | | | | | | |

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का विवरण प्रस्तुत करें।

हितधारकों के रूप में समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमारी सीएसआर टीम शिकायतों को दूर करने और सामाजिक और पर्यावरणीय परियोजनाओं पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए उनके साथ नियमित संचार बनाए रखती है। सीएसआर गतिविधियों, व्यय, प्रभावों और सीखे गए सबक पर त्रैमासिक रिपोर्ट एसडी और सीएसआर समिति को प्रस्तुत की जाती है, जबकि वार्षिक रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है। व्यय और प्रभाव अध्ययनों का वार्षिक ऑडिट किया जाता है, और परिणाम सतत विकास और सीएसआर पर बोर्ड की उप-समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं। आवश्यक संशोधनों या सुधारों को शामिल करने के लिए नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। कुछ मामलों में, एनजीओ भागीदार समुदायों और केनरा बैंक की सीएसआर टीम के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित होता है। हमारे बैंक में 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय था “भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें” ताकि समाज में भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता लाई जा सके। आम जनता में जागरूकता पैदा करने और वर्ष के सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/एफएम रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया गया है।

3. Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.

Communities play a crucial role as stakeholders, and our CSR team maintains regular communication with them to address grievances and gather feedback on social and environmental projects. Quarterly reports on CSR activities, expenditures, impacts, and lessons learned are submitted to the SD and CSR Committee, with annual reports presented to the Board of Directors. Annual audits of expenditure and impact studies are conducted, and results are reported to the Sub-committee of the Board on Sustainable Development and CSR. The policy undergoes periodic reviews to incorporate necessary modifications or improvements. In some instances, NGO partners facilitate communication between communities and the CSR team of Canara Bank, ensuring effective resolution of grievances. Vigilance Awareness Week was observed in our Bank from 30th October 2023 to 5th November 2023 with the theme “Say no to corruption commit to the Nation” to bring awareness in society about the ill effects of Corruption. Social Media Platforms / FM Radio stations have been used to create awareness in General Public and popularize the Vigilance Awareness Week theme of the year.

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

| | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|---------------------------------------|---|---|
| एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त | 17.59% (यथा दिनांक 16/01/2024 तक) | 14.56% |
| भारत से सीधे प्राप्त | 100% | 100% |

4. Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from Suppliers:

| | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Directly sourced from MSMEs/ small producers | 17.59% (As on 16/01/2024) | 14.56% |
| Sourced directly from within India | 100% | 100% |

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

| स्थान | वित्तीय वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष) | वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछला वित्तीय वर्ष) |
|-----------|--|--|
| ग्रामीण | 15.25% | 15.24% |
| अर्ध शहरी | 20.92% | 21.12% |
| शहरी | 29.52% | 28.88% |
| महानगर | 34.31% | 34.76% |

5. Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost

| Location | FY 2023-24 Current Financial Year | FY 2022-23 Previous Financial Year |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Rural | 15.25% | 15.24% |
| Semi-urban | 20.92% | 21.12% |
| Urban | 29.52% | 28.88% |
| Metropolitan | 34.31% | 34.76% |

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

| पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण | सुधारात्मक कार्रवाई की गई |
|---|---------------------------|
| - | - |

Leadership Indicators

1. Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference: Question 1 of Essential Indicators above):

| Details of negative social impact identified | Corrective action taken |
|--|-------------------------|
| - | - |

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

| क्र.सं. | राज्य | आकांक्षी जिला | खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में) |
|---------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 | | सीएसआर प्रस्ताव | |
| | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | 760,321.00 |
| | आंध्र प्रदेश | विजयनगरम | 350,000.00 |
| | आंध्र प्रदेश | वाईएसआर कडप्पा | 382,000.00 |
| | अरुणाचल प्रदेश | नामसाई | 25,000.00 |
| | असम | बारपेटा | 100,000.00 |
| | बिहार | अररिया | 30,892.86 |
| | बिहार | बांका | 498,550.00 |
| | बिहार | बेगूसराय | 621,150.00 |
| | बिहार | गया | 506,584.73 |
| | बिहार | मुजफ्फरपुर | 926,206.00 |
| | छत्तीसगढ़ | बस्तर | 91,500.00 |
| | छत्तीसगढ़ | कांकेर | 91,500.00 |
| | छत्तीसगढ़ | कोरबा | 28,250.00 |
| | छत्तीसगढ़ | महासमुंद | 104,032.00 |
| | छत्तीसगढ़ | राजनंदगांव | 80,000.00 |
| | झारखंड | बोकारो | 310,176.00 |
| | झारखंड | गिरिडीह | 320,538.81 |
| | झारखंड | गोड्डा | 32,900.00 |
| | झारखंड | गुमला | 13,200.00 |
| | झारखंड | खूंटी | 134,600.00 |
| | झारखंड | पलामू | 282,926.00 |
| | झारखंड | पश्चिमी सिंहभूम | 206,650.00 |
| | झारखंड | पूर्वी सिंहभूम | 580,812.10 |
| | झारखंड | रांची | 1,803,884.78 |
| | कर्नाटक | रायचुर | 275,623.00 |
| | कर्नाटक | यादगीर | 40,447.00 |
| | केरल | वायनाड | 20,000.00 |
| | मध्य प्रदेश | छतरपुर | 150,000.00 |
| | मध्य प्रदेश | राजगढ़ | 31,100.00 |
| | महाराष्ट्र | गडचिरोली | 5,000,000.00 |
| | ओडिशा | ढेंकनाल | 259,936.00 |
| | ओडिशा | गजपति | 110,763.00 |
| | ओडिशा | कालाहांडी | 251,187.00 |
| | ओडिशा | रायगढ़ | 120,540.00 |
| | राजस्थान | करौली | 1,000,000.00 |

2. Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by Government bodies:

| S. No. | State | Aspirational District | Amount spent (In INR) |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | | CSR Proposals | |
| | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 760,321.00 |
| | Andhra Pradesh | Vizianagaram | 350,000.00 |
| | Andhra Pradesh | Y.S.R. Cuddapah | 382,000.00 |
| | Arunachal Pradesh | Namsai | 25,000.00 |
| | Assam | Barpeta | 100,000.00 |
| | Bihar | Araria | 30,892.86 |
| | Bihar | Banka | 498,550.00 |
| | Bihar | Begusarai | 621,150.00 |
| | Bihar | Gaya | 506,584.73 |
| | Bihar | Muzaffarpur | 926,206.00 |
| | Chhattisgarh | Bastar | 91,500.00 |
| | Chhattisgarh | Kanker | 91,500.00 |
| | Chhattisgarh | Korba | 28,250.00 |
| | Chhattisgarh | Mahasamund | 104,032.00 |
| | Chhattisgarh | Rajnandgaon | 80,000.00 |
| | Jharkhand | Bokaro | 310,176.00 |
| | Jharkhand | Giridih | 320,538.81 |
| | Jharkhand | Godda | 32,900.00 |
| | Jharkhand | Gumla | 13,200.00 |
| | Jharkhand | Khunti | 134,600.00 |
| | Jharkhand | Palamu | 282,926.00 |
| | Jharkhand | Pashchimi Singhbhum | 206,650.00 |
| | Jharkhand | Purbi Singhbhum | 580,812.10 |
| | Jharkhand | Ranchi | 1,803,884.78 |
| | Karnataka | Raichur | 275,623.00 |
| | Karnataka | Yadgir | 40,447.00 |
| | Kerala | Wayanad | 20,000.00 |
| | Madhya Pradesh | Chhatarpur | 150,000.00 |
| | Madhya Pradesh | Rajgarh | 31,100.00 |
| | Maharashtra | Gadchiroli | 5,000,000.00 |
| | Odisha | Dhenkanal | 259,936.00 |
| | Odisha | Gajapati | 110,763.00 |
| | Odisha | Kalahandi | 251,187.00 |
| | Odisha | Rayagada | 120,540.00 |
| | Rajasthan | Karauli | 1,000,000.00 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------|
| | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | 212,500.00 |
| | तमिलनाडु | विरुधुनगर | 232,500.00 |
| 2 | सीएसआर-केनरा विद्या ज्योति (सीवीजे) | | |
| | आंध्र प्रदेश | विजयनगरम | 600,000.00 |
| | आंध्र प्रदेश | वाईएसआर कडप्पा | 600,000.00 |
| | असम | बारपेटा | 187,500.00 |
| | असम | गोलपाड़ा | 192,500.00 |
| | छत्तीसगढ़ | कांकेर | 22,500.00 |
| | छत्तीसगढ़ | नारायणपुर | 22,500.00 |
| | झारखंड | बोकारो | 42,500.00 |
| | झारखंड | चतरा | 45,000.00 |
| | झारखंड | दुमका | 65,000.00 |
| | झारखंड | गढ़वा | 22,500.00 |
| | झारखंड | गिरिडीह | 70,000.00 |
| | झारखंड | गोड्डा | 80,000.00 |
| | झारखंड | गुमला | 45,000.00 |
| | झारखंड | हजारीबाग | 42,500.00 |
| | झारखंड | खूंटी | 22,500.00 |
| | झारखंड | लातेहार | 25,000.00 |
| | झारखंड | पाकुर | 45,000.00 |
| | झारखंड | पलामू | 75,000.00 |
| | झारखंड | पश्चिमी सिंहभूम | 117,500.00 |
| | झारखंड | पूर्वी सिंहभूम | 142,500.00 |
| | झारखंड | रामगढ़ | 22,500.00 |
| | झारखंड | रांची | 375,000.00 |
| | झारखंड | साहिबगंज | 35,000.00 |
| | झारखंड | सिमडेगा | 10,000.00 |
| | केरल | वायनाड | 335,000.00 |
| | मध्य प्रदेश | छतरपुर | 87,500.00 |
| | मध्य प्रदेश | गुना | 22,500.00 |
| | मध्य प्रदेश | खंडवा | 22,500.00 |
| | मध्य प्रदेश | राजगढ़ | 35,000.00 |
| | मध्य प्रदेश | सिंगरौली | 22,500.00 |
| | मध्य प्रदेश | विदिशा | 42,500.00 |
| | महाराष्ट्र | उस्मानाबाद | 180,000.00 |
| | महाराष्ट्र | वाशिम | 22,500.00 |
| | ओडिशा | बलांगीर | 289,000.00 |
| | ओडिशा | ढेंकनाल | 125,000.00 |
| | ओडिशा | गजपति | 74,000.00 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|------------|
| | Tamil Nadu | Ramanathapuram | 212,500.00 |
| | Tamil Nadu | Virudhunagar | 232,500.00 |
| 2. | CSR-Canara Vidya Jyothi(CVJ) | | |
| | Andhra Pradesh | Vizianagaram | 600,000.00 |
| | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | 600,000.00 |
| | Assam | Barpeta | 187,500.00 |
| | Assam | Goalpara | 192,500.00 |
| | Chhattisgarh | Kanker | 22,500.00 |
| | Chhattisgarh | Narayanpur | 22,500.00 |
| | Jharkhand | Bokaro | 42,500.00 |
| | Jharkhand | Chatra | 45,000.00 |
| | Jharkhand | Dumka | 65,000.00 |
| | Jharkhand | Garhwa | 22,500.00 |
| | Jharkhand | Giridih | 70,000.00 |
| | Jharkhand | Godda | 80,000.00 |
| | Jharkhand | Gumla | 45,000.00 |
| | Jharkhand | Hazaribagh | 42,500.00 |
| | Jharkhand | Khunti | 22,500.00 |
| | Jharkhand | Latehar | 25,000.00 |
| | Jharkhand | Pakur | 45,000.00 |
| | Jharkhand | Palamu | 75,000.00 |
| | Jharkhand | Pashchimi Singhbhum | 117,500.00 |
| | Jharkhand | Purbi Singhbhum | 142,500.00 |
| | Jharkhand | Ramgarh | 22,500.00 |
| | Jharkhand | Ranchi | 375,000.00 |
| | Jharkhand | Sahibganj | 35,000.00 |
| | Jharkhand | Simdega | 10,000.00 |
| | Kerala | Wayanad | 335,000.00 |
| | Madhya Pradesh | Chhatarpur | 87,500.00 |
| | Madhya Pradesh | Guna | 22,500.00 |
| | Madhya Pradesh | Khandwa | 22,500.00 |
| | Madhya Pradesh | Rajgarh | 35,000.00 |
| | Madhya Pradesh | Singrauli | 22,500.00 |
| | Madhya Pradesh | Vidisha | 42,500.00 |
| | Maharashtra | Osmanabad | 180,000.00 |
| | Maharashtra | Washim | 22,500.00 |
| | Odisha | Balangir | 289,000.00 |
| | Odisha | Dhenkanal | 125,000.00 |
| | Odisha | Gajapati | 74,000.00 |

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| | ओडिशा | कालाहांडी | 110,000.00 |
| | ओडिशा | कंधमाल | 84,000.00 |
| | ओडिशा | कोरापुट | 48,000.00 |
| | ओडिशा | मल्कानगिरी | 74,000.00 |
| | ओडिशा | नबरंगपुर | 86,000.00 |
| | ओडिशा | नुआपाडा | 110,000.00 |
| | ओडिशा | रायगढ़ | 64,000.00 |
| | गुजरात | दाहोद | 32,500.00 |
| | गुजरात | नर्मदा | 22,500.00 |
| | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | 67,500.00 |
| | तमिलनाडु | विरुदनगर | 165,000.00 |
| 3 | सीएसआर-महिलाओं के लिए उद्यमिता केंद्र (सीईडी) | | |
| | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | 15,464.00 |
| | आंध्र प्रदेश | विजयनगरम | 19,600.00 |
| | आंध्र प्रदेश | वाईएसआर कडप्पा | 34,500.00 |
| | असम | गोलपाडा | 30,000.00 |
| | झारखंड | पश्चिमी सिंहभूम | 33,339.00 |
| | झारखंड | रांची | 116,092.00 |
| | कर्नाटक | रायचुर | 12,042.00 |
| | मध्य प्रदेश | विदिशा | 22,000.00 |
| | ओडिशा | गजपति | 12,500.00 |
| | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | 8,395.00 |
| | तमिलनाडु | विरुधुनगर | 13,952.00 |
| | गुजरात | दाहोद | 12,500.00 |
| | गुजरात | नर्मदा | 15,000.00 |
| 4 | सीएसआर - ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान | | |
| | बिहार | शेखपुरा | 3,952,571.00 |
| | झारखंड | रांची | 5,723,808.00 |
| | आंध्र प्रदेश | वाईएसआर कडप्पा | 5,364,416.00 |
| | हरयाणा | मेवात | 3,299,767.66 |
| | राजस्थान | बरन | 7,328,982.00 |
| 5 | सीएसआर-वित्तीय साक्षरता शिविर | | |
| | हरयाणा | मेवात (नूह) | 460,911.00 |
| | | पुन्हाना | 360,572.00 |
| | बिहार | शेखपुरा | 479,617.00 |
| | आंध्र प्रदेश | वाईएसआर कडप्पा | 799,393.00 |
| | कर्नाटक | रायचुर | 697,488.00 |
| | केरल | वायनाड | 369,307.00 |

| | | | |
|----------|--|---------------------|--------------|
| | Odisha | Kalahandi | 110,000.00 |
| | Odisha | Kandhamal | 84,000.00 |
| | Odisha | Koraput | 48,000.00 |
| | Odisha | Malkangiri | 74,000.00 |
| | Odisha | Nabarangapur | 86,000.00 |
| | Odisha | Nuapada | 110,000.00 |
| | Odisha | Rayagada | 64,000.00 |
| | Gujarat | Dohad | 32,500.00 |
| | Gujarat | Narmada | 22,500.00 |
| | Tamil Nadu | Ramanathapuram | 67,500.00 |
| | Tamil Nadu | Virudhunagar | 165,000.00 |
| 3 | CSR-Centre For Enterpreunership for Women (CED) | | |
| | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | 15,464.00 |
| | Andhra Pradesh | Vizianagaram | 19,600.00 |
| | Andhra Pradesh | Y.S.R. Cuddapah | 34,500.00 |
| | Assam | Goalpara | 30,000.00 |
| | Jharkhand | Pashchimi Singhbhum | 33,339.00 |
| | Jharkhand | Ranchi | 116,092.00 |
| | Karnataka | Raichur | 12,042.00 |
| | Madhya Pradesh | Vidisha | 22,000.00 |
| | Odisha | Gajapati | 12,500.00 |
| | Tamil Nadu | Ramanathapuram | 8,395.00 |
| | Tamil Nadu | Virudhunagar | 13,952.00 |
| | Gujarat | Dohad | 12,500.00 |
| | Gujarat | Narmada | 15,000.00 |
| 4 | CSR - Rural Training Institutes | | |
| | Bihar | Sheikpura | 3,952,571.00 |
| | Jharkhand | Ranchi | 5,723,808.00 |
| | Andhra Pradesh | Y.S.R. Cuddapah | 5,364,416.00 |
| | Haryana | Mewat | 3,299,767.66 |
| | Rajasthan | Baran | 7,328,982.00 |
| 5 | CSR-Financial Literacy Camps | | |
| | Haryana | Mewath (NUH) | 460,911.00 |
| | | Punhana | 360,572.00 |
| | Bihar | Sheikhpura | 479,617.00 |
| | Andhra Pradesh | Y.S.R. Cuddapah | 799,393.00 |
| | Karnataka | Raichur | 697,488.00 |
| | Kerala | Wayanad | 369,307.00 |

3. (क) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

नहीं

(ख) आप किन हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

लागू नहीं

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

लागू नहीं

3. (a) Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalized /vulnerable groups? (Yes/No)

No

(b) From which marginalized /vulnerable groups do you procure?

NA

(c) What percentage of total procurement (by value) does it constitute?

NA

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष में) आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

| क्र.सं. | पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा | स्वामित्व/अधिग्रहीत (हां / नहीं) | साझा किया गया लाभ (हां / नहीं) | लाभ अंश की गणना का आधार |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| लागू नहीं | | | | |

4. Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year), based on traditional knowledge:

| Sl. No. | Intellectual Property based on traditional knowledge | Owned / Acquired (Yes/No) | Benefit shared (Yes / No) | Basis of calculating benefit share |
|----------------|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Not Applicable | | | | |

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।

| प्राधिकरण का नाम | मामले का संक्षिप्त विवरण | की गई सुधारात्मक कार्रवाई |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| लागू नहीं | | |

5. Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.

| Name of authority | Brief of the Case | Corrective action taken |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Not applicable | | |

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

| क्र.सं. | सीएसआर परियोजना | सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का % |
|---------|--------------------------------------|---|---|
| 1. | सीएसआर प्रस्ताव | 278110 | 76.2 |
| 2. | सीएसआर-केनरा विद्या ज्योति (सीवीजे) | 17994 | 100 |
| 3. | सीएसआर-महिला उद्यमिता केंद्र (सीईडी) | 29069 | 76.2 |
| 4. | सीएसआर - ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान | 52671 | 78 |
| 5 | सीएसआर-वित्तीय साक्षरता शिविर | 159208 | 98 |

6. Details of beneficiaries of CSR Projects:

| Sl. No. | CSR Project | No. of persons benefited from CSR Projects | % of beneficiaries from vulnerable and marginalized groups |
|---------|---|--|--|
| 1 | CSR PROPOSALS | 278110 | 76.2 |
| 2 | CSR-Canara Vidya Jyothi(CVJ) | 17994 | 100 |
| 3. | CSR-Centre For Entrepreneurship for Women (CED) | 29069 | 76.2 |
| 4. | CSR - Rural Training Institutes | 52671 | 78 |
| 5. | CSR-Financial Literacy Camp | 159208 | 98 |

सिद्धांत 9 :

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

ग्राहक निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

1. सीपीजीआरएस (केनरा लोक शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल जो हमारी वेबसाइट के माध्यम से पहुंच योग्य है।
2. केनरा बैंक कॉल सेंटर: 24*7 केनरा कॉल के माध्यम से
3. हमारी वेबसाइट के माध्यम से ओडीआर (ऑनलाइन विवाद समाधान) पोर्टल, जहाँ ग्राहक ऑनलाइन लेनदेन पर अपने विवाद या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। केनरा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल
4. केनरा एआई1 मोबाइल बैंकिंग ऐप
5. शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / अंचल कार्यालयों / प्रधान कार्यालय में शिकायत की हार्ड कॉपी भेजना
6. ईमेल शिकायतें शाखा/आरओ/सीओ/प्रधान कार्यालय को भेजी जा सकती हैं
7. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का सीपीजीआरएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली) पोर्टल
8. उपभोक्ता मामले मंत्रालय का इनग्राम (एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र) पोर्टल
9. आरबीआई बैंकिंग लोकपाल का सीएमएस (शिकायत प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल

कॉल सेंटर सहित ऊपर उल्लिखित ऑनलाइन तरीकों से शिकायत दर्ज करते समय ग्राहकों को एक अद्वितीय शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ पावती मिल रही है। ग्राहक सेवा वर्टिकल, प्र.का. पर प्राप्त ईमेल शिकायतों के लिए, तुरंत पावती भेजी जाएगी, बैंक द्वारा शिकायत निवारण पैकेज में शिकायत दर्ज करते समय शिकायत पंजीकरण संख्या एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी।

शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत की प्रकृति के आधार पर संबंधित शाखा/आरओ/सीओ/संबंधित विभाग द्वारा शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा। यदि बैंक समस्या को अस्वीकार करता है या आंशिक रूप से हल करता है, तो शिकायत बंद करने से पहले आंतरिक लोकपाल के विचार प्राप्त किए जाएंगे। शिकायत के लिए प्रदान किए गए समाधान को पैकेज में अपडेट किया जाएगा और ग्राहक को उनकी शिकायत बंद होने पर एक स्वचालित रूप से जनरेटेड एसएमएस प्राप्त होगा।

PRINCIPLE 9 :

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.

Customer can lodge the complaints through the following Mechanisms.

1. CPGRS (Canara Public Grievance Redressal System) portal which is accessible through our website.
2. Canara Bank Call Centers :24*7 through Call Canara
3. ODR (Online Dispute Resolution) portal through our website where customers can lodge their disputes or complaints on online transactions.
4. Canara Internet Banking portal
5. Hard copy complaint at Branches / Regional Offices / Circles / Head Office
6. E-mail complaints can be sent to Branch/RO/CO/ Head Office
7. CPGRAMS (Centralised Public Grievance Redressal & Monitoring System) Portal of Ministry Of Personnel, Public Grievances & Pensions
8. INGRAM (Integrated Grievance Redressal Mechanism) portal of Ministry of Consumer Affairs
9. CMS (Complaints Management System) portal of RBI Banking Ombudsman

Customers are getting acknowledgement with a unique complaint registration number while lodging complaints through above referred online modes including Call Centres. For e-mail complaints received at Customer Service Vertical, HO, acknowledgment will be sent immediately, complaint registration number will be sent by SMS while registering the complaint in Complaints redressal package by the Bank.

Complaints will be attended by respective branch/RO/CO/Concerned Wing based on the nature of complaint raised by the complainant. In case Bank rejects or partially resolves the issue, views of Internal Ombudsman will be obtained before closure of the complaint. Resolution provided for the complaint will be updated in the package and customer will get an autogenerated SMS on closure of their complaint.

ग्राहक बैंक के शिकायत निवारण पोर्टल में दिए गए समाधान को देख सकते हैं और उसकी रेटिंग कर सकते हैं तथा वे समाधान के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। यदि ग्राहक प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वे बैंक द्वारा पुनर्विचार के लिए सीपीजीआरएस पोर्टल में उसी शिकायत को फिर से खोल सकते हैं।

Customers can view & rate the resolution provided in bank's complaint redressal portal and they can also provide their feedback about the resolution. In case the customer is not satisfied with the resolution provided, they can re-open the same complaint in CPGRS portal for reconsideration by the bank.

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

| | कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में |
|--|-----------------------------------|
| उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड | - |
| सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग | - |
| पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान | - |

2. Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/service that carry information about:

| | As a percentage to total turnover |
|---|-----------------------------------|
| Environmental and social parameters relevant to the product | - |
| Safe and responsible usage | - |
| Recycling and/or safe disposal | - |

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

| | वित्त वर्ष 2023-24 (वर्तमान वित्त वर्ष) | | टिप्पणियां | वित्त वर्ष 2022-23 (पिछला वित्त वर्ष) | | टिप्पणियां |
|---|--|------------------------------|------------|--|------------------------------|--|
| | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | | वर्ष के दौरान प्राप्त | वर्ष के अंत में लंबित समाधान | |
| डेटा प्राइवैसी | | | | | | |
| विज्ञापन | | | | | | |
| साइबर सुरक्षा (डिजिटल शिकायतें) | | | | | | |
| आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी | 524588 | 2343 | | 714022 | 3024 | कुल शिकायतों में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या शामिल है |
| प्रतिबंधक व्यापार आचरण | | - | - | - | - | - |
| अनुचित व्यापार आचरण | - | - | - | - | - | - |
| अन्य: क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (सीआईसी) से संबंधित शिकायतें | 4324 | 2736 | - | - | - | - |

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

| | FY 2023-24 (Current Financial Year) | | Remarks | FY 2022-23 (Previous Financial Year) | | Remarks |
|--|--|-----------------------------------|---------|---|-----------------------------------|---|
| | Received during the year | Pending resolution at end of year | | Received during the year | Pending resolution at end of year | |
| Data privacy | | | | | | |
| Advertising | | | | | | |
| Cyber-security (Digital Complaints) | | | | | | |
| Delivery of essential services | 524588 | 2343 | | 714022 | 3024 | Total number of complaints includes the number of complaints received during the FY 2022-23 |
| Restrictive Trade Practices | - | - | - | - | - | - |
| Unfair Trade Practices | - | - | - | - | - | - |
| Other: Credit Information Companies (CIC) related complaints | 4324 | 2736 | - | - | - | - |

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

| | संख्या | पुनर्स्मरण के कारण |
|----------------------|--------|--------------------|
| स्वैच्छिक पुनर्स्मरण | | लागू नहीं |
| जबरन पुनर्स्मरण | | |

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

| | Number | Reasons for Recall |
|-------------------|--------|--------------------|
| Voluntary Recalls | | Not Applicable |
| Forced Recalls | | |

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

बैंक ने एक व्यापक साइबर सुरक्षा उपाय स्थापित किया है जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। बैंक साइबर सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है और धोखाधड़ी का पता लगाने और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए एक मजबूत आईटी बुनियादी ढांचा बनाया है। मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय अपने ग्राहक लेनदेन को अंत तक सुरक्षित रखते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की गोपनीयता को गंभीरता से लेता है और इसकी एक अच्छी तरह से परिभाषित गोपनीयता नीति है जिसे इसकी कॉर्पोरेट वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है।

<https://www.canarabank.com/pages/Privacy-and-Cookies-Policy>

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / जुर्माना

आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, बैंक ने 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी एक समर्पित ग्राहक सेवा वर्टिकल की स्थापना की। इस रणनीतिक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई। बार-बार आने वाली शिकायतों के मामलों में, बैंक अंतर्निहित मुद्दों की पहचान करने के लिए मूल कारण विश्लेषण करता है, आवश्यक उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों के साथ सहयोग करता है। ग्राहक सेवा वर्टिकल उच्च-गुणवत्ता वाली सेवा डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शिकायत समाधान प्रक्रियाओं की परिश्रमपूर्वक निगरानी करता है। ये सक्रिय उपाय ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को अनुकूलित करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क. डेटा उल्लंघन की घटनाओं की संख्या: 0
ख. ग्राहक के व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत: -
ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो, तो: -

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

The Bank has established a comprehensive Cyber Security measure that has been duly approved by the Board. The Bank places cybersecurity as its top priority and has created a robust IT infrastructure to detect frauds and respond immediately. Strong Cyber Security measures guard its customer transactions end-to-end. The Bank takes its customers' privacy seriously and has a well-defined privacy policy that is prominently displayed on its corporate website.

<https://www.canarabank.com/pages/Privacy-and-Cookies-Policy>

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty / action taken by regulatory authorities on safety of products / services.

To address concerns regarding the delivery of essential services, the bank instituted a dedicated Customer Service Vertical, effective from April 1st, 2023. This strategic implementation resulted in a significant reduction in complaints compared to the previous fiscal year. In cases of recurring complaints, the bank conducts Root Cause Analysis to identify underlying issues, collaborating with relevant departments to implement necessary remedial measures. The Customer Service Vertical diligently monitors complaint resolution processes to ensure high-quality service delivery. These proactive measures underscore the bank's commitment to enhancing customer satisfaction and optimizing the provision of essential services.

7. Provide the following information relating to data breaches:

- a. Number of instances of data breaches: 0
b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers: -
c. Impact, if any, of the data breaches: -

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)

बैंक द्वारा दिए जाने वाले सभी ऋण उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर पाई जा सकती है। बैंक अपने ऋणों और जमाओं के बारे में विवरण साझा करने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करता है। ग्राहक इन सेवाओं के बारे में सीधे शाखाओं या प्रशासनिक कार्यालयों में भी पूछताछ कर सकते हैं। शाखाओं में पैम्फलेट और ब्रोशर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। अपनी ग्रीन बैंकिंग पहल के हिस्से के रूप में, बैंक ने कागज़ रहित बैंकिंग, शाखाओं में ई-लाउंज और कर्मचारियों और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए ई-गवर्नेंस के लिए हार्ड-टेक केंडी शाखाएँ शुरू की हैं। उचित विकास और व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने एक ईट-और-मोर्टार मॉडल और एक व्यवसाय संवाददाता मॉडल अपनाया है, जहाँ एजेंट ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं में सहायता करते हैं। बैंक के हाइब्रिड कियोस्क मॉडल में एजेंट प्रतिदिन चार घंटे गाँवों में वरिष्ठ नागरिकों को घर-घर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं। बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए "एपीआई बैंकिंग" शुरू की है, जो निर्बाध डेटा एक्सचेंज के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) तकनीक का लाभ उठाती है। इस सेवा का उद्देश्य सुरक्षित रूप से डिजिटल बैंकिंग प्रदान करना है।

www.canarabank.com - "जमा" के अंतर्गत सभी बचत, चालू और मीयादी जमा उत्पादों को देखा जा सकता है।

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम

बैंक ग्राहकों और समुदायों को वित्त के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य उनके ज्ञान को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य मौजूदा और संभावित ग्राहकों दोनों को सूचित करना है ताकि वे समझदारी से वित्तीय विकल्प चुन सकें और अपने डेटा की सुरक्षा कर सकें। बैंक ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए वित्तीय साक्षरता को आवश्यक मानता है। बैंक ने बैंक के वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफएलसी) के मामलों का प्रबंधन करने के लिए 'केनरा फाइनेंशियल एडवाइजरी ट्रस्ट' का गठन किया। ये एफएलसी पूरे देश में जिला और ब्लॉक स्तर पर स्थित हैं और परामर्शदाता के रूप में सेवारत सेवानिवृत्त बैंकरों द्वारा चलाए जाते हैं। 2023 में, हमारे एफएलसी ने 22,095 शिविर आयोजित किए और लगभग 1.758 मिलियन व्यक्तियों को वित्तीय शिक्षा प्रदान की। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास ग्राहकों को उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और जिम्मेदारी से संभालने के लिए उठाए गए कदमों के

Leadership Indicators

1. Channels / platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if available).

Information about all the loan products and services offered by the Bank can be found on the company's website. The Bank also uses various social media and digital platforms to share details about its loans and deposits. Customers can also inquire about these services directly at branches or administrative offices. Pamphlets and brochures in branches provide additional information. As part of its Green Banking initiatives, the Bank has introduced high-tech CANDI branches for paperless banking, e-lounges in branches, and e-governance for staff and administrative areas. To ensure fair growth and wider accessibility, the Bank has adopted a brick-and-mortar model and a business correspondent model, where agents assist customers with banking services. The Bank's hybrid kiosk model involves agents providing doorstep banking services to senior citizens in villages for four hours each day. The Bank has introduced "API Banking" for corporate clients, leveraging Application Programming Interface (API) technology for seamless data exchange. This service aims to provide digital banking securely.

www.canarabank.com - under "Deposits" all the Savings, Current and Term deposit products can be navigated.

2. Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/or services.

The Bank conducts programs to educate customers and communities about finances, aiming to increase their knowledge. The objective is to inform both current and potential customers so they can make wise financial choices and safeguard their data. The Bank considers financial literacy essential for customers to use banking services effectively. The Bank formed the 'Canara Financial Advisory Trust' to manage the affairs of the Financial Literacy Centres (FLCs) of the Bank. These FLCs are located at district and block levels across the nation and are run by retired bankers serving as counselors. In 2023, our FLCs organized 22,095 camps and provided financial education to approximately 1.758 million individuals. Additionally, the Bank has a Privacy Policy to inform customers about steps taken to

बारे में सूचित करने के लिए एक गोपनीयता नीति है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।

ग्राहकों को निर्धारित रखरखाव गतिविधियों के लिए अग्रिम एसएमएस सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अप्रत्याशित व्यवधानों के मामले में, ग्राहकों को एसएमएस के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शाखाओं में आने वाले ग्राहकों की सहायता के लिए बैंक की शाखाओं को आंतरिक चैनलों के माध्यम से व्यवधानों की सूचना दी जाती है।

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)

क) लागू नहीं

ख) बैंक अपने प्रमुख उत्पादों/सेवाओं से संबंधित ग्राहक संतुष्टि के बारे में ग्राहकों से फीडबैक एकत्र करता है। बैंक द्वारा एक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए वेबसाइट के होम पेज पर एक लिंक उपलब्ध है, जहाँ ग्राहक 24X7 उत्पादों और सेवाओं के बारे में फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। ग्राहक उत्पादों या सेवाओं पर फीडबैक देने के लिए 24X7 उपलब्ध कॉल सेंटर सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। बैंक एसएमएस, मेल, गूगल फॉर्म आदि भेजकर भी उनकी प्रतिक्रिया एकत्र कर रहा है। ग्राहक मोबाइल बैंकिंग ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम आदि जैसे ऑनलाइन चैनलों का भी उपयोग फीडबैक देने के लिए करते हैं।

protect and handle their personal data responsibly.

3. Mechanisms in place to inform consumers of any risk of disruption/discontinuation of essential services.

Customers receive advance SMS notifications for scheduled maintenance activities. In case of unexpected disruptions, customers are promptly informed via SMS. Additionally, the Bank's branches are notified of disruptions through internal channels to assist customers who visit the branches.

4. Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per local laws? (Yes/No/Not Applicable) If yes, provide details in brief. Did your entity carry out any survey with regard to consumer satisfaction relating to the major products / services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/No)

a) Not Applicable

b) The Bank collects feedback from customers regarding customer satisfaction related to the major products/services of the Bank. There is an ongoing survey conducted by the Bank, for which a link is available in the home page of the Website where customers can register the feedback about the products and services 24X7. Customers can use the call center services available 24X7 for providing feedback on the products or services. The Bank is also collecting their feedback by sending SMS, e-mails, Google Forms etc. Customers also use online channels to provide the feedback like the Mobile Banking App, Internet Banking, ATMs etc.

निष्पक्ष आश्वासन अभिव्यक्ति

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केनरा बैंक की बीआरएसआर (कोर संकेतक) पर निष्पक्ष आश्वासन अभिव्यक्ति

निदेशक मंडल और प्रबंधन
केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय,
112 जे सी रोड, बेंगलूरु - 560002.

आश्वासन का स्वरूप

एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसजीएस इंडिया के रूप में संदर्भित) को केनरा बैंक (उक्त बैंक) द्वारा 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित बैंक की कारोबार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) (रिपोर्ट) में प्रकट अपने बीआरएसआर (कोर संकेतक) का एक निष्पक्ष आश्वासन देने के लिए नियुक्त किया गया था। यह रिपोर्ट बीआरएसआर फ्रेमवर्क के जिम्मेदार व्यवसाय संचालन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए तैयार की गई है, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) संकेतकों में बैंक के प्रदर्शन को शामिल किया गया है।

उत्तरदायित्व

बीआरएसआर में जानकारी और इसकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी बैंक के निदेशकों या शासी निकाय और प्रबंधन की है। एसजीएस इंडिया रिपोर्ट में शामिल किसी भी सामग्री की तैयारी में शामिल नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बैंक के प्रबंधन को सूचित करने के उद्देश्य से, और संदर्भ की सहमत शर्तों के अनुरूप, आश्वासन के परिभाषित दायरे के भीतर पाठ, डेटा, ग्राफ़ और बयानों पर एक राय व्यक्त करना है। हम इस विशिष्ट उद्देश्य से परे किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं, और इसका उद्देश्य दायरे में स्पष्ट रूप से उल्लिखित पहलुओं को छोड़कर, बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की व्याख्या करने में उपयोग करना नहीं है। बैंक आश्वासन दायरे का उचित प्रतिनिधित्व तैयार करने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रखता है।

आश्वासन मानक

यह जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय मानक एश्योरेंस ईंगेजमेंट (आईएसएई) 3000 (ऑडिट या ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की समीक्षा के अलावा अन्य आश्वासन एंगेजमेंट) के अनुसार किया गया था। हमारी साक्ष्य-संकलन प्रक्रियाओं को 'उचित' स्तर का आश्वासन प्राप्त करने के

INDEPENDENT ASSURANCE STATEMENT

Independent Assurance Statement to Canara Bank on its BRSR (Core Indicators) for the FY 2023-24

The Board of Directors and Management
Canara Bank, Head Office,
112 JC Road, Bangaluru - 560002.

Nature of the Assurance

SGS India Private Limited (hereinafter referred to as SGS India) was commissioned by Canara Bank (the 'Bank') to conduct an independent assurance of its BRSR (Core Indicators) disclosed in the Bank's Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) (the 'Report') pertaining to the reporting period of April 1, 2023, to March 31, 2024. The Report has been prepared following the National Guidelines for Responsible Business Conduct of the BRSR Framework, covering the performance of the Bank across environmental, social and governance (ESG) indicators.

Responsibilities

The information in the BRSR and its presentation is the responsibility of the directors or governing body and the Management of the Bank. SGS India has not been involved in the preparation of any of the material included in the report.

Our responsibility is to express an opinion on the text, data, graphs, and statements within the defined scope of assurance, aiming to inform the Management of the Bank, and in alignment with the agreed terms of reference. We do not accept or assume any responsibility beyond this specific purpose, and it is not intended for use in interpreting the overall performance of the Bank, except for the aspects explicitly mentioned within the scope. The Bank holds the responsibility for preparing and ensuring the fair representation of the assurance scope.

Assurance Standard

This engagement was performed in accordance with the International Standard on Assurance Engagement

लिए डिज़ाइन किया गया था, जो आश्वासन का एक उच्च स्तर है लेकिन पूर्ण निश्चितता नहीं है। इसमें इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उचित साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है कि बीआरएसआर रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारी निष्पक्ष रूप से बताई गई है और भौतिक गलतबयानी से मुक्त है।

आश्वासन का दायरा

आश्वासन प्रक्रिया में 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए बीआरएसआर के भीतर बीआरएसआर कोर संकेतकों की गुणवत्ता, सटीकता और विश्वसनीयता का आकलन करना शामिल है। रिपोर्टिंग दायरे और सीमाओं में पूरे भारत में बैंक के कार्यालय शामिल हैं। आश्वासन ने प्रधान कार्यालय स्तर पर समेकित डेटा और नियंत्रण प्रणालियों का सत्यापन किया।

आश्वासन पद्धति

आश्वासन प्रक्रिया में डेस्क अनुसंधान, बीआरएसआर विकसित करने में शामिल प्रमुख कर्मियों के साथ बातचीत और दूरस्थ डेटा सत्यापन का संयोजन शामिल था। विशेष रूप से, एसजीएस इंडिया ने निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित कीं:

- बीआरएसआर मुख्य संकेतकों को एकत्रित करने, समेकित करने और गणना करने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कर्मियों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं। साथ ही, डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद आंतरिक नियंत्रण तंत्र का भी आकलन किया गया है।
- प्रधान कार्यालय स्तर पर ऊर्जा खपत और जीएचजी उत्सर्जन पर सत्यापित समेकित डेटा। इसके अतिरिक्त, चयनित कार्यालयों के नमूना बिजली बिलों और ईंधन खरीद के घोषणा पत्रों की भी समीक्षा की।
- जल खपत और डिस्चार्ज डेटा का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति (एनबीसी, 2016 और नीति आयोग, 2016) का आकलन किया गया। यह नोट किया गया कि बैंक ने रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक जल खपत और डिस्चार्ज डेटा एकत्र नहीं किया।
- समेकित अपशिष्ट उत्पादन और निपटान डेटा की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों में निपटाए गए अपशिष्ट की मात्रा के संबंध में अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से सत्यापित घोषणा पत्र।

(ISAE) 3000 (Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information). Our evidence - gathering procedures were designed to obtain a 'Reasonable' level of assurance, which is a high level of assurance but is not absolute certainty. It involves obtaining sufficient appropriate evidence to support the conclusion that the information presented in the BRSR Report is fairly stated and is free from material misstatements.

Scope of Assurance

The assurance process involved assessing the quality, accuracy, and reliability of BRSR Core Indicators within the BRSR for the period spanning April 1, 2023, to March 31, 2024. The reporting scope and boundaries include the Bank's offices across India. The assurance verified consolidated data and control systems at the Head Office level.

Assurance Methodology

The assurance process involved a combination of desk research, interactions with key personnel involved in developing the BRSR and remote data verification. Specifically, SGS India conducted the following activities:

- Conducted interviews with key personnel responsible for collecting, consolidating, and calculating the BRSR core indicators. Also, assessed the internal control mechanisms in place to ensure data quality.
- Verified consolidated data on energy consumption and GHG emissions at the head office level. Additionally, reviewed sample electricity bills for the selected offices and declaration letters for fuel purchases.
- Assessed the methodology (NBC, 2016 and NITI Aayog, 2016) used for estimating water consumption and discharge data. It was noted that the Bank did not collect actual water consumption and discharge data for the reported financial year.
- Reviewed consolidated waste generation and disposal data. Additionally, verified declaration letters from authorized recyclers regarding the volume of waste disposed of across various categories.

- बीआरएसआर कोर संकेतकों से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी की संभाव्यता और स्थिरता का आकलन करने के लिए रिपोर्ट की आलोचनात्मक समीक्षा की गई।

सीमाएँ

आश्वासन का दायरा इसमें शामिल नहीं है:

- आश्वासन के दायरे में उल्लिखित के अलावा अन्य प्रकटन
- “निष्कर्ष और परिणाम “ में प्रस्तुत डेटा के अलावा किसी भी डेटा और जानकारी का सत्यापन
- परिभाषित रिपोर्टिंग अवधि (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) के बाहर डेटा और जानकारी का सत्यापन

निष्कर्ष और परिणाम

अपनाई गई आश्वासन पद्धति और हमारे द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, हमारा मानना है कि निर्दिष्ट केपीआई (नीचे उल्लिखित) पर बैंक द्वारा अपने बीआरएसआर में प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक, विश्वसनीय है, सभी भौतिक मामलों में निष्पक्ष रूप से सूचित की गई है, और बीआरएसआर आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है।

- Critically reviewed the report to assess the plausibility and consistency of qualitative and quantitative information related to the BRSR core indicators.

Limitations

The assurance scope excludes:

- Disclosures other than those mentioned in the assurance scope
- Validation of any data and information other than those presented in “Findings and Conclusion”
- Verification of data and information outside the defined reporting period (April 1, 2023, to March 31, 2024)

Findings and Conclusions

Based on the assurance methodology adopted and the data that we have obtained, we believe that the information presented by the Bank in its BRSR, on the specified KPIs (listed below) is accurate, reliable, has been fairly stated in all material respects, and is prepared in line with the BRSR requirements.

| क्र सं | बीआरएसआर कोर विशेषता | बीआरएसआर कोर संकेतक |
|--------|---|--|
| 1 | ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट | कुल दायरा 1 उत्सर्जन कुल दायरा 2 उत्सर्जन जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (स्कोप 1 +2) |
| 2 | जल फुटप्रिंट | कुल पानी की खपत गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन पानी की खपत की तीव्रता |
| 3 | ऊर्जा फुटप्रिंट | कुल ऊर्जा खपत नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई ऊर्जा का % ऊर्जा तीव्रता |
| 4 | वृत्ताकारता को अपनाना | प्लास्टिक अपशिष्ट ई-अपशिष्ट बैटरी अपशिष्ट अन्य खतरनाक अपशिष्ट अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट कुल उत्पन्न अपशिष्ट पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया गया कुल अपशिष्ट निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट |
| 5 | कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा | कर्मचारियों की भलाई के उपायों पर खर्च करना कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण |
| 6 | व्यवसाय में लिंग विविधता को सक्षम बनाना | भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को सकल वेतन का भुगतान किया गया पीओएसएच पर शिकायतें |
| 7 | समावेशी विकास को सक्षम करना | इनपुट सामग्री का % सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त होता है छोटे शहरों में रोजगार सृजन |
| 8 | ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ने में निष्पक्षता | कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा के नुकसान/उल्लंघन से जुड़े मामले देय खातों के दिनों की संख्या |
| 9 | कारोबार का स्पष्टता | व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेंद्रण संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश |

| Sl. No. | BRSR Core Attribute | BRSR Core Indicator |
|---------|---|---|
| 1 | Greenhouse Gas (GHG) footprint | Total Scope 1 emissions Total Scope 2 emissions GHG Emission Intensity (Scope 1 +2) |
| 2 | Water footprint | Total water consumption Water Discharge by destination and levels of Treatment Water consumption intensity |
| 3 | Energy footprint | Total energy consumed % of the energy consumed from renewable sources Energy Intensity |
| 4 | Embracing circularity | Plastic waste E-waste Battery waste Other hazardous waste Other non-hazardous waste Total waste generated Total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations Total waste disposed by nature of disposal method |
| 5 | Employee well-being and safety | Spending on measures toward the well-being of employees Details of safety-related incidents for employees and workers |
| 6 | Enabling gender diversity in business | Gross wages paid to females as % of wages paid Complaints on POSH |
| 7 | Enabling Inclusive Development | % of input material directly sourced from MSMEs/ small producers Job creation in smaller towns |
| 8 | Fairness in engaging with customers and suppliers | Instances involving loss/breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events Number of days of accounts payable |
| 9 | Open-ness of business | Concentration of purchases & sales done with trading houses, dealers, and related parties Loans and advances & investments with related parties |

सिफारिश

आश्वासन प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर, केनरा बैंक को अपनी रिपोर्टिंग प्रक्रिया और परिणाम को और बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:

- एक मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू करें और सभी कार्यालयों और शाखाओं में ईएसजी से संबंधित डेटा के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण और समेकन के लिए एक नियंत्रण तंत्र स्थापित करें। यह प्रणाली न केवल रिपोर्टिंग दक्षता को बढ़ाएगी बल्कि गलत रिपोर्टिंग के जोखिम को भी कम करेगी।
- आसान पहुंच और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए बिजली और ईंधन खपत डेटा के साथ-साथ कार्यालयों और शाखाओं में अपशिष्ट उत्पादन और निपटान डेटा सहित पर्यावरणीय केपीआई का मासिक विवरण बनाए रखें।
- द्वितीयक स्रोतों पर आधारित अनुमानित अनुमानों पर भरोसा करने के बजाय कार्यालयों और शाखाओं में मासिक आधार पर वास्तविक जल खपत डेटा रिकॉर्ड करना शुरू करें।
- ईएसजी से संबंधित सभी डेटा को एकत्र करने और समेकित करने और गुणवत्ता जांच करने के लिए जिम्मेदार एक समर्पित पेशेवर की नियुक्ति करें।

निष्पक्षता और क्षमता का विवरण

एसजीएस समूह की कंपनियां निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन में विश्व में अग्रणी हैं, 140 से अधिक देशों में काम कर रही हैं और प्रबंधन प्रणाली और सेवा प्रमाणन; गुणवत्ता, पर्यावरण, सामाजिक और नैतिक लेखापरीक्षा, और प्रशिक्षण; पर्यावरण, सामाजिक और स्थिरता रिपोर्ट आश्वासन सहित सेवाएं प्रदान करती हैं। एसजीएस केनरा बैंक से हमारी निष्पक्षता की पुष्टि करता है, हम संगठन, इसकी सहायक कंपनियों और हितधारकों के साथ पूर्वाग्रह और हितों के टकराव से मुक्त हैं। हमारा काम पेशेवर लेखाकारों के लिए आईएफएसी आचार संहिता की आवश्यकताओं के अनुपालन में किया गया था, जो एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है जो पेशेवर अखंडता, निष्पक्षता और नैतिक आचरण को बनाए रखने में आश्वासन अभ्यासकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है। आश्वासन टीम के पास इस कार्य को संचालित करने के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव हैं।

कृते एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

अश्विनी के. मार्विकुर्वे,

प्रमुख – ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज, पुणे, भारत

21 मई 2024

Recommendations

Based on the findings of the assurance process, Canara Bank should undertake the following actions to further improve its reporting process and outcome:

- Implement a robust data management system and establish a control mechanism for the systematic collection, analysis, and consolidation of ESG-related data across all offices and branches. This system will not only enhance reporting efficiency but also mitigate the risk of misreporting.
- Maintain a month-to-month breakdown of environmental KPIs, including electricity and fuel consumption data, as well as waste generation and disposal data across offices and branches, to ensure easy access and verification.
- Begin recording actual water consumption data on a monthly basis across offices and branches instead of relying on approximate estimations based on secondary sources.
- Appoint a dedicated professional responsible for collecting and consolidating all ESG-related data and conducting quality checks.

Statement of Independence and Competence

The SGS Group of companies is the world leader in inspection, testing and verification, operating in more than 140 countries and providing services including management systems and service certification; quality, environmental, social, and ethical auditing, and training; environmental, social and sustainability report assurance. SGS affirm our independence from Canara Bank, being free from bias and conflicts of interest with the organization, its subsidiaries, and stakeholders. Our work was performed in compliance with the requirements of the IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, which provides a comprehensive framework that guide assurance practitioners in maintaining professional integrity, objectivity, and ethical conduct. The assurance team have the required competencies and experience to conduct this engagement.

For and on behalf of SGS India Private Limited

Ashwini K. Mavinkurve,

Head – ESG & Sustainability Services, Pune, India

21st May 2024



कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

2023-2024

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1) कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का सिद्धांत

“कॉर्पोरेट अभिशासन सारे शेयरधारकों के सुस्थिर विकास हेतु संपदा के प्रभावी प्रबंधन और वितरण तथा सामाजिक दायित्व निभाने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन आचरणों का अनुप्रयोग, सही मायने में कानून का अनुपालन एवं नैतिक मानकों का अनुसरण होता है।”

केनरा बैंक की संकल्पना आस्ति संविभाग, ग्राहकोन्मुखता, उत्पाद नवोन्मेषण, लाभप्रदता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम आचरण तथा शेयरधारकों को संवर्धित मूल्य प्रदान करने के साथ-साथ विश्व स्तरीय बैंक के रूप में उभरना है। इस संकल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों में बैंक, कॉर्पोरेट अभिशासन की प्रभावी प्रणाली पर सब से ज्यादा जोर दे रहा है। निदेशक मंडल, वरिष्ठ प्रबंधन तंत्र और कार्यपालकों के बीच में अंतर्वातालाप ऐसा होता है कि उसकी एक बेहतरीन और अलग भूमिका हो ताकि खास तौर पर अपने शेयरधारकों को और आमतौर पर जनता को संवर्धित मूल्य प्राप्त हो सके।

समग्र उद्देश्य कंपनी मूल्यों, आचार संहिताओं तथा समुचित व्यवहार के अन्य मानकों के पालन के जरिए समस्त हितधारक-जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, ग्राहकों, उधारकर्ताओं, कर्मचारियों और समाज को इष्टतम सुस्थिर मूल्य उपलब्ध कराना है।

2) निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970(यथा संशोधित) की धारा 9(3) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) के अनुसार किया गया है।

बैंक के बोर्ड में गणमान्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने बैंकिंग और तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में अपने बहुविध एवं दीर्घकालिक अनुभवों से बैंक की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया है।

ए) निदेशकों की संरचना और श्रेणी, अन्य निदेशक मंडल या समितियों की संख्या जिसमें एक निदेशक सदस्य या अध्यक्ष है, यहां दिए गए हैं:

Report on Corporate Governance

1) Bank's philosophy on Corporate Governance

“Corporate Governance is the application of best management practices, compliance of law in true letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders.”

The vision of Canara Bank is to emerge as the “Best Bank to Bank With,” by pursuing industry benchmarks in profitability, operational efficiency, asset quality, risk management and digital innovation with a mission to provide state-of-the-art Banking solutions, leveraging technology, aiding Ease of Doing business and enhancing value for all stakeholders through inclusive growth. In its endeavour to attain the goal visualized, the bank is laying maximum emphasis on the effective system of Corporate Governance. The interaction between the Board, Senior Management and the Executives is so configured as to have a distinctly demarcated role, so as to derive enhanced value to its stakeholders in particular and society in general.

The overall objective is to optimize sustainable value to all stakeholders - depositors, shareholders, customers, borrowers, employees and society through adherence to Corporate Values, Codes of Conduct and other standards of appropriate behaviour.

2) Board of Directors

The Board of the Bank has been constituted under Section 9(3) of the Banking Companies {Acquisition & Transfer of undertaking} Act 1970 (as amended) and Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970 (as amended).

The Board of the Bank consists of eminent personalities, who through their rich and varied experiences in Banking and other related fields have made significant contribution towards the progress of the bank.

a) composition and category of directors, number of other board of directors or committees in which a director is a member or chairperson are here under:

| क्र सं | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी | कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यालय समाप्ति की तिथि तक) | शैक्षणिक योग्यता | सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित) | उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी |
|--------|--|---|--|---|---|
| 1. | श्री विजय श्रीरंगन बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष | दिनांक 07.11.2022 से 06.11.2025 | बी.टेक, पीजीडीबीएम | 0 | 1. इंडियन फेडरेशन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर थ्रेफ्ट - निदेशक |
| 2. | श्री के सत्यनारायण राजु एमडी व सीईओ | दिनांक 07.02.2023 to 31.12.2025 | एमबीए, सीएआईआईबी | 0 | 1. केनबैंक एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस - कंपनी लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक 2. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक 3. केनफिन होम्स लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक (सूचीबद्ध) 4. भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान - निदेशक |
| 3. | श्री देबाशीष मुखर्जी कार्यपालक निदेशक | दिनांक 19.02.2018 से 31.05.2025 | बीएससी (ऑनर्स), बीए (एसपीएल), एमबीए (फाइनेंस), सीएआईआईबी | 2 | 1. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - निदेशक 2. केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - निदेशक 3. केनफिन होम्स लिमिटेड - निदेशक (सूचीबद्ध) 4. केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक |
| 4. | श्री अशोक चंद्र कार्यपालक निदेशक | दिनांक 21.11.2022 से 20.11.2025 | एमए, सीएआईआईबी | 1 | 1. केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी - निदेशक 2. उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी - उपाध्यक्ष एवं नामित निदेशक 3. केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड- अध्यक्ष एवं अपर निदेशक 4. पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड - अपर निदेशक |
| 5. | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया कार्यपालक निदेशक | दिनांक 07.02.2023 से 06.02.2026 | बी.एससी, सीएआईआईबी | 1 | 1. केनबैंक कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड- अध्यक्ष एवं निदेशक 2. केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड - अध्यक्ष एवं निदेशक |
| 6. | श्री भवेंद्र कुमार कार्यपालक निदेशक | दिनांक 09.10.2023 से 08.10.2026 | बीए ऑनर्स, सीएआईआईबी | 1 | शून्य |

| Sl. No. | Name & Category of Directors | Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office) | Educational Qualification | No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Bank) | Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship |
|---------|--|---|--|---|--|
| 1. | Shri. Vijay Srirangan Part-time Non-Official Director, as well as Non-Executive Chairman of the Bank | 07.11.2022 to 06.11.2025 | B.Tech, PGDBM | 0 | 1. Indian Federation against Software Theft |
| 2. | Shri. K Satyanarayana Raju MD&CEO | 07.02.2023 to 31.12.2025 | MBA, CAIIB | 0 | 1. Canbank HSBC Life Insurance - Company Limited - Chairman & Director 2. Canara Robeco Asset Management Company - Chairman & Director 3. CanFin Homes Ltd. - Chairman & Director (Listed) 4. Indian Institute of Banking and Finance - Director |
| 3. | Shri. Debashish Mukherjee Executive Director | 19.02.2018 to 31.05.2025 | B.Sc. (Hons), B.A. (Spl), MBA (Finance), CAIIB | 2 | 1. Canara HSBC Life Insurance Company - Director 2. Canara Robeco Asset Management Company - Director 3. CanFin Homes Ltd. - Director (Listed) 4. Canara Bank Securities Ltd. - Chairman & Additional Director |
| 4. | Shri. Ashok Chandra Executive Director | 21.11.2022 to 20.11.2025 | M.A., CAIIB | 1 | 1. Canara HSBC Life Insurance Company - Director 2. Higher Education Financing Agency - Vice Chairman & Director 3. Canbank Venture Capital Fund Ltd.- Chairman & Additional Director 4. PSB Alliance Private Limited - Additional Director |
| 5. | Shri. Hardeep Singh Ahluwalia Executive Director | 07.02.2023 to 06.02.2026 | B.Sc., CAIIB | 1 | 1. Canbank Computer Service Limited - Chairman & Director 2. Canbank Factors Ltd.- Chairman & Director |
| 6. | Shri. Bhavendra Kumar Executive Director | 09.10.2023 to 08.10.2026 | B.A. Hons, CAIIB | 1 | NIL |

| क्र सं | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी | कार्यालय की अवधि (कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्यालय समाप्ति की तिथि तक) | शैक्षणिक योग्यता | सूचीबद्ध संस्थाओं की एसीबी / एसआरसी में सदस्यता की संख्या (बैंक सहित) | उन संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी |
|--------|--|---|--|---|---|
| 7. | श्री प्रशांत कुमार गोयल भारत सरकार के नामित निदेशक | दिनांक 25.10.2023 से अगले आदेश तक | एमबीबीएस | 1 | 1. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसी) - नामित निदेशक 2. माइक्रो यूनित्स डेवलपमेंट एंड एजेंसी लिमिटेड - नामित निदेशक |
| 8. | श्री आर केशवन आरबीआई नामित निदेशक | दिनांक 26.04.2019 से अगले आदेश तक | एमए, एमसीजे, सीएआईआईबी | 1 | शून्य |
| 9. | सुश्री नलिनी पद्मनाभन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | दिनांक 21.12.2021 से 20.12.2024 | बी.कॉम., एफसीए, डीआईएसए, सीआईएसए | 2 | 1. आर के स्वामी लिमिटेड - निदेशक (सूचीबद्ध) 2. मैंगलोर सेज़ लिमिटेड - निदेशक 3. प्रेरणा एजुकेशनल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड - निदेशक 4. इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड - निदेशक 5. सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और समाधान प्राइवेट लिमिटेड - निदेशक |
| 10. | श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | दिनांक 21.03.2022 से 20.03.2025 | बी.कॉम., एफसीए, एलएलबी | 1 | शून्य |
| 11. | श्री बिमल प्रसाद शर्मा शेयरधारक निदेशक | दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 | बीएससी (ऑनर्स), एमए, एलएलबी | 2 | शून्य |
| 12. | श्री करुणकर शेट्टी शेयरधारक निदेशक | दिनांक 30.11.2021 से 29.11.2024 | बी.कॉम, एफसीए, डीआईएसए | 1 | शून्य |
| 13. | सुश्री आभा सिंह यदुवंशी शेयरधारक निदेशक | दिनांक 27.07.2022 से 26.07.2025 | बीए अर्थशास्त्र (ऑनर्स), पीजीडीबीए और एमए (अर्थशास्त्र)। | 2 | शून्य |

| Sl. No. | Name & Category of Directors | Term of Office (Date of Joining to Date of Cessation of Office) | Educational Qualification | No. of Memberships in ACB / SRC of Listed Entities (Including Bank) | Names of the Entities where the Person is a Director and the Category of Directorship |
|---------|---|---|---|---|---|
| 7. | Shri. Parshant Kumar Goyal GOI Nominee Director | 25.10.2023 to until further orders | MBBS | 1 | 1. United India Insurance Company Limited (UIIC)- Nominee Director 2. Micro Units Development and Agency Limited - Nominee Director |
| 8. | Shri. R Kesavan RBI Nominee Director | 26.04.2019 to until further orders | MA, MCJ, CAIIB | 1 | NIL |
| 9. | Ms. Nalini Padmanabhan Part-time, Non-Official Director | 21.12.2021 to 20.12.2024 | B. Com., FCA, DISA, CISA | 2 | 1. R K Swamy Limited - Director (Listed) 2. Mangalore SEZ Limited - Director 3. Prerana Educational Media Private Limited - Director 4. Indradhanush Gas Grid Limited- Director 5. Information Systems Audit and Solutions Private Limited - Director |
| 10. | Shri. Dibakar Prasad Harichandan Part-time, Non-Official Director | 21.03.2022 to 20.03.2025 | M.Com, FCA, LLB | 1 | NIL |
| 11. | Shri. Bimal Prasad Sharma Shareholder Director | 27.07.2022 to 26.07.2025 | B.Sc. (Hons), MA, LLB | 2 | NIL |
| 12. | Shri. Karunakara Shetty Shareholder Director | 30.11.2021 to 29.11.2024 | B.Com, FCA | 1 | NIL |
| 13. | Ms. Abha Singh Yaduvanshi Shareholder Director | 27.07.2022 to 26.07.2025 | BA Economics (Hons), PGDBA and MA (Economics) | 2 | NIL |

उन निदेशकों का विवरण जिनका कार्यकाल 2023-24 के दौरान समाप्त हो गया है

| क्र सं | निदेशकों का नाम एवं श्रेणी | शैक्षणिक योग्यता | कार्यालय की अवधि | कार्यालय समाप्ति की तिथि |
|--------|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| 1. | श्री बृज मोहन शर्मा कार्यपालक निदेशक | एम.कॉम, बी.कॉम स्वर्ण पदक विजेता, सीएआईआईबी | 19.05.2021-30.06.2023 | 30.06.2023 |
| 2. | श्री सुचिन्द्र मिश्रा भारत सरकार नामित निदेशक | बीएससी, पीजीडीएम | 14.06.2016 से अगले आदेश तक | 24.10.2023 |

PARTICULARS OF DIRECTORS WHOSE TERM HAS ENDED DURING 2023-24

| Sl. No. | Name & Category of Directors | Educational Qualification | Term of Office | DATE OF CESSATION OF OFFICE |
|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Shri. Brij Mohan Sharma Executive Director | M.Com, B.Com Gold Medalist, CAIIB | 19.05.2021-30.06.2023 | 30.06.2023 |
| 2. | Shri. Suchindra Misra Government of India Nominee Director | B.Sc., PGDM | 14.06.2016 Till further orders | 24.10.2023 |

b) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और तिथियां निम्नानुसार हैं:

बैठकों की संख्या: 14

बैठक की तिथि: 25.04.2023, 08.05.2023, 26.05.2023, 28.06.2023, 24.07.2023, 30.08.2023, 26.09.2023, 26.10.2023, 28.11.2023, 27.12.2023, 24.01.2024, 26.02.2024, 11.03.2024, 28.03.2024

b) Number of Meetings of the Board of Directors and dates are as under:

No. of Meetings: 14

Date of Meetings: 25.04.2023, 08.05.2023, 26.05.2023, 28.06.2023, 24.07.2023, 30.08.2023, 26.09.2023, 26.10.2023, 28.11.2023, 27.12.2023, 24.01.2024, 26.02.2024, 11.03.2024, 28.03.2024

सी) निदेशक मंडल की बैठक और अंतिम वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति:

| निदेशकों का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या | निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या | पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| श्री विजय श्रीरंगन | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री के सत्यनारायण राजु | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री देबाशीष मुखर्जी | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री अशोक चंद्र | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | 14 | 11 | - |
| श्री भवेंद्र कुमार # | 07 | 07 | लागू नहीं |
| श्री प्रशान्त कुमार गoyal # | 07 | 06 | लागू नहीं |
| श्री आर. केसवन | 14 | 13 | में भाग लिया |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री करुणाकर शेट्टी | 14 | 14 | में भाग लिया |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 14 | 14 | में भाग लिया |
| श्री सुचिन्द्र मिश्रा* | 07 | 03 | - |
| श्री बृज मोहन शर्मा* | 04 | 04 | लागू नहीं |

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

* वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया

c) Attendance of each Director at the meeting of the Board of Directors and the last Annual General Meeting:

| Name of Directors | No. of Meetings of Board of Directors held During their Tenure | No. of Meetings of Board of Directors Attended | Last Annual General Meeting Attended |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Shri. Vijay Srirangan | 14 | 14 | Attended |
| Shri. K Satyanarayana Raju | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Debashish Mukherjee | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Ashok Chandra | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Hardeep Singh Ahluwalia | 14 | 11 | - |
| Shri. Bhavendra Kumar# | 07 | 07 | Not Applicable |
| Shri. Parshant Kumar Goyal# | 07 | 06 | Not Applicable |
| Shri. R Kesavan | 14 | 13 | Attended |
| Ms. Nalini Padmanabhan | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Dibakar Prasad Harichandan | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Bimal Prasad Sharma | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Karunakara Shetty | 14 | 14 | Attended |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 14 | 14 | Attended |
| Shri. Suchindra Misra* | 07 | 03 | - |
| Shri Brij Mohan Sharma* | 04 | 04 | Not Applicable |

Joined as Member during the year

* Ceased as Member during the year

डी) दिनांक 31.03.2024 तक बैंक के किसी भी निदेशक का आपस में कोई संबंध नहीं है।

इ) 31.03.2024 तक गैर-कार्यकारी निदेशकों के पास बैंक के 1701 इक्विटी शेयर थे।

एफ) वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: <https://canarabank.com/pages/Familiarisation%20programmes>

जी) निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता/योग्यताएं:

बैंक के कारोबार के संदर्भ में अपेक्षित मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता / क्षमताओं की सूची निम्नलिखित हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास उक्त कौशल हैं:

- बैंक के कारोबार (विशेष रूप से ऋण और अग्रिम और जमा), नीतियों और संस्कृति (मिशन, दृष्टिकोण और मूल्यों सहित) बड़े जोखिम / खतरे और संभावित अवसरों और उद्योग, जिसमें बैंक संचालित होता है, के बारे में ज्ञान।
- व्यापार रणनीति, साख और जोखिम प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी / डिजिटलीकरण, पूंजी उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी क्रेडिट रेटिंग में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहल के लिए कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन करना।
- व्यावहारिक कौशल - बैंक के विकास में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने की विशेषताएं और दक्षताएं
- वित्तीय और प्रबंधन कौशल
- बैंकिंग के व्यवसाय के संबंध में तकनीकी / व्यावसायिक कौशल और विशेष ज्ञान

एच) बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

d) None of the Directors of the Bank have any relationships inter-se, as on 31.03.2024.

e) Non-Executive Directors held 1701 equity shares of the Bank as on 31.03.2024.

f) The details of familiarization programmes imparted to Directors during FY 2023-2024 is available on Bank's website at the following link: <https://canarabank.com/pages/Familiarisation%20programmes>.

g) Skills / Expertise / Competencies of the Board of Directors:

The following are the list of core skills / expertise/ competencies identified as required in the context of the Bank's business. The said skills are available with the Board Members:

- Knowledge on Bank's businesses (especially loans, advances and deposits), policies and culture (including the Mission, Vision and Values) major risks / threats and potential opportunities and knowledge of the industry in which the Bank operates.
- Business Strategy, Credit & Risk Management, Information Technology/ Digitization, Efficiency of Capital Use, Growth of Business, NPA Management, Financial Inclusion, Improvement in External Credit Rating, Initiative to Improve Asset Quality, to Conserve Capital and HR Initiatives for Skill Development and Talent Management.
- Behavioral skills - attributes and competencies to use their knowledge and skills to contribute effectively to the growth of the Bank
- Financial and Management skills
- Technical / Professional skills and specialized knowledge in relation to Banking business

h) In the opinion of the Board, independent directors fulfill the conditions specified in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations] and are independent of the management.

आय) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र देने की कोई घटना नहीं है।

बोर्ड / निदेशक मूल्यांकन:

कंपनी अधिनियम और सेबी लिस्टिंग नियमों के प्रावधानों के लिए अपेक्षित है कि बोर्ड, समितियों और निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाए। केनरा बैंक के निदेशक मंडल का संयोजन और शर्तें "बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970" अर्थात् इस अधिनियम के माध्यम से अभिशासित की जाती हैं, अर्थात् इस संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा अन्य श्रेयधारकों के बीच से चुने गए 3 निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशकों को अधिनियम की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किया जाता है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। तीन श्रेयधारक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) और गैर-आधिकारिक निदेशक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 (स्वतंत्र निदेशक) की धारा 9(3) के खंड (जी) और (एच) के तहत नामित आरबीआई / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं और ये प्रबंधन से भी स्वतंत्र हैं।

बोर्ड वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (मंत्रालय) के पत्र क्रमांक सं.12/1/2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 के अनुसार, मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स का उपयोग कर संवर्धित अभिगम और सेवा उत्कृष्टता (ईएएसई) के अनुरूप पीएसबी सुधार एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए भारांक के साथ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है। केपीआई सूचकांक व्यापक रूप से पूंजी के उपयोग की दक्षता, व्यवसाय की वृद्धि, एनपीए प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, बाहरी ऋण मानदंड में सुधार, संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार की पहल, कौशल विकास और प्रतिभा प्रबंधन के लिए पूंजी संरक्षण और मानव संसाधन पहलों को कवर करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कंपनी अभिशासन में सुधार के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबी) के अभिशासन में सुधार संबंधी अधिसूचना संख्या एफ.नं.6/20/2019-बीओ. दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार

i) There is no incidence of resignation of any independent Director during the financial year 2023-24 before the expiry of his / her tenure.

Board / Director Evaluation:

The provisions of the Companies Act and the SEBI Listing Regulations require that the performance evaluation of the Board, the committees and directors to be carried out on an annual basis. The Composition & terms of reference of Board of Directors of Canara Bank is governed by "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970", i.e., the Act, meaning thereby the provision of the Companies Act, 1956 / 2013 in this regard are Not Applicable.

All the Directors, except 3 directors elected amongst the Shareholders other than Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act, are appointed / Nominated by Government of India pursuant to the provisions under Section 9(3) of the Act. The Bank is regulated by Reserve Bank of India / GOI guidelines. The three Shareholder Directors (Independent Directors) & Non-Official Directors nominated under Clauses (g) and (h) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (Act) (Independent Directors), fulfill the necessary conditions as per the RBI / GOI guidelines and are also independent of the Management.

The Board evaluates the performance of whole-time directors using an evaluation matrix as per the Key Performance Indicators (KPIs) for the assessment of Quantitative & Qualitative parameters as advised by Department of Financial Services, Ministry of Finance, GOI ("Ministry") vide their letter No.F.No.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015 along with the weightage of marks for implementation of the PSB Reforms Agenda under Enhanced Access & Service excellence (EASE). The KPI indicators broadly cover Efficiency of Capital Use, Growth of Business, NPA Management, Financial Inclusion, Improvement in External Credit Rating, Initiative to Improve Asset Quality, to Conserve Capital and HR Initiatives for Skill Development and Talent Management.

Government of India with a view to improve corporate governance in PSBs notified PSB Governance Reforms vide notification F.No.6/20/2019-BO.I dated 30.08.2019.



ने गैर-सरकारी निदेशकों को, बैंकिंग कंपनी की धारा 9(3) के खंड (g) और (h) के तहत नामित गैर-सरकारी निदेशकों को (गैर-कार्यकारी उपक्रमों का अधिग्रहण और स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 (अधिनियम), के तहत नामित करने के साथ ही गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना के खंड 5(1), 1970 / 1980 के तहत नियुक्त करने के लिए निर्दिष्ट किया जो कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित "स्वतंत्र निदेशकों" के समान है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों को स्थापित किया है।

शेयरधारकों निदेशकों / स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जा रहा है।

बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है।

3) लेखा परीक्षा समिति:

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) का गठन, बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

एसीबी समिति बैंक के समग्र लेखापरीक्षा कार्य के पर्यवेक्षण के साथ-साथ निदेश भी प्रदान करती है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के मुख्य कार्य निम्नवत हैं:

| | |
|-----|---|
| ए. | बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना एवं सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना। |
| बी. | लेखांकन नीतियों और व्यवहारों पर विशेष बल देते हुए वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखांकन मानदंडों और कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रबंधन तंत्र के साथ वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, तथा |
| सी. | बाह्य एवं आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के पहले बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करना |
| डी. | बैंक की वित्त एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना। |

एसीबी लेखा परीक्षा समिति द्वारा दीर्घ प्रारूप लेखा परीक्षा विवरणी (एलएफएआर) में उठाये गये मामलों की स्थिति की समीक्षा करती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट में उठाए

The Government referred the Non-Official Directors nominated under Clauses (g) and (h) of Section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 (Act), including Non-Executive Chairman appointed under Clause 5(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980 to be similar in nature to "Independent Directors" defined under Companies Act and instituted the performance evaluation measures to improve the corporate governance in PSBs.

The evaluation of Shareholder Directors / Independent Directors is being done on annual basis.

Transparency and independence in functioning of the Board is ensured.

3) Audit Committee:

The Audit Committee of the Board (ACB) is constituted by the Bank as per guidelines of Reserve Bank of India, the Government of India and Securities and Exchange Board of India Regulations as amended from time to time.

ACB provides directions and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The major functions of the committee are as under:

| | |
|----|--|
| a. | To oversee the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information. |
| b. | To review with the management, the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance with accounting standards and other legal requirements, concerning financial statements and |
| c. | To review the adequacy, quality and effectiveness of external and internal audit, internal control system, interaction with external auditors before finalization of Annual accounts and reports. |
| d. | To review Bank's finance and risk management policies. |

ACB also reviews the position with regard to issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR), follow-up on the issues / concerns raised in the Inspection Report of RBI, and also makes a review of reports received from

गए मुद्दों /मामलों का अनुवर्तन एवं अनुपालन कक्ष, अंतर-शाखा लेखा समाधान अनुभाग (आईबीएआर) आदि से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/2010-11/269-डीबीएस.एआरएस.बीसीसंख्या: 4/08.91.20/ 2010-11, दिनांक 10.11.2010 द्वारा कैलेंडर आधारित समीक्षा के बारे में सूचित किया है जिसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को अमल करना है। इन मदों को आवधिक समीक्षा के लिए बैंक की कार्पोरेट अभिज्ञासन नीति में शामिल किया गया है और इन्हें विधिवत रूप से कैलेंडर आधारित समीक्षा के मुताबिक लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

बैठकों की संख्या: 13

बैठक की तिथि: 08.05.2023 12.05.2023 23.06.2023
10.07.2023 24.07.2023 30.08.2023 26.09.2023 26.10.2023
28.11.2023 20.01.2024 24.01.2024 23.02.2024 22.03.2024

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की संरचना:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|--|--|--------------------------|
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन, एसीबी के अध्यक्ष | 13 | 13 |
| श्री सुचिन्द्र मिश्रा (दिनांक 24.10.2023 तक) | 7 | 1 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल (दिनांक 25.10.2023 से) | 6 | 4 |
| श्री आर केसवन | 13 | 13 |
| श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन | 13 | 13 |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा | 13 | 13 |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 13 | 13 |

4) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण संदर्भ संख्या एफ.सं.16/19/2019-बीओ.दिनांक 30.08.2019 के आधार पर दिनांक 30.09.2019 को जारी किए गए निदेशक मंडल के आदेशों के अनुसार है।

Compliance Cell, Inter-Branch Account Reconciliation (IBAR) section, etc.

The Reserve Bank of India, vide their letter RBI/2010-11/269-DBS.ARS.BC.NO. 4/08.91.20/2010-11, dated 10.11.2010, conveyed the Calendar of Reviews to be followed by the Audit Committee of the Board. These items have been incorporated in the Corporate Governance Policy of the Bank for periodical review and are duly placed before the Audit Committee as per Calendar of Reviews.

The composition of members of Audit Committee and the details of attendance at the meetings are:

No. of Meetings: 13

Date of Meetings: 08.05.2023 12.05.2023 23.06.2023
10.07.2023 24.07.2023 30.08.2023 26.09.2023 26.10.2023
28.11.2023 20.01.2024 24.01.2024 23.02.2024 22.03.2024

Composition of Members of Audit Committee:

| Name of Director | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|---|--|--------------------------|
| Ms. Nalini Padmanabhan, Chairperson of ACB | 13 | 13 |
| Shri. Suchindra Misra (Till 24.10.2023) | 7 | 1 |
| Shri. Parshant Kumar Goyal (Since 25.10.2023) | 6 | 4 |
| Shri. R Kesavan | 13 | 13 |
| Shri. Dibakar Prasad Harichandan | 13 | 13 |
| Shri. Bimal Prasad Sharma | 13 | 13 |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 13 | 13 |

4) Nomination and Remuneration Committee:

In terms of orders of the Board of Directors on 30.09.2019 based on DFS, MoF, GoI communication Ref. No F.No.16/19/2019-BO.I dated 30.08.2019

समिति के प्रमुख कार्य

ए) नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर मौजूदा निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों की "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करें:

- शैक्षणिक योग्यता
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र
- ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी

(उपरोक्त सूची केवल उदाहरणस्वरूप है और यह संपूर्ण नहीं है)

बी) समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मानदंडों में से किसी का पालन न करने से मौजूदा निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा उत्पन्न होगी।

सी) इसके अलावा, किसी भी प्राधिकरण / नियामक एजेंसी से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त करने वाले या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण की दिवालिया या चूक करने वाले उम्मीदवार, बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुचित करार दिए जाएंगे।

डी) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्यों का गठन और बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठक की तिथियां: 27.11.2023

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|--------------------------------------|--|--------------------------|
| श्री दिवाकर प्रसाद हरिचंदन (अध्यक्ष) | 1 | 1 |
| श्री प्रशान्त कुमार गोयल# | 0 | 0 |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 1 | 1 |
| श्री करुणाकर शेटी* | 1 | 1 |

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

* वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया

Major Functions of the Committee:

a) Determine the "Fit and Proper" status of the existing elected directors / proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- Educational Qualification
- Experience and Field of Expertise
- Track Record and Integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive)

b) The committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director / proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank.

c) Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority / regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.

d) Performance Linked Incentives to Whole-time Directors of Public Sector Banks.

The composition of members of Nomination and Remuneration Committee and the details of attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 1

Dates of Meeting(s): 27.11.2023

| Name of the Director | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|--|--|--------------------------|
| Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Chairperson) | 1 | 1 |
| Shri. Parshant Kumar Goyal# | 0 | 0 |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 1 | 1 |
| Shri. Karunakara Shetty* | 1 | 1 |

Joined as Member during the year

* Ceased as Member during the year

गैर-सरकारी निदेशक के कार्यनिष्पादन का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित है:

व्यावसायिक एवं नैतिक आचरण का पालन किया गया:

| क्र. सं. | गुण |
|----------|--|
| 1 | कानूनों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना |
| 2 | बैंक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना |
| 3 | समुचित और भलीभाँति देखभाल, कौशल, परिश्रम और स्वतंत्र निर्णय का अभ्यास |
| 4 | प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का परिहार हितों का टकराव |
| 5 | स्वयं या रिश्तेदारों, साझेदारों या सहयोगियों को अनुचित लाभ या लाभ से बचना |
| 6 | वाणिज्यिक गोपनीयता और अप्रकाश्य बाजार-संवेदनशील जानकारी सहित सूचना की गोपनीयता बनाए रखना |

योगदान:

| क्र. सं. | गुण |
|----------|--|
| 1 | सभी बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने का प्रयास |
| 2 | जहां आवश्यक हो, उचित स्पष्टीकरण या सूचना का विस्तार करना |
| 3 | बैठकों और टिप्पणियों में बैंक और बाहरी वातावरण के बारे में अपेक्षित ज्ञान और जागरूकता के अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन |
| 4 | बैंक के मामलों में बेहतर निर्णय लेने और प्रबंधन के रचनात्मक विचारों, मार्गदर्शन और ज्ञान के संदर्भ में योगदान |
| 5 | बैंक द्वारा लिए जा रहे निर्णयों पर प्रतिक्रिया की समयबद्धता |

5) शेयरधारक संबंध समिति:

इस समिति द्वारा शेयरों का अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होना, घोषित लाभांश वारंट प्राप्त न होना आदि से संबंधित शिकायतों सहित बैंक के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के निवारण की निगरानी की जाती है।

शेयरधारक निदेशक सुश्री आभा सिंह यदुवंशी समिति की अध्यक्ष हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 6(1) के अनुसार, श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव दिनांक 31.03.2024 तक बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

Board's evaluation of performance of Non-Official Director is based on the following parameters:

Professional and Ethical Conduct observed:

| Sl. No. | Attribute |
|---------|---|
| 1 | Acting in accordance with provisions of laws, rules and regulations |
| 2 | Acting in the best interest of the Bank |
| 3 | Exercise of due and reasonable care, skill, diligence and independent judgement |
| 4 | Avoidance of direct or indirect conflicts of interest |
| 5 | Avoidance of undue gain or advantage either to self or relatives, partners or associates |
| 6 | Maintaining confidentiality of information, including commercial secrets and unpublished market - sensitive information |

Contributions:

| Sl. No. | Attribute |
|---------|--|
| 1 | Striving to attend all Board and committee meetings |
| 2 | Seeking appropriate clarification or amplification of information where necessary |
| 3 | Display of requisite knowledge and expected level of awareness of the Bank and external environment in meetings and comments |
| 4 | Contribution in terms of constructive ideas, guidance and knowledge of better decision making and management of Bank's affairs |
| 5 | Timeliness of feedback on decisions being taken by the Bank |

5) Stakeholders Relationship Committee:

The committee monitors the redressal of the grievances of the security holders of the Bank including complaints related on transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividend warrants.

Ms. Abha Singh Yaduvanshi, Shareholder Director, is the chairperson of the Committee.

In terms of Regulation 6(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary is the Compliance Officer of the Bank as on 31.03.2024.

शेयरधारकों की शिकायत के आंकड़े:

| | |
|---|-------|
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें / अभ्यावेदन | 377 |
| शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों का समाधान नहीं किया गया | शून्य |
| लंबित शिकायतें | शून्य |

हितधारक संबंध समिति के सदस्यों के गठन और बैठक में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 2

बैठक की तिथियां: 30.08.2023, 20.01.2024

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, अध्यक्ष | 2 | 2 |
| श्री देबाशीष मुखर्जी | 2 | 2 |
| श्री अशोक चंद्र | 2 | 2 |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | 2 | 1 |
| श्री भवेन्द्र कुमार # | 1 | 1 |
| श्री बिमल प्रसाद शर्मा | 2 | 2 |
| श्री करुणाकर शेट्टी | 2 | 2 |

#वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

5ए) जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल और बैंक के परिचालन क्षेत्र के अनुरूप बैंक ने उचित जोखिम प्रबंधन नीतियां बनाई हैं।

बैंक के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन पद्धति हेतु नीति एवं रणनीति तैयार करने के लिए बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

चूंकि जोखिम प्रबंधन पद्धति को समिति दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यान्वित करना है, इसलिए चार उच्च स्तरीय समितियां अर्थात् साख जोखिम प्रबंधन समिति, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं समूह जोखिम प्रबंधन समिति स्थापित की गई हैं, जो जोखिम प्रबंधन से संबंधित सभी सामान्य जोखिमों से प्रावरित मामलों को संभालती हैं। इन चारों समितियों के अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक हैं, वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा इस मामले में उनकी सहायता की जाती है।

Shareholder's Grievances Statistics:

| | |
|---|-----|
| Complaints / Representations received during the year | 377 |
| Complaints not solved to the satisfaction of shareholders | Nil |
| Pending complaints | Nil |

The composition of members of Stakeholders Relationship Committee and details of attendance at the meeting are as under:

No. of Meetings held: 2

Dates of Meeting(s): 30.08.2023, 20.01.2024

| Name of the Director | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|---|--|--------------------------|
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi, Chairperson of the Committee | 2 | 2 |
| Shri. Debashish Mukherjee | 2 | 2 |
| Shri. Ashok Chandra | 2 | 2 |
| Shri. Hardeep Singh Ahluwalia | 2 | 1 |
| Shri. Bhavendra Kumar# | 1 | 1 |
| Shri. Bimal Prasad Sharma | 2 | 2 |
| Shri. Karunakara Shetty | 2 | 2 |

#Joined as Member during the year

5A) Risk Management Committee:

The Bank has evolved suitable risk management policies consistent with the size of the Bank, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank.

A Board level Risk Management Committee has been formed, with the responsibility of devising policy and strategy for integrated risk management system for the Bank.

As the risk management system is required to be implemented through a committee approach, four high level committees viz. Credit Risk Management Committee, Market Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Group Risk Management Committee are in place to deal with the issues relating to Risk Management covering all generic risks. The MD & CEO or ED of the Bank is the Chairman for all the four committees, assisted by the Senior Level Executives of the Bank.

समिति का समग्र उत्तरदायित्व बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति तय करना तथा तरलता, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और इक्विटी मूल्य जोखिमों की सीमा निर्धारित करना है।

जोखिम प्रबंधन समिति का कार्य ऋण जोखिम से संबंधित मामलों से निपटने वाली ऋण नीति समिति (सीपीसी) और बाजार जोखिम से निपटने वाली आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के कामकाज का समन्वय, समीक्षा और निगरानी करना है।

समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करेगी जिसमें बैंक के विभिन्न जोखिम जोखिम शामिल होंगे जिसमें ऋण जोखिम भी शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, समिति ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति और बैंक की अन्य जोखिम समितियों, यदि कोई हो, के बीच प्रभावी ढंग से समन्वय करेगी।

समिति में बैंक के एमडी व सीईओ सहित पांच गैर-कार्यकारी निदेशक और दो कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 10

बैठक की तिथियां : 26.05.2023, 28.06.2023, 24.07.2023, 30.08.2023, 25.09.2023, 27.11.2023, 20.01.2024, 23.02.2024, 11.03.2024, 28.03.2024

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|---|--|--------------------------|
| समिति के अध्यक्ष श्री बिमल प्रसाद शर्मा | 10 | 10 |
| श्री के सत्यनारायण राजु | 10 | 10 |
| श्री भवेन्द्र कुमार # | 5 | 5 |
| सुश्री नलिनी पद्मनाभन | 10 | 10 |
| श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन, | 10 | 10 |
| श्री करुणाकर शेटी, | 10 | 10 |
| सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, | 10 | 10 |
| श्री बृज मोहन शर्मा* | 2 | 2 |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया* | 3 | 2 |

वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

*वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गए

The Committee has the overall responsibility of deciding the Risk Management Policy of the Bank and set limits for liquidity, interest rate, foreign exchange and equity price risks.

The functions of the Risk Management Committee are to co-ordinate, review and monitor the functioning of Credit Policy Committee (CPC) dealing with credit risk related matters and Asset Liability Management Committee (ALCO) which is dealing with market risk.

The Committee shall devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank, including the credit risk. For this purpose, the Committee shall effectively co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee and other Risk Committees of the bank, if any.

The Committee consists of five Non-Executive Directors and two Executive Directors including MD & CEO of the Bank.

The details of attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 10

Dates of Meeting(s): 26.05.2023, 28.06.2023, 24.07.2023, 30.08.2023, 25.09.2023, 27.11.2023, 20.01.2024, 23.02.2024, 11.03.2024, 28.03.2024

| Name of the Director | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|---|--|--------------------------|
| Shri. Bimal Prasad Sharma, Chairperson of the Committee | 10 | 10 |
| Shri. K Satyanarayana Raju | 10 | 10 |
| Shri. Bhavendra Kumar# | 5 | 5 |
| Ms. Nalini Padmanabhan | 10 | 10 |
| Shri. Dibakar Prasad Harichandan | 10 | 10 |
| Shri. Karunakara Shetty | 10 | 10 |
| Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 10 | 10 |
| Shri. Brij Mohan Sharma* | 2 | 2 |
| Shri. Hardeep Singh Ahluwalia* | 3 | 2 |

Joined as Member during the year

* Ceased as Member during the year

बोर्ड की अन्य समितियाँ / उप समितियाँ:

(क) प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 (यथा संशोधित) की धारा 13 के अनुसार गठित की गई है। प्रबंधन समिति द्वारा साख प्रस्तावों की मंजूरी, ऋणों, बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव का समझौता/ निपटान, पूंजी और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण और किराये पर लेना, वादों / अपीलों को दायर करना, निवेश, दान और बोर्ड की समिति को संदर्भित या प्रत्यायोजित अन्य मामलों के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

आयोजित बैठकों की संख्या: 24

बैठक की तिथियाँ: 15.04.2023, 25.04.2023, 12.05.2023, 26.05.2023, 12.06.2023, 23.06.2023, 12.07.2023, 24.07.2023, 18.08.2023, 30.08.2023, 15.09.2023, 26.09.2023, 13.10.2023, 25.10.2023, 15.11.2023, 28.11.2023, 13.12.2023, 29.12.2023, 11.01.2024, 30.01.2024, 12.02.2024, 23.02.2024, 11.03.2024, 22.03.2024

प्रबंधन समिति के सदस्यों की संरचना और बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या | उपस्थित बैठकों की संख्या |
|---|--|--------------------------|
| श्री के सत्यनारायण राजु, समिति के अध्यक्ष | 24 | 24 |
| श्री देबाशीष मुखर्जी | 24 | 22 |
| श्री अशोक चंद्र | 24 | 24 |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | 24 | 21 |
| श्री भवेन्द्र कुमार # | 12 | 12 |
| श्री आर केसवन | 24 | 24 |
| श्री करुणाकर शेट्टी | 24 | 24 |
| श्री बृज मोहन शर्मा | 6 | 5 |

#वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में शामिल हुए

*वर्ष के दौरान सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गए

Other Committees / Sub-Committees of the Board:

(a) Management Committee:

The Management Committee of the Board is constituted as per the Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended). The Management Committee exercises all the powers vested with the committee in respect of sanctioning of credit proposals, compromise / settlement of loans, write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing of suits / appeals, investment, donations and any other matter referred to or delegated to the committee by the Board.

The details of attendance at the meetings are as under:

No. of Meetings held: 24

Dates of Meeting(s): 15.04.2023, 25.04.2023, 12.05.2023, 26.05.2023, 12.06.2023, 23.06.2023, 12.07.2023, 24.07.2023, 18.08.2023, 30.08.2023, 15.09.2023, 26.09.2023, 13.10.2023, 25.10.2023, 15.11.2023, 28.11.2023, 13.12.2023, 29.12.2023, 11.01.2024, 30.01.2024, 12.02.2024, 23.02.2024, 11.03.2024, 22.03.2024

The composition of members of Management Committee and the details of attendance at the meetings are hereunder:

| Name of the Director | No. of Meetings held During their Tenure | No. of Meetings Attended |
|--|--|--------------------------|
| Shri. K Satyanarayana Raju, Chairperson of the Committee | 24 | 24 |
| Shri. Debashish Mukherjee | 24 | 22 |
| Shri. Ashok Chandra | 24 | 24 |
| Shri. Hardeep Singh Ahluwalia | 24 | 21 |
| Shri. Bhavendra Kumar# | 12 | 12 |
| Shri. R Kesavan | 24 | 24 |
| Shri. Karunakara Shetty | 24 | 24 |
| Shri. Brij Mohan Sharma | 6 | 5 |

Joined as Member during the year

* Ceased as Member during the year

(ग) आस्ति देयता प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के आधार पर बैंक ने आंतरिक आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्य क्षेत्र निम्नांकित है:

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- बाज़ार जोखिम प्रबंधन
- व्यापारिक जोखिम प्रबंधन
- निधीयन एवं पूंजी आयोजना
- लाभ आयोजना एवं विकास आयोजना

आस्ति देयता प्रबंधन समिति निवल ब्याज आय पर आस्ति व देयता दोनों की ब्याज दरों में परिवर्तन से होनेवाले प्रभाव एवं तरलता स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श करती है।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) (पूर्ववर्ती एससी आईटी):

बोर्ड ने दिनांक 18.09.2017 के आदेश के माध्यम से डिजिटल लेनदेन संबंधी उपलब्धि के लिए आईबीए और इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की सिफारिशों के आधार पर बैंक को आवंटित डिजिटल संव्यवहार (एससी-डीटी) के उपलब्धि की प्रगति की निगरानी के लिए उप-समिति के गठन की अनुमति दी गई है।

इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2003 को दिए गए आदेश के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी (एससी-आईटी) के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए बोर्ड की उप-समिति के गठन की अनुमति दी, ताकि बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान किया जा सके। चूंकि उपरोक्त समितियों के कार्य समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक ने दिनांक 25.09.2019 को दोनों उप समितियों का विलय कर दिया है।

समिति के कार्य एक सलाहकार प्रकृति के होंगे और जहां कहीं भी नए नीतिगत दिशानिर्देश या प्रणाली और प्रक्रियाओं में परिवर्तन समिति द्वारा सुझाए / सिफारिश किए जाते हैं, उन्हें कार्यान्वयन से पहले अनुमोदन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास रखा जाएगा।

समिति के व्यापक कार्य इस प्रकार हैं:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है।

(c) Asset Liability Management Committee:

Based on RBI directives, the Bank has set up an internal Asset Liability Management Committee (ALCO) headed by MD&CEO or ED of the Bank. The other members of the Committee include the Senior Executives of the Bank.

The scope of ALCO functions is as follows:

- Liquidity Risk Management
- Management of Market Risk
- Trading Risk Management
- Funding and Capital Planning
- Profit Planning & Growth Planning

The ALCO deliberates in detail over the liquidity position and the impact of changes in the interest rates of both assets and liabilities on the Net-Interest Income

(d) Information Technology Strategy Committee (ITSC) (Erstwhile SC IT):

The Board, vide orders dated 18.09.2017 permitted the formation of sub-committee for monitoring the progress of achievement in digital transactions (SC-DT) based on the recommendations of IBA and Ministry of Electronics and Telecommunications (MeitY) to monitor the progress of achievement in digital transactions allotted to the Bank.

Similarly, the Board, vide orders dated 07.06.2003 permitted the formation of sub-committee of the Board for monitoring the progress in implementation of information technology (SCIT) to monitor the progress, provide guidance and suggestions to implement information technology in the Bank. As the functions of above committees are similar, the Bank has merged both the sub-committees on 25.09.2019.

The functions of the Committee will be of an advisory nature and wherever new policy guidelines or change in systems and procedures are suggested / recommended by the Committee, the same are placed to the appropriate authority for approval, before implementation.

The Broad Functions of the Committee are as follows:

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.



- यह प्रमाणित करना कि व्यवसाय रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के अनुरूप है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी संगठनात्मक संरचना व्यवसाय मॉडल और उसकी दिशा का पूरक है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने ऐसी प्रक्रियाएं और प्रथाएं लागू की हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी निवेश जोखिमों और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं।
- उस पद्धति की निगरानी करना जो प्रबंधन रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने और आईटी संसाधनों की सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च-स्तरीय दिशा प्रदान करने के लिए उपयोग करता है।
- बैंक की वृद्धि को बनाए रखने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होना और आईटी जोखिमों पर प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों को लागू करने में वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन का आकलन करना।
- उच्च-स्तरीय नीति मार्गदर्शन जारी करना (उदाहरण के लिए जोखिम, फंडिंग या सोर्सिंग कार्यों से संबंधित)।
- यह पुष्टि करना कि क्या आईटी या व्यावसायिक वास्तुकला को डिज़ाइन किया जाना है, ताकि आईटी से अधिकतम व्यावसायिक मूल्य प्राप्त किया जा सके।
- बैंक स्तर पर आईटी की कुल फंडिंग की निगरानी करना और यह पता लगाना कि क्या प्रबंधन के पास आईटी जोखिमों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए संसाधन हैं।
- आईटी कार्य निष्पादन माप और व्यवसायों में आईटी के योगदान की समीक्षा करना (अर्थात्, वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)।
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks and benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the method that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high-level direction for sourcing and use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining Bank's growth.
- Becoming aware about exposure towards IT risks and controls. And evaluating effectiveness of management's monitoring of IT risks.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high-level policy guidance (e.g. related to risk, funding, or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive the maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a Bank level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to businesses (i.e., delivering the promised value)

(ई) पूंजी नियोजन प्रक्रिया के लिए बोर्ड की उप समिति:

मूलेतर आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए बोर्ड की उप समिति के कार्य, अधिकार निर्गम के लिए बोर्ड की उप समिति (एससी-आरआई), अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (एससी-क्यूआईपी) के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने के लिए बोर्ड की उप समिति और अन्य संस्थानों(एससीट्टएसएच) में

(e) Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process:

The erstwhile Sub-Committee of the Board for Monetization of Non-Core Assets, Sub-Committee of the Board for Rights Issue (SC-RI), Sub-Committee of the Board to decide on Modalities of Qualified Institutional Placement

शेयर धारक निदेशकों के लिए मतदान के लिए बोर्ड की उप समिति है। ये सभी समितियां पूंजी जुटाने की गतिविधियों से संबंधित हैं। इसलिए निदेशक मंडल ने उक्त सभी समितियों को पूंजी आयोजना प्रक्रिया (कैपिटल प्लानिंग प्रोसेस) (एससीट्टसीपी) के लिए बोर्ड की उप समिति के साथ विलय करने की अनुमति प्रदान की है।

समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. पूंजी नियोजन प्रक्रिया की देखरेख करना
2. यह सुनिश्चित करना कि पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात निर्धारित मानदंडों के साथ न्यूनतम विनियामक आवश्यकता से ऊपर बनाए रखा जाए।
3. आवश्यकतानुसार पूंजी जुटाने की मात्रा, तरीके और प्रकार की सिफारिश करना।
4. पूंजी से संबंधित मामले में मंत्रालय / आरबीआई / किसी अन्य वैधानिक निकाय के अनुदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. योग्य संस्थागत प्लेसमेंट की रूपरेखा पर निर्णय लेना।
6. विभिन्न उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव, प्रोफाइल और पृष्ठभूमि पर सावधानीपूर्वक विचार करना और बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न कंपनियों में शेयरधारक निदेशकों के रूप में चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने का निर्णय लेना, जहां बैंक की इक्विटी है।
7. सेबी के दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक अधिकारों के निर्गम के (क) शर्तों (ख) समय (ग) मूल्य निर्धारण (घ) और अन्य तौर-तरीकों पर निर्णय लेना और अनुमति देना।
8. बैंक की सहायक कंपनियों / सहयोगियों सहित बैंक की गैर-प्रमुख आस्तियों के मुद्दीकरण की सभी संभावनाओं का पता लगाना तथा योजना बनाना, रणनीति को अंतिम रूप देना तथा परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने के लिए वित्तीय मंजूरी सहित अनुमति / अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

(SC-QIP) and Sub-Committee of the Board for Voting for Shareholder Directors in other Institutions (SC-SH) were merged with Sub-Committee of the Board for Capital Planning Process (SC-CP) as per the orders of the Board of Directors.

The Functions of the Committee include:

1. To oversee the Capital Planning process
2. To ensure that Capital to Risk Weighted Assets Ratio is maintained above the minimum regulatory requirement along with the prescribed norms.
3. To recommend quantum, mode and types of Capital raising, as per the requirement.
4. To ensure compliance of instruction / directions of Ministry / RBI / any other statutory body in the matter relating to Capital.
5. To decide on Modalities of Qualified Institutional Placement.
6. To carefully consider the qualification, experience, profile and background of the various candidates and take a decision in supporting the candidates in the election as Shareholder Directors in various Companies, including Banks and Financial Institutions where the Bank has equity.
7. To decide and permit on: (a) terms (b) timing (c) pricing (d) and other modalities of the rights issue as required under SEBI guidelines.
8. To explore all possibilities of monetization of Non-Core Assets of the Bank including Subsidiaries/ Associates of the Bank and to plan, finalize strategy and place to Board for permission / approval including financial sanctions for engaging the services of Consultants.

इसके अलावा बैंक ने बैंक के कारोबार के संचालन के संबंध में निगरानी / मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए अन्य बोर्ड समितियों / उप-समितियों का गठन किया है। समितियों के सदस्यों की संरचना और बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| क्र. सं. | समिति का नाम | समिति की संरचना | बैठकों की कुल संख्या | बैठकों की तिथियां |
|----------|---|--|----------------------|---|
| 1. | वसूली निगरानी समिति (सीएमआर) | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, श्री करुणाकर शेटी | 12 | 25.04.2023, 26.05.2023, 28.06.2023, 24.07.2023, 30.08.2023, 25.09.2023, 25.10.2023, 28.11.2023, 27.12.2023, 23.01.2024, 19.02.2024, 22.03.2024 |
| 2. | उप-समिति - बैंक की पूंजी नियोजन प्रक्रिया (एससी सीपी) | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, श्री करुणाकर शेटी | 3 | 28.06.2023, 27.12.2023, 26.02.2024 |
| 3. | बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, सुश्री नलिनी पद्मनाभन, श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन | 4 | 30.05.2023, 11.09.2023, 08.12.2023, 19.02.2024 |
| 4. | इरादतन चूककर्ताओं (एससीआरडब्ल्यू) के वर्गीकरण की समीक्षा के लिए बोर्ड की उप समिति | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 2 | 25.09.2023, 22.03.2024 |
| 5. | निदेशक समिति (सीडी) | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री आर. केसवन | 4 | 26.05.2023, 30.08.2023, 28.11.2023, 11.03.2024 |
| 6. | उप-समिति - सतत विकास कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एससी एसडीसीएसआर) | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, सुश्री नलिनी पद्मनाभन, श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन, | 4 | 30.05.2023, 11.09.2023, 27.12.2023, 22.03.2024 |

Further the Bank has constituted other Board Committees / Sub-Committees to monitor / guide and advice regarding the conduct of business of the Bank. The composition of members of the Committees and the details of meetings are hereunder:

| Sl. No. | Name of the Committee | Composition of the Committee | Total No. of Meetings | Dates of Meetings |
|---------|--|---|-----------------------|---|
| 1. | Committee for Monitoring Recovery (CMR) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma, Shri. Karunakara Shetty | 12 | 25.04.2023, 26.05.2023, 28.06.2023, 24.07.2023, 30.08.2023, 25.09.2023, 25.10.2023, 28.11.2023, 27.12.2023, 23.01.2024, 19.02.2024, 22.03.2024 |
| 2. | Sub-Committee - Capital Planning Process of the Bank (SC CP) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. Dibakar Prasad Harichandan, Shri. Bimal Prasad Sharma, Shri. Karunakara Shetty | 3 | 28.06.2023, 27.12.2023, 26.02.2024 |
| 3. | Customer Service Committee of the Board (CSC) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Ms. Nalini Padmanabhan, Shri. Dibakar Prasad Harichandan | 4 | 30.05.2023, 11.09.2023, 08.12.2023, 19.02.2024 |
| 4. | Sub-Committee of the Board to Review Classification of Willful Defaulters (SCRW) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 2 | 25.09.2023, 22.03.2024 |
| 5. | Committee of Directors (CD) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. R Kesavan | 4 | 26.05.2023, 30.08.2023, 28.11.2023, 11.03.2024 |
| 6. | Sub-Committee - Sustainable Development Corporate Social Responsibility (SC SDCSR) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Ms. Nalini Padmanabhan, Shri. Dibakar Prasad Harichandan | 4 | 30.05.2023, 11.09.2023, 27.12.2023, 22.03.2024 |

| क्र. सं. | समिति का नाम | समिति की संरचना | बैठकों की कुल संख्या | बैठकों की तिथियां |
|----------|---|---|----------------------|---|
| 7. | आईटी रणनीति समिति (आईटी एससी) | श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, सुश्री नलिनी पद्मनाभन, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी, सीआईओ – मुख्य सूचना अधिकारी | 8 | 25.04.2023, 28.06.2023, 30.08.2023, 26.09.2023, 27.11.2023, 23.01.2024, 26.02.2024, 28.03.2024 |
| 8. | कार्य निष्पादन मूल्यांकन पर बोर्ड समिति (बीसीपीई) | श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा | 2 | 30.08.2023, 22.03.2024 |
| 9. | उप-समिति मानव संसाधन (एससी एचआर) | श्री विजय श्रीरंगन, (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, श्री करुणाकर शेट्टी | 8 | 26.05.2023, 28.06.2023, 30.08.2023, 25.10.2023, 08.12.2023, 23.01.2024, 26.02.2024, 28.03.2024 |
| 10. | उप-समिति कारोबार योजना कार्यनीति (एससी बीपी) | श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, सुश्री नलिनी पद्मनाभन, श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 4 | 25.04.2023, 30.08.2023, 27.11.2023, 23.01.2024 |
| 11. | धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए बोर्ड की विशेष समिति (1.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक) (एससीएफ) | श्री विजय श्रीरंगन (समिति के अध्यक्ष) श्री के सत्यनारायण राजु, श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री अशोक चंद्र, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, श्री भवेन्द्र कुमार, श्री प्रशांत कुमार गोयल, सुश्री नलिनी पद्मनाभन, श्री बिमल प्रसाद शर्मा, सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | 5 | 26.05.2023, 26.09.2023, 27.12.2023, 26.02.2024, 22.03.2024 |

| Sl. No. | Name of the Committee | Composition of the Committee | Total No. of Meetings | Dates of Meetings |
|---------|--|--|-----------------------|--|
| 7. | IT Strategy Committee (IT SC) | Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Ms. Nalini Padmanabhan, Ms. Abha Singh Yaduvanshi, CIO - Chief Information Officer | 8 | 25.04.2023, 28.06.2023, 30.08.2023, 26.09.2023, 27.11.2023, 23.01.2024, 26.02.2024, 28.03.2024 |
| 8. | Board Committee on Performance Evaluation (BCPE) | Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma | 2 | 30.08.2023, 22.03.2024 |
| 9. | Sub-Committee Human Resources (SC HR) | Shri. Vijay Srirangan, (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Shri. Bimal Prasad Sharma, Shri. Karunakara Shetty | 8 | 26.05.2023, 28.06.2023, 30.08.2023, 25.10.2023, 08.12.2023, 23.01.2024, 26.02.2024, 28.03.2024 |
| 10. | Sub-Committee Business Plan Strategy (SC BP) | Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Ms. Nalini Padmanabhan, Shri. Dibakar Prasad Harichandan, Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 4 | 25.04.2023, 30.08.2023, 27.11.2023, 23.01.2024 |
| 11. | Special Committee of the Board for Monitoring and Following up Cases of Frauds (₹1.00 Crore & Above) (SCF) | Shri. Vijay Srirangan (Chairperson of the Committee) Shri. K Satyanarayana Raju, Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Ashok Chandra, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Shri. Bhavendra Kumar, Shri. Parshant Kumar Goyal, Ms. Nalini Padmanabhan, Shri. Bimal Prasad Sharma, Ms. Abha Singh Yaduvanshi | 5 | 26.05.2023, 26.09.2023, 27.12.2023, 26.02.2024, 22.03.2024 |

| क्र. सं. | समिति का नाम | समिति की संरचना | बैठकों की कुल संख्या | बैठकों की तिथियां |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| 12. | बोर्ड की समिति (सीबी) | श्री प्रशांत कुमार गोयल (समिति के अध्यक्ष) श्री देबाशीष मुखर्जी, श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | -** | - |
| 13. | उप-समिति – प्रतिकर समिति (एससी सीसी) | श्री दिवाकर प्रसाद हरिचंदन (समिति के अध्यक्ष) सुश्री नलिनी पद्मनाभन, श्री करुणाकर शेट्टी | -** | - |
| 14. | विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) | श्री के सत्यनारायण राजु (समिति के अध्यक्ष) श्री प्रशांत कुमार गोयल श्री आर केसवन | 2 | 21.03.2024, 22.03.2024 |

** बैठक आयोजित करने के लिए ऐसा कोई मामला नहीं आया

| Sl. No. | Name of the Committee | Composition of the Committee | Total No. of Meetings | Dates of Meetings |
|---------|--|---|-----------------------|------------------------|
| 12. | Committee of Board (CB) | Shri. Parshant Kumar Goyal (Chairperson of the Committee) Shri. Debashish Mukherjee, Shri. Hardeep Singh Ahluwalia | -** | - |
| 13. | Sub-Committee - Compensation Committee (SC CC) | Shri. Dibakar Prasad Harichandan (Chairperson of the Committee) Ms. Nalini Padmanabhan, Shri. Karunakara Shetty | -** | - |
| 14. | Departmental Promotion Committee (DPC) | Shri. K Satyanarayana Raju (Chairperson of the Committee) Shri. Parshant Kumar Goyal Shri. R Kesavan | 2 | 21.03.2024, 22.03.2024 |

** no such instances occurred to hold the meeting

5बी) वरिष्ठ प्रबंधन:

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण।

यथा 31.03.2024 तक प्रमुख पदों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता |
|----------|-------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | एस के मजूमदार | समूह मुख्य वित्त अधिकारी (सीजीएम) | बीकॉम (ऑनर्स), आईसीडब्ल्यूए इंटर, सीए, आईसीडब्ल्यूए, कंप्यूटर अनुदेशक |
| 2 | ए नारायणन | मुख्य तकनीकी अधिकारी (जीएम) | एमए, एमसीए, सीएआईआईबी – पीए, सीएआईआईबी |
| 3 | पुष्कर सिन्हा | मुख्य सूचना अधिकारी (सीजीएम) | बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी – पीए, सीएआईआईबी, कंप्यूटर अनुदेशक |
| 4 | बी पी जाटव | समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीजीएम) | बीएससी (कृषि), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 5 | के जे श्रीकांत | प्रमुख आंतरिक लेखा परीक्षा (सीजीएम) | बीकॉम, एमकॉम कॉम, सीएआईआईबी |
| 6 | एच के गंगाधर | मुख्य शिक्षण अधिकारी (डीजीएम) | बीएससी (कृषि), एमबीए (बीके/एफआई, आईटी साइबर सिक्यूरिटी, सर्टिफिकेट एसएमई बी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट सीएस एंड बीसी, सीईएफईएफआई, सीटीएफ – आईआईबीएफ, सर्टिफिकेट एएमएल एंड के |
| 7 | टी के वेणुगोपाल, | मुख्य नैतिकता अधिकारी (जीएम) | बीकॉम, व्यावसायिक प्रमाणित आईसीडब्ल्यूए, आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी |
| 8 | उदय शंकर मजूमदार, | समूह मुख्य जोखिम अधिकारी (सीजीएम) | एमकॉम, व्यावसायिक प्रमाणित आईसीडब्ल्यूए, जेएआईआईबी |
| 9 | विशाल भाटिया | मुख्य डिजिटल अधिकारी | बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बीई), एमबीए (वित्त) |
| 10 | रमेश बाबू | मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (डीजीएम) | एएमआईईई, इंटरमीडिया, सीआईएसएम, सीआईएसए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 11 | संतोष कुमार बारिक | कंपनी सचिव (डीएम) | बीकॉम, एमकॉम, एसीएस |

5B) Senior Management:

Particulars of senior management including the changes therein since the close of the previous financial year

| List of Key Positions as on 31.03.2024 | | | |
|--|----------------------|--|---|
| Sl. No. | NAME | DESIGNATION | Educational Qualifications |
| 1 | S K MAJUMDAR | Group Chief Finance Officer (CGM) | B.Com (Hons), CA, ICWA |
| 2 | A NARAYANAN | Chief Technology Officer (GM) | M.A., MCA, CAIIB - PA, CAIIB |
| 3 | PUSHKAR SINHA | Chief Information Officer (CGM) | B.A. (Hons), CAIIB - PA, CAIIB, |
| 4 | B P JATAV | Group Chief Compliance Officer (CGM) | B.Sc. (Agri), JAIIB, CAIIB |
| 5 | K J SRIKANTH | Head Internal Audit (CGM) | B.Com, M.Com Comme, CAIIB |
| 6 | H K GANGADHAR | Chief Learning Officer (DGM) | B.Sc.(Agri), MBA (BK/FI, IT Cyber Security, Cert. SME B, JAIIB, CAIIB, Cert. CS&BC, CEFEFI, CTF - IIBF, Cert. AML&K |
| 7 | T K VENU GOPAL | Chief Ethics Officer (GM) | B.Com, Prof Cert. ICWA, CAIIB |
| 8 | UDAY SANKAR MAJUMDER | Group Chief Risk Officer (CGM) | M.Com, MBA, Prof Cert. ICWA, JAIIB |
| 9 | VISHAL BHATIA | Chief Digital Officer | Bachelor of Engineering (BE), MBA (Finance) |
| 10 | RAMESH BABU | Chief Information Security Officer (DGM) | AMIE, Intermedia, CISM, CISA, JAIIB, CAIIB |
| 11 | SANTOSH KUMAR BARIK | Company Secretary (DM) | B.Com, M.Com, ACS |

| यथा 31.03.2024 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों और मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची | | | |
|---|--------------------|------------------|--|
| क्र. सं. | नाम | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता |
| 1 | डी सुरेन्द्रन | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी, पीजीडीआईपी एसडब्लू ई, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 2 | ए वी रामा राव | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी, एमबीए (फाइनेंस एम, डीआईपी ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, एनआईएसएम-III-ए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 3 | एस जे गवारे | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी, एसपीएम में डिप्लोमा, ईडीपी टीआरएन लीड, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, कंप्यूटर इंशोर |
| 4 | जनार्दन राव पीवी | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी, बीजीएल - 2 वर्ष, एसएससी, एचएससी, जूनियर टाइप इंजीनियरिंग, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, सीटीएफ - आईआईबीएफ |
| 5 | पुरुषोत्तम चंद | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंशोरेंस |
| 6 | बी पी जाटव | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 7 | के जे श्रीकांत | मुख्य महाप्रबंधक | बीकॉम, एमकॉम कॉम, सीएआईआईबी |
| 8 | के कल्याणी, | मुख्य महाप्रबंधक | एमकॉम, आईआरडीए सर्टिफिकेट कम्प्यूटर, सीएआईआईबी |
| 9 | उदय शंकर मजूमदार, | मुख्य महाप्रबंधक | एमकॉम, एमबीए व्यावसायिक प्रमाणित आईसीडब्ल्यूए, जेएआईआईबी |
| 10 | नायर अजीत कृष्णन | मुख्य महाप्रबंधक | बीकॉम, एलएलबी, एमबीए (पर्सनल, डिप्लोमा इंड रिलेशन, डिप्लोमा लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा मैनेजमेंट, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, वी स्किल्स-ए |
| 11 | पुष्कर सिन्हा | मुख्य महाप्रबंधक | बीए (ऑनर्स), सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंशोरेंस |
| 12 | पी संतोष, | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, आईआरडीए-2002 |
| 13 | एस के मजूमदार | मुख्य महाप्रबंधक | बीकॉम (ऑनर्स, आईसीडब्ल्यूए इंटर, सीए, आईसीडब्ल्यूए, कंपोजिट इंशोरेंस |
| 14 | के एच पटनायक | मुख्य महाप्रबंधक | बीएससी, बीजीएल - 2 वर्ष, एमए, एमबीए (फाइनेंस एम, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 15 | श्रीकांत महापात्रा | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एलएलबी, एमबीए, डिप्लोमा माइक्रो फिन, सर्टिफिकेट एसएमई एफ, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, सीटीएफ - आईआईबीएफ |
| 16 | आर राजेश | महाप्रबंधक | बीए, एमएससी, एमबीए (बीके/एफआई, एमसीए, पीयूसी, सर्टिफिकेट परीक्षा आईटीएस, सर्टिफिकेट इन डीजी, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट सीएस एंड बीसी, सीईएफईएफआई, पीसीसी फ्रॉड, सर्टिफिकेट सीसीपी, सर्टिफिकेट इन फारैक्स, एमएसएमई फाइनेंस आईआईबीएफ |
| 17 | एस प्रेम कुमार | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), कंप्यूटर अवेयरनेस, सीएआईआईबी |
| 18 | एच टी बाविस्कर | महाप्रबंधक | बीए, एमए (अर्थशास्त्र, एनआईएसएम वीए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंशोरेंस, एमएसएमई फाइनेंस आईआईबीएफ |

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2024

| Sl. No. | NAME | DESIGNATION | Educational Qualifications |
|---------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | D SURENDRAN | Chief General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc., PG Dip SW E, CAIIB - PA, CAIIB |
| 2 | A V RAMA RAO | Chief General Manager | B.Sc., MBA (Fin M, Dip. Treasury Inv, NISM-III-A, JAIIB, CAIIB |
| 3 | S J GAWARE | Chief General Manager | B.Sc., EDP in SPM, EDP Tran Lead, JAIIB, CAIIB, Comp Insurance |
| 4 | JANARDHANA RAO P V | Chief General Manager | B.Sc., BGL - 2 yr, SSC, HSC, Jr. Typ. Eng, CAIIB - PA, CAIIB, CTF - IIBF |
| 5 | PURSHOTTAM CHAND | Chief General Manager | B.Sc., CAIIB - PA, CAIIB, Comp Insurance |
| 6 | B P JATAV | Chief General Manager | B.Sc. (Agri), JAIIB, CAIIB |
| 7 | K J SRIKANTH | Chief General Manager | B.Com, M.Com, Comme, CAIIB |
| 8 | K KALYANI | Chief General Manager | M.Com, IRDA Cert. Comp, CAIIB |
| 9 | UDAY SANKAR MAJUMDER | Chief General Manager | M.Com, MBA, Prof Cert. ICWA, JAIIB |
| 10 | NAIR AJIT KRISHNAN | Chief General Manager | B.Com, LLB, MBA (Pers, Dip. Ind. Rel., Dip. Labour Admn., Dip. Manage, CAIIB - PA, CAIIB, V Skills-A |
| 11 | PUSHKAR SINHA | Chief General Manager | B.A. (Hons), CAIIB - PA, CAIIB, Comp Insurance |
| 12 | P SANTHOSH | Chief General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), CAIIB - PA, CAIIB, IRDA-2002 |
| 13 | S K MAJUMDAR | Chief General Manager | B.Com (Hons, ICWA Inter, CA, ICWA, Comp Insurance |
| 14 | K H PATNAIK | Chief General Manager | B.Sc., BGL - 2 yr, M.A., MBA (Fin M, CAIIB - PA, CAIIB |
| 15 | SHREEKANTA MOHAPATRA | General Manager | B.Sc. (Agri), LLB, MBA, Dip Micro Fin, Cert. SME F, CAIIB - PA, CAIIB, CTF - IIBF |
| 16 | R RAJESH | General Manager | B.A., M.Sc, MBA (BK/FI, MCA, PUC, Cert. Exam ITS, Cert. in Dg, CAIIB, Cert. CS&BC, CEFEFI, PCC Fraud, Cert. CCP, Cert. in FOREX, MSME FINAN IIBF |
| 17 | S PREM KUMAR | General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), Comp Aware, CAIIB |
| 18 | H T BAVISKAR | General Manager | B.A., M.A. (Econom, NISM V-A, JAIIB, CAIIB, Comp Insurance, MSME FINAN IIBF |

यथा 31.03.2024 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों और मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता |
|----------|------------------------|------------|--|
| 19 | ए नारायणन | महाप्रबंधक | एमए, एमसीए, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 20 | राजेश कुमार सिंह | महाप्रबंधक | बीएससी (ऑनर्स), एमए, पीजीपी पीएमपी, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 21 | उमेश कुमार भल्ला | महाप्रबंधक | एमए, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 22 | अमिताभ चटर्जी | महाप्रबंधक | बीएससी (ऑनर्स), एमबीए, डिप्लोमा ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 23 | पी चक्रवर्ती | महाप्रबंधक | बीकॉम (ऑनर्स), एमसीए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सीआरसीआरडी, पीएमपी, ईपीएलएम |
| 24 | राकेश कर्यप | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 25 | सुबोध कुमार | महाप्रबंधक | बीएससी (रसायन), एमएससी (रसायन), एमबीए (फाइनेंस एम, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 26 | श्रीनाथ एच जोशी | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमबीए, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, सीटीएफ - आईआईबीएफ |
| 27 | एम जी पंडित | महाप्रबंधक | बीकॉम, एमकॉम, पीयूसी, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 28 | रविकृष्णन एम के | महाप्रबंधक | एमएससी (एग्री), डिप्लोमा पब्लिक रिलेशन, पीजीडी पब्लिक रिलेशन, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट बैंक, कंपोजिट इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट एएमएल एंड के |
| 29 | कल्याण मुखर्जी | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 30 | मनोज कुमार दास | महाप्रबंधक | बीएससी (ऑनर्स) फिजी, एसएससी, इंटरमीडिया, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 31 | संजीव कुमार लाल दास | महाप्रबंधक | बीएससी (गणित) |
| 32 | आर पी जायसवाल | महाप्रबंधक | बीकॉम, एमए (हिंदी) |
| 33 | प्रभात किरण | महाप्रबंधक | बीए (ऑनर्स), पीजीडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट सीसीपी, कंपोजिट इंश्योरेंस, एमएसएमई फाइनेंस आईआईबीएफ |
| 34 | बिस्मय सामल | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), पीजीडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट एएमएल एंड के |
| 35 | के ए सिंधु | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), डिप्लोमा ग्रामीण बैंकिंग, सर्टिफिकेट एसएमई बी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 36 | भास्कर चक्रवर्ती एम | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 37 | डी एन वी श्रीनिवास राव | महाप्रबंधक | बीएससी, एमएससी, सर्टिफिकेट एसएमई बी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 38 | विक्रम दुग्गल, | महाप्रबंधक | बीकॉम, सीए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस, सीटीएफ - आईआईबीएफ |
| 39 | एम विजय कुमार, | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), इंटरनेशनल, एनआईएसएम वीए, जेएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 40 | बी चन्द्रशेखर | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2024

| Sl. No. | NAME | DESIGNATION | Educational Qualifications |
|---------|-------------------------|-----------------|---|
| 19 | A NARAYANAN | General Manager | M.A., MCA, CAIIB - PA, CAIIB |
| 20 | RAJESH KUMAR SINGH | General Manager | B.Sc. (Hons), MA, PGP PMP, CAIIB - PA, CAIIB |
| 21 | UMESH KUMAR BHALLA | General Manager | M.A., Dip. Pers. Mgmt., CAIIB - PA, CAIIB |
| 22 | AMITABH CHATTERJEE | General Manager | B.Sc. (Hons), MBA, Dip. Treasury Inv, CAIIB - PA, CAIIB |
| 23 | P CHAKRAVARTHY | General Manager | B.Com. (Hons, MCA, JAIIB, CAIIB, CRCRD for, P M P, EPLM |
| 24 | RAKESH KASHYAP | General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), JAIIB, CAIIB |
| 25 | SUBODH KUMAR | General Manager | B.Sc. (Chem), M.Sc. (Chem), MBA (Fin M, CAIIB - PA, CAIIB, Comp Insurance |
| 26 | SHREENATH H JOSHI | General Manager | B.Sc. (Agri), MBA, CAIIB - PA, CAIIB, CTF - IIBF |
| 27 | M G PANDIT | General Manager | B.Com, M.Com, PUC, CAIIB - PA, CAIIB, Comp Insurance |
| 28 | RAVIKRISHNAN M K | General Manager | M.Sc. (Agri), Dip. Public Rel., PGD Publ Rela, CAIIB - PA, CAIIB, Cert. Bank, Comp Insurance, Cert. AML&K |
| 29 | KALYAN MUKHERJEE | General Manager | B.Sc. (Agri), CAIIB - PA, CAIIB |
| 30 | MANOJ KUMAR DAS | General Manager | B.Sc. (H) Phy, SSC, Intermedia, CAIIB - PA, CAIIB |
| 31 | SANJIVA KUMAR LAL DAS | General Manager | B.Sc. (Maths) |
| 32 | R P JAISWAL | General Manager | B.Com, MA (Hindi) |
| 33 | PRABHAT KIRAN | General Manager | B.A. (Hons), PGD Busi Admi, JAIIB, CAIIB, Cert. CCP, Comp Insurance, MSME Finan IIBF |
| 34 | BISMAY SAMAL | General Manager | B.Sc. (Agri), PGD Busi Admi, JAIIB, CAIIB, Comp Insurance, Cert. AML&K |
| 35 | K A SINDHU | General Manager | B.Sc. (Agri), Dip Rural Bkng, Cert. SME B, JAIIB, CAIIB |
| 36 | BHASKARA CHAKRAVARTHY M | General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), JAIIB, CAIIB |
| 37 | D N V SRINIVASA RAO | General Manager | B.Sc., M.Sc., Cert. SME B, JAIIB, CAIIB |
| 38 | VIKRAM DUGGAL | General Manager | B.Com, CA, JAIIB, CAIIB, Comp Insurance, CTF - IIBF |
| 39 | M VIJAYA KUMAR | General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), Internatio, NISM V-A, JAIIB, Comp Insurance |
| 40 | B CHANDRA SEKHARA | General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), CAIIB, Comp Insurance |

यथा 31.03.2024 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों और मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता |
|----------|-----------------------------|------------|--|
| 41 | जोगिंदर सिंह घनघस | महाप्रबंधक | एमए, जेएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 42 | जयप्रकाश सी | महाप्रबंधक | मत्स्य पालन, डिप्लोमा बैंकिंग, सीएआईआईबी |
| 43 | जी आर, दिल्लीबाबू | महाप्रबंधक | बीएससी, एमएससी (स्टेटी, डिप्लोमा टेजरी इन्वेस्ट, सर्टिफिकेट आरएफएसएल-1, सर्टिफिकेट एसएमई एफ, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट एक्सम-आईटी, पीसीसी फ्रॉड, सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स, सीटीएफ - आईआईबीएफ, सर्टिफिकेट एएमएल एंड के, सर्टिफिकेट आईएसबी |
| 44 | श्रीकांत एम भांडीवाड | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 45 | पी रवि वर्मा | महाप्रबंधक | बीकॉम, एलएलबी, एमकॉम, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 46 | प्रमोद कुमार सिंह | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 47 | जगदीश चंद्र | महाप्रबंधक | बीकॉम, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी |
| 48 | प्रणय रंजन देव | महाप्रबंधक | एलएलबी, एमए (हिंदी), एमबीए (एमएआर एम, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 49 | रंजीव कुमार | महाप्रबंधक | बीएससी, एमएससी (गणित, सर्टिफिकेट पीसीसी और एफएम, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट परीक्षा-आईटी, सर्टिफिकेट सीसीपी, एमएसएमई फाइनेंस आईआईबीएफ, सीटीएफ - आईआईबीएफ |
| 50 | अरुण कुमार मिश्रा | महाप्रबंधक | बीएससी (नर्सि, जेएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 51 | टी वी के मोहन, | महाप्रबंधक | बीए, जेएआईआईबी |
| 52 | बी सुधाकर कोठारी, | महाप्रबंधक | एमए, सीएआईआईबी |
| 53 | निम्मगड्डा सीताराम सोमयाजी, | महाप्रबंधक | बीए, बीएससी, पीजीडी कार्मिक प्रबंधन, सीएआईआईबी, सीबीसीपी |
| 54 | टी के वेणुगोपाल, | महाप्रबंधक | बीकॉम, व्यावसायिक प्रमाणित आईसीडब्ल्यूए, सीएआईआईबी |
| 55 | बी चंद्रशेखर राव, | महाप्रबंधक | एमएससी, पीजीडी वित्त प्रबंधन, सीएआईआईबी |
| 56 | अभय कुमार, | महाप्रबंधक | बीए, एमबीए, सीएआईआईबी |
| 57 | राकेश नैनवाल, | महाप्रबंधक | बीएससी, एमए (हिंदी), डिप्लोमा रूरल बैंकिंग, डिप्लोमा इंटरनेशनल बैंकिंग फाइनेंस, सर्टिफिकेट पीसीसी एंड एफएम, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट सीआईएस, एनआईएसएम VI, सर्टिफिकेट इन डीजी, रूरल बैंकिंग, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट-इंटरनेशनल, सीईएफईएफआई, सर्टिफिकेट एजाम-आईटी, सर्टिफिकेट आईटी, सर्टिफिकेट इन फॉरेक्स |
| 58 | आर अनुराधा, | महाप्रबंधक | एमए, डीआईपी एचएल एडवांस, सीएआईआईबी, सीसीआरआरडी |
| 59 | सुधांशु सुमन, | महाप्रबंधक | बीई (मैकेनिकल, प्रोफेसर सर्टिफिकेट सीएफए, सीएआईआईबी) |
| 60 | आलोक कुमार अग्रवाल, | महाप्रबंधक | बीकॉम, एमकॉम, सीएफए, एमबीए, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, पीसीसी थोखाधडी, फॉरेक्स में प्रमाणपत्र, सीटीएफ - आईआईबीएफ |
| 61 | राम नाईक, | महाप्रबंधक | एमकॉम, जेएआईआईबी |
| 62 | पी गोपीकृष्ण, | महाप्रबंधक | बीए, एमबीए (बीके / एफआई, सीएआईआईबी) |
| 63 | बाबूलाल मीना, | महाप्रबंधक | एलएलबी, एमकॉम, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2024

| Sl. No. | NAME | DESIGNATION | Educational Qualifications |
|---------|------------------------------|-----------------|---|
| 41 | JOGINDER SINGH GHANGAS | General Manager | M.A., JAIIB, Comp Insurance |
| 42 | JAYAPRAKASH C | General Manager | Fisheries, Dip. Bankg, CAIIB |
| 43 | G R DILLIBABU | General Manager | B.Sc., M.Sc. (Stati, Dip. Treasury Inv., Cert. RFSL-I, Cert. SME F, JAIIB, CAIIB, Cert. Exm-IT, PCC Fraud, Cert. in FOREX, CTF - IIBF, Cert. AML&K, Cert. ISB |
| 44 | SHREEKANT M BHANDIWAD | General Manager | B.Sc. (Agri), M.Sc. (Agri), JAIIB, CAIIB, Comp Insurance |
| 45 | P RAVI VARMA | General Manager | B.Com, LLB, M.Com, CAIIB - PA, CAIIB |
| 46 | PRAMOD KUMAR SINGH | General Manager | B.Sc. (Agri), CAIIB, Comp Insurance |
| 47 | JAGDISH CHANDER | General Manager | B.Com, JAIIB, CAIIB |
| 48 | PRANAY RANJAN DEO | General Manager | LLB, M.A. (Hindi), MBA (Mar M), CAIIB - PA, CAIIB, Comp Insurance |
| 49 | RANJEEV KUMAR | General Manager | B.Sc., M.Sc. (Maths, Cert. PCC&FM, JAIIB, CAIIB, Cert. Exm-IT, Cert. CCP, MSME Finan IIBF, CTF - IIBF |
| 50 | ARUN KUMAR MISHRA | General Manager | B.Sc. (Nursi, JAIIB, Comp Insurance) |
| 51 | T V K MOHAN | General Manager | B.A., JAIIB |
| 52 | B SUDHAKAR KOTARY | General Manager | M.A., CAIIB |
| 53 | NIMMAGADDA SITARAMA SOMAYAJI | General Manager | B.A., B.Sc., PGD Pers. Mgmt, CAIIB, CBCP |
| 54 | T K VENU GOPAL | General Manager | B.Com, Prof Cert. ICWA, CAIIB |
| 55 | B CHANDRASEKHARA RAO | General Manager | M.Sc., PGD Fina Mgmt, CAIIB |
| 56 | ABHAY KUMAR | General Manager | B.A., MBA, CAIIB |
| 57 | RAKESH NAINWAL | General Manager | B.Sc., M.A. (Hindi), Dip. Rural Bkng, Dip. Intl Bk Fin, Cert. PCC&FM, IIBF Cert. CEIS, NISM VI, Cert. in DG, Rural Banking, CAIIB, Cert.-Intl, CEFEFI, Cert. Exm-IT, Cert. IT, Cert. in FOREX |
| 58 | R ANURADHA | General Manager | M.A., Dip HL Adv, CAIIB, CRCRD for |
| 59 | SUDHANSHU SUMAN | General Manager | B.E. (Mechan), Prof Cert. CFA, CAIIB |
| 60 | ALOK KUMAR AGARWAL | General Manager | B.Com, M.Com, C F A, MBA, JAIIB, CAIIB, PCC Fraud, Cert. in FOREX, CTF - IIBF |
| 61 | RAMA NAIK | General Manager | M.Com, JAIIB |
| 62 | P GOPIKRISHNA | General Manager | B.A., MBA (BK/FI, CAIIB |
| 63 | BABULAL MEENA | General Manager | LLB, M.Com, CAIIB, Comp Insur |

यथा 31.03.2024 तक प्रमुख पदों, कार्यात्मक प्रमुखों और मुख्य महाप्रबंधकों / महाप्रबंधकों की सूची

| क्र. सं. | नाम | पद का नाम | शैक्षणिक योग्यता |
|----------|------------------|------------|---|
| 64 | विजयलक्ष्मी सीएस | महाप्रबंधक | बीईडी, बीएससी, एमए (हिंदी), एमफिल (आर्ट, सर्टिफिकेट ट्रांजेक्सन, सीएआईआईबी - पीए |
| 65 | शम्भू लाल | महाप्रबंधक | बीएलआईबीएससी, बीकॉम, एमकॉम, सीएआईआईबी, कंपोजिट इंश्योरेंस |
| 66 | गीतिका शर्मा | महाप्रबंधक | एमए, जेएआईआईबी |
| 67 | के बी गीता | महाप्रबंधक | बीए, एमबीए, सर्टिफिकेट एसएमई एफ, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, सीटीएफ - आईआईबीएफ, सर्टिफिकेट एएमएल एंड के |
| 68 | अशोक कुमार दास | महाप्रबंधक | बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी |
| 69 | महेश एम पै | महाप्रबंधक | बीएससी, सीएआईआईबी - पीए, सीएआईआईबी, सर्टिफिकेट एएमएल एस, कंपोजिट इंश्योरेंस |

List of Key Positions, Functional Heads & Chief General Managers / General Managers as on 31.03.2024

| Sl. No. | NAME | DESIGNATION | Educational Qualifications |
|---------|-------------------|-----------------|--|
| 64 | VIJAYALAKSHMI C S | General Manager | B.Ed., BSc, MA (Hindi), M.Phil. (Art, Cert. Trans), CAIIB - PA |
| 65 | SHAMBHU LAL | General Manager | B.Lib.Sc., B.Com, M.Com, CAIIB, Comp Insur |
| 66 | GEETIKA SHARMA | General Manager | M.A., JAIIB |
| 67 | K B GEETHA | General Manager | B.A., MBA, Cert. SME F, JAIIB, CAIIB, CTF - IIBF, Cert. AML&K |
| 68 | ASHOK KUMAR DASH | General Manager | B.Sc. (Agri), MSc (Agri), CAIIB - PA, CAIIB |
| 69 | MAHESH M PAI | General Manager | B.Sc., CAIIB - PA, CAIIB, Cert. AML S, Comp Insurance |

6) निदेशकों को पारिश्रमिक

ए) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। बैठक शुल्क का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिसे बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशकों को भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

(पूर्णकालिक निदेशकों और भारत सरकार एवं आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है)

6) Remuneration to Directors.

a) Non-Executive Directors are not being paid any other remuneration except sitting fees as fixed by Government of India. The sitting fee is paid as per the provisions of Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, read with Government guidelines for attending Board and Board Committee meetings. Details of sitting fee paid to directors during the Year 2023-24 is given hereunder:

(No sitting fee is payable to Whole-time Directors and Directors representing Government of India & RBI)

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | पद का नाम | कुल भुगतान की गई बैठक फीस (₹) |
|----------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | श्री विजय श्रीरंगन | गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक | 24,75,000.00 |
| 2 | सुश्री नलिनी पद्मनाभन | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | 25,00,000.00 |
| 3 | श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक | 24,50,000.00 |
| 4 | श्री बिमल प्रसाद शर्मा | शेयरधारक निदेशक | 25,00,000.00 |
| 5 | श्री करुणाकर शेटी | शेयरधारक निदेशक | 25,00,000.00 |
| 6 | सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | शेयरधारक निदेशक | 24,70,000.00 |

| Sl. No. | Name of Director | Designation | Total Sitting Fees paid (in ₹) |
|---------|----------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | Shri. Vijay Srirangan | Non-Executive Chairman and Part-time Non-Official Director | 24,75,000.00 |
| 2 | Ms. Nalini Padmanabhan | Part-time Non-Official Director | 25,00,000.00 |
| 3 | Shri. Dibakar Prasad Harichandan | Part-time Non-Official Director | 24,50,000.00 |
| 4 | Shri. Bimal Prasad Sharma | Shareholder Director | 25,00,000.00 |
| 5 | Shri. Karunakara Shetty | Shareholder Director | 25,00,000.00 |
| 6 | Ms. Abha Singh Yadhuvanshi | Shareholder Director | 24,70,000.00 |

बी) कार्यकारी निदेशकों को पारिश्रमिक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले वेतन का विवरण इस प्रकार है:

| क्र. सं. | नाम एवं अवधि | पद का नाम | वेतन (₹) | पीएलआई | सेवानिवृत्ति लाभ (एसपीएफ और ग्रेच्युटी) | कुल (₹) |
|----------|---|---|--------------|---|---|--------------|
| 1. | श्री के सत्यनारायण राजु | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 38,80,713.29 | कार्यपालक निदेशक के रूप में काम की अवधि के लिए अक्टूबर 2023 में 3,43,258.29 रुपये का पीएलआई जमा किया गया। | 0 | 42,23,971.58 |
| 2. | श्री देबाशीष मुखर्जी | कार्यपालक निदेशक | 36,44,377.00 | 4,00,000.00 | 0 | 40,44,377.00 |
| 3. | श्री अशोक चंद्र | कार्यपालक निदेशक | 34,92,660.20 | 1,33,000.00 | 0 | 36,25,660.20 |
| 4. | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | कार्यपालक निदेशक | 31,12,162.57 | 0 | 0 | 31,12,162.57 |
| 5. | श्री भवेन्द्र कुमार | कार्यपालक निदेशक (09.10.2023 से) | 16,13,071.83 | 0 | 0 | 16,13,071.83 |
| 6. | श्री बृज मोहन शर्मा | पूर्व कार्यपालक निदेशक (दिनांक 30.06.2023 तक) | 9,67,261.25 | 4,00,000.00 | 48,38,129.84 | 62,05,391.09 |
| 7. | श्री एल वी प्रभाकर (पीएलआई बकाया का भुगतान अक्टूबर 2023 में किया जाएगा) | पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 0.00 | 4,50,000.00 | 0 | 4,50,000.00 |

b) Remuneration to Executive Directors is paid as per Government of India guidelines. The details of salary paid to the whole-time directors of the Bank, during the year 2023-24 are as under:

| Sl. No. | Name & Period | Designation | Salary (in ₹) | PLI | Retirement Benefits (SPF & Gratuity) | Total (in ₹) |
|---------|--|--|---------------|---|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Shri. K Satyanarayana Raju | Managing Director & Chief Executive Officer | 38,80,713.29 | PLI of ₹ 3,43,258.29 Credited in Oct 2023 for the period worked as ED | 0 | 42,23,971.58 |
| 2. | Shri. Debashish Mukherjee | Executive Director | 36,44,377.00 | 4,00,000.00 | 0 | 40,44,377.00 |
| 3. | Shri. Ashok Chandra | Executive Director | 34,92,660.20 | 1,33,000.00 | 0 | 36,25,660.20 |
| 4. | Shri. Hardeep Singh Ahluwalia | Executive Director | 31,12,162.57 | 0 | 0 | 31,12,162.57 |
| 5. | Shri. Bhavendra Kumar | Executive Director (From 09.10.2023) | 16,13,071.83 | 0 | 0 | 16,13,071.83 |
| 6. | Shri. Brij Mohan Sharma | Ex-Executive Director (Up to 30.06.2023) | 9,67,261.25 | 4,00,000.00 | 48,38,129.84 | 62,05,391.09 |
| 7. | Shri. L V Prabhakar (PLI arrears paid in October 2023) | Ex-Managing Director & Chief Executive Officer | 0.00 | 4,50,000.00 | 0 | 4,50,000.00 |

7) आम सभा की बैठकें:

क) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

| एजीएम (आईपीओ के बाद) | तारीख | समय | कार्यक्रम का स्थान |
|------------------------|------------|----------------|---|
| 19 वीं वार्षिक आम बैठक | 03.08.2021 | सुबह 11:00 | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित |
| 20 वीं वार्षिक आम बैठक | 23.06.2022 | सुबह 11:00 | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित |
| 21 वीं वार्षिक आम बैठक | 28.06.2023 | सुबह 10:30 बजे | वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ऑडियो विजुअल माध्यम से आयोजित |

7. General Body Meetings:

a) The details of last three Annual General Meetings held are furnished here below:

| AGM (After IPO) | Date | Time | Venue |
|----------------------|------------|------------|--|
| 19 th AGM | 03.08.2021 | 11:00 a.m. | Held through Video Conferencing/Audio Visual means |
| 20 th AGM | 23.06.2022 | 11:00 a.m. | Held through Video Conferencing/Audio Visual means |
| 21 st AGM | 28.06.2023 | 10:30 a.m. | Held through Video Conferencing/Audio Visual means |

21वीं वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण ऊपर तालिका 2 में दिया गया है।

ख) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्ताव: पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों / डाक मतपत्रों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण:

| बैठक की प्रकृति | दिन व तिथि | उद्देश्य / विशेष संकल्प |
|--|--|---|
| 19 वीं वार्षिक आम बैठक | मंगलवार 3 अगस्त 2021 | 1. सार्वजनिक निर्गम, गडट्स इश्यू, निजी प्लेसमेंट/योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, ईएसपीएस या भारत सरकार/आरबीआई द्वारा अनुमोदित कोई अन्य मोड के माध्यम से एक या अधिक किश्तों में 2500 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) से अधिक की कुल राशि के लिए इतनी संख्या में इक्विटी/वरीयता शेयर बनाना, पेश करना, जारी करना और आवंटित करना। 2. बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 18495.30 रुपये की संचित हानि का विनियोजन। |
| असाधारण आम बैठक (ईजीएम) | 10 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित और रद्द कर दिया गया | एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए ईजीएम बुलाई गई थी, हालांकि बैंक द्वारा प्राप्त केवल एक वैध नामांकन के कारण ईजीएम रद्द कर दी गई थी और श्री करुणाकर शेट्टी को दिनांक 30.11.2021 से शेयरधारक निदेशक के रूप में चुना गया था। |
| 20वीं वार्षिक आम बैठक | गुरुवार, 23 जून 2022 | बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। |
| 21वीं वार्षिक आम बैठक | बुधवार, 28 जून 2023 | 1. श्री दिबाकर प्रसाद हरिचंदन की बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्ति 2. श्री विजय श्रीरंगन की बैंक के अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति। |
| ग) पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) में डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। घ) वह व्यक्ति जिसने पोस्टल बैलेट का संचालन किया : एन/ए ड) वर्तमान में बैंक की पोस्टल बैलेट के जरिये विशेष प्रस्ताव पारित करने की कोई योजना नहीं है। जब भी इसकी योजना बनाई जाएगी शेयरधारकों को सूचित कर दिया जाएगा। | | |

Details of attendance of Directors at the 21st Annual General Meeting are given in **Table 2 above**.

b) Special resolution passed in the last three Annual General Meetings:

Details of Special Resolutions passed in the previous three Annual General Meetings/Postal Ballot:

| Nature of Meeting | Day & Date | Purpose / Special Resolution |
|--|--|--|
| 19 th Annual General Meeting | Tuesday 3 rd August, 2021 | 1. To create, offer, issue and allot such number of equity /preference shares for aggregate amount not exceeding ₹2500 crore (inclusive of premium) in one or more tranches by way of follow on public issue, rights issue, private placement / qualified institutional placement, ESPS or any other mode approved by GOI/RBI. 2. Appropriation of Accumulated losses ₹18495.30 from share premium account of the bank. |
| Extraordinary General Meeting (EGM) | Proposed 10 th December, 2021 and was cancelled | EGM was called for election of one shareholder director, however EGM was cancelled on account of only one valid nomination received by the bank and Shri. Karunakara Shetty was elected as shareholder director w.e.f. 30.11.2021 |
| 20 th Annual General Meeting | Thursday 23 rd June, 2022 | No Special Resolution Passed in the Meeting. |
| 21 st Annual General Meeting | Wednesday 28 th June, 2023 | 1. Appointment of Shri. Dibakar Prasad Harichandan as Part-time Non-Official Director of the Bank 2. Appointment of Shri. Vijay Srirangan as Part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank. |
| c. No Special resolution was passed in the last year (FY 2023-24) through postal Ballot. d. Person who conducted the postal ballot exercise: N/A e. At present, the Bank has no plans to pass special resolution through Postal Ballot. The shareholders will be intimated as and when it will be planned. | | |

8) संचार के साधन:

केनरा बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से बैंक से संबंधित जानकारी प्रदान करता है जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित खाते, नकदी प्रवाह विवरण आदि शामिल होते हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, विश्लेषकों को प्रस्तुतियाँ और www.canarabank.com पर वेबसाइट के माध्यम से कार्यनिष्पादन के बारे में सूचित किया जाता है। बैंक अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति, संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियाँ भी प्रदर्शित करता है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, वित्तीय परिणाम और अन्य मूल्य संवेदनशील जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

(ए) परिणामों का प्रकाशन:

| तिमाही समाप्ति | प्रकाशन की तिथि | समाचार पत्र | |
|---|-----------------|---|---|
| | | स्थानीय भाषा | राष्ट्रीय |
| 31.03.2023 (स्टैंडअलोन एवं समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम) | 09.05.2023 | विजयवाणी (कन्नड़) ईनाडु (तेलुगु) | फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) द इकोनॉमिक टाइम्स, (अंग्रेजी) बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) द हिंदू (बेंगलुरु) मिंट (अंग्रेजी) |
| 30.06.2023 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम) | 25.07.2023 | विजय कर्नाटक (कन्नड़) एनाडु (तेलुगु) आंध्र ज्योति (तेलुगु) | बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) द इकोनॉमिक टाइम्स, (अंग्रेजी) फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) द हिंदू (अंग्रेजी) |
| 30.09.2023 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम) | 27.10.2023 | उदयवाणी (कन्नड़) एनाडु (तेलुगु) आंध्र ज्योति (तेलुगु) साक्षी बिजनेस (तेलुगु) | बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) द हिंदू (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) |

8. Means of Communication:

Canara Bank provides information relating to Bank through its Annual Report which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of its performances through publication in newspapers, intimation to stock exchanges, press releases, presentations to Analysts and through website at www.canarabank.com. The Bank also displays official news releases, presentations made to institutional investors, analysts in its website. In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Financial Results and other price sensitive information are furnished to Stock Exchanges.

(a) Publication of Results:

| Quarter Ended | Date of Publication | Newspaper | |
|---|---------------------|--|--|
| | | Vernacular | National |
| 31.03.2023 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results) | 09.05.2023 | Vijayavani (Kannada) Eenadu (Telugu) | Financial Express (English) Business Standard (English) The Economic Times, (English) Business Line (English) Rajasthan Patrika (Hindi) The Hindu (Bengaluru) Mint (English) |
| 30.06.2023 (Unaudited Reviewed Financial Results) | 25.07.2023 | Vijaya Karnataka (Kannada) Eenadu (Telugu) Andhra Jyothi (Telugu) | Business Line (English) Business Standard (English) The Economic Times, (English) Financial Express (English) The Hindu (English) |
| 30.09.2023 (Unaudited Reviewed Financial Results) | 27.10.2023 | Udayavani (Kannada) Eenadu (Telugu) Andhra Jyothi (Telugu) Sakshi Business (Telugu) | Business Line (English) Rajasthan Patrika (Hindi) The Economic Times (English) The Hindu (English) Business Standard (English) |

| | | | |
|---|------------|--|---|
| 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित समीक्षित वित्तीय परिणाम) | 25.01.2024 | आंध्र ज्योति (तेलुगु) उदयवाणी (कन्नड) साक्षी बिजनेस (तेलुगु) | बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) मिंट (अंग्रेजी) बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) |
| 31.03.2024 (स्टैंडअलोन और समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम) | 09.05.2024 | विजयवाणी (कन्नड) आंध्र ज्योति (तेलुगु) साक्षी (तेलुगु) नमस्ते तेलंगाना (तेलुगु) | मिंट (अंग्रेजी) बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) द इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) राजस्थान पत्रिका (हिन्दी) जनसत्ता (हिन्दी) |

| | | | |
|--|------------|---|---|
| 31.12.2023 (Unaudited Reviewed Financial Results) | 25.01.2024 | Andhra Jyothi (Telugu) Udayavani (Kannada) Sakshi Business (Telugu) | Business Standard (English) Rajasthan Patrika (Hindi) Mint (English) Business Line (English) The Economic Times (English) Financial Express (English) |
| 31.03.2024 (Standalone & Consolidated Audited Financial Results) | 09.05.2024 | Vijayavani (Kannada) Andhra Jyothi (Telugu) Sakshi (Telugu) Namaste Telangana (Telugu) | Mint (English) Business Standard (English) The Economic Times (English) Financial Express (English) Business Line (English) Rajasthan Patrika (Hindi) Jansatta (Hindi) |

9) सामान्य श्रेयधारक सूचना:

ए. वार्षिक आम बैठक – दिनांक, समय और स्थान

| | |
|---|------------|
| प्राधिकृत प्रतिनिधित्व की प्राप्ति की अंतिम तिथि | 23.06.2024 |
| ई-वोटिंग कट-ऑफ तिथि | 21.06.2024 |
| लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि, यदि कोई हो | 17.06.2024 |
| वार्षिक आम बैठक की तिथि | 28.06.2024 |
| वार्षिक आम बैठक का समय | 10.30 AM |
| वार्षिक आम बैठक का स्थान | VC/OAVM |

बी. वित्तीय वर्ष: 2023-24

सी. लाभांश का भुगतान / रिकॉर्ड तिथि:

बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए श्रेयधारकों को 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 16.10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात् 161%) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो एजीएम में श्रेयधारकों के अनुमोदन के अधीन है। उन श्रेयधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम सोमवार, 17 जून 2024 (इसके बाद रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) को एनएसडीएल/

9) General Shareholders' Information:

a. Annual General Meeting - Date, Time and Venue

| | |
|---|------------|
| Last Date for Receipt of Authorised Representative | 23.06.2024 |
| e-Voting Cut-Off Date/ | 21.06.2024 |
| Record Date for Payment of Dividend, if any | 17.06.2024 |
| Date of Annual General Meeting | 28.06.2024 |
| Time of Annual General Meeting | 10.30 AM |
| Venue of Annual General Meeting | VC/OAVM |

b. Financial Year: 2023-24

c. Payment of Dividend / Record Date:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of ₹16.10 per equity share (i.e. 161%) of face value of ₹10/- each to the Shareholders for the year 2023-24, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register

सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में दिखाई देने हैं। शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक (28 जून 2024) में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

बेदावा लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट इनकैश नहीं किया है / पिछली अवधि अर्थात् 2017-18 और 2022-23 के वर्षों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लिकेट लाभांश वारंट के पुनर्विधीकरण / जारी के लिए बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें। बैंक ने अपनी साइट अर्थात् www.canarabank.com पर बेदावा / अप्रदत्त लाभांश वारंट का विवरण पोस्ट किया है ताकि शेयरधारक शेयर ट्रांसफर एजेंट / या बैंक से hosecretarial@canarabank.com पर संपर्क करके दावा कर सकें।

डी. स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग (नाम और पता):

केनरा बैंक के शेयर निम्नलिखित शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं:

| बाजार का नाम | पता |
|---|--|
| बीएसई लिमिटेड | फ़िरोज़ जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 |
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा [ई] मुंबई - 400051 |

ई. बाजार मूल्य डेटा: पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न:

| | | |
|---|---|--------|
| 1 | बीएसई लिमिटेड | 532483 |
| 2 | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड | CANBK |

of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on Monday, 17th June, 2024 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting (28th June, 2024).

UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods i.e., for the years from 2017-18 & 2022-23 are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants. The Bank has posted the details of the unclaimed/unpaid dividend warrants on its site i.e., www.canarabank.com to enable the shareholders to claim by contacting the Share Transfer Agent / or the Bank at hosecretarial@canarabank.com.

d. Listing on Stock Exchanges (Name & Address):

Canara Bank shares are listed at the following Stock Exchanges:

| Exchange Name | Address |
|--|--|
| BSE Limited | Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001 |
| National Stock Exchange of India Limited | National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex, Bandra [E] MUMBAI - 400051 |

e. Stock Codes of respective stock exchanges are furnished against their names:

| | | |
|---|--|--------|
| 1 | BSE Limited | 532483 |
| 2 | National Stock Exchange of India Limited | CANBK |









एफ. बाज़ार मूल्य डेटा: पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न

| माह | वर्ष | बीएसई लिमिटेड | | | नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड | | |
|---------|------|---------------|-----------|----------------|---|-----------|----------------|
| | | उच्च (₹) | निम्न (₹) | वॉल्यूम संख्या | उच्च (₹) | निम्न (₹) | वॉल्यूम संख्या |
| अप्रैल | 2023 | 318.00 | 281.40 | 3449725 | 318.10 | 281.20 | 95680101 |
| मई | 2023 | 326.65 | 291.30 | 9442454 | 326.85 | 291.35 | 177821871 |
| जून | 2023 | 317.45 | 291.45 | 5033300 | 316.55 | 291.65 | 98647276 |
| जुलाई | 2023 | 351.30 | 302.35 | 8919548 | 351.40 | 302.55 | 209903348 |
| अगस्त | 2023 | 346.05 | 319.40 | 8521177 | 346.00 | 319.25 | 143739657 |
| सितम्बर | 2023 | 385.85 | 320.55 | 8905536 | 386.00 | 319.70 | 247798747 |
| अक्टूबर | 2023 | 390.55 | 342.20 | 6724546 | 390.65 | 342.10 | 164322010 |
| नवंबर | 2023 | 411.00 | 380.25 | 6913959 | 411.00 | 380.00 | 105698347 |
| दिसंबर | 2023 | 454.70 | 404.05 | 9337602 | 454.70 | 405.00 | 147921526 |
| जनवरी | 2024 | 485.20 | 438.50 | 19743352 | 485.00 | 438.00 | 178456289 |
| फरवरी | 2024 | 598.75 | 479.50 | 12472761 | 598.80 | 479.35 | 240089733 |
| मार्च | 2024 | 606.00 | 529.10 | 6326146 | 606.30 | 529.10 | 134447071 |

f. Market Price Data: High, Low during Each Month in Last Financial Year

| Month | Year | BSE Ltd. | | | National Stock Exchange of India Limited | | |
|-----------|------|----------|---------|------------|--|---------|------------|
| | | High (₹) | Low (₹) | Volume No. | High (₹) | Low (₹) | Volume No. |
| April | 2023 | 318.00 | 281.40 | 3449725 | 318.10 | 281.20 | 95680101 |
| May | 2023 | 326.65 | 291.30 | 9442454 | 326.85 | 291.35 | 177821871 |
| June | 2023 | 317.45 | 291.45 | 5033300 | 316.55 | 291.65 | 98647276 |
| July | 2023 | 351.30 | 302.35 | 8919548 | 351.40 | 302.55 | 209903348 |
| August | 2023 | 346.05 | 319.40 | 8521177 | 346.00 | 319.25 | 143739657 |
| September | 2023 | 385.85 | 320.55 | 8905536 | 386.00 | 319.70 | 247798747 |
| October | 2023 | 390.55 | 342.20 | 6724546 | 390.65 | 342.10 | 164322010 |
| November | 2023 | 411.00 | 380.25 | 6913959 | 411.00 | 380.00 | 105698347 |
| December | 2023 | 454.70 | 404.05 | 9337602 | 454.70 | 405.00 | 147921526 |
| January | 2024 | 485.20 | 438.50 | 19743352 | 485.00 | 438.00 | 178456289 |
| February | 2024 | 598.75 | 479.50 | 12472761 | 598.80 | 479.35 | 240089733 |
| March | 2024 | 606.00 | 529.10 | 6326146 | 606.30 | 529.10 | 134447071 |

जी. व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में कार्यनिष्पादन / G. Performance in Comparison to Broad-based Indices



एच. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से निलंबित नहीं किया गया है

आय. रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

इकाई: केनरा बैंक

सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32

गाचीबोवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट,

नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032

जे. शेयर ट्रांसफर सिस्टम

(ए) भौतिक शेयर:

सेबी ने अधिसूचना संख्या सेबी / एलएडी-एनआरओ / जीएन/2018/24 दिनांक 8 जून, 2018 ने सेबी के विनियम 40 में संशोधन किया (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015, 5 दिसंबर, 2018 से प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को केवल अभौतिक रूप में किया जाना अनिवार्य है। हालांकि, केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के अनुपालन की तारीख के विस्तार के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, सेबी ने अपनी "प्रेस विज्ञप्ति" पीआर सं. 49/2018 दिनांक 3 दिसंबर, 2018 के माध्यम से केवल डीमैट आवेदन में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की आवश्यकता का पालन करने के लिए 1 अप्रैल, 2019 तक की समय सीमा बढ़ा दी। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी निवेशकों को जल्द से जल्द एक डीमैट खाता खोलने पर विचार करना चाहिए और शेयरों की चलनिधि की रक्षा हेतु अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

सेबी ने किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के लिए दिनांक 17.05.2023 (सेबी/प्रका/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/70) के मास्टर परिपत्र के माध्यम से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन (भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना) के बिना फोलियो को फ्रीज करने की बात कही है, जो निम्नवत है:

- जिन फोलियो में उपरोक्त उद्धृत दस्तावेज़/विवरण में से कोई भी 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।
- जिन सुरक्षा धारकों के फोलियो को फ्रीज कर दिया गया है वे पात्र होंगे:

h. The securities are not suspended from trading during FY 2023-24

i. Registrar and Transfer Agent:

KFin Technologies Limited

Unit: Canara Bank

Selenium Tower B, Plot No. 31-32

Gachibowli, Financial District,

Nanakramguda, Hyderabad - 500 032

j. Share Transfer System

(a) Physical Shares:

SEBI vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/2018/24 dated June 8, 2018, amended Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, mandating transfer of securities to be carried out only in dematerialised form with effect from December 5, 2018. However, on the basis of representations received from shareholders for extension of the date of compliance for transfer of securities only in Demat Form, SEBI vide its "Press Release" PR. No. 49/2018 dated December 3, 2018, extended the deadline till April 1, 2019 to comply with the requirement of transfer of securities only in Demat Form. All the investors who are holding shares in physical form, should consider opening a Demat account at the earliest and submit request for dematerialization of their shares in order to protect the liquidity of the shares.

SEBI Vide Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents dated 17.05.2023 (SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2023/70) Stated Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination (Mandatory furnishing of PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities) as follows:

- The folios wherein any one of the cited document/details above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.
- The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible:

ए. उपरोक्तानुसार संपूर्ण दस्तावेज़ / विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही शिकायत दर्ज करें या आरटीए से किसी भी सेवा अनुरोध का लाभ उठाएं

बी. फ़ोजन फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रतिभूति धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और ऊपर बताई गई आवश्यकताओं का अनुपालन करने पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

- फ़ोजन फोलियो को आरटीए / सूचीबद्ध कंपनी द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासनिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रिज रहते हैं।
- आरटीए ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेजों / विवरणों की प्राप्ति पर फ़ोजन फोलियो को सामान्य स्थिति में रिवर्ट कर देगा।

इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निर्गम और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार के लिए मास्टर परिपत्र दिनांक 17.05.2023 को निम्नानुसार संशोधित किया:

ए. 'फ्रीज़िंग / फ़ोजन' शब्द का संदर्भ हटा दिया गया है

बी. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरटीए / सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासन प्राधिकारी को फोलियो का रेफरल समाप्त कर दिया गया है।

(बी) डीमैट फॉर्म में शेयर:

यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो शेयरों के हस्तांतरण के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को डिलीवरी निर्देश दिए जाने चाहिए।

a. to lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned above

b. for any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Listed Company to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated above.

- Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.
- The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the documents / details as mentioned above.

Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/181 dated 17.11.2023 amended the Master Circular for Registrars to an Issue and Share Transfer Agents dated 17.05.2023 as follows:

- a. Reference to the term 'freezing / frozen' has been deleted
- b. Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 and Prevention of Money Laundering Act, 2002, has been done away with.

(b) Shares in Demat form:

In case the shares are in demat form, Delivery Instructions are to be given to the concerned Depository Participant (DP) for transfer of shares.

के. शेयरधारिता का वितरण (31.03.2024)

| क्र. सं. | विवरण | कुल शेयर | % इक्विटी |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 1,14,17,09,678 | 62.93 |
| 2 | म्यूचुअल फंड्स | 105515425 | 5.82 |
| 3 | वैकल्पिक निवेश निधि | 10316318 | 0.57 |
| 4 | बैंक | 2196947 | 0.12 |
| 5 | बीमा कंपनियां | 114350871 | 6.30 |
| 6 | योग्य संस्थागत क्रेता | 28552069 | 1.57 |
| 7 | एनबीएफसी | 15407 | 0.00 |
| 8 | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी लृ | 187435904 | 10.33 |
| 9 | विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक श्रेणी लृलृ | 3958573 | 0.22 |
| 10 | विदेशी संस्थागत निवेशक | 414675 | 0.02 |
| 11 | निकाय निगम | 480 | 0.00 |
| 12 | निदेशक | 250 | 0.00 |
| 13 | (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर) | 1337 | 0.00 |
| 14 | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक | 11379557 | 0.63 |
| 15 | कर्मचारी | 181938728 | 10.03 |
| 16 | निवासी व्यक्ति | 2681524 | 0.15 |
| 17 | प्रवासी भारतीय | 1438016 | 0.08 |
| 18 | प्रवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय | 17142436 | 0.94 |
| 19 | निकाय निगम | 233947 | 0.01 |
| 20 | समाशोधन सदस्य | 4419392 | 0.24 |
| 21 | एच यू एफ | 427017 | 0.02 |
| 22 | ट्रस्ट निदेशक और उनके रिश्तेदार | 1701 | 0.00 |
| | कुल: | 1814130252 | 100.00 |

यथा 31.03.2024 प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है

k. Distribution of Shareholding (31.03.2024)

| Sl. No. | Category | Total Shares | % To Equity |
|---------|---|-------------------|---------------|
| 1 | PRESIDENT OF INDIA | 1,14,17,09,678 | 62.93 |
| 2 | MUTUAL FUNDS | 105515425 | 5.82 |
| 3 | ALTERNATIVE INVESTMENT FUND | 10316318 | 0.57 |
| 4 | BANKS | 2196947 | 0.12 |
| 5 | INSURANCE COMPANIES | 114350871 | 6.30 |
| 6 | QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYER | 28552069 | 1.57 |
| 7 | NBFC | 15407 | 0.00 |
| 8 | FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS CATEGORY I | 187435904 | 10.33 |
| 9 | FOREIGN PORTFOLIO INVESTORS CATEGORY II | 3958573 | 0.22 |
| 10 | FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTORS | 414675 | 0.02 |
| 11 | BODIES CORPORATES | 480 | 0.00 |
| 12 | DIRECTORS (Excluding Independent Directors and Nominee Directors) | 250 | 0.00 |
| 13 | KEY MANAGEMENT PERSONNEL | 1337 | 0.00 |
| 14 | EMPLOYEES | 11379557 | 0.63 |
| 15 | RESIDENT INDIVIDUALS | 181938728 | 10.03 |
| 16 | NON-RESIDENT INDIANS | 2681524 | 0.15 |
| 17 | NON-RESIDENT INDIAN, NON-REPATRIABLE | 1438016 | 0.08 |
| 18 | BODIES CORPORATES | 17142436 | 0.94 |
| 19 | CLEARING MEMBERS | 233947 | 0.01 |
| 20 | H U F | 4419392 | 0.24 |
| 21 | TRUSTS | 427017 | 0.02 |
| 22 | DIRECTORS AND THEIR RELATIVES | 1701 | 0.00 |
| | Total: | 1814130252 | 100.00 |

Nominal value of each share is ₹10/- as on 31.03.2024

मूल्य वार:

(31.03.2024)

| शेयरधारिता अंकित मूल्य (रुपये) | शेयरधारकों की संख्या | शेयरधारकों का % | कुल शेयर | राशि का % |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 1-5000 | 7,30,571 | 94.11 | 4,97,82,492 | 2.74 |
| 5001-10000 | 26,209 | 3.38 | 1,98,72,378 | 1.10 |
| 10001-20000 | 10,874 | 1.40 | 1,56,81,705 | 0.86 |
| 20001-30000 | 3,636 | 0.47 | 92,96,117 | 0.51 |
| 30001-40000 | 1,246 | 0.16 | 43,76,312 | 0.24 |
| 40001-50000 | 869 | 0.11 | 40,85,441 | 0.23 |
| 50001-100000 | 1,354 | 0.17 | 98,92,683 | 0.55 |
| 100001 & Above | 1,553 | 0.20 | 1,70,11,43,124 | 93.77 |
| कुल | 7,76,312 | 100.00 | 1,81,41,30,252 | 100.00 |

Value wise:

(31.03.2024)

| Shareholding Nominal Value (₹) | No. of Shareholders | % of Shareholders | Total Shares | % of Amount |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1-5000 | 7,30,571 | 94.11 | 4,97,82,492 | 2.74 |
| 5001-10000 | 26,209 | 3.38 | 1,98,72,378 | 1.10 |
| 10001-20000 | 10,874 | 1.40 | 1,56,81,705 | 0.86 |
| 20001-30000 | 3,636 | 0.47 | 92,96,117 | 0.51 |
| 30001-40000 | 1,246 | 0.16 | 43,76,312 | 0.24 |
| 40001-50000 | 869 | 0.11 | 40,85,441 | 0.23 |
| 50001-100000 | 1,354 | 0.17 | 98,92,683 | 0.55 |
| 100001 & Above | 1,553 | 0.20 | 1,70,11,43,124 | 93.77 |
| Total | 7,76,312 | 100.00 | 1,81,41,30,252 | 100.00 |

एल. शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन और तरलता:

बैंक के शेयरों का कारोबार केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में किया जाता है। बैंक ने बैंक के शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन के लिए नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। बैंक के शेयरों को आवंटित आईएसआईएन INE476A01014 है। शेयरों का डीमटेरियलाइजेशन आसान तरलता सुनिश्चित करता है।

चूंकि बैंक के शेयरों का डीमैट मोड में कारोबार किया जाता है, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ डीमैट खाते खोलना होगा और शेयरों को डीमैट रूप में रूपांतरित के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को आगे भेजने के लिए अपने मूल शेयर प्रमाणपत्रों को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सौंप देना होगा।

डीमैट / भौतिक धारिता (31.03.2024)

| 31-03-2024 तक शेयरधारिता का सारांश | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| श्रेणी | धारकों की संख्या | कुल शेयर | जारी की गई पूंजी का % |
| भौतिक | 1,07,812 | 65,06,664 | 0.36 |
| एन एस डी एल | 2,85,100 | 59,56,82,469 | 32.84 |
| सी डी एस एल | 3,83,400 | 121,19,41,119 | 66.80 |
| कुल | 7,76,312 | 1,81,41,30,252 | 100.00 |

एम. कोई बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण नहीं है।

एन. कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: विदेशी मुद्रा और अन्य बाज़ार संबंधी जोखिम के अधीन।

हो. प्लांट अवस्थिति: केनरा बैंक की पूरे देश में शाखाएँ हैं, स्थान का विवरण वेबसाइट <https://canarabank.com/Locator> पर उपलब्ध है। इसके अलावा बैंक की तीन विदेश स्थित शाखाएँ हैं जो कि "डीआईएफसी शाखा, दुबई", "लंदन" और "न्यूयॉर्क" में हैं।

पी. पत्र-व्यवहार के लिए पता

केनरा बैंक
सचिवीय विभाग
अनुपालन व आरबीएस विभाग
 प्रधान कार्यालय, 112, जे सी रोड
 बेंगलूरु-560 002
 ई-मेल आईडी: hosecretarial@canarabank.com

I. Dematerialisation of Shares and Liquidity:

The Bank's shares are traded in dematerialized form only. The Bank has entered into agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Limited (CDSL) for Dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN allotted to the Bank's shares is INE476A01014. Dematerialisation of the shares ensures easy liquidity.

Since the shares of the Bank are traded in demat mode, the shareholders holding shares in physical form, have to open Demat Accounts with any of the Depository Participant (DP) and surrender their original share certificates to the concerned Depository Participant (DP) for onward transmission to KFin Technologies Limited, Hyderabad, the R & T Agents of the Bank, for conversion of shares in demat form.

Demat / Physical Holding (31.03.2024)

| Summary of Shareholding as on 31-03-2024 | | | |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Category | No. of Holders | Total Shares | % Of Issued Capital |
| PHYSICAL | 1,07,812 | 65,06,664 | 0.36 |
| NSDL | 2,85,100 | 59,56,82,469 | 32.84 |
| CDSL | 3,83,400 | 121,19,41,119 | 66.80 |
| Total | 7,76,312 | 1,81,41,30,252 | 100.00 |

m. There are no outstanding GDRs / ADRs / Warrants or any convertible instruments.

n. Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities: Subject to Foreign Exchange and other market-related Risk.

o. Plant locations: Canara Bank is having Branches across the Country, the location details are available in the Website <https://canarabank.com/Locator>. Apart from that the Bank is having three overseas Branches in "DIFC Branch, Dubai", "London" and "New York".

p. Address for Correspondence

CANARA BANK
SECRETARIAL DEPARTMENT
COMPLIANCE & RBS WING
 HEAD OFFICE, 112, J C ROAD
 BENGALURU - 560 002
 E-MAIL ID: hosecretarial@canarabank.com

क्यू. (i) क्रेडिट रेटिंग

| क्र. सं. | आईएसआईएन | डिबेंचर श्रृंखला | राशि करोड़ों में (₹) | मोचन तिथि | क्रिसिल रेटिंग दिनांक 23.11.2023 | आईसीआरए रेटिंग दिनांक 28.11.2023 | इंडिया रेटिंग दिनांक 20.09.2023 | केयर रेटिंग दिनांक 21.09.2023 | क्रिसिल रेटिंग दिनांक 05.02.2024 | आईसीआरए रेटिंग दिनांक 05.02.2024 |
|-----------------------|--------------|---|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | INE476A08043 | बेसल III टियर II सीरीज II-2015-16 | 900.00 | 07-जनवरी-26 | CRISIL AAA/स्थिर | ICRA (AAA) स्थिर | IND AAA/स्थिर | | | |
| 2 | INE476A08118 | बेसल III एटी I एस-II वित्तीय वर्ष 2020-21 | 120.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 3 | INE476A08159 | बेसल III एटी I 2021-22 एसआर III | 1,000.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 4 | INE476A08035 | बेसल III एटी I 2014-15 | 1,500.00 | सतत | | ICRA (AA+) स्थिर | IND AA+/स्थिर | | | |
| 5 | INE476A08076 | बेसल III टियर II सीरीज I 2019-20 | 3,000.00 | 11-मार्च-30 | | | IND AAA/स्थिर | CARE AAA/स्थिर | | |
| 6 | INE667A08021 | बेसल III टियर II | 400.00 | 23-मार्च-25 | CRISIL AAA/स्थिर | | | CARE AAA/स्थिर | | |
| 7 | INE476A08050 | बेसल III टियर II 2016-17 | 3,000.00 | 27-अप्रैल-26 | CRISIL AAA/स्थिर | ICRA (AAA) स्थिर | IND AAA/स्थिर | | | |
| 8 | INE476A08084 | बेसल III एटी I बांड एस-1 2020-21 | 1,012.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 9 | INE667A08039 | बेसल III टियर II | 1,000.00 | 28-सितंबर-25 | CRISIL AAA/स्थिर | | | CARE AAA/स्थिर | | |
| 10 | INE476A08092 | बेसल III एटी ₹ बांड एस-2 2020-21 | 169.10 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 11 | INE476A08126 | बेसल III एटी I 2021 द1 | 1,500.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 12 | INE667A08013 | बेसल III टियर II | 750.00 | 02-दिसंबर-24 | CRISIL AAA/स्थिर | | | CARE AAA/स्थिर | | |
| 13 | INE476A08134 | बेसल III एटी I 2021-22 एसआर II | 1,500.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 14 | INE667A08047 | बेसल III टियर II | 750.00 | 18-दिसंबर-25 | CRISIL AAA/स्थिर | | | CARE AAA/स्थिर | | |
| 15 | INE476A08142 | बेसल III टियर II एस 1 | 2,500.00 | 24- दिसंबर-36 | | | IND AAA/स्थिर | CARE AAA/स्थिर | | |
| 16 | INE476A09264 | बेसल III टियर II श्रृंखला I-2015-16 | 1,500.00 | 31-दिसंबर-25 | CRISIL AAA/स्थिर | ICRA (AAA) स्थिर | IND AAA/स्थिर | | | |
| 17 | INE476A08100 | बेसल III एटी I बांड एस-3 2020-21 | 1,635.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 18 | INE476A08167 | बेसल III एटी I 2022-23 सीरीज I | 2,000.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 19 | INE476A08175 | बेसल III टियर II सीरीज I | 2,000.00 | 26-अगस्त-32 | | ICRA (AAA) स्थिर | IND AAA/स्थिर | | | |
| 20 | INE476A08183 | बेसल III टियर I सीरीज II | 2,000.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | | IND AA+/स्थिर | | | |
| 21 | INE476A08191 | एलटीबी श्रृंखला I 2023 | 5,000.00 | 27-सितंबर-33 | | | IND AAA/स्थिर | CARE AAA/स्थिर | | |
| 22 | INE476A08209 | एलटीबी श्रृंखला II 2023 | 5,000.00 | 29-नवंबर-33 | | | IND AAA/स्थिर | CARE AAA/स्थिर | | |
| 23 | INE476A08217 | बेसल III एटी I 2023-24 श्रृंखला I | 1,403.00 | सतत | CRISIL AA+/स्थिर | ICRA (AA+) स्थिर | | | | |
| 24 | INE476A08225 | बेसल III एटी I 2023-24 श्रृंखला II | 2,000.00 | सतत | | | | | CRISIL AA+/स्थिर | ICRA (AA+) स्थिर |
| कुल | | | 41,639.10 | | | | | | | |
| जमा प्रमाणपत्र | | | 60,000.00 | | CRISIL A1+ | | | | | |

q. (i) Credit Ratings

| Sl. No. | ISIN | DEBENTURE SERIES | AMOUNT IN CRORES (in ₹) | REDEMPTION DATE | CRISIL RATING DATED 23.11.2023 | ICRA RATING DATED 28.11.2023 | INDIA RATING DATED 20.09.2023 | CARE RATING DATED 21.09.2023 | CRISIL RATING DATED 05.02.2024 | ICRA RATING DATED 05.02.2024 |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | INE476A08043 | BASEL III TIER II SERIES II - 2015-16 | 900.00 | 07-Jan-26 | CRISIL AAA/ Stable | ICRA (AAA) Stable | IND AAA/ Stable | | | |
| 2 | INE476A08118 | BASEL III AT I S-IV FY 2020-21 | 120.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 3 | INE476A08159 | BASEL III AT I 2021-22 SR III | 1,000.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 4 | INE476A08035 | BASEL III AT I 2014-15 | 1,500.00 | Perpetual | | ICRA (AA+) Stable | IND AA+/ Stable | | | |
| 5 | INE476A08076 | BASEL III TIER II Series I 2019-20 | 3,000.00 | 11-Mar-30 | | | IND AAA/ Stable | CARE AAA/ Stable | | |
| 6 | INE667A08021 | BASEL III TIER II | 400.00 | 23-Mar-25 | CRISIL AAA/ Stable | | | CARE AAA/ Stable | | |
| 7 | INE476A08050 | BASEL III TIER II 2016-17 | 3,000.00 | 27-Apr-26 | CRISIL AAA/ Stable | ICRA (AAA) Stable | IND AAA/ Stable | | | |
| 8 | INE476A08084 | BASEL III AT I Bonds S-1 2020-21 | 1,012.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 9 | INE667A08039 | BASEL III TIER II | 1,000.00 | 28-Sep-25 | CRISIL AAA/ Stable | | | CARE AAA/ Stable | | |
| 10 | INE476A08092 | BASEL III AT I Bonds S-2 2020-21 | 169.10 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 11 | INE476A08126 | BASEL III AT I 2021 S1 | 1,500.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 12 | INE667A08013 | BASEL III TIER II | 750.00 | 02-Dec-24 | CRISIL AAA/ Stable | | | CARE AAA/ Stable | | |
| 13 | INE476A08134 | BASEL III AT I 2021-22 SR II | 1,500.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 14 | INE667A08047 | BASEL III TIER II | 750.00 | 18-Dec-25 | CRISIL AAA/ Stable | | | CARE AAA/ Stable | | |
| 15 | INE476A08142 | BASEL III TIER II S 1 | 2,500.00 | 24-Dec-36 | | | IND AAA/ Stable | CARE AAA/ Stable | | |
| 16 | INE476A09264 | BASEL III TIER II SERIES I - 2015-16 | 1,500.00 | 31-Dec-25 | CRISIL AAA/ Stable | ICRA (AAA) Stable | IND AAA/ Stable | | | |
| 17 | INE476A08100 | BASEL III AT I Bonds S-3 2020-21 | 1,635.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 18 | INE476A08167 | BASEL III AT I 2022-23 Series I | 2,000.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 19 | INE476A08175 | BASEL III TIER II Series I | 2,000.00 | 26-Aug-32 | | ICRA (AAA) Stable | IND AAA/ Stable | | | |
| 20 | INE476A08183 | BASEL III TIER I Series II | 2,000.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | | IND AA+/ Stable | | | |
| 21 | INE476A08191 | LTB Series I 2023 | 5,000.00 | 27-Sep-33 | | | IND AAA/ Stable | CARE AAA/ Stable | | |
| 22 | INE476A08209 | LTB Series II 2023 | 5,000.00 | 29-Nov-33 | | | IND AAA/ Stable | CARE AAA/ Stable | | |
| 23 | INE476A08217 | BASEL III AT I 2023-24 Series I | 1,403.00 | Perpetual | CRISIL AA+/ Stable | ICRA (AA+) Stable | | | | |
| 24 | INE476A08225 | BASEL III AT I 2023-24 Series II | 2,000.00 | Perpetual | | | | | CRISIL AA+/ Stable | ICRA (AA+) Stable |
| Total | | | 41,639.10 | | | | | | | |
| Certificate of Deposit | | | 60,000.00 | | CRISIL A1+ | | | | | |

(ii) बैंक द्वारा जारी बांड के लिए ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

| बांड ट्रस्टी का नाम | पता | आईएसआईएन संख्या |
|---------------------------------|---|---|
| एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड | एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड द रूबी, दूसरी मंजिल, एसडब्ल्यू, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई-400 028 दूरभाष संख्या: 022-62300451 फैक्स संख्या: 022-6230 0700 वेबसाइट: www.axisttrustee.com ईमेल: rahul.vaishya@axisttrustee.in | For ISIN INE476A08175 & INE476A08142 |
| कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड | 901, 9वीं मंजिल, टॉवर बी, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (डब्ल्यू), मुंबई - 400 013 दूरभाष: 022 49220555 ईमेल: dt@ctltrustee.com वेबसाइट: www.catalysttrustee.com | For ISIN INE476A08191 INE476A08209 INE476A08217 INE476A08225 |
| एसबीआईकेप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड | कॉर्पोरेट ऑफिस, एपीजे हाउस 6वीं मंजिल, 3 दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020, दूरभाष संख्या: 022-43025555,5566 फैक्स: 022-22040465 ईमेल: helpdesk@sbicaptrustee.com | All the other ISIN except INE476A08175 INE476A08142 INE476A08191 INE476A08209 INE476A08217 & INE476A08225 |

(ii) The Details of the Trustee for Bonds issued by Bank are as under:

| Name of the Bond Trustee | Address | ISIN Numbers |
|--------------------------------|---|---|
| Axis Trustee Services Limited | Axis Trustee Services Limited The Ruby, 2nd Floor, SW, 29, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai-400 028 Tel: 022-62300451 Fax No.: 022-6230 0700 Website: www.axistrustee.com E-mail: rahul.vaishya@axistrustee.in | For ISIN INE476A08175 & INE476A08142 |
| Catalyst Trusteeship Limited | 901, 9th Floor, Tower B, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400013 Tel: 022-49220555 E-mail: dt@ctltrustee.com Website: www.catalysttrustee.com | For ISIN INE476A08191 INE476A08209 INE476A08217 INE476A08225 |
| SBICAP Trustee Company Limited | Corporate Office, Apeejay House 6th Floor, 3, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400 020, Tel: 022-43025555, 5566 Fax: 022-22040465 E-mail: helpdesk@sbicaptrustee.com | All the other ISIN except INE476A08175 INE476A08142 INE476A08191 INE476A08209 INE476A08217 & INE476A08225 |

आर. पिछली आम बैठक के बाद से महत्वपूर्ण विकास:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा 2क के अनुसरण में, केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से केनरा बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के उप प्रभाग/विभाजन को मंजूरी दी है, जैसे कि 1 (एक) इक्विटी शेयर जिनका अंकित मूल्य 10/- रुपये (दस रुपये मात्र), पूर्णतः प्रदत्त, प्रति शेयर है, को 5 (पांच) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजित किया जाएगा, जिनका अंकित मूल्य 2/- रुपये (दो रुपये मात्र), पूर्णतः प्रदत्त, प्रति शेयर है।

केनरा बैंक के निदेशक मंडल ने 19.04.2024 को अनुमोदित अनुपात के अनुसार उप-विभाजन / विभाजन पर इक्विटी शेयर जारी करने के लिए इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार, 15 मई 2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।

r. Significant Developments since last Annual General Meeting:

Pursuant to Sub-Section 2A of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors of Canara Bank with prior approval of the Reserve Bank of India approved the sub-division/ split of existing Equity Shares of Canara Bank, such that 1 (one) equity share having face value of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each, fully paid-up, will be sub-divided into 5 (Five) equity shares having face value of ₹ 2/- (Rupees Two only) each, fully paid-up.

The Board of Directors of Canara Bank on 19.04.2024 fixed Wednesday, 15th May, 2024 as Record date for determining entitlement of Equity Shareholders for issuing equity shares upon sub-division/split as per the approved ratio.

प्री और पोस्ट स्टॉक स्प्लिट: प्राधिकृत, जारी, सब्सक्राइड और प्रदत्त पूंजी:

| विवरण | इक्विटी शेयरों का प्री-स्प्लिट / सब डिवीजन | | | इक्विटी शेयरों का पोस्ट-स्प्लिट / सब डिवीजन | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------|
| | शेयरों की संख्या | अंकित मूल्य (₹ रुपये में) | कुल (₹ रुपये में) | शेयरों की संख्या | अंकित मूल्य (₹) | कुल (₹) |
| प्राधिकृत शेयर पूंजी | 300,00,00,000 | 10/- | 3000,00,00,000 | 1500,00,00,000 | 2/- | 3000,00,00,000 |
| जारी और सब्सक्राइड की गई पूंजी | 181,41,30,252 | 10/- | 1814,13,02,520 | 907,06,51,260 | 2/- | 1814,13,02,520 |
| प्रदत्त पूंजी | 181,41,30,252 | 10/- | 1814,13,02,520 | 907,06,51,260 | 2/- | 1814,13,02,520 |

Pre and Post Stock Split: Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Capital:

| Particulars | Pre-Split/Sub Division of Equity Shares | | | Post-Split/Sub Division of Equity Shares | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----------------|--|----------------------|-----------------|
| | No. of Shares | Face Value (in ₹) | Total (in ₹) | No. of Shares | Face Value (in ₹) | Total (in ₹) |
| Authorized Share Capital | 300,00,00,000 | 10/- | 3000,00,00,000 | 1500,00,00,000 | 2/- | 3000,00,00,000 |
| Issued and Subscribed Capital | 181,41,30,252 | 10/- | 1814,13,02,520 | 907,06,51,260 | 2/- | 1814,13,02,520 |
| Paid-up Capital | 181,41,30,252 | 10/- | 1814,13,02,520 | 907,06,51,260 | 2/- | 1814,13,02,520 |

10) अन्य प्रकटीकरण:

- ए) बैंक के संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन 31.03.2024 को बैलेंस शीट की अनुसूची 18 पर नोट्स में किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ है।
- बी) बैंक ने शेयरों की लिस्टिंग के बाद से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का अनुपालन किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या बाध्यता नहीं लगाई गई है।
- सी) बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार एक व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की है और व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, किसी भी कार्मिक को बैंक की लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- डी) अनिवार्य आवश्यकताएं: बैंक ने विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। आरबीआई/वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवरण 31.03.2024 को बैलेंस शीट की अनुसूची 18 के खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है।
- विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा इस रिपोर्ट के बिंदु संख्या 12 में विस्तृत है।
- ई) 'अंतर्वस्तु' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति को बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम देखा जा सकता है: "<https://canarabank.com/pages/Policies>" 31.03.2024 तक बैंक की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।
- एफ) संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति को बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक के माध्यम देखा जा सकता है: "<https://canarabank.com/pages/Policies>"
- जी) कमोडिटी मूल्य जोखिमों और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण: विदेशी मुद्रा और अन्य बाजार संबंधी जोखिम के अधीन।
- एच) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 32 (7क) के तहत निर्दिष्ट तरजीही आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं

10) Other Disclosures:

- a) The Related Party Transactions of the Bank are disclosed in the notes on accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2024. Further, there are no materially significant related party transactions during the financial year 2023-24.
- b) The Bank has complied with all matters related to capital market since its listing of shares. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities on any matter related to capital Markets, during the last three years.
- c) The Bank has drawn a Whistle Blower Policy as per the GOI guidelines and the protection has been extended to the Whistle Blower(s). Further, no personnel have been denied access to the Audit Committee of the Bank.
- d) Mandatory Requirements: The Bank has complied with all the mandatory requirements prescribed by Regulatory Authorities. The details of penalties levied by RBI/Statutory authorities have been disclosed in the notes to accounts schedule 18 of the Balance Sheet as on 31.03.2024.
- The extent of implementation of Discretionary Requirements are detailed in point No. 12 of this report.
- e) The policy for determining 'material' subsidiaries can be viewed in the Bank's Website at the following Link: "<https://canarabank.com/pages/Policies>" There are no material subsidiaries of the bank as on 31.03.2024.
- f) The policy on dealing with related party transactions can be viewed in the Bank's Website at the following Link: "<https://canarabank.com/pages/Policies>"
- g) Disclosure of Commodity price risks and commodity hedging activities: Subject to Foreign Exchange and other market related Risk.
- h) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) of SEBI (LODR) Regulations, 2015: Not Applicable for FY 2023-24.

आय) एसीएस एस केदारनाथ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एफसीएस नंबर 3031 और सीओपी नंबर 4422) ने प्रमाणित किया है कि 31.03.2024 तक बैंक के बोर्ड (सेबी) के किसी भी निदेशक को बोर्ड या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या बने रहने से रोका या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

जे) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अनिवार्य रूप से आवश्यक सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की गई कुल शुल्क (समेकित) का विवरण:

के) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य खर्च - 72.73 करोड़ रुपये।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भुगतान और प्रावधानित कुल व्यावसायिक शुल्क और अन्य संबंधित खर्च - 81.00 करोड़ रुपये।

एल) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

- वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - 18
- वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - 15
- वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - 03

11) बैंक द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के उप-पैरा सी के उप-पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट की आवश्यकता का अनुपालन कर रहा है।

i) ACS S Kedarnath, Practicing Company Secretary (FCS No. 3031 & COP No. 4422) has certified that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as the Directors of Canara Bank, by the Board (SEBI) or any such statutory authority as on 31.03.2024. The said Certificate is provided after the APPENDIX A to the report.

j) During the FY 2023-24, there were no such instances, where the board did not accept recommendations of the Committee of the Board which is mandatorily required. All the recommendations that are mandatorily required were approved by the Board.

k) Details of total fees (consolidated) paid to Statutory Auditors:

Total Professional Fee and other expenses paid to statutory Auditors for the Financial Year 2022-23: ₹72.73 Crore.

Total Professional Fee and other related expenses paid and made provision for Financial Year 2023-24: ₹81.00 Crore.

l) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

- Number of complaints filed during the financial year - 18
- Number of complaints disposed of during the financial year - 15
- Number of complaints pending at the end of the financial year - 03

11. Bank is in compliance of requirement of corporate governance report of Sub-paras (2) to (10) of Sub-Para C of Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

12. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(1) की विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | विवेकाधीन आवश्यकताएं | कार्यान्वयन की स्थिति |
|----------|---|---|
| ए) | बोर्ड: एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखने का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दे सकता है। | बैंक ने इसे लागू भी कर दिया है |
| बी) | शेयरधारक के अधिकार | बैंक ने वर्ष के दौरान किए गए उल्लेखनीय गतिविधियों से संबंधित सार संक्षेप सहित वार्षिक वित्तीय परिणाम सारे शेयरधारकों को भेजा है। वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर भी अद्यतन किए जाते हैं। |
| सी) | लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय | वर्ष 2023-24 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट असंशोधित विकल्प के साथ प्रस्तुत की गई है। बैंक की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता नहीं है। |
| डी) | अध्यक्ष और सीईओ का अलग पद | भारत सरकार ने चेयरपर्सन और एमडी और सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्ति को नामित/नियुक्त किया है। गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, श्री विजय श्रीरंगन को 07.11.2022 से बैंक के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित "रिश्तेदार" शब्द की परिभाषा के अनुसार चेयरपर्सन प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संबंधित नहीं है। |
| ई) | आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग | आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) और उनके द्वारा नामित अधिकारियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति तक पूर्ण और निःशुल्क पहुंच प्राप्त है। |

12. The extent of implementation of Discretionary Requirements of Regulation 27(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is as under:

| Sl. No. | Discretionary Requirements | Status of Implementation |
|---------|--|---|
| A | The Board: A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. | The Bank has implemented the same. |
| B | Shareholder Rights | The Bank has sent Annual Financial Results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. The Quarterly/ Half Yearly/ Annual Financial Results are updated on the website of the bank. |
| C | Modified opinion(s) in audit report | The Audit Report for the year 2023-24 is submitted with UNMODIFIED OPINION. There is no qualification in Auditor's report of the Bank. |
| D | Separate Post of Chairman and CEO | The Government of India has nominated / appointed separate person to the post of Chairperson and MD & CEO. The Non-Executive Chairman, Mr. Vijay Srirangan has been appointed on the Board of the Bank w.e.f. 07.11.2022. The chairperson is not related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013 |
| E | Reporting of Internal Auditor | The Head of Internal Audit (HIA) and the officials nominated by him, have full and free access to the Audit Committee of the Board. |

13) बैंक सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

14) अन्य घोषणाएँ / अनुपालन / प्रकटीकरण:

ए. बैंक ने 2002-03 में आईपीओ लाया और निवेशकों को भौतिक मोड और डीमैट मोड दोनों के तहत 10/- रुपये अंकित मूल्य के 41 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के आइटम एफ के अनुसार, भौतिक शेयरों के संबंध में बैंक के दावा न किए गए शेयरों को जारीकर्ता द्वारा डिपॉजिटरी प्रतिभागियों में से एक के साथ खोले गए डीमैट सस्पेंस खाते में जमा किया जाएगा। विवरण इस प्रकार है: (इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक फ्रोजन रहेंगे जब तक ऐसे शेयरों का असली मालिक शेयरों का दावा नहीं करता।

| खाते का नाम | डीपीआईडी / क्लाइंट आईडी | शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष की शुरुआत में सस्पेंस खाते में बकाया शेयर; | वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए सूचीबद्ध इकाई से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या; | उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयर हस्तांतरित किए गए; | वर्ष के अंत में सस्पेंस खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर; |
|--|-------------------------|---|--|---|--|
| केनरा बैंक – बेदावा सस्पेंस अकाउंट शेयर | 301356 / 20552606 | 223-10351 | NIL | NIL | 223-10351 |
| सिंडिकेट बैंक – बेदावा सस्पेंस खाता – भौतिक शेयर | 13050600 00006721 | 526-14523 | NIL | NIL | 526-14523 |
| सिंडिकेट बैंक – बेदावा सस्पेंस खाता – डीमैट शेयर | 13050600 00006734 | 110- 3207 | NIL | NIL | 110-3207 |
| केनरा बैंक – बेदावा प्रतिभूतियाँ – सस्पेंस एस्करो खाता | 301356/ 21042631 | 12-1010 (Additions during the year: 69-10244) | 18-3335 | 18-3335 | 63-7919 |

13) Bank is in compliance with corporate governance requirements specified in regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 of SEBI (LODR) Regulations 2015.

14) Other Declarations / Compliance / Disclosures:

- a. The Bank went for IPO in 2002-03 and issued 41 Crore Equity Shares of face value of ₹10/- to the investors both under Physical mode and Demat mode.

In terms of Item F of Schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Unclaimed shares of the Bank in respect of Physical shares shall be credited to a demat suspense account opened by the issuer with one of the depository participants. The details are as under: (The Voting Rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.

| Name of the Account | DPID / Client ID | Aggregate Number of Shareholders and the Outstanding Shares in the Suspense Account lying at the Beginning of the Year; | Number of Shareholders who Approached Listed Entity for Transfer of Shares from Suspense Account during the Year; | Number of Shareholders to whom Shares were Transferred from Suspense Account during the Year; | Aggregate Number of Shareholders and the Outstanding Shares in the Suspense Account lying at the end of the Year; |
|--|-------------------|---|---|---|---|
| Canara Bank - Unclaimed Suspense A/c. Shares | 301356 / 20552606 | 223-10351 | NIL | NIL | 223-10351 |
| SyndicateBank - Unclaimed Suspense A/c. - Physical Shares | 13050600 00006721 | 526-14523 | NIL | NIL | 526-14523 |
| SyndicateBank - Unclaimed Suspense A/c. - Demat Shares | 13050600 00006734 | 110- 3207 | NIL | NIL | 110-3207 |
| Canara Bank - Unclaimed Securities - Suspense Escrow Account | 301356/ 21042631 | 12-1010 (Additions during the year: 69-10244) | 18-3335 | 18-3335 | 63-7919 |

बी. हमारे बैंक के संबंध में निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति / अन्य समितियों का गठन, निदेशकों का पारिश्रमिक, बोर्ड प्रक्रियाएं / संबंधित पार्टी लेनदेन / व्हिसल ब्लोअर/ प्रबंधन और अनुपालन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों तथा इस संबंध में आरबीआई के निर्देश / भारत सरकार के दिशानिर्देश / सेबी और आईसीएआई-लेखा मानकों के तहत अभिशासित होता है।

सी. सीईओ और जीसीएफओ प्रमाणन: बैंक के एमडी और सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग और आंतरिक नियंत्रण पर प्रमाणन दिया है।

डी. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों से अनुपालन प्रमाणपत्र इसके साथ परिशिष्ट बी में संलग्न है

ई. आचार संहिता

बैंक ने 'आचार संहिता' को अपनाया है जो बैंक और उसके कर्मचारियों पर लागू होता है, जिसमें प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशक और गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र / शेरधारक निदेशक / सरकार नामित / आरबीआई नामित शामिल हैं। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट [https://canarabank.com/disclosure-under-regulation-46-and-62-of-sebi-\(lodr\)-regulations-2015](https://canarabank.com/disclosure-under-regulation-46-and-62-of-sebi-(lodr)-regulations-2015) पर पोस्ट की गई है।

एफ. लाभांश वितरण नीति

बैंक के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियमन के 43 के तहत एक लाभांश वितरण नीति है, जो अपने शेरधारकों को लाभांश के वितरण का निर्धारण करने में बोर्ड द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करता है। पॉलिसी इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है और बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर लिंक: <https://canarabank.com/pages/Policies> पर भी उपलब्ध है:

b. The Constitution of Board of Directors, Audit Committee / other Committees, Remuneration of Directors, Board Procedures / Related Party Transactions / Whistle Blower / Management and compliance in respect of our Bank are governed under the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and RBI Directives / GOI Guidelines / SEBI and ICAI-Accounting Standards in this regard.

c. CEO and GCFO Certification: The MD & CEO and the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2023-24 to the Board of Directors as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

d. Compliance certificate from the auditors regarding compliance of conditions of corporate governance is annexed here with in the appendix B

e. Code of Conduct

The Bank has adopted the 'Code of Conduct' which is applicable to the Bank and its employees, including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors and also the Non-Executive/ Independent/ Shareholder Director/ Govt. Nominee/ RBI Nominee. The Code of conduct is posted on the Company's website at [https://canarabank.com/disclosure-under-regulation-46-and-62-of-sebi-\(lodr\)-regulations-2015](https://canarabank.com/disclosure-under-regulation-46-and-62-of-sebi-(lodr)-regulations-2015)

f. Dividend Distribution Policy

As required under Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has a dividend distribution policy in place which sets out the parameters and circumstances that will be taken into account by Board in determining distribution of dividend to its shareholders. The policy is given in this Annual Report and is also available at Bank's website www.canarabank.com at the link: <https://canarabank.com/pages/Policies>

जी. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडीएल/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के विनियम 24ए की आवश्यकताओं के अनुसार, बैंक ने श्री एस केदारनाथ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नंबर 4422) को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। बैंक के सदस्यों को संबोधित रिपोर्ट जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

g. Secretarial Audit for Financial Year 2023-24:

Pursuant to the requirements of Regulation 24A of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 & SEBI Circular CIR/CFD/CMDI/27/2019 dated February 08, 2019, the Bank has appointed Mr. S. Kedarnath, Practicing Company Secretary (CP No. 4422) as the Secretarial Auditor for FY 2023-24. The report addressed to the members of the Bank which forms part of this Annual Report is attached as an annexure to the Board's report.

परिशिष्ट ए

सेबी [(सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियमन, 2018 - अनुसूची V (सी)(10)(i)] के अनुसार निदेशकों की अपात्रता का प्रकटन संबंधी प्रमाण पत्र

केनरा बैंक (इसके बाद 'बैंक' नाम से संदर्भित किया जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणियाँ और प्रकटन को, जिसमें सीआईएन (लागू नहीं) है और जिसका पंजीकृत कार्यालय / प्रधान कार्यालय 112, जे सी रोड, टाउन हॉल, बेंगलूरु, कर्नाटक -560002 में है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची ७ पैरा-सी उप खंड 10(त) के अनुसार, इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसकी मैंने जांच की है।

मेरे अभिमत में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी / बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रस्तुत स्पष्टीकरणों और यथा निर्धारित आवश्यक [निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) सहित] सत्यापन के अनुसार, मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के निम्नलिखित निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से अपात्र घोषित नहीं किया गया है।

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | डीआईएन | नियुक्ति की तारीख |
|----------|-----------------------------|--|-----------|-------------------|
| 1 | श्री विजय श्रीरंगन | गैर-कार्यकारी अध्यक्ष - स्वतंत्र निदेशक | 01813891 | 07 नवंबर 2022 |
| 2 | श्री के सत्यनारायण राजु | प्रबंध निदेशक व मु.का.अ. | 08607009 | 10 मार्च 2021 |
| 3 | श्री देवाशीष मुखर्जी | कार्यपालक निदेशक | 08193978 | 19 फरवरी 2018 |
| 4 | श्री अशोक चंद्र | कार्यपालक निदेशक | 09646943 | 21 नवंबर 2022 |
| 5 | श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | कार्यपालक निदेशक | 09322823 | 07 फरवरी 2023 |
| 6 | श्री भवेन्द्र कुमार | कार्यपालक निदेशक | 09690464 | 09 अक्टूबर 2023 |
| 7 | श्री प्रशांत कुमार गोयल | भारत सरकार- नामित निदेशक | 01873568 | 25 अक्टूबर 2023 |
| 8 | श्री आर केशवन | भा.रि.बैं. - नामित निदेशक | लागू नहीं | 26 अप्रैल 2019 |
| 9 | सुश्री नलिनी पद्मनाभन | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक - स्वतंत्र निदेशक | 01565909 | 21 दिसंबर 2021 |
| 10 | श्री दिबाकर प्रसाद हरिचन्दन | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक - स्वतंत्र निदेशक | 02533662 | 21 मार्च 2022 |
| 11 | श्री बिमल प्रसाद शर्मा | शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक | 06370282 | 27 जुलाई 2019 |
| 12 | श्री करुणाकर शेट्टी | शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक | 08994933 | 30 नवंबर 2021 |
| 13 | सुश्री आभा सिंह यदुवंशी | शेयरधारक निदेशक - स्वतंत्र निदेशक | 09608526 | 27 जुलाई 2022 |

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्वयंभू केदारनाथ

M. No.: F3031 | CoP No.: 4422

ICSI FRN: S2010KR128100

ICSI PRN: 1437/2021

ICSI UDIN: F003031F000263566

दिनांक : 29 अप्रैल, 2024

स्थान : बेंगलूरु

Appendix A
CERTIFICATE REGARDING DISCLOSURES PERTAINING TO DISQUALIFICATION OF
DIRECTORS PURSUANT TO SEBI [(LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2018 - SCHEDULE V(C)(10)(I)]

I, Swayambhu Kedarnath have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Canara Bank having PAN AAACC6106G and having Registered Office at 112, J C Road, Town Hall, Bengaluru-560002, Karnataka. (hereinafter referred to as “the Bank”), produced before me by the Bank for the purpose of issuing this certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In my opinion and to the best of my information and according to the verifications [including Directors Identification Number (DIN)] as considered necessary and explanations furnished to me by the Bank & its officers, I hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other statutory authority.

| Sl. No. | Name | Designation | DIN | Date of Appointment |
|---------|----------------------------------|--|----------|---------------------|
| 1 | Shri. Vijay Srirangan | Non-Executive Chairman - Independent Director | 01813891 | November 07, 2022 |
| 2 | Shri. K Satyanarayana Raju | MD & CEO | 08607009 | March 10, 2021 |
| 3 | Shri. Debashish Mukherjee | Executive Director | 08193978 | February 19, 2018 |
| 4 | Shri. Ashok Chandra | Executive Director | 09322823 | November 21, 2022 |
| 5 | Shri. Hardeep Singh Ahluwalia | Executive Director | 09690464 | February 07, 2023 |
| 6 | Shri. Bhavendra Kumar | Executive Director | 10401479 | October 09, 2023 |
| 7 | Shri. Parshant Kumar Goyal | GOI - Nominee Director | 08652921 | October 25, 2023 |
| 8 | Shri. R Kesavan | RBI - Nominee Director | NA | April 26, 2019 |
| 9 | Ms. Nalini Padmanabhan | Part-time Non-Official Director - Independent Director | 01565909 | December 21, 2021 |
| 10 | Shri. Dibakar Prasad Harichandan | Part-time Non-Official Director - Independent Director | 02533662 | March 21, 2022 |
| 11 | Shri. Bimal Prasad Sharma | Shareholder Director - Independent Director | 06370282 | July 27, 2019 |
| 12 | Shri. Karunakara Shetty | Shareholder Director - Independent Director | 08994933 | November 30, 2021 |
| 13 | Ms. Abha Singh Yaduvanshi | Shareholder Director - Independent Director | 09608526 | July 27, 2022 |

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

Date : April 29, 2024
Place : Bengaluru

S Kedarnath
M. No.: F3031 | CoP No.: 4422
ICSI FRN: S2010KR128100
ICSI PRN: 1437/2021
ICSI UDIN: F003031F000263566

अनुबंध II - निदेशकों द्वारा घोषणा

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्र.का. बेंगलूरु

विषय: आचार संहिता - पुष्टि प्रमाण पत्र

एतद्वारा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के निदेशकों पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की जाती है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ANNEXURE II - DECLARATION BY THE DIRECTORS

To,
The Board of Directors
Canara Bank
HO: Bengaluru

Sub: CERTIFICATE OF AFFIRMATION - CODE OF CONDUCT

This is to affirm compliance with the Code of Conduct as applicable to Directors of the Bank for the year ended 31.03.2024.

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024



K. Satyanarayana Raju
Managing Director & CEO

परिशिष्ट बी

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए केनरा बैंक ("बैंक") द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की संवीक्षा की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (i) और (टी) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची ळ के पैराग्राफ सी, डी और ई ("लिस्टिंग विनियमन") में निर्धारित है, जैसा कि वर्ष के दौरान लागू है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। "इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी "कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रमाणन पर दिशानिर्देश नोट" के अनुसार की गई हमारी संवीक्षा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी संवीक्षा के आधार पर और हमारे अभिमत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सभी भौतिक पहलुओं में कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि ऊपर उल्लिखित सेबी विनियमों में निर्धारित किया गया है, इस हद तक कि ये 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 का खंडन नहीं करते हैं।

इसके अतिरिक्त हम यह भी उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है। इस प्रमाणपत्र को बैंक के सदस्यों को केवल इस उद्देश्य के लिए संबोधित और प्रदान किया जाता है कि बैंक लिस्टिंग विनियमों का पालन करने में सक्षम हो, और

Appendix B

INDEPENDENT AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE REQUIREMENTS UNDER SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AS AMENDED.

To,

The Members of Canara Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Canara Bank ("the Bank") for the year ended on March 31, 2024, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) and (t) of Regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), as applicable during the year.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination, as carried out in accordance with the "Guidance Note on Certification of Corporate Governance" issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the "ICAI"), was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on our examination of the relevant records and in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has in all material aspects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned SEBI Regulations to the extent these do not contradict the Banking Regulation Act, 1949 and Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for the year ended March 31, 2024.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

This certificate is addressed and provided to the members of the Bank solely for the purpose to enable the Bank to



इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिसे यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है या जिसके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है, किसी भी दायित्व या देखभाल के कर्तव्य को स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

comply with the Listing Regulations, and it should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or duty of care for any other purpose or to any other person to whom this certificate is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

कृते पी.ए. एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN 313085E

For P.A. & Associates
Chartered Accountants
FRN 313085E

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

(सीए दिनेश अग्रवाल)
Partner
सदस्यता संख्या: 055955

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

(CA Dinesh Agrawal)
Partner
Mem. No.055955



केनरा बैंक का तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2023-2024



**BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2023-2024**

निष्पक्ष लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

केनरा बैंक के सदस्य,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने केनरा बैंक ('द बैंक') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और वर्ष के लिए निधि प्रवाह का विवरण शामिल है, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी ('स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण') के सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं:

- प्रधान कार्यालय, 20 शाखाएँ, 1 एकीकृत ट्रेजरी विभाग हमारे द्वारा लेखापरीक्षित।
- सांविधिक लेखा - परीक्षकों द्वारा 2672 देशी शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया।
- संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा 4 विदेशी शाखाओं का लेखा परीक्षण किया गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र में शामिल, लाभ व हानि लेखा और निधि प्रवाह का विवरण में 6912 देशी शाखाओं के रिटर्न भी हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 26.85% अग्रिम, 51.90% जमा, 29.08% ब्याज आय और 49.74% ब्याज व्यय हैं।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंक के लिए अपेक्षित तरीके से देते हैं और लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और आम तौर पर भारत में स्वीकार किया जाता है और:

- तुलन-पत्र, उस पर नोट्स के साथ पढ़ा गया एक पूर्ण और उचित तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल

Independent Auditors' Report

To

The Members of Canara Bank,

Report on Audit of the Standalone Financial Statements.

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Canara Bank ('the Bank'), which comprises of the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Standalone Financial Statement') in which are included the returns for the year ended on that date of:

- The Head Office, 20 Branches, 1 Integrated Treasury Wing audited by us.
- 2672 domestic branches audited by statutory branch auditors.
- 4 Foreign branches audited by respective local auditors.

The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Statement of Cash Flows are the returns from 6912 domestic branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 26.85% of advances, 51.90% of deposits, 29.08% of interest income and 49.74% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and:

- the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the

हैं, जो ठीक से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2024 तक बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित किया जा सके;

बी) लाभ व हानि लेखा, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है तो, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही संतुलन दर्शाता है; और

सी) निधि प्रवाह का विवरण उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निधि प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देता है।

राय के लिए आधार

3. हमने अपना ऑडिट, इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (“आईसीएआई”) द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ नैतिक आवश्यकताओं के साथ बैंक से स्वतंत्र हैं, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें लेखा मानक भी शामिल हैं। आईसीएआई, और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले:

4. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के लिए नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है:

necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2024;

b) the Profit and Loss Account, read with notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended as on that date; and

c) the statement of Cash Flows gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (“ICAI”). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the standalone financial statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements, prepared in accordance with the Accounting Principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by the ICAI, and the provisions of the Section 29 of Banking Regulations Act, 1949 and circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters:

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

| क्र. सं. | मुख्य लेखापरीक्षा मामला | मुख्य लेखापरीक्षा मामले पर प्रतिक्रिया |
|----------|---|--|
| 1 | <p>आय निर्धारण, संपत्ति वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता।</p> <p>अग्रिम बैंक की संपत्ति का सबसे बड़ा वर्ग है। वर्गीकरण, आय की पहचान और उस पर प्रावधान करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप है। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) के साथ-साथ अन्य संबद्ध आईटी प्रणालियों के साथ-साथ विभिन्न अनुमानों, संबंधित विवेकपूर्ण निर्णयों पर निर्भर करता है। उधारकर्ताओं के कार्यनिष्पादन, प्रतिभूति मूल्य का निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, आय की पहचान और उस पर प्रावधान के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं सहित मैनुअल हस्तक्षेप करता है।</p> | <p>प्रधान लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं:</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा शेष राशि की भौतिकता पर विचार करते हुए आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी। हमने गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का मूल्यांकन किया। हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुमोदन, प्रलेखन, संवितरण, अग्रिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का आकलन करना। • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित और संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा। • गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और प्रावधान करने में उपयोग की जाने वाली प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा। • एनपीए की पहचान और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन के अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया। |

| Sl. No. | Key Audit Matter | Response to Key Audit Matter |
|---------|---|--|
| 1 | <p>Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon .</p> <p>Advances constitute the largest class of assets of the bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India. The management of the bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts & professionals for asset classification, Income recognition and provisioning thereon.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances considering the materiality of the balances.</p> <p>We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets.</p> <p>Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assessing the Controls with respect to approval, documentation, disbursement, monitoring of advances. • Review of the CBS and other related & allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India. • Evaluation of the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis. |

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • मैनुअल हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की, जहां भी यह हमारे ज्ञान में आया है, परीक्षण जांच के आधार पर। • गैर-निष्पादित संपत्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए और दअ-600 के अनुरूप समग्र अनुपालन के लिए हमारे द्वारा ऑडिट नहीं की गई शाखाओं के मामले में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (दऑअ) की रिपोर्ट / रिटर्न / निर्णय पर भरोसा किया • गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और प्रावधान के अनुसार नमूना जांच की गई समय-समय पर जारी आरबीआई के दिशा-निर्देशों के साथ और तनावग्रस्त खातों की पहचान के लिए तंत्र भी उपलब्ध है। • विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकक, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने दअ-620 के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में बैंक को सेवाएं प्रदान की हैं। • आंतरिक ऑडिट/निरीक्षण रिपोर्ट/समवर्ती ऑडिट रिपोर्ट, जहां भी उपलब्ध हो, की समीक्षा की। | <ul style="list-style-type: none"> • Relied on the reports / returns/ judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance in conformity with SA-600 • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts • Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the bank in various capacities in conformity with SA-620. • Reviewed the internal audit/inspection reports/ Concurrent audit reports, wherever available. |
|--|---|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>2 निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और प्रावधान</p> <p>निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरों जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का संग्रह, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल है।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमारा ऑडिट मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास पर केंद्रित था।</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने निवेश से संबंधित एनपीआई/मूल्यहास की पहचान करने और प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली को समझा और उसका मूल्यांकन किया। हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और मूल्यांकन किया। मौजूदा निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए अंकगणितीय सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित महत्वपूर्ण परीक्षण किए। | <p>2 Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments:</p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>Our audit was focused on valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/depreciation related to Investments.</p> <ul style="list-style-type: none"> We understood and evaluated the Bank's system in place to identify and provide for NPI/depreciation related to investments. We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of security. We carried out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system to recompute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI |
|--|---|--|--|



| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>3 वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले माइग्रेशन (फ्लेक्स क्यूब – ओरेकल आधारित) सहित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम।</p> <p>बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी सिस्टम पर निर्भर हैं जो दैनिक आधार पर संसाधित की जाती हैं और इसलिए, एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और अन्य संबद्ध प्रणालियों पर निर्भर होती है।</p> <p>हम आय की पहचान, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप अग्रिमों का प्रावधान, ऐसे अन्य खातों के साथ-साथ विभिन्न सस्पेंस और विविध खातों का समाधान और एजिंग, निवेश लेनदेन की रिकॉर्डिंग के संबंध में सीबीएस और अन्य संबद्ध प्रणालियों के सुसंगत और सटीक कामकाज पर निर्भर रहे हैं।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमने मूल्यांकन क्रिया और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक सीबीएस, आईबीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है।</p> <p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार था:</p> <ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें आवेदन, अभिगम नियंत्रण शामिल हैं जो नमूना जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए स्वचालित कुंजी और कारोबार चक्र नियंत्रण और लॉजिक का परीक्षण किया। | <p>3 Key Information Technology (IT) systems used in financial reporting process.</p> <p>The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems.</p> <p>We have relied upon the consistent and accurate functioning of CBS & other allied systems with respect to Income Recognition, Classification of Assets and provisioning of advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation & ageing of various suspense and sundry accounts along with such other accounts, recording investment transactions.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, BSPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting.</p> <p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis. |
|---|--|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>4. आस्थगित कर परिसंपत्ति</p> <p>31 मार्च 2024 तक बैंक ने ₹5707.51 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति की पहचान की है। आस्थगित कर संपत्ति का अनुमान, पहचान और माप आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22 के अनुरूप भविष्य में मुनाफे की उपलब्धता के बारे में निर्णय और कई अनुमानों पर आधारित है। इसे केवल इस सीमा तक आगे बढ़ाया गया है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • एएस-22-आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा। • लाभ की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया जिसके विरुद्ध बैंक भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>4. Deferred Tax Asset</p> <p>The bank has recognized a net deferred tax asset of ₹5707.51 Crores as on March 31, 2024. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the judgement and numerous estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. It has been carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS-22- Accounting for Taxes on Income. • Assessed the probability of the availability and certainty of profits against which the bank will be able to use the Deferred Tax Asset in future. |
|--|--|

| | | |
|---|---|--|
| 5 | विभिन्न मुकदमों और आकस्मिक देयता | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>लेखापरीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित है:</p> <ul style="list-style-type: none"> कर मुकदमों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई। पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुण-दोष का मूल्यांकन और उस पर विशेषज्ञ की राय पर भरोसा। <p>लेखापरीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित है:</p> <p>कर मुकदमों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा।</p> <p>विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।</p> <p>पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुण-दोष का मूल्यांकन और उस पर विशेषज्ञ की राय पर भरोसा।</p> |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Various Litigations & Contingent Liability | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing</p> <ul style="list-style-type: none"> Reviewed the current status of the tax litigations and other contingent liabilities. Examined the communications received from various authorities and follow up actions thereon. Evaluated the merits of the subject matter under consideration with reference to the background and relied on the expert opinion thereon. <p>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations with respect to taxes and various other claims filed by other parties upon bank, not acknowledged as debts.</p> <p>The bank's assessment is supported by facts of matter, their own judgement, past experience and advises from independent experts, wherever necessary.</p> <p>Accordingly, unexpected adverse outcomes may impact the bank's profit and the balance sheet.</p> |
|---|---|---|

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी:

5. अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क (बेसल III डिस्कलोजर) के तहत पिलर III प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करने से पहले प्राप्त किया था। और निदेशकों की रिपोर्ट, प्रमुख वित्तीय संकेतक और श्रेयस्थान की जानकारी, जो हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the financial statements and our auditors' report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to issuance of this Auditors' Report and the Directors' Report, Key Financial Indicators and Shareholder's Information, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व यह है कि पहचान की गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या प्राप्त जानकारी के अनुसार है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, इस लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख से पहले हमें प्राप्त अन्य सूचनाओं पर किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी है, तो हमें इस मामले को उन लोगों के साथ उठाने की आवश्यकता है जो जिन पर प्रशासन का प्रभार है और आरोप लगाया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी की जिम्मेदारियां:

6. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य दर्शाते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन चालू संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to Those Charged with Governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements:

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as

चल रहे प्रतिष्ठान के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां:

- लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो का उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्या विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि वैधानिक लेखापरीक्षा पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता चलेगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

वैधानिक लेखापरीक्षा के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

ए) वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

बी) परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें।

applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements:

- Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.

सी) उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

डी) लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

ई) प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें तथा देखें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों को (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, प्रशासन से संबंधित को सूचित भी करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो प्रशासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी

c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

d) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other

स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

प्रशासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों के अपेक्षित परिणाम से भी घातक होंगे।

अन्य मामला:

8. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2672 देशी शाखाओं और 4 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2024 तक कुल 4,11,083.76 करोड़ रुपये के अग्रिम दर्शाती हैं और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 37,281.09 करोड़ रुपये था, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। ये शाखाएं और प्रसंस्करण केंद्र 39.95% अग्रिम, 44.80% जमा, 45.60% गैर-निष्पादित संपत्ति और 40.43% राजस्व को कवर करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी की लेखापरीक्षा बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल इस पर आधारित है ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

9. तुलन-पत्र और लाभ व हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;
10. उपर्युक्त पैराग्राफों में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और जैसा कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा आवश्यक है, और उसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन भी, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter:

8. We did not audit the financial statements / information of 2672 domestic branches and 4 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of ₹4,11,083.76 crores as at March 31, 2024 and total revenue of ₹37,281.09 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and processing centres cover 39.95% of advances, 44.80% of deposits, 45.60% of non-performing assets and 40.43% of revenue. The financial statements / information of these branches has been audited by the Bank's Statutory Branch Auditors whose reports have been furnished to us and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the reports of such Branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;
10. Subject to the limitations of the audit indicated in above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

- ए) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;
- बी) बैंक के लेन-देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; और
- सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
11. जैसा कि आरबीआई के पत्र संख्या डॉस.एआरजी द्वारा आवश्यक है। सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों" पर, 19 मई के बाद के संसूचना के साथ पढ़ें। 2020 आरबीआई द्वारा जारी, हम आगे उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
- ए) हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के साथ असंगत नहीं हैं।
- बी) वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- सी) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।
- डी) लेखा के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- ई) आरबीआई के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र OS.ARG. No.6270/08.91.001/2019-20 (संशोधित) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में हमारी रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।
- a) We have sought and obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
- c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
11. As required by RBI Letter No. DOS.ARG. No. 6270/08.91.001 / 2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks - Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:
- a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.
- b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.
- c) On the basis of the written representations received from the directors as on March 31, 2024, none of the directors is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013.
- d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith.
- e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as required by the RBI Letter OS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's Internal Financial Controls over Financial Reporting as at March 31, 2024.

12. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि
- ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा बही रखी गई है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;
- बी) तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा और इस रिपोर्ट से निपटने वाले नकदी प्रवाह का विवरण लेखा बही के साथ और हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के साथ है;
- सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखाओं ने लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के लेखा की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित तरीके से कार्रवाई की गई है; और
- डी) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा और निधि प्रवाह का विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
13. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के संबंधित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट बैंक के पांच संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिनमें से दो पूर्ववर्ती ऑडिट फर्म थे और उन्होंने 8 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की थी।

12. We further report that:
- a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;
- b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;
- c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.
13. The corresponding standalone financial statements of the bank for the year ended March 31, 2023, were audited by five joint auditors of the bank, two of whom were predecessor audit firms, and they had expressed an unmodified opinion on standalone financial statements vide their report dated May 08, 2023.

कृते पीए और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(एस.एस.पोद्दार)
साझेदार

सदस्यता सं: 051113
यूडीआईएन:24051113BKHJJM7027

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण के अग्रवाल)
भागीदार

सदस्यता सं. 082899
यूडीआईएन:23082899BGXXGM3041

कृते सरथ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005120S

(वेगुंटा साई रूप कुमार)
साझेदार

सदस्यता सं: 213734
यूडीआईएन: 24213734BKCAKH1535

कृते के वेंकटाचलम अय्यर व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610S

(ए गोपालाकृष्णन)
साझेदार

सदस्यता सं: 018159
यूडीआईएन:24018159BKGFOFOD7176

रोडी दबिर एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म सं. : 108846W

(दिलीप रोडी)
साझेदार

सदस्य सं: 035810
यूडीआईएन:24035810BKHSQM4448

For P. A. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 313085E

(S.S.PODDAR)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 051113
UDIN:24051113BKHJJM7027

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 082899
UDIN: 24082899BKFQGV4359

For SARATH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 005120S

(VEGUNTA SAI ROOP KUMAR)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 213734
UDIN:24213734BKCAKH1535

For K VENKATACHALAM AIYER
& CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 018159
UDIN:24018159BKGFOFOD7176

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 035810
UDIN:24035810BKHSQM4448

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

(‘अन्य विधि और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’
शीर्षक के तहत उस तिथि की
हमारी रिपोर्ट अनुच्छेद 11 (ई) में संदर्भित)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट, पत्र डीओएस.एआरजी. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना")

हमने 31 मार्च, 2024 तक केनरा बैंक (बैंक) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है जिसके साथ उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ इसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों के पालन, उसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकथाम, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता व पूर्णता और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यकतानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को ससमय तैयार करने सहित उसके कारोबार के सुव्यवस्थित और कुशल परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शी टिप्पणी) पर आंतरिक

ANNEXURE "A"

TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

(Referred to in Paragraph 11(e) under 'Report on
Other Legal and Regulatory Requirements'
Section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Canara Bank ("the Bank") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's Internal Financial Controls Over Financial Reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial

वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी से अपेक्षित है कि हमने नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए गए थे या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों के प्रभावी ढंग से परिचालित किए गए थे या नहीं, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाई और उसको निष्पादित किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन की प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण दोष की उपस्थिति से जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के निर्माण और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और आकलन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अशुद्ध विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं तथा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी अयोग्य लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

- (1) उचित ब्यौरे, सटीकता और स्पष्टता से बैंक की आस्तियों के लेनदेन को दर्शाने संबंधी अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है,

Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the “ICAI”) and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained, and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditors’ judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our unqualified audit opinion on the Bank’s internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Bank’s internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank’s internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that:

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;



- (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सक्षम बनाने देने के लिए की लेन-देन को दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकृत अनुसार ही किए जा रहे हैं; और
- (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों पर अधिभावी अनुचित प्रबंधन या मिलीभगत की संभावना शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन होंगे कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या फिर नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन कम हो सकता है।

अभिमत

हमारे विचार से और हमारी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से परिचालित हो रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित हैं।

- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2024, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

हमारी उपरोक्त रिपोर्ट जहां तक 2792 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय आशोधन रहित है।

Other Matters

Our aforesaid report in so far as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2792 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

कृते पीए और एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(एस.एस. पोद्दार)
भागीदार

सदस्यता सं.: 051113

यूडीआईएन: 24051113BKHJJM7027

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 003917N

(अरुण के अग्रवाल)
भागीदार

सदस्यता सं.: 082899

यूडीआईएन: 24082899BKFQGV4359

For P. A. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 313085E

(S.S.PODDAR)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 051113

UDIN: 24051113BKHJJM7027

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 082899

UDIN: 24082899BKFQGV4359

कृते सरथ & एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005120S

(वेगुंटा साई रूप कुमार)
भागीदार

सदस्यता सं.: 213734

यूडीआईएन: 24213734BKCAKH1535

कृते के वैकटाचलम अय्यर & कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610S

(ए गोपालाकृष्णन)
भागीदार

सदस्यता सं.: 018159

यूडीआईएन: 24018159BKGFO7176

For SARATH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 005120S

(VEGUNTA SAI ROOP KUMAR)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 213734

UDIN: 24213734BKCAKH1535

For K VENKATACHALAM AIYER
& CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 018159

UDIN: 24018159BKGFO7176

कृते रोडी दबीर & कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 108846W

(दिलीप रोडी)
भागीदार

सदस्यता सं.: 035810

यूडीआईएन: 24035810BKHSMQ4448

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 035810

UDIN: 24035810BKHSMQ4448

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru

Date : 08.05.2024

असंशोधित अभिमत के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित अभिमत शामिल है।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Standalone Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2024 contains unmodified opinion.

एस के मजूमदार

मुमप्र व समूह मुख्य वित्तीय
अधिकारी

के सत्यनारायण राजु

प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Sarbanu Kumar Majumdar

S K MAJUMDAR
CGM & GROUP CHIEF
FINANCIAL OFFICER

K. Satyanarayana Raju

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

कृते पी ए एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(एस एस पोद्दार)
पार्टनर
सदस्यता सं : 051113

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं :082899

For P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 313085E

(S S PODDAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 051113

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:082899

कृते सरद एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 005120S

(वेगुंता साई रूप कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं :213734

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610S

(ए गोपालकृष्णन)
पार्टनर
सदस्यता सं: 018159

For SARATH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 005120S

(VEGUNTA SAI ROOP KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:213734

For K VENKATACHALAM AIYER
& CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

कृते रोडी डाबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846W

(दिलीप रोडी)
पार्टनर
सदस्यता सं:035810

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:035810

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय: सीईओ/सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर)
विनियमन, 2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

- क) हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और यह कि हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- (i) इन विवरणियों में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या परिचालन में कमियां यदि कोई हैं, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
- (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO: Bengaluru

Sub : CEO/CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

- a) We have reviewed Standalone financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2024 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
- (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and



(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम अवगत हुए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

एस के मजूमदार

एस के मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Sankar Kumar Majumdar

S K MAJUMDAR
CGM &
CHIEF FINANCIAL OFFICER

K. Satyanarayana Raju

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

तुलन-पत्र यथा दिनांक 31 मार्च 2024
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2024

| | अनुसूची Schedule | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES | | | |
| पूंजी / CAPITAL | 1 | 1814 13 03 | 1814 13 03 |
| आरक्षित निधियां और अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS | 2 | 85140 46 07 | 71793 04 97 |
| जमा / DEPOSITS | 3 | 1312366 61 27 | 1179218 60 67 |
| उधार / BORROWINGS | 4 | 57592 27 73 | 58089 78 91 |
| अन्य देयताएं व प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS | 5 | 34627 23 90 | 34816 67 17 |
| कुल / TOTAL | | 1491540 72 00 | 1345732 24 75 |
| आस्तियां / ASSETS | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | 6 | 71068 18 36 | 54988 44 54 |
| बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | 7 | 79691 53 86 | 86434 75 42 |
| निवेश / INVESTMENTS | 8 | 357454 42 15 | 319038 45 05 |
| अग्रिम / ADVANCES | 9 | 931612 83 31 | 830672 55 24 |
| अचल संपत्तियां / FIXED ASSETS | 10 | 12228 17 46 | 10230 67 06 |
| अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS | 11 | 39485 56 86 | 44367 37 44 |
| कुल / TOTAL | | 1491540 72 00 | 1345732 24 75 |
| आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES | 12 | 198350 47 58 | 289047 47 24 |
| वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION | | 24934 98 11 | 26066 87 49 |

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

दीपक कुमार जेना
मंडल प्रबंधक

दीपेश देवचंद देडिया
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल
उप महाप्रबंधक

एस के मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक व जीसीएफो

भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक
के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

हरदीप सिंह अहलूवालिया
कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

नलिनी पद्मानाभन
निदेशक

दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E

कृते अरुण के अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N

कृते सरथ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S

कृते के वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 004610S

कृते रोडी डाबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 108846W

(एस एस पोद्दार)
साझेदार
सदस्य सं.: 051113

(अरुण के अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं.: 082899

(वेगुंटा साई रूप कुमार)
साझेदार
सदस्य सं.: 213734

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्य सं.: 018159

(दिलीप रोडी)
साझेदार
सदस्य सं.: 035810

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

| | अनुसूची Schedule | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| I. आय / INCOME | | | |
| अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED | 13 | 108687 92 57 | 84424 78 22 |
| अन्य आय / OTHER INCOME | 14 | 18966 43 65 | 18762 20 26 |
| कुल / Total | | 127654 36 22 | 103186 98 48 |
| II. व्यय / EXPENDITURE | | | |
| व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED | 15 | 72121 98 87 | 52989 48 70 |
| परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES | 16 | 26119 79 61 | 22481 47 99 |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES | | 14858 25 82 | 17112 25 30 |
| कुल / Total | | 113100 04 30 | 92583 21 99 |
| III. अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) NET PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR | | 14554 31 92 | 10603 76 49 |
| IV. निम्नलिखित को अंतरित / TRANSFERS TO | | | |
| सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE | | 3638 57 98 | 2650 94 12 |
| आरक्षित पूंजी निधि / CAPITAL RESERVE | | 154 50 68 | 80 10 04 |
| निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT | | 281 59 59 | 549 85 85 |
| निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVES | | 319 61 30 | 74 43 63 |
| राजस्व आरक्षित निधि / REVENUE RESERVES | | - | - |
| विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE | | 850 00 00 | 2000 00 00 |
| अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND | | - | - |
| प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND | | 2920 74 97 | 2176 95 63 |
| लाभांश कर / DIVIDEND TAX | | - | - |
| लाभ/(हानि) शेष / BALANCE OF PROFIT/(LOSS) | | 6389 27 40 | 3071 47 22 |
| कुल / Total | | 14554 31 92 | 10603 76 49 |
| प्रति शेयर आय / EARNINGS PER SHARE | | 80.23 | 58.45 |
| परिचालन लाभ / OPERATING PROFIT | | 29412 57 74 | 27716 01 78 |

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER
AMIT MITTAL
DEPUTY GENERAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
DIVISIONAL MANAGER

DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
ASST GENERAL MANAGER

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

DIBAKAR PRASAD
HARICHANDAN
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

ABHA SINGH
YADUVANSHI
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For P A & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313085E

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 003917N

For SARATH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 005120S

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(S S PODDAR)
PARTNER

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER

(VEGUNTA SAI ROOP KUMAR)
PARTNER

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER

(DILIP RODI)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 051113

MEMBERSHIP NO:082899

MEMBERSHIP NO: 213734

MEMBERSHIP NO: 018159

MEMBERSHIP NO: 035810

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES ANNEXED TO THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची 1 – पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL | | |
| I. प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital (₹10/-प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) / (300,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each) | 3000 00 00 | 3000 00 00 |
| II. निर्गमित अभिदत्त, और प्रदत्त: / Issued, Subscribed and Paid-up: | | |
| i) ₹10/- प्रत्येक के 1,14,17,09,678 इक्विटी शेयर केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्ष धारित ₹10/-प्रति शेयर के 114,17,09,678 इक्विटी शेयर i) 1,14,17,09,678 Equity Shares of ₹10/- each Previous year: 1,14,17,09,678 Equity shares of ₹10/- each held by Central Government | 1141 70 97 | 1141 70 97 |
| ii) ₹10 प्रति शेयर के 67,24,20,574 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष अन्य द्वारा धारित रुपये 10/- प्रति शेयर के 50,50,28,542 इक्विटी शेयर ii) 67,24,20,574 Equity Shares of ₹10/- each Previous year: 50,50,28,542 Equity Shares of ₹10/- each held by others. | 672 42 06 | 672 42 06 |
| | 1814 13 03 | 1814 13 03 |
| अनुसूची 2 – आरक्षित निधियां और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS | | |
| I. सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE (बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 17 के संदर्भ में आरक्षित निधि) (Reserve Fund in terms of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949) | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 15792 12 16 | 13141 18 04 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / Additions during the year | 3638 57 98 | 2650 94 12 |
| कुल / Total | 19430 70 14 | 15792 12 16 |
| II. पूंजी आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE | | |
| क./a. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / REVALUATION RESERVE | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 7475 04 33 | 8506 23 24 |
| जोड़ें: अवधि के दौरान पुनर्मूल्यांकन / Add: Revaluation during the year | 1738 50 02 | 4 19 |
| घटाएं: कटौती और राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित / Less: Deductions & Transferred to Revenue Reserve | 109 23 55 | 1031 23 11 |
| कुल / Total | 9104 30 80 | 7475 04 32 |
| ख./b. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि FOREIGN CURRENCY TRANSLATION RESERVE | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | (43 93 94) | (40 86 43) |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period | | |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the period | 3 93 57 | 3 07 50 |
| कुल / Total | (47 87 51) | (43 93 93) |
| ग./c. समापेलित आरक्षित निधि / AMALGAMATED RESERVE | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 2240 69 47 | 2240 69 47 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period | - | - |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the year | - | - |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| घ./d. अन्य / OTHERS | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 4805 55 90 | 4725 45 86 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period | 154 50 68 | 80 10 04 |
| कुल / Total | 4960 06 58 | 4805 55 90 |
| III शेयर प्रीमियम / SHARE PREMIUM | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 13919 00 82 | 13919 00 82 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period | | |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां/Less: Deductions during the period | | |
| कुल / Total | 13919 00 82 | 13919 00 82 |
| IV राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / REVENUE AND OTHER RESERVES | | |
| क/a. आरक्षित राजस्व / REVENUE RESERVE | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 11903 96 75 | 11800 64 36 |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the period | 88 51 26 | 103 32 40 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां/ Less: Deductions during the period | | |
| कुल / Total | 11992 48 01 | 11903 96 76 |
| ख/b. विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE {आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के संदर्भ में} {In terms of Section 36 (1)(viii) of the Income Tax Act, 1961} | | |
| जोड़ें: / ADDITION | 7536 46 92 | 5536 46 92 |
| कुल / Total | 8386 46 92 | 7536 46 92 |
| ग/c. निवेश आरक्षित निधि खाता / INVESTMENT RESERVE ACCOUNT | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 1078 16 10 | 528 30 26 |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add: additions during the year | 281 59 59 | 549 85 85 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां /Less: Deductions during the period | | |
| कुल / Total | 1359 75 69 | 1078 16 11 |
| घ/d. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 1013 45 26 | 939 01 63 |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period | 319 61 30 | 74 43 63 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां/ Less: Deductions during the period | | |
| कुल / Total | 1333 06 56 | 1013 45 26 |
| ङ/e. लाभ और हानि खाते में शेष / BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT | | |
| प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE | 5491 34 79 | 2419 87 56 |
| जोड़ें: अवधि के दौरान परिवर्धन / Add : Additions during the period | 6389 27 40 | 3071 47 22 |
| घटाएं: अवधि के दौरान कटौतियां / Less: Deductions during the period | | |
| कुल / Total | 11880 62 19 | 5491 34 78 |
| च/f सामान्य आरक्षित निधि-प्रारंभिक शेष / GENERAL RESERVE | | |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / Addition during the period | 581 16 40 | 581 16 40 |
| अवधि के दौरान कटौतियां / Deduction during the period | | |
| कुल / Total | 581 16 40 | 581 16 40 |
| कुल / TOTAL | 85140 46 07 | 71793 04 97 |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS | | |
| क./A.I. मांग जमा / DEMAND DEPOSITS | | |
| i. बैंक से / FROM BANKS | 248 90 83 | 665 94 90 |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS | 63777 41 79 | 47095 63 71 |
| कुल / Total | 64026 32 62 | 47761 58 61 |
| II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS | 328378 78 50 | 318819 10 40 |
| कुल / Total | 328378 78 50 | 318819 10 40 |
| III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS | | |
| i. बैंक से / FROM BANKS | 98015 02 58 | 85113 40 48 |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS | 821946 47 57 | 727524 51 18 |
| कुल / Total | 919961 50 15 | 812637 91 66 |
| कुल / TOTAL | 1312366 61 27 | 1179218 60 67 |
| ख./B. शाखाओं की जमा राशि / DEPOSITS OF BRANCHES | | |
| i. भारत में / IN INDIA | 1214951 21 69 | 1094745 94 47 |
| ii. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA | 97415 39 58 | 84472 66 20 |
| कुल / Total | 1312366 61 27 | 1179218 60 67 |
| अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS | | |
| I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA | | |
| i. भारतीय रिजर्व बैंक / i. RESERVE BANK OF INDIA | | 850 00 00 |
| ii. अन्य बैंक / ii. OTHER BANKS | 101 61 51 | 10 26 39 |
| iii. अन्य संस्थान और एजेंसियां / iii. OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES | 13476 51 40 | 20215 03 35 |
| iv. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बांड / iv. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (टियर I और II पूंजी और इन्फ्रा बांड के लिए गौण ऋण) / (SUB-ORDINATED FOR TIER I & II CAPITAL AND INFRA BONDS)) | 41639 10 00 | 30736 10 00 |
| कुल / Total | 55217 22 91 | 51811 39 74 |
| II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA | | |
| i. अन्य बैंक / i. OTHER BANKS | 2375 04 82 | 6278 39 17 |
| ii. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बांड / ii. UNSECURED REDEEMABLE BONDS (टियर II पूंजी के गौण ऋण) / (SUB-ORDINATED FOR TIER II CAPITAL) | | |
| कुल / Total | 2375 04 82 | 6278 39 17 |
| कुल उधार / TOTAL BORROWINGS | 57592 27 73 | 58089 78 91 |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS | | |
| I. देय बिल / BILLS PAYABLE | 2527 06 66 | 2189 39 14 |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET) | - | - |
| III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED | 9883 29 69 | 7746 03 32 |
| IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY | - | - |
| V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS) | 22216 87 55 | 24881 24 71 |
| कुल / Total | 34627 23 90 | 34816 67 17 |
| अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | | |
| I. रोकड़ शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (Including Foreign Currency Notes) | 3361 25 40 | 3914 38 24 |
| II. भारतीय रिजर्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | | |
| चालू खाते में / IN CURRENT ACCOUNT | 67706 92 96 | 51074 06 30 |
| अन्य खातों में / IN OTHER ACCOUNTS | | |
| कुल / Total | 67706 92 96 | 51074 06 30 |
| कुल / TOTAL | 71068 18 36 | 54988 44 54 |
| अनुसूची 7 - बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | | |
| I. भारत में / IN INDIA | | |
| i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS | | |
| क. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS | 2141 71 20 | 661 28 80 |
| ख. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS | | |
| कुल / TOTAL | 2141 71 20 | 661 28 80 |
| ii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | | |
| क. बैंकों में / a. WITH BANKS | 25975 22 30 | 22850 97 59 |
| ख. अन्य संस्थानों में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS | 6583 10 99 | 3894 85 80 |
| कुल / Total | 32558 33 29 | 26745 83 39 |
| कुल / TOTAL | 34700 04 49 | 27407 12 19 |
| II. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA | | |
| i. चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNTS | 30966 17 28 | 32301 43 62 |
| ii. अन्य जमा खातों में / IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS | 7056 83 31 | 9910 10 56 |
| iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | 6968 48 78 | 16816 09 05 |
| कुल / Total | 44991 49 37 | 59027 63 23 |
| कुल / TOTAL | 79691 53 86 | 86434 75 42 |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS | | |
| I. भारत में निवेश: सकल: | | |
| INVESTMENTS IN INDIA: GROSS | 360742 51 31 | 321604 84 55 |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION & NPI | 6086 46 07 | 5373 22 91 |
| भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA | 354656 05 24 | 316231 61 64 |
| i. सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES | 342583 25 28 | 303233 85 28 |
| ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES | 2 40 37 | 2 40 37 |
| iii. शेयर SHARES | 2424 15 74 | 2413 49 66 |
| iv. डिबेंचर और बांड DEBENTURES AND BONDS | 7884 85 26 | 8020 99 40 |
| v. अनुषंगी कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES | 956 33 94 | 1002 07 08 |
| vi. अन्य - म्युचुअल फंड, सीपी, सीडी आदि, OTHERS - MUTUAL FUNDS, CP, CD ETC. | 805 04 65 | 1558 79 85 |
| कुल / Total | 354656 05 24 | 316231 61 64 |
| परिपक्वता तक धारित / HELD TO MATURITY | 290559 54 33 | 269199 45 51 |
| बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE | 63660 96 19 | 46908 99 44 |
| ट्रेडिंग के लिए धारित / HELD FOR TRADING | 435 54 72 | 123 16 69 |
| कुल / Total | 354656 05 24 | 316231 61 64 |
| II. भारत के बाहर निवेश - सकल | | |
| INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS | 2808 44 65 | 2836 90 21 |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI | 10 07 74 | 30 06 80 |
| भारत के बाहर निवल निवेश | 2798 36 91 | 2806 83 41 |
| NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA | | |
| i. सरकारी प्रतिभूतियां / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES) | 148 51 20 | 120 90 96 |
| ii. अनुषंगी कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम SUBSIDIARIES AND/OR JOINT VENTURES | 93 08 63 | 93 08 63 |
| iii. अन्य निवेश / OTHER INVESTMENTS | 2556 77 08 | 2592 83 82 |
| कुल / Total | 2798 36 91 | 2806 83 41 |
| परिपक्वता तक धारित / HELD TO MATURITY | 241 59 83 | 213 99 58 |
| बिक्री के लिए उपलब्ध / AVAILABLE FOR SALE | 2556 77 08 | 2592 83 83 |
| ट्रेडिंग के लिए धारित / HELD FOR TRADING | | |
| कुल / Total | 2798 36 91 | 2806 83 41 |
| कुल / TOTAL | 357454 42 15 | 319038 45 05 |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES | | |
| क./A. i. खरीदे गए और भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED | 11780 39 56 | 5293 33 94 |
| ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND | 402982 71 31 | 341654 23 31 |
| iii. मीयादी ऋण / TERM LOANS | 516849 72 44 | 483724 97 99 |
| कुल / Total | 931612 83 31 | 830672 55 24 |
| ख./B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूतित / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (बही ऋण सहित) / (INCLUDING BOOK DEBTS) | 600838 57 01 | 534854 45 98 |
| ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूतित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES | 117604 36 42 | 94154 07 66 |
| iii. प्रतिभूतित रहित / UNSECURED | 213169 89 88 | 201664 01 60 |
| कुल / Total | 931612 83 31 | 830672 55 24 |
| ग./C. I. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA | | |
| i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR | 428754 12 95 | 385310 63 29 |
| ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR | 78717 40 84 | 68386 14 18 |
| iii. बैंक / BANKS | 1 03 37 | 5011 43 23 |
| iv. अन्य / OTHERS | 372880 22 55 | 329214 22 69 |
| कुल / Total | 880352 79 71 | 787922 43 39 |
| II. भारत के बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA (बैंकों के अतिरिक्त अन्य से प्राप्य) (DUE FROM OTHER THAN BANKS) | | |
| i. खरीदे और भुनाए गए बिल BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED | - | - |
| ii. मीयादी / सामूहिक ऋण TERM / SYNDICATED LOANS | 31965 73 49 | 29074 76 44 |
| iii. अन्य / OTHERS | 19294 30 09 | 13675 35 41 |
| कुल / Total | 51260 03 59 | 42750 11 85 |
| कुल / TOTAL | 931612 83 31 | 830672 55 24 |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS | | |
| I. परिसर / PREMISES | | |
| पिछली तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET | 9992 02 29 | 11027 19 38 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR | 48 94 89 | 82 95 81 |
| | 10040 97 18 | 11110 15 19 |
| अवधि दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन REVALUATIONS MADE DURING THE YEAR | 1738 43 55 | |
| | 11779 40 73 | 11110 15 19 |
| अवधि के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR | 31 21 92 | 1118 12 90 |
| | 11748 18 81 | 9992 02 29 |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE | 1639 63 99 | 1480 45 67 |
| कुल / TOTAL | 10108 54 82 | 8511 56 62 |
| II. अन्य अचल आस्तियां / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर और फिक्स्चर सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES) | | |
| पिछली तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET | 7681 87 00 | 7269 85 87 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR | 1113 24 11 | 756 76 87 |
| | 8795 11 11 | 8026 62 74 |
| अवधि के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR | 306 70 99 | 344 75 75 |
| | 8488 40 12 | 7681 86 99 |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE | 6370 96 48 | 5964 95 55 |
| कुल / TOTAL | 2117 43 64 | 1716 91 44 |
| III. पट्टे पर दी गई आस्तियां / LEASED ASSETS | | |
| पिछली तुलन-पत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET | 71 77 29 | 71 77 29 |
| अवधि के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR | | |
| | 71 77 29 | 71 77 29 |
| अवधि के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR | | |
| | 71 77 29 | 71 77 29 |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE | 70 15 78 | 70 15 78 |
| | 1 61 51 | 1 61 51 |
| घटाएं: पट्टागत आस्तियां समायोजन खाता LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT | (57 49) | (57 49) |
| कुल / TOTAL | 2 19 00 | 2 19 00 |
| पूँजीगत कार्य प्रगति पर -प्रारंभिक शेष / CAPITAL WORK IN PROGRESS - OP BAL | - | 2 34 22 |
| पूँजीगत कार्य प्रगति पर - कटौती / CAPITAL WORK IN PROGRESS - DEDUCTION | - | 2 34 22 |
| कुल / TOTAL | 12228 17 46 | 10230 67 06 |

यथा दिनांक 31.03.2024 तक तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS | | |
| I. उपचित ब्याज-देय / INTEREST ACCRUED DUE | | |
| उपचित ब्याज-देय नहीं / INTEREST ACCRUED NOT DUE | 8883 29 00 | 7840 59 65 |
| II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर कर कटौती (निवल) TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET) | 17554 86 58 | 19603 55 93 |
| III. लेखन सामग्री और स्टॉप / STATIONERY AND STAMPS | 3 35 43 | 3 52 55 |
| IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां NON-BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS | 72 28 11 | 94 37 73 |
| V. अन्य / OTHERS | 6698 60 10 | 8793 39 22 |
| VI. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET) | 565 66 28 | 2051 19 00 |
| VII. आस्थगित कर आस्तियां / DEFERRED TAX ASSETS | 5707 51 36 | 5980 73 36 |
| कुल / Total | 39485 56 86 | 44367 37 44 |
| अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES | | |
| I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS | 18468 44 22 | 38826 30 36 |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयता LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS | 44 00 | 44 00 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS* | 97494 79 97 | 174318 61 49 |
| IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS | | |
| क./a. भारत में / IN INDIA | 57041 68 88 | 49034 19 67 |
| ख./b. भारत के बाहर / OUTSIDE INDIA | 190 12 73 | 170 77 04 |
| | 57231 81 61 | 49204 96 71 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS | 18752 92 93 | 20799 85 46 |
| VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE | | |
| क. पुनः भुनाए गए विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED | | |
| ख. / b. अन्य / OTHERS | 6402 04 85 | 5897 29 22 |
| कुल / Total | 198350 47 58 | 289047 47 24 |

*डेरिवेटिव सहित ₹7212,13,04 हजार (पिछले वर्ष ₹9379,93,55 हजार)

*Includes Derivatives ₹7212,13,04 thousands (previous year ₹9379,93,55 thousands)

यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED | | |
| I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/डिस्काउंट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS | 78188 43 92 | 61356 58 25 |
| II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS | 22672 51 84 | 19532 08 37 |
| III. आरबीआई और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS | 4246 08 26 | 2950 19 65 |
| IV. अन्य / OTHERS | 3580 88 55 | 585 91 95 |
| कुल / Total | 108687 92 57 | 84424 78 22 |
| अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE | 1853 89 20 | 1599 66 12 |
| II. निवेश की विक्रय पर लाभ – निवल PROFIT ON SALE OF INVESTMENT - NET | 1121 04 45 | 913 23 87 |
| III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) PROFIT/(LOSS) ON REVALUATION OF INVESTMENTS | 501 75 23 | 979 74 69 |
| IV. भूमि/भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND/BUILDINGS AND OTHER ASSETS | 16 31 18 | 308 79 93 |
| V. विनिमय लेन-देन से लाभ – निवल PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS - NET | 765 22 38 | 2244 97 20 |
| VI. विदेश में/भारत में अनुषंगी कंपनियों/कंपनियों और/ या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND ETC. FROM SUBSIDIARIES / COMPANIES AND / OR JOINT VENTURES ABROAD / IN INDIA | 94 92 41 | 69 06 63 |
| VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME | 14613 28 80 | 12646 71 82 |
| कुल / Total | 18966 43 65 | 18762 20 26 |
| कुल आय / Total Income | 127654 36 22 | 103186 98 48 |

यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
**SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024**

| | 31.03.2024 (₹ in '000) | 31.03.2023 (₹ in '000) |
|--|---------------------------|---------------------------|
| अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED | | |
| I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS | 66281 65 30 | 48790 22 35 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTER BANK BORROWINGS | 2934 92 44 | 1763 28 91 |
| III. अन्य OTHERS | 2905 41 13 | 2435 97 44 |
| कुल / Total | 72121 98 87 | 52989 48 70 |
| अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES | 16434 18 14 | 13743 82 98 |
| II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING | 1173 55 16 | 1108 91 83 |
| III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY | 120 69 46 | 94 40 53 |
| IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY | 134 86 36 | 129 17 39 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY | 868 93 61 | 992 96 07 |
| VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता और व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) | 3 12 82 | 1 71 25 |
| VII. AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDES FOR BRANCH AUDITORS) | 80 35 78 | 71 58 13 |
| VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES | 184 87 61 | 201 07 78 |
| IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC. | 90 41 33 | 91 95 54 |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE | 773 03 48 | 669 26 35 |
| XI. बीमा / INSURANCE | 1380 16 53 | 1218 02 08 |
| XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE | 4875 59 33 | 4158 58 06 |
| कुल / Total | 26119 79 61 | 22481 47 99 |
| कुल व्यय / Total Expenditure | 98241 78 48 | 75470 96 69 |
| व्यय पर आय की अधिकता / Excess of income over expenditure | 29412 57 74 | 27716 01 79 |

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1 तैयार करने का आधार :

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है तथा ये अन्यथा सूचित को छोड़कर कार्यशील संस्थागत आधार पर लेखांकन के उपचय के आधार पर हैं। वे भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें सांघिक प्रावधानों व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), बैंकिंग विनियमन अधिनियम - 1949 द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रावधान, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक / मार्गदर्शन नोट नियामक मानदंड / दिशानिर्देश और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित देशों में प्रचलित प्रावधानों और प्रथाओं का अनुपालन किया गया है।

अनुमानों का उपयोग :

वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए प्रबंधन तंत्र को आस्तियों, देयताओं, व्यय, आय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाली राशि के संबंध में वित्तीय विवरणियों की तारीख को अनुमान तथा धारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमान से अलग हो सकते हैं। अन्यथा सूचित को छोड़कर लेखांकन अनुमान में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दिया जाएगा।

2 विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन :

2.1 प्रारंभिक तौर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दर पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाली विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दर पर लाभ-हानि खाते में मान्यता देकर अभिलेखित किया गया है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

1 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on going concern basis, unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act - 1949, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

2. Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

2.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by 'Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit and Loss Account.

2.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेन एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है। भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ ('फेडआई') द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में आस्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण उपलब्ध विदेशी विनिमय दर पर घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)के लेखांकन मानक 11- "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडआई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है। परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

2.3 वायदा विनिमय संविदाएं :

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनन को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनन सहित असामयिक रद्द किए जाने पर होनेवाले लाभ/ हानि यदि हैं तो, उसको समाप्ति तारीख पर मान्यता दी गई। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

[3] निवेश :

3.1 निवेश

निवेश का संवर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस), और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी)। इस प्रकार का वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के समय निर्धारित किया जाता है।

2.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the bank on a quarterly basis. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter. Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 - "The effect of Changes in Foreign Exchange rates" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and as per the guidelines of Reserve Bank of India (RBI) regarding the compliance of the said standard.

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

2.3 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit/ Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

3. Investments

3.1 Investments

Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the bank is classified under three categories viz. 'Held to Maturity' (HTM), 'Available for Sale' (AFS) and 'Held for Trading' (HFT). Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

निवेश को तुलन पत्र में छः संवर्गों में प्रकट किया जाता है अर्थात (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉण्ड (ङ) अनुषंगियाँ और संयुक्त उद्यम व सहयोगी संस्था तथा (च) अन्य

निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने के लिए :

- क) प्रतिभूतियों की खरीद के समय उनसे संबंधित दलाली, कमीशन आदि जैसे लागतों को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।
- ख) अधिग्रहण / निपटान तारीख तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि ब्याज को राजस्व के रूप में माना जाता है।

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नवत है :

क) परिपक्वता के लिए धारित :

परिपक्वता के लिए धारित संवर्ग के अंतर्गत निवेश पर अधिग्रहण लागत, निवल प्रतिशोधन, अगर कोई है तो उसके आधार पर किया जाना है। अंकित मूल्य से यदि कोई अधिक अधिग्रहण लागत हो तो उसे परिपक्वता के शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी संस्थाओं में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य में कोई भी स्थायी ह्रास हो तो उसका पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी शेयरों में निवेशों का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

दिनांक 23.08.2006 के बाद वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार एफएस व बाज़ार के लिए अंकित में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

ख) बिक्री के लिए उपलब्ध :

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाज़ार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि (तुलन पत्र तिथि) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government Securities (b) Other Approved Securities (c) Shares (d) Debentures & Bonds (e) Subsidiaries and Joint Ventures & Associates and (f) Others

In determining the acquisition cost of investment:-

- a) Costs such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.
- b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition/ disposal is treated as revenue.

The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

A HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity.

Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for.

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

B. AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades /

(डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोट नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यहास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के कारण बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीन वर्षों की अवधि के पश्चात (पैरा 3.3(अ) का संदर्भ लें वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूँजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग) व्यापार हेतु धारित :

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत निवेशों को बाज़ार कोट, भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार एवं व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य/ आय के अनुसार साप्ताहिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत निवल मूल्यहास को मान्यता दी गई तथा संवर्धन, यदि कोई है तो, नकारा गया। बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के बाद प्रत्येक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

क) परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) / व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी को अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। यदि एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश, मूल रूप से प्रीमियम पर रखा गया है तो अंतरण परिशोधन लागत पर किया जाता है और अंतरण और परिणामी मूल्यहास के परिणामस्वरूप प्रतिभूति का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा; यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।

ख) ए एफ एस / एच एफ टी श्रेणी से एच टी एम श्रेणी में अंतरण बही मूल्य या बाज़ार मूल्य से निम्नतर मूल्य पर किया जाता है।

quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

C. HELD FOR TRADING

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, Price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis.

The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

a. HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category, originally placed at premium than the transfer is made at amortised cost and security shall be immediately revalued consequent to the transfer and resultant depreciation; if any, shall be provided.

b. AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.

ग) ए एफ एस से एच एफ टी श्रेणी या इसके विपरीत को रखाव लागत पर अंतरित किया जाता है। उपचित मूल्यहास, यदि कोई है तो, एच एफ टी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के लिए प्रावधान को अंतरित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्र.कं / पु.कं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश प्रतिभूति रसीद के मामले में प्र.कं / पु.कं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:-

क) यदि विक्रय निवल बही मूल्य(एनबीवी) से कम मूल्य पर है तो, तत्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मान्यता दिया जाता है।

ख) यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है बल्कि प्र.कं / पु.कं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है, अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक हास / प्रावधान किया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यहास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से प्रतितुलन नहीं किया जाता है।

निवेश की बिक्री पर लाभ :

“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते में मान्यता दिया जाता है।

c. AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

Non-performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

a. If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.

b. If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-Performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation/provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-Performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

Profit on Sale of Investments

Profit on Sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on Sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on Sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) :

आरबीआई के साथ एलएएफ सहित रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद / पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों की पुनः खरीद को उधार के रूप में मान्यता दिया जाता है।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और प्रतिवर्ती रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय / आय के रूप में की जाती है।

वायदा विनिमय अनुबंध

सभी वायदा विनिमय अनुबंधों की शुरुआत में उत्पन्न होने वाले प्रीमियम या छूट को अनुबंध के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। वायदा विनिमय अनुबंधों को रद्द करने पर होने वाले लाभ/हानि के साथ-साथ अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर स्वीकृति दी जाती है। ऐसे अनुबंधों पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि खाते में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्वीकृति दी जाती है जिसमें विनिमय दरों में परिवर्तन होता है।

फेडाई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर बैलेंस शीट में बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों, गारंटी, स्वीकृति, समर्थन और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयता का उल्लेख किया गया है।

व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर अदला-बदली और मुद्रा व्युत्पन्नियों का कारोबार करता है। बैंक द्वारा कारोबार किये जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नी क्रमशः रुपया ब्याज दर अदला-बदली, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा कारोबार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां क्रमशः विकल्प और मुद्रा की अदला-बदली है। ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियों को बाजार के लिए अंकित आधार पर मान्यता दी जाती है और निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा जाता है।

Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps. Such derivative contracts are valued as under:

a. Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.

- ख) बचाव-व्यवस्था के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं :
- व्युत्पन्नी संविदाओं को बचाव-व्यवस्था के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
 - बचाव-व्यवस्था अदला-बदली के लिए आय / व्यय को उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है।

4 अग्रिम

- अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।
- अग्रिम को उधारकर्ता वार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।
- अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार घरेलू अग्रिम हेतु प्रावधान किया जाता है।
- विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान मेजबान देश के विनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, जो भी अधिक कड़े हैं, उसके अनुसार किया जाता है।
- तुलन पत्र में वर्णित अग्रिम अनर्जक आस्तियाँ, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और बिल पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।
- अनर्जक अग्रिम में वसूलियों को पहले प्रभारों और ब्याज के रूप में समायोजित किया जाता है, उसके बाद मूलधन के लिए समायोजित किया जाता है।

एनपीए खातों में वसूली, जो एनसीएलटी संकल्प के माध्यम से ओटीएस के तहत निपटाए गए हैं और जिन्हें विवेकपूर्ण/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है, जिसमें सरकारी गारंटी/सब्सिडी द्वारा कवर किए गए खाते भी शामिल हैं जहां वसूली मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में समायोजित की जाती है।

यदि उपरोक्त उल्लिखित के अलावा कोई मामला हो, दायर मुकदमे/डिक्री वाले खातों में वसूली न्यायालय/डीआरटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाएगी।

- Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - Income / Expenditure is recognized on accrual basis for hedging swaps.

4 ADVANCES

- Advances are classified as performing and non-performing assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets borrower wise.
- Provisions for domestic advances are made for performing / non-performing advances in accordance with the RBI Guidelines.
- Provisions for performing / non-performing advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.
- Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-Performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and bill rediscount.
- Recoveries in Non-Performing Advances are apportioned first towards charges and interest, thereafter towards principal.

Recovery in NPA accounts in case of One Time Settlement (OTS) / National Company Law Tribunal (NCLT) / Technically Written Off (TWO) & Accounts covered by Government Guarantees such as CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and Subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and Interest.

Recovery in suit filed/ decreed accounts shall be appropriated in the manner as per specific directives from the Court/ DRT, in case the same is other than the one mentioned above.

7. प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निमाण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण इत्यादि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।
8. एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

5. अचल आस्तियां

- i. बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भू संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल आस्तियों का पूंजीकरण, इस्तेमाल हेतु शुरू की गई तिथि के आधार पर होता है।
- ii. भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर उल्लिखित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खाते में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया गया है। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

मूल्यहास

1. आस्तियों के जीवन काल के आधार पर सभी आस्तियों के लिए, आस्तियों का मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के तहत किया जाता है।
2. आस्तियों का जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार सॉफ्टवेयर / अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों के अलावा परिभाषित किया गया है।
3. विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है:

| क्रमांक | आस्ति प्रकार | अनुमानित जीवन काल |
|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | पूर्ण स्वामित्व वाला भवन | 60 वर्ष |
| 2. | पट्टाधारित भूमि व भवन | पट्टा अवधि |
| | ए) पट्टाधारित भूमि | पट्टा अवधि |
| | बी) पट्टाधारित भवन | पट्टा अवधि से कम या 60 वर्ष |
| 3. | फर्नीचर एवं फिक्स्चर | 10 वर्ष |

7. In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation, income recognition etc., are done as per RBI guidelines.
8. In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI guidelines.

5. Fixed Assets

- i. The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- ii. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

Depreciation

1. Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on lifespan of the assets.
2. The lifespan of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipment's and Motor Vehicles.
3. Estimated lifespan of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

| Sl. No. | Type of Asset | Estimated Lifespan |
|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Free hold Buildings | 60 years |
| 2. | Leasehold Land & Building | Lease period |
| | A) Lease hold Land | Lease period |
| | B) Lease hold Building | Lower of lease period or 60 years |
| 3. | Furniture & Fixtures | 10 years |

| | | |
|---|---|---------|
| | ए) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि | 5 वर्ष |
| | बी) इलेक्ट्रीकल उपकरण: वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर्स, पंखे आदि | 8 वर्ष |
| | सी) इलेक्ट्रीकल फिक्स्चर: जैसे एलईडी/ट्यूब लाइट फिक्स्चर इत्यादि | 10 वर्ष |
| 4 | कम्प्यूटर | 3 वर्ष |
| 5 | सर्वर | 5 वर्ष |
| 6 | मोटर गाड़ी | 5 वर्ष |

दिनांक 01-04-2020 से मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) प्रभावी है।

- सॉफ्टवेयर/अमूर्त आस्ति 5 वर्षों में परिशोधित की जाती है।
- यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिन और उससे अधिक के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा। यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।
- 8 वर्ष और उससे अधिक उपयोगी जीवन अवधि वाली आस्ति के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य आस्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य मूल लागत मूल्य का ₹5/- होगा।

| | | |
|----|---|----------|
| | A) Electronic Equipment: Televisions, Projectors, Refrigerators, etc., and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc. | 5 years |
| | B) Electrical Equipment: Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans etc. | 8 years |
| | C) Electrical Fixtures: Like LED/ Tube light Fixtures, etc. | 10 years |
| 4. | Computers | 3 years |
| 5 | Servers | 5 years |
| 6. | Motor Vehicles | 5 years |

The change in rates (based on lifespan) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

- Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.
- If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.
- 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the Original cost price is residual value for other assets.

7. पट्टाधारित संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम को पट्टा अवधि या प्रासंगिक आस्ति के जीवन काल, जो भी पहले हो, पर प्रभारित किया जाता है। पट्टाधारित भूमि की लागत और पट्टाधारित सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया जाता है।
8. विदेशी कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों/मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
9. आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि से अधिक को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

आस्तियों का अपक्षयन :

किसी आस्ति की अपक्षयन का संकेत है या नहीं, उसका मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को किया जाता है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है तथा यदि कोई अपक्षयन है तो, प्रावधान किया जाता है और इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

6 राजस्व का परिकलन :

निम्नलिखित को छोड़कर, आय एवं व्यय का लेखांकन सामान्यतया उपचित आधार पर किया जाता है:

- क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अनर्जक अग्रिम तथा अनर्जक निवेश पर ब्याज को मान्यता दिया जाता है।
- ख) अतिदेय बिल, कमीशन (सरकारी व्यवसाय और एलसी बीजी के लिए कमीशन के अलावा), विनिमय, दलाली तथा लॉकर किराया पर ब्याज की गणना वसूली पर किया जाता है।
- ग) लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब उसको प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- घ) मुकदमा दायर किए गए खाते के मामले में संबंधित विधिक तथा अन्य व्ययों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है तथा वसूली पर उसकी गणना आय के रूप में की जाती है।

7. कर्मचारी लाभ :

परिभाषित अंशदान योजनाएं:

परिभाषित अंशदान योजनाएं जैसे भविष्य निधि / पेंशन निधि को व्यय के रूप में मान्यता दिया जाता है तथा लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

7. Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or lifespan of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or lifespan of relevant assets, whichever is lower.
8. In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.
9. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for and charged off to Profit and Loss Account.

6. Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- a. Interest on non-performing advances and non-performing investments is recognized on receipt basis as per norms laid down by Reserve Bank of India.
- b. Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization.
- c. Dividend Income is recognized when the right to receive the same is established.
- d. In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

7. Employee Benefits

Defined Contribution Plans

Defined Contribution Plans such as Provident/Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है, जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, ऐसे नए शामिल होने वाले सदस्य मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं है। योजना के अनुसार, कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% के साथ-साथ बैंक से मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% के बराबर योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक अंशदान को तत्संबंधी वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

- क) उपदान: कर्मचारी उपदान निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है जिसका प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार उनके निधि का प्रबंधन करता है। उपदान के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत को बीमांकिक आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।
- ख) पेंशन : कर्मचारी पेंशन निधि योजना का निधीयन बैंक द्वारा किया जाता है और प्रबंधन एक अलग न्यास द्वारा किया जाता है। पेंशन के तहत बैंक के बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को यथा वर्षांत आधार पर तथा योजना संपत्ति के उचित मूल्य को निवल आधार पर बाध्यताओं को मान्यता देने के लिए सकल बाध्यताओं से कम किया जाता है।

अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ माना जाता है तथा स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिकलन किया जाता है।

परिभाषित लाभ के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को आस्थगित न करते हुए तुरंत लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers / employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

Defined Benefit Plans

- a. Gratuity: The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust which in turn manages its funds as per guidelines. The present value of the Bank's obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.
- b. Pension: The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank and managed by a separate trust. The present value of the Bank's obligations under Pension is recognized on the basis of actuary's report as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

The privilege leave is considered as a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation.

The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains/ losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.



8. करधान के लिए प्रावधान :

- क) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 - "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित अधिकार क्षेत्रों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किए गए कर को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित किए जाते हैं।
- ख) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। समय-अवधि में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली विभेदक कर आस्तियों और देयताओं जो कि बाद की अवधियों के दौरान प्रतिवर्तन योग्य हैं को अधिनियमित कर की दरों व नियमों अथवा बाद में तुलन-पत्र की तिथि पर अधिनियमित कर की दरों व नियमों का प्रयोग करते हुए मान्यता दी गयी है। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में रखा जाता है।
- ग) आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यथास्थिति अनुसार प्रबंधन के निर्णय के आधार पर परिकलन किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, व उनके प्राप्तियों को यथोचित रूप से निश्चित या आभासी माना जाता है।
- घ) आस्थगित कर संपत्तियों को अनावशोषित मूल्यहास और कर के नुकसान से आगे ले जाने पर रखा जाता है, अगर इस बात के पुख्ता सबूतों का समर्थन करते हुए आभासी निश्चितता है कि ऐसी आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य में मुनाफे के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर मान्यता दी जाती है।

9 निवल लाभ :

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ:

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 "आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान" के अनुसार बैंक द्वारा प्रावधानों को मान्यता दिया जाता है, जब :-

8. Provision for Taxation

- a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.
- b) Deferred Tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- c) Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether their realisation is considered as reasonably certain or virtual certain as the case may be.
- d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future profits. Deferred tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

9 Net Profit

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provision only when:

- क) पूर्ववर्ती घटना के परिणामस्वरूप में वर्तमान में कोई बाध्यता हो
- ख) उस बाध्यता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों का बाह्य प्रवाह हो, और
- ग) बाध्यता राशि का उचित परिकलन किया जा सकता हो।

कोई प्रावधान नहीं किया गया:

- क) पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली किसी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या उससे अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जोकि पूर्ण रूप से बैंक के नियंत्रण में नहीं हो, के घटने या न घटने पर ही की जाएगी।
- ख) जहां यह प्रत्याशित नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बाह्य प्रवाह बाध्यता के निपटान के लिए आवश्यक होगा या
- ग) जब बाध्यता राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसे बाध्यता को आकस्मिक देयताओं के रूप में अभिलेखित किया गया है। इसको नियमित अंतराल पर निर्धारित किया जाता है तथा अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियाँ जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है को छोड़कर बाध्यता के उस हिस्से को जिसके लिए आर्थिक लाभ युक्त स्रोतों का बाह्य प्रवाह संभव है, के लिए प्रावधान किया गया है।

- i. आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणियों में मान्यता नहीं दिया गया है।

निवल लाभ:

लाभ-हानि खाते में निवल लाभ निम्नलिखित के पश्चात है :

- क) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- ख) कराधान के लिए प्रावधान
- ग) अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान
- घ) मानक आस्तियों के लिए प्रावधान
- ङ) अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान
- च) अन्य सामान्य व आवश्यक मदों के लिए प्रावधान

10. प्रति शेयर अर्जन :

बैंक, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार प्रति शेयर का मूल व तनुकृत अर्जन को

- a. It has a present obligation as a result of past event.
- b. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- c. A reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized:

- a. For any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- b. Where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- c. When a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- i. Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for depreciation on Investments
- (b) Provision for Taxation
- (c) Provision on Non-Performing Advances
- (d) Provision on Standard Assets
- (e) Provision for Non-Performing Investments
- (f) Provision for other usual & necessary Items

10. Earnings Per Share

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS - 20 "Earnings per Share", issued by ICAI. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit

रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके किया जाता है।

11. नकद प्रवाह विवरण:

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है।

12. खंड रिपोर्टिंग:

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) -17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

after tax attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.

11. Cash Flow Statement

Cash flow Statement is reported by using indirect method.

12. Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण -
'लेखा संबंधी टिप्पणियां'

अनुसूची 18 - लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. विनियामक पूंजी

ए) विनियामक पूंजी की संरचना (₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|---|------------|------------|
| i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौती का कुल, यदि कोई है) | 77528.96 | 65814.46 |
| ii) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 15839.10 | 12421.82 |
| iii) | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 93368.06 | 78236.28 |
| iv) | टियर 2 पूंजी | 15598.85 | 16466.36 |
| v) | कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) | 108966.91 | 94702.64 |
| vi) | कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) | 669256.92 | 567763.16 |
| vii) | सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) | 11.58% | 11.59% |
| viii) | टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) | 13.95% | 13.78% |
| ix) | टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) | 2.33% | 2.90% |
| x) | जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 16.28% | 16.68% |
| xi) | लीवरेज अनुपात | 5.88% | 5.52% |
| xii) | निम्न की श्रेयधारिता का अनुपात ए) भारत सरकार | 62.93% | 62.93% |
| xiii) | वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि (श्रेय प्रीमियम सहित) | शून्य | शून्य |
| xiv) | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: (बेसल III अनुपालित) | 3403.00 | 4000.00 |
| | i) बेमीयादी गैर-संचयी अधिमानी श्रेय (पीएनसीपीएस) | 0.00 | 0.00 |
| | ii) बेमीयादी ऋण लिखत (पीडीआई) | 3403.00 | 4000.00 |
| xv) | वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, (बेसल III अनुपालित) जिसमें से: | 0.00 | 2000.00 |
| | i) ऋण पूंजी लिखत | 0.00 | 2000.00 |

बी) आरक्षित निधियों से आहरण

प्रावधान के प्रति अन्य आरक्षित निधियों में कोई राशि नामे नहीं डाली गई है।

Disclosure in Financial Statements -
'Notes to Accounts'

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. Regulatory Capital

a) Composition of Regulatory Capital

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|--|------------|------------|
| i) | Common Equity Tier 1 capital (CET 1) (net of deductions, if any) | 77528.96 | 65814.46 |
| ii) | Additional Tier 1 capital | 15839.10 | 12421.82 |
| iii) | Tier 1 capital (i + ii) | 93368.06 | 78236.28 |
| iv) | Tier 2 capital | 15598.85 | 16466.36 |
| v) | Total capital (Tier 1 + Tier 2) | 108966.91 | 94702.64 |
| vi) | Total Risk Weighted Assets (RWAs) | 669256.92 | 567763.16 |
| vii) | CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) | 11.58% | 11.59% |
| viii) | Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) | 13.95% | 13.78% |
| ix) | Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) | 2.33% | 2.90% |
| x) | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) | 16.28% | 16.68% |
| xi) | Leverage Ratio | 5.88% | 5.52% |
| xii) | Percentage of the shareholding of a) Government of India | 62.93% | 62.93% |
| xiii) | Amount of paid-up equity capital raised during the year (including Share Premium) | Nil | Nil |
| xiv) | Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: (Basel III Compliant) | 3403.00 | 4000.00 |
| | i) Perpetual non-cumulative preference shares (PNCPs) | 0.00 | 0.00 |
| | ii) Perpetual Debt Instrument (PDI) | 3403.00 | 4000.00 |
| xv) | Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: (Basel III Compliant) | 0.00 | 2000.00 |
| | i) Debt Capital instrument | 0.00 | 2000.00 |

b) Draw down from Reserves

No amount has been debited to Other Reserves towards provisions.

2. आस्ति देयता प्रबंधन

ए) 31.03.2024 को आस्तियों और देनदारियों की कुछ वस्तुओं का परिपक्वता पैटर्न

(राशि ₹करोड़ में)

| विवरण | जमा | अग्रिम | निवेश | उधार | विदेशी मुद्रा आस्तियां | विदेशी मुद्रा देनदारियां |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 दिन | 22292.75 | 8849.89 | 41.62 | 0.00 | 26138.65 | 4645.40 |
| | (36130.70) | (10287.65) | (41.00) | (0.00) | (33105.63) | (24483.70) |
| 2 से 7 दिन | 60299.74 | 10698.50 | 44.45 | 1600.82 | 24237.86 | 45453.89 |
| | (31176.34) | (6873.77) | (222.26) | (9808.88) | (4474.73) | (6598.41) |
| 8 से 14 दिन | 16225.78 | 7023.45 | 638.98 | 583.84 | 419.64 | 1126.22 |
| | (16406.40) | (7159.00) | (0.00) | (0.00) | (2737.01) | (3880.48) |
| 15 से 30 दिन | 29742.14 | 28336.31 | 177.23 | 542.13 | 4897.50 | 5296.63 |
| | (28175.42) | (22555.17) | (2133.27) | (850.00) | (10655.23) | (6107.04) |
| 31 दिनों से 2 महीने | 54435.08 | 31811.75 | 733.63 | 291.92 | 7261.93 | 6703.17 |
| | (49168.21) | (27708.50) | (3949.45) | (616.28) | (5733.66) | (4795.60) |
| 2 महीने से 3 महीने तक | 46288.25 | 45472.33 | 2486.30 | 250.72 | 8581.17 | 9108.99 |
| | (37084.75) | (32868.29) | (926.40) | (410.85) | (7296.12) | (4780.16) |
| 3 महीने से 6 महीने तक | 150338.02 | 100017.43 | 7993.50 | 1260.96 | 17821.42 | 15881.32 |
| | (106740.26) | (76739.75) | (6368.71) | (649.05) | (16611.16) | (13382.29) |
| 6 महीने से 1 वर्ष तक | 165853.25 | 164139.04 | 7308.24 | 4555.90 | 7874.47 | 7179.17 |
| | (138367.56) | (144762.67) | (14164.52) | (7785.03) | (8743.80) | (4690.60) |
| 1 वर्ष से 3 वर्ष तक | 416187.96 | 243579.79 | 45391.79 | 24829.82 | 22947.24 | 23602.67 |
| | (377822.71) | (218701.35) | (29457.36) | (22399.02) | (15294.2) | (10553.17) |
| 3 वर्ष से 5 वर्ष तक | 131889.13 | 83862.60 | 54841.11 | 7643.18 | 4351.10 | 5445.99 |
| | (155659.35) | (92008.55) | (79341.69) | (11031.60) | (5664.64) | (5757.19) |
| 5 वर्ष से अधिक | 218814.52 | 207821.75 | 237797.57 | 16032.99 | -15388.20 | -25153.55 |
| | (202486.91) | (191007.85) | (182433.79) | (4539.07) | (4067.06) | (-223.78) |
| कुल | 1312366.62 | 931612.84 | 357454.42 | 57592.28 | 109142.78 | 99289.90 |
| (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं) | (1179218.61) | (830672.55) | (319038.45) | (58089.78) | (114383.23) | (84804.86) |

- **नोट 1:** उपर्युक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों को अंतर-शाखा समायोजनों को समाप्त करने के बाद लिया जाता है। लेकिन विदेशी मुद्रा देनदारियों को अंतर शाखा ब्याज प्राप्तियों और देय समायोजनों के उन्मूलन से पहले लिया जाता है।

2. Asset Liability Management

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2024

(₹ in Crore)

| Particulars | Deposits | Advances | Investments | Borrowings | Foreign Currency Assets | Foreign Currency Liabilities |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 day | 22292.75 | 8849.89 | 41.62 | 0.00 | 26138.65 | 4645.40 |
| | (36130.70) | (10287.65) | (41.00) | (0.00) | (33105.63) | (24483.70) |
| 2 to 7 days | 60299.74 | 10698.50 | 44.45 | 1600.82 | 24237.86 | 45453.89 |
| | (31176.34) | (6873.77) | (222.26) | (9808.88) | (4474.73) | (6598.41) |
| 8 to 14 days | 16225.78 | 7023.45 | 638.98 | 583.84 | 419.64 | 1126.22 |
| | (16406.40) | (7159.00) | (0.00) | (0.00) | (2737.01) | (3880.48) |
| 15 to 30 days | 29742.14 | 28336.31 | 177.23 | 542.13 | 4897.50 | 5296.63 |
| | (28175.42) | (22555.17) | (2133.27) | (850.00) | (10655.23) | (6107.04) |
| 31 days to 2 months | 54435.08 | 31811.75 | 733.63 | 291.92 | 7261.93 | 6703.17 |
| | (49168.21) | (27708.50) | (3949.45) | (616.28) | (5733.66) | (4795.60) |
| Over 2 months to 3 months | 46288.25 | 45472.33 | 2486.30 | 250.72 | 8581.17 | 9108.99 |
| | (37084.75) | (32868.29) | (926.40) | (410.85) | (7296.12) | (4780.16) |
| Over 3 months to 6 months | 150338.02 | 100017.43 | 7993.50 | 1260.96 | 17821.42 | 15881.32 |
| | (106740.26) | (76739.75) | (6368.71) | (649.05) | (16611.16) | (13382.29) |
| Over 6 months to 1 year | 165853.25 | 164139.04 | 7308.24 | 4555.90 | 7874.47 | 7179.17 |
| | (138367.56) | (144762.67) | (14164.52) | (7785.03) | (8743.80) | (4690.60) |
| Over 1 year to 3 years | 416187.96 | 243579.79 | 45391.79 | 24829.82 | 22947.24 | 23602.67 |
| | (377822.71) | (218701.35) | (29457.36) | (22399.02) | (15294.2) | (10553.17) |
| Over 3 years to 5 years | 131889.13 | 83862.60 | 54841.11 | 7643.18 | 4351.10 | 5445.99 |
| | (155659.35) | (92008.55) | (79341.69) | (11031.60) | (5664.64) | (5757.19) |
| Over 5 years | 218814.52 | 207821.75 | 237797.57 | 16032.99 | -15388.20 | -25153.55 |
| | (202486.91) | (191007.85) | (182433.79) | (4539.07) | (4067.06) | (-223.78) |
| Total | 1312366.62 | 931612.84 | 357454.42 | 57592.28 | 109142.78 | 99289.90 |
| (Figures in brackets relate to previous year) | (1179218.61) | (830672.55) | (319038.45) | (58089.78) | (114383.23) | (84804.86) |

- **Note 1:** Above mentioned foreign currency assets are taken after elimination of inter-branch adjustments. But the foreign currency liabilities are taken before elimination of the inter-branch interest receivables and payables adjustments.

बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

गुणात्मक प्रकटीकरण

चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि बैंक गैर-भारित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) के पर्याप्त स्तर बनाए रखे जिसे 30 कैलेंडर दिन के समय सीमा में अत्यंत गंभीर तरलता तनाव परिदृश्य में तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

कैलेंडर वर्ष 2019 से आगे के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 100% है। आरबीआई ने व्यक्तिगत और समूह बैंक परिचालन के लिए एलसीआर के प्रबंधन को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, बैंक एकल और समेकित स्तर पर एलसीआर को प्रकट कर रहा है। समेकित एलसीआर की गणना करते समय शामिल संस्थाएं केनरा बैंक एकल (घरेलू और विदेशी परिचालन), केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड हैं।

एचक्यूएलए में स्तर 1 आस्ति (0% हेयर-कट), स्तर 2A आस्ति (15% हेयर-कट) और स्तर 2B आस्ति (50% हेयर-कट) शामिल हैं। स्तर 1 आस्तियां जिसमें नकदी, अतिरिक्त सीआरआर, अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, जो कि स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ) के तहत आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक [बैंक की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का 2%] और चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा है [बैंक के एनडीटीएल का 16 प्रतिशत]। स्तर 2ए की आस्ति में सॉवरेन गारंटीड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट बॉन्ड या कमर्शियल पेपर शामिल होते हैं, जिन्हें एए - या उससे अधिक रेट किया जाता है, जो वित्तीय संस्थानों के अतिरिक्त अन्य द्वारा जारी किए जाते हैं।

दबाव के तहत अपेक्षित निवल नकद बहिर्गमन अगले 30 दिनों में बहिर्गमन को घटाकर अंतर्वाह का भारित योग है। अंतर्वाह को पूर्व-निर्धारित हेयरकट के साथ लिया जाता है और बहिर्गमन को पूर्व-निर्धारित रन-ऑफ फैक्टर पर लिया जाता है। थोक निधीयन की तुलना में खुदरा और छोटे व्यापार ग्राहकों से फंडिंग में कम रन-ऑफ फैक्टर होता है।

एचक्यूएलए की संरचना: 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने ₹3,05,386.54 करोड़ का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा। स्तर 1 की आस्ति एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 98.21% योगदान करती है। चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा एचक्यूएलए के उच्चतम हिस्से का गठन करती है, यानी कुल एचक्यूएलए का लगभग 62.69%। स्तर 2 की आस्तियां जो स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 1.79% है जबकि अधिकतम अनुमेय स्तर 40% है।

फंडिंग प्रोफाइल: अप्रतिभूत थोक निधीयन कुल भारित नकद बहिर्गमन का प्रमुख हिस्सा है। खुदरा जमा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों की जमाशियों को मिलाकर कुल भारित नकदी बहिर्गमन का लगभग 22.84% योगदान है। गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स, सरकारी

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

QUALITATIVE DISCLOSURE

Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard has been introduced with the objective that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario.

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 100% for the calendar year 2019 onwards. RBI has mandated the management of LCR for individual as well as group Bank operations. Accordingly, Bank is disclosing the LCR at solo and consolidated levels. The entities included while computing consolidated LCR are Canara Bank Solo (Domestic & Overseas Operation) & Canara Bank (Tanzania) Limited.

HQLA comprises of Level 1 assets (0% hair-cut), Level 2A assets (15% hair-cut) and Level 2B assets (50% hair-cut). Level 1 assets comprising of cash, excess CRR, excess SLR securities, Government securities to the extent allowed by RBI under Marginal Standing Facility (MSF) [2% of the Bank's Net Demand & Time Liabilities (NDTL)] and Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (FALLCR) [16% of the Bank's NDTL]. Level 2A assets comprises of sovereign guaranteed marketable securities, corporate bonds or commercial papers which are rated AA - and more are issued other than by financial institutions.

Expected net cash outflows under stress are the weighted sum of outflows minus inflows in the next 30 days. The inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors. Funding from retail and small business customers carries lower run-off factor as compared to wholesale funding.

Composition of HQLA: The Bank during the three months ended 31st March 2024 maintained average HQLA of ₹3,05,386.54 crore. Level 1 assets contribute to 98.21% of the total stock of HQLA. Facility to avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio constitutes the highest portion to HQLA i.e. around 62.69% of the total HQLA. Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 1.79% of the total stock of HQLA against maximum permissible level of 40%.

Funding Profile: Unsecured wholesale funding constitutes major portion of total weighted cash outflow. Retail deposits and deposits from small business customers put together contributed around 22.84% of the total weighted cash outflows.

बैंकों, केंद्रीय बैंकों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जमा राशियों का कुल भारित नकदी बहिर्गमन में लगभग 30.44% का योगदान था। बैंक का एक्सपोजर प्रमुख रूप से भारतीय रुपये में है।

बैंक का एलसीआर: बैंक ने निरंतर आधार पर एलसीआर को न्यूनतम नियामक स्तर से काफी ऊपर बनाए रखा है। बैंक की समेकित एलसीआर की ऐतिहासिक प्रवृत्ति इस प्रकार है:

Deposits from non-financial corporates, sovereigns, central banks, multi-lateral development banks and PSEs contributed around 30.44% of the total weighted cash outflows. Bank's exposure is majorly in Indian Rupee.

LCR of the Bank: Bank has maintained LCR well above the minimum regulatory level on an ongoing basis. Historical trend of Consolidated LCR of the Bank is as follows:

| समाप्त तिमाही | मार्च-22 | जून-22 | सितंबर-22 | दिसंबर-22 | मार्च-23 | जून-23 | सितंबर-23 | दिसंबर-23 | मार्च-24 |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|----------|
| दैनिक अनुपात एलसीआर (समेकित) | 119.46% | 134.90% | 122.72% | 121.55% | 121.79% | 129.48% | 132.38% | 135.78% | 129.04% |

| Quarter Ended | Mar-22 | Jun-22 | Sep-22 | Dec-22 | Mar-23 | Jun-23 | Sep-23 | Dec-23 | Mar-24 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Daily Avg. LCR (Consolidated) | 119.46% | 134.90% | 122.72% | 121.55% | 121.79% | 129.48% | 132.38% | 135.78% | 129.04% |

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए केनरा बैंक (समेकित) का औसत एलसीआर 129.04% था। बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एसएलआर निवेश के रूप में एचक्यूएलए बनाए रखता है। बैंक ने जमा राशियों के माध्यम से निधीयन के एक बड़े हिस्से को लगातार एक आरक्षित निधि प्रोफाइल के रूप में रखा है। कुल निधीयन स्रोतों में खुदरा जमा राशियों का बड़ा हिस्सा है जो अच्छी तरह से विविधीकृत हैं। दैनिक / मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अलावा, बैंक विभिन्न नियामक विवरणों के माध्यम से चलनिधि स्थिति की निगरानी भी करता है उदाहरणार्थ, संरचनात्मक तरलता विवरण और स्टॉक अनुपात। अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह की स्थिति लगभग समान होने के कारण व्युत्पन्न एक्सपोजर को महत्वहीन माना जाता है। तिमाही के दौरान, यूएसडी के लिए एलसीआर (बैंक की बैलेंस शीट के 5% से अधिक का हिस्सा रखने वाली महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा औसतन 128.64% थी।

बैंक में चलनिधि प्रबंधन बैंक की एएलएम नीति और नियामक निर्देशों द्वारा संचालित होता है। एलसीओ को बैंक के बोर्ड द्वारा बैंक की फंडिंग रणनीति तैयार करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फंडिंग स्रोत अच्छी तरह से विविधीकृत हैं और बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पर्याप्त आकस्मिक निधि योजना भी मौजूद है, जिसकी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी दबावग्रस्त चलनिधि घटना से निपटने के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। चलनिधि की निगरानी जोखिम प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत है और एकीकृत कोष विभाग, प्रधान कार्यालय में केंद्रीय रूप से प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित तालिका वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए एलसीआर घटकों के अभांरित और भारित मूल्य के औसत का सारांश प्रस्तुत करती है। तिमाही के तीन महीनों के लिए दैनिक मूल्यों के आधार पर सरल औसत की गणना की गई है।

The daily average LCR of Canara Bank (Consolidated) for the quarter ended 31st March 2024 was 129.04%. The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. The Bank has consistently kept a healthy funding profile with a major portion of funding through deposits. Retail deposits constitute major portion of total funding sources which are well-diversified. In addition to daily / monthly LCR reporting, Bank also monitors the liquidity position through various regulatory statements viz. Structural Liquidity Statement and Stock Ratios. Derivative exposures are considered insignificant due to almost matching inflows and outflows position. During the quarter, LCR for USD (significant foreign currency constituting more than 5% of the balance sheet of the Bank) was 128.64% on average.

Liquidity Management in the Bank is driven by the ALM Policy of the Bank and regulatory prescriptions. The ALCO has been empowered by the Bank's Board to formulate the Bank's funding strategies to ensure that the funding sources are well-diversified and are consistent with the operational requirements of the Bank. Adequate Contingency Funding Plan is also in place, which is reviewed on a periodic basis to ensure the availability of funds to meet any stressed liquidity event. Monitoring of liquidity is centralized at Risk Management Wing, Head Office and managed centrally at Integrated Treasury Wing, Head Office.

The following table summarizes the average of unweighted and weighted value of the LCR components for the 4th quarter of FY 2023-24. The simple average has been computed based on daily values for the three months of quarter.

चलनिधि कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | विव 2023-24 ति 4 | | विव 2023-24 ति 3 | | विव 2023-24 ति 2 | | विव 2023-24 ति 1 | |
|----------|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) | कुल भारित मूल्य (औसत) |
| | उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) | | 3,05,386.54 | | 2,92,245.62 | | 2,89,026.70 | | 2,90,822.38 |
| | नकद बहिर्गमन | | | | | | | | |
| 2 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं, जिसमें से: | | | | | | | | |
| (i) | स्थायी जमा | 6,92,120.90 | 62,804.65 | 6,70,425.84 | 60,008.45 | 6,51,040.19 | 58,587.72 | 6,40,814.53 | 59,283.74 |
| (ii) | घटाएं - स्थायी जमा | 1,28,148.81 | 6,407.44 | 1,40,682.67 | 7,034.13 | 1,30,326.03 | 6,516.30 | 95,954.25 | 4,797.71 |
| | | 5,63,972.09 | 56,397.21 | 5,29,743.17 | 52,974.32 | 5,20,714.15 | 52,071.42 | 5,44,860.28 | 54,486.03 |
| 3 | अप्रतिभूत थोक निधीयन, जिसमें से: | | | | | | | | |
| (i) | परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | गैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकर) | 3,08,375.50 | 1,81,741.74 | 2,93,601.87 | 1,60,315.03 | 3,14,723.54 | 1,74,468.41 | 3,22,076.13 | 1,76,442.89 |
| (iii) | अप्रतिभूत ऋण | 13,987.15 | 11,745.35 | 11,745.35 | 11,745.35 | 13,080.14 | 13,080.14 | 9,011.11 | 9,011.11 |
| 4 | अप्रतिभूत थोक निधीयन | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | | | | | | | | |
| (i) | व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन | 69.02 | 69.02 | 73.28 | 73.28 | 126.06 | 126.06 | 146.22 | 146.22 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | ऋण और चलनिधि सुविधाएं | 1,56,352.52 | 20,070.47 | 1,42,879.64 | 16,455.99 | 1,31,817.98 | 14,234.52 | 1,13,958.48 | 18,175.24 |
| 6 | अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व | 3,388.20 | 3,388.20 | 3,380.94 | 3,380.94 | 2,090.19 | 2,090.19 | 1,928.23 | 1,928.23 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व | 78,842.07 | 2,436.60 | 74,413.30 | 2,296.19 | 72,435.29 | 2,236.58 | 85,253.24 | 2,788.72 |
| 8 | कुल नकद बहिर्गमन | | 2,82,256.04 | | 2,54,275.23 | | 2,64,823.62 | | 2,67,776.15 |
| | नकद अंतर्वाह | | | | | | | | |
| 9 | जमानती उधार (उदाहरण-प्रतिवर्ती रेपो) | 1,114.52 | 0.00 | 356.77 | 0.00 | 20.54 | 0.00 | 46.28 | 0.00 |
| 10 | पूरी तरह से अर्जक एक्जोजर से अंतर्वाह | 61,822.11 | 44,756.06 | 56,842.51 | 38,139.18 | 62,695.28 | 45,830.80 | 60,485.42 | 42,132.65 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्वाह | 860.08 | 839.79 | 1062.99 | 897.92 | 699.70 | 655.79 | 1,526.26 | 1,024.57 |
| 12 | कुल नकद अंतर्वाह | | 45,595.85 | 58,262.27 | 39,037.10 | 63,415.52 | 46,486.59 | 62,057.95 | 43,157.22 |
| | कुल समावृजित मूल्य | | | | | | | | |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | | 3,05,386.54 | | 2,92,245.62 | | 2,89,026.70 | | 2,90,822.38 |
| 14 | कुल निवल नकद बहिर्गमन | | 2,36,660.18 | | 2,15,238.13 | | 2,18,337.03 | | 2,24,618.93 |
| 15 | चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | | 129.04% | | 135.78% | | 132.38% | | 129.47% |

Liquidity Coverage Ratio

| Sl. No. | FY 2023-24 Q 4 | | FY 2023-24 Q 3 | | FY 2023-24 Q 2 | | FY 2023-24 Q 1 | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | Total Un-weighted Value (average) | Total weighted Value (average) | Total Un-weighted Value (average) | Total weighted Value (average) | Total Un-weighted Value (average) | Total weighted Value (average) | Total Un-weighted Value (average) | Total weighted Value (average) |
| High Quality Liquid Assets | | | | | | | | |
| 1 | | 3,05,386.54 | | 2,92,245.62 | | 2,89,026.70 | | 2,90,822.38 |
| Cash Outflows | | | | | | | | |
| 2 | | 6,92,120.90 | | 60,008.45 | | 6,51,040.19 | | 59,283.74 |
| (i) | 1,28,148.81 | 6,407.44 | 1,40,682.67 | 7,034.13 | 1,30,326.03 | 6,516.30 | 95,954.25 | 4,797.71 |
| (ii) | 5,63,972.09 | 56,397.21 | 5,29,743.17 | 52,974.32 | 5,20,714.15 | 52,071.42 | 5,44,860.28 | 54,486.03 |
| 3 | 3,22,362.65 | 1,93,487.10 | 3,05,347.22 | 1,72,060.39 | 3,27,803.68 | 1,87,548.55 | 3,31,087.24 | 1,85,454.00 |
| (i) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | 3,08,375.50 | 1,81,741.74 | 2,93,601.87 | 1,60,315.03 | 3,14,723.54 | 1,74,468.41 | 3,22,076.13 | 1,76,442.89 |
| (iii) | 13,987.15 | 11,745.35 | 11,745.35 | 11,745.35 | 13,080.14 | 13,080.14 | 9,011.11 | 9,011.11 |
| 4 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | 1,56,421.54 | 20,139.49 | 1,42,952.92 | 16,529.27 | 1,31,944.04 | 14,360.58 | 1,14,104.70 | 18,321.46 |
| (i) | 69.02 | 69.02 | 73.28 | 73.28 | 126.06 | 126.06 | 146.22 | 146.22 |
| (ii) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | 1,56,352.52 | 20,070.47 | 1,42,879.64 | 16,455.99 | 1,31,817.98 | 14,234.52 | 1,13,958.48 | 18,175.24 |
| 6 | 3,388.20 | 3,388.20 | 3,380.94 | 3,380.94 | 2,090.19 | 2,090.19 | 1,928.23 | 1,928.23 |
| 7 | 78,842.07 | 2,436.60 | 74,413.30 | 2,296.19 | 72,435.29 | 2,236.58 | 85,253.24 | 2,788.72 |
| 8 | | 2,82,256.04 | | 2,54,275.23 | | 2,64,823.62 | | 2,67,776.15 |
| Cash Inflows | | | | | | | | |
| 9 | | 1,114.52 | | 0.00 | | 20.54 | | 0.00 |
| 10 | | 61,822.11 | | 38,139.18 | | 62,695.28 | | 42,132.65 |
| 11 | | 860.08 | | 897.92 | | 699.70 | | 1,024.57 |
| 12 | | 63,796.71 | | 39,037.10 | | 63,415.52 | | 43,157.22 |
| 13 | | 3,05,386.54 | | 2,92,245.62 | | 2,89,026.70 | | 2,90,822.38 |
| 14 | | 2,36,660.18 | | 2,15,238.13 | | 2,18,337.03 | | 2,24,618.93 |
| 15 | | 129.04% | | 135.78% | | 132.38% | | 129.47% |

चलनिधि कवरेज अनुपात

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | ति. 4 वित्त वर्ष 2022-23 | | ति. 3 वित्त वर्ष 2022-23 | | ति. 2 वित्त वर्ष 2022-23 | | ति. 1 वित्त वर्ष 2022-23 | |
|----------|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | एकल आधार पर | भारित* | एकल आधार पर | भारित* | एकल आधार पर | भारित* | एकल आधार पर | भारित* |
| | उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) | | 2,90,122.01 | | 2,83,351.01 | | 2,73,377.68 | | 2,87,909.84 |
| | नकद बहिर्गमन | | | | | | | | |
| 2 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं, जिसमें से: | | | | | | | | |
| (i) | स्थायी जमा | 6,32,157.68 | 58,816.56 | 6,19,819.66 | 57,624.91 | 6,04,098.39 | 56,152.39 | 5,95,033.24 | 55,450.86 |
| (ii) | घटाएं - स्थायी जमा | 87,984.21 | 4,399.21 | 87,141.21 | 4,357.06 | 85,148.93 | 4,257.45 | 81,049.26 | 4,052.46 |
| | | 5,44,173.47 | 54,417.35 | 5,32,678.45 | 53,267.85 | 5,18,949.46 | 51,894.94 | 5,13,983.98 | 51,398.40 |
| 3 | अप्रतिभूत शोक निधीयन, जिसमें से: | | | | | | | | |
| (i) | परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकर) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | नैर-परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकर) | 3,60,553.15 | 1,89,024.27 | 3,64,590.87 | 1,90,665.54 | 3,57,193.97 | 1,80,779.56 | 3,45,768.20 | 1,73,126.07 |
| (iii) | अप्रतिभूत ऋण | 1428.03 | 8267.89 | 746.58 | 4411.30 | 1367.71 | 7680.90 | 846.88 | 4783.33 |
| 4 | अप्रतिभूत शोक निधीयन | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | | | | | | | | |
| (i) | व्युत्पन्न जोखिम और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्गमन | 422.45 | 422.45 | 1,690.11 | 1,690.11 | 1,267.11 | 1,267.11 | 1,143.88 | 1,143.88 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | ऋण और चलनिधि सुविधाएं | 1,04,916.41 | 17,759.36 | 1,03,505.97 | 17,414.93 | 95,446.30 | 15,411.69 | 89,251.54 | 14,282.49 |
| 6 | अन्य संचालक निधीयन दायित्व | 1,954.69 | 1,954.69 | 2,961.72 | 2,961.72 | 5,874.93 | 5,874.93 | 8,412.65 | 8,412.65 |
| 7 | अन्य आकास्मिक निधीयन दायित्व | 81,760.90 | 2,683.49 | 75,295.83 | 2,405.04 | 72,511.85 | 2,252.31 | 68,921.77 | 2,081.61 |
| 8 | कुल नकद बहिर्गमन | | 2,78,928.71 | | 2,77,173.55 | | 2,69,418.89 | | 2,59,280.89 |
| | नकद अंतर्वाह | | | | | | | | |
| 9 | जमानती उधार (उदाहरण-प्रतिवर्ती रेपो) | 88.22 | 0.00 | 2,685.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902.30 | 0.00 |
| 10 | पूरी तरह से अर्जक एम्पोजर से अंतर्वाह | 56,231.57 | 40,013.40 | 57,770.70 | 42,055.37 | 58,254.31 | 44,687.00 | 58,297.15 | 44,412.00 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्वाह | 800.37 | 708.12 | 4,742.63 | 2,214.20 | 2,007.60 | 2,007.61 | 8,428.15 | 1,389.58 |
| 12 | कुल नकद अंतर्वाह | | 40,721.52 | | 44,269.57 | | 60,261.91 | | 74,627.60 |
| | कुल समायोजित मूल्य | | | | | | | | |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | | 2,90,122.01 | | 2,83,351.01 | | 2,73,377.68 | | 2,87,909.84 |
| 14 | कुल निवल नकद बहिर्गमन | | 2,38,207.19 | | 2,32,903.98 | | 2,22,724.28 | | 2,13,479.31 |
| 15 | चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | | 121.79% | | 121.66% | | 122.74% | | 134.87% |

Liquidity Coverage Ratio

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | Q4 FY 2022-23 Solo-Basis | | Q3 FY 2022-23 Solo-Basis | | Q2 FY 2022-23 Solo-Basis | | Q1 FY 2022-23 Solo-Basis | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | Unweighted* | Weighted* | Unweighted* | Weighted* | Unweighted* | Weighted* | Unweighted* | Weighted* |
| High Quality Liquid Assets | | | | | | | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Assets (HQLA) | | 2,90,122.01 | | 2,83,351.01 | | 2,73,377.68 | | 2,87,909.84 |
| Cash Outflows | | | | | | | | | |
| 2 | Retail deposits and deposits from small business customers of which: | 6,32,157.68 | 58,816.56 | 6,19,819.66 | 57,624.91 | 6,04,098.39 | 56,152.39 | 5,95,033.24 | 55,450.86 |
| (i) | Stable deposits | 87,984.21 | 4,399.21 | 87,141.21 | 4,357.06 | 85,148.93 | 4,257.45 | 81,049.26 | 4,052.46 |
| (ii) | Less stable deposits | 5,44,173.47 | 54,417.35 | 5,32,678.45 | 53,267.85 | 5,18,949.46 | 51,894.94 | 5,13,983.98 | 51,398.40 |
| 3 | Unsecured wholesale funding, of which: | 3,61,981.18 | 1,97,292.16 | 3,65,337.45 | 1,95,076.84 | 3,58,561.68 | 1,88,460.46 | 3,46,615.08 | 1,77,909.40 |
| (i) | Operational deposits (all counterparties) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | Non-operational deposits (all counterparties) | 3,60,553.15 | 1,89,024.27 | 3,64,590.87 | 1,90,665.54 | 3,57,193.97 | 1,80,779.56 | 3,45,768.20 | 1,73,126.07 |
| (iii) | Unsecured debt | 1428.03 | 8267.89 | 746.58 | 4411.30 | 1367.71 | 7680.90 | 846.88 | 4783.33 |
| 4 | Secured wholesale funding | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 5 | Additional requirements, of which: | 1,05,338.86 | 18,181.81 | 1,05,196.08 | 19,105.04 | 96,713.41 | 16,678.80 | 90,395.42 | 15,426.37 |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 422.45 | 422.45 | 1,690.11 | 1,690.11 | 1,267.11 | 1,267.11 | 1,143.88 | 1,143.88 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 1,04,916.41 | 17,759.36 | 1,03,505.97 | 17,414.93 | 95,446.30 | 15,411.69 | 89,251.54 | 14,282.49 |
| 6 | Other contractual funding obligations | 1,954.69 | 1,954.69 | 2,961.72 | 2,961.72 | 5,874.93 | 5,874.93 | 8,412.65 | 8,412.65 |
| 7 | Other contingent funding obligations | 81,760.90 | 2,683.49 | 75,295.83 | 2,405.04 | 72,511.85 | 2,252.31 | 68,921.77 | 2,081.61 |
| 8 | Total Cash Outflows | | 2,78,928.71 | | 2,77,173.55 | | 2,69,418.89 | | 2,59,280.89 |
| Cash Inflows | | | | | | | | | |
| 9 | Secured lending (e.g. reverse repos) | 88.22 | 0.00 | 2,685.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,902.30 | 0.00 |
| 10 | Inflows from fully performing exposures | 56,231.57 | 40,013.40 | 57,770.70 | 42,055.37 | 58,254.31 | 44,687.00 | 58,297.15 | 44,412.00 |
| 11 | Other cash inflows | 800.37 | 708.12 | 4,742.63 | 2,214.20 | 2,007.60 | 2,007.61 | 8,428.15 | 1,389.58 |
| 12 | Total Cash Inflows | 57,120.16 | 40,721.52 | 65,199.28 | 44,269.57 | 60,261.91 | 46,694.61 | 74,627.60 | 45,801.58 |
| Total Adjusted Value | | | | | | | | | |
| 13 | TOTAL HQLA | | 2,90,122.01 | | 2,83,351.01 | | 2,73,377.68 | | 2,87,909.84 |
| 14 | Total Net Cash Outflows | | 2,38,207.19 | | 2,32,903.98 | | 2,22,724.28 | | 2,13,479.31 |
| 15 | Liquidity Coverage Ratio (%) | | 121.79% | | 121.66% | | 122.74% | | 134.87% |

सी) निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

गुणात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थायी निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश भविष्य में धन संबंधी दबाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को निधीयन के पर्याप्त रूप से स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने की आवश्यकता के द्वारा दीघाविधि क्षितिज पर निधिकरण जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर धन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधि की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2018 में कम से कम 100% के बराबर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधीयन अनुपात के कार्यान्वयन पर नियम जारी किया। यह क्रियान्वयन 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी है। आरबीआई ने व्यक्तिगत और समूह बैंक परिचालन के लिए एनएसएफआर के प्रबंधन को अनिवार्य किया है। उसी प्रकार, बैंक एनएसएफआर को एकल और समेकित स्तर पर प्रकट कर रहा है। समेकित एनएसएफआर की गणना करते समय शामिल संस्थाएं केनरा बैंक एकल (घरेलू और विदेशी परिचालन), केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड हैं।

उपलब्ध स्थायी निधीयन (एएसएफ) को कुल नियामक पूंजी और देयताएं के संभाव्य हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देयताएं के साथ 100% भारत देयताओं की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

आवश्यक ऐसी स्थायी निधीयन (आरएसएफ) को तुलन पत्र और तुलन-पत्रोत्तर एक्सपोजर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे निरंतर आधार पर वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक स्थिर निधि की राशि चलनिधि की विशेषताओं और धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता पर निर्भर करती है।

मुख्य कारक

उपलब्ध स्थायी निधीयन (एएसएफ) के मुख्य कारक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार, और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण और संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्त पोषण हैं। संबंधित भारों को लागू करने के बाद, पूंजी आधार लगभग 11.44%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से जमा सहित) का गठन 65.33% और थोक वित्त पोषण कुल उपलब्ध स्थिर निधि का 23.23% था।

ऋण और प्रतिभूतियों को निष्पादित करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक स्थिर निधीयन प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ का 71.54% प्रतिशत था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति का स्टॉक जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई के पास नकद और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण निर्गमों ने अपनी उच्च गुणवत्ता और तरल विशेषता के कारण स्थिर निधीयन की कम राशि या कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। उसी प्रकार, एनएसएफआर एचक्यूएलए ने प्रासंगिक भारों को लागू करने के बाद आवश्यक स्थिर निधीयन का 2.01% गठित किया। अन्य परिसंपत्तियों और आकस्मिक निधीयन दायित्व, जैसे कि प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र, आवश्यक स्थिर निधीयन का 25.07% प्रतिशत है।

बैंक का एन.एस.एफ.आर

समेकित स्तर पर बैंक का एनएसएफआर दूसरी तिमाही (वित्त वर्ष 2023-24) के अंत में 123.06% पर आ गया है और यह 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। 30 सितंबर 2023 को उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) ₹9,74,277 करोड़ थी और 30 सितंबर 2023 को आवश्यक स्थिर फंडिंग (आरएसएफ) की राशि ₹7,91,678 करोड़ थी।

| एएसएफ मद | वित्त वर्ष 2023-24 ति.1 | | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 ति.2 | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------|----------|-------------|----------------|---|---------------------|----------|-------------|--|--|
| | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | | |
| 1 पूंजी : (2+3) | 81,464 | - | - | 28,236 | 1,09,701 | 84,379 | - | - | 28,236 | 1,12,615 | | |
| 2 विनियामक पूंजी | 81,464 | - | - | 23,026 | 1,04,491 | 84,379 | - | - | 22,826 | 1,07,205 | | |
| 3 अन्य पूंजीगत लिखत | - | - | - | 5,210 | 5,210 | - | - | - | 5,410 | 5,410 | | |
| 4 छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं : (5+6) | 2,89,724 | 93,277 | 1,13,367 | 1,66,440 | 6,18,224 | 2,93,593 | 1,04,090 | 1,74,637 | 1,07,212 | 6,28,605 | | |
| 5 स्थायी जमा | 69,491 | 14,059 | 17,499 | 22,536 | 1,18,532 | 79,263 | 19,130 | 27,685 | 17,327 | 1,37,102 | | |

**c) Net Stable Funding ratio (NSFR)
QUALITATIVE DISCLOSURE**

Net Stable Funding Ratio (NSFR) guidelines ensure reduction in funding risk over a longer time horizon by requiring banks to fund their activities with sufficiently stable sources of funding in order to mitigate the risk of future funding stress. The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding.

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. RBI has mandated the management of NSFR for individual as well as group Bank operations. Accordingly, Bank is disclosing the NSFR at solo and consolidated levels. The entities included while computing consolidated NSFR are Canara Bank Solo (Domestic & Overseas Operation) and Canara Bank (Tanzania) Limited.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of total regulatory capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factor weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on-balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

Key drivers

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 11.44%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 65.33% and wholesale funding formed 23.23% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Stable Funding primarily required for performing loans and securities constituted 71.54% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, Government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the NSFR HQLA constituted 2.01% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 25.07% of the Required Stable Funding.

NSFR of the Bank

Bank's NSFR at consolidated level comes to 123.06% as at the end of the quarter Q2 (FY 2023-24) and the same is above the minimum regulatory requirement of 100%. The Available Stable Funding (ASF) as on 30th September 2023 stood at ₹9,74,277 crores and amount of Required Stable Funding (RSF) as on 30th September 2023 was ₹7,91,678 crores.

(₹ in Crore)

| ASF Item | FY 2023-24 Q1 | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------|----------------|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value |
| 1 Capital: (2+3) | 81,464 | - | - | 28,236 | 1,09,701 | 84,379 | - | - | 28,236 | 1,12,615 |
| 2 Regulatory capital | 81,464 | - | - | 23,026 | 1,04,491 | 84,379 | - | - | 22,826 | 1,07,205 |
| 3 Other capital instruments | - | - | - | 5,210 | 5,210 | - | - | - | 5,410 | 5,410 |
| 4 Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 2,89,724 | 93,277 | 1,13,367 | 1,66,440 | 6,18,224 | 2,93,593 | 1,04,090 | 1,74,637 | 1,07,212 | 6,28,605 |
| 5 Stable deposits | 69,491 | 14,059 | 17,499 | 22,536 | 1,18,532 | 79,263 | 19,130 | 27,685 | 17,327 | 1,37,102 |

(राशि ₹ करोड़ में)

| | वित्त वर्ष 2023-24 ति.1 | | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 ति.2 | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|----------|-----------------|----------------|---|---------------------|----------|-----------------|--|--|
| | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | | |
| 6 घटाएं - स्थायी जमा | 2,20,233 | 79,219 | 95,868 | 1,43,904 | 4,99,692 | 2,14,330 | 84,960 | 1,46,953 | 89,885 | 4,91,503 | | |
| 7 थोक निधीयन : (8+9) | 1,07,598 | 1,64,985 | 33,236 | 47,667 | 2,00,576 | 1,11,439 | 1,62,704 | 21,165 | 37,997 | 1,85,651 | | |
| 8 परिचालन जमा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 अन्य थोक निधीयन | 1,07,598 | 1,64,985 | 33,236 | 47,667 | 2,00,576 | 1,11,439 | 1,62,704 | 21,165 | 37,997 | 1,85,651 | | |
| 10 अन्य देयताएं : (11+12) | 72,190 | 82,938 | 87,022 | 17,329 | 32,478 | 11,897 | 1,23,192 | 1,29,647 | 35,874 | 47,095 | | |
| 11 एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | | 29 | - | - | - | | 12 | - | - | - | | |
| 12 अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 72,190 | 82,909 | 87,022 | 17,329 | 32,478 | 11,897 | 1,23,180 | 1,29,647 | 35,874 | 47,095 | | |
| 13 कुल एसएफ (1+4+7+10) | | | | | 9,60,979 | | | | | 9,73,965 | | |
| 14 उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर तरल अस्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 13,293 | | | | | 14,128 | | |
| 15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 16 अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) | 1,236 | 40,712 | - | 3,12,476 | 2,46,540 | 1,100 | 33,793 | - | 3,13,913 | 2,51,287 | | |
| 17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 18 गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत अर्जक ऋण | - | 40,712 | - | - | 6,107 | - | 33,793 | - | - | 5,069 | | |
| 19 गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से: | - | - | - | 2,33,931 | 1,84,174 | - | - | - | 2,34,702 | 1,89,630 | | |

(₹ in Crore)

| | FY 2023-24 Q1 | | | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|----------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------|----------------|--|--|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | |
| 6 | 2,20,233 | 79,219 | 95,868 | 1,43,904 | 4,99,692 | 2,14,330 | 84,960 | 1,46,953 | 89,885 | 4,91,503 | | |
| 7 | 1,07,598 | 1,64,985 | 33,236 | 47,667 | 2,00,576 | 1,11,439 | 1,62,704 | 21,165 | 37,997 | 1,85,651 | | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 9 | 1,07,598 | 1,64,985 | 33,236 | 47,667 | 2,00,576 | 1,11,439 | 1,62,704 | 21,165 | 37,997 | 1,85,651 | | |
| 10 | 72,190 | 82,938 | 87,022 | 17,329 | 32,478 | 11,897 | 1,23,192 | 1,29,647 | 35,874 | 47,095 | | |
| 11 | - | 29 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | | |
| 12 | 72,190 | 82,909 | 87,022 | 17,329 | 32,478 | 11,897 | 1,23,180 | 1,29,647 | 35,874 | 47,095 | | |
| 13 | Total ASF (1+4+7+10) | | | | | | 9,60,979 | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | | 13,293 | | | | | |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | | | | | | - | | | | | |
| 16 | Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | | | | | | 3,12,476 | | | | | |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | | | | | | - | | | | | |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | | | | | | 6,107 | | | | | |
| 19 | Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which: | | | | | | 2,33,931 | | | | | |
| | | | | | | | 1,84,174 | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | 2,34,702 | | | | | |
| | | | | | | | 1,89,630 | | | | | |

| | वित्त वर्ष 2023-24 ति.1 | | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 ति.2 | | | | | |
|----|--|----------------|-----------|---------------------|----------|-------------|---|-----------|---------------------|----------|-------------|--|
| | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| | (रु. करोड़ में) | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | |
| 20 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | - | - | - | 2,33,931 | 1,84,174 | - | - | - | 2,34,702 | 1,89,630 | |
| 21 | अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से | - | - | - | 57,770 | 37,550 | - | - | - | 58,380 | 37,947 | |
| 22 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | - | - | - | 57,770 | 37,550 | - | - | - | 58,380 | 37,947 | |
| 23 | वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रैडेड इक्विटी सहित एचव्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं | 1,236 | - | - | 20,775 | 18,709 | 1,100 | - | - | 20,831 | 18,642 | |
| 24 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग) | 51,794 | 2,21,464 | 1,49,621 | 2,64,928 | 5,25,829 | 5,759 | 1,98,663 | 1,92,362 | 2,86,770 | 5,16,490 | |
| 25 | स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान | - | 249 | - | 41,431 | 35,428 | - | 271 | - | 6,637 | 5,872 | |
| 27 | एनएसएफ़आर व्युत्पन्न आस्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देनदारियां | - | 6,189 | 1 | - | 6,190 | - | 247 | - | - | 247 | |
| 29 | अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 51,794 | 2,15,026 | 1,49,620 | 2,23,497 | 4,84,210 | 5,759 | 1,98,145 | 1,92,362 | 2,80,133 | 5,10,371 | |
| 30 | गुलन पत्रेतर मदें | - | - | 1,93,778 | - | 8,313 | - | - | 2,21,068 | - | 9,641 | |
| 31 | कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) | - | - | - | - | 7,93,975 | - | - | - | - | 7,91,545 | |
| 32 | निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%) | - | - | - | - | 121.03% | - | - | - | - | 123.05% | |

(₹ in Crore)

| | FY 2023-24 Q1 | | | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------------|--|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------------|--|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | |
| 20 | - | - | - | 2,33,931 | 1,84,174 | | - | - | - | 2,34,702 | 1,89,630 | |
| 21 | - | - | - | 57,770 | 37,550 | | - | - | - | 58,380 | 37,947 | |
| 22 | - | - | - | 57,770 | 37,550 | | - | - | - | 58,380 | 37,947 | |
| 23 | 1,236 | - | - | 20,775 | 18,709 | | 1,100 | - | - | 20,831 | 18,642 | |
| 24 | 51,794 | 2,21,464 | 1,49,621 | 2,64,928 | 5,25,829 | | 5,759 | 1,98,663 | 1,92,362 | 2,86,770 | 5,16,490 | |
| 25 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | 249 | - | 41,431 | 35,428 | | - | 271 | - | 6,637 | 5,872 | |
| 27 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | 6,189 | 1 | - | 6,190 | | - | 247 | - | - | 247 | |
| 29 | 51,794 | 2,15,026 | 1,49,620 | 2,23,497 | 4,84,210 | | 5,759 | 1,98,145 | 1,92,362 | 2,80,133 | 5,10,371 | |
| 30 | - | - | 1,93,778 | - | 8,313 | | - | - | 2,21,068 | - | 9,641 | |
| 31 | Total RSF (14+15+16+24+30) | | | | | | 7,93,975 | | | | | |
| 32 | Net Stable Funding Ratio (%) | | | | | | 123.03% | | | | | |

(राशि ₹ करोड़ में)

| | | वित्त वर्ष 2023-24 ति.3 | | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 ति.4 | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|---------------------|--|------------------|----------------|--|---------------------|----------|--|----------------|-----------|---------------------|----------|------------------|
| | | अवशिष्ट परीपक्वता अविधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परीपक्वता अविधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परीपक्वता अविधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परीपक्वता अविधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| | | परीपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परीपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परीपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य |
| एसएफ मंद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | पूंजी : (2+3) | 87,328 | - | - | 28,889 | 1,16,217 | 91,090 | - | - | 28,989 | 1,20,079 | 91,090 | - | - | 28,989 | 1,20,079 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 87,328 | - | - | 23,929 | 1,11,257 | 91,090 | - | - | 23,869 | 1,14,959 | 91,090 | - | - | 23,869 | 1,14,959 |
| 3 | अन्य पूंजीगत लिखत | - | - | - | 4,960 | 4,960 | - | - | - | 5,120 | 5,120 | - | - | - | 5,120 | 5,120 |
| 4 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं : (5+6) | 2,96,650 | 1,23,284 | 1,91,901 | 83,114 | 6,40,304 | 3,02,102 | 1,99,031 | 1,45,214 | 98,980 | 6,86,836 | 3,02,102 | 1,99,031 | 1,45,214 | 98,980 | 6,86,836 |
| 5 | स्थायी जमा | 80,408 | 20,926 | 29,430 | 13,749 | 1,37,976 | 77,206 | 20,260 | 19,392 | 14,077 | 1,25,092 | 77,206 | 20,260 | 19,392 | 14,077 | 1,25,092 |
| 6 | घटाएं - स्थायी जमा | 2,16,242 | 1,02,358 | 1,62,470 | 7,69,365 | 5,02,329 | 2,24,896 | 1,78,772 | 1,25,822 | 84,903 | 5,61,444 | 2,24,896 | 1,78,772 | 1,25,822 | 84,903 | 5,61,444 |
| 7 | थोक निधीयन : (8+9) | 1,13,394 | 1,72,227 | 22,159 | 41,910 | 1,95,800 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 62,361 | 2,44,166 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 62,361 | 2,44,166 |
| 8 | परिचालन जमा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | अन्य थोक निधीयन | 1,13,394 | 1,72,227 | 22,159 | 41,910 | 1,95,800 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 62,361 | 2,44,166 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 62,361 | 2,44,166 |
| 10 | अन्य देयताएं : (11+12) | 9,633 | 1,44,094 | 1,25,226 | 29,276 | 49,015 | 34,555 | 1,52,243 | 13,365 | - | - | 34,555 | 1,52,243 | 13,365 | - | - |
| 11 | एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 12 | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है | 9,633 | 1,44,091 | 1,25,226 | 29,276 | 49,015 | 34,555 | 1,52,238 | 13,365 | - | - | 34,555 | 1,52,238 | 13,365 | - | - |
| 13 | कुल एसएफ (1+4+7+10) | | | | | 10,01,336 | | | | | 10,50,781 | | | | | 10,50,781 |
| आरएसएफ मंद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर तरल आस्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 14,497 | | | | | 15,356 | | | | | 15,356 |
| 15 | परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां | | | | | - | | | | | - | | | | | - |
| 16 | अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) | 1,005 | 47,595 | - | 3,21,685 | 2,55,848 | 987 | 2,95,652 | 1,53,727 | 4,43,087 | 5,47,274 | 987 | 2,95,652 | 1,53,727 | 4,43,087 | 5,47,274 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण | | | | | - | | 3,297 | | | 330 | | | | | 330 |

(₹ in Crore)

| ASF Item | FY 2023-24 Q1 | | | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| | Unweighted value by residual maturity | | | Unweighted value by residual maturity | | | Unweighted value by residual maturity | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value |
| 1 | Capital: (2+3) | 87,328 | - | - | 28,889 | 1,16,217 | 91,090 | - | - | 28,989 | 91,090 | - | - | 28,989 | 1,20,079 |
| 2 | Regulatory capital | 87,328 | - | - | 23,929 | 1,11,257 | 91,090 | - | - | 23,869 | 91,090 | - | - | 23,869 | 1,14,959 |
| 3 | Other capital instruments | - | - | - | 4,960 | 4,960 | - | - | - | 5,120 | - | - | - | 5,120 | 5,120 |
| 4 | Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 2,96,650 | 1,23,284 | 1,91,901 | 83,114 | 6,40,304 | 3,02,102 | 1,99,031 | 1,45,214 | 98,980 | 3,02,102 | 1,45,214 | 98,980 | 6,86,836 | |
| 5 | Stable deposits | 80,408 | 20,926 | 29,430 | 13,749 | 1,37,976 | 77,206 | 20,260 | 19,392 | 14,077 | 77,206 | 20,260 | 19,392 | 1,25,092 | |
| 6 | Less stable deposits | 2,16,242 | 1,02,358 | 1,62,470 | 7,69,365 | 5,02,329 | 2,24,896 | 1,78,772 | 1,25,822 | 84,903 | 2,24,896 | 1,78,772 | 1,25,822 | 5,61,444 | |
| 7 | Wholesale funding: (8+9) | 1,13,394 | 1,72,227 | 22,159 | 41,910 | 1,95,800 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 62,361 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 2,44,166 | |
| 8 | Operational deposits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Other wholesale funding | 1,13,394 | 1,72,227 | 22,159 | 41,910 | 1,95,800 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 62,361 | 78,472 | 1,65,352 | 1,19,786 | 2,44,166 | |
| 10 | Other liabilities: (11+12) | 9,633 | 1,44,094 | 1,25,226 | 29,276 | 49,015 | 34,555 | 1,52,243 | 13,365 | - | 34,555 | 1,52,243 | 13,365 | - | |
| 11 | NSFR derivative liabilities | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | All other liabilities and equity not included in the above categories | 9,633 | 1,44,091 | 1,25,226 | 29,276 | 49,015 | 34,555 | 1,52,238 | 13,365 | - | 34,555 | 1,52,238 | 13,365 | - | |
| 13 | Total ASF (1+4+7+10) | | | | | 10,01,336 | | | | | | | | 10,50,781 | |
| RSF Item | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 14,497 | | | | | | | | | 15,356 |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 1,005 | 47,595 | - | 3,21,685 | 2,55,848 | 987 | 2,95,652 | 1,53,727 | 4,43,087 | 987 | 2,95,652 | 1,53,727 | 5,47,274 | |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | - | - | - | - | - | - | 3,297 | - | - | - | - | - | 330 | |

(राशि ₹ करोड़ में)

| | वित्त वर्ष 2023-24 ति.1 | | | | | | वित्त वर्ष 2023-24 ति.2 | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------------|---|-------------|-----------------|---|---------------------|----------|---|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------------|
| | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य |
| एएसएफ मद | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचव्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत अर्जक ऋण | - | 47,595 | - | - | 7,139 | - | 64,185 | 4,782 | - | - | - | 12,019 | - | - |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिक, केंद्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से : | - | - | - | 2,38,105 | 1,89,303 | - | 2,28,169 | 1,48,945 | - | - | - | 5,05,570 | - | - |
| 20 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | - | - | - | 2,38,105 | 1,89,303 | - | - | - | - | - | - | 91,815 | - | - |
| 21 | अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से | - | - | - | 62,456 | 40,597 | - | - | - | - | - | - | 9,240 | - | - |
| 22 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | - | - | - | 62,456 | 40,597 | - | - | - | - | - | - | 9,240 | - | - |
| 23 | वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेंडेड इक्विटी सहित एचव्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं | 1,005 | - | - | 21,124 | 18,810 | 987 | - | - | - | - | - | 20,115 | - | - |
| 24 | अन्य आस्तिगः (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग) | 4,496 | 2,27,189 | 1,95,655 | 2,92,197 | 5,33,830 | 71,675 | 48,145 | 11,906 | 4,66,362 | 1,91,663 | - | - | - | - |
| 25 | स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तिगः और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान | - | 230 | - | 27,491 | 23,562 | - | 230 | - | 4,924 | 4,382 | - | - | - | - |
| 27 | एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां | - | 37 | - | - | 37 | - | 61 | - | - | 61 | - | - | - | - |
| 29 | अन्य सभी आस्तिगः जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 4,496 | 2,26,922 | 1,95,655 | 2,64,706 | 5,10,231 | 71,675 | 47,854 | 11,906 | 4,61,438 | 1,87,220 | - | - | - | - |
| 30 | तुलन पत्रेतर मदें | - | - | 2,18,179 | - | 9,426 | - | - | 2,41,978 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | कुल आएसएफ (14+15+16+24+30) | - | - | - | - | 8,13,602 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,64,872 |
| 32 | निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%) | - | - | - | - | 123.07% | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.38% |

| | FY 2023-24 Q1 | | | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------------|--------|---------------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | |
| 18 | - | 47,595 | - | - | 7,139 | - | - | 64,185 | 4,782 | - | 12,019 | |
| 19 | - | - | - | 2,38,105 | 1,89,303 | - | - | 2,28,169 | 1,48,945 | 4,06,192 | 5,05,570 | |
| 20 | - | - | - | 2,38,105 | 1,89,303 | - | - | - | - | 1,41,254 | 91,815 | |
| 21 | - | - | - | 62,456 | 40,597 | - | - | - | - | 14,216 | 9,240 | |
| 22 | - | - | - | 62,456 | 40,597 | - | - | - | - | 14,216 | 9,240 | |
| 23 | 1,005 | - | - | 21,124 | 18,810 | 987 | - | - | - | 22,678 | 20,115 | |
| 24 | 4,496 | 2,27,189 | 1,95,655 | 2,92,197 | 5,33,830 | 71,675 | 48,145 | 11,906 | 4,66,362 | 1,91,663 | | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | 230 | - | 27,491 | 23,562 | - | 230 | - | 4,924 | - | 4,382 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | - | 37 | - | - | 37 | - | 61 | - | - | - | 61 | |
| 29 | 4,496 | 2,26,922 | 1,95,655 | 2,64,706 | 5,10,231 | 71,675 | 47,854 | 11,906 | 4,61,438 | 1,87,220 | | |
| 30 | - | - | 2,18,179 | - | 9,426 | - | - | 2,41,978 | - | - | 10,579 | |
| 31 | - | - | - | - | 8,13,602 | - | - | - | - | - | 7,64,872 | |
| 32 | - | - | - | - | 123.07% | - | - | - | - | - | 137.38% | |

(राशि ₹ करोड़ में)

| | वित्त वर्ष 2022-23 ति.1 | | | | | | वित्त वर्ष 2022-23 ति.2 | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|---|-------------|----------------|---|---------------------|-----------|---|----------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
| | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| (रु. करोड़ में) | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य |
| एसएफ मद् | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 पूंजी : (2+3) | 61371.00 | 450.00 | 0.00 | 24736.00 | 86557.00 | 65812.00 | 0.00 | 0.00 | 30736.00 | 96548.00 | | | | | |
| 2 विनियामक पूंजी | 61371.00 | 450.00 | - | 19186.00 | 81007.00 | 65812.00 | - | - | 24986.00 | 90798.00 | | | | | |
| 3 अन्य पूंजीगत लिखत | - | - | - | 5550.00 | 5550.00 | - | - | - | 5750.00 | 5750.00 | | | | | |
| 4 छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं : (5+6) | 302699.00 | 122340.00 | 124605.00 | 103668.00 | 602359.00 | 310619.00 | 128368.00 | 123370.00 | 111260.00 | 621549.00 | | | | | |
| 5 स्थायी जमा | 50110.00 | 15196.00 | 14913.00 | 11921.00 | 88129.00 | 52622.00 | 16069.00 | 14681.00 | 12913.00 | 92116.00 | | | | | |
| 6 घटाएं - स्थायी जमा | 252589.00 | 107144.00 | 109692.00 | 91747.00 | 514230.00 | 257997.00 | 112299.00 | 108689.00 | 98347.00 | 529433.00 | | | | | |
| 7 शोक निधीयन : (8+9) | 120114.00 | 183364.00 | 135039.00 | 61681.00 | 231278.00 | 119333.00 | 169177.00 | 149522.00 | 60727.00 | 230472.00 | | | | | |
| 8 परिचालन जमा | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 अन्य थोक निधीयन | 120114.00 | 183364.00 | 135039.00 | 61681.00 | 231278.00 | 119333.00 | 169177.00 | 149522.00 | 60727.00 | 230472.00 | | | | | |
| 10 अन्य देयताएं : (11+12) | 3417.00 | 41023.00 | 21800.00 | 7391.00 | 59631.00 | 2904.00 | 18522.00 | 6699.00 | 11372.00 | 33540.00 | | | | | |
| 11 एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | | 96 | - | - | - | | 8 | - | - | - | | | | | |
| 12 अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपयोग श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 3417.00 | 40927.00 | 21800.00 | 7391.00 | 59631.00 | 2904.00 | 18514.00 | 6699.00 | 11372.00 | 33540.00 | | | | | |
| 13 कुल एसएफ (1+4+7+10) | | | | | 979825.00 | | | | | 982109.00 | | | | | |
| आएएसएफ मद् | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर तरल आस्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 13709.00 | | | | | 14552.00 | | | | | |
| 15 परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमा राशियां | 1319.00 | 13.00 | | | 666.00 | 599.00 | 27.00 | - | - | 313.00 | | | | | |
| 16 अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) | 1358.00 | 48582.00 | 0.00 | 213143.00 | 173793.00 | 1783.00 | 43546.00 | 985.00 | 218262.00 | 177158.00 | | | | | |
| 17 स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 18 गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत अर्जक ऋण | - | 48582.00 | - | - | 7287.00 | - | 42671.00 | - | - | 6401.00 | | | | | |

(₹ in Crore)

| ASF Item | FY 2023-24 Q1 | | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value |
| 1 | 61371.00 | 450.00 | 0.00 | 24736.00 | 86557.00 | 65812.00 | 0.00 | 0.00 | 30736.00 | 96548.00 |
| 2 | 61371.00 | 450.00 | - | 19186.00 | 81007.00 | 65812.00 | - | - | 24986.00 | 90798.00 |
| 3 | - | - | - | 5550.00 | 5550.00 | - | - | - | 5750.00 | 5750.00 |
| 4 | 302699.00 | 122340.00 | 124605.00 | 103668.00 | 602359.00 | 310619.00 | 128368.00 | 123370.00 | 111260.00 | 621549.00 |
| 5 | 50110.00 | 15196.00 | 14913.00 | 11921.00 | 88129.00 | 52622.00 | 16069.00 | 14681.00 | 12913.00 | 92116.00 |
| 6 | 252589.00 | 107144.00 | 109692.00 | 91747.00 | 514230.00 | 257997.00 | 112299.00 | 108689.00 | 98347.00 | 529433.00 |
| 7 | 120114.00 | 183364.00 | 135039.00 | 61681.00 | 231278.00 | 119333.00 | 169177.00 | 149522.00 | 60727.00 | 230472.00 |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 120114.00 | 183364.00 | 135039.00 | 61681.00 | 231278.00 | 119333.00 | 169177.00 | 149522.00 | 60727.00 | 230472.00 |
| 10 | 3417.00 | 41023.00 | 21800.00 | 7391.00 | 59631.00 | 2904.00 | 18522.00 | 6699.00 | 11372.00 | 33540.00 |
| 11 | | 96 | | | | | 8 | | | |
| 12 | 3417.00 | 40927.00 | 21800.00 | 7391.00 | 59631.00 | 2904.00 | 18514.00 | 6699.00 | 11372.00 | 33540.00 |
| 13 | | | | | 979825.00 | | | | | 982109.00 |
| RSF Item | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | 13709.00 | | | | | 14552.00 |
| 15 | 1319.00 | 13.00 | - | - | 666.00 | 599.00 | 27.00 | | | 313.00 |
| 16 | 1358.00 | 48582.00 | 0.00 | 213143.00 | 173793.00 | 1783.00 | 43546.00 | 985.00 | 218262.00 | 177158.00 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 48582.00 | - | - | 7287.00 | - | 42671.00 | - | - | 6401.00 |

(राशि ₹ करोड़ में)

| | वित्त वर्ष 2022-23 ति.1 | | | | | | वित्त वर्ष 2022-23 ति.2 | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------------|--|-------------|---------------|--|---------------------|-----------|--|---------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|
| | अवशिष्ट परियोजना अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परियोजना अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परियोजना अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परियोजना अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| (रु. करोड़ में) | परियोजना बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परियोजना बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परियोजना बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्ट्रिक, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से : | - | - | - | 136385.00 | - | - | - | - | 136385.00 | - | - | - | - | 135410.00 |
| 20 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | - | - | - | 136385.00 | - | - | - | - | 136385.00 | - | - | - | - | 135410.00 |
| 21 | अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से | - | - | - | 26756.00 | - | - | - | - | 26756.00 | - | - | - | - | 29270.00 |
| 22 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | - | - | - | 26756.00 | - | - | - | - | 26756.00 | - | - | - | - | 29270.00 |
| 23 | वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचव्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं हैं | 1358.00 | - | - | 3365.00 | 1783.00 | 875.00 | 985.00 | 3505.00 | 6077.00 | 1783.00 | 875.00 | 985.00 | 3505.00 | 6077.00 |
| 24 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग) | 6398.00 | 233617.00 | 124543.00 | 508923.00 | 4004.00 | 244636.00 | 141919.00 | 274107.00 | 527776.00 | 4004.00 | 244636.00 | 141919.00 | 274107.00 | 527776.00 |
| 25 | स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान | - | 301.00 | 5.00 | 47.00 | - | 187.00 | - | - | 1418.00 | - | 187.00 | - | - | 1418.00 |
| 27 | एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्ति | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां | - | 42.00 | 5.00 | 47.00 | - | 4.00 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | - | 4.00 | 28.00 | 32.00 | 32.00 |
| 29 | अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 6398.00 | 233274.00 | 124538.00 | 505207.00 | 4004.00 | 244445.00 | 141891.00 | 272626.00 | 526326.00 | 4004.00 | 244445.00 | 141891.00 | 272626.00 | 526326.00 |
| 30 | तुलन पत्रेतर मदें | - | - | - | 6541.00 | - | - | - | - | 7129.00 | - | - | - | - | 7129.00 |
| 31 | कुल आरएसएफएफ (14+15+16+24+30) | - | - | - | 703632.00 | - | - | - | - | 726926.00 | - | - | - | - | 726926.00 |
| 32 | निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%) | - | - | - | 139.25% | - | - | - | - | 135.10% | - | - | - | - | 135.10% |

(₹ in Crore)

| | FY 2023-24 Q1 | | | | | | FY 2023-24 Q2 | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|--|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | | | |
| 19 | | - | - | - | 136385.00 | | - | - | - | 135410.00 | | - | - | - | 135410.00 |
| 20 | | - | - | - | 136385.00 | | - | - | - | 135410.00 | | - | - | - | 135410.00 |
| 21 | | - | - | - | 26756.00 | | - | - | - | 29270.00 | | - | - | - | 29270.00 |
| 22 | | - | - | - | 26756.00 | | - | - | - | 29270.00 | | - | - | - | 29270.00 |
| 23 | | 1358.00 | - | - | 3365.00 | | 1783.00 | 875.00 | 985.00 | 6077.00 | | 1783.00 | 875.00 | 985.00 | 6077.00 |
| 24 | | 6398.00 | 233617.00 | 124543.00 | 508923.00 | | 4004.00 | 244636.00 | 141919.00 | 527776.00 | | 4004.00 | 244636.00 | 141919.00 | 527776.00 |
| 25 | | - | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| 26 | | | 301.00 | | 3669.00 | | | 187.00 | 1481.00 | 1418.00 | | | 187.00 | 1481.00 | 1418.00 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | 42.00 | 5.00 | 47.00 | | | 4.00 | 28.00 | 32.00 | | | 4.00 | 28.00 | 32.00 |
| 29 | | 6398.00 | 233274.00 | 124538.00 | 505207.00 | | 4004.00 | 244445.00 | 141891.00 | 526326.00 | | 4004.00 | 244445.00 | 141891.00 | 526326.00 |
| 30 | | | - | 158003.00 | 6541.00 | | | - | 169617.00 | 7129.00 | | | - | 169617.00 | 7129.00 |
| 31 | | | | | 703632.00 | | | | | 726926.00 | | | | | 726926.00 |
| 32 | | | | | 139.25% | | | | | 135.10% | | | | | 135.10% |

| | | विव 2022-23 ति3 | | | | | | विव 2022-23 ति4 | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------|---------------------|---|-------------|----------------|---|---------------------|-----------|---|----------------|-----------|---------------------|----------|-------------|
| | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | अवशिष्ट परिपक्वता अवधि द्वारा गैर-भारित मूल्य | | | | | |
| | | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारित मूल्य |
| एएसएफ मद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | पूँजी : (2+3) | 68489.00 | - | - | 30736.00 | 99225.00 | 78685.00 | - | - | 28236.00 | 106921.00 | | | | | |
| 2 | विनियामक पूंजी | 68489.00 | | | 24686.00 | 93175.00 | 78685.00 | | | 23626.00 | 102311.00 | | | | | |
| 3 | अन्य पूंजीगत लिखत | | | | 6050.00 | 6050.00 | | | | 4610.00 | 4610.00 | | | | | |
| 4 | छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से खुदरा जमा और जमाएं : (5+6) | 304974.00 | 124207.00 | 99132.00 | 165483.00 | 645010.00 | 309312.00 | 113723.00 | 93928.00 | 176893.00 | 646045.00 | | | | | |
| 5 | स्थायी जमा | 53113.00 | 15394.00 | 12391.00 | 18347.00 | 95200.00 | 53178.00 | 13202.00 | 11324.00 | 17352.00 | 91171.00 | | | | | |
| 6 | घटाएं - स्थायी जमा | 251861.00 | 108813.00 | 86741.00 | 147136.00 | 549810.00 | 256134.00 | 100521.00 | 82604.00 | 159541.00 | 554874.00 | | | | | |
| 7 | शोक निधीयन : (8+9) | 70634.00 | 238905.00 | 127772.00 | 67106.00 | 233324.00 | 120625.00 | 173569.00 | 43572.00 | 47912.00 | 216795.00 | | | | | |
| 8 | परिचालन जमा | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | अन्य शोक निधीयन | 70634.00 | 238905.00 | 127772.00 | 67106.00 | 233324.00 | 120625.00 | 173569.00 | 43572.00 | 47912.00 | 216795.00 | | | | | |
| 10 | अन्य देयताएं : (11+12) | 42096.00 | 9009.00 | 7047.00 | 21953.00 | 58741.00 | 53686.00 | 37298.00 | 49869.00 | 26789.00 | 50286.00 | | | | | |
| 11 | एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | | 979.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 42096.00 | 8030.00 | 7047.00 | 21953.00 | 58741.00 | 53686.00 | 37298.00 | 49869.00 | 26789.00 | 50286.00 | | | | | |
| 13 | कुल एएसएफ (1+4+7+10) | | | | | 1036300.00 | | | | | 1020047.00 | | | | | |
| आएसएफ मद | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | उच्च गुणवत्ता वाली कुल एनएसएफआर तल आस्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 14098.00 | | | | | 14556.00 | | | | | |
| 15 | परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाशिशियां | 80.00 | 4.00 | | | 42.00 | | | | | | | | | | |
| 16 | अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) | | 55503.00 | | 259226.00 | 210201.00 | 1079.00 | 54365.00 | | 279291.00 | 223297.00 | | | | | |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण | | | | | | | 669.00 | | | 66.00 | | | | | |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत अर्जक ऋण | | 55503.00 | | | 8325.00 | | 53696.00 | | | 8054.00 | | | | | |

(₹ in Crore)

| ASF Item | FY 2022-23 Q3 | | | | | | FY 2022-23 Q4 | | | | | |
|-----------------|---|------------|-------------------|-----------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--|--|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | |
| 1 | 68489.00 | - | - | 30736.00 | 99225.00 | 78685.00 | - | - | 28236.00 | 106921.00 | | |
| 2 | 68489.00 | | | 24686.00 | 93175.00 | 78685.00 | - | - | 23626.00 | 102311.00 | | |
| 3 | | | | 6050.00 | 6050.00 | | | | 4610.00 | 4610.00 | | |
| 4 | 304974.00 | 124207.00 | 99132.00 | 165483.00 | 645010.00 | 309312.00 | 113723.00 | 93928.00 | 176893.00 | 646045.00 | | |
| 5 | 53113.00 | 15394.00 | 12391.00 | 18347.00 | 95200.00 | 53178.00 | 13202.00 | 11324.00 | 17352.00 | 91171.00 | | |
| 6 | 251861.00 | 108813.00 | 86741.00 | 147136.00 | 549810.00 | 256134.00 | 100521.00 | 82604.00 | 159541.00 | 554874.00 | | |
| 7 | 70634.00 | 238905.00 | 127772.00 | 67106.00 | 233324.00 | 120625.00 | 173569.00 | 43572.00 | 47912.00 | 216795.00 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 70634.00 | 238905.00 | 127772.00 | 67106.00 | 233324.00 | 120625.00 | 173569.00 | 43572.00 | 47912.00 | 216795.00 | | |
| 10 | 42096.00 | 9009.00 | 7047.00 | 21953.00 | 58741.00 | 53686.00 | 37298.00 | 49869.00 | 26789.00 | 50286.00 | | |
| 11 | | 979.00 | | | | | | | | | | |
| 12 | 42096.00 | 8030.00 | 7047.00 | 21953.00 | 58741.00 | 53686.00 | 37298.00 | 49869.00 | 26789.00 | 50286.00 | | |
| 13 | | | | | 1036300.00 | | | | | 1020047.00 | | |
| RSF Item | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | 14098.00 | | | | | 14556.00 | | |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 80.00 | 4.00 | | 42.00 | | | | | | | |
| 16 | Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | - | 55503.00 | - | 259226.00 | 1079.00 | 54365.00 | - | 279291.00 | 223297.00 | | |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | | | | | - | 669.00 | - | - | 66.00 | | |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | | 55503.00 | | | - | 53696.00 | - | - | 8054.00 | | |

(राशि ₹ करोड़ में)

| | विव 2022-23 ति3 | | | | | विव 2022-23 ति4 | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|------------|
| | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारत मूल्य | परिपक्वता बिना | < 6 महीने | 6 महीने से < 1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | भारत मूल्य |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा व छोटे व्यवसाय के ग्राहकों को ऋण, और राष्‍ट्रिक, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई को ऋण, जिनमें से : | | | 186866.00 | 148882.00 | | | | | |
| 20 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल लल्ल मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | | | 186866.00 | 148882.00 | | | | | |
| 21 | अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें से क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल लल्ल मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | | | 50090.00 | 32559.00 | | | | | |
| 22 | वे प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप से नहीं है और एक्सचेंज-ट्रैडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्ह नहीं है | | | 50090.00 | 32559.00 | | | | | |
| 23 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 तक की पंक्तियों का योग) | | | 22270.00 | 20435.00 | | | | | |
| 24 | स्वर्ण सहित भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं | 5074.00 | 258617.00 | 154327.00 | 493666.00 | 4827.00 | 262749.00 | 137017.00 | 234829.00 | 501151.00 |
| 25 | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में दर्ज आस्तियां और सीसीपी की डिफॉल्ट निधियों में योगदान | | 271.00 | | 4962.00 | | 266.00 | | 4344.00 | 3919.00 |
| 26 | एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्ति | | | | | | 26.00 | | | 26.00 |
| 27 | दर्ज किए गए विभिन्न मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां | | 7.00 | 29.00 | 35.00 | | 10148.00 | 17.00 | | 10165.00 |
| 28 | अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 5074.00 | 258339.00 | 154298.00 | 488669.00 | 4827.00 | 252309.00 | 137000.00 | 230485.00 | 487041.00 |
| 29 | तुलन पत्रेतर मदें | | | 185716.00 | 7918.00 | | | | | 8233 |
| 30 | कुल आएसएफ (14+15+16+24+30) | | | | 725926.00 | | | | | 747238.00 |
| 31 | निवल स्थायी निधीयन अनुपात (%) | | | | 142.76% | | | | | 136.51% |

| | FY 2022-23 Q3 | | | | | | FY 2022-23 Q4 | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|-----------|------------------|---------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------------|------------------|
| | Unweighted value by residual maturity | | | | | | Unweighted value by residual maturity | | | | | |
| | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1yr | ≥ 1yr | Weighted value | |
| 19 | Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks, and PSEs, of which: | | | 186866.00 | 148882.00 | | | | | - | 206940.00 | 163085.00 |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | | | 186866.00 | 148882.00 | | | | | - | 206940.00 | 163085.00 |
| 21 | Performing residential mortgages, of which: | | | 50090.00 | 32559.00 | | | | | - | 51621.00 | 33554.00 |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel III Standardised Approach for credit risk | | | 50090.00 | 32559.00 | | | | | - | 51621.00 | 33554.00 |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | | | 22270.00 | 20435.00 | | | | | | 20730.00 | 18538.00 |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 5074.00 | 258617.00 | 154327.00 | 493666.00 | 4827.00 | 262749.00 | 137017.00 | 234829.00 | 501151.00 | | |
| 25 | Physical traded commodities, including gold | - | | | - | | | | | | | |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | | 271.00 | | 4962.00 | | 266.00 | | 4344.00 | 3919.00 | | |
| 27 | NSFR derivative assets | | | | | | 26.00 | | | 26.00 | | |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | | 7.00 | 29.00 | 35.00 | | 10148.00 | 17.00 | | 10165.00 | | |
| 29 | All other assets not included in the above categories | 5074.00 | 258339.00 | 154298.00 | 488669.00 | 4827.00 | 252309.00 | 137000.00 | 230485.00 | 487041.00 | | |
| 30 | Off-balance sheet items | | | 185716.00 | 7918.00 | | | - | - | 192661.00 | | 8233 |
| 31 | Total RSF (14+15+16+24+30) | | | | 725926.00 | | | | | | | 747238.00 |
| 32 | Net Stable Funding Ratio (%) | | | | 142.76% | | | | | | | 136.51% |

3. निवेश

ए) यथा 31.03.2024 को निवेश पोर्टफोलियो संरचना

(राशि ₹ करोड़ में)

| | भारत में निवेश | | | | | | | | भारत से बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---------------------|----------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|---------|--------------------|---|----------------------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुसूचित प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर व बॉण्ड | अनुसूचियों और / या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारी सहित) | अनुसूचियों और / या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत से बाहर निवेश | कुल निवेश | |
| परिपक्वता तक धारित | | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 288134.24 | 1.50 | 0.00 | 1236.67 | 956.34 | 230.78 | 290559.54 | 148.51 | 93.08 | 0.00 | 241.59 | 290801.13 | |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान(एनपीआई) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| निवल | 288134.24 | 1.50 | 0.00 | 1236.67 | 956.34 | 230.78 | 290559.54 | 148.51 | 93.08 | 0.00 | 241.59 | 290801.13 | |
| बिक्री के लिए उपलब्ध | | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 54452.84 | 0.90 | 4135.69 | 9464.35 | 0.00 | 1693.65 | 69747.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2566.85 | 72314.27 | |
| घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान | 439.38 | 0.00 | 1711.53 | 2816.17 | 0.00 | 1119.38 | 6086.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 6096.54 | |
| निवल | 54013.46 | 0.90 | 2424.15 | 6648.18 | 0.00 | 574.26 | 63660.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2556.77 | 66217.73 | |
| ट्रेडिंग के लिए धारित | | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | |
| घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| निवल | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | |
| कुल निवेश | 343022.63 | 2.40 | 4135.69 | 10701.02 | 956.34 | 1924.43 | 360742.51 | 148.51 | 93.08 | 2566.85 | 2808.44 | 363550.95 | |
| सकल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान | 439.38 | 0.00 | 1711.53 | 2816.17 | 0.00 | 1119.38 | 6086.46 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 6096.54 | |
| निवल | 342583.25 | 2.40 | 2424.16 | 7884.85 | 956.34 | 805.05 | 354656.05 | 148.51 | 93.08 | 2556.77 | 2798.36 | 357454.42 | |

3. Investments
a) Composition of Investment Portfolio As at 31.03.2024

| | Investments in India | | | | | | | | Investments outside India | | | | Total Investments | |
|--|-----------------------|---------------------------|---------|----------------------|------------------------------------|---------|----------------------------|---|------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-------------------|--|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities) | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | | | |
| Held to Maturity | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 288134.24 | 1.50 | 0.00 | 1236.67 | 956.34 | 230.78 | 290559.54 | 148.51 | 93.08 | 0.00 | 241.59 | 290801.13 | | |
| Less: Provision for non-performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Net | 288134.24 | 1.50 | 0.00 | 1236.67 | 956.34 | 230.78 | 290559.54 | 148.51 | 93.08 | 0.00 | 241.59 | 290801.13 | | |
| Available for Sale | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 54452.84 | 0.90 | 4135.69 | 9464.35 | 0.00 | 1693.65 | 69747.42 | 0.00 | 0.00 | 2566.85 | 2566.85 | 72314.27 | | |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 439.38 | 0.00 | 1711.53 | 2816.17 | 0.00 | 1119.38 | 6086.46 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 6096.54 | | |
| Net | 54013.46 | 0.90 | 2424.15 | 6648.18 | 0.00 | 574.26 | 63660.96 | 0.00 | 0.00 | 2556.77 | 2556.77 | 66217.73 | | |
| Held for Trading | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | | |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Net | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.55 | | |
| Total Investments | 343022.63 | 2.40 | 4135.69 | 10701.02 | 956.34 | 1924.43 | 360742.51 | 148.51 | 93.08 | 2566.85 | 2808.44 | 363550.95 | | |
| Gross | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 439.38 | 0.00 | 1711.53 | 2816.17 | 0.00 | 1119.38 | 6086.46 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 10.08 | 6096.54 | | |
| Net | 342583.25 | 2.40 | 2424.16 | 7884.85 | 956.34 | 805.05 | 354656.05 | 148.51 | 93.08 | 2556.77 | 2798.36 | 357454.42 | | |

(राशि ₹ करोड़ में)

यथा 31.03.2023 तक

| | भारत में निवेश | | | | | | भारत से बाहर निवेश | | | | | कुल निवेश |
|---|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर व बॉण्ड | अनुबंधियां और / या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थायीय प्राधिकारी सहित) | अनुबंधियां और / या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत से बाहर निवेश | |
| परिपक्वता तक धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 265900.07 | 1.50 | 0.00 | 1987.46 | 1002.07 | 318.36 | 269202.46 | 120.91 | 93.09 | 0.00 | 214.00 | 269423.46 |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान(एनपीआई) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| निवल | 265900.07 | 1.50 | 0.00 | 1977.46 | 1002.07 | 318.36 | 269199.46 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 269413.46 |
| बिक्री के लिए उपलब्ध | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 37879.56 | 0.91 | 4282.89 | 8166.51 | 0.00 | 1942.36 | 52272.22 | 1720.01 | 0.00 | 902.89 | 2622.90 | 54895.12 |
| घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान | 668.94 | 0.00 | 1869.40 | 2122.97 | 0.00 | 701.92 | 5363.23 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | 30.07 | 5393.30 |
| निवल | 37210.62 | 0.91 | 2413.50 | 6043.54 | 0.00 | 1240.44 | 46908.99 | 1720.01 | 0.00 | 872.82 | 2592.83 | 49501.82 |
| ट्रेडिंग के लिए धारित | | | | | | | | | | | | |
| सकल | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 |
| घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निवल | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 |
| कुल निवेश | 303902.79 | 2.40 | 4282.89 | 10153.96 | 1002.07 | 2260.72 | 321604.85 | 1840.92 | 93.09 | 902.89 | 2836.90 | 324441.74 |
| घटाएं: मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान | 668.94 | 0.00 | 1869.40 | 2132.97 | 0.00 | 701.92 | 5373.23 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | 30.07 | 5403.29 |
| निवल | 303233.85 | 2.40 | 2413.50 | 8020.99 | 1002.07 | 1558.80 | 316231.62 | 1840.92 | 93.09 | 872.82 | 2806.83 | 319038.45 |

(₹ in Crore)

As at 31.03.2023

| | Investments in India | | | | | | Investments outside India | | | | Total Invest-ments | |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | Government Securities | Other Ap-proved Securi-ties | Shares | Deben-tures and Bonds | Subsid-aries and/or joint ventures | Others | Total invest-ments in India | Govern-ment securities (including local authorities) | Subsidiar-ies and/or joint ventures | Others | | Total Invest-ments outside India |
| Held to Maturity | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 265900.07 | 1.50 | 0.00 | 1987.46 | 1002.07 | 318.36 | 269202.46 | 120.91 | 93.09 | 0.00 | 214.00 | 269423.46 |
| Less: Provision for non-performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| Net | 265900.07 | 1.50 | 0.00 | 1977.46 | 1002.07 | 318.36 | 269199.46 | 120.91 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 269413.46 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Available for Sale | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 37879.56 | 0.91 | 4282.89 | 8166.51 | 0.00 | 1942.36 | 52272.22 | 1720.01 | 0.00 | 902.89 | 2622.90 | 54895.12 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 668.94 | 0.00 | 1869.40 | 2122.97 | 0.00 | 701.92 | 5363.23 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | 30.07 | 5393.30 |
| Net | 37210.62 | 0.91 | 2413.50 | 6043.54 | 0.00 | 1240.44 | 46908.99 | 1720.01 | 0.00 | 872.82 | 2592.83 | 49501.82 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Held for Trading | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.17 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total Investments | 303902.79 | 2.40 | 4282.89 | 10153.96 | 1002.07 | 2260.72 | 321604.85 | 1840.92 | 93.09 | 902.89 | 2836.90 | 324441.74 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 668.94 | 0.00 | 1869.40 | 2132.97 | 0.00 | 701.92 | 5373.23 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | 30.07 | 5403.29 |
| Net | 303233.85 | 2.40 | 2413.50 | 8020.99 | 1002.07 | 1558.80 | 316231.62 | 1840.92 | 93.09 | 872.82 | 2806.83 | 319038.45 |

बी) मूल्यहास और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व के लिए प्रावधानों का संचलन

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|-------|---|------------|------------|
| i. | निवेश के मूल्यहास में धारित प्रावधानों का संचलन | | |
| | ए) प्रारंभिक शेष राशि | 5403.30 | 4423.83 |
| | एआरसीआईएल | 449.98 | -506.00 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 1268.50 | 1873.34 |
| | सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बढ़े खाते में डालना / प्रतिलेखन करना | 1025.24 | 387.87 |
| | विनिमय उतार-चढ़ाव | 0.00 | 0.00 |
| | डी) अंतिम शेष राशि | 6096.54 | 5403.30 |
| ii. | निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन | | |
| | ए) प्रारंभिक शेष राशि | 1013.45 | 939.02 |
| | बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि | 319.61 | 74.44 |
| | सी) घटाएं : ड्राडाउन | 0.00 | 0.00 |
| | डी) अंतिम शेष राशि | 1333.06 | 1013.45 |
| iii. | एएफएस और एचएफटी / वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष राशि | 2.00 | 2.04 |

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(₹ in Crore)

| Particulars | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|-------------|--|------------|------------|
| i. | Movement of provisions held towards depreciation on investments | | |
| | a) Opening balance | 5403.30 | 4423.83 |
| | ARCIL | 449.98 | -506.00 |
| | b) Add: Provisions made during the year | 1268.50 | 1873.34 |
| | c) Less: Write-off / Write-back of excess provisions during the year | 1025.24 | 387.87 |
| | Exchange Fluctuation | 0.00 | 0.00 |
| | d) Closing balance | 6096.54 | 5403.30 |
| ii. | Movement of Investment Fluctuation Reserve | | |
| | a) Opening balance | 1013.45 | 939.02 |
| | b) Add: Amount transferred during the year | 319.61 | 74.44 |
| | c) Less: Drawdown | 0.00 | 0.00 |
| | d) Closing balance | 1333.06 | 1013.45 |
| iii. | Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT / Current category | 2.00 | 2.04 |

सी) बिक्री और एचटीएम श्रेणी से / के लिए अंतरण

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने एचटीएम श्रेणी से बेची गई प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी के बुक वैल्यू के 5% से अधिक नहीं हैं। (पिछले वर्ष में, बिक्री एचटीएम श्रेणी के 5% से अधिक नहीं हुई है)

c) Sale and transfers to / from HTM category

During the Financial Year 2023-24, the Bank sold securities from HTM category are not in excess of 5% of the book value of HTM category. (In the previous year, the sale has not exceeded 5% of HTM category).

डी) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|------------------------------------|------------|------------|
| ए) | प्रारंभिक शेष राशि | 6768.37 | 4586.70 |
| बी) | 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन | 204.06 | 3471.52 |
| सी) | उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती | 918.11 | 1293.77 |
| | विनिमय उतार-चढ़ाव | 2.09 | 3.92 |
| डी) | अंतिम शेष राशि | 6056.41 | 6768.37 |
| ई) | कुल प्रावधान | 6056.41 | 6742.13 |

d) Non-SLR investment portfolio

i) Non-performing, non-SLR investments

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|---|------------|------------|
| a) | Opening balance | 6768.37 | 4586.70 |
| b) | Additions during the year since 1 st April | 204.06 | 3471.52 |
| c) | Reductions during the above period | 918.11 | 1293.77 |
| | Exchange Fluctuation | 2.09 | 3.92 |
| d) | Closing balance | 6056.41 | 6768.37 |
| e) | Total provisions held | 6056.41 | 6742.13 |

ii) गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना: (राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | जारीकर्ता | राशि | | निजी स्थान (ब्लेसमेंट) की सीमा | | निवेश ग्रेड से कम प्रतिभूतियों की सीमा | | 'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा | | 'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा | |
|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--|---------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| ए) | पीएसयू | 4964.94 | 3114.44 | 2053.82 | 1346.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बी) | वित्तीय संस्थाएं | 3660.02 | 2409.59 | 2958.49 | 1890.96 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सी) | बैंक | 668.16 | 1520.58 | 151.00 | 1255.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| डी) | निजी कॉर्पोरेट | 6634.04 | 9073.87 | 1918.11 | 3513.58 | 264.17 | 371.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ई) | सहायक / संयुक्त उद्यम | 1049.43 | 1002.07 | 956.34 | 1002.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एफ) | अन्य | 3549.33 | 3322.91 | 1840.94 | 1330.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| जी) | मूल्यहास के लिए प्रावधान | 5657.15 | 4517.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | कुल* | 14868.76 | 15926.10 | 9878.70 | 10339.56 | 264.17 | 469.37 | 0 | 0 | 0 | 105 |

नोट: उपरोक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के तहत रिपोर्ट की गई राशियां परस्पर अनन्य नहीं हैं।

ii) Issuer composition of non-SLR investments: (₹ in Crore)

| Sl. No. | Issuer | Amount | | Extent of Private Placement | | Extent of 'Below Investment Grade' Securities | | Extent of 'Unrated' Securities | | Extent of 'Unlisted' Securities | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| a) | PSUs | 4964.94 | 3114.44 | 2053.82 | 1346.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | FIs | 3660.02 | 2409.59 | 2958.49 | 1890.96 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Banks | 668.16 | 1520.58 | 151.00 | 1255.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Private Corporates | 6634.04 | 9073.87 | 1918.11 | 3513.58 | 264.17 | 371.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | Subsidiaries / Joint Ventures | 1049.43 | 1002.07 | 956.34 | 1002.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | Others | 3549.33 | 3322.91 | 1840.94 | 1330.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| g) | Provision held towards depreciation | 5657.15 | 4517.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Total* | 14868.76 | 15926.10 | 9878.70 | 10339.56 | 264.17 | 469.37 | 0 | 0 | 105 | 0 |

Note: Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के अनुसार)

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | 31.03.2024 तक बकाया |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 6105.00 | 1875.34 | 100.00 |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 4429.98 | 302.80 | 3230.67 |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| iii) कोई अन्य प्रतिभूति | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

e) Repo transactions (in face value terms)

(₹ in Crore)

| Particulars | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | Outstanding as on 31.03.2024 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| Securities sold under repo | | | | |
| i) Government Securities | 0.00 | 6105.00 | 1875.34 | 100.00 |
| ii) Corporate Debt Securities | Nil | Nil | Nil | Nil |
| iii) Any Other Securities | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Securities purchased under reverse repo | | | | |
| i) Government Securities | 0.00 | 4429.98 | 302.80 | 3230.67 |
| ii) Corporate Debt Securities | Nil | Nil | Nil | Nil |
| iii) Any Other Securities | Nil | Nil | Nil | Nil |

एफ़) 31.03.2024 तक सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

| विवरण | चालू वर्ष के दौरेन न्यूनतम बकाया | पिछले वर्ष के दौरेन न्यूनतम बकाया | चालू वर्ष के दौरेन अधिकतम बकाया | पिछले वर्ष के दौरेन अधिकतम बकाया | चालू वर्ष के दौरेन औसत बकाया | पिछले वर्ष के दौरेन औसत बकाया | चालू वर्ष के दौरेन लेनदेन की कुल मात्रा | पिछले वर्ष के दौरेन लेनदेन की कुल मात्रा | चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया | पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक बकाया |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपाश्रिक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्रिक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियाँ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

f) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) as at 31.03.2024

| Particulars | Minimum out-standing during the current year | Minimum out-standing during the previous year | Maximum out-standing during the current year | Maximum out-standing during the previous year | Daily average out-standing during the current year | Daily average out-standing during the previous year | Total volume of transactions during the current year | Total volume of transactions during the previous year | Out-standing as on March 31 st of the current financial year | Out-standing as on March 31 st of the previous financial year |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|--|
| Securities lent through GSL transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Securities borrowed through GSL transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Securities placed as collateral under GSL Transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4) आस्ति गुणवत्ता
ए) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

31.03.2024 की स्थिति में

(राशि ₹ करोड़ में)

| | मानक | | गैर निष्पादित | | | कुल |
|---|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|--------|
| | कुल मानक अग्रिम | उप मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर-निष्पादित अग्रिम | |
| सकल मानक अग्रिम और एनपीए | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | 816622 | 8662 | 23237 | 14261 | 46160 | 862782 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | 10626 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती* | | | | | 16181 | |
| अंतिम शेष राशि | 919998 | 9267 | 18113 | 13225 | 40605 | 960602 |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण: | | | | | | |
| i) उन्नयन | | | | | 1035 | |
| ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर) | | | | | 3320 | |
| iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण (पूडेंशियल) राइट-ऑफ्स | | | | | 10971 | |
| iv) उपर्युक्त (iii) के तहत उनके के अलावा अन्य राइट-ऑफ | | | | | 855 | |
| प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष | 3218 | 1508 | 16012 | 14246 | 31766 | 34984 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 9387 | 9387 |
| घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रतिवर्ती / बट्टे खाते में डाले गए ऋण | | | | | 12410 | 12179 |
| धारित प्रावधानों का अंतिम शेष | 3449 | 1545 | 13993 | 13205 | 28743 | 32192 |
| निवल एनपीए | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | | 7154 | 7195 | 0 | 14349 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन | | | | | 1239 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती | | | | | 3765 | |
| अंतिम शेष राशि | | 7721 | 4102 | 0 | 11823 | |
| अस्थायी प्रावधान | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | | | | | | 0 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | | | | | | 0 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि | | | | | | 0 |
| अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष राशि | | | | | | 0 |
| तकनीकी राइट - ऑफ और उस पर की गई वसूली | | | | | | |
| तकनीकी / विवेकपूर्ण (पूडेंशियल) राइट-ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष | | | | | | 66643 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण (पूडेंशियल) राइट-ऑफ | | | | | | 11612 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी / विवेकपूर्ण (पूडेंशियल) राइट-ऑफ खातों से की गई वसूली | | | | | | 10594 |
| अंतिम शेष राशि | | | | | | 67661 |

4. Asset quality

a) Classification of advances and provisions held

As at 31.03.2024

(₹ in Crore)

| | Standard | | Non-Performing | | | Total |
|---|-------------------------|--------------|----------------|-------|-------------------------------|--------|
| | Total Standard Advances | Sub-Standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Gross Standard Advances and NPAs | | | | | | |
| Opening Balance | 816622 | 8662 | 23237 | 14261 | 46160 | 862782 |
| Add: Additions during the year | | | | | 10626 | |
| Less: Reductions during the year* | | | | | 16181 | |
| Closing balance | 919998 | 9267 | 18113 | 13225 | 40605 | 960602 |
| *Reductions in Gross NPAs due to: | | | | | | |
| i) Upgradation | | | | | 1035 | |
| ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | 3320 | |
| iii) Technical / Prudential Write-offs | | | | | 10971 | |
| iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | 855 | |
| Provisions (excluding Floating Provisions) | | | | | | |
| Opening balance of provisions held | 3218 | 1508 | 16012 | 14246 | 31766 | 34984 |
| Add: Fresh provisions made during the year | | | | | 9387 | 9387 |
| Less: Excess provision reversed / Write-off loans | | | | | 12410 | 12179 |
| Closing balance of provisions held | 3449 | 1545 | 13993 | 13205 | 28743 | 32192 |
| Net NPAs | | | | | | |
| Opening Balance | | 7154 | 7195 | 0 | 14349 | |
| Add: Fresh additions during the year | | | | | 1239 | |
| Less: Reductions during the year | | | | | 3765 | |
| Closing Balance | | 7721 | 4102 | 0 | 11823 | |
| Floating Provisions | | | | | | |
| Opening Balance | | | | | | 0 |
| Add: Additional provisions made during the year | | | | | | 0 |
| Less: Amount drawn down during the year | | | | | | 0 |
| Closing balance of floating provisions | | | | | | 0 |
| Technical write-offs and the recoveries made thereon | | | | | | |
| Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts | | | | | | 66643 |
| Add: Technical / Prudential write-offs during the year | | | | | | 11612 |
| Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year | | | | | | 10594 |
| Closing balance | | | | | | 67661 |

31.03.2023 की स्थिति में

(राशि ₹ करोड़ में)

| | मानक | | गैर निष्पादित | | | कुल |
|---|-----------------|---------|---------------|-------|--------------------------|--------|
| | कुल मानक अग्रिम | उप मानक | संदिग्ध | हानि | कुल गैर-निष्पादित अग्रिम | |
| सकल मानक अग्रिम और एनपीए | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | 685495 | 9130 | 34868 | 11654 | 55652 | 741147 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | 11979 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती* | | | | | 21471 | |
| अंतिम शेष राशि | 816622 | 8662 | 23237 | 14261 | 46160 | 862782 |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण: | | | | | | |
| i) उन्नयन | | | | | 1465 | |
| ii) वसूली (अप्रोड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) | | | | | 7246 | |
| iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ्स | | | | | 10404 | |
| iv) उपर्युक्त (iii) के तहत उनके के अलावा अन्य राइट-ऑफ | | | | | 2356 | |
| प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर) | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष | 2861 | 1566 | 23384 | 11640 | 36590 | 39451 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 9737 | 10094 |
| घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रतिवर्ती / बट्टे खाते में डाले गए ऋण | | | | | 14561 | 14561 |
| धारित प्रावधानों का अंतिम शेष | 3218 | 1508 | 16012 | 14246 | 31766 | 34984 |
| निवल एनपीए | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | | 7540 | 11128 | 0 | 18668 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन | | | | | 2242 | |
| घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती | | | | | 6561 | |
| अंतिम शेष राशि | | 7154 | 7195 | 0 | 14349 | |
| अस्थायी प्रावधान | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष राशि | | | | | | 0 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | | | | | | 0 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित राशि | | | | | | 0 |
| अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष | | | | | | 0 |
| तकनीकी राइट-ऑफ और उस पर की गई वसूली | | | | | | |
| तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष | | | | | | 61656 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ | | | | | | 12311 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व तकनीकी / विवेकपूर्ण (प्रूडेंशियल) राइट-ऑफ खातों से की गई वसूली | | | | | | 7324 |
| अंतिम शेष राशि | | | | | | 66643 |

| अनुपात (प्रतिशत में) | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------------------------|------------|------------|
| सकल एनपीए से सकल अग्रिम | 4.23 | 5.35 |
| निवल एनपीए से निवल अग्रिम | 1.27 | 1.73 |
| प्रावधान कवरेज अनुपात | 89.10 | 87.31 |

As at 31.03.2023

(₹ in Crore)

| | Standard | Non-Performing | | | Total Non-Performing Advances | Total |
|---|-------------------------|----------------|----------|-------|-------------------------------|--------|
| | Total Standard Advances | Sub-Standard | Doubtful | Loss | | |
| Gross Standard Advances and NPAs | | | | | | |
| Opening Balance | 685495 | 9130 | 34868 | 11654 | 55652 | 741147 |
| Add: Additions during the year | | | | | 11979 | |
| Less: Reductions during the year* | | | | | 21471 | |
| Closing balance | 816622 | 8662 | 23237 | 14261 | 46160 | 862782 |
| *Reductions in Gross NPAs due to: | | | | | | |
| i) Upgradation | | | | | 1465 | |
| ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | 7246 | |
| iii) Technical / Prudential Write-offs | | | | | 10404 | |
| iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | 2356 | |
| Provisions (excluding Floating Provisions) | | | | | | |
| Opening balance of provisions held | 2861 | 1566 | 23384 | 11640 | 36590 | 39451 |
| Add: Fresh provisions made during the year | | | | | 9737 | 10094 |
| Less: Excess provision reversed / Write-off loans | | | | | 14561 | 14561 |
| Closing balance of provisions held | 3218 | 1508 | 16012 | 14246 | 31766 | 34984 |
| Net NPAs | | | | | | |
| Opening Balance | | 7540 | 11128 | 0 | 18668 | |
| Add: Fresh additions during the year | | | | | 2242 | |
| Less: Reductions during the year | | | | | 6561 | |
| Closing Balance | | 7154 | 7195 | 0 | 14349 | |
| Floating Provisions | | | | | | |
| Opening Balance | | | | | | 0 |
| Add: Additional provisions made during the year | | | | | | 0 |
| Less: Amount drawn down during the year | | | | | | 0 |
| Closing balance of floating provisions | | | | | | 0 |
| Technical write-offs and the recoveries made thereon | | | | | | |
| Opening balance of Technical / Prudential written-off accounts | | | | | | 61656 |
| Add: Technical / Prudential write-offs during the year | | | | | | 12311 |
| Less: Recoveries made from previously technical / prudential written-off accounts during the year | | | | | | 7324 |
| Closing balance | | | | | | 66643 |

| Ratios (in per cent) | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Gross NPA to Gross Advances | 4.23 | 5.35 |
| Net NPA to Net Advances | 1.27 | 1.73 |
| Provision coverage ratio | 89.10 | 87.31 |

बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | क्षेत्र* | वित्तीय वर्ष 2024 | | | वित्तीय वर्ष 2023 | | |
|----------|--|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|---|
| | | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों पर सकल एनपीए का प्रतिशत |
| i) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | | | | | | |
| ए) | कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ | 249337.01 | 8541 | 3.43% | 211064.66 | 7399 | 3.51% |
| बी) | उद्योग क्षेत्र को पात्र अग्रिम जैसा कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध हो | 55340.58 | 11234 | 20.30% | 51292.13 | 11895 | 23.19% |
| सी) | सेवाएं | 76528.31 | 1625 | 2.12% | 72335.25 | 1477 | 2.04% |
| डी) | वैयक्तिक ऋण | 42006.16 | 0 | 0.00% | 47405.46 | 0 | 0.00% |
| | कुल (i) | 423212.05 | 21400 | 5.06% | 382097.50 | 20771 | 5.44% |
| ii) | गैर-प्राथमिकता क्षेत्र | | | | | | |
| ए) | कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ | 3869.06 | 0 | 0.00% | 2261.88 | 0 | 0.00% |
| बी) | उद्योग | 172091.27 | 13321 | 7.74% | 192930.68 | 19117 | 9.91% |
| सी) | सेवाएं | 247022.28 | 5262 | 2.13% | 192846.09 | 5729 | 2.97% |
| डी) | वैयक्तिक ऋण | 114407.74 | 622 | 0.54% | 92645.54 | 543 | 0.59% |
| | कुल (i) | 537390.35 | 19205 | 3.57% | 480684.19 | 25389 | 5.28% |
| | कुल (i+ii) | 960602.40 | 40605 | 4.23% | 862781.69 | 46160 | 5.35% |

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Sector* | FY 2024 | | | FY 2023 | | |
|---------|---|----------------------------|--------------|---|----------------------------|--------------|---|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPAs | Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| i) | Priority Sector | | | | | | |
| a) | Agriculture and allied activities | 249337.01 | 8541 | 3.43% | 211064.66 | 7399 | 3.51% |
| b) | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 55340.58 | 11234 | 20.30% | 51292.13 | 11895 | 23.19% |
| c) | Services | 76528.31 | 1625 | 2.12% | 72335.25 | 1477 | 2.04% |
| d) | Personal loans | 42006.16 | 0 | 0.00% | 47405.46 | 0 | 0.00% |
| | Sub-total (i) | 423212.05 | 21400 | 5.06% | 382097.50 | 20771 | 5.44% |
| ii) | Non-priority Sector | | | | | | |
| a) | Agriculture and allied activities | 3869.06 | 0 | 0.00% | 2261.88 | 0 | 0.00% |
| b) | Industry | 172091.27 | 13321 | 7.74% | 192930.68 | 19117 | 9.91% |
| c) | Services | 247022.28 | 5262 | 2.13% | 192846.09 | 5729 | 2.97% |
| d) | Personal loans | 114407.74 | 622 | 0.54% | 92645.54 | 543 | 0.59% |
| | Sub-total (ii) | 537390.35 | 19205 | 3.57% | 480684.19 | 25389 | 5.28% |
| | Total (i + ii) | 960602.40 | 40605 | 4.23% | 862781.69 | 46160 | 5.35% |

उद्योगों का उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम क्षेत्र के कुल बकाया अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक है

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | उप क्षेत्र* | 31.03.2024 | | | 31.03.2023 | | |
|----------|---------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|--|
| | | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % | बकाया कुल अग्रिम | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % |
| 1 | आधारभूत संरचना | 129411.00 | 5637 | 4.36% | 115541.79 | 6079 | 5.26% |
| 2 | थोक / खुदरा व्यापार | 67213.11 | 3906 | 5.81% | 52609.50 | 3603 | 6.85% |

Sub-sector of industries where the outstanding advances exceeds 10 percent of the outstanding total advances of the sector

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Sub-sector | 31.03.2024 | | | 31.03.2023 | | |
|---------|--------------------------|----------------------------|-----------|--|----------------------------|-----------|--|
| | | Outstanding Total Advances | Gross NPA | Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector | Outstanding Total Advances | Gross NPA | Percentage of Gross NPA to Total Advances in that sector |
| 1 | Infrastructure | 129411.00 | 5637 | 4.36% | 115541.79 | 6079 | 5.26% |
| 2 | Wholesale / Retail Trade | 67213.11 | 3906 | 5.81% | 52609.50 | 3603 | 6.85% |

सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--------------|------------|------------|
| कुल आस्तियां | 112069.08 | 117096.66 |
| कुल एनपीए | 4825.77 | 4772.99 |
| कुल राजस्व | 6437.13 | 3833.81 |

c) Overseas assets, NPAs and revenue

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------------|------------|------------|
| Total Assets | 112069.08 | 117096.66 |
| Total NPAs | 4825.77 | 4772.99 |
| Total Revenue | 6437.13 | 3833.81 |

डी) समाधान योजना का विवरण और पुनः संरचना

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण ढांचे के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 07.06.2019 के अनुसार, बैंक के पास 10 खातों में ₹832.11 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

| आरबीआई परिपत्र से प्रभावित ऋण की राशि (ए) | एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए गए ऋण की राशि (बी) | दिनांक 31.03.2024 को (बी) में से ऋण की राशि, एनपीए (सी) के रूप में वर्गीकृत | दिनांक 31.03.2023 तक प्रावधान किया गया (डी) | दिनांक 31.03.2024 को समाप्त तिमाही/अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/(रिवर्सल) (इ) | दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार प्रावधान किया गया (एफ) |
|---|--|---|---|---|--|
| 4352.02 | 4352.02 | 4352.02 | 1413.64 | -581.53 | 832.11 |

d) Particulars of resolution plan and restructuring

As per the RBI Circular DBR. No. BP. BC. 45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on prudential framework for Resolution of Stressed Assets, Bank holds an additional provision of ₹832.11 crore in 10 accounts as detailed below.

(₹ in Crore)

| Amount of loans impacted by RBI Circular (a) | Amount of loans to be classified as NPA (b) | Amount of loans as on 31.03.2024 out of (b) classified as NPA (c) | Provision held as on 31.03.2023 (d) | Additional provision/(Reversal) made during quarter / period ended 31.03.2024 (e) | Provision held as on 31.03.2024 (f) |
|--|---|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4352.02 | 4352.02 | 4352.02 | 1413.64 | -581.53 | 832.11 |

ई) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

वित्तीय विवरणों पर ढाँचल मास्टर निर्देश संख्या RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 दिनांक 30.08.2021 (01.04.2024 तक अद्यतन) के अनुसार - प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन, बैंकों को विचलन का खुलासा करना चाहिए, यदि निम्नलिखित में से एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मूल्यांकन किए गए एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान संदर्भ अवधि के प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पहले रिपोर्ट किए गए लाभ के 10 प्रतिशत से अधिक है और
- आरबीआई द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए जारी वृद्धिशील सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक हैं।

e) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI Master Direction No RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated 30.08.2021 (Updated as on 01.04.2024) on financial statements - Presentation and disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

- The additional provisioning for NPAs assessed by Reserve Bank of India as part of its supervisory process, exceeds five per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and
- The additional Gross NPAs identified by the Reserve Bank of India as part of its supervisory process exceeds five percent of the reported incremental Gross NPAs for the reference period.

हमारे बैंक में विचलन उपर्युक्त निर्दिष्ट सीमा के भीतर हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण

- दिनांक 24.09.2021 को ऋण जोखिम के अंतरित पर आरबीआई के मास्टर निदेश के तहत 31.03.2024 को समाप्त अवधि के दौरान अंतरित / अर्जित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है: -
 - बैंक ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे ऋण को अंतरित / अर्जित नहीं किया है जो कि चूक में हैं
 - बैंक ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) / विशेष उल्लेखित खाता (एसएमए) प्राप्त नहीं किया है।
 - 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | एआरसी | अनुमत अंतरितियों के लिए | अन्य अंतरितियों के लिए (कृपया निर्दिष्ट करें) |
|---|---------|-------------------------|---|
| खातों की संख्या | 12 | शून्य | शून्य |
| अंतरित ऋणों का सकल मूल बकाया | 2850.31 | | |
| अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | शून्य | | |
| अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | 2850.31 | | |
| संकलित प्रतिफल | 915.97 | | |
| पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल | - | | |

नोट: उपरोक्त के अलावा, बैंक ने मेसर्स एसआरआईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एसआरआईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की तनावग्रस्त वित्तीय संपत्तियों को आईबीसी 2016 के तहत सीआईआरपी प्रक्रिया के माध्यम से 1564.107 करोड़ रुपये (हमारा हिस्सा) के लिए संकल्प योजना के तहत एनएआरसीएल को हस्तांतरित कर दिया है।

In our Bank, divergences are within threshold limit specified above, hence no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for FY 2023-24.

f) Disclosure of transfer of loan exposures

- Details of loans transferred / acquired during the period ended 31.03.2024 under the RBI Master Direction on transfer of loan exposures dated 24.09.2021 are given below: -
 - Bank has not transferred / acquired any Loans not in default during the year ended 31.03.2024.
 - The Bank has not acquired any Stressed Loans (NPAs) / Special Mentioned Accounts (SMA) during the year ended 31.03.2024.
 - Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended 31.03.2024:

(₹ in Crore)

| Particulars | To ARCs | To permitted Transferees | To Other Transferees (Please Specify) |
|---|---------|--------------------------|---------------------------------------|
| No. of Accounts | 12 | Nil | |
| Aggregate principal outstanding of loans transferred | 2850.31 | | |
| Weighted average residual tenor of the loans transferred | Nil | | |
| Net book value of the loans transferred (at the time of transfer) | 2850.31 | | |
| Aggregate consideration | 915.97 | | |
| Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | - | | |

Note: In addition to the above, Bank has transferred stressed financial assets of M/s. SREI Infrastructure Finance Ltd & SREI Equipment Finance Ltd., to NARCL under Resolution Plan through CIRP process under IBC 2016 for ₹1564.107 crore (our share)

डी) 31.03.2024 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में बैंक द्वारा धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| रिकवरी रेटिंग बैंड | बही लागत |
|--------------------|----------------|
| आरआर1 | 143.08 |
| आरआर1+ | 0.01 |
| आरआर2 | 45.05 |
| आरआर3 | 20.89 |
| आरआर4 | - |
| आरआर5 | 172.42 |
| एनआर | 726.34 |
| आहरित रेटिंग | - |
| कुल | 1107.79 |

नोट करें: उपरोक्त तालिका में मेसर्स एसआरआईआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और एसआरआईआई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड को एनएआरसीएल को हस्तांतरित करने के लिए समाधान योजना के एक भाग के रूप में जारी किए गए 178.79 करोड़ रुपये का एसआर शामिल है। तालिका में एनएआरसीएल को हस्तांतरित मेसर्स हितोदी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट) के खाते में जारी 17.79 करोड़ रुपये का एसआर भी शामिल है।

ई) दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ-हानि खाते में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा: **₹371.67 crore**

जी) धोखाधड़ी खाते

| | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या | 157 | 158 |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़ में) | 1079.31 | 2871.01 |
| ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) | 1079.31 | 2871.01 |
| वर्ष के अंत में 'अन्य रिजर्व' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़ में) | - | - |

d) Distribution of the SRs held by the Bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on 31.03.2024 is given as under:

(₹ in Crore)

| Recovery Rating Band | Book Cost |
|----------------------|----------------|
| RR1 | 143.08 |
| RR1+ | 0.01 |
| RR2 | 45.05 |
| RR3 | 20.89 |
| RR4 | - |
| RR5 | 172.42 |
| NR | 726.34 |
| Rating Withdrawn | - |
| Total | 1107.79 |

Note: The above table includes SR of ₹178.79 crore issued as a part of resolution plan in transfer of M/s. SREI Infrastructure Finance Ltd., & SREI Equipment Finance Ltd to NARCL. The table also includes SR of ₹17.79 crore issued in the account of M/s. Hitodi Infrastructure Pvt. Ltd., (Non-Performing Investment) transferred to NARCL.

e) Quantum of excess provision reversed to the P & L account on account of sale of stressed loans: **₹371.67 crore**

g) Fraud Accounts

| | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| Number of frauds reported | 157 | 158 |
| Amount involved in fraud (₹ crore) | 1079.31 | 2871.01 |
| Amount of provision made for such frauds (₹ crore) | 1079.31 | 2871.01 |
| Amount of Unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore) | - | - |

एच) कोविड-19 से संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

| उधारकर्ता का प्रकार | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) | (ए) का | ए) का | ए) का | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - स्थिति के रूप में |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| | (ए) | कुल ऋण जो 31.03.2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए में परिवर्तित हो गया | 31.03.2024 को समाप्त छमाही के दौरान बढ़े खाते में डाली गई राशि | छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि 31.03.2024 को समाप्त | 31.03.2024 को समाप्त इस छमाही के अंत में |
| वैयक्तिक ऋण | 8350.07 | 285.20 | 4.82 | 1103.89 | 7462.09 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति* | 2280.90 | 0.00 | 0.00 | 63.86 | 2343.82 |
| एमएसएमई | 3693.13 | 477.74 | 3.07 | 725.67 | 2675.05 |
| अन्य | 980.03 | 66.33 | 0.22 | 207.74 | 764.93 |
| कुल | 15304.13 | 829.27 | 8.11 | 2101.16 | 13245.88 |

* जैसा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किया गया है

h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

(₹ in Crore)

| Type of borrower | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half-year | Of (A) | Of (A) | Of (A) | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| | (A) | aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended 31.03.2023 | amount written off during the half-year ended 31.03.2023 | amount paid by the borrowers during the half-year ended 31.03.2023 | end of this half-year ended 31.03.2023 |
| Personal Loans | 8350.07 | 285.20 | 4.82 | 1103.89 | 7462.09 |
| Corporate persons* | 2280.90 | 0.00 | 0.00 | 63.86 | 2343.82 |
| MSMEs | 3693.13 | 477.74 | 3.07 | 725.67 | 2675.05 |
| Others | 980.03 | 66.33 | 0.22 | 207.74 | 764.93 |
| Total | 15304.13 | 829.27 | 8.11 | 2101.16 | 13245.88 |

* As defined in section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

5. ऋण जोखिम:

ए) स्थावर संपदा क्षेत्र में ऋण जोखिम

(राशि ₹ करोड़ में)

| श्रेणी | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------------|------------------|
| i) प्रत्यक्ष ऋण जोखिम | 122605.66 | 111443.61 |
| ए) आवासीय बंधक - आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूर्ण रूप से सुरक्षित है जो उधारकर्ता द्वारा अभिग्रहित किया जाएगा या किराए पर दिए गए हैं। | 99102.26 | 86603.65 |
| जिनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने के लिए पात्र है। जोखिम में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी। | 32357.95 | 49402.52 |
| बी) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक के द्वारा सुरक्षित उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्यी वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवार निवास भवन, औद्योगिक या वेयरहाउस स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास व संरचना आदि)। जोखिम में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होंगी; | 2305.50 | 24725.68 |
| सी) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूति ऋण जोखिम | | |
| क. आवासीय | 197.90 | 114.28 |
| ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा | 105.47 | 94.12 |
| ii) अप्रत्यक्ष ऋण जोखिम | 92.43 | 20.16 |
| राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास वित्त कंपनियां संबंधी निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित ऋण जोखिम | 30466.98 | 44394.65 |
| स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोज़र | 153072.64 | 155838.26 |

5. Exposures:

a) Exposure to real estate sector

(₹ in Crore)

| Category | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------------|------------------|
| i) Direct Exposure | 122605.66 | 111443.61 |
| ए) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented. | 99102.26 | 86603.65 |
| Of which, Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances shall be shown separately. Exposure would also include non-fund based (NFB) limits. | 32357.95 | 49402.52 |
| बी) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estate (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits; | 2305.50 | 24725.68 |
| सी) Investments in Mortgage-Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - | | |
| a. Residential | 197.90 | 114.28 |
| b. Commercial Real Estate | 105.47 | 94.12 |
| ii) Indirect Exposure | 92.43 | 20.16 |
| Fund based and non-fund-based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies. | 30466.98 | 44394.65 |
| Total Exposure to Real Estate Sector | 153072.64 | 155838.26 |

बी) पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|----------------|----------------|
| i. ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंधपत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों में प्रत्यक्ष निवेश जिसकी आरंभिक निधि नितान्त रूप से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई; | 2053.76 | 2127.50 |
| ii. शेयरों / बांडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज में या बेजमानती आधार पर शेयरों (आईपीओ/ ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बाण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा म्यूचुअल फंड उन्मुख ईक्विटी इकाईयों में निवेश हेतु व्यष्टियों को दिया गया अग्रिम; | 0.22 | 0.53 |
| iii. किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बंधपत्र या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनितों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; | 1414.55 | 9.08 |
| iv. शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनितों की संपाश्रिक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत किये जाने तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम यानि शेयर / परिवर्तनीय बाण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर / ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों के यूनितों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया प्रावरित नहीं करती; | 0.00 | 0.00 |
| v. स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों और बाजार निर्माताओं की और से निर्गत गारंटियाँ; | 311.90 | 316.68 |
| vi. स्रोतों को एकत्रित करने की प्रत्याशा में नई कंपनियों में ईक्विटी करने के लिए प्रायोजक का अशंदापन पूरा करने के लिए शेयर / बाण्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति के एवज में या निर्बंध कॉर्पोरेटों को स्वीकृत अग्रिम; | 0.00 | 0.00 |
| vii. प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों / निर्गम के एवज में कंपनियों को पूरक ऋण; | 0.00 | 0.00 |
| viii. शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख परस्पर निधि के यूनितों के आरंभिक निर्गम के मामले में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धतायें; | 0.00 | 0.00 |
| ix. मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण; | 0.00 | 0.00 |
| x. वेंचर पूंजी निधियों में सारे जोखिम (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) | 780.40 | 886.84 |
| पूंजी बाजार की कुल ऋण जोखिम | 4560.83 | 3340.63 |

b) Exposure to capital market

(₹ in Crore)

| Particulars | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|--|----------------|----------------|
| i. | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; | 2053.76 | 2127.50 |
| ii. | Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds; | 0.22 | 0.53 |
| iii. | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | 1414.55 | 9.08 |
| iv. | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | 0.00 | 0.00 |
| v. | Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers; | 311.90 | 316.68 |
| vi. | Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; | 0.00 | 0.00 |
| vii. | Bridge loans to companies against expected equity flows / issues; | 0.00 | 0.00 |
| viii. | Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | 0.00 | 0.00 |
| ix. | Financing to stock brokers for margin trading; | 0.00 | 0.00 |
| x. | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | 780.40 | 886.84 |
| Total Exposure to Capital Market | | 4560.83 | 3340.63 |

सी) जोखिम श्रेणीवार देश एक्सपोजर

केवल ऐसे देशों के संदर्भ में जहाँ बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों का 1% या ज्यादा है तो बैंक को देश जोखिम का प्रावधान करने की आवश्यकता है। यथा 31.03.2024 तक, यूएसए(कम जोखिम) का निवल निधि आधारित एक्सपोजर बैंक की कुल संपत्तियों के 1% से अधिक था (31.03.2024 तक कुल संपत्ति का 1% ₹14,915.41 करोड़ हैं)।

(राशि ₹ करोड़ में)

| जोखिम श्रेणी | यथा 31 मार्च 2024 को एक्सपोजर (निवल) | यथा मार्च 31.03.2024 को धारित प्रावधान | यथा 31 मार्च (31.03.2023) को एक्सपोजर (निवल) | यथा 31 मार्च (31.03.2023) को धारित प्रावधान |
|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| नगण्य -ए1 | 6836.82 | - | 25548.12 | - |
| कम जोखिम -ए2 | 58334.19 | 42.57 | 59902.20 | 29.98 |
| मध्यम जोखिम -बी1 | 2044.08 | - | 0.00 | - |
| उच्च जोखिम - बी2 | 0.00 | - | 41.09 | - |
| अत्यधिक जोखिम - सी1 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| प्रतिबंधित - सी2 | 299.01 | - | 314.27 | - |
| ऑफ क्रेडिट - डी | 542.13 | - | 0.00 | - |
| कुल | 68066.23 | 42.57 | 85805.68 | 29.98 |

c) Risk category-wise country exposure

Only in respect of country where a Bank's net funded exposure is 1% or more of its total assets, the Bank is required to make provision for country Risk. On 31.03.2024 the net funded exposure to USA (Low Risk) has exceeded 1% of the total assets of the Bank. (1% of the total assets of the Bank as on 31.03.2024 is ₹14,915.41 crore) for which required provision is made

(₹ in Crore)

| Risk Category | Exposure (net) as at March 31 2024 | Provision held as at March 31 2024 | Exposure (net) as at March 31 (31.03.2023) | Provision held as at March 31 (31.03.2023) |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Insignificant - A1 | 6836.82 | - | 25548.12 | - |
| Low Risk - A2 | 58334.19 | 42.57 | 59902.20 | 29.98 |
| Moderate Risk - B1 | 2044.08 | - | 0.00 | - |
| High Risk - B2 | 0.00 | - | 41.09 | - |
| Very High risk - C1 | 0.00 | - | 0.00 | - |
| Restricted - C2 | 299.01 | - | 314.27 | - |
| Off Credit - D | 542.13 | - | 0.00 | - |
| Total | 68066.23 | 42.57 | 85805.68 | 29.98 |

डी) गैर जमानती अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| बैंक का कुल गैर जमानती अग्रिम | 230950.03 | 230709.03 |
| उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है | 116.91 | 133.58 |
| ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का संभावित मूल्य | 185.93 | 192.98 |

ई) फैक्टoring ऋण जोखिम : शून्य

एफ) इंटर-ग्रुप ऋण जोखिम

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| इंटर-ग्रुप ऋण जोखिम की कुल राशि | 2636.16 | 2008.99 |
| शीर्ष-20 इंटर-ग्रुप ऋण जोखिम की कुल राशि | 2636.16 | 2008.99 |
| बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल ऋण जोखिम में इंटर-ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत | 0.19% | 0.16% |
| इंटर-ग्रुप ऋण जोखिम पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण | शून्य | शून्य |

जी) अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी सूचना संख्या डीबीओडी.सं. बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 द्वारा बैंकों को निर्देश दिया है कि अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम वाले निकायों हेतु बैंक के ऋण जोखिम

d) Unsecured Advances

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| Total unsecured advances of the bank | 230950.03 | 230709.03 |
| Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken | 116.91 | 133.58 |
| Estimated value of such intangible securities | 185.93 | 192.98 |

e) Factoring exposures: NIL

f) Intra-group exposures

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| Total amount of intra-group exposures | 2636.16 | 2008.99 |
| Total amount of top-20 intra-group exposures | 2636.16 | 2008.99 |
| Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers /customers | 0.19% | 0.16% |
| Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any. | Nil | Nil |

g) Unhedged foreign currency exposure

Reserve Bank of India vide its communication Number DBOD.No.BP.BC. 85 / 21.06.200/2013-14 dated January 15 2014 advised the Bank to provide incremental provision and capital with regard to Bank's exposure to entities with unhedged foreign currency exposures. Accordingly, for the

के संदर्भ में वृद्धिशील प्रावधान व पूंजी प्रदान करें। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बैंक ने अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम के प्रति ₹6.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31.32 करोड़) का प्रावधान किया है। आगे, यथा 31.03.2024 को बैंक के पास अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण जोखिम पर जोखिम हेतु ₹10.42 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.03 करोड़) की पूंजी है।

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में मुद्रा प्रेरित क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनकी अधिसूचना डीओआर.एमआरजी. आरईसी.76/00-00-007/2022-23 दिनांक 11.10.2022 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है।

प्रत्येक उधारकर्ता इकाई के लिए अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) और वार्षिक आय की गणना ब्याज और मूल्यहास (ईबीआईडी) से पहले की जाती है। यूएफसीई पहले इकाई के सकल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की गणना करके और फिर डेरिवेटिव अनुबंध के माध्यम से परिचालन (संस्था के) से नकदी प्रवाह के कारण हेज सीमा और स्वाभाविक हेज व्यवस्थाओं को घटाकर प्राप्त की जाएगी। पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान यूएसडी / आईएनआर दरों में देखी गई सबसे बड़ी वार्षिक अस्थिरता (एलएवी) के साथ यूएफसीई को गुणा करके इकाई को संभावित नुकसान की सीमा की गणना की जाएगी। विदेशी शाखाओं / सहायक कंपनियों के मामले में; यूएफसीई के कारण होने वाली संभावित हानि की गणना उस क्षेत्राधिकार की घरेलू मुद्रा के साथ आईएनआर और विदेशी मुद्रा (यानि, उस अधिकार क्षेत्र की घरेलू मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा) के साथ आईएनआर को प्रतिस्थापित करके की जाएगी, जिसमें इकाई का अधिकतम जोखिम है। विनिमय दर परिवर्तन के कारण अपेक्षित नुकसान को ईबीआईडी के प्रतिशत यानि अनुमानित हानि / ईबीआईडी प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बैंक, वृद्धिशील पूंजी धारण कर रहा है निर्दिष्ट दरों पर ऐसी संस्थाओं को कुल एक्सपोजर पर वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा मानक संपत्ति के प्रावधान के अतिरिक्त) बना रहा है।

financial year 2023-24 bank is holding a provision of ₹6.60 Crore (previous year ₹31.32 Crore) towards unhedged foreign currency exposure. Further Bank is also holding a capital of ₹10.42 Crore (previous year ₹11.03 Crore) as on 31.03.2024 towards the risk on unhedged foreign currency exposure.

Policy to manage currency induced credit risk with regard to Unhedged Foreign Currency Exposure are dealt with as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide their notification DOR.MRG.REC.76/00-00- 007/2022-23 dated 11.10.2022

The Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and Annual Earnings are computed before Interest and Depreciation (EBID) for each borrower entity. UFCE is arrived at first by calculating the gross foreign currency exposure of the entity and then deducting the extent of hedge by way of derivative contract and natural hedge on account of cash flow from operations (of the entity). The extent of potential loss to the entity will be calculated by multiplying the UFCE with Largest Annualised Volatilities (LAV) seen in USD/INR rates during the last ten years period. In case of Overseas Branches / Subsidiaries; potential loss due to UFCE shall be computed by replacing INR with the domestic currency of that jurisdiction and USD with the foreign currency (i.e., currency other than domestic currency of that jurisdiction) in which the entity has maximum exposure. Potential loss on account of exchange rate movements are compared with annual EBID (Earnings Before Interest & Depreciation) and expressed as a percentage of EBID i.e., Potential loss/EBID percentage. As a prudential measure, Bank is holding incremental capital and making incremental provisioning (over and above the extant standard assets provisioning) on the total credit exposure to such entities at the specified rates.

6. जमा राशि, अग्रिम, ऋण जोखिम व अर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

ए) जमा राशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| बीस सर्वाधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि | 147479.33 | 120066.99 |
| बैंक की कुल जमा राशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत | 11.2% | 10.2% |

बी) अग्रिमों का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम | 146380.11 | 145919.21 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत | 11.16% | 12.20% |

सी) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल ऋण राशि ऋण जोखिम | 148202.87 | 146547.43 |
| बैंक के कुल ऋण जोखिम में से बीस सर्वाधिक बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के ऋण जोखिम का प्रतिशत | 10.93% | 11.81% |

डी) एनपीए का संकेंद्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल ऋण जोखिम | 13318 | 15718 |
| कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए ऋण जोखिम के ऋण जोखिम का प्रतिशत | 32.80 | 34.05 |

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| Total deposits of the twenty largest depositors | 147479.33 | 120066.99 |
| Percentage of deposits of twenty largest depositors to total global deposits of the bank | 11.2% | 10.2% |

b) Concentration of advances

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| Total advances to the twenty largest borrowers | 146380.11 | 145919.21 |
| Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank | 11.16% | 12.20% |

c) Concentration of exposures

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| Total exposure to the twenty largest borrowers / customers | 148202.87 | 146547.43 |
| Percentage of exposures to the twenty largest borrowers / customers to the total exposure of the bank on borrowers / customers | 10.93% | 11.81% |

d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| Total Exposure to the top twenty NPA accounts | 13318 | 15718 |
| Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs. | 32.80 | 34.05 |

7. व्युत्पन्नी

ए) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| i. विनिमय करार का कल्पित मूलधन | 0.00 | 4686.80 |
| ii. करार के तहत बाध्यता को प्रति पक्ष द्वारा पूरा नहीं किये जाने पर होनेवाली क्षति | 0.00 | 24.55 |
| iii. विनिमय में प्रवेश पर बैंक द्वारा संपार्श्विक की आवश्यकता | 0.00 | 0.00 |
| iv. विनिमय से होनेवाली साख जोखिम का संकेंद्रण | 0.00 | 0.00 |
| v. विनिमय बही का उचित मूल्य | 0.00 | 24.55 |

7. Derivatives

a) Forward rate agreement / Interest rate swap

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| i. The notional principal of swap agreements | 0.00 | 4686.80 |
| ii. Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfil their obligations under the agreements | 0.00 | 24.55 |
| iii. Collateral required by the bank upon entering into swaps | 0.00 | 0.00 |
| iv. Concentration of credit risk arising from the swaps | 0.00 | 0.00 |
| v. The fair value of the swap book | 0.00 | 24.55 |

बी) विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| i. वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी के कल्पित मूलधन की राशि (लिखत-वार) | 210 | शून्य |
| ii. यथा 31 मार्च 2024 को विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्नी की कल्पित मूलधन राशि (लिखत-वार) | 210 | शून्य |
| iii. विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया की कल्पित मूलधन राशि तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार) | शून्य | शून्य |
| iv. विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न बकाया का दैनिक बाज़ार मूल्य तथा "ज्यादा प्रभावी" नहीं (लिखत-वार) | शून्य | शून्य |

b) Exchange traded interest rate derivatives

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|------------|------------|
| i. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise) | 210 | NIL |
| ii. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2024 (instrument wise) | 210 | NIL |
| iii. Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise) | NIL | NIL |
| iv. Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise) | NIL | NIL |

सी) व्युत्पन्नी में जोखिम सीमा संबंधी प्रकटीकरण

1) गुणात्मक प्रकटीकरण

हेज व्यवस्था / व्यापार के लिए व्युत्पन्नी लिखतों के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित साख जोखिम प्रबंधन नीति स्थापित है।

क) बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में निश्चित ब्याज दर, शून्य कूपन और फ्लोटिंग ब्याज दरों जैसी विशेषताओं के साथ संपत्ति होती है और ब्याज दर जोखिम के अधीन होती है। बैंक ने टीयर I और टीयर II बॉन्ड भी जारी किए हैं और यह पूंजीगत लागत बिना किसी निकास विकल्प के तय दर पर है। पॉलिंसी, इस देयता पर ब्याज दर जोखिम का हेज करने की अनुमति देती है।

बैंक को वायदा दर करार (एफआरए) और ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) का उपयोग करने की अनुमति है और केवल सादा लेनदेन की अनुमति है। इन उपकरणों का उपयोग न केवल निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है, बल्कि बाजार निर्माण के लिए भी किया जाता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने स्वामित्व पोर्टफोलियो के तहत और ग्राहकों की ओर से बैंक-टू-बैंक आधार पर आईआरएस में डेरिवेटिव ट्रेड किए हैं।

वर्ष के दौरान खरीद-बिक्री विनिमय (स्वामित्व) किए गए हैं। वर्ष के दौरान कोई एफआरए नहीं लिया गया

ख) बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमाएं, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पी वी 01, आदि स्थापित हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। जोखिम प्रबंधन समिति को प्रबंध सूचना प्रणाली / रिपोर्ट आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। अतर्निहित आस्ति / देयता के संबंध में बकाया व्युत्पन्नी सौदों की हेज व्यवस्था की प्रभावशीलता की निगरानी पाक्षिक आधार पर की जाती है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं जैसे स्टॉप लॉस सीमा, प्रतिपक्ष जोखिम सीमाएं, पीवी01, आदि स्थापित हैं। इन जोखिम सीमाओं की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जाती है। एमआईएस / रिपोर्ट समय-समय पर जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती हैं। बकाया डेरिवेटिव सौदों की हेज प्रभावशीलता की निगरानी पाक्षिक आधार पर अतर्निहित परिसंपत्ति / देयता के संबंध में की जाती है।

c) Disclosures on risk exposure in derivatives

1) Qualitative disclosures

The Credit Risk Management Policy, approved by the Board of Directors, on the use of derivative instruments to hedge / trade is in place.

a) The Investment Portfolio of the Bank consists of assets with characteristics such as fixed interest rate, zero coupon and floating interest rates and is subject to interest rate risk. The Bank also has issued Tier I & Tier II bonds and this capital cost is at fixed rate with no exit option. The policy permits hedging the interest rate risk on this liability as well.

The Bank is permitted to use Forward Rate Agreement (FRA) and Interest Rate Swap (IRS) and only plain vanilla transactions are permitted. These instruments are used not only for hedging the interest rate risk in the investment portfolio but also for market making and on behalf of clients on back to back basis.

During the year, the Bank has undertaken derivative trades in IRS under the Proprietary Portfolio and on behalf of clients on back-to-back basis.

Buy-Sell Swaps (Proprietary) were undertaken during the year. No FRAs were under taken during the year.

b) The risk management policies and major control limits like stop loss limits, counterparty exposure limits, PV01, etc. approved by the Board of Directors are in place. These risk limits are monitored and reviewed regularly. MIS/Reports are submitted periodically to Risk Management Committee. The hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the underlying asset / liability on fortnightly basis.

ग) लेखांकन नीति

बचाव की स्थिति

- ब्याज व्यय / आईआरएस पर आय के कारण उपचय को आय / व्यय के रूप में लेखांकित व मान्य किया जाएगा।
- बकाया व्युत्पन्नी कार्य की निगरानी अदला-बदली और अतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य के संबंध में हेज व्यवस्था व्यवहारों के द्वारा की जाती है। अतर्निहित आस्ति / देयता के उचित मूल्य की गणना के लिए बैंक ने प्रासंगिक आईएनबीएमके उपज+स्प्रेड का उपयोग किया है। अगर हेज प्रभावकारी नहीं होता है तो हेज अदला-बदली को ट्रेडिंग अदला-बदली के रूप में लिया जाता है। यदि परिपक्वता से पूर्व स्वैप को समाप्त कर दिया जाता है तो उस तारीख तक एम टी एम हानि / लाभ और उपचयों का ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर भुगतान की गई / प्राप्त ब्याज के तहत लेखांकन किया जाता है।

ट्रेडिंग की स्थिति

- सामान्य अंतरालों में ट्रेडिंग स्वैप को बाज़ार पर अंकित किया जाता है और आय विवरणों में परिवर्तनों को रिकार्ड किया जाता है।
- ब्याज व्यय का उपचय / ब्याज दर स्वैप (आई आर एस) पर आय को लेखांकित किया जाता है और व्यय / आय के रूप में और माना जाता है।
- स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को उक्त शीर्षक के तहत तत्काल आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

c) Accounting Policy

Hedge Positions

- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as income / expense.
- Hedge effectiveness of the outstanding derivative deals are monitored in relation to the fair value of the swap and underlying asset / liability. The Bank has used the relevant INBMK Yield + Spread as declared by FIMMDA for arriving at the fair value of the underlying Asset / Liability. If the hedge is not effective, hedge swaps are accounted as trading swaps. If swap is terminated before maturity, the MTM loss / gain and accruals till such date are accounted as income / expense under Interest Paid / received on IRS.

Trading Positions

- Trading swaps are marked to market at frequent intervals and changes are recorded in the income statements.
- Accrual on account of interest expenses/ income on the IRS are accounted and recognized as income / expense.
- Gains or losses on termination of swaps are recorded as immediate income or expenses under the above head.

II परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|----------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | मुद्रा डेरिवेटिव | ब्याज दर डेरिवेटिव | मुद्रा डेरिवेटिव | ब्याज दर डेरिवेटिव |
| a) | डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि) | | | | |
| i) | हेजिंग के लिए | 23.53 | 0 | 51.44 | 4686.8** |
| ii) | ट्रेडिंग के लिए | 7212.13# | 210# | 9379.93 | 0.00 |
| b) | बाजार स्थितियों को अंकित | | | | |
| i) | आस्ति(+) | 0.14* | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ii) | देयता (-) | 0 | 0 | -1.80 | 0.00 |
| c) | साख एक्सपोजर | 0 | 0 | 0.00 | 32.86 |
| d) | ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव [100*पीवी01] | | | | |
| i) | हेजिंग व्युत्पत्ती पर | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| ii) | ट्रेडिंग व्युत्पत्ती पर | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| e) | वर्ष के दौरान पाए गए अधिकतम व न्यूनतम 100*पीवी01 | | | | |
| i) | हेजिंग पर | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| ii) | ट्रेडिंग पर | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

*31.03.2024 की स्थिति के अनुसार एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स में बकाया मुद्रा फ्यूचर्स

केवल हेज व्यवस्था उद्देश्य के लिए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि ₹210 करोड़।

** केवल हेजिंग उद्देश्य के लिए ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) की बकाया राशि 1400 करोड़ रुपये।

डी) साख डिफॉल्ट स्वैप : शून्य

II Quantitative disclosures

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---------|--|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | Currency Derivatives | Interest rate derivatives | Currency Derivatives | Interest rate derivatives |
| a) | Derivatives (Notional Principal Amount) | | | | |
| i) | For hedging | 23.53 | 0 | 51.44 | 4686.8** |
| ii) | For trading | 7212.13# | 210# | 9379.93 | 0.00 |
| b) | Marked to Market Positions | | | | |
| i) | Asset (+) | 0.14* | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ii) | Liability (-) | 0 | 0 | -1.80 | 0.00 |
| c) | Credit Exposure | 0 | 0 | 0.00 | 32.86 |
| d) | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | | | | |
| i) | On hedging derivatives | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| ii) | On trading derivatives | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| e) | Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year | | | | |
| i) | On hedging | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| ii) | On trading | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

*Currency Futures outstanding in NSE, BSE and MCX as on 31.03.2024

#Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹210 Cr for hedging purpose only.

** Outstanding amount of overnight index swap (OIS) ₹1400 Cr for hedging purpose only

d) Credit default swaps: NIL

8. प्रतिभूतीकरण से संबंधित प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|---|------------|------------|
| 1. | प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट की जानी है) | | |
| 2. | एस पी ई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि | | |
| 3. | यथा तुलन पत्र की तारीख को एम आर आर के अनुपालनार्थ प्रवर्तक द्वारा प्रतिधारित निवेश (एक्सपोजर) की कुल राशि | | |
| | ए) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोजर | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| | बी) तुलन पत्र में शामिल होनेवाले एक्सपोजर | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| 4. | एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि | | |
| | ए) तुलन पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोजर | | |
| | i) निजी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| | ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| | बी) तुलन पत्र में शामिल होनेवाले एक्सपोजर | | |
| | i) निजी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| | ii) तीसरे पक्ष प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्सपोजर | | |
| | प्रथम हानि | | |
| | अन्य | | |
| 5. | प्रतिभूतीकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि | | |
| 6. | चलनिधि समर्थन, प्रतिभूतीकरण के बाद परिसंपत्ति सर्विसिंग, आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का फॉर्म और मात्रा (बकाया मूल्य)। | | |
| 7. | प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि के लिए अलग से प्रदान करें। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के अनुसार कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें। | | |
| | ए) भुगतान की गई राशि | | |
| | बी) प्राप्त चुकौती | | |
| | सी) बकाया राशि | | |
| 8. | पूर्व में, पोर्टफोलियो की औसत डिफॉल्ट दर कृपया प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। | | |
| 9. | समान अंतर्निहित परिसंपत्ति पर दिए गए अतिरिक्त / टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। कृपया प्रत्येक संपत्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण, आदि के लिए अलग से विवरण प्रदान करें। | | |
| 10. | निवेशकों की शिकायतें | | |
| | ए) प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; | | |
| | बी) बकाया शिकायतें | | |

शून्य

8. Disclosures relating to securitization

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|---|------------|------------|
| 1. | No. of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here) | | |
| 2. | Total amount of securitized assets as per books of the SPEs | | |
| 3. | Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet | | |
| | a) Off-balance sheet exposures | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | b) On-balance sheet exposures | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| 4. | Amount of exposures to securitization transactions other than MRR | | |
| | a) Off-balance sheet exposures | | |
| | i) Exposure to own securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | ii) Exposure to third party securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | b) On-balance sheet exposures | | |
| | i) Exposure to own securitizations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| | ii) Exposure to third party securitisations | | |
| | First loss | | |
| | Others | | |
| 5. | Sale consideration received for the securitised assets and gain / loss on sale on account of securitisation | | |
| 6. | Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc. | | |
| 7. | Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. | | |
| | a) Amount paid | | |
| | b) Repayment received | | |
| | c) Outstanding amount | | |
| 8. | Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide break-up separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc | | |
| 9. | Amount and number of additional / top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc. | | |
| 10. | Investor complaints | | |
| | a) Directly / Indirectly received and; | | |
| | b) Complaints outstanding | | |

NIL

9. तुलनपत्रेतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)

| प्रायोजित एसपीवी का नाम | |
|-------------------------|--------|
| घरेलू | विदेशी |
| शून्य | शून्य |

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए कोष) में अंतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|--|------------|------------|
| i) | डीईए निधि में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष | 4603.78 | 3810.74 |
| ii) | जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशियां | 1241.82 | 866.64 |
| iii) | घटाएं: दावों के प्रति डीईए निधि द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशियां | 538.71 | 73.60 |
| iv) | डीईए निधि में अंतरित राशि का अंतिम शेष | 5306.88 | 4603.78 |

उपरोक्त सूचित अनुसार, डीईए फंड में आंतरित राशि का समापन शेषराशि भी 'अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं-अन्य' के अंतर्गत शामिल है।

9. Off balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

| Name of the SPVs Sponsored | |
|----------------------------|----------|
| Domestic | Overseas |
| NIL | NIL |

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|--|------------|------------|
| i) | Opening balance of amounts transferred to DEA Fund | 4603.78 | 3810.74 |
| ii) | Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year | 1241.82 | 866.64 |
| iii) | Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims | 538.71 | 73.60 |
| iv) | Closing balance of amounts transferred to DEA Fund | 5306.88 | 4603.78 |

Closing balance of the amount transferred to DEA Fund as disclosed above is also included under 'Schedule 12 - Contingent Liabilities - Other'.

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

ए) बैंकों को ग्राहकों और लोकपाल(ओम्बड्समन) के कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|------------------------|------------------------|
| बैंकों को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें | | | |
| 1. | वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | 3024 | 1850 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या: ए. सामान्य शिकायतें बी. डिजिटल शिकायतें | a. 116936 b. 407652 | a. 106487 b. 607535 |
| 3. | वर्ष के दौरान निपटाई शिकायतों की संख्या: ए. सामान्य शिकायतें बी. डिजिटल शिकायतें | a. 117075 b. 408194 | a. 106153 b. 606695 |
| 3.1 | जिनमें से, बैंक द्वारा अस्वीकार की गई शिकायतों की संख्या | 15571 | 2658 |
| 4. | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 2343 | 3024 |
| लोकपाल(ओम्बड्समन) के कार्यालयों से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें | | | |
| 5. | लोकपाल (ओम्बड्समन) के कार्यालयों से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या | 5660 | 9246 |
| 5.1 | 5 में से, लोकपाल(ओम्बड्समन) के कार्यालयों से बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या | 2113 | 8791* |
| 5.2 | 5 में से, सुलह / मध्यस्थता / लोकपाल (ओम्बड्समन) के कार्यालयों से जारी की गई सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या | 3547 | 565 |
| 5.3 | 5 में से, बैंक के खिलाफ लोकपाल (ओम्बड्समन) के कार्यालयों से अधिनिर्णय जारी करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या | 0 | 1 |
| 6. | निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए अधिनिर्णित मामलों के अलावा) | 0 | 0 |

*8791 में 2021-22 से आगे लाई गई 239 शिकायतें शामिल हैं, 128 बीओ शिकायतें 31.03.2023 तक लंबित हैं। 5660 में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई द्वारा रखरखाव योग्य शिकायतों के रूप में समाप्त की गई सभी बीओ शिकायतें शामिल हैं।

11. Disclosure of complaints

a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| Complaints received by the banks from its customers | | | |
| 1. | Number of complaints pending at beginning of the year | 3024 | 1850 |
| 2. | Number of complaints received during the year: a. General Complaints b. Digital Complaints | a. 116936 b. 407652 | a. 106487 b. 607535 |
| 3. | Number of complaints disposed during the year: a. General Complaints b. Digital Complaints | a. 117075 b. 408194 | a. 106153 b. 606695 |
| 3.1 | Of which, number of complaints rejected by the bank | 15571 | 2658 |
| 4. | Number of complaints pending at the end of the year | 2343 | 3024 |
| Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman | | | |
| 5. | Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman | 5660 | 9246 |
| 5.1 | Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman | 2113 | 8791* |
| 5.2 | Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation / advisories issued by Office of Ombudsman | 3547 | 565 |
| 5.3 | Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank | 0 | 1 |
| 6. | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed) | 0 | 0 |

*8791 Includes 239 complaints brought forward from 2021-22, 128 BO complaints were pending as on 31.03.2023. 5660 includes all BO complaints concluded as Maintainable complaints by RBI during FY 2023-24.

बी) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार

| शिकायतों का आधार (यानी जिनसे शिकायतें संबंधित हैं) | वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | बिंदु 5 में से 30 दिनों से अधिक समय के लिए लंबित शिकायतों की संख्या |
|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.03.2024 | | | | | |
| इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 1187 | 172913 | -22.63% | 583 | 0 |
| एटीएम / डेबिट कार्ड | 353 | 161106 | -36.99% | 310 | 0 |
| क्रेडिट कार्ड | 54 | 13749 | -38.38% | 61 | 0 |
| प्रभार / अतिरिक्त प्रभार लगाना | 86 | 14694 | 100.51% | 372 | 0 |
| शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं / शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन | 60 | 10718 | 15.77% | 69 | 0 |
| अन्य | 1284 | 151408 | -22.64% | 948 | 22 |
| कुल | 3024 | 524588 | -26.53% | 2343 | 22 |
| 31.03.2023 | | | | | |
| एटीएम / डेबिट कार्ड | 514 | 255663 | 300.78% | 353 | 1 |
| खाता खोलना / खातों के संचालन में कठिनाई | 306 | 7535 | -82.15% | 72 | 0 |
| इंटरनेट / मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग | 424 | 223513 | 638.64% | 1187 | 0 |
| शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन | 70 | 9258 | -11.94% | 60 | 0 |
| क्रेडिट कार्ड | 89 | 22314 | 213.93% | 54 | 0 |
| अन्य | 447 | 195739 | 248.14% | 1298 | 31 |
| कुल | 1850 | 714022 | 239.85% | 3024 | 32 |

b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers

| Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | Number of complaints pending at the beginning of the year | Number of complaints received during the year | % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year | Number of complaints pending at the end of the year | Of 5, number of complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.03.2024 | | | | | |
| Internet / Mobile / Electronic Banking | 1187 | 172913 | -22.63% | 583 | 0 |
| ATM / Debit Cards | 353 | 161106 | -36.99% | 310 | 0 |
| Credit Cards | 54 | 13749 | -38.38% | 61 | 0 |
| Levy of Charges / Excess Charges | 86 | 14694 | 100.51% | 372 | 0 |
| Facilities for customer visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch | 60 | 10718 | 15.77% | 69 | 0 |
| Others | 1284 | 151408 | -22.64% | 948 | 22 |
| Total | 3024 | 524588 | -26.53% | 2343 | 22 |
| 31.03.2023 | | | | | |
| ATM / Debit cards | 514 | 255663 | 300.78% | 353 | 1 |
| Account opening / Difficulty in operation of Accounts | 306 | 7535 | -82.15% | 72 | 0 |
| Internet / Mobile / Electronic Banking | 424 | 223513 | 638.64% | 1187 | 0 |
| Facilities for customer visiting the branch / adherence to prescribed working hours by the branch | 70 | 9258 | -11.94% | 60 | 0 |
| Credit cards | 89 | 22314 | 213.93% | 54 | 0 |
| Others | 447 | 195739 | 248.14% | 1298 | 31 |
| Total | 1850 | 714022 | 239.85% | 3024 | 32 |

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने (करेंसी चेस्ट और परिचालन मुद्दों को छोड़कर) का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

- (i) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
- (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और
- (iii) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंसिंग के लिए)

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

Penalties imposed by the Reserve Bank of India (except for currency chest and operational Issues) under the following provisions during the Financial Year 2023-24 are detailed in the below table:

- (i) Banking Regulation Act, 1949,
- (ii) Payment and Settlement Systems Act, 2007 and
- (iii) Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL)

(राशि ₹करोड़ में)

| क्र सं | विनियामक | अधिनियम | उदाहरणों की संख्या | लगाए गए जुर्माने की राशि |
|--------|--------------------|---|--------------------|--------------------------|
| 1 | भारतीय रिजर्व बैंक | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35, 35ए, 46, 47ए और 51(1) | 1 | 2.92 |
| 2 | भारतीय रिजर्व बैंक | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए, 51(1) | 1 | 0.32 |
| 3 | भारतीय रिजर्व बैंक | भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 | - | - |
| 4 | भारतीय रिजर्व बैंक | सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए) | - | - |
| | | कुल | 2 | 3.24 |

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

(राशि ₹ में)

| नाम और अवधि | पदनाम | 2023-24 | 2022-23 |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| श्री के सत्यनारायण राजु (ईडी के रूप में कार्यकाल की अवधि में अक्टूबर 2023 में ₹ 3,43,258.29/- रुपये का पीएलआई क्रेडिट किया गया) | प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 38,61,277.58 | 39,76,235.79 |
| श्री देबाशीष मुखर्जी | कार्यपालक निदेशक | 36,18,756.00 | 42,67,509.00 |
| श्री अशोक चंद्र | कार्यपालक निदेशक | 34,61,076.00 | 12,46,952.00 |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया 07.02.2023 से | कार्यपालक निदेशक | 31,12,162.57 | 4,67,257.15 |
| श्री भवेन्द्र कुमार 09.10.2023 से | कार्यपालक निदेशक | 15,72,693.17 | - |
| श्री बृज मोहन शर्मा 30.06.2023 तक | भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक | 40,42,310.00 | 40,48,869.70 |
| श्री एल वी प्रभाकर (अक्टूबर 2023 में किया गया पीएलआई बकाया का भुगतान) | भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी | - | 71,21,435.00 |
| सुश्री मणिमेखलै ए | भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक | - | 12,86,885.20 |
| श्री मातम वेंकट राव | भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक | - | 96,577.13 |
| श्री कृष्णन एस | भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक | - | 1,18,694.71 |
| श्री एस के मजूमदार | समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी (जीसीएफओ) | 41,29,546.44 | 35,89,797.68 |
| श्री संतोष कुमार बारिक (21.04.2023 से) | बैंक के कंपनी सचिव | 23,72,882.88 | - |
| श्री विनय मोहता (21.04.2023 तक) | बैंक के भूतपूर्व कंपनी सचिव | 1,40,595.05 (20 दिन का वेतन) | 25,70,125.94 |
| कुल | | 2,63,11,299.69 | 2,87,90,339.30 |

नोट: उपरोक्त सूचित आंकड़े सिटिंग, पीएलआई और अन्य शुल्क को छोड़कर हैं।

एस 18 के पैराग्राफ 5 के संदर्भ में, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदारों सहित बैंकर और ग्राहक संबंधों की प्रकृति के लेनदेन का खुलासा नहीं किया गया है।

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Regulator | Act | No. of Instances | Amount of penalty levied |
|--------------|-----------|--|------------------|--------------------------|
| 1 | RBI | Sections 35, 35A 46, 47A and 51(1) of Banking Regulation Act, 1949 | 1 | 2.92 |
| 2 | RBI | Sections 47A,51 (1) of Banking Regulations Act, 1949 | 1 | 0.32 |
| 3 | RBI | Payments & Settlement Systems Act, 2007 | - | - |
| 4 | RBI | Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL) | - | - |
| Total | | | 2 | 3.24 |

13. Disclosures on remuneration

(Amount in ₹)

| NAME & PERIOD | DESIGNATION | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|
| Shri K. Satyanarayana Raju (PLI of ₹3,43,258.29/- credited in Oct' 2023 for the period worked as Executive Director) | Managing Director & Chief Executive Officer | 38,61,277.58 | 39,76,235.79 |
| Shri. Debashish Mukherjee | Executive Director | 36,18,756.00 | 42,67,509.00 |
| Shri. Ashok Chandra | Executive Director | 34,61,076.00 | 12,46,952.00 |
| Shri Hardeep Singh Ahluwalia From 07.02.2023 | Executive Director | 31,12,162.57 | 4,67,257.15 |
| Shri. Bhavendra Kumar From 09.10.2023 | Executive Director | 15,72,693.17 | - |
| Shri. Brij Mohan Sharma Up to 30.06.2023 | Ex-Executive Director | 40,42,310.00 | 40,48,869.70 |
| Shri. L V Prabhakar (PLI arrears paid in October 2023) | Ex- Managing Director & Chief Executive Officer | - | 71,21,435.00 |
| Ms. Manimekhalai A | Ex-Executive Director | - | 12,86,885.20 |
| Shri. Matam Venkata Rao | Ex-Executive Director | - | 96,577.13 |
| Shri. Krishnan S | Ex-Executive Director | - | 1,18,694.71 |
| Shri. S K Majumdar | Group Chief Financial Officer (GCFO) | 41,29,546.44 | 35,89,797.68 |
| Shri. Santosh Kumar Barik (From 21.04.2023) | Company Secretary of the Bank | 23,72,882.88 | - |
| Shri. Vinay Mohta (till 21.04.2023) | Ex-Company Secretary of the Bank | 1,40,595.05 (20 days' salary) | 25,70,125.94 |
| Total | | 2,63,11,299.69 | 2,87,90,339.30 |

Note: The figures mentioned above are excluding sitting, PLI and other fees.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

14. अन्य प्रकटन

ए) व्यवसाय अनुपात

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|---|------------|------------|
| i. | कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%) | 7.54 | 6.42 |
| ii. | (%) कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय (%) | 1.32 | 1.42 |
| iii. | जमा की लागत (%) | 5.50 | 4.38 |
| iv. | निवल ब्याज मार्जिन (%) | 3.05 | 2.95 |
| v. | कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (%) | 2.04 | 2.11 |
| vi. | परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (%) | 1.01 | 0.81 |
| vii. | व्यवसाय (जमा और अग्रिम) प्रति कर्मचारी [₹ करोड़ में] | 25.97 | 22.45 |
| viii. | प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़ में] | 0.18 | 0.12 |

बी) बैंकएश्योरेंस व्यवसाय

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | आय की प्रकार | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|--|---------------|---------------|
| 1 | जीवन बीमा पॉलिसियों के विक्रय हेतु | 310.01 | 300.11 |
| 2 | गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों के विक्रय हेतु | 92.06 | 83.93 |
| 3 | म्यूचुअल फंड उत्पादों के विक्रय हेतु | 41.93 | 41.75 |
| 4 | अन्य (स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी) | - | - |
| 5 | पीएमजेबीवाई | 15.50 | 10.25 |
| 6 | पीएमएसबीवाई | 3.46 | 1.44 |
| 7 | अन्य (ई-सिंडिकेट नवीकरण) | 1.98 | 2.12 |
| | कुल | 464.94 | 439.60 |

14. Other Disclosures

a) Business ratios

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|---|------------|------------|
| i. | Interest income as a percentage to Working Funds (%) | 7.54 | 6.42 |
| ii. | Non-interest income as a percentage to Working Funds (%) | 1.32 | 1.42 |
| iii. | Cost of Deposits (%) | 5.50 | 4.38 |
| iv. | Net Interest Margin (%) | 3.05 | 2.95 |
| v. | Operating Profit as a percentage to Working Funds (%) | 2.04 | 2.11 |
| vi. | Return on Assets (%) | 1.01 | 0.81 |
| vii. | Business (Deposits plus Advances) per employee [in ₹ crore] | 25.97 | 22.45 |
| viii. | Profit per employee (in ₹ crore) | 0.18 | 0.12 |

b) Bancassurance business

(₹ in Crore)

| Sl. No. | Nature of Income | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|--|---------------|---------------|
| 1 | For selling Life Insurance Policies | 310.01 | 300.11 |
| 2 | For selling Non-Life Insurance Policies (General and Health) | 92.06 | 83.93 |
| 3 | For selling Mutual Funds Products | 41.93 | 41.75 |
| 4 | Other (Health Insurance Policies) | - | - |
| 5 | PMJJBY | 15.50 | 10.25 |
| 6 | PMSBY | 3.46 | 1.44 |
| 7 | Others (e_Syndicate Renewal) | 1.98 | 2.12 |
| | TOTAL | 464.94 | 439.60 |

सी) विपणन व संवितरण

उनके द्वारा किए गए विपणन और वितरण कार्य (बैंकएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण : शून्य

c) Marketing and distribution

The details of fees / remuneration received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken by them: Nil

डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(I) पीएसएलसी बिका (वित्तीय वर्ष 2023-24)

(₹ करोड़ में)

| पीएसएलसी श्रेणी | तिमाही | बेचे गए यूनिट* | बेची गई राशि | कमीशन कमाया |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| पीएसएलसी - छोटे और सीमांत किसान | जून-2023 | 320000 | 80000 | 1552.55 |
| | सितम्बर-2023 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | दिसंबर-2023 | शून्य | शून्य | शून्य |
| | मार्च-2024 | 2800 | 700 | 4.76 |
| कुल (वित्त वर्ष 2023-24 यथा मार्च 24) | | 322800 | 80700 | 1557.31 |

*एक यूनिट = ₹25 लाख

(II) पीएसएलसी खरीदा:

जून-23, सितंबर-23, दिसंबर-23 और मार्च-24 तिमाही के दौरान खरीदा गया पीएसएलसी सभी श्रेणियों के लिए शून्य है।

d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

(I) PSLC SOLD (FY 2023-24)

(₹ in Crore)

| PSLC Category | Quarter | Units* Sold | Amount Sold | Commission Earned |
|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|-------------------|
| PSLC - SMALL & MARGINAL FARMERS | June-2023 | 320000 | 80000 | 1552.55 |
| | Sep-2023 | Nil | Nil | Nil |
| | Dec-2023 | Nil | Nil | Nil |
| | Mar-2024 | 2800 | 700 | 4.76 |
| Total (FY 2023-24 as at Mar'24) | | 322800 | 80700 | 1557.31 |

*One unit = ₹25 lakhs

(II) PSLC PURCHASED:

The PSLC purchased during June-23, Sept-23, Dec-23 and Mar-24 Quarter is Nil for all categories

ई) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

| लाभ और हानि खाते से डेबिट किया गया प्रावधान | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास के प्रति प्रावधान | 910.92 | 2801.71 |
| अनर्जक आस्ति (एनपीए) के प्रति प्रावधान | 9005.22 | 9737.55 |
| मानक आस्ति के प्रति प्रावधान | 231.19 | 335.88 |
| कर के प्रति प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 5150.65 | 3569.24 |
| डीएफवी के लिए प्रावधान | -125.37 | -267.47 |
| संपत्ती की वसूली होने में संदेह के प्रति प्रावधान | 47.01 | -29.02 |
| देश जोखिम एक्पोजर के प्रति प्रावधान | 0 | 0 |
| एफआईटीएल व अन्य आकस्मिक व्यय के प्रति प्रावधान | -361.36 | 964.36 |
| कुल | 14858.26 | 17112.25 |

एफ) आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए निरंतर आधार पर आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक परियोजना स्थायी समिति का गठन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र संदर्भ: डीबीआर. बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च, 2019 के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए इंड-एस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए आस्थगित किया गया है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सितंबर 2021 से शुरू होने वाली प्रत्येक छमाही के लिए आरबीआई को प्रो-फॉर्म वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा है।

e) Provisions and contingencies

(₹ in Crore)

| Provision debited to Profit and Loss Account | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| Provisions for Depreciation on Investment and NPI | 910.92 | 2801.71 |
| Provision towards NPA | 9005.22 | 9737.55 |
| Provision made towards standard assets | 231.19 | 335.88 |
| Provision for Tax (Including Deferred Tax) | 5150.65 | 3569.24 |
| Provision for DFV | -125.37 | -267.47 |
| Provision for Asset Doubtful of Recovery | 47.01 | -29.02 |
| Provision for Country Risk | 0 | 0 |
| Provision for FITL and other contingencies | -361.36 | 964.36 |
| Total | 14858.26 | 17112.25 |

f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards

As per RBI guidelines, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Project Steering Committee headed by Executive Director has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. RBI, vide its communication ref: DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated 22nd March 2019 has deferred implementation of Ind AS for all Scheduled Commercial Banks till further notice. Bank is submitting Pro-Forma Financial Statements to RBI for every half year starting from September 2021 as per the guidelines of RBI.

जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान
(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|----------|---|------------|------------|
| i) | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान | 1525.85 | 1405.97 |
| ii) | डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया | शून्य | शून्य |

एच) वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं और लेखांकन मानक 22 के अनुसार - "आय पर कर के लिए लेखांकन" क्रमशः भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए खाता कर, जो संबंधित न्यायालयों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

आई) बैंकों द्वारा जारी लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी) का प्रकटिकरण वर्ष 2023-24 के वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी सुविधा पत्र जारी नहीं किया है।

प्रतिनिधि कार्यालय, शारजाह की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के पक्ष में दिनांक 03/08/2009 को जारी केवल एक एलओसी आज की तारीख में बकाया है।

वित्तीय प्रभाव

हमारे प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में, शारजाह कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं कर रहा है; यूएई के सेंट्रल बैंक के पक्ष में जारी एलओसी का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों के पक्ष में बैंक द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग-कम-क्षतिपूर्ति के संबंध में प्रकटीकरण :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने 13.05 करोड़ रुपये के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग-कम-क्षतिपूर्ति पत्र जारी किया है। कैनबैंक निवेश प्रबंधन सेवाओं की पूर्ववर्ती कैनस्टार योजना से संबंधित एक लंबित मुकदमे के संबंध में ट्रस्टियों केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के पक्ष में।

इस संबंध में बैंक के पास पहले से ही 100% प्रावधान है।

g) Payment of DICGC Insurance Premium
(₹ in Crore)

| Sl. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|
| i) | Payment of DICGC Insurance Premium | 1525.85 | 1405.97 |
| ii) | Arrears in payment of DICGC premium | Nil | NIL |

h) The current tax expenses and deferred tax expenses are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22-"Accounting for Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

i) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks

Bank has not issued any letters of comfort during the financial year during year 2023-24.

Only one LOC issued vide dated 03/08/2009 in favour of Central Bank of UAE on behalf of Representative Office, Sharjah is outstanding as on date.

Financial Impact

As our Representative Office, Sharjah is not undertaking any commercial operations; there is no financial impact of LOC issued in favour of Central Bank of UAE.

Disclosure regarding Letter of Undertaking-cum-Indemnity issued by the Bank in favour of Trustees, Canara Robeco Mutual Fund:

During FY 2023-24, the Bank has issued Letter of Undertaking-Cum-Indemnity for ₹13.05 crore in favour of Trustees Canara Robeco Mutual Fund with regard to one pending litigation pertaining to erstwhile Canstar Scheme of Canbank Investment Management Services.

The Bank was already holding 100% provision in this regard.

(के) हरित जमा से जुटाए गए धन के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी

| विवरण | वर्तमान वित्तीय वर्ष | पिछला वित्तीय वर्ष | संचयात्मक* |
|--|----------------------|--------------------|------------|
| कुल हरित जमा राशि (ए) (ग्रीन डिपॉजिट) | शून्य *** | | |
| हरित जमा निधि का उपयोग** | | | |
| (1) नवीकरणीय ऊर्जा | शून्य *** | | |
| (2) ऊर्जा दक्षता | | | |
| (3) क्लीन परिवहन | | | |
| (4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन | | | |
| (5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन | | | |
| (6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण | | | |
| (7) ग्रीन बिल्डिंग | | | |
| (8) जीवित प्राकृतिक संसाधनों और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन | | | |
| (9) स्थलीय एवं जलीय जैव विविधता संरक्षण | | | |
| आवंटित कुल हरित जमा निधि (बी = 1 से 9 का कुल) | शून्य *** | | |
| आवंटित नहीं की गई हरित जमा ग्रीन डिपॉजिट निधि की राशि (सी = ए - बी) | शून्य *** | | |
| हरित जमा आय के अस्थायी आवंटन का विवरण, पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए उनका आवंटन लंबित है | शून्य *** | | |
| <p>* उक्त में तब से संचयी राशि शामिल होगी जब से आरई ने ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश शुरू की है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक ने 1 जून, 2023 से ग्रीन डिपॉजिट जुटाना शुरू कर दिया है, तो 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई और आवंटित जमा का विवरण शामिल होगा। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जुटाई गई ग्रीन डिपॉजिट की वास्तविक राशि और ऐसे फंड का उपयोग इस प्रकटीकरण के तहत दिया जाएगा।</p> <p>**प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, आरई प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित धन के आधार पर उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आरईएस "नवीकरणीय ऊर्जा" के अंतर्गत सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियाँ प्रदान कर सकता है।</p> <p>*** यथा दिनांक 31-03-2024 तक इस पोर्टफोलियो का कोई उत्पाद उपलब्ध नहीं है</p> | | | |

(k) Portfolio-level information on the use of funds raised from Green Deposits

| Particulars | Current Financial Year | Units* Sold | Amount Sold |
|--|------------------------|-------------|-------------|
| Total Green Deposits raised (A) | | NIL*** | |
| Use of Green Deposit funds** | | | |
| (1) Renewable Energy | | | |
| (2) Energy Efficiency | | | |
| (3) Clean Transportation | | | |
| (4) Climate Change Adaptation | | | |
| (5) Sustainable Water and Waste Management | | | |
| (6) Pollution Prevention and Control | | | |
| (7) Green Buildings | | | |
| (8) Sustainable Management of Living Natural Resources and Land Use | | NIL*** | |
| (9) Terrestrial and Aquatic Biodiversity Conservation | | | |
| Total Green Deposit funds allocated (B = Sum of 1 to 9) | | | |
| Amount of Green Deposit funds not allocated (C = A – B) | | | |
| Details of the temporary allocation of Green Deposit proceeds pending their allocation to the eligible green activities/projects | | | |
| <p>* This shall contain the cumulative amount since the RE started offering Green Deposits. For example, if a Bank has commenced raising Green Deposits from June 1, 2023, then the annual financial statement for the period ending March 31, 2025, would contain particulars of deposits raised and allocated from June 1, 2023, till March 31, 2025. Further, the actual amount of Green Deposits raised during the year and use of such funds shall be given under this disclosure.</p> <p>**Under each category, REs may provide sub-categories based on the funds allocated to each sub-sector. For example, REs may provide sub-categories like solar energy, wind energy, etc. under “Renewable Energy”.</p> <p>*** NO PRODUCT OF THIS PORTFOLIO IS AVAILABLE AS ON 31-03-2024</p> | | | |

15. लेखांकन मानदंड

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए विविध लेखांकन मानदंडों के तहत प्रकटीकरण अपेक्षाओं के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए दिशनिर्देशों के अनुपालन में, निम्नलिखित सूचना का प्रकटीकरण किया जाता है:

ए) लेखांकन मानदंड 5 - निर्दिष्ट अवधि के लिए निवल लाभ / हानि, पूर्वावधि मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

कोई सामग्री पूर्व अवधि आइटम नहीं है।

बी) लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव

विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है। एएस-11 की शर्तों के अनुसार, बैंक के विदेशी मुद्रा संचालन को ए) इंटीग्रल ऑपरेशंस और बी) नॉन इंटीग्रल ऑपरेशंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, विदेशी सहायक कंपनियों को गैर-अभिन्न परिचालन के रूप में माना जाता है और विदेशी मुद्रा और प्रतिनिधि कार्यालय क्षेत्र में घरेलू परिचालन को अभिन्न परिचालन के रूप में माना जाता है।

सी) लेखांकन मानदंड 15 - कर्मचारी हितलाभ

उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार छुट्टी देयताओं के वर्तमान मूल्य और बैंक के योगदान का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानकों को निर्धारित कर निम्नलिखित के लिए बीमांकिक अनुमान किये गए हैं।

- मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया(आईसीएआई) द्वारा जारी किये गए लेखांकन मानदंड 15 (संशोधित) के अन्य घटकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बड़ोत्तरी की जाती है।
- विगत वर्षों और प्रत्याशित भविष्य के अनुभव के संदर्भ में हास(पलायन) दर और इसमें मृत्यु को छोड़कर अन्य सभी आहरण लेकिन विकलांगता के कारण हुए आहरण शामिल हैं।
- बीमारी अवकाश के लिए लेखा-बही में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान बनाए गए हैं।

15. Accounting Standards

In compliance with the guidelines issued by the RBI regarding disclosure requirements of the various Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the following information is disclosed:

a) Accounting Standard 5 - Net Profit / Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

There are no material prior period items.

b) Accounting Standard 11 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI. In the terms of AS-11, the foreign currency operations of the Bank are classified as a) Integral Operations and b) Non-Integral Operations.

All overseas branches, offshore banking units, overseas subsidiaries are treated as non-integral operations and domestic operations in foreign exchange and representative offices area treated as integral operations.

c) Accounting Standard 15 - Employee Benefits

The actuarial assumptions in respect of gratuity, pension and privilege leave, for determining the present value of obligations and contributions of the bank, have been made by fixing various parameters for:

- Salary escalation by taking into account inflation, seniority, promotion and other factors mentioned in Accounting Standard 15 (Revised) issued by ICAI.
- Attrition rate by reference to past experience and expected future experience and includes all types of withdrawals other than death but including those due to disability.
- Provision towards sick leave has been made in the books of account on the basis of Actuarial valuation.

| मुख्य बीमांकिक (प्रिंसिपल एक्चुरियल) अनुमान | | | | |
|---|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | विवरण | उपदान | पेंशन | विशेषाधिकार छुट्टी |
| | रियायती दर (%) | 7.22 | 7.19 | 7.22 |
| | पूँजी पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 7.22 | 7.19 | -- |
| | वेतन में बढोत्तरी | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| | पेंशन में बढोत्तरी | -- | 2.00 | -- |
| | मृत्यु दर | आईएएलएम 12-14 | आईएएलएम 12-14 | आईएएलएम 12-14 |

| Principal Actuarial Assumptions | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------|
| | Particulars | Gratuity | Pension | Privilege Leave |
| | Discount Rate (%) | 7.22 | 7.19 | 7.22 |
| | Expected Return on Capital | 7.22 | 7.19 | -- |
| | Salary Escalation | 5.60 | 5.60 | 5.60 |
| | Pension Escalation | -- | 2.00 | -- |
| | Mortality | IALM 12-14 | IALM 12-14 | IALM 12-14 |

ए) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में दायित्व और संपत्ति में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

| ए. परिभाषीकृत लाभ बाध्यता में परिवर्तन (डीबीओ) | उपदान | | पेंशन | | विशेषाधिकार छुट्टी | |
|--|---------|---------|----------|----------|--------------------|---------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023* |
| 1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ | 2941.46 | 2837.81 | 27656.53 | 26264.50 | 2311.11 | 2318.76 |
| 2 सेवा लागत | 263.64 | 217.02 | 2007.79 | 2062.23 | 627.60 | 511.09 |
| 3 ब्याज लागत | 199.18 | 196.96 | 1856.62 | 1840.06 | 147.54 | 168.60 |
| 4 विगत सेवा लागत | - | - | - | - | - | - |
| 5 बीमांकिक हानियाँ / (लाभ) | 925.12 | 119.98 | 1139.33 | 687.50 | 279.05 | -540.77 |
| 6 लाभ भुगतान | -365.38 | -430.31 | -3668.53 | -3197.76 | -535.29 | -146.56 |
| 7 वर्ष के अंत में डीबीओ | 3964.02 | 2941.46 | 28991.74 | 27656.53 | 2830.01 | 2311.11 |

*आंकड़ों को पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनः सूचित/पुनः समूहीकृत किया गया है

(₹ करोड़ में)

| बी. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | उपदान | | पेंशन | | विशेषाधिकार छुट्टी | |
|---|---------|---------|----------|----------|--------------------|------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1 वर्ष की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 3379.28 | 3547.86 | 26711.29 | 25698.52 | -- | -- |
| 2 योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 243.98 | 266.44 | 1920.54 | 1917.11 | -- | -- |
| 3 वास्तविक कर्मचारी अंशदान | 341.84 | 0.00 | 2120.75 | 2192.08 | -- | -- |
| 4 बीमांकिक लाभ / (हानि) | 16.28 | -4.72 | 407.95 | 101.34 | -- | -- |
| 5 लाभ भुगतान | -365.38 | -430.31 | -3668.53 | -3197.76 | -- | -- |
| 6 वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 3616.00 | 3379.28 | 27492.00 | 26711.29 | -- | -- |

A Change in obligation and assets over the year ended 31 March

(₹ in Crore)

| A | Changes in Defined Benefit Obligation (DBO) | Gratuity | | Pension | | Privilege Leave | |
|---|---|----------|---------|----------|----------|-----------------|---------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023* |
| 1 | DBO at beginning of the year | 2941.46 | 2837.81 | 27656.53 | 26264.50 | 2311.11 | 2318.76 |
| 2 | Service Cost | 263.64 | 217.02 | 2007.79 | 2062.23 | 627.60 | 511.09 |
| 3 | Interest Cost | 199.18 | 196.96 | 1856.62 | 1840.06 | 147.54 | 168.60 |
| 4 | Past Service Cost | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Actuarial Losses / (Gains) | 925.12 | 119.98 | 1139.33 | 687.50 | 279.05 | -540.77 |
| 6 | Benefit Payments | -365.38 | -430.31 | -3668.53 | -3197.76 | -535.29 | -146.56 |
| 7 | DBO at end of the year | 3964.02 | 2941.46 | 28991.74 | 27656.53 | 2830.01 | 2311.11 |

*The figures have been re-stated/re-grouped as per Audited Balance sheet for the Previous Year.

(₹ in Crore)

| B | Changes in Fair Value of Assets | Gratuity | | Pension | | Privilege Leave | |
|---|--|----------|---------|----------|----------|-----------------|------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1 | Fair Value of Plan Assets at beginning of the year | 3379.28 | 3547.86 | 26711.29 | 25698.52 | -- | -- |
| 2 | Expected Return on plan assets | 243.98 | 266.44 | 1920.54 | 1917.11 | -- | -- |
| 3 | Actual Employee contributions | 341.84 | 0.00 | 2120.75 | 2192.08 | -- | -- |
| 4 | Actuarial Gain / (Loss) | 16.28 | -4.72 | 407.95 | 101.34 | -- | -- |
| 5 | Benefits payments | -365.38 | -430.31 | -3668.53 | -3197.76 | -- | -- |
| 6 | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 3616.00 | 3379.28 | 27492.00 | 26711.29 | -- | -- |

31 मार्च की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में पहचान की गई निवल आस्ति / देयता (राशि ₹ करोड़ में)

| | उपदान | | पेंशन | | विशेषाधिकार छुट्टी | |
|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1 परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य | 3964.02 | 2941.45 | 28991.74 | 27656.52 | - | - |
| 2 योजना आस्तियों का उचित मूल्य | 3616.00 | 3379.28 | 27492.00 | 26711.29 | - | - |
| 3 वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)] | -348.02 | 437.82 | -1499.74 | -945.24 | - | - |
| 4 तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल आस्ति/ (देयता) | -348.02 | 437.82 | -1499.74 | -945.24 | - | - |

Net Asset / Liability Recognized in the Balance Sheet as at 31 March (₹ in Crore)

| | Gratuity | | Pension | | Privilege Leave | |
|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1 Present value of Defined Benefit Obligation | 3964.02 | 2941.45 | 28991.74 | 27656.52 | - | - |
| 2 Fair Value of Plan Assets | 3616.00 | 3379.28 | 27492.00 | 26711.29 | - | - |
| 3 Funded Status [Surplus / (Deficit)] | -348.02 | 437.82 | -1499.74 | -945.24 | - | - |
| 4 Net Asset / (Liability) recognized in the Balance Sheet | -348.02 | 437.82 | -1499.74 | -945.24 | - | - |

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए नियोक्ता व्यय का प्रकटीकरण (राशि ₹ करोड़ में)

| | उपदान | | पेंशन | | विशेषाधिकार छुट्टी | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1 वर्तमान सेवा लागत (पूर्णतय: बीमित लाभों के लिए जोखिम प्रीमियम सहित) | 263.64 | 217.02 | 2007.79 | 2062.23 | 627.60 | 511.09 |
| 2 ब्याज लागत | 199.18 | 196.96 | 1856.62 | 1840.06 | 147.54 | 168.60 |
| 3 योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न | 243.98 | 266.44 | 1920.54 | 1917.11 | - | - |
| 4 पिछली सेवा लागत | - | - | - | - | - | - |
| 5 बीमांकिक लाभ / (हानि) | 908.84 | 124.70 | 731.38 | 586.16 | 279.05 | -540.77 |
| 6 लाभ एवं हानि में शामिल कुल नियोक्ता व्यय | 1127.68 | 272.23 | 2675.25 | 2571.33 | 1054.19 | 138.91 |

कोई अदायगी न होने के बावजूद बैंक के पास विवेकपूर्ण आधार पर बीमारी अवकाश के लिए ₹ 54.56 करोड़ का प्रावधान है।

Disclosure of Employer Expenses for the year ended 31 March (₹ in Crore)

| | Gratuity | | Pension | | Privilege Leave | |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| 1 Current Service Cost (including risk premiums for fully insured benefits) | 263.64 | 217.02 | 2007.79 | 2062.23 | 627.60 | 511.09 |
| 2 Interest Cost | 199.18 | 196.96 | 1856.62 | 1840.06 | 147.54 | 168.60 |
| 3 Expected Return on Plan Assets | 243.98 | 266.44 | 1920.54 | 1917.11 | - | - |
| 4 Past Service Cost | - | - | - | - | - | - |
| 5 Actuarial Losses / (Gains) | 908.84 | 124.70 | 731.38 | 586.16 | 279.05 | -540.77 |
| 6 Total Employer Expense recognized in P&L | 1127.68 | 272.23 | 2675.25 | 2571.33 | 1054.19 | 138.91 |

Bank is having a provision of ₹ 54.56 cr. toward Sick leave on prudential basis though there is no payout.

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र में शामिल निवल आस्तियों / देयताओं का समाधान

(राशि ₹ करोड़ में)

| | | उपदान | | पेंशन | | विशेषाधिकार छुट्टी | |
|---|---|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023* |
| 1 | निवल आस्ति / (देयता) अवधि की शुरुआत में | -437.82 | -710.05 | 945.24 | 565.98 | 2311.11 | 2318.76 |
| 2 | नियोक्ता व्यय | 1127.68 | 272.23 | 2675.25 | 2571.33 | 1054.19 | 138.91 |
| 3 | नियोक्ता योगदान | 341.84 | - | 2120.75 | 2192.08 | - | - |
| 4 | भुगतान किया गया लाभ | - | - | - | - | -535.29 | -146.56 |
| 5 | अधिग्रहण / व्यापार संयोजन | - | - | - | - | - | - |
| 6 | अवधि के अंत में निवल आस्ति / (देयता) | 348.02 | -437.82 | 1499.74 | 945.24 | 2830.01 | 2311.11 |

*आंकड़ों को पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनः सूचित / पुनः समूहीकृत किया गया है

Reconciliation of Net Assets / Liabilities recognized in Balance Sheet for the year ended 31 March

(₹ in Crore)

| | | Gratuity | | Pension | | Privilege Leave | |
|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023* |
| 1 | Net Asset / (Liability) at the beginning of the period | -437.82 | -710.05 | 945.24 | 565.98 | 2311.11 | 2318.76 |
| 2 | Employer Expenses | 1127.68 | 272.23 | 2675.25 | 2571.33 | 1054.19 | 138.91 |
| 3 | Employer Contributions | 341.84 | - | 2120.75 | 2192.08 | - | - |
| 4 | Benefits Paid | - | - | - | - | -535.29 | -146.56 |
| 5 | Acquisitions / Business Combinations | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Net Asset / (Liability) at the end of the period | 348.02 | -437.82 | 1499.74 | 945.24 | 2830.01 | 2311.11 |

*The figures have been re-stated / re-grouped as per Audited Balance sheet for the Previous Year

नई पेंशन योजना अंशदान

बैंक की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डिसीपिएस) 1 अगस्त, 2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिए लागू है। इस योजना का प्रबंधन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत किया जाता है। नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड क्रीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

New Pension Scheme Contribution

The Bank has a Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers joining the Bank on or after August 1, 2010. The Scheme is managed by NPS Trust under the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS.

भविष्य निधि

वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|------------------------------------|------------|------------|
| भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान | 0.26 | 0.83 |

Provident Fund

Employer's contribution to provident fund, recognized as expense for the year is as under:

(₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|------------|------------|
| Employer's contribution to Provident Fund | 0.26 | 0.83 |

डी) लेखांकन मानदंड 17 - खंड रिपोर्टिंग
भाग ए -- व्यावसायिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

| व्यावसायिक क्षेत्र | राजकोष | | कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग | | खुदरा बैंकिंग | | अन्य बैंकिंग व्यवसाय | | कुल | |
|--------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|---------------|------------|----------------------|------------|------------|------------|
| | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | चालू वर्ष | पिछले वर्ष | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
| राजस्व | 24628.54 | 21972.70 | 42159.00 | 32911.00 | 60866.82 | 48303.28 | - | - | 127654.36 | 103186.98 |
| परिणाम | 4659.00 | 4632.95 | -1408.38 | -2017.99 | 16454.35 | 11558.04 | - | - | 19704.97 | 14173.00 |
| गैर-आवटित व्यय | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| परिचालन लाभ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| आय कर | - | - | - | - | - | - | - | - | 5150.65 | 3569.24 |
| असाधारण लाभ / हानि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| निवल लाभ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14554.32 | 10603.76 |
| अन्य सूचना: | | | | | | | | | | |
| खंड आस्तियां | 408277.75 | 370108.00 | 520333.99 | 481284.78 | 528695.36 | 441612.80 | - | - | 1457307.09 | 1293005.58 |
| गैर-आवटित आस्तियां | | | | | | | | | | |
| कुल आस्तियां | | | | | | | | | 34233.63 | 52726.67 |
| खंड देयताएं | 379860.28 | 340422.87 | 515776.21 | 479259.30 | 476773.56 | 415293.01 | - | - | 1372410.05 | 1234975.19 |
| गैर-आवटित देयताएं | | | | | | | | | 32176.08 | 37149.88 |
| कुल देयताएं | | | | | | | | | 1404586.13 | 1272125.07 |

भाग बी: भौगोलिक खंड

(राशि ₹ करोड़ में)

| | घरेलू | | अंतरराष्ट्रीय | | कुल | |
|---------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष | वर्तमान वर्ष | पिछला वर्ष |
| (ए) राजस्व | 121217.23 | 99353.19 | 6437.13 | 3833.79 | 127654.36 | 103186.98 |
| (बी) आस्तियां | 1379471.64 | 1228635.58 | 112069.08 | 117096.67 | 1491540.72 | 1345732.25 |

d) Accounting Standard 17 - Segment Reporting
Part A - Business segments

(₹ in Crore)

| Business Segments Particulars | Treasury | | Corporate / Wholesale Banking | | Retail Banking | | Other Banking Business | | Total | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| Revenue | 24628.54 | 21972.70 | 42159.00 | 32911.00 | 60866.82 | 48303.28 | - | - | 127654.36 | 103186.98 |
| Result | 4659.00 | 4632.95 | -1408.38 | -2017.99 | 16454.35 | 11558.04 | - | - | 19704.97 | 14173.00 |
| Unallocated expenses | | | | | | | | | | |
| Operating profit | | | | | | | | | | |
| Income taxes | | | | | | | | | 5150.65 | 3569.24 |
| Extraordinary profit / loss | | | | | | | | | | |
| Net profit | | | | | | | | | 14554.32 | 10603.76 |
| Other information: | | | | | | | | | | |
| Segment assets | 408277.75 | 370108.00 | 520333.99 | 481284.78 | 528695.36 | 441612.80 | - | - | 1457307.09 | 1293005.58 |
| Unallocated assets | | | | | | | | | 34233.63 | 52726.67 |
| Total assets | | | | | | | | | | |
| Segment liabilities | 379860.28 | 340422.87 | 515776.21 | 479259.30 | 476773.56 | 415293.01 | - | - | 1372410.05 | 1234975.19 |
| Unallocated liabilities | | | | | | | | | 32176.08 | 37149.88 |
| Total liabilities | | | | | | | | | 1404586.13 | 1272125.07 |

Part B: Geographic segment

(₹ in Crore)

| | Domestic | | International | | Total | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year | Current Year | Previous Year |
| (a) Revenue | 121217.23 | 99353.19 | 6437.13 | 3833.79 | 127654.36 | 103186.98 |
| (b) Assets | 1379471.64 | 1228635.58 | 112069.08 | 117096.67 | 1491540.72 | 1345732.25 |

ई) लेखांकन मानदंड 18 - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण
संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनका संबंध - मूल बैंक - केनरा बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक -

- श्री. के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- श्री अशोक चंद्र, कार्यकारी निदेशक
- श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, कार्यकारी निदेशक
- श्री भवेन्द्र कुमार
(दिनांक 09 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)
- श्री एस के मजूमदार, समूह मुख्य वित्त अधिकारी
- संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव
(21 अप्रैल 2023 से प्रभावी)

मूल बैंक -

- केनरा बैंक

अनुषंगियां -

- केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
- केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
- केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
- केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
- केनरा बैंक सिक्वोरिटीज लिमिटेड (पूर्व में गिल्ट सिक्वोरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड)
- केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- केनरा बैंक (तंजानिया) लिमिटेड

संयुक्त उद्यम -

शून्य

ज्वाइंट वेंचर (कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर) में हमारी पूरी 40% हिस्सेदारी 30.11.2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच दी गई है, यथा दिनांक 31.03.2024 को संयुक्त उद्यम में हितों की कोई वित्तीय रिपोर्टिंग नहीं है।

e) Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures
Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

Key Management Personnel -

- Shri. K. Satyanarayana Raju
Managing Director & Chief Executive Officer
- Shri. Debashish Mukherjee
Executive Director
- Shri. Ashok Chandra, Executive Director
- Shri. Hardeep Singh Ahluwalia
Executive Director
- Shri. Bhavendra Kumar
(w.e.f. from 9th October 2023)
- Shri. S K Majumdar
Group Chief Financial Officer
- Shri. Santosh Kumar Barik, Company secretary
(w.e.f. from 21st April 2023)

Parent -

- Canara Bank

Subsidiaries -

- Canbank Financial Services Ltd.
- Canbank Venture Capital Fund Ltd.
- Canbank Factors Ltd.
- Canara Robecco Asset Management Company Ltd.
- Canbank Computer Services Ltd.
- Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd)
- Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.
- Canara Bank (Tanzania) Ltd.

Joint Ventures -

Nil

As our entire stake of 40% in the Joint Venture (Commercial Indo Bank LLC, Moscow our Joint Venture with State Bank of India) has been sold to State Bank of India on 30.11.2022, there is no financial reporting of interests in the Joint venture as on 31.03.2024

सहयोगी संस्थाएं -

- i) कैनफिन होम्स लिमिटेड
- ii) बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - ए) कर्नाटक ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक)
 - बी) केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक)
 - सी) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
 - डी) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए)

उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के वित्तपोषण के लिए एमएचआरडी(अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के तहत एक केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) (अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण और उच्च अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसईपी) के माध्यम से देश के आईआईएम, आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएसईआर, आईआईएस, एनआईटी आदि जैसे संस्थानों को एक मंच प्रदान करना है।

इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय (एमओई) (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने ₹2000 करोड़ की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एमएचआरडी ने ₹1,000 करोड़ का योगदान और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से ₹100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय (एमओई) (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने एचईएफए इक्विटी आधार के मौजूदा अधिदेश और वित्तपोषित किए जाने वाले संस्थानों की श्रेणी का दायरा बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर ₹10,000 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें सरकार ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगी और केनरा बैंक ₹500 करोड़ का योगदान देगा। दिनांक 31.03.2024 तक, क्रमशः एमओई ने ₹4812.50 करोड़ की पूंजी और केनरा बैंक ने ₹481.25 करोड़ की पूंजी का योगदान दिया है। दिनांक 31.03.2024 तक, कंपनी ने ₹19968.26 करोड़ के संवितरण के साथ ₹39719.75 करोड़ की सीमा तक मीयादी ऋण स्वीकृत किए हैं।

Associates -

- i) Canfin Homes Ltd.
- ii) Regional Rural Banks sponsored by the Bank:
 - a) Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragati Krishna Gramin Bank)
 - b) Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank)
 - c) Andhra Pragathi Grameena Bank
 - d) Karnataka Vikas Grameena Bank

HIGHER EDUCATION FINANCING AGENCY (HEFA)

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of Ministry of Human Resources Development (MHRD) (now Ministry of Education (MoE)), Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt. company and as Non-deposit taking NBFC with RBI.

The Ministry of Human Resources Development (MHRD) (now Ministry of Education (MoE)), GoI with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT, IIITs etc. of the country.

Based on this, the MoE (erstwhile MHRD) proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2000 crore. MHRD has contributed ₹1,000 crore and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 crore.

Subsequently, MoE (erstwhile MHRD) extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 crore, wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 crore and Canara Bank will contribute ₹500 crore. As on 31.03.2024, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 crore, respectively. As at 31.03.2024, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹39719.75 crore and has disbursed ₹19968.26 crore.

यथा दिनांक 31.03.2024 को अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | अनुषंगियों | सहयोगी और संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | केएमपी के संबंधी | कुल |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| उधार - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | - | - | 0.00 (0.00) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | | | 0.00 (0.00) |
| जमा - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | 233.14 (321.03) | 456.13 (305.12) | - | - | 689.27 (626.15) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 235.69 (321.35) | 456.13 (322.00) | | | 691.82 (643.35) |
| जमा राशियों का नियोजन - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.38) | - | - | 0.00 (0.38) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.38) | | | 0.00 (0.38) |
| अग्रिम - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | 510.57 (428.20) | 1480.20 (1529.33) | - | - | 1990.77 (1957.53) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 513.15 (544.08) | 1520.00 (1529.33) | | | 2033.15 (2073.41) |
| अचल संपत्तियों की खरीद - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | | | | | |
| चालू खाते में शेष (निवल) - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | 3.18 (0.77) | 116.07 (29.58) | - | - | 119.25 (30.35) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 3.18 (1.39) | 116.07 (8.02) | | | 119.25 (9.41) |
| अन्य प्राप्य - | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | 0.27 (0.37) | 0.00 (0.00) | - | - | 0.19 (19.30) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 0.27 (0.75) | 0.00 (0.00) | | | 0.27 (0.75) |
| अंतरबैंक प्रतिभागिता प्रमाणपत्र - भाग लिया | | | | | |
| यथा वर्षांत को बकाया | - | - | - | - | - |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | | | | | |

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Ventures as on 31.03.2024 are as under:

(₹ in Crore)

| Particulars | Subsidiaries | Associates & Joint Ventures | Key Management Personnel (KMP) | Relatives of KMP | Total |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| Borrowings - | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | - | - | 0.00 (0.00) |
| Maximum outstanding during the year | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.00) | | | 0.00 (0.00) |
| Deposits - | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 233.14 (321.03) | 456.13 (305.12) | - | - | 689.27 (626.15) |
| Maximum outstanding during the year | 235.69 (321.35) | 456.13 (322.00) | | | 691.82 (643.35) |
| Placement of Deposits - | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.38) | - | - | 0.00 (0.38) |
| Maximum outstanding during the year | 0.00 (0.00) | 0.00 (0.38) | | | 0.00 (0.38) |
| Advances - | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 510.57 (428.20) | 1480.20 (1529.33) | - | - | 1990.77 (1957.53) |
| Maximum outstanding during the year | 513.15 (544.08) | 1520.00 (1529.33) | | | 2033.15 (2073.41) |
| Purchase of Fixed Assets - | | | | | |
| Outstanding as at the year end | - | - | - | - | - |
| Maximum outstanding during the year | | | | | |
| Balance in current account (Net) | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 3.18 (0.77) | 116.07 (29.58) | - | - | 119.25 (30.35) |
| Maximum outstanding during the year | 3.18 (1.39) | 116.07 (8.02) | | | 119.25 (9.41) |
| Other receivable- | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 0.27 (0.37) | 0.00 (0.00) | - | - | 0.19 (19.30) |
| Maximum outstanding during the year | 0.27 (0.75) | 0.00 (0.00) | | | 0.27 (0.75) |
| Inter Bank Participation Certificate - Participated | | | | | |
| Outstanding as at the year end | - | - | - | - | - |
| Maximum outstanding during the year | | | | | |

यथा दिनांक 31.03.2024 को अनुषंगियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | अनुषंगियों | सहयोगी और संयुक्त उद्यम | प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) | केएमपी के संबंधी | कुल |
|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| अन्य देय - यथा वर्षांत को बकाया | 1.55 (7.02) | 0.00 (0.00) | - | - | 1.55 (7.02) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 1.55 (1.27) | 0.00 (0.00) | - | - | 1.55 (7.02) |
| गैर-वित्तपोषित प्रतिबद्धताएँ वर्ष के अंत में उत्कृष्ट | 4.05 (0.00) | 0.00 (0.00) | - | - | 4.05 (0.00) |
| वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | 4.05 (0.00) | 0.00 (0.00) | - | - | 4.05 (0.00) |
| प्रदत्त ब्याज | 13.44 (6.95) | 22.62 (16.55) | - | - | 36.06 (23.50) |
| प्राप्त ब्याज | 37.37 (34.13) | 107.60 (70.76) | - | - | 144.97 (104.89) |
| प्राप्त लाभांश | 48.62 (35.06) | 0 (11.98) | - | - | 48.62 (47.04) |
| प्रदत्त प्रीमियम | 598.92 458.01 | 0.00 (0.00) | - | - | 598.92 (458.01) |
| सेवा का प्रतिपादन | 1.16 (7.48) | 0.89 (4.31) | - | - | 2.05 (11.80) |
| सेवाओं के लिए प्राप्त | 52.85 (64.17) | 0.00 (0.00) | - | - | 52.85 (64.17) |
| प्राप्त कमीशन | 303.94 (289.28) | 0.00 (0.00) | - | - | 303.94 (289.28) |
| प्रदत्त लाभांश | 0.00 (0.00) | 0.15 (0.08) | - | - | 0.15 (0.08) |

Transactions with Subsidiaries, Associates and Joint Ventures as on 31.03.2024 are as under:

(₹ in Crore)

| Particulars | Subsidiaries | Associates & Joint Ventures | Key Management Personnel (KMP) | Relatives of KMP | Total |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Other payable | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 1.55 (7.02) | 0.00 (0.00) | - | - | 1.55 (7.02) |
| Maximum outstanding during the year | 1.55 (1.27) | 0.00 (0.00) | | | 1.55 (7.02) |
| Non-Funded Commitments | | | | | |
| Outstanding as at the year end | 4.05 (0.00) | 0.00 (0.00) | - | - | 4.05 (0.00) |
| Maximum outstanding during the year | 4.05 (0.00) | 0.00 (0.00) | - | - | 4.05 (0.00) |
| Interest Paid | 13.44 (6.95) | 22.62 (16.55) | - | - | 36.06 (23.50) |
| Interest Received | 37.37 (34.13) | 107.60 (70.76) | - | - | 144.97 (104.89) |
| Dividend Received | 48.62 (35.06) | 0 (11.98) | - | - | 48.62 (47.04) |
| Premium Paid | 598.92 458.01 | 0.00 (0.00) | - | - | 598.92 (458.01) |
| Rendering of Service | 1.16 (7.48) | 0.89 (4.31) | - | - | 2.05 (11.80) |
| Receiving for Services | 52.85 (64.17) | 0.00 (0.00) | - | - | 52.85 (64.17) |
| Commission Received | 303.94 (289.28) | 0.00 (0.00) | - | - | 303.94 (289.28) |
| Dividend Paid | 0.00 (0.00) | 0.15 (0.08) | - | - | 0.15 (0.08) |



एफ) लेखांकन मानदंड 24 - परिचालन बंद करना

बैंक के बोर्ड ने दिनांक 27.01.2022 के आदेश के माध्यम से बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड को बंद करने की अनुमति दे दी है। कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन की याचिका 15.02.2023 को एनसीएलटी के समक्ष दायर की गई है। एनसीएलटी के आदेश दिनांक 25.07.2023 के बाद, कंपनी भंग हो गई है।

जी) लेखांकन मानदंड 27 - संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

लागू नहीं, क्योंकि 31-03-2024 तक किसी भी संयुक्त उद्यम में कोई रुचि नहीं है।

एच) लेखांकन मानदंड 28 - संपत्ति की क्षति

जब भी घटना या परिस्थिति में परिवर्तन के कारण यह लगे कि आस्ति के वहन राशि की वसूली नहीं हो सकती है तब वर्ष के समापन पर क्षति हेतु आस्ति की समीक्षा की जाएगी। धारित व प्रयुक्त होने वाले आस्ति के वसूली की संगणना आस्ति की वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न संभावित फ्यूचर निवल छूट-प्राप्त नकद प्रवाह की तुलना करने के द्वारा की जा सकती है। यदि ऐसी आस्ति को क्षति माने तो उस क्षति को संगणित व प्रगणित उस राशि द्वारा किया जाएगा जो आस्ति की वसूली-योग्य राशि से अधिक आस्ति का वहन राशि है। यद्यपि, बैंक प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखा मानक 28 - "आस्ति की क्षति" लागू है उस वर्ष के दौरान किसी भी सामग्री पर कोई क्षति का संकेत नहीं है।

16. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर ल्ड बॉण्ड जारी करके कुल रुपये ₹3403 करोड़ और बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर II बॉण्ड से कुल मिलाकर ₹2500 करोड़ निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए हैं।

17. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीओआर. एसीसी.आरईसी.सं.91/21.04.018/2022-23 दिनांक 13 दिसंबर, 2022 अनुसूची 5/11/14/16 यानी अन्य देनदारियों/ अन्य संपत्ति/अन्य आय के तहत मद का विवरण / कुल संपत्ति / कुल आय के 1% से अधिक अन्य व्यय निम्नानुसार हैं:

f) Accounting Standard 24 - Discontinuing Operation

The Board of the bank vide order dated 27.01.2022 has accorded permission for winding up of SyndBank Services Ltd., Bank's wholly owned Subsidiary. Petition for voluntary liquidation of the Company has been filed before NCLT on 15.02.2023. Subsequent to the NCLT order dated 25.07.2023, the Company stands dissolved.

g) Accounting Standard 27 - Financial Reporting of Interests in Joint Ventures

Not applicable, since no interest in any Joint Venture as on 31-03-2024.

h) Accounting Standard 28 - Impairment of Assets

Assets are reviewed for impairment at the end of the year, whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

16. During the FY 2023-24, Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹3403 crore through private placement and redeemed of ₹2500 crore Basel III Compliant Tier II Bonds due to maturity.

17. As per RBI guidelines, DOR.ACC.REC. No.91/21.04.018/2022-23 dated December 13, 2022, the details of the item under Schedule 5 /11/14/16 i.e. Other Liabilities / Other Assets / Other Income / Other Expenses exceeding 1% of the total Assets / Total income is as under:

| दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए | उपशीर्ष / शीर्ष के अंतर्गत मद | राशि करोड़ में. | इसमें राशि % |
|---|--|-----------------|--------------|
| | 2024 | 2024 | 2024 |
| “अनुसूची 14 - अन्य आय” शीर्षक के अंतर्गत “विविध आय” उपशीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो। | तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए राशि का प्रतिलेखन | 5767.64 | 4.52% |
| | अन्य विविध आय (मुख्यतः पिएसएलसी संसूचना) | 3947.33 | 3.09% |
| | सेवा शुल्क | 3055.48 | 2.39% |
| | कमीशन - कार्ड सेवाएँ | 1578.06 | 1.24% |

| For FY ended 31.03.2024 | Item under the Subhead / Head | Amount in Crores | Amount in % |
|---|--|------------------|-------------|
| | 2024 | 2024 | 2024 |
| Any Item under the subhead “Miscellaneous Income under the head “Schedule14- Other Income” exceeds one percent of the total income. | Write Back in Technical Written Off Accounts | 5767.64 | 4.52% |
| | Other Misc. Income (mainly PSLC Comm) | 3947.33 | 3.09% |
| | Service Charges | 3055.48 | 2.39% |
| | Commission - Card Services | 1578.06 | 1.24% |

18. वर्ष के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत बनाए गए विशेष रिजर्व में ₹850 करोड़ अंतरित किए हैं।

19. माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021 में बैंकिंग उद्योग में गैर-निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) के एकत्रीकरण और समाधान के लिए एआरसी-एएमसी संरचना के गठन की घोषणा की, जिसमें दो संस्थाएं शामिल हैं - राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल), और भारतीय ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (आईडीआरसीएल)।

एनएआरसीएल एक सरकारी इकाई है, जिसे 07 जुलाई 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बहुमत हिस्सेदारी और निजी बैंकों द्वारा केनरा बैंक (12% शेयरधारिता के साथ) के साथ प्रायोजक बैंक के रूप में शामिल किया गया है। यह वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज

18. During the year, Bank has transferred ₹850 crore to Special Reserve created u/s 36 (1) (viii) of Income Tax Act, 1961.

19. The Hon’ble Finance Minister, in the Union Budget 2021 announced the formation of an ARC-AMC structure, comprising of two entities viz. National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), and India Debt Resolution Company Limited (IDRCL) for aggregation and resolution of Non-Performing Assets (NPAs) in the Banking Industry.

NARCL a Government entity, has been incorporated on 7th July 2021 with majority stake held by Public Sector Banks and balance by private banks with Canara Bank (with 12% shareholding) being the sponsor Bank. It is registered with the Reserve Bank of India as an Asset Reconstruction

अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है।

15 बैंकों से ₹2750 करोड़ की कुल इक्विटी आवश्यकता में से एनएआरसीएल में प्रायोजक के रूप में बैंक का प्रतिबद्ध योगदान इक्विटी के रूप में ₹330 करोड़ है। अब तक बैंक ने ₹2750 करोड़ की मौजूदा प्रदत्त पूंजी में से एनएआरसीएल को इक्विटी के रूप में ₹330 करोड़ जारी किए हैं।

आईडीआरसीएल में बैंक का प्रतिबद्ध योगदान (अर्थात 5%) 14 बैंकों से रु. 50 करोड़ की कुल इक्विटी आवश्यकता में से इक्विटी के रूप में ₹2.50 करोड़ है। अब तक बैंक ने ₹20.00 करोड़ की मौजूदा चुकता पूंजी में से आईडीआरसीएल को इक्विटी के रूप में ₹1.00 करोड़ जारी किए हैं।

एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल के प्रति बैंक की शेष प्रतिबद्धताओं को आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

20. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Company under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Bank's committed contribution as a sponsor in NARCL is ₹330 crore as equity, out of the total equity requirement of ₹2750 crore from 15 banks. Till now, Bank has released ₹330 crore as equity to NARCL out of the current paid-up capital of ₹2750 crore.

Bank's committed contribution in IDRCL (i.e. 5%) is ₹2.50 crore as equity, out of the total equity requirement of ₹50 crore from 14 banks. Till now Bank has released ₹1.00 crore as equity to IDRCL out of the current paid-up capital of ₹20.00 crore.

Remaining commitments of Bank towards NARCL & IDRCL are shown under contingent liability.

20. Figures of the previous year have been regrouped/rearranged / reclassified wherever necessary.

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

अमित मिश्र
उप महाप्रबंधक

भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

के सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नालिनी पद्मनाभन
निदेशक

हरदीप सिंह अहलुवालिया
कार्यपालक निदेशक

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

दीपक कुमार जेना
मंडल प्रबंधक

एस के मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक और जीसीएफओ

अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

दीपेश देवचंद देधिया
सहायक महाप्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर केशवन
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी. ए. व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 313085E

(एस.एस.पोद्दार)
साझेदार
सदस्यता सं.: 051113

कृते अरुण के अग्रवाल व
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(कमल राय माथरा)
साझेदार
सदस्य सं. 082899

कृते शरत व एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 005120S

(वेगुंटा साई रूप कुमार)
साझेदार
सदस्यता सं.: 213734

कृते के वेंकटाचलम अय्यर व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610S

(ए गोपालाकृष्णन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 018159

कृते रोडी दबीर व कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846W

(दिलीप रोडी)
साझेदार
सदस्य सं.: 035810

स्थान : बंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

AMIT MITTAL
DEPUTY GENERAL MANAGER

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
DIRECTOR

DEEPAK KUMAR JENA
DIVISIONAL MANAGER

S K MAJUMDAR
CHIEF GENERAL MANAGER & GCFO

ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
ASST GENERAL MANAGER

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For P A & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313085E

(S S PODDAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 051113

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:082899

For SARATH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 005120S

(VEGUNTA SAI ROOP
KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 213734

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 035810

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

31.03.2024 को बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित)

बेसल III - 31 मार्च 2024 तक पिलर 3 प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर 'विनियामक प्रकटीकरण खंड' के तहत उपलब्ध है। विवरण के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ - <https://www.canarabank.com/pages/Basel-III-Disclosures#>

इस खंड में निम्नलिखित प्रकटीकरण शामिल हैं:

| तालिका | विवरण |
|-----------|--|
| डीएफ - 1 | आवेदन का दायरा |
| डीएफ - 2 | पूंजी पर्याप्तता |
| डीएफ - 3 | क्रेडिट जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण |
| डीएफ - 4 | क्रेडिट जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण |
| डीएफ - 5 | क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण - मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण |
| डीएफ - 6 | प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण |
| डीएफ - 7 | ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम |
| डीएफ - 8 | परिचालनात्मक जोखिम |
| डीएफ - 9 | बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) |
| डीएफ - 10 | प्रतिपक्ष ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर के लिए सामान्य प्रकटीकरण |
| डीएफ - 11 | पूंजी की संरचना |
| डीएफ - 12 | पूंजी की संरचना-समाधान आवश्यकताएँ |
| डीएफ - 13 | विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं |
| डीएफ - 14 | विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम और शर्तें |
| डीएफ - 15 | पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएँ |
| डीएफ - 16 | इक्विटीज़ - बैंकिंग बुक स्थिति के लिए प्रकटीकरण |
| डीएफ - 17 | लेखांकन आस्ति बनाम लिवरेज अनुपात एक्सपोजर मान का संक्षिप्त तुलना |
| डीएफ - 18 | लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट |

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (CONSOLIDATED) AS AT 31.03.2024

Basel III - Pillar 3 disclosures as at 31st March 2024 is available on Bank's Website under 'Regulatory Disclosures Section'. For details, please visit our Website - <https://www.canarabank.com/pages/Basel-III-Disclosures#>

The section contains the following disclosures:

| TABLES | PARTICULARS |
|---------|--|
| DF - 1 | SCOPE OF APPLICATION |
| DF - 2 | CAPITAL ADEQUACY |
| DF - 3 | CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES |
| DF - 4 | CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH |
| DF - 5 | CREDIT RISK MITIGATION – DISCLOSURES FOR STANDARDIZED APPROACH |
| DF - 6 | SECURITIZATION EXPOSURES: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACH |
| DF - 7 | MARKET RISK IN TRADING BOOK |
| DF - 8 | OPERATIONAL RISK |
| DF - 9 | INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB) |
| DF - 10 | GENERAL DISCLOSURE FOR EXPOSURES RELATED TO COUNTERPARTY CREDIT RISK |
| DF - 11 | COMPOSITION OF CAPITAL |
| DF - 12 | COMPOSITION OF CAPITAL – RECONCILIATION REQUIREMENTS |
| DF - 13 | MAIN FEATURES OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS |
| DF - 14 | FULL TERMS AND CONDITIONS OF REGULATORY CAPITAL INSTRUMENTS |
| DF - 15 | DISCLOSURE REQUIREMENTS FOR REMUNERATION |
| DF - 16 | EQUITIES - DISCLOSURE FOR BANKING BOOK POSITIONS |
| DF - 17 | SUMMARY COMPARISON OF ACCOUNTING ASSETS VS LEVERAGE RATIO EXPOSURE MEASURE |
| DF - 18 | LEVERAGE RATIO COMMON DISCLOSURE TEMPLATE |

यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरणी
STANDALONE CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024
(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

| विवरण / Particulars | 31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित / Audited) |
|---|--|--|
| परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Operating activities | | |
| कर के बाद निवल लाभ / Net Profit after Tax | 14,554.33 | 10,603.76 |
| जोड़ें: कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए समावेशी प्रावधान) Add: Provision for Tax (Incl. Provision for Deferred Tax) | 5,150.65 | 3,569.24 |
| कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit Before Tax | 19,704.98 | 14,173.00 |
| समायोजन: / Adjustments for: | | |
| मूल्यहास / Depreciation | 868.93 | 992.96 |
| निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on revaluation of Investments | (501.75) | (979.75) |
| उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान Provision for Diminution in Fair Value and NPAs | 8,879.84 | 9,470.08 |
| अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets including unhedged foreign currency provision | 206.47 | 335.89 |
| टियर I और टियर II बांड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds | 2,560.52 | 2,435.97 |
| आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others | (289.63) | 935.33 |
| अचल संपत्तियों की बिक्री पर (लाभ) / हानि / (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets | (16.31) | (308.80) |
| अनुषंगी कंपनियों, संयुक्त उद्यम आदि में निवेश से आय Income from Investment in subsidiaries, JVs, etc | (94.92) | (69.07) |
| निवेश मूल्यहास / (अधिमूल्यन) और एनपीआई के लिए प्रावधान Provision for investment depreciation/ (appreciation) & NPI | 910.92 | 2,801.72 |
| कुल योग / Sub total | 12,524.07 | 15,614.33 |
| समायोजन: / Adjustments for: | | |
| निवेश में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Investments | (38,779.84) | (38,875.25) |
| अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances | (1,09,820.10) | (1,36,540.81) |
| उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings | (1,400.51) | 7,754.83 |
| जमा में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposits | 1,33,148.01 | 92,809.35 |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Assets | 2,556.26 | 4,154.30 |
| अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions | (850.03) | 4,373.53 |
| | (15,146.21) | (66,324.05) |
| घटाएं: निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदेय / Less: Income Tax (Paid) / Refund | (2,828.72) | (4,139.65) |
| परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद Net Cash Generated from Operating Activities | 14,254.12 | (40,676.37) |
| निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Investing activities | | |
| अनुषंगी कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों में निवेश से आय / Income from investment in subsidiaries and/or JVs | 94.91 | 69.08 |
| संयुक्त उद्यम, अनुषंगी कंपनियों आदि में निवेश / Investment in JVs, Subsidiaries, etc | (45.73) | 27.74 |
| अचल आस्तियों की बिक्री / खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह / Net inflow / outflow from sale / purchase of fixed assets | (1,132.31) | (486.40) |

| | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी Net Cash generated from Investing activities | (ख) (B) | (1,083.13) | (389.58) |
| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / Cash Flow from Financing activities | | | |
| टियर I और टियर II बांड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds | | (2,560.52) | (2,435.97) |
| अधीनस्थ ऋण सहित बांडों का नया निर्गम / Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts | | 3,403.00 | 6,000.00 |
| अधीनस्थ ऋण सहित बांड का मोचन Redemption of bonds including sub-ordinated debts | | (2,500.00) | (1,950.00) |
| पिछले वर्ष के लाभांश का भुगतान / Payment of Dividend of Previous Year | | (2,176.95) | (1,179.18) |
| वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद Net Cash generated from Financing activities | (ग) (C) | (3,834.47) | 434.85 |
| नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C) | | 9,336.52 | (40,631.10) |
| प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents | | 1,41,423.20 | 1,82,054.30 |
| अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents | | 1,50,759.72 | 1,41,423.20 |

नोट्स: / Notes:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति (AS-3) के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures have been re-grouped wherever considered necessary.
- नकदी और नकद तुल्य में उपलब्ध नकद शेष, आरबीआई और अन्य बैंकों में उपलब्ध शेष और मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
- Cash and Cash equivalents include Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

| नकदी एवं नकद तुल्य के घटक Components of Cash & Cash Equivalents | 31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित / Audited) |
|---|--|--|
| आरबीआई में नकदी व शेषराशि / Cash & Balance with RBI | 71,068.18 | 54,988.45 |
| बैंकों में उपलब्ध शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 79,691.54 | 86,434.75 |
| कुल / Total | 1,50,759.72 | 1,41,423.20 |

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

दीपक कुमार जेना
मंडल प्रबंधक

दीपेश देवचंद देडिया
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल
उप महाप्रबंधक

एस के मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक व जीसीएफो

भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह अहलुवालिया
कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

नलिनी पद्मानाभन
निदेशक

दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

करुणाकर शेटी
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

सम तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E

कृते अरुण के अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N

कृते सरथ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S

कृते के वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 004610S

कृते रोडी डाबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 108846W

(एस एस पोद्धार)
साझेदार
सदस्य सं.: 051113

(अरुण के अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं.: 082899

(वेगुंटा साई रूपा कुमार)
साझेदार
सदस्य सं.: 213734

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्य सं.: 018159

(दिलीप रोडी)
साझेदार
सदस्य सं.: 035810

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
DIVISIONAL MANAGER

DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
ASST GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
DEPUTY GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
CHIEF GENERAL MANAGER & GCFO

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

**DIBAKAR PRASAD
HARICHANDAN**
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

**ABHA SINGH
YADUVANSHI**
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For P A & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 313085E

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 003917N

For SARATH & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FRN : 005120S

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
Chartered Accountants
FRN : 004610S

For RODI DABIR & CO
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(S S PODDAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 051113

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:082899

(VEGUNTA SAI ROOP
KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 213734

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(DILIP RODI)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 035810

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024



केनरा बैंक का समेकित
तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा
तथा नकद प्रवाह विवरणी

2023-2024



**CONSOLIDATED
BALANCE SHEET, PROFIT & LOSS ACCOUNT
AND CASH FLOW STATEMENT OF CANARA BANK
2023-2024**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
केनरा बैंक के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमारी राय

1. हमने केनरा बैंक ("बैंक") के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित तुलन पत्र, तब समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश के साथ समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) प्रदान की गई है जिसमें निम्न को शामिल किया गया है:

- क) बैंक के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण;
- ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 8 अनुषंगियों और 1 सहयोगी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; और
- ग) 4 सहयोगियों के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी

बैंक के साथ उपरोक्त संस्थाओं को 'समूह' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. हमारी राय, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और अनुषंगियों, सहयोगियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किये गए अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के तहत आवश्यक उक्त सूचना प्रदान करने वाला समेकित वित्तीय विवरण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश") जो समूह की समेकित स्थिति, यथा 31 मार्च, 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उसके समेकित नकदी प्रवाह के मामलों में, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members of Canara Bank

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Canara Bank ("the Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2024, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to Consolidated Financial Statements including a summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated financial statements") which includes:

- a) Audited Standalone Financial Statements of the Bank;
- b) Audited Financial Statements of 8 Subsidiaries and 1 Associate audited by other Auditors; and
- c) Un-audited Financial Statements / Financial information of 4 Associates.

The above entities together with the Bank are referred to as the 'Group'.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiaries and associates, the unaudited financial statements and the other financial information of subsidiaries, and associates as furnished by the management, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, the Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the relevant provisions of Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time ("RBI Guidelines") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of their consolidated state of affairs of the Group as at 31st March, 2024, of consolidated profit, and its consolidated Cash flows for the year then ended.

राय का आधार

- हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (लेखा परीक्षा) के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखाकार की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ में नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दे

- मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और इस पर हमारी राय बनाने के लिए संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए नीचे दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों को निर्धारित किया है:

Basis for Opinion

- We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI, together with ethical requirements that are relevant to our Audit of the Consolidated Financial Statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

- Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

| क्र. सं. | महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मद्दे | प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों पर प्रतिक्रिया |
|----------|---|--|
| 1 | <p>आय निर्धारण, संपत्ति का वर्गीकरण, उस पर प्रावधानों की पर्याप्तता</p> <p>अग्रिम और निवेश बैंक की संपत्ति के सबसे बड़े वर्ग का गठन करते हैं। वर्गीकरण, आय की पहचान और उस पर प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और विभिन्न मानदंडों के अनुरूप नहीं है। बैंक का प्रबंधन सीबीएस (कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) के साथ-साथ अन्य संबद्ध आईटी प्रणालियों के साथ-साथ विभिन्न अनुमानों, उधारकर्ताओं के प्रदर्शन से संबंधित विवेकपूर्ण निर्णय, सुरक्षा मूल्य का निर्धारण, मैनुअल हस्तक्षेप सहित परिसंपत्ति वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञों और पेशेवरों की सेवाओं, आय की पहचान और उस पर प्रावधान पर निर्भर करता है।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमारी लेखापरीक्षा आय की पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और शेष राशि की भौतिकता पर विचार करते हुए अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित थी।</p> <p>हमने गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रदान करने के लिए बैंक की प्रणाली का आकलन किया।</p> <p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण शामिल था:</p> <ul style="list-style-type: none"> • अनुमोदन, प्रलेखन, संवितरण, अग्रिमों की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों का आकलन करना। • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन के लिए सीबीएस और अन्य संबंधित और संबद्ध प्रणालियों की समीक्षा। • अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन का मूल्यांकन। • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे एनपीए की पहचान करने और प्रावधान करने में उपयुक्त प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की समीक्षा। |

| Sl. No | Key Audit Matter | Response to Key Audit Matter |
|--------|--|---|
| 1 | <p>Income Recognition, Asset Classification, Adequacy of provisions thereon.</p> <p>Advances constitute the largest class of assets of the Bank. Classification, income recognition and provisioning thereon have been in conformity with the guidelines and various norms prescribed by Reserve Bank of India. The management of the bank relies on the CBS (Core Banking Solutions) along with other allied IT systems accompanied by various estimates, prudent judgement relating to performance of borrowers, determination of security value, manual interventions including services of experts & professionals for asset classification, Income Recognition and provisioning thereon.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>Our audit was focused on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances considering the materiality of the balances.</p> <p>We assessed the Bank's system in place to identify and provide for non-performing assets.</p> <p>Our audit approach consisted of testing of the design and operating effectiveness of the internal controls with respect to the followings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assessing the Controls with respect to approval, documentation, disbursement, monitoring of advances. • Review of the CBS and other related & allied systems for compliance with the prudential norms issued by Reserve Bank of India. • Evaluation of the design of internal controls relating to identification and making provision for non-performing assets. • Review of the relevant information technology systems used in identification and making provision for such NPA as per the RBI Guidelines. |



| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • एनपीए की पहचान और भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान की पर्याप्तता के उद्देश्य से प्रबंधन अनुमानों और निर्णयों का मूल्यांकन और परीक्षण किया गया। • नमूना जांच के आधार पर जहां कहीं यह हमारे संज्ञान में आया, मैनुअल हस्तक्षेपों की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और सटीकता की समीक्षा की। • गैर-निष्पादित आस्तियों की पहचान और प्रावधान के लिए और एसए-600 के अनुरूप समग्र अनुपालन के लिए हमारे द्वारा गैर लेखापरीक्षित शाखाओं के मामले में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) की रिपोर्ट / रिटर्न / निर्णय पर निर्भर रहे। • समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान और प्रावधान और दबावग्रस्त खातों की पहचान के लिए तंत्र की भी जांच की गई। | <ul style="list-style-type: none"> • Evaluated and tested the management estimates and judgements for the purpose of identification of NPA and adequacy of provision required as per RBI's Prudential norms. • Reviewed the reliability, effectiveness and accuracy of the manual interventions, wherever it has come to our knowledge on test check basis. • Relied on the reports / returns / judgements of the Statutory Branch Auditors (SBA) in case of branches not audited by us for identification and provisioning for non-performing assets and for overall compliance in conformity with SA-600. • Test checked the identification and provisioning of non-performing assets in accordance with RBI Guidelines issued from time to time and also the mechanism for identification of stressed accounts. |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न विशेषज्ञों की राय और रिपोर्ट पर भरोसा किया, जिसमें स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ और ऐसे अन्य पेशेवर शामिल हैं, जिन्होंने एसए-620 के अनुरूप विभिन्न क्षमताओं में बैंक को सेवाएं प्रदान की हैं। • उपलब्धता के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा / निरीक्षण रिपोर्ट / समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा की गई। |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Relied on the opinions and reports of various experts, which includes independent valuers, lawyers, legal experts and such other professionals, who have rendered services to the bank in various capacities in conformity with SA-620. • Reviewed the internal audit / inspection reports / Concurrent audit reports, wherever available. |
|--|---|

| | | |
|-----------|---|---|
| <p>2</p> | <p>निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और प्रावधान</p> <p>निवेश में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, शेयर, सुरक्षा रसीदें और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किया गया निवेश शामिल है। ये भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई / एनएसई पर उद्धृत दरों जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा / सूचना का संग्रह, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण शामिल है।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमारा ऑडिट मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यहास पर केंद्रित था।</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने इन निवेशों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन और मूल्यांकन किया। मौजूदा निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान और प्रदान किए जाने वाले मूल्यहास की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए अकंगणित सटीकता, डेटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित महत्वपूर्ण परीक्षण किए। |
| <p>2.</p> | <p>Classification and Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments</p> <p>Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security receipts and other approved securities. These are governed by the circulars and directives of the RBI. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies .</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>Our audit was focused on valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs), provisioning/ depreciation related to Investments.</p> <ul style="list-style-type: none"> We understood and evaluated the Bank's system in place to identify and provide for NPI / depreciation related to investments. We assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments. For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of security. We carried out substantive tests including arithmetical accuracy, data accuracy and control over the financial reporting system to re-compute independently the provision to be maintained and depreciation to be provided in accordance with the circulars and directives of the RBI. |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>3 वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले माइग्रेशन (फ्लेक्स क्यूब - ओरेकल आधारित) सहित प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सिस्टम।</p> <p>बैंक की परिचालन और वित्तीय प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में लेनदेन के कारण आईटी सिस्टम पर निर्भर हैं जो दैनिक आधार पर संसाधित की जाती हैं और इसलिए, एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में माना जाता है, जिसकी शुद्धता और प्रभावशीलता मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और अन्य संबद्ध प्रणालियों पर निर्भर होती है।</p> <p>हम आय की पहचान, परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप अग्रिमों का प्रावधान, ऐसे अन्य खातों के साथ-साथ विभिन्न सस्पेंस और विविध खातों का समाधान और एजिंग, निवेश लेनदेन की रिकॉर्डिंग के संबंध में सीबीएस और अन्य संबद्ध प्रणालियों के सुसंगत और सटीक कामकाज पर निर्भर रहे हैं।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमने मूल्यांकन किया और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान की जो हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक सीबीएस, आईबीएसपीएल रिपोर्टिंग पैकेज और ट्रेजरी सिस्टम की पहचान की है।</p> <p>हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण निम्नानुसार था:</p> <ul style="list-style-type: none"> • लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। • बैंक के बुनियादी आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की, जिसमें आवेदन, अभिगम नियंत्रण शामिल हैं जो नमूना जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं। • आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और प्रमुख आईएस नियंत्रणों के अनुपालन पर आईएस विभाग के साथ चर्चा की। • नमूना जांच के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जेनरेटेड रिपोर्ट के लिए स्वचालित कुंजी और कारोबार चक्र नियंत्रण और लॉजिक का परीक्षण किया। | <p>3 Key Information Technology (IT) systems including migration (Flex Cube - Oracle based) used in financial reporting process.</p> <p>The Bank's operational and financial processes are dependent on IT systems due to large volume of transactions that are processed on daily basis and hence, considered as a key audit matter, correctness & effectiveness of which are mainly dependent on the Core Banking Solution (CBS) and other allied systems.</p> <p>We have relied upon the consistent and accurate functioning of CBS & other allied systems with respect to Income Recognition, Classification of Assets and provisioning of advances in conformity with the RBI guidelines, reconciliation & ageing of various suspense and sundry accounts along with such other accounts, recording investment transactions.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We conducted an assessment and identified key IT applications, databases and operating systems that are relevant to our audit and have identified CBS, IB SPL Reporting Package and Treasury System primarily as relevant for financial reporting.</p> <p>Our audit approach consisted testing of the design and operating effectiveness of the internal controls as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and IT policies during the audit period. • Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's basic IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis. • Reviewed the IS Audit Reports and discussed with IS Wing on compliance to key IS Controls. • Tested key automated and business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit on test check basis. |
|---|---|---|--|

| | |
|---|--|
| <p>4 आस्थगित कर परिसंपत्ति</p> <p>31 मार्च 2024 तक बैंक ने रुपये 5753.96 करोड़ की निवल आस्थगित कर संपत्ति की पहचान की है। आस्थगित कर संपत्ति का अनुमान, पहचान और माप आईसीएआई द्वारा जारी एस-22 के अनुरूप भविष्य में मुनाफे की उपलब्धता के बारे में निर्णय और कई अनुमानों पर आधारित है। इसे केवल इस सीमा तक आगे बढ़ाया गया है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके खिलाफ ऐसी आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>हमने अपने नियंत्रण परीक्षण के भाग के रूप में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • एस-22- आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान और माप के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों की समीक्षा। • लाभ की उपलब्धता और दृश्यता की संभावना का आकलन किया जिसके विरुद्ध बैंक भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होगा। |
| <p>5 विभिन्न मुकदमे और आकस्मिक देयता</p> <p>उकरों और बैंक पर अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न अन्य दावों से संबंधित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों के आकलन को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं लिया गया है।</p> <p>बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने निर्णय, पिछले अनुभव और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है।</p> <p>तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।</p> | <p>प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया:</p> <p>लेखापरीक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निम्नलिखित पर आधारित है:</p> <ul style="list-style-type: none"> • कर मुकदमों और अन्य आकस्मिक देनदारियों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा। • विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त पत्रों की जांच और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई। • पृष्ठभूमि के संदर्भ में विचाराधीन विषय के गुण-दोष का मूल्यांकन और उस पर विशेषज्ञ की राय पर भरोसा। |
| <p>4. Deferred Tax Asset</p> <p>The bank has recognized a net deferred tax asset of ₹5753.96 Crores as on March 31, 2024. Objective estimation, recognition and measurement of Deferred Tax Asset are based on the judgement and numerous estimates regarding the availability of profits in future in conformity with AS-22 issued by the ICAI. It has been carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>We have performed the following procedures as part of our control testing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS-22 'Accounting for Taxes on Income'. • Assessed the probability of the availability and certainty of profits against which the bank will be able to use the Deferred Tax Asset in future. |
| <p>5 Various Litigations & Contingent Liability</p> <p>Assessment of Contingent liabilities in respect of certain litigations with respect to taxes and various other claims filed by other parties upon bank, not acknowledged as debts.</p> <p>The Bank's assessment is supported by facts of matter, their own judgement, past experience and advises from independent experts, wherever necessary.</p> <p>Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the balance sheet.</p> | <p>Principal Audit Procedures:</p> <p>Our approach to audit is based on the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review of the current status of the tax litigations and other contingent liabilities. • Examination of the communications received from various authorities and follow up actions thereon. • Evaluation of merits of the subject matter under consideration with reference to the background and reliance on the expert opinion thereon. |

समेकित वित्तीय विवरणी एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा कुछ अन्य जानकारी:

5. अन्य सूचनाओं के लिए बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल III प्रकटीकरण) के तहत स्तंभ III के प्रकटीकरण शामिल हैं (लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है), कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, जिसे हमने इस लेखा परीक्षक की तारीख से पहले प्राप्त किया था और निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम इसके बाद आश्वासन निष्कर्ष को किसी भी रूप में व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय विचार करें कि वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत तो नहीं है अन्यथा भौतिक रूप से गलत तो नहीं प्रतीत हो रही है।

अगर, हमने इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख से पहले प्राप्त की गई अन्य जानकारी के आधार पर जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारी के उत्तरदायित्व:

6. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("भारिबै") द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाले इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। बैंक के संबंधित निदेशक मंडल, समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताएँ रोकने और पता

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon:

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The other information comprises the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (BASEL III Disclosures) (but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon), Corporate Governance Report, which we obtained prior to issuance of this Auditors' Report, and the Directors Report, which is expected to be made available to us after the date of our auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be material misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements:

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its Associates in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve bank of India ("RBI") from time to time. The respective Board of Directors of the Bank, Companies included in the Group and

लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए लेखांकन के प्रासंगिक रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यान्वित थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक त्रुटियों से मुक्त हैं, जिसका उपयोग बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है, के लिए जिम्मेदार हैं; जैसा कि पूर्व में कहा गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित समूह और उसके सहयोगी कंपनियों के निदेशक मंडल शामिल हैं और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता का आकलन करने और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, वर्तमान हितों से संबंधित मामले और लेखांकन के हितों के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह और उसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का दायित्व:

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एएसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगी। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं

of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Respective Acts and Regulations for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group and of its associates are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group and of its associates.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements:

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could

के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद से की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी:

- समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन कर, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित कर, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के वर्तमान हितों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगियों की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है और संयुक्त रूप से नियंत्रित हो सकती है संस्थाओं को एक वर्तमान हितों के विषय के रूप में जारी रखने के लिए। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हमें हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ एक चिंता का विषय बन सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the ability of the Group and its associates to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.



- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करना; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान की गई गलत विवरणियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथ अभिज्ञासन प्रभार प्राप्त उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध स्कोप तथा समयबद्धता और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी जो ज्ञासन प्रदान करते हैं एक विवरण प्रदान करते हैं कि जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और संबंधित सुरक्षा उपाय जहां लागू हों।

ज्ञासन प्रभारी से संसूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम सार्वजनिक हित के लिए उचित रूप से अपेक्षित होगा।

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

अन्य मामले

8. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है:

क. आठ (08) सहायक कंपनियाँ जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 तक 43,476.92 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति दर्शाते हैं, कुल राजस्व ₹11,510.57 करोड़ और कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 228.03 करोड़ रुपये।

ख. एक (01) सहयोगी जिसके वित्तीय विवरण रुपये के कर के बाद शुद्ध लाभ में समूह की हिस्सेदारी दर्शाते हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 225.13 करोड़ रुपये, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

उनके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों ने इसकी लेखा-परीक्षा की है और इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर इन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय यह है कि, जहां तक यह इन संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, यह पूरी तरह से ऐसे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरण में चार (04) सहयोगियों के संबंध में वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी भी शामिल है। जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ₹393.42 करोड़ के कर पश्चात निवल लाभ में समूह की हिस्सेदारी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय यह है कि, जहां तक यह इन अनुषंगियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों और सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट उपरोक्त अनुषंगियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई और सहयोगी कंपनियों से संबंधित है, और पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और व्याख्यान के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्व नहीं रखते हैं।

Other matters

8. The consolidated financial statements includes audited financial statements and other financial information, in respect of:

a. Eight (08) subsidiaries whose financial statements reflect total assets of ₹43,476.92 crores as at 31st March, 2024, total revenues of ₹11,510.57 crores and total net profit after tax of ₹228.03 crores for the year ended 31st March, 2024 as considered in consolidated financial statements.

b. One (01) associate whose financial statements reflect Group's share of Net Profit after Tax of ₹225.13 crores for the year ended 31st March, 2024, as considered in consolidated financial statements.

Their respective independent Auditors have audited the same and these independent auditors' reports on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these entities, is based solely on the report of such auditors.

The consolidated financial statements also include financial statements and other financial information, in respect of Four (04) associates, which include Group's share in net profit after tax of ₹393.42 crores for the year ended 31st March, 2024, as considered in the consolidated financial statements.

These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiary, jointly controlled entity and associates and our report in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, jointly controlled entity and associates, is based solely on such unaudited financial statements/ financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.



समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो प्रबंधन द्वारा प्रमाणित जानकारी, काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों और वित्तीय विवरणियों / वित्तीय जानकारी पर निर्भर करती है।

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the Management.

9. एक सहायक कंपनी, केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के लेखा परीक्षकों ने बताया है कि लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी की नियुक्त बीमांकिक की जिम्मेदारी है। नियुक्त बीमांकिक। लागू पॉलिसियों और उन पॉलिसियों के लिए 31 मार्च, 2024 तक इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन उस तारीख तक देनदारी मौजूद है, नियुक्त बीमांकिक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है। नियुक्त एक्चुअरी ने कंपनी को प्रमाणित किया है कि इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईआरडीएआई की सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। इसके अलावा, संबंधित घटक लेखा परीक्षक ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर भरोसा किया था और जहां तक बीमांकिक मूल्यांकन का संबंध है, उनकी राय पूरी तरह से नियुक्त बीमांकिक के प्रमाणपत्र पर आधारित है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।
10. सहायक कंपनी, कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के लेखापरीक्षकों ने सूचित किया है कि, अभ्यास के तौर पर कंपनी वेंचर कैपिटल फंड द्वारा जारी किए गए फॉर्म नंबर 64 और 64सी के आधार पर निवेश से अर्जित आय के संबंध में आय की विवरणी फाइल करती है। यद्यपि कंपनी उद्यम पूंजी निधियों से उपाजित आय को खातों की पुस्तकों में मान्यता नहीं देती है जैसा कि खातों के नोटों के नोट संख्या 2(सी) में लाया गया है, कंपनी अपनी आय की विवरणी में इसकी घोषणा कर रही है और उस पर करों का भुगतान कर रही है और हम राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।
11. एक सहायक कंपनी, कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के 'गोइंग कंसर्न से संबंधित सामग्री अनिश्चितता' पैरा के तहत रिपोर्ट की है कि कंपनी ने इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने गोइंग कंसर्न के आधार

9. The auditors of Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. (formerly Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.), a subsidiary, have reported that the actuarial valuation of liabilities for life policies in force is the responsibility of the Company's Appointed Actuary (the Appointed Actuary). The actuarial valuation of these liabilities as at 31st March, 2024 for policies in force and policies in respect of which premium has been discontinued but liability exists as at that date has been duly certified by the Appointed Actuary. The Appointed Actuary has certified to the company that the assumptions for such valuations are in accordance with the guidelines and norms issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI. Further, the concerned Component Auditor has reported that they had relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard and their opinion in so far as it relates to the actuarial valuation is based solely on the certificate of the Appointed Actuary. Our opinion is not modified in respect of this matter.
10. The auditors of Canbank Venture Capital Fund Limited, a subsidiary, have reported under 'Emphasis of Matter' para of their Audit Report that, as a matter of practice the company files Return of Income in respect of accrued income from investment based on Form No.64 and 64C issued by the venture capital funds. Although the company does not recognize the accrued income from venture capital funds in the books of accounts as brought out in Note No.2(C) of Notes to Accounts, the company is declaring the same in their Return of Income and paying taxes thereon. Our opinion is not modified in respect of this matter.
11. The auditors of Canbank Financial Services Limited, a subsidiary, have reported under 'Material uncertainty relating to Going Concern' para of their Audit Report that the Company had prepared its financial statements on a going concern basis

पर अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे। आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियों को पूरा करना और कंपनी अपनी वित्तीय संपत्तियों का निपटान करने का भी प्रयास कर रही है। ऑडिटर ने आगे बताया कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन ने नकदी प्रक्षेपण के समर्थन से अपनी कार्यशील पूंजी पर्याप्तता पर एक आकलन किया है। प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास अपने परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी और प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की चालू चिंता के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है। तदनुसार, वित्तीय विवरणों में दर्ज संपत्ति की मात्रा की पुनर्प्राप्ति और वर्गीकरण या देनदारियों की मात्रा और वर्गीकरण से संबंधित कोई भी समायोजन शामिल नहीं है जो आवश्यक हो सकता है यदि कंपनी एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने में असमर्थ है। ऑडिटर ने मामले के संबंध में अपनी राय में कोई बदलाव नहीं किया है। इस संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

notwithstanding the fact that the Company is not carrying out the primary NBFC activities stipulated by RBI and the Company is also trying to dispose off its financial assets. The Auditor further reported that in the preparation of the financial statements, the management has made an assessment on its working capital sufficiency with the support of a cash projection. The management has concluded that the Company shall have sufficient working capital to finance their operations and the management believes that no material uncertainty exists over the ability of the Company to continue on a going concern basis. Accordingly, the financial statements do not include any adjustments relating to the recoverability and classification of recorded asset amounts or to the amounts and classification of liabilities that may be necessary if the Company is unable to continue as a going concern. The Auditor had not modified his opinion in respect of the matter. Our opinion is not modified in this regard.

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

12. बैंक का समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ-हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।
13. उपरोक्त पैराग्राफ में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 द्वारा आवश्यक और उसमें किए गए खुलासों की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (क) हमने हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया गया।
 - (ख) बैंक के लेनदेन, जो हमारे ध्यान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं; और
 - (ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

12. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
13. Subject to the limitations of the Audit indicated in the above paragraphs and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 and subject also to the limitations of disclosures therein, we report that:
 - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.



14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाताबही उपयुक्त रूप से रखा गया है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए, हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त उन खाताबही और उचित रिटर्न की जांच से वह समुचित प्रतीत होते हैं।

(बी) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण बहीखाते और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;

(सी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से प्रयोग में लाया गया है;

(डी) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत न होने की सीमा तक लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

15. इस विवरण में शामिल 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के संबंधित समेकित वित्तीय आंकड़े बैंक के पांच संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए थे, जिनमें से दो पूर्ववर्ती ऑडिट फर्म थे और उन्होंने 08 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट में समेकित वित्तीय परिणामों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की थी।

14. We further report that:

(a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

(b) The Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from branches not visited by us;

(c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

(d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

15. The corresponding consolidated financial figures of the bank for the year ended 31st March 2023, included in this statement, were audited by five joint auditors of the bank, two of whom were predecessor audit firms, and they had expressed an unmodified opinion on consolidated financial results vide their report dated May 08, 2023.

कृते पी ए एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(दिनेश अग्रवाल)
पार्टनर

सदस्यता सं : 055955

यूडीआईएन: 24055955BKAMHC8003

कृते सरद एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 005120S

(वेगुंता साई रूप कुमार)
पार्टनर

सदस्यता सं : 213734

यूडीआईएन: 24213734BKCAKI6303

कृते रोडी डाबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846W

(दिलीप रोडी)
पार्टनर

सदस्यता सं: 035810

यूडीआईएन: 24035810BKHSMR4331

कृते अरुण के अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
पार्टनर

सदस्यता सं : 082899

यूडीआईएन: 24082899BKFGW4843

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610S

(ए गोपालकृष्णन)
पार्टनर

सदस्यता सं: 018159

यूडीआईएन: 24018159BKGF0E3341

For P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 313085E

(DINESH AGRAWAL)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 055955

UDIN: 24055955BKAMHC8003

For SARATH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 05120S

(VEGUNTA SAI ROOPKUMAR)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 213734

UDIN: 24213734BKCAKI6303

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 035810

UDIN: 24035810BKHSMR4331

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 082899

UDIN: 24082899BKFGW4843

For K VENKATACHALAM
AIYER & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER

MEMBERSHIP NO: 018159

UDIN: 24018159BKGF0E3341

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

असंशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट की घोषणा

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के समेकित वार्षिक वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में असंशोधित अभिमत शामिल है।

DECLARATION OF AUDIT REPORT WITH UNMODIFIED OPINION

We hereby declare that Auditors Report on Consolidated Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March, 2024 contains unmodified opinion.

सत्यनारायण राजु के सत्यनारायण राजु

एस के मजूमदार
मुमप्र व समूह मुख्य वित्तीय
अधिकारी

के सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Satyan Kumar Majumdar

S K MAJUMDAR
CGM & GROUP CHIEF
FINANCIAL OFFICER

K. Satyanarayana Raju

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

कृते पी ए एवं एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 313085E

(दिनेश अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं : 055955

कृते सरद एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 005120S

(वेगुंता साई रूप कुमार)
पार्टनर
सदस्यता सं : 213734

कृते रोडी डाबिर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 108846W

(दिलीप रोडी)
पार्टनर
सदस्यता सं:035810

कृते अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 003917N

(अरुण कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं :082899

कृते के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 004610S

(ए गोपालकृष्णन)
पार्टनर
सदस्यता सं: 018159

For P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

(DINESH AGRAWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 055955

For SARATH & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 005120S

(VEGUNTA SAI ROOP KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:213734

For RODI DABIR & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 035810

For ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:082899

For K VENKATACHALAM AIYER &
CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

सेवा में,

निदेशक मंडल
केनरा बैंक
प्रका : बेंगलूरु

विषय: सीईओ / सीएफओ प्रमाणन – सेबी (एलओडीआर) विनियमन,
2015 का विनियम 17(8)

बोर्ड को यह प्रमाणित किया जाता है कि;

- क) हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों और नकद प्रवाह विवरणियों की समीक्षा की है और यह कि हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार:
- (i) इन विवरणियों में कोई तात्विक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी तात्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
- (ii) ये विवरणियां बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसा कोई भी लेन-देन नहीं किया गया है जो बैंक की आचार संहिता के अनुसार कपटपूर्ण, गैरकानूनी या उसका उल्लंघन करता है।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या परिचालन में कमियां, यदि कोई हैं, का प्रकटन किया है, जो हमें ज्ञात हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या ऐसा करने का प्रस्ताव है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया है
- (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
- (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों के नोट में किया गया है; तथा

To,

The Board of Directors
Canara Bank
HO: Bengaluru

SUB: CEO / CFO CERTIFICATION – REGULATION 17(8) OF
SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

This is to certify to the Board that;

- a) We have reviewed Consolidated financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2024 and that to the best of our knowledge and belief:
- (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee:
- (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
- (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and



(iii) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण उदाहरण, यदि कोई हो, जिनके बारे में हम अवगत हुए हैं, इसमें शामिल है।

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

एस के मजूमदार

एस के मजूमदार
मुख्य महाप्रबंधक एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. सत्यनारायण राजु

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Sankar Kumar Majumdar

S K MAJUMDAR
CGM &
CHIEF FINANCIAL OFFICER

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR
& CEO

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 08.05.2024

Place : Bengaluru

Date : 08.05.2024

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|---|---------------------|---|---|
| पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES | | | |
| पूंजी / CAPITAL | 1 | 1814 13 03 | 1814 13 03 |
| आरक्षित निधियां तथा अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS | 2 | 90319 10 31 | 76239 62 30 |
| अल्पांश ब्याज / MINORITY INTEREST | 2ए / 2A | 1000 43 30 | 903 78 73 |
| जमा / DEPOSITS | 3 | 1312242 47 18 | 1179086 48 06 |
| उधार / BORROWINGS | 4 | 57537 56 36 | 58073 17 29 |
| अन्य देयताएं और प्रावधान / OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS | 5 | 72103 93 50 | 64912 36 80 |
| कुल / Total | | 1535017 63 68 | 1381029 56 21 |
| आस्तियां / ASSETS | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक में नकद और शेष CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | 6 | 71134 88 26 | 55045 29 41 |
| बैंकों के साथ शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | 7 | 80029 80 73 | 86657 52 64 |
| निवेश / INVESTMENTS | 8 | 399207 00 13 | 352892 65 49 |
| अग्रिम / ADVANCES | 9 | 931786 57 84 | 830929 17 50 |
| अचल आस्तियां / FIXED ASSETS | 10 | 12330 95 77 | 10333 96 67 |
| अन्य आस्तियां / OTHER ASSETS | 11 | 40528 40 95 | 45170 94 50 |
| कुल / Total | | 1535017 63 68 | 1381029 56 21 |
| आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITIES | 12 | 198873 84 42 | 289566 07 08 |
| वसूली के लिए बिल / BILLS FOR COLLECTION | | 24934 98 11 | 26066 87 49 |

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

दीपक कुमार जेना
मंडल प्रबंधक

दीपेश देवचंद देडिया
सहायक महाप्रबंधक

अमित मित्तल
उप महाप्रबंधक

एस के मजूमदार
मुख्य महा प्रबंधक व जीसीएफो

भवेन्द्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

हरदीप सिंह अहलवालिया
कार्यपालक निदेशक

अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

आर केशवन
निदेशक

नलिनी पद्मानाभन
निदेशक

दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E

कृते अरुण के अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N

कृते सरथ एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S

कृते के वेंकटचलम अय्यर
एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 004610S

कृते रोडी डाबीर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 108846W

(दिनेश अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं.: 055955

(अरुण के अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं.: 082899

(वेगुंटा साई रूप कुमार)
साझेदार
सदस्य सं.: 213734

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्य सं.: 018159

(दिलीप रोडी)
साझेदार
सदस्य सं.: 035810

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए समेकित लाभ व हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

| विवरण / Particulars | अनुसूची Schedule | 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the year ended 31.03.2024 (₹ '000) | 31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए (₹ '000) For the year ended 31.03.2023 (₹ '000) |
|---|---------------------|---|---|
| I. आय / I. INCOME | | | |
| अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED | 13 | 110518 75 16 | 85884 72 61 |
| अन्य आय / OTHER INCOME | 14 | 28646 18 34 | 25325 03 60 |
| कुल / Total | | 139164 93 50 | 111209 76 21 |
| II. व्यय / II. EXPENDITURE | | | |
| व्यय किया गया ब्याज / INTEREST EXPENDED | 15 | 72117 58 63 | 52990 06 40 |
| परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES | 16 | 37336 86 50 | 30245 41 85 |
| प्रावधान और आकस्मिक व्यय PROVISIONS AND CONTINGENCIES | | 14928 12 75 | 17166 48 32 |
| कुल / Total | | 124382 57 88 | 100401 96 57 |
| सहयोगियों में आय का हिस्सा SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES | 17 | 618 56 14 | 536 79 35 |
| अल्पांश ब्याज की कटौती से पहले वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ CONSOLIDATED NET PROFIT FOR THE YEAR BEFORE DEDUCTING MINORITIES' INTEREST | | 15400 91 76 | 11344 58 99 |
| घटाएं: अल्पांश ब्याज (निवल हानि) LESS: MINORITY INTEREST (NET LOSS) | | 122 35 32 | 89 84 42 |
| समूह के लिए श्रोतजन्य वर्ष हेतु समेकित लाभ CONSOLIDATED PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO THE GROUP | | 15278 56 44 | 11254 74 57 |
| III. विनियोजन / APPROPRIATIONS | | | |
| अंतरण / TRANSFERS TO | | | |
| सांविधिक आरक्षित निधि / STATUTORY RESERVE | | 3638 57 98 | 2650 94 12 |
| आरक्षित पूंजी निधि / CAPITAL RESERVE | | 154 50 68 | 80 10 04 |
| निवेश आरक्षित निधि / INVESTMENT RESERVE | | 281 59 59 | 549 85 85 |
| निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि / INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE | | 319 61 30 | 74 43 63 |
| विशेष आरक्षित निधि / SPECIAL RESERVE | | 850 00 00 | 2000 00 00 |
| अंतरिम लाभांश / INTERIM DIVIDEND | | | |
| प्रस्तावित लाभांश / PROPOSED DIVIDEND | | 2920 74 97 | 2176 95 63 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| लाभांश कर / DIVIDEND TAX | | | - |
| राजस्व व अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित शेष BALANCE CARRIED OVER TO REVENUE AND OTHER RESERVES | | 7113 51 92 | 3722 45 30 |
| कुल / Total | | 15278 56 44 | 11254 74 57 |
| प्रति शेयर आय (मूल और डाइल्यूटेड) EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (₹ में / in ₹) | | 84.22 | 62.04 |

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
DIVISIONAL MANAGER

DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
ASST GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
DEPUTY GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
CHIEF GENERAL MANAGER & GCFO

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

**DIBAKAR PRASAD
HARICHANDAN**
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

**ABHA SINGH
YADUVANSHI**
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **P A & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 313085E

For **ARUN K AGARWAL &
ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 003917N

For **SARATH & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 005120S

For **K VENKATACHALAM
AIYER & CO**
Chartered Accountants
FRN : 004610S

For **RODI DABIR & CO**
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(DINESH AGRAWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 055955

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 082899

**(VEGUNTA SAI ROOP
KUMAR)**
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 213734

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

(DILIP RODI)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 035810

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|---|---|---|
| अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL | | |
| I. प्राधिकृत पूंजी / I. Authorised Capital (₹ 10/- प्रति शेयर के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) (300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each) | 3000 00 00 | 3000 00 00 |
| II. निर्गमित, अभिदत्त, प्रदत्त : / II. Issued, Subscribed and Paid-up: | | |
| i) केंद्र सरकार द्वारा धारित ₹ 10/- प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 इक्विटी शेयर पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रति शेयर के 1,14,17,09,678 इक्विटी शेयर i) 1,14,17,09,678 Equity Shares of ₹ 10/- each Previous year 1,14,17,09,678 Equity shares of ₹ 10/- each held by Central Government | 1141 70 97 | 1141 70 97 |
| ii) ₹ 10/- प्रति शेयर के 67,24,20,600 इक्विटी शेयर अन्य द्वारा धारित पिछले वर्ष ₹ 10/- प्रति शेयर के 67,24,20,600 के इक्विटी शेयर ii) 67,24,20,600 Equity Shares of ₹ 10/- each Previous year 67,24,20,600 Equity Shares of ₹ 10/- each held by others. | 672 42 06 | 672 42 06 |
| iii) शेयर आवेदन राशि - आबंटन के लिए लंबित iii) Share application Money - Pending for Allotment | | |
| | 1814 13 03 | 1814 13 03 |
| अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां तथा अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS | | |
| I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves | 19468 41 44 | 15836 05 34 |
| II. पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves | 4960 06 58 | 4805 55 90 |
| III. समेकन पर पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves on Consolidation | 2 79 19 | 2 79 19 |
| IV. शेयर प्रीमियम / Share Premium | 13983 84 71 | 13983 84 71 |
| V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve | -21 90 90 | -19 73 62 |
| VI. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि / Revaluation Reserve | 9118 49 97 | 7489 23 50 |
| VII. निवेश आरक्षित निधि / Investment Reserve | 1359 75 71 | 1078 16 09 |
| VIII. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित निधि Special Reserve in terms of Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 | 8386 46 92 | 7536 46 92 |
| IX. राजस्व व अन्य आरक्षित निधि / Revenue and Other Reserves | 33061 16 69 | 25527 24 27 |
| कुल / Total | 90319 10 31 | 76239 62 30 |
| अनुसूची 2ए - अल्पांश ब्याज / SCHEDULE 2A - MINORITIES' INTEREST | | |
| मूल-अनुषंगी संबंध स्थापित होने की तिथि पर अल्पांश ब्याज | | |
| I. Minority Interest at the date on which the Parent-Subsidiary relationship came into existence | 110 15 12 | 110 15 12 |
| II. अनुवर्ती वृद्धि / (कमी) / Subsequent Increase / (Decrease) | 890 28 18 | 793 63 61 |
| कुल / Total | 1000 43 30 | 903 78 73 |

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|--|---|---|
| अनुसूची 3 - जमा / SCHEDULE 3 - DEPOSITS | | |
| ए. A. I. मांग जमा / DEMAND DEPOSITS | | |
| i. बैंक से / FROM BANKS | 248 90 83 | 665 94 90 |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS | 63737 67 06 | 46949 84 10 |
| कुल / Total | 63986 57 89 | 47615 79 00 |
| II. बचत बैंक जमा / SAVINGS BANK DEPOSITS | 328397 60 12 | 318836 18 71 |
| कुल / Total | 328397 60 12 | 318836 18 71 |
| III. मीयादी जमा / TERM DEPOSITS | | |
| i. बैंक से / FROM BANKS | 97797 93 03 | 84956 44 19 |
| ii. अन्य से / FROM OTHERS | 822060 36 14 | 727678 06 16 |
| कुल / Total | 919858 29 17 | 812634 50 34 |
| कुल / TOTAL | 1312242 47 18 | 1179086 48 05 |
| बी. B. शाखाओं की जमा / DEPOSITS OF BRANCHES | | |
| i. भारत में / IN INDIA | 1214951 22 98 | 1094745 96 81 |
| ii. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA | 97291 24 20 | 84340 51 25 |
| कुल / Total | 1312242 47 18 | 1179086 48 06 |
| अनुसूची 4 - उधार / SCHEDULE 4 - BORROWINGS | | |
| I. भारत में उधार / BORROWINGS IN INDIA | | |
| i. भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA | | 850 00 00 |
| ii. अन्य बैंक / OTHER BANKS | 557 48 46 | 380 74 00 |
| iii. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां / OTHER INSTITUTIONS AND AGENCIES | 13476 51 40 | 19827 94 13 |
| iv. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (आईपीडीआई और गौण ऋण) / (IPDI AND SUB-ORDINATED DEBT) | 41639 10 00 | 30736 10 00 |
| कुल / Total | 55673 09 86 | 51794 78 13 |
| II. भारत के बाहर उधार / BORROWINGS OUTSIDE INDIA | | |
| i. अन्य बैंक / OTHER BANKS | 1864 46 50 | 6278 39 16 |
| ii. प्रतिभूति रहित प्रतिदेय बॉण्ड / UNSECURED REDEEMABLE BONDS (गौण ऋण / SUB-ORDINATED DEBT) | | |
| कुल / Total | 1864 46 50 | 6278 39 16 |
| कुल / TOTAL | 57537 56 36 | 58073 17 29 |

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|---|---|---|
| अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES & PROVISIONS | | |
| I. देय बिल / BILLS PAYABLE | 2523 70 36 | 2189 39 14 |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET) | | |
| III. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED | 9903 98 54 | 7765 11 34 |
| IV. आस्थगित कर देयता / DEFERRED TAX LIABILITY | | |
| V. अन्य (प्रावधान सहित) / OTHERS (INCLUDING PROVISIONS) | 59676 24 60 | 54957 86 32 |
| कुल / Total | 72103 93 50 | 64912 36 80 |
| अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA | | |
| I. नकद - शेष / CASH IN HAND (विदेशी मुद्रा नोट सहित) / (INCLUDING FOREIGN CURRENCY NOTES) | 3427 95 29 | 3971 23 11 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA चालू खातों में / IN CURRENT ACCOUNT | 67706 92 97 | 51074 06 30 |
| कुल / Total | 67706 92 97 | 51074 06 30 |
| कुल / TOTAL | 71134 88 26 | 55045 29 41 |
| अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | | |
| I. भारत में / IN INDIA | | |
| i. बैंकों में शेष / BALANCE WITH BANKS | | |
| ए. चालू खातों में / a. IN CURRENT ACCOUNTS | 2443 66 69 | 835 02 43 |
| बी. अन्य जमा खातों में / b. IN OTHER DEPOSIT ACCOUNTS | 7 06 38 | 41 42 40 |
| कुल / Total | 2450 73 07 | 876 44 83 |
| ii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | | |
| ए. बैंकों में / a. WITH BANKS | 25975 22 30 | 22850 97 59 |
| बी. अन्य संस्थाओं में / b. WITH OTHER INSTITUTIONS | 6583 10 99 | 3894 85 80 |
| कुल / Total | 32558 33 29 | 26745 83 39 |
| कुल / TOTAL | 35009 06 36 | 27622 28 22 |
| II. भारत से बाहर / OUTSIDE INDIA | | |
| i. चालू खातों में / i. IN CURRENT ACCOUNTS | 30990 46 03 | 32322 64 44 |
| ii. जमा खातों में / ii. IN DEPOSIT ACCOUNTS | 7056 83 31 | 9910 10 56 |
| iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE | 6973 45 03 | 16802 49 42 |
| कुल / Total | 45020 74 37 | 59035 24 42 |
| कुल / TOTAL | 80029 80 73 | 86657 52 64 |

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|--|---|---|
| अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS | | |
| I. भारत में निवेश : सकल INVESTMENTS IN INDIA : GROSS | 402464 25 58 | 355416 74 46 |
| घटाएं : मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS: PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI | 6086 46 07 | 5373 22 91 |
| भारत में निवल निवेश / NET INVESTMENT IN INDIA | 396377 79 51 | 350043 51 55 |
| i. सरकारी प्रतिभूतियां GOVERNMENT SECURITIES | 351016 77 20 | 310578 71 50 |
| ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां OTHER APPROVED SECURITIES | 6698 46 45 | 4809 79 79 |
| iii. शेयर SHARES | 14630 92 70 | 11840 18 62 |
| iv. डिबेंचर व बॉण्ड DEBENTURES AND BONDS | 16121 32 95 | 15471 29 15 |
| v. सहभागियों में निवेश INVESTMENTS IN ASSOCIATES | 4875 15 67 | 4285 74 04 |
| vi. अन्य (म्यूच्युअल फंड, वीसीएफ, सीडी, सीपी ईटीसी.) OTHERS (MFs, VCF, CDs, CP ETC.) | 3035 14 55 | 3057 78 45 |
| कुल / Total | 396377 79 52 | 350043 51 55 |
| II. भारत के बाहर निवेश - सकल INVESTMENTS OUTSIDE INDIA - GROSS | 2839 28 35 | 2879 20 74 |
| घटाएं : मूल्यहास व एनपीआई के लिए प्रावधान LESS : PROVISION FOR DEPRECIATION AND NPI | 10 07 73 | 30 06 80 |
| भारत के बाहर निवल निवेश NET INVESTMENTS OUTSIDE INDIA | 2829 20 62 | 2849 13 94 |
| i. सरकारी प्रतिभूतियां / GOVERNMENT SECURITIES (स्थानीय प्राधिकरण सहित) / (INCLUDING LOCAL AUTHORITIES) | 272 43 52 | 256 30 09 |
| ii. अन्य OTHERS | 2556 77 09 | 2592 83 85 |
| कुल / Total | 2829 20 61 | 2849 13 94 |
| कुल / TOTAL | 399207 00 13 | 352892 65 49 |

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|--|---|---|
| अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES | | |
| ए. A. | | |
| i. खरीदे गए तथा भुनाएं गए बिल BILLS PURCHASED & DISCOUNTED | 12324 58 69 | 5748 34 27 |
| ii. रोकड़ उधार, ओवर ड्राफ्ट, एवं मांग पर ऋण की चुकौती CASH CREDITS, OVERDRAFTS AND LOANS REPAYABLE ON DEMAND | 402507 54 38 | 341301 13 45 |
| iii. मीयादी ऋण / iii. TERM LOANS | 516954 44 77 | 483879 69 78 |
| कुल / Total | 931786 57 84 | 830929 17 50 |
| बी. B. | | |
| i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / SECURED BY TANGIBLE ASSETS (जिसमें बही ऋण भी शामिल है / INCLUDING BOOK DEBTS) | 600937 78 87 | 534998 57 76 |
| ii. बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा प्रावरित COVERED BY BANK / GOVT. GUARANTEES | 117620 18 61 | 94170 93 78 |
| iii. प्रतिभूति रहित / UNSECURED | 213228 60 36 | 201759 65 96 |
| कुल / Total | 931786 57 84 | 830929 17 50 |
| सी. C. | | |
| i. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA | | |
| i. प्राथमिकता क्षेत्र / PRIORITY SECTOR | 428754 12 95 | 385310 63 29 |
| ii. सार्वजनिक क्षेत्र / PUBLIC SECTOR | 78717 40 84 | 68386 14 18 |
| iii. बैंक / BANKS | 1 03 37 | 5011 43 23 |
| iv. अन्य / OTHERS | 372913 83 38 | 329282 13 80 |
| कुल / Total | 880386 40 54 | 787990 34 50 |
| II. भारत से बाहर अग्रिम / ADVANCES OUTSIDE INDIA | | |
| i. बैंकों से देय / DUE FROM BANKS | | |
| ii. अन्य से देय / DUE FROM OTHERS | | |
| (ए) खरीदे गए तथा भुनाए गये बिल (a) BILLS PURCHASED AND DISCOUNTED | | |
| (बी) मीयादी / समूहन ऋण / (b) TERM / SYNDICATED LOANS | 31965 73 49 | 29074 76 44 |
| (सी) अन्य / (c) OTHERS | 19434 43 81 | 13864 06 56 |
| कुल / Total | 51400 17 30 | 42938 83 00 |
| कुल / TOTAL | 931786 57 84 | 830929 17 50 |

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) | |
|--|---|--------------------|---|--------------------|
| अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS | | | | |
| I. परिसर / PREMISES | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत / मूल्यांकन AT COST / VALUATION AS PER LAST BALANCE SHEET | 9992 02 29 | | 11027 19 38 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR | 48 94 89 | | 82 95 81 | |
| | 10040 97 18 | | 11110 15 19 | |
| वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन REVALUATION MADE DURING THE YEAR | 1738 43 55 | | | |
| वर्ष के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR | 31 21 91 | | 1118 12 90 | |
| | 11748 18 82 | | 9992 02 30 | |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE | 1639 63 98 | 10108 54 84 | 1480 45 65 | 8511 56 65 |
| | | 10108 54 84 | | 8511 56 65 |
| II. अन्य अचल आस्तियां / OTHER FIXED ASSETS (फर्नीचर व फिक्स्चर सहित) (INCLUDING FURNITURE & FIXTURES) | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET | 7838 42 52 | | 7535 27 57 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन ADDITIONS DURING THE YEAR | 1300 44 75 | | 811 95 06 | |
| | 9138 87 27 | | 8347 22 63 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR | 465 71 61 | | 364 31 78 | |
| | 8673 15 66 | | 7982 90 85 | |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE | 6458 19 87 | 2214 95 79 | 6168 69 18 | 1814 21 67 |
| | | 2214 95 79 | | 1814 21 67 |
| III. पट्टागत आस्तियां / LEASED ASSETS | | | | |
| पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत AT COST AS PER LAST BALANCE SHEET | 84 78 00 | | 85 36 41 | |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन / ADDITIONS DURING THE YEAR | 1 42 35 | | 1 05 39 | |
| | 86 20 35 | | 86 41 80 | |
| वर्ष के दौरान कटौतियां / DEDUCTIONS DURING THE YEAR | 88 | | 31 04 | |
| | 86 19 47 | | 86 10 76 | |
| अद्यतन मूल्यहास / DEPRECIATION TO DATE | 79 31 82 | | 78 49 89 | |
| | 6 87 65 | | 7 60 87 | |
| घटाएं: पट्टेदारी अंतिम समायोजन LESS: LEASE TERMINAL ADJUSTMENT ACCOUNT | - 57 49 | 7 45 14 | - 57 49 | 8 18 36 |
| कुल / Total | | 12330 95 77 | | 10333 96 67 |

यथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2024

| | यथा 31.03.2024 तक (₹ '000) As at 31.03.2024 (₹ '000) | यथा 31.03.2023 तक (₹ '000) As at 31.03.2023 (₹ '000) |
|--|---|---|
| अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS | | |
| I. उपचित ब्याज / INTEREST ACCRUED | 8883 29 00 | 7840 59 66 |
| II. अग्रिम रूप में प्रदत्त कर / स्रोत पर कर कटौती (निवल) / TAX PAID IN ADVANCE / TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET) | 17587 96 91 | 19640 58 32 |
| III. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प STATIONERY AND STAMPS | 3 35 45 | 3 52 55 |
| IV. दावों के निपटान में प्राप्त की गई गैर बैंकिंग आस्तियां NON-BANKING ASSETS ACQUIRED IN SATISFACTION OF CLAIMS | 72 28 11 | 94 37 73 |
| अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) INTER OFFICE ADJUSTMENT (NET) | 580 29 26 | 2053 26 72 |
| V. अन्य / OTHERS | 7647 25 25 | 9510 84 94 |
| VI. आस्थगित कर आस्तियां / DEFERRED TAX ASSETS | 5753 96 97 | 6027 74 58 |
| कुल / Total | 40528 40 95 | 45170 94 50 |
| अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES | | |
| I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है / CLAIMS AGAINST THE BANK NOT ACKNOWLEDGED AS DEBTS | 18533 83 18 | 38889 85 78 |
| II. अंशतः प्रदत्त निवेश हेतु देयता LIABILITY FOR PARTLY PAID INVESTMENTS | 3 51 17 | 44 00 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं LIABILITY ON ACCOUNT OF OUTSTANDING FORWARD EXCHANGE CONTRACTS* | 97495 29 97 | 174319 61 49 |
| IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां GUARANTEES GIVEN ON BEHALF OF CONSTITUENTS | | |
| ए. भारत में / a. IN INDIA | 57045 73 88 | 49038 24 65 |
| बी. भारत से बाहर / b. OUTSIDE INDIA | 197 25 85 | 188 10 02 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं ACCEPTANCES, ENDORSEMENTS AND OTHER OBLIGATIONS | 57242 99 73 | 49226 34 67 |
| VI. अन्य मद जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है / OTHER ITEMS FOR WHICH THE BANK IS CONTINGENTLY LIABLE | 18752 92 93 | 20799 85 46 |
| ए. पुनः भुनाए गए विनिमय बिल a. BILLS OF EXCHANGE REDISCOUNTED | | - |
| बी. अन्य / b. OTHERS | 6845 27 44 | 6329 95 68 |
| | 6845 27 44 | 6329 95 68 |
| कुल / Total | 198873 84 42 | 289566 07 08 |

*डेरिवेटिव सहित ₹7212,13,04 हजार (पिछले वर्ष ₹9379,93,55 हजार) /

*Includes Derivatives ₹7212,13,04 thousands (previous year ₹9379,93,55 thousands)

यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

| | यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2024 (₹ '000) | यथा दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2023 (₹ '000) |
|---|---|---|
| अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED | | |
| I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / डिस्काउंट INTEREST / DISCOUNT ON ADVANCES / BILLS | 78205 66 86 | 61371 79 45 |
| II. निवेशों से आय / INCOME ON INVESTMENTS | 24517 18 88 | 21003 66 42 |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों में शेष राशि पर ब्याज / INTEREST ON BALANCES WITH RBI AND OTHER INTER BANK FUNDS | 4249 45 59 | 2961 62 00 |
| IV. अन्य / OTHERS | 3546 43 83 | 547 64 74 |
| कुल / Total | 110518 75 16 | 85884 72 62 |
| अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली COMMISSION, EXCHANGE AND BROKERAGE | 2132 37 74 | 1614 12 38 |
| II. निवेश के विक्रय से लाभ / PROFIT ON SALE OF INVESTMENTS लाभ / PROFIT | 1918 59 01 | 1437 18 25 |
| घटाएं : हानि / LESS: LOSS | 1918 59 01 | 1437 18 25 |
| III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ PROFIT ON REVALUATION OF INVESTMENTS घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि LESS: LOSS ON REVALUATION OF INVESTMENTS | 2779 39 51 | 401 50 13 |
| IV. भूमि / भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ PROFIT ON SALE OF LAND / BUILDINGS AND OTHER ASSETS लाभ / PROFIT | 16 31 18 | 308 79 94 |
| घटाएं : हानि / LESS: LOSS | 16 31 18 | 308 79 94 |
| V. विनिमय लेन-देन से लाभ PROFIT ON EXCHANGE TRANSACTIONS लाभ / PROFIT | 765 62 98 | 2245 63 22 |
| घटाएं : हानि / LESS: LOSS | 765 62 98 | 2245 63 22 |
| VI. लांभांश के माध्यम से अर्जित ब्याज INCOME EARNED BY WAY OF DIVIDEND | 95 17 72 | 69 47 13 |
| VII. विविध आय / MISCELLANEOUS INCOME | 20938 70 20 | 19248 32 55 |
| कुल / Total | 28646 18 34 | 25325 03 60 |
| अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED | | |
| I. जमा पर ब्याज / INTEREST ON DEPOSITS | 66278 83 42 | 48799 46 37 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज INTEREST ON RESERVE BANK OF INDIA / INTERBANK BORROWINGS | 2898 34 20 | 1765 13 67 |
| III. अन्य / OTHERS | 2940 41 01 | 2425 46 36 |
| कुल / Total | 72117 58 63 | 52990 06 40 |

यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि खाते का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां
SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

| | यथा दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2024 (₹ '000) | यथा दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष हेतु (₹ '000) For the Year ended 31.03.2023 (₹ '000) |
|---|---|---|
| अनुसूची 16 - परिचालन व्यय SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान PAYMENTS TO AND PROVISIONS FOR EMPLOYEES | 17112 27 27 | 14292 74 69 |
| II. किराया, कर, बिजली / RENT, TAXES, LIGHTING | 1200 60 95 | 1147 39 29 |
| III. मुद्रण व लेखन सामग्री / PRINTING AND STATIONERY | 125 43 10 | 164 46 63 |
| IV. विज्ञापन व प्रचार / ADVERTISEMENT AND PUBLICITY | 212 30 32 | 222 63 98 |
| V. बैंक की संपत्ति में मूल्यहास DEPRECIATION ON BANK'S PROPERTY | 901 73 43 | 1020 95 60 |
| VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ता व व्यय DIRECTORS' FEES, ALLOWANCES AND EXPENSES | 3 74 32 | 2 29 77 |
| VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों का शुल्क व व्यय सहित) / AUDITORS' FEES AND EXPENSES (INCLUDING BRANCH AUDITORS' FEES AND EXPENSES) | 81 27 82 | 74 36 37 |
| VIII. विधि प्रभार / LAW CHARGES | 208 57 26 | 203 43 38 |
| IX. डाक, तार, दूरभाष आदि POSTAGE, TELEGRAMS, TELEPHONES ETC. | 143 25 39 | 150 49 41 |
| X. मरम्मत और अनुरक्षण / REPAIRS AND MAINTENANCE | 787 91 24 | 680 73 67 |
| XI. बीमा / INSURANCE | 1381 52 56 | 1219 17 79 |
| XII. अन्य व्यय / OTHER EXPENDITURE | 15178 22 84 | 11066 71 27 |
| कुल / TOTAL | 37336 86 50 | 30245 41 85 |
| अनुसूची 17 - सहयोगियों में आय / (हानि) की हिस्सेदारी SCHEDULE 17 - SHARE OF EARNINGS / (LOSS) IN ASSOCIATES | | |
| I. केनफिन होम्स लिमिटेड / CANFIN HOMES LTD. | 225 13 46 | 186 30 16 |
| II. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / REGIONAL RURAL BANKS | | |
| ए. कर्नाटक ग्रामीण बैंक A. KARNATAKA GRAMIN BANK | -65 04 01 | 10 99 72 |
| बी. केरल ग्रामीण बैंक B. KERALA GRAMIN BANK | 140 39 42 | 113 61 22 |
| सी. आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक C. ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | 281 65 17 | 208 30 43 |
| डी. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक D. KARNATAKA VIKAS GRAMEENA BANK | 36 42 10 | 350 49 19 |
| कुल / Total | 618 56 14 | 536 79 35 |

अनुसूची - 18

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने का आधार

(क) बैंक (मूल संस्था), इसकी सहायक कंपनियां, एसोसिएट्स (समूह) की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) ऐतिहासिक लागत समझौते के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के सभी भौतिक पहलुओं, लागू वैधानिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड / दिशानिर्देश, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर संबंधित उद्योग / बाजार में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार संपत्ति, देनदारियों, व्यय, आय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान व धारणाएं उचित व विवेकपूर्ण हैं। तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमान से अलग हो सकते हैं। अन्यथा सूचित को छोड़कर लेखांकन अनुमान में किसी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य में मान्यता दी जाएगी।

2 समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह के सीएफएस [आठ (8) सहायक, पांच (5) सहयोगियों को शामिल करते हुए निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है:

- (क) केनरा बैंक (मूल संस्था) के लेखा-परीक्षित खाते।
(ख) मूल संस्था की संबंधित मद के साथ सहायक कंपनियों की संपत्ति / देयता / आय / व्यय की प्रत्येक मद का लाइन दर लाइन एक्त्रीकरण, और सभी सामग्री इंटर-ग्रुप बैलेंस / लेनदेन को समाप्त करने के बाद, अप्राप्त लाभ/ हानि और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 21 (समेकित वित्तीय विवरण) के अनुसार सभी महत्वपूर्ण

SCHEDULE - 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

1 Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

(a) The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its Subsidiaries, Associates and Joint Venture (Group) are drawn up on historical cost convention and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms / guidelines prescribed by Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority, Companies Act, 2013, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the prevalent market practices, in the respective industry / business except as otherwise stated.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized in current and future periods.

2 Consolidation procedure

2.1 CFS of the Group [comprising of Eight (8) Subsidiaries and Five (5) Associates have been prepared on the basis of:

- (a) Audited accounts of Canara Bank (Parent).
(b) Line by line aggregation of each item of asset / liability / income / expense of the Subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit / loss and making necessary adjustments wherever required for all significant non-uniform accounting policies

गैर-समान लेखांकन नीतियों के लिए आवश्यक समायोजन करना।

(ग) एसोसिएट्स के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन) के अनुसार एसोसिएट्स में दीर्घकालिक निवेश का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है। एसोसिएट्स के संचालन के परिणाम में निवेशक का हिस्सा समेकित लाभ और हानि खाते में अलग से परिलक्षित होता है।

- 2.2 सीएफएस में अल्पसंख्यक हित में सहायक कंपनियों की निवल इक्विटी / लाभ में अल्पांश शेयरधारकों का हिस्सा शामिल है।
- 2.3 सहायक कंपनियों में अपने प्रारंभिक निवेश की मूल संस्था की लागत और सहायक कंपनियों की इक्विटी के मूल संस्था के हिस्से के बीच के अंतर को सद्भावना / पूंजी आरक्षित के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसा भी मामला हो।

3 विदेशी मुद्रा अंतरण / विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन

- 3.1 प्रारंभिक तौर पर विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को काल्पनिक दर पर अभिलेखित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रकाशित दर पर पुनः वर्णित किया गया है। पुनः वर्णन से उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतरों को त्रैमासिक दर पर लाभ-हानि खाते में निर्धारित कर अभिलेखित किया गया है।
- 3.2 विदेशी शाखा के संबंध में लेनदेन एवं शेष को अभिन्न विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे लेन-देन तथा शेष राशि को बैंक द्वारा तिमाही आधार पर समेकित किया गया है।
- 3.3 भारतीय विदेशी विनिमय विक्रेता संघ (फेडआई) द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में आस्तियों एवं देयताओं (दोनों मौद्रिक व गैर-मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताएं) का अंतरण उपलब्ध विदेशी विनिमय दर पर घोषित किया जाता है। विदेशी शाखाओं के आय एवं व्यय मदों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक 11 - "विदेशी विनिमय दरों पर परिवर्तन के प्रभाव" के अनुरूप एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, उक्त मानकों के अनुपालन के संदर्भ में 'फेडआई' द्वारा प्रकाशित तिमाही औसत दर पर अंतरित किया जाता है।

as per Accounting Standard (AS) 21 (Consolidated Financial Statements) issued by ICAI.

(c) Long Term Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard (AS) 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the Audited Financial Statements of the Associates. The investor's share of the result of the operations of the Associates is reflected separately in the Consolidated Profit & Loss Account.

- 2.2 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.
- 2.3 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill / capital reserve as the case may be.

3 Foreign Currency Translation / Conversion of Foreign Currencies

- 3.1 Foreign currency monetary items are initially recorded at a notional rate. Foreign currency monetary items are restated at the rate published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the end of each quarter. Exchange difference arising on restatement of such items at the quarterly rates is recognised in Profit & Loss Account.
- 3.2 Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations. Such transactions and balances are consolidated by the Bank (Parent) on quarterly basis.
- 3.3 Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing spot rate of exchange announced by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) as at the end of each quarter and Income and Expenditure items of the foreign branches are translated at the quarterly average rate published by FEDAI in accordance with Accounting Standard (AS) 11 (The effect of Changes in Foreign Exchange rates) issued by the ICAI and as per the guidelines of RBI regarding the compliance of the said standard.

परिणामस्वरूप होनेवाले विनिमय लाभ / हानि को, विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि में जमा / नामे किया जाएगा।

The resultant exchange gain / loss is credited / debited to Foreign Currency Translation Reserve.

3.4 वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं के प्रारंभ में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम या भुनाइ को व्यय या संविदा पर होनेवाले आय के रूप में परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के अपरिशोधित प्रीमियम या भुनाइ सहित असामयिक रद्द किए जाने पर होनेवाले लाभ / हानि यदि हैं तो, उसको समाप्ति की तिथि पर निर्धारित किया गया है। वायदा संविदाओं पर विनिमय अंतरों को रिपोर्टिंग अवधि, जहाँ विनिमय दर परिवर्तित हुए हैं, लाभ व हानि खाते में परिलक्षित किए जाते हैं।

3.4 Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Loss arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination. Exchange differences on forward contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

3.5 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य बाध्यताओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं का परिकलन फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों के अनुसार तुलन पत्र में किया गया है।

3.5 Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

4 निवेश

4 Investments

4.1 निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैंक का संपूर्ण निवेश संविभाग तीन संवर्गों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 'परिपक्वता के लिए धारित' (एचटीएम), 'बिक्री के लिए धारित' (एएफएस), और 'व्यापार के लिए धारित' (एचएफटी)। इस प्रकार का वर्गीकरण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय निर्धारित किया जाता है।

4.1 Classification of investments is made as per the guidelines of the RBI. The entire investment portfolio of the Parent is classified under three categories viz. 'Held to Maturity (HTM)', 'Available for Sale (AFS)' and 'Held for Trading (HFT)'. Such classification is decided at the time of acquisition of securities.

तुलन पत्र में निवेश का खुलासा छह वर्गीकरणों के तहत किया जाता है: (ए) सरकारी प्रतिभूतियां, (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, (सी) शेयर, (डी) डिबेंचर और बांड, (ई) एसोसिएट्स में निवेश और (एफ) अन्य।

Investments are disclosed in the Balance Sheet under six classifications viz: (a) Government Securities, (b) Other Approved Securities, (c) Shares, (d) Debentures & Bonds, (e) Investments in Associates and (f) Others.

4.2 निवेश की अधिग्रहण लागत निर्धारित करने में:-

4.2 In determining the acquisition cost of investment:-

(क) खरीद के समय प्रतिभूतियों से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन आदि जैसी लागतें लाभ और हानि खाते से ली जाती हैं।

(a) Costs such as brokerage, commission etc., relating to securities at the time of purchase are charged to Profit & Loss Account.

(ख) अधिग्रहण / निपटान की तिथि तक ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के ब्याज को राजस्व माना जाता है।

(b) Broken period interest on debt instruments up to the date of acquisition / disposal is treated as revenue.

निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है जो निम्नवत है:

क परिपक्वता के लिए धारित

परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के तहत निवेश अधिग्रहण लागत, परिशोधन को छोड़कर, यदि कोई हो, पर किया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित की जाती है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश का मूल्यांकन वहनीय लागत पर किया जाता है। अस्थायी प्रकृति के अलावा मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी के लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य न्यासी श्रेणियों में निवेशों का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

दिनांक 23.08.2006 के बाद वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में किए गए निवेश को तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है तथा लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। संवितरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के बाद इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशानुसार एफएएस व बाज़ार के लिए अंकित में अंतरित कर दिया जाएगा।

ख बिक्री के लिए उपलब्ध

इस संवर्ग के तहत वर्गीकृत प्रत्येक प्रतिभूति त्रैमासिक आधार पर बाज़ार के लिए अंकित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि (तुलन पत्र तिथि) को उपलब्ध बाज़ार दरों पर जो स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार / कोट, भारतीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा घोषित मूल्य / आय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार कोट नहीं की गई प्रतिभूति भी मूल्यांकित की जाती है।

प्रत्येक श्रेणी / वर्गीकरण के तहत प्रत्येक वर्ग के संबंध में निवल मूल्यहास उपलब्ध किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई है, को नकारा जाता है। प्रत्येक प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाज़ार के लिए अंकित किए जाने के कारण बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

तीन वर्षों की अवधि के पश्चात (पैरा 3.3(ए) का संदर्भ लें) वेंचर पूँजी निधियों (वीसीएफ) में अंतरित एचटीएम श्रेणी के इकाइयों को वेंचर पूँजी निधियों के लेखापरीक्षित वित्तीय

The valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by the RBI as under:

A HELD TO MATURITY

Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortized over the remaining period of maturity. Investments in Subsidiaries and Joint Ventures & Associates are valued at carrying cost. Any diminution in the value other than temporary in nature is fully provided for

Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) and other Trustee shares are valued at carrying cost.

Investment in units of Venture Capital Funds (VCFs) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

B AVAILABLE FOR SALE

Investments classified under this category are mark to market on quarterly basis and valued as per Reserve Bank of India guidelines at the market rates available on the last day of each quarter (Balance Sheet date) from trades / quotes on the stock exchanges, prices / yields declared by the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Unquoted securities are also valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

The net depreciation under each category / classification is fully provided for, whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after these are valued at mark to market basis.

Units of Venture Capital Funds (VCF) transferred from HTM category after a period of three years (Refer paragraph 3.3(a) are valued at NAV as per the audited financial statements of Venture

विवरणों के अनुसार निवल आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि 18 महीनों के लिए ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है तो, इकाइयों को ₹1 प्रति वेंचर पूंजी निधि के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

ग व्यापार हेतु धारित

इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश का मूल्यांकन साप्ताहिक आधार पर एफआईएमएमडीए द्वारा घोषित बाजार कोटेशन, मूल्य / यील्ड के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक रखी गई प्रतिभूति के तहत निवल मूल्यहास पूरी तरह से प्रदान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाजार के लिए अंकित किए जाने के बाद प्रत्येक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में शेयरों का अंतरण निम्नलिखित आधार पर किया जाता है:

- अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर एचटीएम से एफएस / एचएफटी श्रेणी। एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश के मामले में, मूल रूप से प्रीमियम पर रखा गया है, जबकि अंतरण परिशोधित लागत पर किया गया है और स्थानांतरण और परिणामी मूल्यहास के परिणामस्वरूप सुरक्षा का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा; यदि कोई हो, प्रदान किया जाएगा।
- बही मूल्य या बाजार मूल्य के कम पर एफएस / एचएफटी से एचटीएम श्रेणी।
- एफएस से एचएफटी श्रेणी या एचएफटी श्रेणी से एफएस में वहन मूल्य पर अंतरण। संचित मूल्यहास, यदि कोई हो, को एचएफटी प्रतिभूतियों के प्रति मूल्यहास के प्रावधान के अनुसार और उसके विपरीत भी अंतरित किया जाना है।

प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी (प्र.कं / पु.कं) को बैंक द्वारा बेची गयी अनर्जक निवेश प्रतिभूति रसीद के मामले में प्र.कं / पु.कं द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य में से निम्न स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। बहियों में इनका निवेश उपर्युक्तानुसार निर्धारित मूल्य पर इनके विक्रय या वसूली तक किया जाता है और ऐसे विक्रय / वसूली पर हानि या लाभ निम्नानुसार पेश किया जाता है:

- यदि विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर है तो, तत्संबंधी कमी को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार मान्यता दी जाती है।
- यदि विक्रय निवल बही मूल्य से उच्च मूल्य पर है तो, अतिरिक्त प्रावधान को वापस नहीं किया जाता है बल्कि

Capital Funds. In case such audited financial statements are not available continuously for 18 months as on the date of valuation, units are valued at ₹1 per VCF.

C HELD FOR TRADING

Investments classified under this category are valued at rates based on market quotations, price / yields declared by FIMMDA on a weekly basis. The net depreciation under each security held is fully provided for whereas the net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marked to market.

Transfer of scrips from one category to another is carried on the following basis:

- HTM to AFS / HFT category at acquisition price / book value. In case the investments under HTM category, originally placed at premium than the transfer is made at amortised cost and security shall be immediately revalued consequent to the transfer and resultant depreciation; if any, shall be provided.
- AFS / HFT to HTM category at lower of the book value or market value.
- AFS to HFT category or vice versa, at the carrying value. The accumulated depreciation, if any, to be transferred to the provision for depreciation against HFT securities and vice versa.

Non-performing Investments Security Receipts issued by Securitisation / Reconstruction Company (SC / RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC / RC are valued at the lower of the redemption value of the Security Receipt and the Net Book Value of the financial asset. The investment is carried in the books at the price determined as above until its sale or realisation and on such sale or realisation, loss or gain is dealt with as below:

- If sale is at a price below Net Book Value (NBV), the shortfall is recognised as per Reserve Bank of India guidelines.
- If the sale is for a value higher than NBV, the excess provision is not reversed but utilized to

प्र.कं / पु.कं को अन्य वित्तीय आस्तियों के विक्रय से होनेवाली कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाता है।

तीनों में से किसी भी श्रेणी में शामिल किए गए प्रतिभूतियों के मामले में जहाँ ब्याज / मूल राशि एक निर्धारित अवधि के लिए बकाया है, अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे प्रतिभूतियों पर ब्याज आय की गणना नहीं की जाती है तथा निवेशों के मूल्य पर आवश्यक ह्रास / प्रावधान किया जाता है। ऐसे अनर्जक निवेशों के प्रति मूल्यह्रास को अन्य अर्जक आस्तियों के प्रति मूल्यवृद्धि से प्रतितुलन नहीं किया जाता है।

निवेश की बिक्री पर लाभ

“बिक्री के लिए उपलब्ध” तथा “व्यापार के लिए धारित” श्रेणियों के तहत निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ व हानि खाते के रूप में पहचाना जाता है।

“परिपक्वता के लिए धारित” श्रेणी के संबंध में निवेशों की बिक्री पर उपलब्ध लाभ को प्राथमिक तौर पर लाभ व हानि खाते में लिया जाता है तथा लाभ की समतुल्य राशि को पूँजी आरक्षित निधि (कर व आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली राशि का निवल) में विनियोजित किया जाता है।

सभी तीनों श्रेणियों में निवेशों की बिक्री पर हानि को लाभ व हानि खाते के रूप में पहचाना जाता है।

रेपो / प्रतिवर्ती रेपो का लेखांकन व चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ)

आरबीआई के साथ एलएएफ सहित रेपो / प्रतिवर्ती रेपो के तहत सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद / पुनर्बिक्री हेतु करार के साथ खरीदी / बेची गई प्रतिभूतियों को उधार देने / उधार लेने के रूप में निर्धारित किया जाता है।

रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के तहत दिखाया जाता है और प्रतिवर्ती रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय / आय के रूप में की जाती है।

वायदा विनिमय संविदाएं

सभी वायदा विनिमय संविदाओं की शुरुआत में प्राप्त होने वाले प्रीमियम या छूट को संविदा काल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। वायदा विनिमय संविदाओं को रद्द करने पर होने वाले लाभ / हानि, साथ में अपरिवर्तित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर निर्धारित किया जाता है। ऐसी संविदाओं

meet shortfall / loss on account of sale of other financial assets to SC / RC.

Securities included in any of three categories where interest / principal is in arrears for a specified period, are classified as Non-performing Investment. Interest Income on such securities is not reckoned and appropriate depreciation / provision in value of Investments is made. Depreciation in respect of such Non-performing Investments is not set off against appreciation in other performing securities.

Profit on Sale of Investments

Profit on Sale of Investments in respect of “Available for Sale” and “Held for Trading” categories is recognized in Profit & Loss Account.

Profit on Sale of Investments in respect of “Held to Maturity” category is first taken to the Profit & Loss Account and an equivalent amount of Profit is appropriated to the Capital Reserve (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

Loss on Sale of Investments in all the three categories is recognized in Profit & Loss Account.

Accounting for Repo / Reverse Repo and Liquidity Adjustment Facility (LAF)

Securities sold / purchased with an agreement to repurchase / resale on the agreed terms under Repo / Reverse Repo including LAF with RBI are recognized as Borrowing / Lending.

Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Forward Exchange Contracts

Premium or discount arising at the inception of all forward exchange contracts are amortized as expense or income over the life of the contract. Profit / Losses arising on cancellation of forward exchange contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

पर विनिमय अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है जिसमें विनिमय दरें बदलती हैं।

बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, गारंटियों, स्वीकृतियों, अनुमोदनों और अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देनदारी फेडआई द्वारा प्रकाशित समापन दरों पर तुलन पत्र में दर्शाई गई है।

व्युत्पन्नी संविदाएं

बैंक ब्याज दर विनिमय और मुद्रा व्युत्पन्नियों का कारोबार करता है। बैंक द्वारा कारोबार किए जा रहे ब्याज दर व्युत्पन्नी क्रमशः रुपया ब्याज दर विनिमय, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार है। बैंक द्वारा कारोबार की जा रही मुद्रा व्युत्पन्नियां क्रमशः विकल्प और मुद्रा विनिमय है। ऐसे व्युत्पन्नी संविदाओं को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है:

- (क) व्यापार के लिए प्रयोग की जानेवाली व्युत्पन्नियों को बाजार के लिए अंकित आधार पर मान्यता दी जाती है और निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है तथा निवल मूल्यवृद्धि को नकारा जाता है।
- (ख) हेजिंग के लिए उपयोग में लायी जा रही व्युत्पन्नी संविदाएं निम्नानुसार हैं:
 - (i) व्युत्पन्नी संविदाओं को हेजिंग के रूप में बाजार के लिए अंकित नहीं किया जाता है, जब तक कि आधारभूत आस्तियां बाजार के लिए अंकित नहीं की गयी हैं।
 - (ii) हेजिंग विनिमय के लिए आय / व्यय को उपचित आधार पर मान्यता दी जाती है।

5 अग्रिम

- 5.1 अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 5.2 अग्रिम को उधारकर्ता वार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्ति के रूप में संवर्गीकृत किया जाता है।
- 5.3 अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार घरेलू अग्रिम हेतु प्रावधान किया जाता है।
- 5.4 विदेशी शाखाओं के अर्जक / अनर्जक अग्रिम के लिए प्रावधान मेजबान देश के विनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड, जो भी अधिक कठोर है, उसके अनुसार किया जाता है।

Exchange differences on such contracts are recognized in the Profit & Loss account in the reporting period in which the exchange rates change.

Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts, guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated in the balance sheet at the closing rates published by FEDAI.

Derivative contracts

The Bank deals in Interest Rate Swaps and Currency Derivatives. The Interest Rate Derivatives dealt by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Cross Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements. Currency Derivatives dealt by the Bank are Options and Currency Swaps. Such derivative contracts are valued as under:

- (a) Derivative contracts dealt for trading are valued on mark to market basis, net depreciation is recognized while net appreciation is ignored.
- (b) Derivative contracts undertaken for hedging are:
 - (i) Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying asset is marked to market.
 - (ii) Income / Expenditure is recognized on accrual basis for hedging swaps.

5 Advances

- 5.1 Advances are classified as Performing and Non-performing Assets in accordance with the prudential norms issued by RBI.
- 5.2 Advances are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.
- 5.3 Provisions for Domestic Advances are made for Performing / Non-performing Advances in accordance with the RBI Guidelines.
- 5.4 Provisions for Performing / Non-performing Advances with foreign branches are made as per regulations of host country or according to the norms prescribed by RBI, whichever is more stringent.

- 5.5 तुलन पत्र में वर्णित अग्रिम अनर्जक आस्तियाँ, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावे और पुनर्भुनाई के लिए किए गए प्रावधानों के निवल हैं।

एकमुस्त भुगतान (ओटीएस) / नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) / तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए (टीडब्ल्यूओ) के मामले में एनपीए खातों में वसूली और सीजीटीएमएसई / ईसीजीसी / जीईसीएल / सीजीएफएमयू जैसी सरकारी गारंटियों द्वारा कवर किए गए खातों और सब्सिडी, यदि कोई हो, को मूलधन, शुल्क और ब्याज के क्रम में विनियोजित किया जाएगा।

दायर मुकदमे / डिक्री वाले खातों में वसूली न्यायालय / डीआरटी के विशिष्ट निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाएगी, यदि उपरोक्त उल्लिखित के अलावा कोई मामला हो।

- 5.6 प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में, मूल्यांकन, आय निर्धारण इत्यादि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है।
- 5.7 एनपीए पर निर्दिष्ट प्रावधान के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं।

6 अचल आस्तियाँ

- 6.1 बैंक के परिसर में मुक्त भूमि और पट्टेवाली भू संपत्ति दोनों शामिल हैं। सभी अचल आस्तियों का पूँजीकरण, इस्तेमाल हेतु शुरू की गई तिथि के आधार पर किया जाता है।
- 6.2 भूमि और परिसर को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर और अन्य अचल परिसंपत्तियों को परंपरागत लागत पर उल्लिखित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे 'पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि' खाते में जमा किया जाता है। संवर्धित मूल्य के कारण होनेवाले मूल्यहास / परिशोधन को लाभ व हानि खाते के नामे किया गया है। समतुल्य राशि पुनर्मूल्यांकित आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

7 मूल्यहास

मूल

- 7.1 आस्तियों के जीवन काल के आधार पर सभी आस्तियों के लिए, आस्तियों का मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली के तहत किया जाता है।
- 7.2 आस्तियों का जीवनकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग सी अनुसूची II के अनुसार सॉफ्टवेयर / अमूर्त, सर्वर, विद्युत उपकरण और मोटर वाहनों के अलावा परिभाषित किया गया है।

- 5.5 Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for Non-performing Assets, claims received from Credit Guarantee Institutions and rediscount.

Recovery in NPA accounts in case of One Time Settlement (OTS) / National Company Law Tribunal (NCLT) / Technically Written Off (TWO) & Accounts covered by Government Guarantees such as CGTMSE / ECGC / GECL / CGFMU and Subsidy if any, shall be appropriated in the order of Principal, Charges and Interest.

Recovery in suit filed / decreed accounts shall be appropriated in the manner as per specific directives from the Court / DRT, in case the same is other than the one mentioned above.

- 5.6 In case of financial assets sold to SC / RC, the valuation and income recognition are done as per RBI guidelines.
- 5.7 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines.

6 Fixed Assets

- 6.1 The premises of the Bank include freehold and leasehold properties. All the Fixed Assets are capitalized based on the date of put to use.
- 6.2. Land and Premises are stated at revalued cost and other fixed assets are stated at historical cost. The appreciation on revaluation, if any, is credited to the 'Revaluation Reserve' Account. Depreciation / Amortization attributable to the enhanced value have been debited to the Profit & Loss account. Equivalent amount has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

7 Depreciation

Parent

- 7.1 Depreciation method is on Straight Line Method, for all Assets based on lifespan of the assets.
- 7.2 The lifespan of the assets is defined as per Part C Schedule II of the Companies Act, 2013 other than Software / Intangibles, Servers, Electrical Equipments and Motor Vehicles.

7.3 विभिन्न वर्ग की आस्तियों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई आस्तियों का अनुमानित जीवनकाल निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | आस्ति का प्रकार | अनुमानित जीवन काल |
|----------|--|-----------------------------|
| i | पूर्ण स्वामित्व वाला भवन | 60 वर्ष |
| ii | ए) पट्टाधारित भूमि | पट्टा अवधि |
| | बी) पट्टाधारित भवन | पट्टा अवधि से कम या 60 वर्ष |
| iii | फर्नीचर एवं फिक्स्चर | 10 वर्ष |
| iv | ए) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: टेलीविजन, प्रोजेक्टर, रेफ्रिजरेटर आदि और सुरक्षा गैजेट जैसे सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, नोट काउंटिंग, नोट सॉर्टिंग मशीन, एटीएम आदि। | 5 वर्ष |
| | बी) इलेक्ट्रीकल उपकरण: वाटर कूलर, ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरीफायर, स्टेबलाइजर्स, पंखे आदि। | 8 वर्ष |
| | सी) इलेक्ट्रीकल फिक्स्चर: जैसे एलईडी / ट्यूब लाइट फिक्स्चर इत्यादि। | 10 वर्ष |
| v | कंप्यूटर | 3 वर्ष |
| vi | सर्वर | 5 वर्ष |
| vii | मोटर गाड़ी | 5 वर्ष |

दिनांक 01-04-2020 से मूल्यहास की दरों में परिवर्तन (जीवन काल के आधार पर) प्रभावी है।

7.4 सॉफ्टवेयर / अमूर्त आस्ति 5 वर्षों में परिशोधित की जाती है।

7.5 यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिन और उससे अधिक के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 100% मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा। यदि अधिग्रहण वर्ष में आस्ति का उपयोग 180 दिनों से कम समय के लिए किया जाता है, तो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 50% मूल्यहास प्रभारित किया जाएगा।

7.3 Estimated lifespan of the assets adopted by the bank for different class of assets is as under:

| Sl No | Type of Asset | Estimated Lifespan |
|-------|---|-----------------------------------|
| i | Free hold Buildings | 60 years |
| ii | A) Lease hold Land | Lease period |
| | B) Lease hold Building | Lower of lease period or 60 years |
| iii | Furniture & Fixtures | 10 years |
| iv | A) Electronic Equipment: Televisions, Projectors, Refrigerators, etc., and Security Gadgets like CCTV Access Control System, Fire Alarm System, Note Counting, Note Sorting Machines, ATMs etc. | 5 years |
| | B) Electrical Equipment: Water Cooler, Grinder, Mixer Grinder, Water Purifiers, Stabilizers, Fans etc. | 8 years |
| | C) Electrical Fixtures: Like LED / Tube light Fixtures, etc. | 10 years |
| v | Computers | 3 years |
| vi | Servers | 5 years |
| vii | Motor Vehicles | 5 years |

The change in rates (based on lifespan) of depreciation is applied effective from 01-04-2020.

7.4 Software / Intangible Assets are amortized over 5 years.

7.5 If the item is put to use for 180 days and above in the year of acquisition, 100% depreciation will be charged for the concerned financial year. If the asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition, 50% depreciation is be charged for the concerned financial year.

- 7.6 8 वर्ष और उससे अधिक उपयोगी जीवन अवधि वाली आस्ति के मामले में मूल लागत मूल्य का 5% अवशिष्ट मूल्य होगा। अन्य आस्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य मूल लागत मूल्य का ₹5/- होगा।
- 7.7 पट्टाधारित संपत्तियों पर प्रदत्त प्रीमियम को पट्टा अवधि या प्रासंगिक आस्ति के जीवन काल, जो भी पहले हो, पर प्रभारित किया जाता है। पट्टाधारित भूमि की लागत और पट्टाधारित सुधारों को पट्टे की अवधि या प्रासंगिक परिसंपत्तियों के जीवन काल में जो भी कम हो, के लिए परिशोधित किया जाता है।
- 7.8 विदेशी कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों के संबंध में, संबंधित देशों के विनियमों / मानदंडों के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- 7.9 आईसीएआई द्वारा जारी एएस 19 (पट्टे) के अनुसार परिचालन हेतु पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित पट्टा भुगतान पट्टा अवधि से अधिक को लाभ और हानि खाते के लिए निर्धारित किया जाता है।

8 सहायक कंपनियां

- (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में प्रदान किए गए अनुसार घरेलू सहायक कंपनियों की अचल संपत्तियों का मूल्यहास किया जाता है।
- (ख) सॉफ्टवेयर की खरीद / विकसित और लाइसेंसिंग लागत वाली अमूर्त संपत्तियों को सॉफ्टवेयर के उपयोगी जीवन पर सीधी कटौती प्रणाली पर उस तिथि से अधिकतम 3 साल तक मूल्यहास किया जाता है, जिस दिन सॉफ्टवेयर का पहली बार उपयोग किया जाता है।
- (ग) पट्टे पर दी गई संपत्ति के संबंध में 'मूल्यहास' या तो 'कंपनी अधिनियम, 2013' के तहत निर्धारित पद्धति और दरों के अनुसार लगाया जाता है या अनुबंधों के अनुसार 'वर्ष के दौरान उपाजित पट्टा किराया' से 'पट्टे की संपूर्ण प्राथमिक / द्वितीयक अवधि के लिए पट्टा किराया' के अनुपात में, जो भी अधिक हो।

9 आस्तियों का हास

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति हासमान है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हासमान आस्ति, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाता है।

- 7.6 5% of the Original cost price will be residual value in case of the assets having useful life 8 years and above. ₹5/- of the original cost price is residual value for other assets.
- 7.7 Premium paid on leasehold properties is charged off over the lease period or life span of relevant asset whichever is earlier. Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease or lifespan of relevant assets, whichever is lower.
- 7.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries
- 7.9 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 Subsidiaries

- (a) Fixed Assets of the domestic subsidiaries are depreciated as provided in the Schedule II of the Companies Act, 2013.
- (b) Intangible assets comprising of software purchase / developed and licensing cost are depreciated on straight-line method over the useful life of the software up to a maximum of 3 years commencing from the date on which software is first utilized.
- (c) In respect of leased assets, depreciation is charged either as per the method and rates prescribed under the Companies Act, 2013 or in the ratio of lease rentals accrued during the year to lease rentals for the entire primary / secondary period of the lease, as per agreements, whichever is higher.

9 Impairment of Assets

An assessment is made at each balance sheet date whether there is any indication that an asset is impaired. If any such indication exists, an estimate of the recoverable amount is made and impairment loss, if any, is provided for.

10 राजस्व निर्धारण

निम्नलिखित को छोड़कर आय और व्यय का हिसाब आम तौर पर उपचय के आधार पर लगाया जाता है:

- अग्रिम और अनर्जक निवेश पर ब्याज की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है।
- अतिदेय बिलों पर ब्याज, कमीशन (एलसी बीजी के लिए सरकारी कारोबार और कमीशन के अलावा), एक्सचेंज, ब्रोकरेज और लॉकरों पर किराए की वसूली पर हिसाब लगाया जाता है। लाभांश का हिसाब तब लगाया जाता है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए।
- जहां तक बैंक के विदेशी कार्यालयों का संबंध है, आय और व्यय को उस देश के स्थानीय कानूनों के अनुसार मान्यता प्राप्त होती है जहां संबंधित विदेशी कार्यालय स्थित है।
- मुकदमा दायर खातों के मामले में, संबंधित कानूनी और अन्य खर्चों को लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और वसूली पर उन्हें आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

11 जीवन बीमा कंपनी

1 प्रीमियम

गैर-सहबद्ध कारोबार के प्रीमियम को पॉलिसीधारकों से देय होने पर आय (वस्तु और सेवा कर ("जीएसटी") का निवल) के रूप में निर्धारित किया जाता है, जहां अनुग्रह अवधि (आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित उत्पाद नियमों और शर्तों के अनुसार) समाप्त नहीं हुई है। यूनिट सहबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब संबंधित इकाइयाँ बनाई / आवंटित की जाती हैं। परिवर्तनीय बीमा उत्पादों और अन्य निधि आधारित समूह उत्पादों के मामले में, निधि की प्राप्ति की तिथि पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

जब ऐसी पॉलिसियाँ बहाल की जाती हैं तो व्यपगत पॉलिसियों पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि और / या पूर्व-निर्धारित पॉलिसी अवधि के साथ नियमित प्रीमियम भुगतान योजना वाले उत्पादों को पहले वर्ष और नवीनीकरण में प्रीमियम के उचित वर्गीकरण के साथ नियमित कारोबार माना जाता है। उपरोक्त के अलावा अन्य उत्पादों पर प्रीमियम आय को एकल प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

10 Revenue Recognition

Income and expenditure are generally accounted on accrual basis, except the following:

- Interest on Non-performing Advances and Non-performing Investments is recognized as per norms laid down by the RBI.
- Interest on Overdue Bills, Commission (other than Government business & Commission for LC BG), Exchange, Brokerage and rent on lockers is accounted on realization. Dividend is accounted when the right to receive the same is established.
- As regards Bank's foreign offices, income and expenditure are recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- In case of suit filed accounts, related legal and other expenses incurred are charged to Profit & Loss Account and on recovery the same are accounted as Income.

11 Life Insurance Company

1 Premium

Premium of non-linked business is recognised as income (net of Goods and Services Tax ("GST")) when due from policyholders, where the grace period (as per the product terms & conditions, as approved by IRDAI) has not expired. For unit linked business, premium is recognised as income when the associated units are created / allocated. In case of variable insurance products and other fund based group products, premium is recognised as income on the date of receipt of funds.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and / or pre-determined policy term are treated as regular business with due classification of premium into first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as single premium.



यूनिट सहबद्ध पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है और संबंधित इकाइयों के निर्माण / आवंटन पर आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

2. सहबद्ध कारोबार से आय

निधि प्रबंधन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, मृत्यु दर शुल्क और उत्पाद सुविधाओं के अनुसार अन्य शुल्क पॉलिसियों के नियमों और शर्तों के अनुसार लिंक निधि से वसूल किए जाते हैं और देय और वसूली योग्य होने पर पहचाने जाते हैं। जब सहबद्ध इकाइयाँ नीतियों के नियमों और शर्तों के अनुसार बनाई / आवंटित की जाती हैं तो आवंटन शुल्क वसूल किया जाता है।

उपरोक्त यूनिट सहबद्ध शुल्कों पर वसूला गया वस्तु और सेवा कर ("जीएसटी") आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व खाते में "यूलिप शुल्कों पर वसूला गया वस्तु और सेवा कर ("जीएसटी") के तहत दिखाया गया है।

3. पुनर्बीमा प्रीमियम

सौंपे गए पुनर्बीमा प्रीमियम को संधि के अनुसार या पुनर्बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

4. भुगतान किए गए लाभ (दावों सहित)

दावे की लागत में पॉलिसी लाभ राशि और दावा निपटान लागत, जहां लागू हो, शामिल होती है। तुलन पत्र की तिथि तक सूचना प्राप्त होने पर मृत्यु दावों और राइडर दावों की गणना की जाती है।

उत्तरजीविता लाभ के दावे, वार्षिकी के दावे और परिपक्वता दावों की गणना तब की जाती है जब ये देय हो जाते हैं।

यूनिट सहबद्ध पॉलिसियों के तहत अभ्यर्पण और निकासी (शुल्कों का निवल) की गणना तब की जाती है जब सहबद्ध इकाइयाँ रद्द कर दी जाती हैं। गैर-सहबद्ध पॉलिसियों के तहत, इनकी गणना तब की जाती है जब अभ्यर्पण की सूचना प्राप्त होती है और तुलन पत्र की तिथि तक स्वीकार कर ली जाती है।

यूनिट-सहबद्ध बीमा उत्पादों के मामले में, जिसमें जीवन प्रस्तावक की मृत्यु पर भविष्य के शेष प्रीमियम की छूट की सुविधा है, माफ किए गए पूरे भविष्य के प्रीमियम को

Top-up premium paid by the unit linked policyholders' is considered as single premium and recognized as income when the associated units are created / allocated.

2. Income from Linked Business

Fund management charges, administrative charges, mortality charges and other charges as per the product features are recovered from linked funds in accordance with the terms and conditions of policies and are recognised when due and recoverable. Allocation charges are recovered when associated units are created / allocated in accordance with the terms and conditions of policies.

Goods and Services Tax ("GST") recovered on above Unit Linked charges are shown under "Goods and Services Tax ("GST") recovered on ULIP charges" in the Revenue account as required by IRDAI guidelines.

3. Reinsurance Premium

Re-insurance premium ceded is accounted on due basis in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the re-insurer.

4. Benefits Paid (including claims)

Claims costs consist of the policy benefit amount and claim settlement costs, where applicable. Death claims and rider claims are accounted for on receipt of intimation up to the balance sheet date.

Survival benefit claims, annuity claims and maturity claims are accounted when these become due.

Surrenders and withdrawals (net of charges) under unit linked policies are accounted for when associated units are cancelled. Under non-linked policies, these are accounted for when the intimation for the surrender is received and accepted up to the balance sheet date.

In case of Unit-Linked insurance products having the feature of waiver of the balance future premiums on the death of the life

जीवन प्रस्तावक की मृत्यु की घटना पर भुगतान किए गए लाभों के तहत दायित्व के रूप में निर्धारित किया जाता है। जब अनुवर्ती मॉडल प्रीमियम देय हो जाता है, तो उक्त प्रीमियम को पूर्वोक्त देयता को कम करके वित्त पोषित किया जाता है और प्रीमियम आय को उसी के लिए निर्धारित किया जाता है।

ऐसे दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रबंधन विवेक के आधार पर, न्यायिक अधिकारियों के समक्ष विवादित अस्वीकृत दावों को आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रदान / प्रकटन करता है।

संबंधित दावों की अवधि के दौरान दावों पर पुनर्बीमा वसूली की गणना की जाती है।

5 अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत (जैसे कमीशन, चिकित्सा परीक्षण शुल्क आदि) ऐसी लागतें हैं जो मुख्य रूप से बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होती हैं और उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं। भविष्य में भुगतान किए गए कमीशन के क्लॉबैक के कारण वसूली, यदि कोई हो, का हिसाब उस वर्ष में किया जाता है जिसमें इसकी वसूली देय होती है।

6. ए) पॉलिसी देयता मूल्यांकन

लागू पॉलिसियों और पॉलिसियों के लिए देनदारियों का मूल्य, जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार देनदारी मौजूद है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा कारोबार की आस्तियां, देनदारियां और सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियमन, 2016, बीमा अधिनियम, 1938 बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित और आईआरडीएआई द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक नियम, समय-समय पर संशोधित, बीमांकिक मानक प्रथाएं (एपीएस 2 और एपीएस 7) द्वारा जारी किए गए एवं भारतीय बीमांकिक संस्थान और भारत में आम तौर पर स्वीकृत बीमांकिक सिद्धांत के अनुसार निर्धारित की जाती है।

proposer, the entire future premiums waived are recognised as liability under the benefits paid on the occurrence of death of the life proposer. When the subsequent modal premium becomes due, the said premiums are funded by reducing the aforesaid liability and the premium income is recognized for the same.

Repudiated claims disputed before judicial authorities are provided for / disclosed as contingent liability, based on management prudence, considering the facts and evidences available in respect of such claims.

Re-insurance recoveries on claims are accounted for, in the same accounting period as the related claims.

5 Acquisition Costs

Acquisition costs (such as commission, medical examination fees etc.) are costs which vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed off in the period in which they are incurred. Recovery on account of clawback of the commission paid, if any, in future is accounted in the year in which its recovery is due

6.a) Policy Liability Valuation

The value of liabilities, for policies in force and policies in respect of which premium have been discontinued but liability exists as on reporting date, is determined in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations, 2016, Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 and other relevant regulations issued by IRDAI, as amended from time to time, the Actuarial Practice Standards (APS 2 and APS 7) issued by the Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial principles in India.



बीमांकिक देयता की गणना के लिए एक संक्षिप्त पद्धति नीचे दी गई है:

- पॉलिसी देनदारियों का मूल्य निर्धारण पॉलिसी के आधार पर किया जाता है, यानी प्रत्येक पॉलिसी का मूल्य अलग-अलग होता है।
- यूनिट-सहबद्ध पॉलिसियों से सहबद्ध किया गया भाग विभिन्न यूनिट-सहबद्ध निधियों में यूनिटों की संख्या को मूल्यांकन तिथि के अनुसार प्रति यूनिट नेट एसेट वैल्यू से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।
- यूनिट-सहबद्ध पॉलिसियों की गैर-यूनिट देनदारी और गैर-सहबद्ध पॉलिसियों के लिए देनदारी (निधि आधारित समूह उत्पादों और एक वर्ष के नवीकरणीय समूह अवधि आश्वासन योजनाओं के अलावा) संभावित सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।
- एक वर्ष के नवीकरणीय समूह अवधि आश्वासन योजनाओं के लिए, देनदारी अनर्जित प्रीमियम पद्धति या संभावित सकल प्रीमियम मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जो भी उच्च आरक्षित की ओर ले जाती है।
- निधि आधारित समूह उत्पादों के मामले में, देयता घोषित या गारंटीकृत ब्याज के लिए उचित अनुमति देते हुए योजना खाते के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- परिवर्तनीय समूह बीमा उत्पादों के मामले में, देनदारी की गणना तिमाही की शुरुआत में घोषित गारंटीकृत ब्याज दर का उपयोग करके चालू तिमाही के अंत तक संबंधित योजना के खाता मूल्य का अनुमान लगाकर की जाती है और फिर प्रतिकूल विचलन के लिए उचित मार्जिन लागू करने के बाद सकल अपेक्षित रिटर्न का उपयोग करके इस मूल्य को मूल्यांकन तिथि पर छूट दी जाती है।

कंपनी उन जोखिमों की अनुमति देने के लिए अतिरिक्त समग्र जोखिम रिजर्व (जैसे कि खर्च किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए रिजर्व, नए कारोबार रिजर्व को बंद करना, फ्री-लुक रिजर्व आदि) भी रखती है, जिन्हें विशिष्ट नीतियों या व्यवसायों की रेखाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

A brief methodology for calculating the actuarial liability is given below:

- The policy liabilities are valued on policy by policy basis, i.e. each policy is valued separately.
- The linked portion on unit-linked policies is determined by multiplying the number of units in various unit-linked funds with the Net Asset Value per unit as at the valuation date.
- The non-unit liability of unit-linked policies and liability for non-linked policies (other than fund-based group products and one year renewable group term assurance plans) is determined using the prospective gross premium valuation methodology.
- For one year renewable group term assurance plans, the liability is determined using the unearned premium method or prospective gross premium valuation methodology, whichever leads to a higher reserve.
- In case of fund-based group products, the liability is determined on the basis of scheme account value allowing appropriately for the interest declared or guaranteed.
- In case of Variable group insurance products, the liability is calculated by projecting the account value of the relevant scheme till the end of the current quarter using the guaranteed interest rate declared at the beginning of the quarter and then discounting this value to the valuation date using the gross expected return after applying an appropriate margin for adverse deviation.

The Company also holds additional aggregate risk reserves (such as Incurred But Not Reported Reserves, Closure to New Business Reserves, Free-Look Reserve etc.) to allow for the risks that cannot be attributed to specific policies or lines of businesses.

बी) भविष्य के विनियोगों के लिए निधि

भविष्य के विनियोगों के लिए निधि उस अधिशेष का प्रतिनिधित्व करती है जिसे भाग लेने वाले खंड में पॉलिसीधारकों / शेयरधारकों को अभी भी विनियोजित किया जाना है।

निधि में और उससे होने वाला अंतरण, भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों की निधि में प्रत्येक लेखांकन अवधि में व्यय और विनियोजन पर आय की अधिकता या कमी को दर्शाता है। भाग लेने वाली पॉलिसियों के संबंध में, पॉलिसीधारक को कोई भी आवंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक अंतरण को भी बढ़ावा देगा।

12 कर्मचारी लाभ

(ए) परिभाषित अंशदान योजनाएँ: भविष्य/पेंशन फंड जैसी परिभाषित अंशदान योजनाओं को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि खाते में प्रभाषित किया जाता है।

बैंक 01-04-2010 को या उसके बाद बैंक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए बैंक एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) संचालित करता है। जो 'परिभाषित अंशदान पेंशन योजना' है, ऐसे नए शामिल होने वाले मौजूदा पेंशन योजना के सदस्य बनने के हकदार नहीं हैं। योजना के अनुसार कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10% के साथ-साथ मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता के 14% के बराबर बैंक से योगदान के साथ योजना में योगदान करते हैं। बैंक इस तरह के वार्षिक योगदान को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता देता है जिससे वे संबंधित हैं।

(बी) परिभाषित लाभ योजनाएं

(i) **ग्रेच्युटी (उपदान):** कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि योजना बैंक (मूल) द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है जो बदले में दिशानिर्देशों के अनुसार अपने निधियों का प्रबंधन करता है। ग्रेच्युटी के तहत बैंक (मूल) के दायित्व का वर्तमान मूल्य वर्ष के अंत में बीमांकिक आधार पर गणना किया जाता है और निवल आधार पर दायित्व को गणना करने के लिए योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य सकल दायित्व से घटाया जाता है।

b) Funds for Future Appropriations

The Funds for Future Appropriations represents the surplus which is yet to be appropriated to policyholders / shareholders, in the participating segment.

Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the participating policyholders' fund. In respect of participating policies, any allocation to the policyholder would also give rise to a shareholder transfer in the required proportion.

12 Employee Benefits

(a) Defined Contribution Plans: Defined Contribution Plans such as Provident / Pension fund are recognized as an expense and charged to Profit & Loss account.

The Bank operates a New Pension Scheme (NPS) for all officers/ employees joining the Bank on or after 01-04-2010, which is a defined contribution Pension Scheme, such new joinees not being entitled to become members of the existing Pension Scheme. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a contribution from the Bank equivalent to 14% of the basic pay plus dearness allowance. The Bank recognizes such annual contributions as an expense in the year to which they relate.

(b) Defined Benefit Plans

(i) **Gratuity:** The employee Gratuity Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust who in turn manages their funds as per guidelines. The present value of the Bank's (Parent) obligation under Gratuity is recognized on actuarial basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(ii) **पेंशन:** कर्मचारी पेंशन निधि योजना बैंक (अभिभावक) द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। पेंशन के तहत बैंक (माता-पिता) के दायित्वों के वर्तमान मूल्य को वर्ष के अंत में और के आधार पर मान्यता दी गई है और निवल आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य सकल दायित्व से घटाया जाता है।

(सी) विशेषाधिकार अवकाश को एक दीर्घकालिक लाभ माना जाता है और प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर 'अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(डी) परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने की लागत प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के साथ अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है और स्थगित नहीं किया जाता है।

13. कराधान के लिए प्रावधान

ए) आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22 - "आय पर कर के लिए लेखांकन" के अनुसार क्रमशः विदेशी कार्यालयों में भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं, जो हैं संबंधित न्यायक्षेत्रों के कर कानूनों पर आधारित होते हैं।

बी) आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल होते हैं। समय के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्ति और देनदारियां और जो बाद की अवधि में व्युत्क्रम में सक्षम हैं, उन कर दरों और कानूनों का उपयोग करके पहचानी जाती हैं जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों में परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।

(ii) **Pension:** The employee Pension Fund Scheme is funded by the Bank (Parent) and managed by a separate trust. The present value of the Bank's (Parent) obligations under Pension is recognized on the basis as at the year end and the fair value of the Plan assets is reduced from the gross obligation to recognize the obligation on a net basis.

(c) The privilege leave is considered a long-term benefit and is recognized based on independent actuarial valuation on 'projected Unit credit method' at each Balance Sheet date.

(d) The cost of providing long-term benefits under defined benefit Plans is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are immediately recognised in the Profit and Loss Account and are not deferred.

13 Provision for Taxation

a) Income Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred Tax assets and liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. The impact of changes in Deferred Tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

सी) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि क्या उनकी वसूली को उचित रूप से निश्चित माना जाता है या आभासी रूप से निश्चित माना जाता है, जैसा भी मामला हो।

डी) आस्थगित कर आस्तियों को अनवशोषित मूल्यहास और कर घाटे को आगे ले जाने के लिए निर्धारित किया जाता है, यदि इस बात के पुख्ता सबूतों से समर्थित आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्तियों को भविष्य के मुनाफे के एवज में प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा अन्य मदों पर आस्थगित कर आस्तियों को उचित निश्चितता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक आस्तियां

(ए) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और अनुषंगी आस्तियां) के अनुरूप, बैंक (मूल) प्रावधान को तभी निर्धारित करता है जब:

- पिछली घटना के परिणामस्वरूप इसका वर्तमान दायित्व है।
- यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और
- जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(बी) निम्नलिखित के लिए कोई प्रावधान मान्य नहीं है:

- पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाली कोई भी संभावित बाध्यता और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से बैंक (मूल) के नियंत्रण में नहीं है।
- यह संभव नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या
- दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

c) Deferred Tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain or virtual certain as the case may be.

d) Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such Deferred Tax assets can be realised against future profits. Deferred Tax assets on the items other than above are recognized on the basis of reasonable certainty.

14 Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets

(a) In conformity with Accounting Standard (AS) 29 (Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets) issued by ICAI, the Bank (Parent) recognizes provision only when:

- It has a present obligation as a result of past event.
- It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and
- When a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

(b) No provision is recognized for:

- Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank (parent).
- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

इस तरह के दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और बाध्यता का केवल वह भाग जिसके लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, के लिए प्रदान किया जाता है।

(सी) अनुषंगी आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

15 निवल लाभ

लाभ और हानि खाते में निवल लाभ की गणना निम्न के उपरांत की जाती है:

- (ए) निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान
- (बी) कराधान के लिए प्रावधान
- (सी) ऋण घाटे पर प्रावधान
- (डी) मानक आस्ति पर प्रावधान
- (ई) अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान
- (एफ) अन्य सामान्य और आवश्यक वस्तुएं

16 प्रति शेयर आय

बैंक (मूल) लेखा मानक (एएस) 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

17 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण की सूचना अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग द्वारा दी जाती है।

18 सेगमेंट रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी एएस-17 के अनुपालन में कारोबार खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which the outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

(c) Contingent Assets are not recognized in the financial Statements.

15 Net Profit

The Net Profit in the Profit & Loss Account is after:

- (a) Provision for Depreciation on Investments
- (b) Provision for Taxation
- (c) Provision on Loan Losses
- (d) Provision on Standard Assets
- (e) Provision for Non-Performing Investments
- (f) Other Usual & Necessary Items

16 Earnings per Share

The Bank (Parent) reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with Accounting Standard (AS) 20 (Earnings per Share). Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

17 Cash Flow Statement

Cash Flow Statement is reported by using indirect method.

18 Segment Reporting

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines & in compliance with AS-17 issued by ICAI.

अनुसूची - 19

यथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा संबंधी टिप्पणियां

- समूह की समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में केनरा बैंक (मूल बैंक / संस्था) व उसकी निम्नलिखित अनुषंगियों व सहयोगी संस्थानों का परिणाम शामिल है। अनुषंगियों / सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणी को, मूल बैंक की संस्था यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किया गया है।

1.1 अनुषंगियाँ:

निम्न अनुषंगियों को उनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर समेकित किया गया है:

| क्र. सं. | कंपनी का नाम | निगमन का प्रकार | निगमिति देश | स्वामित्व हित का प्रतिशत (%) |
|----------|--|-----------------|-------------|------------------------------|
| 1 | केनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लि. | अनुषंगी | भारत | 100% |
| 2 | केनबैंक फिनान्शियल सर्विसेस लि. | अनुषंगी | भारत | 100% |
| 3 | केनरा बैंक सिव्योरिटीज लिमिटेड | अनुषंगी | भारत | 100% |
| 4 | केनबैंक फैक्टर्स लि. | अनुषंगी | भारत | 70% |
| 5 | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लि. | अनुषंगी | भारत | 69.14% |
| 6 | केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लि. | अनुषंगी | भारत | 51% |
| 7 | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) | अनुषंगी | भारत | 51% |
| 8 | केनरा बैंक (तंजानिया)लि. | अनुषंगी | तंजानिया | 100% |

बैंक की अनुषंगी कंपनी केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड अपने वित्तीय परिणाम अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ('इंड-एएस') के अनुसार तैयार करती है। बैंक अपने वैधानिक अनुपालन के प्रयोजनों के लिए भारतीय जीएपी के तहत अपने वित्तीय परिणाम तैयार करता है और प्रस्तुत करता है। इसलिए बैंक की अनुषंगी कंपनियाँ, बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों के प्रयोजनों के लिए, भारतीय जीएपी के अनुसार मान्यता और माप सिद्धांतों के आधार पर 'समेकन के लिए उपयुक्त जानकारी' तैयार करती हैं।

उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए) भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत संपत्ति के वित्त निर्माण के लिए एमएचआरडी, भारत सरकार (90.91%) और केनरा बैंक (9.09%) का एक संयुक्त उद्यम है। एचईएफए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 8 (लाभ के लिए नहीं) के अंतर्गत केंद्र सरकार की कंपनी और आरबीआई के साथ गैर-जमा लेने वाली एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। बाद में एमएचआरडी का नाम परिवर्तित कर एमओई (शिक्षा मंत्रालय) कर दिया गया।

SCHEDULE - 19

NOTES ON ACCOUNTS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

- The Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group comprises the result of the Canara Bank (Parent), and following Subsidiaries & Associates. The financial statements of the Subsidiaries / Associates are drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. year ended on March 31, 2024.

1.1 Subsidiaries

The following subsidiaries have been considered for consolidation based on their Audited Financial Statements:

| Sl. No. | Name of Company | Type of Incorporation | Country of Incorporation | Percentage of Ownership Interest |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | Canbank Venture Capital Fund Ltd. | Subsidiary | India | 100% |
| 2 | Canbank Financial Services Ltd. | Subsidiary | India | 100% |
| 3 | Canara Bank Securities Ltd. | Subsidiary | India | 100% |
| 4 | Canbank Factors Ltd. | Subsidiary | India | 70% |
| 5 | Canbank Computer Services Ltd. | Subsidiary | India | 69.14% |
| 6 | Canara Robeco Asset Management Company Ltd. | Subsidiary | India | 51% |
| 7 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. (Formerly Canara HSBC Oriental Bank Of Commerce Life Insurance Company Ltd.) | Subsidiary | India | 51% |
| 8 | Canara Bank (Tanzania) Ltd. | Subsidiary | Tanzania | 100% |

The Bank's subsidiary Canara Robeco Asset Management Company Ltd., prepares its financial results in accordance with the notified Indian Accounting Standards ('Ind-AS'). The Bank for the purposes of its statutory compliance prepares and presents its financial results under Indian GAAP. Hence the Bank's subsidiary companies, for the purposes of the consolidated financial results of the Bank, prepare 'fit-for-consolidation information' based on the recognition and measurement principles as per Indian GAAP.

Higher Education Financing Agency (HEFA) is a joint venture of MHRD, Government of India (90.91%) and Canara Bank (9.09%) for financing creation of capital assets in premier educational institutions in India. HEFA is registered under Section 8 (Not-for-profit) under the Companies Act 2013 as a Union Govt. company and as Non-deposit taking NBFC with RBI. Later on, MHRD has been renamed as MoE (Ministry of Education).

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) अब शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार ने विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण के लिए और देश के आईआईएम, आईआईटी, एम्स, आईआईएसईआर, आईआईएससी, एनआईटी आईआईआईटी आदि जैसे संस्थानों में अनुसंधान सुविधाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से, उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार के लिए एक विशेष उद्देश्य के माध्यम से एक मंच प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। इसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने 2000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी के साथ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी (एचईएफए) एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। शिक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने रुपये 1,000 करोड़ का योगदान दिया है और केनरा बैंक ने आनुपातिक रूप से रुपये 100 करोड़ का योगदान दिया है।

इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय (भूतपूर्व एमएचआरडी) ने एचईएफए इक्विटी आधार के मौजूदा अधिदेश और वित्तपोषित किए जाने वाले संस्थानों की श्रेणी का दायरा बढ़ाया। तदनुसार, अधिकृत पूंजी को रुपये 10,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें एमओई यथा 31.03.2024 तक रुपये 5,000 करोड़ की अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करेगा और केनरा बैंक 500 करोड़ रुपये का योगदान देगा, 31.03.2024 तक एमएचआरडी ने रुपये 4,812.50 करोड़ और केनरा बैंक ने रुपये 481.25 करोड़ का योगदान दिया है, कंपनी ने रुपये 19,968.26 करोड़ के वितरण के साथ रुपये 39,719.26 करोड़ की सीमा तक मीयादी ऋण स्वीकृत किए हैं। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर बैंक के सीएफएस में एचईएफए की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है:

- ए) समेकन के पीछे का इरादा अनुषंगी / संयुक्त उद्यम के मुनाफे, आय और संपत्ति को होल्डिंग / वेंचर कंपनी में अपने होल्डिंग / वेंचर के आधार पर विलय करना है। होल्डिंग / उद्यम कंपनी तकनीकी रूप से अपनी अनुषंगी / उद्यम की आनुपातिक संपत्ति (लाभ सहित) का मालिक है। जब हम उद्यम कंपनी को धारा 8 कंपनी के साथ समेकित करते हैं, हालांकि यह उद्यम कंपनी की संपत्ति की गलत तस्वीर दर्शाएगी, क्योंकि उद्यम कंपनी धारा 8 कंपनी के मुनाफे पर कभी भी किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। इसलिए समेकन का सवाल ही नहीं उठता।
- बी) एस 21 (समेकित वित्तीय विवरण) वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह नियंत्रण की परिभाषा को पूरा नहीं करता है।

The Ministry of Human Resources Development (MHRD) now Ministry of Education (MoE), GoI with an object to build world-class higher educational institutions and to set up research facilities, intended to provide a platform, through a special purpose vehicle, for improvement of the infrastructure standards of the higher educational institutions like IIM, IIT, AIIMS, IISER, IISc, NIT, IIITs etc of the country.

Based on this the MoE (erstwhile MHRD) proposed to set up Higher Education Financing Agency (HEFA) a Joint Venture Company with an initial authorized capital of ₹2,000 crore. MoE (erstwhile MHRD) has contributed ₹1,000 crore and Canara Bank has contributed proportionately ₹100 crore.

Subsequently, MoE (erstwhile MHRD) extended the scope of existing mandate of HEFA equity base and range of institutions to be financed. Accordingly, the authorized capital has been increased to ₹10,000 crore, wherein Govt. will provide an additional equity of ₹5,000 crore and Canara Bank will contribute ₹500 crore. As on 31.03.2024, MoE has infused Capital of ₹4,812.50 crore and Canara Bank has contributed ₹481.25 crore, respectively. As at 31.03.2024, Company has sanctioned Term Loans to the extent of ₹39,719.75 crore and has disbursed ₹19,968.26 crore. The financials of HEFA are not considered in the CFS of the Bank based the following facts:

- a) The intent behind consolidation is to merge the profits, income, and wealth of the subsidiary / JV into the holding / Venture company by the virtue of its holding / Venture. The holding / Venture company technically owns the proportionate wealth (including the profit) of its subsidiary/Ventur. When we consolidate the Venture company with a Section 8 Company, it will however depict a wrong picture of the wealth of the venture company, as the venture company can never claim any right over the profits of a Section 8 Company. Therefore, the question of consolidation does not arise.
- b) AS 21 (Consolidated Financial Statement) would not be applicable in the current case as this does not satisfy the definition of Control.

| स्वीकार किए जाने हेतु शर्तें | केनरा बैंक की स्थिति | प्रयोज्यता |
|---|---|---|
| 1.. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुषंगी कंपनियों (यों) के माध्यम से, एक उद्यम की मतदान शक्ति के आधे से अधिक का स्वामित्व | संयुक्त उद्यम सह शेयर धारक करार के अनुच्छेद 4.1 के अनुसार केनरा बैंक के पास केवल 9.09% हिस्सेदारी है जो मतदान शक्ति के एक-आधे की सीमा से बहुत कम है। | संतुष्ट नहीं |
| 2. किसी कंपनी के मामले में निदेशक मंडल की संरचना या संबंधित शासन की संरचना का नियंत्रण | संयुक्त उद्यम सह शेयरधारक करार के अनुच्छेद 9.1.1 के अनुसार, एचईएफए के निदेशक मंडल में 7 निदेशक शामिल हैं, जिनमें से केनरा बैंक के केवल दो निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक (एमडी) होंगे, बोर्ड में प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी प्रकार, उक्त समझौते के पैरा 8.2 के अनुसार, एमडी निदेशक मंडल के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशों के अधीन कार्य करेगा। | चूंकि, बैंक के पास नियंत्रणकारी नियंत्रक हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए बोर्ड की संरचना में स्थिति संतोषजनक नहीं है। |

| Conditions to satisfy | Canara Bank's position | Applicability |
|---|--|---|
| 1. The ownership, directly or indirectly through subsidiary(ies), of more than one-half of the voting power of an enterprise | As per Para 4.1 of the JV- cum-Shareholder Agreement, Canara Bank is holding only 9.09% which is much below the threshold of one-half of the voting power. | Not Satisfied |
| 2. Control of the composition of the board of directors in the case of a company or of the composition of the corresponding governing | As per Para 9.1.1 of the JV-cum-Shareholder Agreement, Board of Directors of HEFA consists of 7 directors, out of which only two directors of Canara Bank, one of whom will be Managing Director (MD), will represent in the Board. Similarly, as per Para 8.2 of the said agreement, MD shall function under the control, supervision and directions of the Board of Directors. | Since, the Bank is not having controlling stake in composition of Board the condition is not satisfied. |

सी) एएस 27 (संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग) एएस 27 के पैरा 28 (बी) के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण लागू नहीं होगा जो निम्नानुसार है:

संयुक्त उद्यम की स्वरूप के कारण, भले ही आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत हो, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक अलाभकारी कंपनी है, पैरा 28 के तहत प्रदान किए गए प्रतिबंध के कारण संयुक्त उद्यम को सीएफएस के लिए नहीं माना जाएगा (b) एएस 27 के रूप में पढ़ा जाता है जो "(b) एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में एक हित है जो गंभीर दीर्घकालिक प्रतिबंधों के तहत काम करता है जो उद्यमी को धन अंतरण करने की क्षमता को काफी कम कर देता है।"

ऐसी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई में ब्याज को लेखांकन मानक (एएस) 13, निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार निवेश के रूप में माना जाना चाहिए।"

संयुक्त उद्यम के गठन का इरादा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत धारा 8 कंपनी को शामिल करना है (संयुक्त उद्यम सह शेयर

c) AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) would not be applicable due to the restriction provided under para 28 (b) of AS 27 which read as under:

Due to the nature of the JV, even if registered as NBFC with RBI, which is a not-for-profit company registered U/s 8 of Companies Act, 2013, the JV would not be considered for CFS due to the restriction provided under Para 28 (b) of AS 27 which read as "(b) an interest in a jointly controlled entity which operates under severe long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the venturer".

Interest in such a jointly controlled entity should be accounted for as an investment in accordance with Accounting Standard (AS) 13, Accounting for Investments."

The intent of forming of the JV is incorporating a Section 8 Company under the provisions of Companies Act,

धारक समझौते के पृष्ठ 2 का खंड सी)। इसके अलावा, उल्लिखित समझौते के पैरा 4.4 और पैरा 8.4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि लाभ इक्विटी का हिस्सा होगा और जो दर्शाता है कि दीर्घकालिक प्रतिबंध हैं जो बैंक को धन हस्तांतरण करने की क्षमता को काफी कम कर देते हैं।

इसके अलावा, एएस 27 के पैरा 12 और 13 में कहा गया है: "12. संयुक्त रूप से नियंत्रित संचालन में अपने हितों के संबंध में, एक उद्यमी को अपने अलग-अलग वित्तीय विवरणों में और इसके परिणामस्वरूप अपने समेकित वित्तीय विवरणों में पहचान करनी चाहिए:

- (i) वे संपत्तियां जिन पर यह नियंत्रण रखता है और जिन देनदारियों पर यह खर्च करता है; और
- (ii) वह खर्च जो वह करता है और आय का उसका हिस्सा जो वह संयुक्त उद्यम से कमाता है।

चूंकि उद्यमकर्ता के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में संपत्ति, देनदारियों, आय और व्यय पहले से ही पहचाने जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों में, इन मदों के संबंध में कोई समायोजन या अन्य समेकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जब उद्यमी समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है।

चूंकि बैंक अपनी आय में वेंचर से प्राप्त शुल्क को अपनी जनशक्ति और अन्य संसाधनों के साथ उद्यम के प्रबंधन की लागत के लिए खाता है और निवेश के रूप में सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी को भी मान्यता देता है, समेकन की आगे की प्रक्रिया / समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त कारणों को देखते हुए बैंक ने सीएफएस में एएस 21 या एएस 27 के तहत संयुक्त उद्यम पर विचार नहीं किया है।

2013 (Clause C of page 2 of the JV-cum-Shareholder Agreement). Further, Para 4.4 and Para 8.4 of the captioned agreement, it is clearly mentioned that the profit shall form part of the equity and which demonstrates that there are long-term restrictions that significantly impair its ability to transfer funds to the Bank.

Also, Para 12 and 13 of AS 27 states as under: "12. In respect of its interests in jointly controlled operations, a venturer should recognise in its separate financial statements and consequently in its consolidated financial statements:

- (i) the assets that it controls and the liabilities that it incurs; and
- (ii) the expenses that it incurs and its share of the income that it earns from the joint venture.

Because the assets, liabilities, income and expenses are already recognised in the separate financial statements of the venturer, and consequently in its consolidated financial statements, no adjustments or other consolidation procedures are required in respect of these items when the venturer presents consolidated financial statements."

Since the bank accounts in its income the fees received from the Venture towards the cost of managing the Venture with its manpower and other resources and also recognizes the subscribed share capital as investment, the further procedure / adjustment of consolidation is not required.

In view of the above reasons the Bank has not considered the JV in CFS either under AS 21 or AS 27.

1.2. सहयोगी संस्थाएं:

i. निम्नलिखित संस्थाएं में निवेश को उनके वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकन के उद्देश्य से माना गया है:

| क्र. सं. | सहयोगी संस्थाओं के नाम | लेखापरीक्षित / अलेखापरीक्षित | निगमिति देश | यथा 31.03.2024 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%) | यथा 31.03.2023 को स्वामित्व हित का प्रतिशत (%) |
|----------|--|------------------------------|-------------|--|--|
| 1 | केनफिन होम्स लि. | लेखापरीक्षित | भारत | 29.99% | 29.99% |
| 2 | कर्नाटक ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक) | अलेखापरीक्षित | भारत | 35.00% | 35.00% |
| 3 | केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक) | लेखापरीक्षित | भारत | 35.00% | 35.00% |
| 4 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक | अलेखापरीक्षित | भारत | 35.00% | 35.00% |
| 5 | आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक | लेखापरीक्षित | भारत | 35.00% | 35.00% |

1.2 Associates:

i. The investment in the following Associates have been considered for the purpose of consolidation based on their Financial Statements:

| Sl. No. | Name of the Associate | Audited/ Unaudited | Country of Incorporation | Percentage of Ownership Interest (%) as on 31.03.2024 | Percentage of Ownership Interest (%) as on 31.03.2023 |
|---------|--|--------------------|--------------------------|---|---|
| 1. | Canfin Homes Ltd. | Audited | India | 29.99% | 29.99% |
| 2. | Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank) | Unaudited | India | 35.00% | 35.00% |
| 3. | Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank) | Audited | India | 35.00% | 35.00% |
| 4. | Karnataka Vikas Grameena Bank | Unaudited | India | 35.00% | 35.00% |
| 5. | Andhra Pragathi Grameena Bank | Audited | India | 35.00% | 35.00% |

2. अनुषंगी और सहयोगी प्रचलित कानून और प्रथा के अनुसार लगातार लेखांकन नीतियों का पालन कर रहे हैं, जो संबंधित उद्योग / व्यवसाय / देश की आवश्यकताओं के कारण कुछ मामलों में मूल से भिन्न हैं। प्रबंधन की राय में, क्योंकि इसका प्रभाव भौतिक नहीं है, समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

2. The Subsidiaries and Associates are following Accounting Policies consistently as per the prevalent law and practice, which are different from Parent in a few cases because of respective industry / business / country requirements. In the opinion of the management, as the impact of the same is not material, no adjustment is required in Consolidated Financial Statements.

3. विभिन्न अनुषंगियों के अधिग्रहण से प्राप्त पूंजी आरक्षित निधियां / (गुडविल / सुनाम) की अलग विवरणी निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

| अनुषंगी का नाम | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--------------------------------|------------|------------|
| केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड | 2.54 | 2.54 |
| केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लि. | 0.25 | 0.25 |
| निवल पूंजी आरक्षित निधियां | 2.79 | 2.79 |

4. अंतरशाखा लेनदेन और लेखा शेषों का पुष्टिकरण :

अंतर कार्यालय समाशोधन लेखा के माध्यम से संपूर्ण बैंक हेतु कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के आधार पर प्रणाली द्वारा स्वतः प्रधान बैंक के अंतर शाखा / कार्यालय संव्यवहारों के तहत प्रविष्टियों का मिलान व सेटिंग किया गया है।

कुछ समूह कंपनियों के संबंध में विविध लेनदार, विविध देनदार, ऋण और अग्रिम आदि के शेष का पुष्टिकरण किया जाना है।

5. केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड (केनफिना):

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। कंपनी अधिनियम, 2013 के 133, (कंपनी लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करती है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन नीतियों और यू/एस के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करती है। कंपनी लंबित अदालती मामलों में वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी प्राथमिक एनबीएफसी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे रही है और तदनुसार 31 मार्च 2023 को बैंक के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए खाते तैयार किए जा रहे हैं।

कंपनी अदालत में लंबित मामलों में वसूली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन ने नकदी प्रक्षेपण के समर्थन से अपनी कार्यशील पूंजी पर्याप्तता का आकलन किया है। प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास अपने परिचालन को वित्तपोषित करने के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी होगी और प्रबंधन का मानना है कि कंपनी की चालू संस्था के आधार पर जारी रखने की क्षमता पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

3. The break-up of Capital Reserve / (Goodwill) arising on the acquisition of various Subsidiaries is as under:

(Amounts ₹ in Crore)

| Name of the Subsidiary | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Canbank Factors Limited | 2.54 | 2.54 |
| Canbank Computer Services Ltd. | 0.25 | 0.25 |
| Net Capital Reserve | 2.79 | 2.79 |

4. Inter-branch transactions and confirmation of balances:

The matching and setting of entries under Inter-Branch / office transactions of the Parent Bank are carried out by the system itself based on Core Banking Solutions (CBS) for the whole of the Bank through Inter Office Adjustment account.

In some of the Group Companies, balances in Sundry Creditors, Sundry Debtors, Loans and Advances etc. are subject to confirmation.

5. Canbank Financial Services Limited (CANFINA):

The company was registered as NBFC under Sec 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. The company follows mercantile system of accounting and complies with generally accepted accounting policies in India and Accounting Standards specified u/s. 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the (Companies Accounts) Rules 2014. Accounts are prepared on going concern basis in spite of the fact that the company is not carrying out the primary NBFC activities.

The company is concentrating on recovery in pending court cases. In the preparation of financial statements, the management has made an assessment on its working capital sufficiency with the support of cash projection. The management has concluded that the company shall have sufficient working capital to finance their operations and the management believes that there no material uncertainty exists over the ability of the company to continue on a going concern basis.

6. संबद्ध पार्टी का प्रकटन :

6.1 संबद्ध पार्टियों की सूची और बैंक के साथ उनका संबंध - प्रधान - केनरा बैंक

6.1.1 मुख्य प्रबंधन कार्मिक

- i) श्री के. सत्यनारायण राजु, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- ii) श्री देबाशीष मुखर्जी, कार्यपालक निदेशक
- iii) श्री अशोक चंद्र, कार्यपालक निदेशक
- iv) श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया, कार्यपालक निदेशक
- v) श्री भवेन्द्र कुमार, कार्यपालक निदेशक
- vi) श्री बृज मोहन शर्मा, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक
- vii) श्री एल वी प्रभाकर (भूतपूर्व प्रबंध निदेशक व सीईओ)
- viii) सुश्री मणिमेखलै ए, पूर्व कार्यपालक निदेशक
- ix) श्री मातम वेंकट राव, पूर्व कार्यपालक निदेशक
- x) श्री कृष्णन एस, पूर्व कार्यपालक निदेशक
- xi) श्री एस के मजूमदार, समूह मुख्य वित्त अधिकारी
- xii) श्री संतोष कुमार बारिक, कंपनी सचिव (21 अप्रैल 2023 से)
- xiii) श्री विनय मोहता (20.04.2023 तक भूतपूर्व कंपनी सचिव)

6.1.2 मूल संस्था

- i) केनरा बैंक

6.1.3 अनुषंगियाँ

| | |
|---|--|
| 1 | केनबैंक फाइनेंशिएल सर्विसेज़ लिमिटेड |
| 2 | केनबैंक वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड |
| 3 | केनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड |
| 4 | केनरा रोबेको आस्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड |
| 5 | केनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज़ लिमिटेड |
| 6 | केनरा बैंक सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड (पहले गिल्ट सेक्यूरिटीज़ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड) |
| 7 | केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) |
| 8 | केनरा बैंक (तंजानिया) लिमि. |

6. Related Party Disclosures:

6.1 Names of Related parties and their relationship with the Bank - Parent - Canara Bank

6.1.1 Key Management Personnel

- i) Shri. K Satyanarayana Raju, Managing Director & Chief Executive Officer
- ii) Shri. Debashish Mukherjee, Executive Director
- iii) Shri. Ashok Chandra, Executive Director
- iv) Shri. Hardeep Singh Ahluwalia, Executive Director
- v) Shri. Bhavendra Kumar, Executive Director
- vi) Shri. Brij Mohan Sharma, Ex-Executive Director
- vii) Shri. L V Prabhakar (Ex-Managing Director & CEO)
- viii) Ms. Manimekhalai A, Ex-Executive Director
- ix) Shri. Matam Venkata Rao, Ex-Executive Director
- x) Shri. Krishnan S, Ex-Executive Director
- xi) Shri. S K Majumdar, Group Chief Finance Officer
- xii) Shri. Santosh Kumar Barik, Company Secretary (w.e.f. from 21st April 2023)
- xiii) Shri. Vinay Mohta (Ex-Company Secretary till 20.04.2023)

6.1.2 Parent

- i) Canara Bank

6.1.3 Subsidiaries

| | |
|---|--|
| 1 | Canbank Financial Services Ltd. |
| 2 | Canbank Venture Capital Fund Ltd. |
| 3 | Canbank Factors Ltd. |
| 4 | Canara Robecco Asset Management Company Ltd. |
| 5 | Canbank Computer Services Ltd. |
| 6 | Canara Bank Securities Ltd. (formerly GILT Securities Trading Corpn. Ltd.) |
| 7 | Canara HSBC Life Insurance Company Ltd. (Formerly Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Ltd.) |
| 8 | Canara Bank (Tanzania) Ltd. |

6.1.4 सहयोगी संस्थाएं

| | |
|---|---|
| 1 | केनफिन होम्स लिमिटेड |
| | बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक |
| 1 | कर्नाटक ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक) |
| 2 | केरल ग्रामीण बैंक (भूतपूर्व दक्षिण मलाबार ग्रामीण बैंक) |
| 3 | कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक |
| 4 | आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक |

6.1.4 Associates

| | |
|---|---|
| 1 | Canfin Homes Ltd. |
| | Regional Rural Banks Sponsored by the Bank: |
| 1 | Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank) |
| 2 | Kerala Gramin Bank (Erstwhile South Malabar Gramin Bank) |
| 3 | Karnataka Vikas Grameena Bank |
| 4 | Andhra Pragathi Grameena Bank |

6.1.5 मुख्य प्रबंधन कार्मिक के लेनदेनों का प्रकटीकरण निम्नवत है:

मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के लिए पारिश्रमिक मानदेय निम्नानुसार है:

(₹ में)

| मुख्य प्रबंधन कार्मिक का नाम | पदनाम | 2023-24 | 2022-23 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| श्री के. सत्यनारायण राजु | प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 38,61,277.58 | 39,76,235.79 |
| श्री देबाशीष मुखर्जी | कार्यपालक निदेशक | 36,18,756.00 | 42,67,509.00 |
| श्री अशोक चंद्र | कार्यपालक निदेशक | 34,61,076.00 | 12,46,952.00 |
| श्री भवेन्द्र कुमार (09.10.2023 से) | कार्यपालक निदेशक | 15,72,693.17 | - |
| श्री हरदीप सिंह अहलूवालिया | कार्यपालक निदेशक | 31,12,162.57 | 4,67,257.15 |
| श्री एल वी प्रभाकर (पीएलआई बकाया का भुगतान अक्टूबर 2023 में किया गया) | भूतपूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी | - | 71,21,435.00 |
| सुश्री मणिमेखलै ए | भूतपूर्व - कार्यपालक निदेशक | - | 12,86,885.20 |
| श्री बृज मोहन शर्मा | कार्यपालक निदेशक | 40,42,310.00 | 40,48,869.70 |
| श्री मातम वेंकट राव | भूतपूर्व - कार्यपालक निदेशक | - | 96,577.13 |
| श्री कृष्णन एस | भूतपूर्व - कार्यपालक निदेशक | - | 1,18,694.71 |
| श्री एस के मजूमदार | समूह मुख्य वित्त अधिकारी (जीसीएफओ) | 41,29,546.44 | 35,89,797.68 |
| श्री संतोष कुमार बारिक (21.04.2023 से) | बैंक का कंपनी सचिव | 23,72,882.88 | - |
| श्री विनय मोहता (20.04.2023 तक) | भूतपूर्व - बैंक का कंपनी सचिव | 1,40,595.05 | 25,70,125.94 |
| | कुल | 2,63,11,299.69 | 2,87,90,339.30 |

लेखांकन मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधन कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिस्तेदारों के लेन-देन सहित बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेन-देन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

6.1.5 Disclosure about transactions with Key Management Personnel is as under:

Remuneration to Key Management Personnel is as under:

(Amounts in ₹)

| NAME & PERIOD | DESIGNATION | 2023-24 | 2022-23 |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Shri. K SATYANARAYANA RAJU | Managing Director & Chief Executive Officer | 38,61,277.58 | 39,76,235.79 |
| Shri. DEBASHISH MUKHERJEE | Executive Director | 36,18,756.00 | 42,67,509.00 |
| Shri. ASHOK CHANDRA | Executive Director | 34,61,076.00 | 12,46,952.00 |
| Shri. BHAVENDRA KUMAR (From 09.10.2023) | Executive Director | 15,72,693.17 | - |
| Shri. HARDEEP SINGH AHLUWALIA | Executive Director | 31,12,162.57 | 4,67,257.15 |
| Shri. L V PRABHAKAR (PLI arrears paid in October 2023) | Ex-Managing Director & Chief Executive Officer | - | 71,21,435.00 |
| Ms. MANIMEKHALAI A | Ex-Executive Director | - | 12,86,885.20 |
| Shri. BRIJ MOHAN SHARMA | Ex-Executive Director | 40,42,310.00 | 40,48,869.70 |
| Shri. MATAM VENKATA RAO | Ex-Executive Director | - | 96,577.13 |
| Shri. KRISHNAN S | Ex-Executive Director | - | 1,18,694.71 |
| Shri. S K MAJUMDAR | Group Chief Financial Officer (GCFO) | 41,29,546.44 | 35,89,797.68 |
| Shri. SANTOSH KUMAR BARIK (From 21.04.2023) | Company Secretary of the Bank | 23,72,882.88 | - |
| Shri. VINAY MOHTA (Till 20.04.2023) | Ex-Company Secretary of the Bank | 1,40,595.05 | 25,70,125.94 |
| | Total | 2,63,11,299.69 | 2,87,90,339.30 |

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed.

7. प्रति शेयर आय:

7.1 प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय:

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|----------------------------|---------|---------|
| बेसिक और मिश्रित ईपीएस (₹) | 84.22 | 62.04 |

7. Earnings per Share:

7.1 Basic and Diluted Earnings per Share:

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---------------------------|---------|---------|
| Basic and Diluted EPS (₹) | 84.22 | 62.04 |

7.2 ईपीएस की गणना:

| | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|----|---|----------|----------|
| ए | इक्विटी शेयरधारकों के फलस्वरूप वर्ष के लिए निवल लाभ /(हानि) (करोड़ रुपये में) | 15278.56 | 11254.74 |
| बी | इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़) | 181.43 | 181.43 |
| सी | 31 मार्च को बकाया शेयरों की संख्या (करोड़) | 181.43 | 181.43 |
| डी | प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (ए / बी) (₹) | 84.22 | 62.04 |
| ई | प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹) | 10.00 | 10.00 |

7.2 Computation of EPS:

| | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|----------|----------|
| A | Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders (₹ in Crore) | 15278.56 | 11254.74 |
| B | Weighted Average Number of Equity Shares (Crore) | 181.43 | 181.43 |
| C | No. of Shares outstanding as on 31 st March (Crore) | 181.43 | 181.43 |
| D | Basic and Diluted Earnings per Share (A / B) (₹) | 84.22 | 62.04 |
| E | Nominal Value per Share (₹) | 10.00 | 10.00 |

8. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण: (₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|-----------------|-----------------|
| निवेश और एनपीआई पर मूल्यहास का प्रावधान | 910.92 | 2801.71 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 9007.35 | 9739.17 |
| मानक संपत्ति के लिए प्रावधान | 232.36 | 338.86 |
| कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 5217.20 | 3618.86 |
| उचित मूल्य में कमी का प्रावधान | -125.36 | -267.46 |
| संदिग्ध आस्तियों की वसूली का प्रावधान | 47.01 | -29.02 |
| देश के जोखिम एक्सपोजर के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 |
| अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं - निवल | -361.35 | 964.36 |
| कुल | 14928.13 | 17166.48 |

8. Details of Provisions and Contingencies made during the year: (₹ in Crore)

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|--|-----------------|-----------------|
| Provision for Depreciation on Investment and NPI | 910.92 | 2801.71 |
| Provision towards NPA | 9007.35 | 9739.17 |
| Provision towards Standard Asset | 232.36 | 338.86 |
| Provision for Tax - (Including Deferred Tax) | 5217.20 | 3618.86 |
| Provision for Diminution in Fair Value | -125.36 | -267.46 |
| Provision for Assets doubtful of Recovery | 47.01 | -29.02 |
| Provision for Country Risk Exposure | 0.00 | 0.00 |
| Other Provision and Contingencies - Net | -361.35 | 964.36 |
| TOTAL | 14928.13 | 17166.48 |

9. समेकित खंड रिपोर्टिंग

पार्ट ए - कारोबार खंड

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | समाप्त वर्ष | |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|
| | | 31.03.2024 (लेखापरीक्षित) | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित) |
| (1) | राजस्व क्षेत्र | | |
| ए | राजकोषीय परिचालन | 24,628.54 | 21,972.71 |
| बी | खुदरा बैंकिंग परिचालन | 60,870.89 | 48,055.07 |
| | (i) डिजीटल बैंकिंग | 1.55 | 0.15 |
| | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग | 60,869.34 | 48,054.92 |
| सी | थोक बैंकिंग परिचालन | 42,161.81 | 32,741.89 |
| डी | जीवन बीमा परिचालन | 11,503.69 | 8,440.09 |
| ई | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| एफ | गैर - आबंटित | - | - |
| | कुल | 1,39,164.93 | 1,11,209.76 |
| | घटाये : अंतर क्षेत्र राजस्व परिचालनों से आय | 1,39,164.93 | 1,11,209.76 |
| (2) | खंड परिणाम | | |
| ए | राजकोषीय परिचालन | 4,659.00 | 4,632.96 |
| बी | खुदरा बैंकिंग परिचालन | 16,652.59 | 11,649.53 |
| | (i) डिजीटल बैंकिंग | (4.31) | (2.66) |
| | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग | 16,656.90 | 11,652.19 |
| सी | थोक बैंकिंग परिचालन | (1,425.35) | (1,955.65) |
| डी | जीवन बीमा परिचालन | 113.32 | 99.82 |
| ई | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| | कुल | 19,999.56 | 14,426.66 |
| एफ | असंबद्ध आय/व्यय (प्रावधानों और आकस्मिकताओं सहित) | - | - |
| | कर पूर्व कुल लाभ | 19,999.56 | 14,426.66 |
| | आय कर | 5,217.20 | 3,618.86 |
| | निवल लाभ | 14,782.36 | 10,807.80 |
| | जोड़ें: सहयोगी संस्था में कमाई का हिस्सा | 618.56 | 536.79 |
| | घटाएँ : अल्पसंख्यक हित | 122.35 | 89.84 |
| | समेकित निवल लाभ | 15,278.57 | 11,254.75 |
| (3) | आस्ति क्षेत्र | | |
| ए | राजकोषीय परिचालन | 4,08,277.75 | 3,70,108.00 |
| बी | खुदरा बैंकिंग परिचालन | 5,28,695.36 | 4,41,612.80 |
| | (i) डिजीटल बैंकिंग | 23.43 | 3.44 |
| | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग | 5,28,671.93 | 4,41,609.36 |
| सी | थोक बैंकिंग परिचालन | 5,20,333.99 | 4,81,284.78 |
| डी | जीवन बीमा परिचालन | 38,750.83 | 31,309.95 |
| ई | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| एफ | गैर आबंटित आस्तियां | 38,959.72 | 56,714.03 |
| | कुल आस्ति | 15,35,017.65 | 13,81,029.56 |

9. Consolidated Segment Reporting

Part A - Business Segment

(₹ in Crore)

| | PARTICULARS | YEAR ENDED | |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|
| | | 31.03.2024 (Audited) | 31.03.2023 (Audited) |
| (1) | Segment Revenue | | |
| a | Treasury Operations | 24,628.54 | 21,972.71 |
| b | Retail Banking Operations | 60,870.89 | 48,055.07 |
| | (i) Digital Banking | 1.55 | 0.15 |
| | (ii) Other Retail Banking | 60,869.34 | 48,054.92 |
| c | Wholesale Banking Operations | 42,161.81 | 32,741.89 |
| d | Life Insurance Operation | 11,503.69 | 8,440.09 |
| e | Other Banking Operations | - | - |
| f | Unallocated | - | - |
| | Total | 1,39,164.93 | 1,11,209.76 |
| | Less: Inter-Segment Revenue | - | - |
| | Income from Operations | 1,39,164.93 | 1,11,209.76 |
| (2) | Segment Results | | |
| a | Treasury Operations | 4,659.00 | 4,632.96 |
| b | Retail Banking Operations | 16,652.59 | 11,649.53 |
| | (i) Digital Banking | (4.31) | (2.66) |
| | (ii) Other Retail Banking | 16,656.90 | 11,652.19 |
| c | Wholesale Banking Operations | (1,425.35) | (1,955.65) |
| d | Life Insurance Operation | 113.32 | 99.82 |
| e | Other Banking Operations | - | - |
| | Total | 19,999.56 | 14,426.66 |
| f | Unallocated Income/ Expenses (including Provisions and Contingencies) | - | - |
| | Total Profit Before Tax | 19,999.56 | 14,426.66 |
| | Income Tax | 5,217.20 | 3,618.86 |
| | Net Profit | 14,782.36 | 10,807.80 |
| | Add Share of Associate Profit | 618.56 | 536.79 |
| | Less: MI | 122.35 | 89.84 |
| | Consolidated Net profit | 15,278.57 | 11,254.75 |
| (3) | Segment Assets | | |
| a | Treasury Operations | 4,08,277.75 | 3,70,108.00 |
| b | Retail Banking Operations | 5,28,695.36 | 4,41,612.80 |
| | (i) Digital Banking | 23.43 | 3.44 |
| | (ii) Other Retail Banking | 5,28,671.93 | 4,41,609.36 |
| c | Wholesale Banking Operations | 5,20,333.99 | 4,81,284.78 |
| d | Life Insurance Operation | 38,750.83 | 31,309.95 |
| e | Other Banking Operations | - | - |
| f | Unallocated Assets | 38,959.72 | 56,714.03 |
| | Total Assets | 15,35,017.65 | 13,81,029.56 |

| (4) देयता क्षेत्र | | | |
|-------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ए | राजकोषीय परिचालन | 3,79,860.28 | 3,40,422.87 |
| बी | खुदरा बैंकिंग परिचालन | 4,76,773.56 | 4,15,293.01 |
| | (i) डिजीटल बैंकिंग | 17.89 | 6.51 |
| | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग | 4,76,755.66 | 4,15,286.50 |
| सी | थोक बैंकिंग परिचालन | 5,15,776.21 | 4,79,259.30 |
| डी | जीवन बीमा परिचालन | 37,331.95 | 29,956.89 |
| ई | अन्य बैंकिंग परिचालन | | - |
| एफ | गैर आबटित आस्तियां | 32,141.97 | 37,139.95 |
| | कुल देयता | 14,41,883.97 | 13,02,072.02 |
| (5) लगी हुई पूंजी | | | |
| ए | राजकोषीय परिचालन | 28,417.46 | 29,685.13 |
| बी | खुदरा बैंकिंग परिचालन | 51,921.80 | 26,319.79 |
| | (i) डिजीटल बैंकिंग | 5.54 | (3.07) |
| | (ii) अन्य खुदरा बैंकिंग | 51,916.27 | 26,322.86 |
| सी | थोक बैंकिंग परिचालन | 4,557.78 | 2,025.48 |
| डी | जीवन बीमा परिचालन | 1,418.88 | 1,353.07 |
| ई | अन्य बैंकिंग परिचालन | - | - |
| एफ | गैर आबटित आस्तियां | 6,817.74 | 19,574.08 |
| | कुल नियोजित पूंजी | 93,133.66 | 78,957.54 |

| (4) Segment Liabilities | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| a | Treasury Operations | 3,79,860.28 | 3,40,422.87 |
| b | Retail Banking Operations | 4,76,773.56 | 4,15,293.01 |
| | (i) Digital Banking | 17.89 | 6.51 |
| | (ii) Other Retail Banking | 4,76,755.66 | 4,15,286.50 |
| c | Wholesale Banking Operations | 5,15,776.21 | 4,79,259.30 |
| d | Life Insurance Operation | 37,331.95 | 29,956.89 |
| e | Other Banking Operations | | - |
| f | Unallocated Liabilities | 32,141.97 | 37,139.95 |
| | Total Liabilities | 14,41,883.97 | 13,02,072.02 |
| (5) Capital Employed | | | |
| a | Treasury Operations | 28,417.46 | 29,685.13 |
| b | Retail Banking Operations | 51,921.80 | 26,319.79 |
| | (i) Digital Banking | 5.54 | (3.07) |
| | (ii) Other Retail Banking | 51,916.27 | 26,322.86 |
| c | Wholesale Banking Operations | 4,557.78 | 2,025.48 |
| d | Life Insurance Operation | 1,418.88 | 1,353.07 |
| e | Other Banking Operations | - | - |
| f | Unallocated | 6,817.74 | 19,574.08 |
| | Total Capital Employed | 93,133.66 | 78,957.54 |

पार्ट बी - भौगोलिक खंड:

(₹ करोड़ में)

| | विवरण | समाप्त वर्ष | |
|----|----------------|---------------------|---------------------|
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| ए | राजस्व | | |
| | घरेलू | 1,32,696.85 | 107,344.38 |
| | अंतर्राष्ट्रीय | 6,468.09 | 3,865.38 |
| | कुल | 1,39,164.94 | 111,209.76 |
| बी | आस्तियां | | |
| | घरेलू | 14,22,643.35 | 1,263,546.93 |
| | अंतर्राष्ट्रीय | 1,12,374.29 | 117,482.63 |
| | कुल | 15,35,017.64 | 1,381,029.56 |

Part B - Geographical Segment:

(₹ in Crore)

| | PARTICULARS | YEAR ENDED | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|
| | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| a | Revenue | | |
| | Domestic | 1,32,696.85 | 107,344.38 |
| | International | 6,468.09 | 3,865.38 |
| | Total | 1,39,164.94 | 111,209.76 |
| b | Assets | | |
| | Domestic | 14,22,643.35 | 1,263,546.93 |
| | International | 1,12,374.29 | 117,482.63 |
| | Total | 15,35,017.64 | 1,381,029.56 |

10. अनुषंगी, सहयोगी संस्थाएं और संयुक्त उद्यम के संचित लाभ/हानि में मूल संस्था के हिस्से की गणना के बाद समूह का समेकित आरक्षित निधियां ₹90,319.10 करोड़ है, जिसमें से ₹85,140.46 करोड़ मूल संस्था से संबंधित है और शेष ₹5,178.64 करोड़ अनुषंगी और सहयोगी से संबंधित है (पिछले वर्ष 78,416.58 करोड़ रुपये जिसमें से 73,970.00 करोड़ रुपये मूल संस्था से संबंधित हैं और शेष 4,446.58 करोड़ रुपये अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम से संबंधित हैं)।

10. The consolidated Reserves of the Group after reckoning Parent's share of accumulated profit / loss of Subsidiaries, Associates and Joint Ventures amount to ₹90,319.10 crore, of which ₹85,140.46 crore relates to the Parent and the balance ₹5,178.64 crore relates to the Subsidiaries & Associates (Previous year: ₹78,416.58 crore, of which ₹73,970.00 crore relates to the Parent and the balance ₹4,446.58 crore relates to the Subsidiaries, Associates and Joint Ventures)

मूल संस्था और अनुषंगियों के प्रत्येक वित्तीय विवरणी में प्रकटित अतिरिक्त सांविधिक सूचना के समेकित वित्तीय विवरणी का सत्य एवं निष्पक्ष राय पर कोई प्रभाव नहीं है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरण को दृष्टि में रखते हुए वैसे मदों की सूचना, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटन नहीं किया है।

11. लेखांकन मानक 28 - आस्तियों की हानि:

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह अपेक्षा करते हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली-योग्य नहीं है तो वर्ष के समापन पर आस्तियों के हानि की समीक्षा की जाती है। धारित व प्रयुक्त की जाने वाली आस्ति की वसूली-योग्यता को आस्ति के वहन राशि से आस्ति द्वारा उत्पन्न होने हेतु संभावित फ्यूचर निवल भुनाये गये नकद प्रवाह की तुलना कर मापा जाना है। यदि ऐसी आस्ति को हानि माना जाए तो उस हानि को आस्ति के वसूली-योग्य राशि से अधिक हुए आस्ति के वहन राशि द्वारा मान्यता दी जानी है और तदनुसार मापा जाना है। यद्यपि, बैंक के प्रबन्धन की राय में जिस वर्ष में लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों की हानि" लागू है, उस वर्ष के दौरान आस्तियों के भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है।

12. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार ने केरल ग्रामीण बैंक को आरआरबी अधिनियम, 1976 में निर्धारित 50:35:15 के अनुपात में भारत सरकार, केनरा बैंक और केरल सरकार द्वारा योगदान के लिए 130.65 करोड़ रुपये की पूंजी देने की मंजूरी दी। तदनुसार, बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय डीओ नंबर 3/9/2020-आरआरबी दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से केरल ग्रामीण बैंक में 45.73 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है और शेयर आवंटन के लिए लंबित थे और भारत सरकार से पूंजी के आनुपातिक हिस्से की प्राप्ति के बाद आवंटित किए जाएंगे।
13. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, केनरा बैंक ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल ₹3,403.00 करोड़ रुपये के बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर I बाण्ड जारी किए हैं।
14. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्व्यवस्थित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

Additional statutory information disclosed in individual financial statements of the Parent and Subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements in view of the general clarification issued by the ICAI.

11. Accounting Standard 28 - Impairment of Assets:

Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

12. During the FY 2022-23, the Central Government approved capital infusion of ₹130.65 crore to Kerala Gramin Bank to be contributed by Government of India, Canara Bank and Government of Kerala in the ratio of 50:35:15 as prescribed in the RRB Act, 1976. Accordingly, Bank has infused a capital of ₹45.73 Crores in Kerala Gramin Bank vide GOI, Ministry of Finance DO. No 3/9/2020-RRB dated 29.03.2023 and the shares were pending for allotment and will be allotted after receipt of proportionate share of capital from GOI.
13. During the FY 2023-24, Canara Bank has issued Basel III Compliant Additional Tier I Bonds aggregating to ₹3,403.00 crore through private placement.
14. Figures of the previous year have been regrouped / rearranged / reclassified wherever necessary.

यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरणी
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2024

(₹ करोड़ में/₹ in Crore)

| | 31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित / Audited) |
|--|---|---|
| I. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | | |
| कर के बाद निवल लाभ / Net Profit After Taxes | 15,278.57 | 11,254.75 |
| जोड़ें: कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर के लिए समावेशी प्रावधान) / Add: Provision for Tax (Incl. Provision for Deferred Tax) | 5,217.20 | 3,618.86 |
| कर के पूर्व निवल लाभ / Net Profit Before Taxes | 20,495.77 | 14,873.61 |
| समायोजन हेतु: / <u>ADJUSTMENTS FOR:</u> | | |
| मूल्यहास / Depreciation | 901.73 | 1,020.96 |
| निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ / (हानि) / (Profit) / Loss on Revaluation of Investments | (2,779.39) | (401.50) |
| उचित मूल्य और एनपीए में कमी के लिए प्रावधान / Provision for Diminution in Fair Value and NPAs | 8,881.98 | 9,471.70 |
| अरक्षित विदेशी मुद्रा प्रावधान सहित मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Standard assets including unhedged foreign currency provision | 207.64 | 338.87 |
| टियर I और टियर II बांड पर ब्याज / Interest on Tier I and Tier II bonds | 2,560.52 | 2,425.46 |
| आकस्मिक और अन्य के लिए प्रावधान / Provision for contingencies and others | (289.63) | 935.33 |
| निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit) / Loss on sale of Investment | (1,918.59) | (1,437.18) |
| अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ / हानि / (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets | (16.31) | (308.80) |
| निवेश मूल्यहास / (अधिमूल्यन) और एनपीआई के लिए प्रावधान / Provision for investment depreciation / (appreciation) & NPI | 949.92 | 2,801.72 |
| कुल योग / Sub total | 8,497.87 | 14,846.56 |
| समायोजन हेतु: / <u>ADJUSTMENTS FOR :</u> | | |
| जमा में वृद्धि / (कमी) / (Increase) / Decrease in Investments | (41,976.88) | (41,930.78) |
| अग्रिम में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Advances | (1,09,739.38) | (1,36,536.83) |
| उधार में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Borrowings | (1,438.61) | 7,738.22 |
| जमा में (वृद्धि) / कमी / Increase / (Decrease) in Deposits | 1,33,155.99 | 92,745.53 |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase) / Decrease in Other Assets | 2,316.14 | 4,018.59 |
| अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions | 6,529.76 | 8,385.40 |
| अल्पांश हित में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Minority Interest | 96.65 | 79.10 |
| | (11,056.33) | (65,500.77) |
| घटाएं : निवल आयकर (प्रदत्त) / प्रतिदेय / Less: Net Income Tax (Paid) / Refund | (2,890.81) | (4,197.27) |
| परिचालन गतिविधियों से सृजित निवल नकद NET CASHFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES | (ए) (A) 15,046.50 | (39,977.87) |
| II. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES | | |
| अनुषंगी / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम में निवेश से (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investment in Subsidiaries / Associates / JVs | (589.41) | (577.67) |
| अन्य आरक्षित निधियों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Reserves | 94.56 | (46.68) |
| अचल आस्तियों की बिक्री/खरीद से निवल अंतर्वाह / बहिर्वाह Net inflow/ outflow from sale/ purchase of fixed assets | (1,253.15) | (613.45) |
| निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी NET CASH GENERATED FROM INVESTING ACTIVITIES | (बी) (B) (1,748.00) | (1,237.80) |

| III. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES | | |
|---|-----------------|--------------------------------|
| लाभांश का भुगतान / Payment of Dividend | | (2,176.95) (1,179.18) |
| टियर I और टियर II बांड पर ब्याज का भुगतान / Payment of interest on Tier I and Tier II bonds | | (2,560.52) (2,425.46) |
| अधीनस्थ ऋण सहित बांडों का नया निर्गम Fresh issue of bonds including sub-ordinated debts | | 3,403.00 6,000.00 |
| अधीनस्थ ऋण सहित बांड का मोचन / Redemption of bonds including sub-ordinated debts | | (2,500.00) (1,950.00) |
| वित्तीय गतिविधियों से सृजित निवल नकद NET CASH GENERATED FROM FINANCING ACTIVITIES | (सी) (C) | (3,834.47) 445.36 |
| विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण निवल नकद प्रवाह NET CASH FLOWS ON ACCOUNT OF EXCHANGE FLUCTUATION | (डी) (D) | (2.16) 81.70 |
| नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग) Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C+D) | | 9,461.87 (40,688.61) |
| प्रारंभिक नकदी और नकद तुल्य / Opening Cash and Cash equivalents | | 1,41,702.82 1,82,391.43 |
| अंतिम नकदी और नकद तुल्य / Closing Cash and Cash Equivalents | | 1,51,164.69 1,41,702.82 |

नोट / Notes:

- नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष पद्धति (एएस-3) के तहत तैयार किया गया है और जहां भी आवश्यक है, आंकड़ों को फिर से समूहीकृत किया गया है।
- नकदी और नकद तुल्य में उपलब्ध नकद शेष, आरबीआई और अन्य बैंकों में उपलब्ध शेषराशि और मांग व अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है।
- The Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method (AS-3) and figures have been re-grouped wherever considered necessary.
- Cash and Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other Banks and Money at Call and Short Notice.

| नकदी एवं नकद तुल्य के घटक / Components of Cash & Cash Equivalents | 31.03.2024 (लेखापरीक्षित / Audited) | 31.03.2023 (लेखापरीक्षित / Audited) |
|--|--|--|
| आरबीआई में नकदी व शेषराशि / Cash & Balance with RBI | 71,134.88 | 55,045.29 |
| बैंकों में शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice | 80,029.81 | 86,657.53 |
| कुल / Total | 1,51,164.69 | 1,41,702.82 |

शेख मोहम्मद वसीम
मंडल प्रबंधक

अमित मिश्र
उप महाप्रबंधक

भवेंद्र कुमार
कार्यपालक निदेशक

के. सत्यनारायण राजु
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नलिनी पद्मानाभन
निदेशक

हरदीप सिंह अहलवालिया
कार्यपालक निदेशक

विजय श्रीरंगन
अध्यक्ष

दिबाकर प्रसाद हरिचंदन
निदेशक

बिमल प्रसाद शर्मा
निदेशक

दीपक कुमार जेना
मंडल प्रबंधक

एस के मजूमदार
मुख्य महा प्रबंधक व जीसीएफो

अशोक चंद्र
कार्यपालक निदेशक

प्रशांत कुमार गोयल
निदेशक

करुणाकर शेट्टी
निदेशक

दीपेश देवचंद देडिया
सहायक महाप्रबंधक

देबाशीष मुखर्जी
कार्यपालक निदेशक

आर केशवन
निदेशक

आभा सिंह यदुवंशी
निदेशक

समसंख्यक दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **पी ए एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 313085E

(दिनेश अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं.: 055955

कृते **अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 003917N

(अरुण के अग्रवाल)
साझेदार
सदस्य सं.: 082899

कृते **सरथ एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 005120S

(वेगुंटा साई रूप कुमार)
साझेदार
सदस्य सं.: 213734

कृते **के वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 004610S

(ए गोपालकृष्णन)
साझेदार
सदस्य सं.: 018159

कृते **रोडी डाबीर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म सं : 108846W

(दिलीप रोडी)
साझेदार
सदस्य सं.: 035810

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 08.05.2024

SHEIKH MOHD. WASEEM
DIVISIONAL MANAGER

DEEPAK KUMAR JENA
DIVISIONAL MANAGER

DEEPESH DEVCHAND DEDHIA
ASST GENERAL MANAGER

AMIT MITTAL
DEPUTY GENERAL MANAGER

S K MAJUMDAR
CHIEF GENERAL MANAGER & GCFO

BHAVENDRA KUMAR
EXECUTIVE DIRECTOR

HARDEEP SINGH AHLUWALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

ASHOK CHANDRA
EXECUTIVE DIRECTOR

DEBASHISH MUKHERJEE
EXECUTIVE DIRECTOR

K. SATYANARAYANA RAJU
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

VIJAY SRIRANGAN
CHAIRMAN

PARSHANT KUMAR GOYAL
DIRECTOR

R KESAVAN
DIRECTOR

NALINI PADMANABHAN
DIRECTOR

DIBAKAR PRASAD HARICHANDAN
DIRECTOR

BIMAL PRASAD SHARMA
DIRECTOR

KARUNAKARA SHETTY
DIRECTOR

ABHA SINGH YADUVANSHI
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For **P A & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 313085E

(DINESH AGRAWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 055955

For **ARUN K AGARWAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 003917N

(ARUN KUMAR AGARWAL)
PARTNER
MEMBERSHIP NO:082899

For **SARATH & ASSOCIATES**
Chartered Accountants
FRN : 005120S

(VEGUNTA SAI ROOP KUMAR)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 213734

For **K VENKATACHALAM AIYER & CO**
Chartered Accountants
FRN : 004610S

(A GOPALAKRISHNAN)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 018159

For **RODI DABIR & CO**
Chartered Accountants
FRN : 108846W

(DILIP RODI)
PARTNER
MEMBERSHIP NO: 035810

Place : Bengaluru
Date : 08.05.2024

लाभांश वितरण नीति

पात्रता मानदंड

बैंक में होना चाहिए:

- ✓ पूर्ववर्ती दो पूर्ण वर्षों के लिए कम से कम 9% का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और वह लेखा वर्ष जिसके लिए यह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है।
- ✓ निवल एनपीए 7% से कम।

यदि कोई बैंक उपरोक्त सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, लेकिन उस लेखा वर्ष के लिए कम से कम 9% का सीआरएआर रखता है जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसका निवल एनपीए अनुपात 5% से कम हो।

बशर्ते, बैंकों को 9% की नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से ऊपर, सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी से युक्त 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना आवश्यक है। बैंकों पर पूंजी वितरण प्रतिबंध तब लगाए जाएंगे जब उनका पूंजी स्तर इस दायरे में होगा। नीचे दी गई तालिका न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात दर्शाती है, जिसे बैंक को सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात के विभिन्न स्तरों पर पूरा करना होगा।

अलग-अलग बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी संरक्षण मानक

| मौजूदा अवधियों को शामिल करने के बाद कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात ने आय को बरकरार रखा | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (आय के % के रूप में व्यक्त) |
|--|--|
| 5.5% - 6.125% | 100% |
| >6.125% - 6.75% | 80% |
| >6.75% - 7.375% | 60% |
| >7.375% - 8.0% | 40% |
| >8.0% | 0% |

कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात में 5.5% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोग की जाने वाली राशि शामिल है, लेकिन 7% टियर 1 और 9% कुल पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 शामिल नहीं है।

Dividend Distribution Policy

Eligibility Criteria

The Bank should have:

- ✓ Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of at least 9% for preceding two completed years and the accounting year for which it proposes to declare dividend.
- ✓ Net NPA less than 7%.

In case any Bank does not meet the above CRAR norm, but is having a CRAR of at least 9% for the accounting year for which it proposes to declare dividend, it would be eligible to declare dividend, provided its Net NPA ratio is less than 5%.

Provided, Banks are required to maintain a capital conservation buffer of 2.5%, comprised of Common Equity Tier 1 capital, above the regulatory minimum capital requirement of 9%. The capital distribution constraints will be imposed on Banks when their capital levels fall within this range. The below table shows the minimum capital conservation ratios a Bank must meet at various levels of the Common Equity Tier 1 capital ratios..

Minimum Capital Conservation Standards for Individual Bank

| Common Equity Tier 1 Ratio after including the current periods retained earnings | Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as % of earnings) |
|--|--|
| 5.5% - 6.125% | 100% |
| >6.125% - 6.75% | 80% |
| >6.75% - 7.375% | 60% |
| >7.375% - 8.0% | 40% |
| >8.0% | 0% |

The Common Equity Tier 1 (CET1) ratio includes amounts used to meet the minimum Common Equity Tier 1 capital requirement of 5.5%, but excludes any additional Common Equity Tier 1 needed to meet the 7% Tier 1 and 9% Total Capital requirements.

बशर्ते यह भी कि, अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति वाले भारत में निगमित बैंकों को काउंटरसाइकिलकल पूंजी बफर (सीसीसीबी) के तहत संबंधित अधिकार क्षेत्र में मेजबान पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित पर्याप्त पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता है। बैंक विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंधों के अधीन होंगे (लाभांश भुगतान, शेर बायबैक और कर्मचारी बोनस भुगतान शामिल हो सकते हैं) यदि वे प्रतिचक्रिय पूंजी बफर की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं जो पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के लिए आवश्यकता का विस्तार है। कुल आरडब्ल्यूए के 2.5% के सीसीबी और 2.5% के सीसीसीबी की समवर्ती आवश्यकता को मानते हुए, सीईटी1 पूंजी के विभिन्न स्तरों पर बैंक के आवश्यक संरक्षण अनुपात (विवेकाधीन वितरण पर प्रतिबंध) को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

| अलग-अलग बैंक न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, पूंजी संरक्षण बफर और सीसीसीबी प्रत्येक के 2.5% की आवश्यकता मानते हुए | |
|---|--|
| सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात बैंड | न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात (आय के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) |
| >5.5% - 6.75% | 100% |
| >6.75% - 8.0% | 80% |
| >8.0% - 9.25% | 60% |
| >9.25% - 10.50% | 40% |
| >10.50% | 0% |

सीईटी 1 अनुपात बैंड उस समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आवश्यक सीसीबी और सीसीसीबी के 25% की वृद्धि में संरचित हैं।

इसके अलावा, लाभांश की घोषणा आरबीआई द्वारा "अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क" पर 2 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या DOS.CO.PPG. SEC.No.4/11.01.005/2021-22 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन है। संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होंगे।

बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे ने पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए संकेतक दिए थे। परिपत्र में उल्लिखित संकेतकों के आधार पर, जोखिम सीमा को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिया गया है और जब कोई बैंक उक्त जोखिम सीमा का उल्लंघन करता है तो अनिवार्य कार्रवाई की जाएगी।

Provided further that, Banks incorporated in India having international presence are required to maintain adequate capital under Countercyclical Capital Buffer (CCCB) as prescribed by the host supervisors in respective jurisdictions. Banks will be subject to restrictions on discretionary distributions (may include dividend payments, share buybacks and staff bonus payments) if they do not meet the requirement on Countercyclical Capital Buffer which is an extension of the requirement for Capital Conservation Buffer (CCB). Assuming a concurrent requirement of CCB of 2.5% and CCCB of 2.5% of total Risk Weighted Assets (RWAs), the required conservation ratio (restriction on discretionary distribution) of a bank, at various levels of CET1 capital held is illustrated in the following Table

| Individual Bank - Minimum Capital Conservation Ratios, Assuming a Requirement of 2.5% each of Capital Conservation Buffer and CCCB | |
|--|--|
| Common Equity Tier 1 Ratio Bands | Minimum Capital Conservation Ratios (expressed as a % of earnings) |
| >5.5% - 6.75% | 100% |
| >6.75% - 8.0% | 80% |
| >8.0% - 9.25% | 60% |
| >9.25% - 10.50% | 40% |
| >10.50% | 0% |

The CET 1 ratio bands are structured in increments of 25% of the required CCB and CCCB prescribed by the Reserve Bank of India at that point in time.

Also, the declaration of dividend is further subject to the restrictions imposed by RBI vide its Circular DOS.CO.PPG. SEC.No.4/11.01.005/2021-22 dated November 2nd 2021 on "Prompt Corrective Action (PCA) Framework for Scheduled Commercial Banks". The provisions of the revised PCA framework will be effective from January 1, 2022.

The Revised Prompt Corrective Action (PCA) framework for Banks had given the indicators to be tracked for Capital, Asset Quality and Profitability. Based on the indicators mentioned in the Circular, risk thresholds have been classified into three categories as given in the table below and the mandatory action that would be taken when a bank breaches the said risk threshold.

जोखिम सीमा के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए विभिन्न संकेतक:

| पीसीए मैट्रिक्स – पैरामीटर्स, संकेतक और जोखिम सीमा | | | | |
|--|--|---|---|---|
| पैरामीटर | संकेतक | जोखिम सीमा 1 | जोखिम सीमा 2 | जोखिम सीमा 3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| पूंजी (सीआरएआर या सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन) | सीआरएआर – पूंजी से जोखिम संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम विनियामक निर्धारण + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) और/या सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात (सीईटी 1 पीएसटी) + लागू पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के विनियामक पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर | कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से 250 बीपीएस के नीचे तक कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से 162.50 बीपीएस के नीचे तक | कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक के 250 बीपीएस से अधिक लेकिन 400 बीपीएस से अधिक नहीं कॉलम (2) में निर्धारित संकेतक से नीचे 162.50 बीपीएस से अधिक लेकिन 312.50 बीपीएस से अधिक नहीं | कॉलम (2) में निर्धारित सूचक से 400 बीपीएस से अधिक कॉलम (2) में निर्धारित सूचक से 312.50 बीपीएस से अधिक |
| | पीसीए को ट्रिगर करने के लिए सीआरएआर या सीईटी 1 अनुपात का उल्लंघन | | | |
| आस्ति गुणवत्ता | निवल गैर-निष्पादित अग्रिम (एनएनपीए) अनुपात | >=6.0% लेकिन <9.0% | >=9.0% लेकिन < 12.0% | >=12.0% |
| लीवरेज | विनियामक न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात | विनियामक न्यूनतम से 50 बीपीएस तक | 50 बीपीएस से अधिक लेकिन नियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक नहीं | विनियामक न्यूनतम से 100 बीपीएस से अधिक नीचे |

The various indicators for classifying under risk thresholds:

| PCA Matrix – Parameters, Indicators and Risk Thresholds | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Parameter | Indicator | Risk Threshold 1 | Risk Threshold 2 | Risk Threshold 3 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Capital (Breach of either CRAR or CET 1 ratio) | CRAR - Minimum regulatory prescription for Capital to Risk Assets Ratio + applicable Capital Conservation Buffer (CCB) and/or Regulatory Pre-specified Trigger of Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1 PST) + applicable Capital Conservation Buffer (CCB) | Up to 250 bps below the Indicator prescribed at column (2) Up to 162.50 bps below the Indicator prescribed at column (2) | More than 250 bps but not exceeding 400 bps below the Indicator prescribed at column (2) More than 162.50 bps below but not exceeding 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2) | In excess of 400 bps below the Indicator prescribed at column (2) In excess of 312.50 bps below the Indicator prescribed at column (2) |
| | Breach of either CRAR or CET 1 ratio to trigger PCA | | | |
| Asset Quality | Net Non-Performing Advances (NNPA) ratio | >=6.0% but <9.0% | >=9.0% but < 12.0% | >=12.0% |
| Leverage | Regulatory minimum Tier 1 Leverage Ratio | Up to 50 bps below the regulatory minimum | More than 50 bps but not exceeding 100 bps below the regulatory minimum | More than 100 bps below the regulatory minimum |

विभिन्न जोखिम सीमाओं के आधार पर बैंकों के खिलाफ कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाई शुरू की जाएगी। अनिवार्य कार्रवाइयों में दूसरों के बीच लाभांश वितरण पर प्रतिबंध शामिल है, भले ही किसी बैंक को जोखिम सीमा के तहत वर्गीकृत किया गया हो।

- बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए।
- बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रचलित विनियमों / दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए, जिसमें संपत्ति की हानि और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाना, लाभ को वैधानिक आरक्षित निधि में स्थानांतरित करना आदि शामिल हैं।
- प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होना चाहिए।
- रिजर्व बैंक को लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था।
- लाभांश की घोषणा आरबीआई / भारत सरकार / वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश या संसूचना के अधीन होगी।

लाभांश भुगतान के बाद सभी बैंक लागू न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे। इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करते समय, आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लागू पूंजी आवश्यकताओं और प्रावधानों की पर्याप्तता की तुलना में अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार करना निदेशक मंडल की जिम्मेदारी होगी।

Based on the various risk thresholds, certain mandatory and discretionary actions would be initiated against Banks. The mandatory actions amongst others include the restriction on dividend distribution, irrespective of the risk threshold under which a Bank is classified.

- The Bank should comply with the provisions of Sections 15 and 17 of the Banking Regulation Act, 1949.
- The Bank should comply with the prevailing regulations / guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves etc.
- The proposed dividend should be payable out of the current year's profit.
- The Reserve Bank should not have placed any explicit restrictions on the Bank for declaration of dividends.
- The declaration of dividend shall be further subject to any Directions or Communications issued by RBI / Government of India / Ministry of Finance from time to time.

All banks shall continue to meet the applicable minimum regulatory capital requirements after dividend payment. While declaring dividend on equity shares, it shall be the responsibility of the Board of Directors to inter-alia consider the current and projected capital position of the bank vis-à-vis the applicable capital requirements and the adequacy of provisions, taking into account the economic environment and the outlook for profitability.

देय लाभांश की मात्रा

लाभांश भुगतान अनुपात 40% से अधिक नहीं होगा और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा:

Quantum of Dividend Payable

The dividend payout ratio shall not exceed 40% and shall be as per the matrix furnished herein below:

| श्रेणी | सीआरएआर | निवल एनपीए अनुपात | | | |
|--------|---|------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | शून्य | शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम | 3% से अधिक 5% से कम | 5% से अधिक 7% से कम |
| | | लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा | | | |
| ए | पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 11% या उससे अधिक | 40 तक | 35 तक | 25 तक | 15 तक |
| बी | पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 10% या उससे अधिक | 35 तक | 30 तक | 20 तक | 10 तक |
| सी | पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक के लिए 9% या उससे अधिक | 30 तक | 25 तक | 15 तक | 5 तक |
| डी | चालू वर्ष में 9% या उससे अधिक | 10 तक | | 5 तक | शून्य |

[लाभांश भुगतान अनुपात की गणना 'वर्ष के दौरान निवल लाभ' के लिए 'एक वर्ष में देय लाभांश' (लाभांश कर को छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में की जाएगी।]

| Category | CRAR | Net NPA Ratio | | | |
|----------|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Zero | More than Zero, but less than 3% | From 3 % to less than 5% | From 5% to less than 7% |
| | | Range of Dividend Payout Ratio | | | |
| A | 11% or more for each of the last 3 years | Up to 40 | Up to 35 | Up to 25 | Up to 15 |
| B | 10% or more for each of the last 3 years | Up to 35 | Up to 30 | Up to 20 | Up to 10 |
| C | 9% or more for each of the last 3 years | Up to 30 | Up to 25 | Up to 15 | Up to 5 |
| D | 9% or more in the current year | Up to 10 | | Up to 5 | Nil |

[Dividend payout ratio shall be calculated as a percentage of 'dividend payable in a year' (excluding dividend tax) to 'net profit during the year']

यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई असाधारण लाभ/आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए ऐसी असाधारण वस्तुओं को छोड़कर भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits / income, the payout ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential payout ratio.

जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी योग्यता से मुक्त होने चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस आशय की किसी योग्यता के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

भारत सरकार के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अपनी इक्विटी का न्यूनतम 20% (अर्थात् प्रदत्त पूंजी) का न्यूनतम लाभांश या कर-पश्चात लाभ का 20%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

लाभांश की मात्रा उपरोक्त बिंदु संख्या 6.1 में उल्लिखित मानदंडों की पूर्ति और सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) के अधीन होगी; यदि कोई; जैसा कि भारत सरकार / आरबीआई / सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया है।

लाभप्रदता के आधार पर बैंक अंतरिम लाभांश घोषित कर सकता है। ऐसे मामले में इसे अंतिम लाभांश की घोषणा करते समय समायोजित किया जाएगा और अंतरिम लाभांश सहित बैंक द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश इस नीति में निर्धारित सीमा (अधिकतम / न्यूनतम) और अन्य शर्तों के अधीन होगा।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से दिनांक 04 जून, 2021 के पत्र के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में, यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम लाभांश का भुगतान आरबीआई द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन है और, इसलिए, विशिष्ट पूर्व अनुमति केवल तभी मांगी जा सकती है जब भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित लाभांश दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक न्यूनतम के साथ-साथ विनियामक दिशानिर्देशों / निर्देशों के तहत स्वीकार्य से कम हो।

प्रक्रियाएँ

तुलन पत्र और केंद्रीय लेखा (बीएससीए) अनुभाग, वित्तीय प्रबंधन (एफएम) विभाग और शीर्ष प्रबंधन उपरोक्त बिंदु संख्या 6 में बताए गए नीति दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन निदेशक मंडल को लाभांश भुगतान अनुपात की सिफारिश करेंगे।

बैंक को लाभांश घोषित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- ✓ अंतरिम लाभांश का भुगतान;

The financial statements pertaining to the financial year for which the Bank is declaring a dividend should be free of any qualifications by the statutory auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

As per the extant guidelines of Government of India, the Banks are required to pay a minimum dividend of 20% of their equity (i.e. paid-up capital) or 20% of their post-tax profits, whichever is higher.

The quantum of the dividend shall be subject to the fulfillment of the criteria as enumerated in Point No. 6.1 above and the limit (Maximum/Minimum); if any; as stipulated by GOI / RBI / SEBI from time to time.

Bank may declare Interim Dividend based on profitability. In such case. it will be adjusted while declaring final dividend and the total dividend to be paid by the Bank including interim dividend shall be subject to the limit (Maximum/Minimum) and other conditions as stipulated herein in this policy.

Further, in terms of the instructions received from Ministry of Finance, Govt. of India, vide letter dated 04th June, 2021, it has been clarified that the payment of minimum dividend is subject to regulatory guidelines issued by RBI and, therefore, specific prior permission may be sought only if the dividend proposed to be paid is less than the minimum required under the guidelines as well as that permissible under regulatory guidelines/ instructions.

Procedures

Balance Sheet and Central Accounts (BSCA) Section, Financial Management (FM) Wing and Top Management shall recommend the Dividend Payout Ratio to the Board of Directors subject to the fulfillment of policy guidelines as explained in Point No. 6 above.

Bank should take into account the following aspects while deciding on the proposals for declaring dividend:

- ✓ The interim dividend paid;

- ✓ एनपीए की पहचान में अंतर, प्रावधान में कमी आदि के संबंध में आरबीएस, आरबीआई के निष्कर्ष।
- ✓ खातों के विवरण से संबंधित लेखापरीक्षक की योग्यता।
- ✓ बैंक की दीर्घकालिक विकास योजना।
- ✓ बेसल और अन्य विनियामक आवश्यकताएँ।

कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 में उल्लिखित लाभांश के वितरण के प्रक्रियात्मक पहलुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्रकटीकरण

लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर सेबी अधिसूचना (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2016 के विनियमन 43क के तहत आवश्यक वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक खुलासे किए जाएंगे। बैंक अपनी वेबसाइट पर लाभांश वितरण पर नीति का खुलासा करेगा और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

लाभांश के प्रकटीकरण और वितरण से संबंधित रिकॉर्ड

लाभांश के वितरण और प्रकटीकरण से संबंधित सभी रिकॉर्ड उस वित्तीय वर्ष के अंत से आठ वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे, जिससे यह संबंधित है और कंपनी सचिव, सचिवीय विभाग या इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के कस्टडी में रखा जाएगा।

विवेचन

किसी भी परिस्थिति में जहां इन नीतियों और प्रक्रियाओं की शर्तें बैंक को नियंत्रित करने वाले किसी मौजूदा या नव अधिनियमित कानून, नियम, विनियमन या मानक से भिन्न हों तो कानून, नियम, विनियमन या मानक को इन नीतियों और प्रक्रिया पर तब तक प्राथमिकता दी जाएगी जब तक कि इन नीतियों और प्रक्रियाओं को कानून, नियम, विनियमन या मानक की पुष्टि करने के लिए बदल नहीं दिया जाता है।

- ✓ The RBS, RBI findings with regard to divergence in identification of NPAs, shortfall in provisioning etc.
- ✓ The auditor's qualification pertaining to statement of accounts
- ✓ The bank's long-term growth plan
- ✓ Basel and other regulatory requirements

Company Secretary, Secretarial Department, shall ensure the compliance of procedural aspects of distribution of Dividend as enumerated in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80.

Disclosure

Necessary disclosures shall be made in the Annual Report as required under Regulation 43A of SEBI Notification on Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendments) Regulations, 2016.

The Bank shall disclose the policy on Dividend Distribution on its website and a web link thereto shall be provided in the Annual Report.

Records relating to Disclosure and Distribution of Dividend

All records pertaining to distribution of Dividend and disclosures shall be preserved for a period of eight years from the end of the financial year to which it relates and shall be kept in the custody of the Company Secretary, Secretarial Department or any other person authorized by the Board for the purpose.

Interpretation

In any circumstances where the terms of these policies and procedures differ from any existing or newly enacted law, rule, regulation or standard governing the Bank, the law, rule, regulation or standard will take precedence over these policies and procedure until such time as these policies and procedures are changed to confirm to the law, rule, regulation or standard.

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचना ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपने डीमैट खाते में एक ईमेल आईडी को पंजीकृत करें।
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि: वे अपनी सहमति इस संसूचना पत्र के छिद्रित हिस्से को भरकर और हस्ताक्षर कर हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके नीचे दिए गए पते पर भेजें:

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032
ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

केनरा बैंक की हरित पहल

दिनांक :

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
यूनिट: केनरा बैंक,
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32
गचीबॉवली, फाइनेंसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद - 500 032
ई-मेल आईडी: einward.ris@kfintech.com

प्रिय महोदय / महोदया,

मैं / हम _____ केनरा बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में धारण करता हूँ / करते हैं, केनरा बैंक के कॉरपोरेट अभिज्ञासन के तहत हरित पहल (ग्रीन इनिशिएटिव) के एक भाग के रूप में, मेरे / हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से केनरा बैंक से सभी संसूचना प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ / करते हैं।

फोलियो संख्या: _____

ईमेल आईडी _____ @ _____

मोबाइल नंबर _____

मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरी / हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त संसूचना को केनरा बैंक द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, विधिक और पर्याप्त सुपुर्दगी के रूप में माना जाएगा। मैं / हम साथ ही यह वचन देता हूँ / देते हैं कि किसी तकनीकी / अन्य विफलताओं के कारण मेरी / हमारी ईमेल आईडी पर प्रेषित संसूचना ठीक से न प्राप्त होने के मामले में मैं / हम केनरा बैंक, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराउंगा / ठहराएंगे।

प्रथम / एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an e-mail ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Kfin Technologies Ltd.
Unit : Canara Bank,
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
E-mail ID: einward.ris@kfintech.com
Toll Free No: 1800 309 4001

GREEN INITIATIVE OF CANARA BANK

Date :

Kfin Technologies Ltd.
Unit : Canara Bank,
Selenium Tower B, Plot No. 31-32
Gachibowli, Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
E-mail ID: einward.ris@kfintech.com

Dear Sir,

I / We _____ holding _____ shares of Canara Bank in physical form, intend to receive all communication from Canara Bank through our e-mail ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Canara Bank.

Folio Number: _____
E-mail ID _____ @ _____
Mobile No. _____

I / We also undertake that the communication received through my / our e-mail ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Canara Bank. I / We further undertake that we would not hold Canara Bank, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my / our e-mail ID due to any technical/other failures.

Signature of the First / Sole Shareholder

कुशल और त्वरित सेवाओं के लिए शेयरधारकों से अपील

1. कृपया अपने भौतिक शेयरों को अमूर्तीकृत (डीमैट) करें
2. कृपया अपने बैंक खाते में लाभांश राशि के इलेक्ट्रॉनिक / प्रत्यक्ष क्रेडिट के लिए अपना अधिदेश पंजीकृत करें
3. ई-मेल के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कृपया अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करें

अमूर्तीकरण के लाभ

1. शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने का कोई खतरा नहीं
2. कोई शेयर हस्तांतरण शुल्क या स्टाम्प शुल्क व्यय नहीं
3. आसान / परेशानी मुक्त ट्रांसफर / ट्रांसमिशन
4. नामांकन किया जा सकता है
5. लाभांश सीधे आपके बैंक खाते में जमा किया जाता है
6. एएसबीए / आईपीओ आवेदन संभव है

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश पंजीकृत करने के लाभ

1. लाभांश भुगतान तिथि पर सीधे लाभांश का क्रेडिट
2. लाभांश वारंट के देर से प्राप्त होने / प्राप्त न होने / पुनर्वैधीकरण की कोई समस्या नहीं

ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लाभ

1. भारत सरकार (जीओआई) की हरित पहल का हिस्सा बनें
2. एजीएम और ईजीएम / वार्षिक रिपोर्ट / अन्य संसूचनाओं की सूचना सहित कॉर्पोरेट सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति

Appeal to Shareholders for Efficient & Prompt Services

1. Please Demat your Physical Shares.
2. Please register your Mandate for Electronic / direct credit of Dividend amount in your Bank A/c.
3. Please register your E-mail ID for receiving communications through E-mail.

Benefits of Dematerialization

1. No threat of loss of Share Certificate
2. No Share Transfer Fees or Stamp Duty Expenses
3. Easy / hassle-free Transfer / Transmission
4. Nomination possible
5. Dividend directly credited to your Bank A/c.
6. ASBA / IPO Application possible

Benefits of Registering Mandate for payment of Dividend through Electronic Mode

1. Direct credit of Dividend on Dividend payment date itself.
2. No problem of late / non-receipt / revalidation of Dividend Warrants.

Benefits of Registering E-mail ID

1. Be a part of the Green Initiative of Government of India (GOI).
2. Immediate receipt of Corporate communication including Notice of AGM & EGM / Annual Reports / Other communication.



टिप्पणियां / Notes



76वीं अर्धवार्षिक बैठक एवं संयुक्त हिन्दी दिवस समारोह 2023
76th Half Yearly Meeting and Joint Hindi Day Celebration 2023



बोर्ड रणनीति बैठक, मसूरी, उत्तराखंड - 2023
Board Strategy Meet, Mussoorie, Uttarakhand - 2023



Head Office: 112, J C Road, Bengaluru - 560 002

केनरा बैंक
Canara Bank
A Government of India Undertaking

१००% RRR



Together We Can



90760 30001

www.canarabank.com

1 Bank Number 1800 1030

